खण्ड–518, अंक–02
मंगलवार, 03 ज्येष्ठ, शक संवत् 1944
(24 मई, 2022 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, वर्ष 2022)

(खण्ड 518 में 08 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-148
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार ...	149-152
भारत रत्न एवं स्वर कोकिला सुश्री लता मंगेशकर के निधन पर शोकोद्‌गार ...	152-161
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	162-163
सरकारी अस्पतालों में स्टैण्ड लगा कर गरीब मरीजों से धन उगाही के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	163
जनपद फतेहपुर शहर में निष्प्रयोज्य घोषित अनुसूचित जाति के छात्रावास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	163-164
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के विकास-खण्ड रामपुर के ग्राम उमरी कलॉ में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	164
जनपद सहारनपुर में अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	164
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में रुदौली-इन्हौंना सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	165
जनपद झांसी के ऐतिहासिक भवनों का रख-रखाव एवं प्रवेश द्वारों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	165
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में तटबन्ध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	166
जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की कतिपय ग्राम सभाओं में ओवरहेड टैंक संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	166
जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम पिपली में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	166-167
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर की ग्राम सभा टड़वा पहाड़पुर में सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	167

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर में सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	167
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में अण्डरग्राउण्ड विद्युत केबलिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	168
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	168
जनपद आगरा कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजाराम की बगिया से बीच के उखर्रा तक दोनों किनारे पक्का कर स्लैब डाल कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	168-169
वर्ष 2014 से पूर्व हुए क्रेता व विक्रेता के बीच प्रापर्टी के क्रय पर खरीद मूल्य को ही क्रय राशि माने जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	169
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	169
सदन की कार्यवाही एक वर्ष में कम से कम 90 दिन तक न चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	169-172
आय-व्ययक पर नियमानुसार चर्चा एवं मतदान के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	172-174
विधान सभा मण्डप में संविधान निर्माता श्रद्धेय डॉ0 बी0 आर0 आम्बेडकर जी का तैलीय चित्र स्थापित किये जाने विषयक अपनी पूर्व सूचना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	174-175
उ0 प्र0 विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021 (सदन के पटल पर रखा) ...	176
मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (भाग-एक तथा भाग-दो) (सदन के पटल पर रखा)	176-177
कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएँ	177-187
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	187-218
धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में प्रतिभाग हेतु माननीय सदस्यों के लिए समय का निर्धारण	218
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	218-252

विषय	पृष्ठ-संख्या
असंसदीय शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	252-256
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा	256-285
डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	285
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं एवं जनपद मथुरा से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	285
कुं0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई की विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	286
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	286-287
श्री प्रेम नरायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	287-288
श्री बम्बालाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पन्द्रह याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	288-289
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित चौबीस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)... ...	289-292
श्री मौहम्मद फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित सत्रह याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)... ...	292-293
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित नौ याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	293-294
श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	294
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित चौदह याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	295-296
श्री श्याम सुन्दर, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित दो याचिकाएं (व्यपगत)	296
श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	296-297

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित चौदह याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	297-299
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित बीस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)... ...	299-301
श्रीमती राजबाला, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ की दो तथा जनपद सीतापुर की एक याचिका (व्यपगत)	301
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (पुरःस्थापित) ...	302
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	302-304
नत्थियाँ	305-461

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 24 मई, 2022 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-364

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्त कबीर नगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
5. अजय, श्री — गोण्डा
6. अजय कुमार, श्री — बागपत
7. अजय सिंह, श्री — बस्ती
8. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
9. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
10. अताउर रहमान, श्री — बरेली
11. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार 'अनिल प्रधान', श्री — चित्रकूट
14. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्त कबीर नगर
15. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
16. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
17. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
18. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
19. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
20. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
21. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
22. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
23. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
24. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
25. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
26. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
27. अमित सिंह चौहान, श्री — अयोध्या
28. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
29. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
30. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
31. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
32. अल्का सिंह, श्रीमती — हरदोई
33. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
34. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
35. अशरफ अली खान, श्री — शामली
36. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
37. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
38. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
39. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
40. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
41. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
42. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
43. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
44. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
45. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
46. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई
47. आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्री — लखनऊ
48. आशुतोष शुक्ल, श्री — उन्नाव
49. आशु मलिक, श्री — सहारनपुर
50. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
51. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती

52. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
53. उमर अली खान, श्री — सहारनपुर
54. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
55. ऊषा मौर्या, श्रीमती — फतेहपुर
56. ऋषि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
57. ओमकुमार, श्री — बिजनौर
58. ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
59. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
60. ओममणी वर्मा, श्रीमती — बांदा
61. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
62. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री — आजमगढ़
63. कमाल अख्तर, श्री — मुरादाबाद
64. कविन्द्र चौधरी, श्री — बस्ती
65. किरत सिंह, श्री — सहारनपुर
66. कृष्णपाल मलिक, श्री — बागपत
67. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
68. कैलाश, श्री — चन्दौली
69. कैलाश नाथ, श्री — बलरामपुर
70. कैलाश राजपूत, श्री — कन्नौज
71. गणेश चन्द्र, श्री — सन्त कबीर नगर
72. गिरीश चन्द्र यादव, श्री — जौनपुर
73. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती — प्रयागराज
74. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती — औरैया
75. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री — प्रयागराज
76. गुलाब देवी, श्रीमती — सम्भल
77. गौरव कुमार, श्री — बाराबंकी
78. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री — जालौन
79. चन्दन चौहान, श्री — मुजफ्फरनगर
80. चन्द्र प्रकाश, श्री — फतेहपुर
81. चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
82. छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
83. जगदीश नारायण, श्री — जौनपुर
84. जय देवी, श्रीमती — लखनऊ
85. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री — पीलीभीत
86. जय प्रकाश अंचल, श्री — बलिया
87. जयप्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
88. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
89. जयमंगल, श्री — महराजगंज
90. जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
91. जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
92. जवाहर लाल राजपूत, श्री — झांसी
93. जाहीद, श्री — भदोही
94. जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
95. जियाउर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
96. जीत लाल, श्री — प्रतापगढ़
97. जैकिशन, श्री — गाजीपुर
98. ज्ञान तिवारी, श्री — सीतापुर
99. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महाराजगंज
100. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 — बरेली
101. तसलीम अहमद, श्री — बिजनौर
102. तुफानी सरोज, श्री — जौनपुर
103. तेजपाल सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
104. त्रिभुवन दत्त, श्री — अम्बेडकरनगर
105. त्रिभुवन राम, श्री — वाराणसी
106. दयाशंकर सिंह, श्री — बलिया
107. दिनेश, श्री — मेरठ
108. दिनेश रावत, श्री — बाराबंकी
109. दीनानाथ भाष्कर, श्री — भदोही
110. दीपक कुमार मिश्र 'शाका', श्री — देवरिया
111. दूधराम, श्री — बस्ती
112. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
113. देवेन्द्र कुमार निम, श्री — सहारनपुर
114. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
115. देवेन्द्र सिंह, श्री — कासगंज
116. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री — बुलन्दशहर
117. धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली

118. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
119. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
120. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
121. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
122. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री प्रयागराज
123. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
124. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रूखाबाद
125. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
126. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
127. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
128. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
129. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
130. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
131. पंकज, श्री जौनपुर
132. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
133. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
134. पंचानन्द पाठक (पी0 एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
135. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
136. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
137. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
138. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
139. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
140. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
141. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
142. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
143. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
144. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
145. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
146. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
147. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
148. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
149. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
150. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
151. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
152. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
153. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
154. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
155. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
156. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
157. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
158. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
159. बाबूराम, श्री पीलीभीत
160. बाबूलाल, श्री आगरा
161. बावन सिंह, श्री गोण्डा
162. विजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
163. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
164. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
165. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
166. बेचई, श्री आजमगढ़
167. बेदी, श्री गाजीपुर
168. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
169. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
170. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
171. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
172. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
173. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
174. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
175. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
176. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
177. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
178. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
179. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
180. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
181. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
182. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
183. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद

184. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
185. महबूब अली, श्री अमरोहा
186. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
187. महेन्द्र, श्री अमरोहा
188. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
189. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
190. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
191. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
192. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
193. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
194. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
195. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
196. मुकेश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
197. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
198. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
199. मेघश्याम, श्री मथुरा
200. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
201. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
202. मौ0 नासिर, श्री मुरादाबाद
203. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
204. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
205. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
206. योगेश वर्मा, श्री खीरी
207. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
208. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
209. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
210. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
211. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
212. रमाकान्त यादव, श्री आजमगढ़
213. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
214. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
215. रमेश, श्री जौनपुर
216. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
217. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
218. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
219. रवि शर्मा, श्री झांसी
220. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
221. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
222. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
223. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
224. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
225. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
226. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
227. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
228. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
229. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
230. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
231. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
232. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
233. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
234. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
235. राजमणि, श्री प्रयागराज
236. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
237. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
238. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
239. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
240. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
241. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
242. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
243. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
244. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
245. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
246. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
247. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
248. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
249. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर

250. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
251. रामकेश निषाद, श्री बांदा
252. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
253. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
254. रामदुलार, श्री सोनभद्र
255. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
256. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
257. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
258. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
259. राम फेरन, श्री श्रावस्ती
260. राम बिलास चौहान, श्री मऊ
261. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
262. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
263. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
264. राहुल प्रकाश कोल, श्री मिर्जापुर
265. राहुल बच्चा, श्री कानपुर नगर
266. राहुल राजूपत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
267. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
268. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
269. लकी यादव, श्री जौनपुर
270. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
271. लक्ष्मी राज, श्री बुलन्दशहर
272. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
273. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
274. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
275. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
276. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
277. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
278. विनय कुमार, श्री गोण्डा
279. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
280. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
281. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
282. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
283. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
284. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
285. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
286. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
287. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
288. विपुल दुबे, श्री भदोही
289. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
290. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
291. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
292. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
293. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
294. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
295. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
296. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
297. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
298. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
299. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
300. शशांक वर्मा, श्री खीरी
301. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
302. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
303. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
304. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
305. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
306. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
307. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
308. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
309. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
310. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
311. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
312. संग्राम सिंह, श्री बलिया
313. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
314. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
315. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र

316. संजीव कुमार दिवाकर, श्री — एटा
317. सन्दीप कुमार सिंह, श्री — अलीगढ़
318. सन्दीप सिंह, श्री — प्रयागराज
319. सचिन यादव, श्री — फिरोजाबाद
320. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री — बाराबंकी
321. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
322. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री — कासगंज
323. सभाकुंवर, श्री — देवरिया
324. समरपाल सिंह, श्री — अमरोहा
325. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 — गोरखपुर
326. सरिता भदौरिया, श्रीमती — इटावा
327. सरोज कुरील, श्रीमती — कानपुर नगर
328. सरोज सोनकर, श्रीमती — बहराइच
329. सर्वेश सिंह, श्री — फिरोजाबाद
330. सलोना कुशवाहा, श्रीमती — शाहजहांपुर
331. साकेन्द्र प्रताप, श्री — बाराबंकी
332. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री — प्रयागराज
333. सीताराम वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
334. सुनील कुमार शर्मा, श्री — गाजियाबाद
335. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर — फर्रुखाबाद
336. सुनील पटेल, डॉ0 — वाराणसी
337. सुभाष त्रिपाठी, श्री — बहराइच
338. सुरभी, डॉ0 — फर्रुखाबाद
339. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री — कुशीनगर
340. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री — देवरिया
341. सुरेन्द्र मैथानी, श्री — कानपुर नगर
342. सुरेश कुमार, श्री — अमेठी
343. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
344. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
345. सुशान्त सिंह, कुँ0 — बिजनौर
346. सुशील कुमार शाक्य, श्री — फर्रुखाबाद
347. सुशील सिंह, श्री — चन्दौली
348. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री — गाजीपुर
349. सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
350. सैय्यदा खातून, श्रीमती — सिद्धार्थनगर
351. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 — मेरठ
352. सौरभ श्रीवास्तव, श्री — वाराणसी
353. सौरभ सिंह सोनू, श्री — खीरी
354. स्वामी ओउमवेश, श्री — बिजनौर
355. हंसु राम, श्री — बलिया
356. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री — खीरी
357. हरिओम, श्री — कासगंज
358. हरिप्रकाश वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
359. हरीश चन्द्र, श्री — बदायूं
360. हरेन्द्र सिंह, श्री — हापुड़
361. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री — प्रयागराज
362. हाकिम लाल बिन्द, श्री — प्रयागराज
363. हिमान्शु यादव, श्री — बदायूं
364. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़

नोट :- उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी), जल शक्ति मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह), लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद), नगर विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति), सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप), उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश प्रताप सिंह), आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु') तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री जसवन्त सैनी) भी उपस्थित थे।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-56 के अन्तर्गत पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 आने दीजिए।

श्री अखिलेश यादव-

ठीक है।

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित नालों की खुदाई का स्थान व प्रस्तावित नालों का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

***1-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में ऐसे कितने नालों की खुदाई कराया जाना प्रस्तावित है, जहां पर नाले की खुदाई न होने से सीपेज के कारण किसानों की कृषि योग्य भूमि परती पड़ी हुई है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रस्तावित नालों का स्थान एवं संख्या कितनी है तथा कब तक उक्त नालों की खुदाई पूर्ण करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व बैंक एवं यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिटी (ई0ई0सी0) के वित्तीय पोषण से संचालित ऊसर सुधार योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1993 से 2018 तक प्रदेश के ऊसर प्रभावित 32 जनपदों में कुल 409450.00 हेक्टेयर ऊसर क्षेत्र का सुधार किया गया। उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित उक्त योजनाओं में ऊसर सुधार करने हेतु चयनित क्षेत्र में सुचारु जल निकास प्रणाली को भी सुदृढ़ किया जाता है, जिसमें नालों की खुदाई एवं पूर्व से विद्यमान नालों की सफाई एवं पुनरोद्धार का कार्य कराया गया। यह परिसम्पत्तियां सम्बन्धित विभाग को एवं चयनित ग्राम की स्थल क्रियान्वयन समिति (एस0आई0सी0) को स्थानान्तरित है।

निगम में नालों की सफाई हेतु पृथक से कोई कार्य नहीं किया जाता है। वर्तमान में नालों की न तो कोई सफाई का कार्य प्रस्तावित है और न ही निगम में कोई योजना संचालित है।

नोट :-†तारांकित प्रश्न की अनुपूरक सामग्री देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-305-306 पर।

सिंचाई विभाग के वाह्य सहायतित संगठन के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित एवं उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में संचालित सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना जिसमें कृषि विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग सम्मिलित थे, के अन्तर्गत तीन चरणों में वर्ष 1997 से 2018 तक चयनित सोडिक ड्रेनों के पुनरोद्धार का कार्य कराया गया था।

यह परियोजना दिसम्बर, 2018 में पूर्ण हो गयी है। वर्तमान समय में इन पुनरोद्धारित सोडिक ड्रेनों के अनुरक्षण मात्र का कार्य ही इस संगठन द्वारा कराया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में कुल 792 ड्रेनों पर 4301.000 कि0मी0 लम्बाई में अनुरक्षण का कार्य इस संगठन द्वारा कराया गया है। सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित बजट के सापेक्ष उक्त सोडिक ड्रेनों के अनुरक्षण का कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री दिनेश कुमार)-

मा0 अध्यक्ष जी, उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व बैंक एवं यूरोपियन इकोनॉमी...।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये। मा0 श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी, आप अनुपूरक करना चाहते हों, तो कर लें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, किसानों से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उ0 प्र0 में लगभग चार हजार से ज्यादा नाले, जो एक जनपद से दूसरे जनपद में जाते हैं, उस पर हमारा ये प्रश्न था, लेकिन मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूँ कि जो अधिकारियों द्वारा जवाब दिया गया है वह सही नहीं है। मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार बतायेगी कि उक्त नालों का स्थान एवं संख्या कितनी है तथा उक्त नालों की खुदाई कब तक पूर्ण करायी जायेगी ? उत्तर आया है कि प्रश्न ही नहीं उठता। जबकि सरकार के पास इसका डाटा होना चाहिए और उपलब्ध भी है कि कितने बड़े नाले हैं जिनकी सफाई करायी जानी चाहिए या होते हैं। मैं आपकी कृपा से इसमें दो सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला, मैं मा0 विभागीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने नाले हैं, जो 30 कि0मी0 से लेकर 65 कि0मी0 तक हैं, और एक जनपद से दूसरे जनपद को जोड़ रहे हैं। उनमें से कितने नालों की खुदाई करायी गयी है और कितने नालों की खुदाई अवशेष है ? कितने हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि सीपेज के कारण प्रभावित है और कितने किसान उसमें खेती नहीं कर पा रहे हैं ?

दृष्टान्त ये है कि मैं आपके संरक्षण में मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना भी चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि जनपद रायबरेली में बकुलाही के नाम से एक नाला है, जो रायबरेली से लेकर प्रतापगढ़ सई नदी में जाता है। आपके विभाग के मुताबिक उसकी दूरी 42 कि0मी0 है। वह नाला आज तक नहीं खुदवाया गया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 23 हजार एकड़ जमीन सीपेज से भरी हुई है। वहां पर फ्लोराइड और आर्सेनिक हो गया है। वहां पर पेयजल खराब हो गया है और किसान खेती न कर पाने के कारण वहां से पलायन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे इन दोनों सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पर मा0 मंत्री जी का जवाब आ जाये।

श्री दिनेश कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 सदन को बताना चाहता हूँ कि 40 कि0मी0 के अन्दर खुदाई और सफाई का कार्य कराया गया है, जिसकी सूची भी आपको उपलब्ध करा देंगे। जहां तक रायबरेली का विषय है, जहां से मा0 सदस्य विधायक हैं, वहां भी हमने 28 से लेकर 70 कि0मी0 के अन्दर सफाई करायी है और मा0 सदस्य ने जो अभी कहा है कि अधिकारियों ने जो सूचना दी है, वह गलत है। आपने अभी जो कहा है कि परती भूमि, बंजर भूमि खराब पड़ी है, उसकी व्यवस्था क्या है ? मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, जो विश्व बैंक है, उस विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1993 से लेकर 2018 तक ये योजना थी, उसमें बंजर भूमि के लिए कार्यक्रम था, जो समाप्त हो गया है। अब जल शक्ति विभाग इसकी देख-रेख करता है, खुदाई/सफाई कराता है और वह 40 जिले हमने कराये हैं। अगर आप कहेंगे, तो उसकी सूची मैं मा0 विधायक जी को उपलब्ध करा दूंगा।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

मैं मा0 मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि वह जवाब अच्छा दे रहे हैं। मा0 मंत्री जी से मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि नाले में आर्सेनिक है, फ्लोराइड है ओर फ्लूएंट्स हैं तो मा0 मंत्री जी क्या खुदाई से यह चीजें हट जायेंगी ?

श्री अध्यक्ष-

इसमें जो प्रश्न किया है, उसमें जो फ्लूएंट्स है जो आपने बताये हैं। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने इसमें जो आर्सेनिक एवं पानी की उपस्थिति की बात कही है वह इसमें नहीं हैं इसमें केवल परती भूमि और नालों की खुदाई कराना प्रस्तावित है। इस प्रश्न में कहीं भी फ्लूएंट्स की बात नहीं कही गयी है। अगर फ्लूएंट्स की बात कहते तो तब इसका उत्तर देते।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न हमारा था कि क्या सरकार बताएगी, उक्त नालों का स्थान और संख्या कितनी है और कब तक उन नालों की खुदाई होगी ? उससे प्रभावित सीपेज जहां होगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मनोज जी सीपेज और फ्लूएंट्स में फर्क है। दोनों चीजें अलग-अलग हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, सीपेज अगर होगी तो जमीन ऊसर हो जाती है। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ, क्या सरकार के पास इस तरह के नाले जिनकी खुदाई होनी है, उनकी सूची है। अधिकारियों ने जवाब दिया है, प्रश्न नहीं उठता। अगर नालों की संख्या राज्य सरकार के पास नहीं है तो केवल यही बता दे कि नालों की संख्या हमारे पास नहीं है ? ऐसे नालों को हमने सूचीबद्ध नहीं किया है, जिनकी खुदाई करानी है।

श्री दिनेश कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे पास यह सूची उपलब्ध है। 2021-2022 में जो हमने नालों की सफाई और खुदाई कराई है, वह भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे और आपकी भी विधान सभा है उसमें ऊंचाहार व रायबरेली है। हरदोई से कौशाम्बी तक 27 जिले हैं। इसमें हमने खुदाई का काम कराया है और 2022-23 में 27 जिलों में नालों की सफाई व खुदाई प्रस्तावित है। हम आपको कॉपी मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से दे देंगे।

श्री अध्यक्ष--

जो मा0 सदस्य ने रायबरेली के बारे में बताया है उसको संज्ञान में लेकर उस कार्य को करा दें, और जो कुछ भी इस बारे में मंत्री जी से आपको पूछना हो मैं मा0 मंत्री जी से कहूंगा कि आपको सूचना उपलब्ध करा दें।

बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्राइवेट विद्यालयों में उक्त अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने विषयक

*** 2-श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइवेट विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु पारदर्शी व्यवस्था बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनपद प्रयागराज के महर्षि पतंजली, मेरील्यूकस, बिशप जानसन, सेंट जोसेफ ब्वायज हाई स्कूल, बी0एच0एस0 गुरुकुल मान्टेसरी एवं प्रतापगढ़ के ग्लोबल पब्लिक स्कूल स्वामी विवेकानन्द सेंट जेवियर्स विद्यालयों में उक्त अधिनियम के अनुपालन का परीक्षण कराकर विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सन्दीप कुमार सिंह)-

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज की आख्या दिनांक 19-05-2022 के अनुसार आर0टी0ई0 के अन्तर्गत महर्षि पतंजली में 12 एवं गुरुकुल मान्टेसरी विद्यालय में 12 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत् हैं। मेरील्यूकस, बिशप जानसन, सेंट जोसेफ ब्वायज हाई स्कूल, बी0एच0एस0 विद्यालय अल्पसंख्यक संस्थाएं होने के कारण आर0टी0ई0-12(1)(ग) के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज की आख्या दिनांक 19-05-2022 के अनुसार सेन्ट जेवियर्स विद्यालय, पट्टी में 02 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत् हैं। ग्लोबल पब्लिक स्कूल स्वामी विवेकानन्द में योजनान्तर्गत अद्यतन प्रवेश नहीं हुए हैं। शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

यह प्रश्न उन असहाय गरीबों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है जिनके बच्चे गुणवत्तापरक् शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मान्यवर, मा0 मंत्री जी का इसमें जो जवाब आया है, जिस भावना के साथ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की रचना की गयी थी, उसकी मूल भावना की संवेदना मा0 मंत्री जी के जवाब में स्पष्ट नहीं हो रही है और जो जवाब आया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि कुछ विद्यालय के नाम ऐसे हैं जहां पर एक भी छात्र का एडमिशन ऐसे प्राइवेट स्कूलों में नहीं हो पाया है। मान्यवर, यह अधिनियम ऐसे लोगों को यह अधिकार देता है जो गुणवत्तापरक् शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन पर आश्रित हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे वर्ग के बच्चों के गुणवत्तापरक् शिक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, आप प्रश्न करिये।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, प्रश्न पर ही आ रहा हूँ। जो जवाब आया है उसमें एक विद्यालय में दाखिला करने का केवल 12 छात्र-छात्राओं का उल्लेख किया गया है। मान्यवर, इससे लगता है कि सरकार इस अधिनियम को ले करके संवेदनशील नहीं है। इस अधिनियम की धारा-12 की

उपधारा-1 खण्ड (ग) में यह व्यवस्था की गयी है कि सरकार और विभाग शैक्षिक सत्र से दो महीने पूर्व उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आपका प्रश्न क्या है ?

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में अमीरों के विद्यालय चल रहे हैं, वहां के आस-पास जो गरीब बस्तियां हैं, अब यहां पर ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है, जो व्यक्ति समाचार-पत्र नहीं पढ़ता, वह ऑनलाइन आवेदन कैसे करेगा ?

श्री अध्यक्ष-

आज कल तो गांवों में रहने वाले लोग राशन कार्ड के लिए, पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लायी करते हैं तो पढ़ाई के लिए नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए भी वह ऑनलाइन अप्लायी कर सकते हैं।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

यहां पर हर सदस्य जब अपने क्षेत्र में जाता है तो विधवा, वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन के लिए लोगों की लाइन लगती है, लेकिन उनके बच्चों का जिस पर भविष्य टिका है, जिन विद्यालयों में 5 हजार रुपये महीने शुल्क ली जाती है, ऐसे विद्यालयों में दाखिला कराने के लिए कौन नहीं उत्सुक होगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, कृपया आप भाषण नहीं, प्रश्न करिये।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

यह गरीबों के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज और प्रतापगढ़ में इस अधिनियम/योजना के अन्तर्गत कितने छात्रों का दाखिला हुआ है, उनके शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में जनपद प्रयागराज और प्रतापगढ़ में वर्ष 2019-20 और 2020-21 में कितनी धनराशि शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी गयी। दूसरा प्रश्न है कि इसके प्रचार-प्रसार के मद में क्या वॉल-राइटिंग करायी गयी और समाचार-पत्रों के व अन्य माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया ? प्रचार-प्रसार के मदों में कितने धन का व्यय हुआ ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है और जो उन्होंने नाम दिये कि इन विद्यालयों में एडमिशन नहीं हुए सिर्फ दो ही विद्यालयों में एडमिशन हुए हैं, तो इसके लिए अवगत कराना है कि अल्पसंख्यक संस्थायें हैं जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है वहां

जो आर0टी0ई0 का एक्ट लागू नहीं होता है, इसीलिए उन स्कूलों में आर0टी0ई0 के तहत कोई भी एडमिशन नहीं होता है। यहां पर केवल दो ही स्कूल थे, जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं था। इसीलिए स्कूलों की संख्या दे दी कि यहां पर एडमिशन किये गये हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि बच्चे आर0टी0ई0 के लिए आनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं तो मैं वर्ष 2022 की संख्या दूं तो इस वर्ष 1.3 लाख बच्चों ने आर0टी0ई0 में एडमिशन के लिए अप्लायी किया है जोकि प्रक्रियाधीन है। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) जहां तक माननीय सदस्य ने बच्चों की फीस की बात कही तो सरकार के द्वारा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा रही है और पिछले वर्षों में कोविड के चलते शुल्क प्रतिपूर्ति का कुछ बैकलॉग क्रियेट हुआ है, लेकिन जो आने वाला हमारा बजट है इसमें उसका प्राविधान किया गया है और जो भी शुल्क पिछले वर्षों का है, उसको इस वर्ष के बजट में हमारी सरकार के द्वारा पूरा कर दिया जायेगा।

जल मिशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017 से वर्ष 2022 के बीच आवंटित धनराशि और ब्लैक लिस्टेड कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

***3-श्री रविदास मेहरोत्रा-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से वर्ष 2022 में दिनांक 30-03-2022 तक जल मिशन योजना के अन्तर्गत कार्यों के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कार्य में कतिपय कम्पनी ब्लैक लिस्टेड हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से दिनांक 31-03-2022 तक जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कार्यों के लिये रुपये 17411.90 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, जल जीवन मिशन योजना जनहित और लोक महत्व का अत्यन्त गम्भीर मुद्दा है। इसमें 17411.90 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है। मेरी जानकारी में है कि जिस कम्पनी को यह ठेका दिया गया, उस कम्पनी को कई प्रान्तों उड़ीसा,

मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर के साथ ही सेना ने भी घटिया पाइप सप्लाई करने की वजह से ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसे यू0पी0 में करोड़ों रुपये की पाइप सप्लाई का काम क्यों दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न करिये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इतना गम्भीर विषय है, जो हम लोगों को आज की कार्य-सूची मिली है, इसमें लिखा हुआ है कि इस विभाग का मंत्री नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति है और जो उत्तर दिया गया है, उसमें जल शक्ति मंत्री लिखा हुआ है। यही तय नहीं है कि जल जीवन मिशन योजना का मंत्री कौन है और कौन उत्तर देगा ? दूसरी बात यह है कि इसमें कितना रुपया खर्च किया गया है ? और यह किस विभाग में आता है ? ब्लैक लिस्ट कम्पनी को क्यों सप्लाई दी गयी ? कई प्रान्तों ने और सेना ने भी इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उस कम्पनी को सप्लाई का आर्डर क्यों दिया गया ? इसमें अब तक कितना काम हुआ है ? जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, यह उत्तर तथ्यों को छिपाने वाला है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। पूरा प्रदेश जल समस्या से जूझ रहा है और जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत बहुत बड़ी धनराशि का घपला करने का काम किया गया है। मेरा स्पष्ट कहना है कि इसमें पहुंच वाले बड़े लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने ब्लैक लिस्ट कम्पनी को ठेका देने का काम किया है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मंत्रि-मण्डल की सामूहिक जिम्मेवारी है और माननीय स्वतंत्र देव जी जल शक्ति मंत्री हैं। नमामि गंगे उसी में आता है।

श्री अध्यक्ष-

जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह सामूहिक जिम्मेवारी है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, कार्य-सूची में लिखा है कि नमामि गंगे एवं ग्रामीण विकास और जो उत्तर दे रहे हैं, वह जल शक्ति मंत्री दे रहे हैं। हमारा प्रश्न यह है कि जिस कम्पनी को 9 प्रान्तों ने और सेना ने भी ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उस कम्पनी को ठेका क्यों दिया गया ? 17411.90 करोड़ रुपये का मामला है और इसमें बहुत बड़े स्तर का घपला-घोटाला हुआ है। हमारा आपसे कहना है कि आप इसकी जांच कराइये और जांच में आप देखेंगे कि बहुत बड़े-बड़े मगरमच्छ इसमें फंस जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह यह है कि कितनी धनराशि आवंटित की गयी, उसमें क्या हुआ, आपने यह नहीं पूछा कि कितना काम हुआ ? अच्छा होता कि आप यह भी पूछ लेते कि कितना काम हुआ तो काम के प्रति भी इन्ट्रेस्ट दिखता ?

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, 17411.90 करोड़ रुपये में से कितना रुपया खर्च हुआ है और उस रुपये में कौन-कौन सा काम हुआ है ?

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी है। आप उत्तर आने दीजिये। आप बार-बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं।

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री रामकेश निषाद)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। जी हां, वित्तीय वर्ष 2016-17 से दिनांक 31-03-2022 तक जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कार्यों के लिए रुपये 17411.90 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जो अनुपूरक प्रश्न किया गया है उस प्रश्न का उत्तर दीजिये।

श्री रामकेश निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, इनका जो प्रश्न है प्रदेश में वर्ष 2017 से वर्ष 2022 में दिनांक 30-03-2022 तक जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कार्यों के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

वह प्रश्न हो चुका है, उसको पढ़ा हुआ मान लिया है। आप जो भी अनुपूरक प्रश्न है उसका उत्तर दीजिये।

श्री रामकेश निषाद-

जिन कम्पनियों व संस्थाओं को ठेका दिया गया है, ऐसी कोई संस्था हमारी नहीं है जिसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। कोई कम्पनी हमारी ब्लैक लिस्टेड नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह आपका उत्तर आ गया है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस कम्पनी को आर्डर दिया गया है। वह कम्पनी फर्जी इन्वेस्टमेन्ट करती है, फर्जी कम्पनी है और इस कम्पनी को ठेका कैसे दिया गया। मेरा सवाल यह है कि किस मानक के आधार पर इस कम्पनी को ठेका दिया गया है जो 9 प्रान्तों एवं सेना में ब्लैक लिस्टेड है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, पहले मैं अपनी बात कह दूं फिर आप जो भी प्रश्न कहेंगे पूछ लीजिएगा। जिस कम्पनी का नाम माननीय सदस्य बता रहे हैं उस कम्पनी की जानकारी कर लीजिए कि वह कम्पनी ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं। अगर ब्लैक लिस्टेड है तो उसको किस प्रकार से ठेका दिया गया है आप इसकी जानकारी कर लीजिए।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि माननीय मंत्री जी नये हैं तो हो सकता है कि यह बात नहीं जानते हों। अगर माननीय मंत्री जी की पुराने मंत्री कोई मदद करना चाहें तो मदद कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है वह अपना उत्तर देने में सक्षम हैं।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर कम्पनी ब्लैक लिस्टेड है तो आप बता दें कि कम्पनी ब्लैक लिस्टेड है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आपके पास कोई भी सूचना है किसी कम्पनी की तो आप मुझे सूचना दीजिए मैं वहां पर भेज दूंगा। पहले माननीय अवधेश जी अपनी बात रखें उसके बाद कोई और प्रश्न सुनते हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और यह प्रदेश के जनजीवन से एवं खास तौर से प्रदेश के सभी जनपदों से सन्दर्भित है। यह माननीय मंत्री जी लीपा-पोती कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको गम्भीरतापूर्वक देख करके आपसे निवेदन है कि इस विषय पर चर्चा किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप कम्पनी का नाम देंगे तो माननीय मंत्री जी उसको देखेंगे कि कम्पनी ब्लैक लिस्टेड है या नहीं। अगर कोई भी ब्लैक लिस्टेड कम्पनी हो आपको कोई जानकारी है तो आप जानकारी दीजिए तब मंत्री जी सॉल्व कर देंगे।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष-

अगर यह गम्भीर विषय है, मैंने आपसे बोला कि आप उस कम्पनी का नाम दीजिए, उसकी जानकारी मंत्री जी दे देंगे।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

उस कम्पनी का नाम रश्मि मैटेलिक कम्पनी है, जो 9 प्रान्तों एवं सेना में ब्लैक लिस्ट है, उसे काम दिया गया।

स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में अध्यापकों के चयन हेतु शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 के पालन के सम्बन्ध में

*** 4-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में अध्यापकों के चयन हेतु शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 को जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या विषयवार विषय विशेषज्ञों का पैनल बनाकर उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 के अनुसार पालन विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

जी हां। समस्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था को अधिक सुचारु एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उक्त शासनादेश दिनांक 09 मई, 2000 को अवक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या-226/सत्तर-2-2000-18(31)/2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 द्वारा नयी व्यवस्थायें लागू की गयी हैं।

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 09-05-2000 अवक्रमित किया जा चुका है। शासनादेश दिनांक 13 मार्च, 2020 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया था जिस शासनादेश का जिक्र किया था उसको अवक्रमित कर दिया गया और यह कहा गया कि और अधिक सुधार के लिये और सुन्दर बनाने के लिए शिक्षकों का चयन पारदर्शी ढंग से हो, इसलिए इसको अवक्रमित करते हुए नया शासनादेश जारी किया गया। उस नये शासनादेश में विश्वविद्यालय को पूरा अधिकार दिया गया कि वह अपने नियमावली से चयन करायें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूँ कि असेवित विद्यालयों में शिक्षकों का चयन पारदर्शी और अच्छे ढंग से हो सके तथा पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को उनकी आवश्यकतानुसार चयन करके शिक्षक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में क्या कोई शासनादेश जारी करने की कृपा करेंगे ? मान्यवर, दूसरा इसमें विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय दोनों बातें शामिल हैं तो उसमें बड़ी देरी होती है। इसलिये नियमों में अगर महाविद्यालय को अधिकार है और क्वालिफिकेशन तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय तथा यू0जी0सी0 तय करता है तो उस यू0जी0सी0 की क्वालिफिकेशन के अनुसार या तो महाविद्यालय चयन करे अथवा पूरा अधिकार विश्वविद्यालय को हो कि वह चयनित करके महाविद्यालय को दे दे। इसलिये क्या सरकार इस तरह का कोई नियम बनाने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, अभी जो प्रश्न मा0 सदस्य वर्मा जी ने किया है उसमें पारदर्शिता बनाने के लिए दोनों एजेंसियां महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय दोनों ही मिलकर चयन प्रक्रिया पूरी करेंगी, लेकिन यदि आपके कुछ ऐसे अच्छे सुझाव हों तो आप मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से भेजिये। पारदर्शी हो, ईमानदारी से चयन हो, इस प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है।

***5-श्री उमाशंकर सिंह व श्री मनोज कुमार पारस-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

ग्राम पंचायत के मार्गों को ग्राम पंचायत के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग से आर0सी0सी0 कराने के सम्बन्ध में

***6-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों के अन्दर के मार्गों को सी0सी0 कराने हेतु ग्राम पंचायत के अतिरिक्त किसी और योजना के तहत सी0सी0

कराने की सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मनोज कुमार पारस जी, इस पर मा0 मंत्री जी का उत्तर आ गया है, इसलिये आप अनुपूरक पूछ लें।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, अपने मूल विषय पर आने से पहले एक व्यवस्था का प्रश्न मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था का प्रश्न प्रश्नकाल में नहीं होता।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, यह इसी से सम्बन्धित है। एजेण्डा 10 बजे तक हम लोगों के पास नहीं पहुंचा तथा सिस्टम पर अपलोड भी नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप देखिये, डाउनलोड है। मेरे पास है, इसका मतलब सभी के पास है।

(विपक्ष के कतिपय सदस्यों के द्वारा एक साथ कुछ बोलने का प्रयास करने पर सदन में शोर)

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, एजेण्डा 11 बजे के बाद सिस्टम पर अपलोड हुआ है। अब अगर इस पर अपलोड नहीं हो पाया तो हम लोग कैसे अनुपूरक अथवा पूरक प्रश्न पूछ पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 विधायक जी की जो डिवाइस है वह जरूर चेक करा ली जाये और अगर उसमें कोई खराबी हो तो उसे ठीक करा दिया जायेगा।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, अपने मूल विषय पर आते हुए मैंने एक बहुत छोटा-सा प्रश्न आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछा था कि क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों के अन्दर के मार्गों को सी0सी0 कराने हेतु ग्राम पंचायत के अतिरिक्त किसी और योजना के तहत सी0सी0 कराने की क्या सरकार की कोई योजना है ? इसका सीधा-सीधा उत्तर आया है जी नहीं। जी नहीं। मान्यवर, यहां पर जितने भी मा0 सदस्यगण हैं उसमें से 70 प्रतिशत मा0 सदस्य ग्रामीण परिक्षेत्र से आते हैं और आज गांवों में सड़कों की स्थिति यह है कि बजट का पैसा जो ग्राम पंचायत को दिया जाता है उसमें 30 प्रतिशत पैसा काट कर क्षेत्र पंचायतों को दे दिया। क्षेत्र पंचायत गांव के बाहर कार्य कराती है वह गांव के अन्दर कार्य नहीं कराती है। उस ग्राम पंचायत के पैसे से ही पंचायत घर बनना है, स्कूल बनना है, नल रि-बोर होने हैं तो उसके लिए पैसा ही नहीं है। हमारी सरकार में पूर्व मुख्य मंत्री व हमारे नेता मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां पर बैठे हैं, उन्होंने ग्रामों के विकास के लिये लोहिया ग्राम योजना तथा मा0 जनेश्वर मिश्र समग्र ग्राम योजना यह दो योजनाएं चलाईं जिससे सम्पूर्ण गांव संतृप्त हो जाता था, लेकिन आज कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे गांव के अन्दर सी0सी0 बन सके, अच्छे रास्ते बन सकें। इसलिये मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ यह सीधा-सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था बनायेगी जिससे गांव के अन्दर सी0सी0 बन सके, अच्छे रास्ते बन सकें तथा जो नयी बसावटें बन रही हैं उनमें भी सी0सी0 वगैरह की सुविधा हो सके ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के अन्दर जो सी0सी0 मार्ग कराने हेतु अलग से कोई योजना नहीं है, लेकिन राज्य वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग से जो धनराशि जा रही है उसकी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग सी0सी0 रोड, नाली, खड़न्जा तथा पुलिया का निर्माण कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग से जो धनराशि जा रही है उसमें अनटाईड फण्ड से सी0सी0 रोड, नाली, खड़न्जों का कार्य ग्राम सभाएं कर रही हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 24-08-2021 के अनुसार क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत बैठक करके अपने बोर्ड की कार्य योजना में स्वीकृत करा करके ग्राम पंचायत में सी0सी0 रोड का निर्माण करा सकती हैं, इसमें शर्त यह है कि इन कार्यों की जियो टैगिंग उन्हीं के द्वारा की जायेगी जिससे इन कार्यों की डुप्लीकेसी न हो।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप कुछ पूछना चाहते हैं।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि मा0 मंत्री जी ने कहा कि जिला योजना, क्षेत्र पंचायत योजना उसको लाते हुए और उसका प्रस्ताव करते हुए करा सकती है, लेकिन वर्तमान में जिला पंचायत में ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे गांव के अन्दर के सी0सी0 का निर्माण हो सके। उनको सीधा-सीधा निर्देश है कि आप जो बनायेंगे वह गांव से नेक्स्ट गांव को कनेक्ट करने के लिए बाहर के रास्ते बनायेंगे। क्षेत्र पंचायत भी ऐसा करती है इसका या तो प्रस्ताव ऐसा किया जाय जिससे कि वह अपने प्रस्ताव में योजना को शामिल करके विकास कराया जा सके। हमारा कहना सिर्फ यह है कि क्या सरकार गांव के विकास के बारे में गम्भीर है ? या गांव के लोगों का जीवन-स्तर ऊपर नहीं उठाना चाहती है, उनको अच्छा रास्ता नहीं देना चाहती है ? अगर सरकार गांव के लोगों को अच्छे रास्ते देना चाहती है तो कोई ऐसी योजना लाई जाय जिससे गांव का विकास हो सके। मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार में जो सड़कें लोहिया ग्राम योजना के तहत बनी थीं, जनेश्वर मिश्र योजना के तहत बनी थीं, वह सब रिपेयरिंग की स्थिति में आ गयी हैं, सब टूट गयी हैं। हम लोगों की निधि भी इतनी नहीं है कि उन सड़कों को रिपेयर कराया जा सके। जनता का दबाव हम पर है, इसलिए सरकार कोई न कोई ऐसी योजना लाने का कष्ट करे जिससे गांवों की सड़कों का निर्माण कराया जा सके।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

मान्यवर, मैंने 24-08-2021 के शासनादेश का उल्लेख किया है। इस शासनादेश के तहत जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत गांव में कार्य करा सकती है। लेकिन इसमें डुप्लीकेसी न हो, इसके लिए जियो टैगिंग करना आवश्यक है ऐसा शासनादेश है। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत आवश्यकतानुसार कार्य कर सकती है वह ऑटोनामस बॉडी है। उसे योजना पास कराकर काम कराने का अधिकार है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कृतसंकल्पित है। हमने गांवों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर काम किया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो कहा है कि जनेश्वर मिश्र योजना के अन्तर्गत सड़कें बनायी गयी थीं और हर साल हर विधान सभा में 6 से 7 ग्राम पंचायतें चिन्हित होती हैं, हमारी सरकार में मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वह सड़कें बनी थीं जो टूट रही हैं, ग्राम पंचायतों के पास जो राज्य वित्त आयोग और चौदहवें वित्त से पैसा जाता है, सच्चाई तो यह है कि वह नाली और खड़न्जे के अलावा और किसी चीज की उस पैसे से रिपेयरिंग नहीं करायी

जा सकती है। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछा कि जो बनी हुई सड़कें हैं आज रिपेयरिंग मांग रही हैं। उसके लिए क्या विभागीय मा0 मंत्री जी कोई व्यवस्था करेंगे ?

मा0 अध्यक्ष जी, साथ में यह भी है कि क्या जिला पंचायत ऐसी कोई योजना का प्रस्ताव बनाकर देगी, क्योंकि अभी जिला पंचायत पर रोक लगी है कि कोई ऐसा काम नहीं कराया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के अन्दर पुरानी जिला पंचायतों के द्वारा काम किये गये हैं, उन सड़कों के पुनरीक्षण के लिए सर्वे कराने का आदेश दिया गया है, सर्वे कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत की सड़कों का भी और ग्राम सभा की जो सड़के हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करके कार्य कराया जायेगा।

प्रदेश में डी0बी0टी0 के माध्यम से स्वेटर, जूता, मोजा, ड्रेस और बैग खरीदने के लिए धनराशि देने की जगह प्रबन्ध समितियों के माध्यम से वितरित करने के सम्बन्ध में

***7-डॉ0 वीरेन्द्र यादव-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को ड्रेस, बैग, जूता, मोजा तथा स्वेटर क्रय करने हेतु उनके अभिभावकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रेषित धनराशि का लाभ छात्र प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व की भांति विद्यालयों में प्रबन्ध समितियों के माध्यम से ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर इत्यादि वितरित कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वीरेन्द्र यादव जी।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने अपना प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आया है जी नहीं, मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था उसका भी उत्तर आया है जी नहीं। मा0 श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में प्राथमिक विद्यालयों में जो पढ़ने वाले छात्र-छात्रायें थीं उनको सुन्दर ड्रेस, जूता, मोजा एवं बैग

सब दिया जाता था, लेकिन इनका जवाब आया है जी नहीं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण अंचल के गरीब बच्चों को यदि इस तरह की व्यवस्था नहीं दी जा रही है तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर जागरूक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपने प्रश्न किया कि डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रेषित धनराशि का लाभ छात्र प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं। डी0बी0टी0 का मतलब है कि लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। आपने पहले ही 'नहीं' लगा दिया, आपको प्रश्न करना चाहिए था कि उनके अभिभावक डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रेषित धनराशि का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं तो उसका उत्तर आता, लेकिन आपने कहा कि लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आपका प्रश्न ही गलत है।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें संशोधन कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, जवाब दे दीजिये।

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि बच्चों को जो ड्रेस, जूते, मोजे एवं बैग की व्यवस्था सरकार के द्वारा बनायी गयी है, उसका लाभ बच्चों तक नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मुझे जानकारी देनी है कि सरकार के द्वारा एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए बच्चों के अभिभावकों को 1100 रुपये की धनराशि जिसके अन्तर्गत दो ड्रेस, जूते, दो मोजे, बैग और एक स्वेटर की व्यवस्था बनाई गयी और 1100 रुपये की धनराशि अभिभावकों के खाते तक पहुंचाने का कार्य किया गया। [सत्र 2021-2022 के अन्तर्गत 1852.52 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी जिसके सापेक्ष 1695.05 करोड़ रुपये की धनराशि अभिभावकों के खाते तक पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार द्वारा पूर्ण किया गया।]

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1100 रुपये अभिभावक के एकाउण्ट में भेजा जा रहा है और जो उसको खरीद रहा है निश्चित रूप से वह गरीब अभिभावक है। वह 1100 रुपये में इतना सामान, जितना कहा गया है दो ड्रेस, जूते, दो मोजे, बैग और एक स्वेटर क्या यह सब खरीदा जा सकता है ? अगर नहीं खरीदा जा सकता है तो अभिभावक उन रुपयों का उपयोग दूसरी जगह कर लेता है तो क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे और कोई ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि जिससे उन बच्चों को दो ड्रेस, जूते, दो मोजे, बैग और एक स्वेटर यह

सब उपलब्ध हो सके ? इस तरह की कोई पारदर्शी व्यवस्था बनायेंगे कि बच्चों को निश्चित रूप से यह चीजें उपलब्ध हो सकें क्योंकि मात्र 1100 रुपये में यह सब खरीदा नहीं जा सकता ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, मूल प्रश्न में इस बारे में कोई जानकारी नहीं मांगी गयी है, कोई भी सवाल नहीं किया गया है। इसलिए इसकी जानकारी यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अलग से जानकारी दे दूं कि 1100 रुपये में उन्होंने जो चिन्ता जताई है आप बाहर मार्केट में जायेंगे तो इस तरह की व्यवस्था बनायी गयी है कि जो सरकार ने 1100 रुपये की धनराशि बनाई है तो एक पैकेट बनाकर उसके अन्दर दो ड्रेस, जूते, दो मोजे, बैग और एक स्वेटर यह सारी चीजें मार्केट में उपलब्ध हैं।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उसकी कोई क्वालिटी नहीं है और मात्र 1100 रुपये में अगर ड्रेस मिल जाये तो माननीय मंत्री जी हमें बता दें कि किस दुकान से ड्रेस मिलता है हम लोग वहीं से खरीद लेंगे। सदन को गुमराह न करके माननीय मंत्री जी उसका रेट बढ़ा दें, क्योंकि उससे गरीब बच्चों का भला नहीं हो पायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो सिली-सिलाई ड्रेस देने की व्यवस्था थी, उसमें बच्चों को अपनी नाप के कपड़े नहीं मिल पाते थे और यह सबसे बड़ी परेशानी थी। लोगों की यह विशेष रूप से मांग थी कि अगर वे अपने आप अपनी ड्रेस सिलवा लें तो कम से कम बच्चों को नाप की ड्रेस मिल सकती है। सवाल यह है कि यह तो सही है कि अगर आप यह चाहें कि हम 1000 रुपये मीटर का कपड़ा खरीद कर दो ड्रेस बनवा लें तो कैसे सम्भव है, लेकिन बच्चों के लिए यह ज्यादा उपयुक्त समझा गया कि अगर उनको नकद पैसा दे दिया जाये तो अपनी मन पसन्द का कपड़ा वह ले सकते हैं और सीधे-सीधे उनके खाते में पैसा भेजने की व्यवस्था की गयी, इसके पहले बहुत से सवाल उठते थे। जब जूते-मोजे की बात आयी तो उसमें भी छोटे-बड़े की बात आ गयी इसलिए हमारे पास जो व्यवस्था थी, उसी में से रास्ता निकाला गया और यही उपयुक्त समझा गया। यही उपयुक्त समझा गया कि हम उस पैसे को नगद दे दें। जितने रुपये इसमें दिये गये हैं उतनी मात्रा में यह खरीदा जा सकता है यह हम निश्चित रूप से सदन के सामने जानकारी दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि यह वह जगह बता दें जहां 1100 रुपये में यह पूरी कपड़ों की किट मिल सकती है। मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि कम से कम वह जगह बता दें जहां 1100 रुपये में बच्चों की दो ड्रेसेज आ सकें और इसमें मेरा छोटा सा सवाल है कि इसमें मंत्री जी डी0बी0टी0 बच्चों की बन्द तो नहीं कर देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

न बन्द करेंगे और न ही बन्द करने का कोई इरादा है। साथ ही साथ हर जिले में ऐसी स्थिति और मार्केट है जहां इस धनराशि से किट मिल जायेगी।

श्री अखिलेश यादव-

इसमें स्थिति का सवाल नहीं है बस ये जगह बतायें। यह जब कह रहे हैं कि 1100 रुपये में पूरी किट दे रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह कह रहा हूँ कि आपकी तो डबल इंजन की सरकार है तो आपको तो 1000 रुपये वाला कपड़ा बच्चों को खरीदवाना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह विषय अपने आप में बहुत बड़ा डिबेटिबल है। हमने पूरी तरीके से सोच-समझ कर निर्णय लिया है कि बच्चों की पोशाक उनकी नाप के हिसाब से ही सिली जाये।

श्री अखिलेश यादव-

महोदय, नाप अलग होती है क्वालिटी अलग होती है इसमें नाप अलग विषय है और क्वालिटी अलग विषय है। क्वालिटी से कीमत आती है। नाप से कीमत का पता नहीं चलता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नाप पहले जरूरी है। बाद में क्वालिटी है, क्योंकि बच्चों को उनकी नाप की पोशाक मिलना जरूरी है।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, सिलाई तो ऊपर-नीचे हो सकती है, लेकिन सवाल क्वालिटी का है।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 तक स्वेटर, जूते, ड्रेस और बैग समय पर उपलब्ध कराने विषयक

***8-श्रीमती पिंकी सिंह-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में बालक-बालिकाओं को स्वेटर, जूता, मोजा एवं पुस्तकें समय से नहीं वितरित किये जाने के कारण अध्ययनरत् विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़

रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान शैक्षिक सत्र में विद्यार्थियों के हित में उक्त सामग्री ससमय उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

जी हां।

जूता-मोजा, स्वेटर, यूनीफार्म तथा स्कूल बैग ससमय उपलब्ध कराने के लिए छात्रों के अभिभावकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि प्रेषित की जाती है। पाठ्य-पुस्तकें ससमय उपलब्ध कराने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

श्रीमती पिंकी सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहती हूँ और मेरा प्रश्न है परिषदीय विद्यालयों में बालक-बालिकाओं की जो ड्रेस की बात हो जिस पर अभी काफी दोनों पक्षों के बीच में बात चल रही थी और मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जवाब चाहा क्वालिटी को लेकर तो वहां कहीं-न-कहीं सरकार का समझौता सा दिखाई देता है कि क्वालिटी की बात से ज्यादा उसकी नाप पर सरकार ने ध्यान दिया है। मैं इसमें यह पूछना चाहती हूँ मान्यवर जो ड्रेस और पुस्तकों का वितरण समय से नहीं हो पाता है और यह सर्वाधिक समस्या स्कूलों में आती है और विशेष तौर पर मैं बात करूंगी मेरे जनपद सम्भल में अभी तक भी ड्रेस व पुस्तकों का वितरण समय पर नहीं कराया गया है और यहां पर मंत्री जी की तरफ से जवाब आता है कि नहीं मतलब कि समस्या से ही इन्कार कर दिया गया, मैं इसमें मा0 मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जो डी0बी0टी0 के माध्यम से अभिभावकों के खाते में धनराशि देकर जो वितरण की बात है उसकी अनिवार्यता और उसका दुरुपयोग जो हो रहा है कि 1100 रुपये में दो ड्रेस, जूते, मोजे, किताबें मिल पाना असम्भव है। इसमें मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमारे द्वारा एक पैकेट बनाया गया है तो यह पैकेट कहां बनता है और कहां वितरित हो रहा है और उसके बाद दूसरा मैं चाहती हूँ कि क्या सरकार प्रबन्धन करेगी कि जो धनराशि दी जाती है डी0बी0टी0 के माध्यम से उसका दुरुपयोग रोका जा सके। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आगामी वर्ष 2022-2023 में जो धनराशि में ड्रेस और पुस्तकों का वितरण किया जायेगा तो क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि ड्रेस व पुस्तकों के वितरण की क्या निर्धारित समय-सीमा है।

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो पहला अनुपूरक प्रश्न किया है, उस सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार द्वारा 1100 रुपये में बच्चों को जो चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं उसमें दो जोड़ी ड्रेस, दो जोड़ी जूते, दो जोड़ी मोजे और बैग शामिल

है। इस 1100 रुपये की धनराशि में किताबों की व्यवस्था सम्मिलित नहीं है। बच्चों को किताबें अलग से मुहैया करायी जाती हैं। माननीय सदस्य ने जो दूसरा अनुपूरक प्रश्न पैकेट के सम्बन्ध में पूछा है, तो इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सरकार पैकेट बनाकर दुकानों पर भेजती हो। सरकार द्वारा 1100 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है, उसी के अनुसार लोग बाहर मार्केट में जाकर ड्रेस, जूते, मोजे और बैग खरीदते हैं।

श्रीमती पिंकी सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से बच्चों को पुस्तकें और यूनीफार्म वितरित करने की समय-सीमा के सम्बन्ध में जानकारी चाही थी, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने पहले ही बता दिया है कि इस सम्बन्ध में 1695.05 करोड़ रुपये भेज दिये गये हैं। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ।

प्रदेश में ग्रामों की आबादी का नक्शा बनाने विषयक

***9-श्री जगदीश नारायण-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामों की आबादी का नक्शा बनाने का कार्य वर्तमान में संचालित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य की वर्तमान प्रगति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हां।

स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 82,913 ग्रामों को अधिसूचित किया गया है तथा द्वितीय चरण में 27,400 ग्रामों, इस प्रकार कुल 1,10,313 ग्रामों (खतौनियों की संख्या के आधार पर) को अधिसूचित किया गया है।

स्वामित्व योजना के अन्तर्गत दिनांक 19-05-2022 तक कार्य प्रगति निम्नानुसार है :-

ड्रोन सर्वे पूर्ण हुए ग्रामों की संख्या	64,313 ग्राम
प्रारम्भिक मानचित्र (मानचित्र-1) तैयार हुए ग्रामों की संख्या	42,376 ग्राम
स्थलीय पड़ताल के उपरान्त संशोधित मानचित्र (मानचित्र-2) तैयार हुए ग्रामों की संख्या	23,550 ग्राम
अन्तिम रूप से घरौनी तैयार हुए ग्रामों की संख्या	21,671 ग्राम
प्रदेश में कुल तैयार घरौनियों की संख्या	32,53,862

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न का उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाये। माननीय सदस्य, अब आप अपना अनुपूरक प्रश्न करिए।

श्री जगदीश नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि अभी तक कुल 1,10,313 ग्रामों को अधिसूचित किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है कि इसको पूरा करने की समय-सीमा कब तक की निर्धारित की गयी है। सरकार द्वारा आगे यह बताया गया है कि ड्रोन सर्वे के उपरान्त स्थलीय पड़ताल के उपरान्त संशोधित मानचित्र तैयार किये जाते हैं, तो मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है कि स्थलीय सत्यापन के कार्य के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2020 में स्वामित्व योजना तैयार की गयी थी जिसमें आबादी के अन्दर घरौनियां बननी थीं। ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराकर घरौनियों को बनाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश भर में सभी 75 जिलों के राजस्व ग्राम इसमें सम्मिलित किये गये हैं। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आपकी अपेक्षा है निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के अनुसार हम लोग चिन्हीकरण और उसकी मैपिंग कराकर घरौनियां बनाने का काम कर रहे हैं। इसमें दो फेज होते हैं, पहले फेज में मानचित्र तैयार कराते हैं और उस पर आपत्तियां लेते हैं। दूसरे फेज में संशोधित मानचित्र प्रकाशित कराने का काम करते हैं। सभी जिलों में यह काम बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने अन्तिम रूप से 21,671 घरौनियां तैयार कराकर वितरित कर दी हैं और 32,53,862 घरौनियां पूरी होने की स्थिति में आ गई हैं। यह क्रम लगातार जारी है और मैं समझता हूँ कि हम लोग शीघ्र ही इसको पूर्ण करा देंगे।

श्री जगदीश नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि स्थलीय पड़ताल के उपरान्त जो संशोधित मानचित्र तैयार कराये जाते हैं वह कार्य किन कार्मिकों द्वारा किया जाता है। माननीय मंत्री जी बस इतना बता दें कि ड्रोन सर्वे के बाद स्थलीय सत्यापन का कार्य किन लोगों द्वारा किया जाता है।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, इसमें राजस्व विभाग के कानूनगो और लेखपाल इत्यादि रहते हैं। पहले जब ड्रोन से चित्र लेते हैं तो कहीं-कहीं पर भौतिक स्थिति सही से नहीं आ पाती है जिसके कारण सही से विभाजन नहीं हो पाता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है। लेखपाल और कानून-गो सत्यापन का कार्य करते हैं। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ।

प्रदेश में आगजनी की घटनाओं में फसल, पशु व जनहानि होने पर मुआवजा देने विषयक

***10-श्री मौहम्मद फईम इरफान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आगजनी की घटनाओं में फसल, पशु व जनहानि होने पर पीड़ितों को कितनी-कितनी मुआवजा धनराशि दिये जाने का प्राविधान है ? क्या सरकार बतायेगी कि 01-04-2017 से 31-03-2022 के मध्य उक्त घटनाओं के पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किसान बीमा योजना में आगजनी या दूसरे किसी कारण से नष्ट फसल का मुआवजा फसल की वास्तविक कीमत के बराबर दिलाया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में आगजनी की घटनाओं में फसल, पशु व जनहानि होने पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08-04-2015 द्वारा निर्धारित मानकों/दरों के क्रम में पीड़ितों को निम्नानुसार सहायता राशि दी जाती है :-

क्रम	मद	देय सहायता धनराशि
1	2	3
1	फसल क्षति	कृषि फसल का 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान होने पर 02 हे0 की सीमा तक असिंचित क्षेत्र में और बोये गये क्षेत्रफल हेतु रु0 6800/- प्रति हे0 एवं सिंचित क्षेत्र हेतु बोये गये क्षेत्रफल हेतु रु0 13,500/- प्रति हे0 तथा रु0 18,000/- बहुवर्षीय फसलों हेतु, परन्तु न्यूनतम सहायता राशि कम से कम रु0 1000/- होगी।
2	पशु हानि	रु0 30,000/- दुधारू पशु भैंस, गाय, ऊंट, याक आदि। रु0 3,000/- भेड़, बकरी, सुअर। रु0 25,000/- गैर दुधारू पशु-ऊंट, घोड़ा, बैल आदि। रु0 16,000/- गाय एवं भैंस का बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर।
3	जनहानि	रु0 4,00,000/- प्रति मृतक के परिवार को।

उक्त के अतिरिक्त निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के पत्र संख्या-विप-3/2743/2018-538, दिनांक 26-09-2018 में 'मुख्य मंत्री खेत-खलिहान

अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना' के अन्तर्गत अग्निकाण्ड से फसल क्षति होने पर प्रभावित कृषकों को निम्नानुसार सहायता धनराशि दिये जाने का प्राविधान है :-

क्रम	मद	देय सहायता धनराशि
1	2	3
1	एक हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम रु0 30,000/ अथवा वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो।
2	एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम रु0 40,000/- अथवा वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो।
3	02 हेक्टेयर या 05 एकड़ से अधिक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम रु0 50,000/- अथवा वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो।

प्रदेश में दिनांक 01-04-2017 से 31-03-2022 के मध्य आगजनी की घटनाओं से फसल क्षति हेतु कुल 104.54 करोड़, पशुहानि हेतु कुल 14.10 करोड़ तथा जनहानि हेतु 17.75 करोड़ की धनराशि प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को प्रदान की गयी है।

कृषि विभाग द्वारा किसान बीमा योजना का संचालन नहीं कराया जाता है, अपितु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर खरीफ व रबी की मुख्य फसलों को अधिसूचित करते हुए बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से होने वाली क्षति को कवर किया गया है। यदि अधिसूचित फसल में 100 प्रतिशत का नुकसान होता है तो बीमित राशि के बराबर नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न का उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाये। माननीय सदस्य अब आप अपना अनुपूरक प्रश्न करिए।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर विषय है, क्योंकि आग लगने से किसान बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। नीचे स्तर पर जो व्यवस्थाये हैं उन व्यवस्थाओं में किसान बार-बार परेशान होता है, लेकिन आसानी से उसकी बात को सुना नहीं जाता है। मा0 मुख्य मंत्री जी की तरफ से प्रश्न का जो उत्तर आया है उसमें दिया गया है कि कृषि फसल क्षति की स्थिति में असिंचित क्षेत्र में 6,800/- रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र में 13,500/- रुपये प्रति

हेक्टेयर का प्राविधान है। इसी में दूसरी योजना में एक हेक्टेयर में 30,000 रुपये का प्राविधान है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या मा0 मंत्री जी और उनकी सरकार आगजनी में फसल, पशु व जनहानि होने पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वर्ष 2014 में जारी निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में तय किये गये मानकों और दरों से आप सात साल बाद भी सहमत हैं। यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी सहमत होने के मुख्य कारण बतायेंगे और यदि सहमत नहीं हैं तो मैं क्या मंत्री जी सात वर्ष पुराने इन मानकों एवं दरों को संशोधित कराने का आश्वासन सदन में प्रस्तुत करेंगे ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, आग लगने से फसल बर्बाद होने की स्थिति में हम लोग तीन तरह से सहायता प्रदान करते हैं। राज्य आपदा मोचक निधि से निर्धारित धनराशि उपलब्ध कराते हैं उसका विवरण मैंने जवाब में लिख दिया है। उसके अलावा मुख्य मंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना में मण्डी समिति के माध्यम से भी हम लोग सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग द्वारा किसान बीमा योजना का संचालन नहीं होता है, अपितु भारत सरकार के दिशा-निर्देश पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। इसमें जिस किसान की बीमित धनराशि होती है उसमें जो प्रीमियम आता है उसको भारत सरकार और राज्य सरकार बराबर कन्ट्रीब्यूट करके देती हैं। फसल जलने की स्थिति में हम लोग उससे भी भुगतान कराते हैं। इस प्रकार तीन प्रकार की सहायता हम लोग किसान को फसल नष्ट होने, फसल को आग लगने की स्थिति में उपलब्ध कराते हैं।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार द्वारा 2015 में तय किये गये मानकों और दरों से आप सात साल बाद भी सहमत हैं और अगर सहमत नहीं हैं तो क्या इन सात साल पुराने मानकों और दरों को संशोधित करने का आश्वासन देंगे ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, यह जो 2014 का शासनादेश लागू है उसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने मण्डी के द्वारा, बीमा के द्वारा भी अतिरिक्त रूप से व्यवस्था की है।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या आप इन दरों को संशोधित करने का आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपका उत्तर आ गया। यह कह रहे हैं कि इसके अलावा दो जगहों से और दे रहे हैं। आप तो एक मांग रहे हैं वह तो तीन गुना दे रहे हैं।

***11-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

[03-बुद्धवार के तारांकित प्र0सं0-13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में खंजूर गांव ब्लाक को तहसील लालगंज में अधिष्ठापित कराने विषयक

***12-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में खंजूर गांव ब्लाक को तहसील लालगंज में अधिष्ठापित करने हेतु सरकारी गजट किया गया है ? यदि हां, तो उक्त ब्लाक निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण हो चुका है ? यदि हां, तो सरकार उक्त ब्लाक का निर्माण समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

शासन की अधिसूचना संख्या-37/2016/सा0-767/38-2-2016-32बी-2013, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के द्वारा जनपद रायबरेली में विकास खण्ड खजूरगांव का सृजन किया गया है।

जी हां।

मानव संसाधन, वित्तीय संसाधनों एवं अवस्थापना सुविधाओं की कमी के दृष्टिगत उक्त विकास खण्ड की क्रियाशीलता के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर पढ़ा हुआ माना जाता है क्योंकि उत्तर सबके डिवाइस पर उपलब्ध है।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा जनपद रायबरेली में विकास खण्ड खजूरगांव का सृजन किया गया। आपने जवाब में लिखा है कि मानव संसाधन, वित्तीय संसाधनों एवं अवस्थापना सुविधाओं की कमी के दृष्टिगत उक्त विकास खण्ड की क्रियाशीलता के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने गौर किया हो तो जो खण्ड विकास सरेनी है वह सबसे बड़ा ब्लाक है। उसके बाद सरेनी विधान सभा का दूसरा ब्लाक डलमऊ उससे छोटा है और सबसे छोटा लालगंज ब्लाक है। आप केवल उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसमें केवल भवन निर्माण की कमी है। अगर भवन निर्माण की कमी है तो मेरे पास समीप में 4-5 बड़े कमरे हैं जो मैं बगैर

किसी शुल्क, बिना किसी किराये के दे सकता हूँ। परन्तु जब आप मानव संसाधन की बात करते हैं तो मंत्री जी आप तो केवल उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका जितना स्टाफ है उसको आप बराबर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि आपके जो 6-7 न्याय पंचायत हैं उनको बराबर कर दिया गया। उनको जनसंख्या के हिसाब से बराबर कर दिया गया। यह बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर आप यह ब्लाक बना देंगे तो निःसन्देह जो विकेन्द्रीकरण की बात होती है तो जो सुशासन करने की बात है। वह आपको उपलब्ध हो जायेगी। मा0 मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं सीधा उनसे आग्रह करूंगा कि यह बहुत अति महत्वपूर्ण ब्लॉक है, यह एन0एच0-132 पर स्थित है और अगर यह बन जायेगा तो निःसन्देह बहुत ही अच्छा काम होगा। इस ब्लॉक के खुलने से किसान भाइयों, बी0डी0सी0 भाइयों एवं प्रधान भाइयों को बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी। मेरा मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप परसों साढ़े छः लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सम्भवतः पूरे प्रदेश में यह एक ऐसा ब्लॉक जो खुलने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप अवश्य अपनी ओर से संस्तुति प्रदान करें और इस ब्लॉक को खुलवायें, उसको स्थापत्य करवायें। यही मेरा आपसे आग्रह है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी बात पर गौर करके इसे आप स्वीकृत करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उप मुख्य मंत्री जी, मा0 सदस्य का जो सुझाव है उसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि मा0 सदस्य का कोई भी प्रश्न नहीं था। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में हो रहे अनावश्यक जल दोहन को रोकने के प्रयासों की जानकारी सम्बन्धी

***13-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भूजल के अनावश्यक दोहन को रोकने हेतु विगत 5 वर्षों में सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

जी हां।

भारत सरकार की भूजल आंकलन समिति-2015 की गाइडलाईन के अनुसार प्रदेश के विकास खण्डों को चार श्रेणियों यथा अति दोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एवं सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। 'उत्तर प्रदेश ग्राउण्ड वाटर (मैनेजमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट-2019' के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में, घरेलू एवं कृषि उपयोक्ताओं को छोड़कर, भूजल निष्कर्षण प्रतिबन्धित किया गया है, ताकि इन क्षेत्रों में भूजल भण्डारण को संरक्षित किया जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

हाजी इरफान सोलंकी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं तो सवाल से सन्तुष्ट नहीं हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप कैसे सन्तुष्ट होंगे, आप अनुपूरक प्रश्न कीजिए।

हाजी इरफान सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं ऐसे सन्तुष्ट हूंगा कि जहां से आप हैं, मैं भी वहीं से ही हूँ। मुझे पूछना यह है कि सरकार घरेलू जल दोहन पर कितने पैसे खर्च करने जा रही है, सरकार उसकी आपूर्ति कैसे पूरी करेगी ? अगर उसको रोका जायेगा। आपने भी देखा होगा और आपके संज्ञान में भी है एवं मा0 मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं। जो तबाही अपने शहर में मची है वह तबाही पूरे प्रदेश में नहीं मची है। उसके लिए कौन-सी योजना लाये हैं और कितना पैसे खर्च करेंगे ?

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री रामकेश निषाद)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य जी का प्रश्न था। जी हां, भारत सरकार की भूजल....

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप जो उत्तर पढ़ रहे हैं, यह हो चुका है। मा0 सदस्य ने जो अनुपूरक प्रश्न किया है उसका उत्तर दीजिए। वैसे आपका प्रश्न क्या था ? आप एक बार पुनः प्रश्न पूछ लीजिए।

हाजी इरफान सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, हमें यह पूछना है कि जो घरेलू जल दोहन है, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कोई योजना आई है ?

श्री अध्यक्ष-

घरेलू जल दोहन क्या होता है ? उसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं।

***14-डॉ0 संग्राम यादव-**

[मा0 आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नहरों के किनारों पर कच्ची सड़कों का डामरीकरण कराने के सन्दर्भ में

***15-श्रीमती सरोज सोनकर (अनुपस्थित)-**

क्या जल शक्ति बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नहरों के किनारों पर कच्ची सड़कों का डामरीकरण किये जाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत सभी नहरों के किनारे का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग की नहरों की पटरियों का पक्कीकरण/खड़न्जा मार्ग नहरों के सुव्यवस्थित संचालन एवं नहरों की संरचनाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार किया जाता है।

प्रदेश में नहरों के किनारों पर कच्ची सड़कों का डामरीकरण किये जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

(सदस्य के सदन में अनुपस्थित होने पर अगला प्रश्न लिया गया।)

प्रदेश में स्वीकृत पुलिस थानों को स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

***16-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने स्वीकृत पुलिस थानों के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है ? क्या सरकार उक्त थानों को स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विभिन्न जनपदों हेतु स्वीकृत 82 थानों में से 76 थानों के लिए भूमि चिन्हित हो गयी है, जिनमें से 04 निर्माण कार्य पूर्ण, 37 निर्माण कार्य प्रचलित, 08 स्वीकृति हेतु परीक्षणाधीन हैं। शेष 27 में से 23 निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था नामित हो चुकी है, निर्माण हेतु कार्यवाही प्रचलित है। 04 थानों हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

06 थानों हेतु भूमि चिन्हीकरण की कार्यवाही की जा रही है, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

1-जनपद बलरामपुर के थाना उतरौला (श्रीदत्तगंज पुलिस चौकी) को नया माडर्न थाना के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु पुलिस मुख्यालय के पत्रांक, दिनांक 03-03-2022 को जनपद बलरामपुर को भेजा गया है।

2-गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 3000 वर्ग मीटर भूमि चिन्हीकरण हेतु पत्र दिनांक 28-01-2022 द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद से अनुरोध किया गया है।

पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर में शासनादेश दिनांक 17-05-2022 द्वारा स्वीकृत नवीन 04 पुलिस थानों हेतु भूमि चिन्हीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर तो पढ़ा हुआ मान लिया जाता है, अगर मा0 सदस्य कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री हर्षवर्धन बाजपेई-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मैंने जवाब में देखा कि नये प्रस्तावित थानों का नाम लिखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रयागराज में एक थाना है, मैं श्योर नहीं हूँ, जिसकी मैंने पूरी प्रोसीडिंग करवाई है उसमें लिस्टेड नहीं है। फाफामऊ क्षेत्र है जहां पर चौकी थी और नये थाने को बनाने के लिए 17वीं विधान सभा के कार्यकाल में उस समय के डी0एम0 श्री भानू गोस्वामी द्वारा जगह चिन्हित कराई जा चुकी है क्योंकि उस चौकी का थाना बहुत दूर है और लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। उस समय के डी0एम0 श्री भानू गोस्वामी जी ने फाफामऊ थाने के लिए जगह दी, जिसमें बहुत लम्बा प्रोजेक्ट बना कि थाना भी बनेगा, पुलिसकर्मियों के रहने के लिए बैरक भी बनेगा। उसका टेण्डर भी हुआ और उसके बाद मेरी परियोजना अधिकारी से बात भी हुई है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, ये किसी पर्टिकुलर थाने को बनाने की बात कर रहे हैं। माननीय सदस्य आप इसे लिखकर दे देंगे, तो माननीय मंत्री जी उसका उत्तर आपको दे देंगे।

श्री हर्षवर्धन बाजपेई-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यह जनता के हित की चीज है, अगर तथ्य सही है तो इसका आश्वासन आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

आपने एक पर्टिकुलर थाने की बात कही है, आप इसको लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दीजिये।

श्री हर्षवर्धन बाजपेई-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इसका आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप इसको लिखकर दीजिए, माननीय मंत्री जी आपको उत्तर दे देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है उसे दिखा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या-17

प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के कोर्स की किताबों की कीमत निर्धारित किये जाने विषयक

***17-श्री महबूब अली-**

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों द्वारा कोर्स की किताबें तयशुदा बुक स्टोर से खरीदे जाने हेतु छात्रों को बाध्य करने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राइवेट स्कूल के कोर्स की किताबों की कीमत निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती गुलाब देवी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री महबूब अली-

मेरा सीधा-सा एक प्रश्न था जिस तरह के शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का स्तर गिर रहा है कि क्या प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चों को किताबें मिलती हैं, उनके रेट फिक्स किये जायेंगे ? क्या सरकार बच्चों, अभिभावकों के प्रति और प्रदेश की अवाम के प्रति गम्भीर है ? शायद जितने एम0एल0ए0 यहां पर बैठे हैं उनके भी बच्चे ज्यादातर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। आज आप स्कूल के अन्दर एडमिशन कराने के लिए जाइए तो स्कूल में एडमिशन के साथ दो पर्ची मिलेंगी कि यहां से ड्रेस परचेज करनी है और यहां से किताबें परचेज करनी हैं, अगर इस बात की स्पष्ट जानकारी मा0 मंत्री जी के पास नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा। ये बिल्कुल सही है कि अगर पहली क्लास से दूसरी क्लास तक के बच्चों को ले लिया जाये तो करीब दो हजार पन्नों की किताब है और पहली क्लास से पांचवी क्लास के बच्चों की किताब पांच हजार रुपये में, पांचवी से सातवीं क्लास तक की किताब सात हजार रुपये में, आठवीं क्लास तक की साढ़े सात हजार रुपये में और बारहवीं कक्षा तक की किताबें दस हजार रुपये में परचेज हो रही हैं। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे, आपने सुना भी होगा कि 1100 रुपये में ड्रेस मिल रही है, अगर उन कान्वेन्ट स्कूल के बच्चों के लिए आप एक स्वेटर खरीदकर देंगे तो मुझे लगा लगेगा, वे दो ड्रेस की बात कर रहे थे। मेरा सीधा प्रश्न है कि किसी भी तरह से यह व्यवस्था व्यवस्थित की जाये कि जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिर रहा है, एक समय माध्यमिक विद्यालयों में 68 से 70 लाख बच्चे हुआ करते थे, आज 50 लाख की संख्या में पहुंच गये हैं,

अब तो प्राइवेटाईजेशन की ओर जा रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, हमें हर हाल में उस पर अंकुश लगाने की बात करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सीधा-सा प्रश्न है कि अगर सी0बी0एस0ई0-आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के निजी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाले किताबों के रेट के विषय में, कक्षावार एक से बारह तक, एक जांच कमेटी बना लें और जांच कमेटी बनाने के बाद जो रिपोर्ट संज्ञान में आए, उसकी रिपोर्ट आधार पर उन पर अंकुश लगाने का काम करें, जिस तरह से किताबें महंगी खरीदी जा रही हैं, वह एक बोझ बन रहा है। मेरा अनुरोध है कि इसे कर लें।

श्री अध्यक्ष-

अगला प्रश्न लेते हैं, माननीय विधायक जी ने जो सुझाव दिया है उसे माननीय मंत्री जी दिखवा लेंगे।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, आश्वासन आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

आपने प्रश्न किया ही नहीं तो आश्वासन कहां से आयेगा। आपने तो कहा है कि ऐसा अनुरोध है कि ऐसा कर लें। आपका कोई प्रश्न नहीं था।

श्री महबूब अली-

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश के सभी आई0सी0एस0ई0-सी0बी0एस0ई0 के निजी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों की कीमत निर्धारित करेंगे ? अगर नहीं है तो क्या उसकी जांच कमेटी बनवाकर उन पर कार्रवाई करेंगे ?

श्रीमती गुलाब देवी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी सरकार में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी भी छात्र के लिए मजबूर किया जाये कि वह उक्त दुकान से बुक खरीदे। इसके अन्तर्गत मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहती हूँ कि स्ववित्तपोषित विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम, 2018 की धारा-3(10) में यह व्यवस्था की गयी है कि किसी भी छात्र एवं अभिभावक को किताबें लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। वह स्वतंत्र है। मा0 अध्यक्ष जी, अगली चीज माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, इसके अतिरिक्त भी यह व्यवस्था है, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी है। अगर कोई शिकायत है तो वह जिलाधिकारी से कह सकता है और वह उस समस्या का समाधान करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। जैसा माननीय विधायक जी ने कहा है, अगर इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है, यदि कोई बाध्य कर रहा है तो आप उसको संज्ञान में लेकर उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री महबूब अली-

अध्यक्ष जी, 12 सितम्बर, 2018 को गजट हुआ था, जिसका माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है कि एक जिला शुल्क नियामक समिति बनायी गयी है, वह रेट तय करेगी। अगर राजधानी की बात कर लें तो राजधानी के अन्दर भी सी0एम0एस0 है, जयपुरिया है, लामाटीनियर है, लखनऊ पब्लिक स्कूल है, किसी भी कीमत पर यूनिवर्सल बुक डिपो के अलावा किसी भी दूसरी बुक डिपो से बुक्स नहीं खरीदी जाती हैं। मान्यवर, मैं मुरादाबाद की भी बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद में भी जो डी0पी0एस0 है और सी0एल0 गुप्ता सेण्ट मैरी आदि जो स्कूल हैं, इन स्कूलों में भी किसी भी कीमत पर यूनिवर्सल बुक डिपो के अलावा किसी अन्य दुकान से किताबें नहीं खरीदी जा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष-

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है, कोई इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता है। जो आपने जानकारी दी है, उसका माननीय मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है।

उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग (भूलेख अधिष्ठान) में पदोन्नति के सम्बन्ध में

***18-श्री हाकिम लाल बिन्द-**

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राजस्व विभाग (भूलेख अधिष्ठान) समूह 'घ' में मौलिक रूप से नियुक्त चैनमैनों की उनके सेवा काल में एक बार समूह 'ग' के लेखपाल के 02 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1196 एक-9-2016-28 (एलसी)/2005 टी0सी0 दिनांक 22 जून, 2016 निर्गत करके पदोन्नतियां की गयी हैं ? यदि हां, तो वर्तमान तक कुल कितने चैनमैनों की पदोन्नतियां लेखपाल के रिक्त पदों पर की गयी हैं तथा उक्त के अन्तर्गत लेखपाल के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार लेखपाल नियमावली-2006 में संशोधन हेतु क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रदेश में 43 चैनमैनों को लेखपाल पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। सम्प्रति नियमावली में चैनमैन से लेखपाल के पद पर पदोन्नति की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः चैनमैन से पदोन्नति हेतु लेखपाल का कोई पद रिक्त नहीं है।

वर्तमान में लेखपाल सेवा नियमावली-2006 में लेखपाल के पद पर शत-प्रतिशत सीधी भर्ती किये जाने की व्यवस्था है एवं चैनमैन से लेखपाल के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था नहीं है। उक्त व्यवस्था में कोई संशोधन नहीं किया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाये। हाकिम लाल बिन्द जी आप प्रश्न करें।

श्री हाकिम लाल बिन्द-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की लगभग सभी तहसीलों में 10-10 वर्षों, 12-12 वर्षों से जो लेखपाल कार्यरत हैं, क्या उनको हटाने की सरकार की कोई व्यवस्था है या उनकी कोई समय-सीमा सरकार तय करेगी ? मान्यवर, बड़े पैमाने पर जब लेखपाल 10-10 वर्षों, 12-12 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं तो वह क्षेत्र में भ्रष्टाचार करते हैं। हम लोगों के पास शिकायतें आती हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, कब तक ऐसे लेखपालों को हटाने का काम करेंगे ?

श्री जयवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो बात माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रश्न से उसका कोई सरोकार ही नहीं है। आपने चैनमैनों की पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रश्न किया था।

श्री हाकिम लाल बिन्द-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने उसका जो उत्तर दिया है, मैं उससे सन्तुष्ट हूँ लेकिन जो प्रश्न यहां पर मैंने किया है, मैं उसका उत्तर चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य का प्रश्न है कि जो लेखपाल हैं, उसकी आप कोई समय-सीमा तय कर दें।

श्री जयवीर सिंह-

अध्यक्ष जी, इसमें यह विषय ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मा0 सदस्य, आप उसके लिए अलग से प्रश्न लगा लीजिएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग-91 के अन्तर्गत कानपुर-कन्नौज सेक्शन 4/6 लेन चौड़ीकरण की प्रक्रिया में अधिग्रहीत भूमि के किसानों को मुआवजे देने के सम्बन्ध में

***19-श्री अमिताभ बाजपेई-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-91 के अन्तर्गत कानपुर-कन्नौज सेक्शन में 4/6 लेन चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में कुल कितने

किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजे की कितनी धनराशि का अभिनिर्णय पूर्ण कर भुगतान किया गया है तथा कितनों का शेष है ? क्या सरकार किसानों के मुआवजा का भुगतान शत-प्रतिशत सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 कानपुर-कन्नौज सेक्शन में 4/6 लेन चौड़ीकरण में कुल 18816 कृषकों की भूमि अर्जित कर प्रतिकर की कुल मु0 1824.95 करोड़ धनराशि अभिनिर्णीत की गयी है। अर्जित की गयी भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर की कुल मु0 1499.54 करोड़ धनराशि उपलब्ध कराई गई है जिसमें से 10499 भू-स्वामियों को मु0 1191.75 करोड़ धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष 8317 भू-स्वामियों को प्रतिकर धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

किसानों के मध्य विभिन्न न्यायालयों में स्वत्व सम्बन्धी वादों/आर्बीट्रेशन से आच्छादित मुआवजे को छोड़कर शेष किसानों द्वारा भुगतान से सम्बन्धित प्रपत्र उपलब्ध कराने पर मुआवजे का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया जायेगा।

मुआवजा का भुगतान दिनांक 31-07-2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर पढ़ा हुआ मान लेते हैं, बाजपेयी जी, आप प्रश्न करें।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न हाई-वे के लिए अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध है। जैसा कि उत्तर में लिखा है, सरकार ने स्वयं माना है कि अभी इनको केवल 80 परसेण्ट भुगतान एन0एच0ए0आई0 के माध्यम से हुआ है, 20 परसेण्ट भुगतान अभी एन0एच0ए0आई0 ने सरकार को नहीं किया है और सरकार यह कहती है, जो उत्तर में लिखा है कि केवल हमने 65 परसेण्ट भुगतान किया है, शेष 35 परसेण्ट भुगतान हमने नहीं किया है। इसमें लिखा है कि चूंकि स्वत्व सम्बन्धी वादों/आर्बीट्रेशन से आच्छादित मुआवजे को छोड़कर शेष का हो गया है। इसमें हमारी आपत्ति है और इसमें हमारा यह सवाल है कि जब 65 परसेण्ट ही भुगतान किया है तो जमीन पर कब्जा कितने परसेण्ट लिया है। अगर जमीन का कब्जा 65 परसेण्ट से ज्यादा लिया है तो कुछ ऐसे किसान होंगे, जिनको मुआवजा दिये बगैर कब्जा लिया गया है ? मुआवजा दिये बगैर कब्जा लिया गया है ? कितने किसानों का स्वत्व सम्बन्धी वाद पेडिंग है और ऐसे कितने किसान हैं, जिनका वाद पेंडिंग नहीं है, फिर भी भुगतान रुका हुआ है ? जो आर्बीट्रेशन

से आच्छादित मुआवजे को नहीं किया गया है तो क्या एक्ट में कोई ऐसा प्राविधान है जो आर्बीट्रेशन से आच्छादित और अभिनिर्णित मुआवजे को देने से रोकता हो ? मान्यवर, मेरे स्पष्ट सवाल हैं कि स्वत्व सम्बन्धी कितने विवाद हैं, कितने लोगों को बगैर भुगतान के कब्जा लिया गया है और क्या आर्बीट्रेशन में होने से अभिनिर्णीत धनराशि देने से रोकने का कोई प्राविधान है और ऐसे कितने किसान हैं, जिनका बगैर भुगतान के कब्जा ले लिया गया है ?

श्री जयवीर सिंह-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कुल धनराशि 1499.54 करोड़ की वितरण कराई गई। किसानों के मध्य जो विवादों की स्थिति आपने चाही है तो कुल आर्बीट्रेशन और वादों की आच्छादित धनराशि का जो मूल्य है जिसके कारण भुगतान नहीं हुआ है वह धनराशि 247.87 लाख है और अभी तक गैर विवादित मामलों पर 1251.67 लाख का प्रतिकर उपलब्ध कराया गया है। भूमि से प्रभावित जो भू-स्वामी हैं, जिनको प्रतिकर की धनराशि का कुल भुगतान कर दिया गया है वह 1191.75 लाख रुपये है और जो विभिन्न कारणों से जो अवशेष राशि है वह 59.92 लाख रुपये है और जितनी भी धनराशि लोगों की अवशेष है उसको भी जिन लोगों के आर्बीट्रेशन या विभिन्न न्यायालयों में वाद लम्बित नहीं हैं उनका भुगतान भी 31 जुलाई तक हर हालत में कर देंगे।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मैं यह पूछ रहा हूँ कि यदि आर्बीट्रेशन में वाद पेण्डिंग है तो क्या अभिनिर्णित धनराशि रोके जाने से सम्बन्धी कोई प्रावधान भी है ? क्या एक्ट में यदि आर्बीट्रेशन में वाद है भी जो एवार्ड आपने किया है, उसको आप कैसे रोकेंगे, इसका कोई प्रावधान एक्ट में है क्या ? मैं जानता हूँ कि इसका उत्तर अभी नहीं होगा, आप मंत्री जी जल्दबाजी न करिये, मुझे जल्दी भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप उत्तर देने दीजिए।

श्री अमिताभ बाजपेई-

उत्तर इनके पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप कैसे कह सकते हैं कि इनके पास उत्तर नहीं है।

श्री अमिताभ बाजपेई-

आपने जो लिखा था, वह मैंने पढ़ा। मैंने स्पष्ट पूछा जो कि आपने लिखा हुआ है कि 65 प्रतिशत भुगतान किया, जमीन कितने प्रतिशत कब्जा लिया, अगर जमीन का कब्जा

65 प्रतिशत से ज्यादा लिया है तो माने कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनका भुगतान दिये बगैर कब्जा ले लिया है तो ऐसे किसान कितने हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी इसके बारे में यदि कोई जानकारी है तो आप बताईये।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, एन0एच0ए0आई0 का यह प्राविधान है, उनकी गाइडलाईन है कि उसमें जब तक वाद किसी न्यायालय में लम्बित होता है तब तक वह धनराशि का भुगतान नहीं हो सकता।

श्री अमिताभ बाजपेई-

आज ही के अतारांकित प्रश्न संख्या-88 के उत्तर में आपने लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय के उपरान्त अभिनिर्णित धनराशि कटौती करने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अगर कोर्ट में लम्बित होगा तो भुगतान नहीं होगा। अगर कोई आर्बीट्रेशन में होगा तो भुगतान होगा।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, मैं इस पर डिबेट कर सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप डिबेट नहीं, आप इस पर प्रश्न कर सकते हैं।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, यह उत्तर गलत है। मैं पूछ रहा हूँ कि अभिनिर्णित धनराशि को रोकने का कौन-सा ऐक्ट प्रावधान है, मुझे धारा बताईये ?

श्री अध्यक्ष-

अगर आर्बीट्रेशन में है और कोर्ट में कोई मामला लम्बित है तो कोर्ट के आर्डर के बाद ही उसका आर्बीट्रेशन भुगतान किया जायेगा।

श्री अमिताभ बाजपेई-

एवाइडेड धनराशि रोकने का प्रावधान किस जगह पर है आप हमें यह बताईये ?

श्री जयवीर सिंह-

एन0एच0ए0आई0 की जो गाइडलाईन है उसके प्रावधान गाइडलाइन्स भारत सरकार की हैं। एन0एच0ए0आई0 उसकी गाइडलाईन में जब तक मामला किसी न्यायालय में लम्बित है, तब तक उसका भुगतान नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मुझे उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दी जाये।

मध्यान्ह भोजन योजना के लागत मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में

***20-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के लागत मूल्य में विगत 02 वर्षों से वृद्धि नहीं किये जाने से वर्तमान में बढ़ती महंगाई के कारण छात्र-छात्राओं को गुणवत्ता पूर्ण भोजन उपलब्ध कराये जाने में प्रधान अध्यापकों को परेशानी हो रही है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद शामली में 1071 प्राथमिक विद्यालय और 425 उच्च प्राथमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बच्चों को पुरानी लागत मूल्य पर भोजन परोसा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मध्यान्ह भोजन के लागत मूल्य में वृद्धि करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

मध्यान्ह भोजन (पी0एम0 पोषण योजना) का संचालन भारत सरकार के दिशा-निर्देश एवं स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। मध्यान्ह भोजन (पी0एम0 पोषण योजना) केन्द्र पोषित योजना है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसके अनुसार योजना का संचालन प्रदेश सरकार करती है।

जी हां।

जनपद शामली में 382 प्राथमिक, 144 उच्च प्राथमिक एवं 127 कम्पोजिट विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना संचालित हैं।

भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार ही अनुमोदित दरों पर मध्यान्ह भोजन (पी0एम0 पोषण योजना) का संचालन किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रसन्न कुमार-

मान्यवर, मेरा जो प्रश्न है वह प्राथमिक विद्यालय और उप प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र पढ़ते हैं, उनके स्वास्थ्य से सम्बन्धित है। मिड-डे मील में जो उन्हें भोजन दिया जाता है दो साल से उस भोजन की क्वालिटी और भोजन के रेट निर्धारित किये गये हैं, उसके दाम सरकार ने नहीं बढ़ाये हैं, जबकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है जो दाल उस टाईम पर 100 रुपए में थी वह आज 140 और 150 में आ रही है। जो नमक, दाल और दूध का रेट बढ़ा है और हमारे विद्यार्थियों को जो भोजन मिल रहा है उसकी कीमत सरकार ने नहीं बढ़ाई है। मा0 मंत्री जी ने मुझे उसका जवाब दिया है वह गोल-मोल सा जवाब है उसमें लिखा है कि वह भारत सरकार का विषय है। मैं सदन से यह पूछना चाहता हूँ कि जब यह भारत सरकार का विषय है तो क्या प्रदेश सरकार भारत सरकार के विषय को ठेके पर ले रही है ? इससे हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, यह विषय बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इस पर दो साल से रेट नहीं बढ़े हैं, आज जो भोजन की क्वालिटी है, आप उसको देखो कि बच्चों को क्या क्वालिटी दी जा रही है, इसका जवाब मा0 मंत्री जी दे दें।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें मेरा भी प्रश्न ले लें।

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने प्रश्न उठाया कि बच्चों के लिए मिड-डे-मील के माध्यम से खाने की व्यवस्था की गई है तो इस व्यवस्था को केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत लागू किया जाता है और इसका एक फिक्स्ड मेन्यू है, इस में बच्चों के लिए पोषण की मात्रा तय है। इसमें 450 कैलोरीज ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन प्राथमिक स्तर के लिए और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 700 कैलोरीज ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन का फिक्स्ड मेन्यू तैयार किया गया है। इसें खाद्यान्न केन्द्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ-साथ इसमें कन्वर्जन कॉस्ट भी केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है जो कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए रुपये 4.97 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए रुपये 7.45 है। इसके अन्तर्गत बच्चों के लिए एक डाइट फिक्स की गयी है कि उनको कितनी क्वॉंटिटी में क्या-क्या चीज दी जानी चाहिए ? वे सारी चीजें पूरे मानक के अनुसार पूरे प्रदेश में हर जगह सारे विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह गरीब परिवार के बच्चों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मा0 मंत्री जी का जवाब आया है कि इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई और भारत सरकार यह योजना संचालित करती है। यह मध्यान्ह भोजन (पी0एम0 पोषण योजना) के माध्यम से संचालित की जाती है। मा0 सदस्य का कहना यह है कि पिछले दो सालों से इसके अनुदान में कोई वृद्धि नहीं की गई

है, जो इसमें बच्चों को कन्वर्जन कॉस्ट दी जा रही है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज का एक मार्केट सर्वे करा करके कि उत्तर प्रदेश में पिछले दो सालों में जो महंगाई बढ़ी है, उसके हिसाब से एक प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजकर कन्वर्जन कॉस्ट को बढ़ाने का काम करेगी और इसमें मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इसमें कुछ पैसा राज्यांश का भी है या नहीं है ? अगर नहीं है तो राज्य सरकार इसके लिए भारत सरकार को कब तक मार्केट सर्वे कराकर, प्रस्ताव भेजकर कन्वर्जन कॉस्ट को बढ़वाने का काम करेगी ?

श्री प्रसन्न कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, प्राथमिक विद्यालयों में रुपये 4.97 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रुपये 7.45 कन्वर्जन कॉस्ट है, जिसमें दो सालों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मेरा कहना है कि जब हमारे खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ सकते हैं तो क्या हमारे बच्चों के भोजन का रेट नहीं बढ़ाया जा सकता ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने प्रश्न उठाया कि इसें कन्वर्जन कॉस्ट में कोई बढ़ोत्तरी हुई या नहीं हुई है। अगर मैं वर्ष 2012 से लेकर 2020 तक की बात बताऊं तो वर्ष 2012 में यह रुपये 3.11 थी और वर्ष 2020 में इसको 4.97 पैसे कर दिया गया है। समय-समय पर जब यह देखा जाता है कि वृद्धि की आवश्यकता है तो फिर सरकार के द्वारा इसको बढ़ाया भी जाता है ताकि बच्चों को आवश्यक पोषण मिल सके। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2012 से 2020 तक कन्वर्जन कॉस्ट में कुल वृद्धि 10.99 प्रतिशत की गयी है।

श्री प्रसन्न कुमार-

पिछले दो सालों में खाद्य पदार्थों के रेट बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं ? मैं बस इस चीज का जवाब मा0 मंत्री जी से चाहता हूँ। अब आप इस भोजन को किसी बच्चे को खिलाकर यह देख लें कि क्या इसको खाने से बच्चे में कोई गुणवत्ता आई ? मा0 मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं और आप बताइये कि दो सालों में खाद्य पदार्थों के रेट कितने बढ़े हैं ? दाल के रेट बढ़े हैं, दूध के रेट बढ़े हैं, नमक के रेट बढ़े हैं, ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसके रेट न बढ़े हों। अब आप मेरी बात का जवाब दें कि यदि किसी बच्चे को यह भोजन खिलाया जायेगा तो उसकी क्या गुणवत्ता रह जाएगी ? आप बच्चों को क्या जहर खिला रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया, सारे के सारे तारांकित प्रश्न ले लिये गये, मैं सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, इसमें सभी लोगों का सहयोग था। सारे प्रश्न ले लिये गये, सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, इसमें सबका सहयोग था।†

नोट :-† नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न सं0-19 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश में विगत एक वर्ष में दर्ज ऑनलाइन एफ0आई0आर0 की संख्या और उनके निस्तारण के विषयक

1-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऑनलाइन एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की व्यवस्था लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि विगत एक वर्ष में कितनी एफ0आई0आर0 ऑनलाइन दर्ज हुई हैं तथा उक्त में से कितने मामलों का निस्तारण किया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

दिनांक 20-05-2021 से 19-05-2022 तक कुल 5032 एफ0आई0आर0 ऑनलाइन पंजीकृत हुई हैं। उक्त पंजीकृत एफ0आई0आर0 में से 3160 एफ0आई0आर0 का निस्तारण किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्र पंचायतों को मनरेगा के तहत आवंटित धनराशि को व्यय करने के मानक की जानकारी विषयक

2-श्री जगदीश नारायण-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों को मनरेगा के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि को व्यय करने के वर्तमान में क्या मानक हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत क्षेत्र पंचायतों द्वारा इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी के रूप में कार्य करने के सम्बन्ध में शासन स्तर से शासनादेश संख्या-1783/अड़तीस-7-2021-63 नरेगा/2009, दिनांक 24-12-2021 एवं शासनादेश संख्या-173/अड़तीस-7-2022-63 नरेगा/2009, दिनांक 07-04-2022 निर्गत किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-150, दिनांक 09-01-2022 के द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत क्षेत्र पंचायतों द्वारा इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी के रूप में कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये हैं :-

क-कार्यों को श्रम-बजट में सम्मिलित किये जाने की प्रक्रिया-

1-क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों का चिन्हांकन करते हुए, कार्य की अनुमानित लागत सहित वरीयता सूची बनायी जाएगी, जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कार्य योजना में सम्मिलित किया जायेगा। प्रस्तावित कार्यों में क्षेत्र पंचायत निधि से यथावश्यक कन्वर्जेन्स किया जायेगा।

2-कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं अन्य लाइन विभागों की कार्य योजनाओं को संकलित कर क्षेत्र पंचायत की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3-क्षेत्र पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये श्रम-बजट को संज्ञान लेते हुए, श्रम-बजट को अनुमोदन प्रदान कर, अनुमोदित श्रम-बजट को सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

4-जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ब्लॉक प्लॉन एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं की परियोजनाओं को समेकित करते हुए जिला पंचायत के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त स्वहस्ताक्षर से जनपद का समेकित श्रम-बजट, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

5-चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्ययोजना जिला पंचायत से अनुमोदित हो जाने के पश्चात् यदि क्षेत्र पंचायतों द्वारा नये कार्य कराये जाने हैं, तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार पुनः कार्यवाही करते हुए जनपद की वार्षिक कार्य योजना में ऐसे समस्त संशोधन जिला पंचायत से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। जिला पंचायत से अनुमोदन के पश्चात् संशोधित कार्ययोजना को जिला कार्यक्रम समन्वयक के हस्ताक्षर से आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतें ऐसे नये कार्यों को जिला पंचायत के अनुमोदन के उपरान्त प्रारम्भ कर सकती हैं।

ख-क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया-

1-जिला पंचायत की बैठक में वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदनोपरान्त क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुमोदित श्रम-बजट के अनुरूप कराये जाने वाले कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश संख्या-1204/38-7-07-109/एनआरआईजीए/2007, दिनांक 23-08-2007 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार क्षेत्र पंचायत की विधिवत् बैठक में प्रदान की जाएगी।

2-क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1204/38-7-07-109/एनआरआईजीए/2007, दिनांक 23-08-2007 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

3-क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों का प्राक्कलन निर्माण एवं कार्य का मापांकन सम्बन्धित विकास खण्ड के तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता, विकास खण्ड द्वारा किया जायेगा।

4-क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की तकनीकी स्वीकृति शासनादेश संख्या-1133/38-7-2018-109/एनआरआईजीए/2007, दिनांक 24-06-2008 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार निर्गत की जाएगी।

इसके साथ ही शासनादेश संख्या-173/अड़तीस-7-2022-63 नरेगा/2009, दिनांक 07-04-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार वर्तमान में मनरेगा योजनान्तर्गत क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान पूर्ववत् व्यवस्था के अनुसार लेखाकार एवं कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत देवपुर मठियां स्थित रेगुलेटर खराब होने के कारण जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

3-श्री जयप्रकाश अंचल-

क्या जल शक्तिमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के देवपुर मठियां स्थित रेगुलेटर खराब होने के कारण झरकटहा, श्रीनगर, खरिका, चौबेपुर, छपरा, छेणी, मूनछपरा, अचलगढ़, दुधैला, बेलहरी, कचनपुर, पियरौट इत्यादि गांव में जलभराव होने के कारण जनता को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेगुलेटर को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में रेगुलेटर पूरी तरह से क्रियाशील अवस्था में होने के कारण आवागमन में कोई कठिनाई नहीं हो रही है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी में बाढ़ के कारण बेघर हुए परिवारों के पुनर्वास के सम्बन्ध में

4-श्री जयप्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी की बाढ़ से बेघर हुए सैकड़ों परिवार वर्तमान में एन0एच0-31 पर शरण लेकर बसे हैं ? क्या सरकार उक्त बेघर परिवारों के पुनर्वास हेतु भूमि आवंटन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत स्थित तहसील सदर बलिया के ग्राम गंगापुर में गंगा नदी की बाढ़ से बेघर हुए परिवारों को बसाने हेतु क्रय की गयी भूमि 0.686 हे0 तथा 0.093 हे0 भूमि (नयी परती) कुल 0.779 हे0 भूमि बेघर परिवारों को पुनर्वास हेतु उपलब्ध करा दिया गया है तथा विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत स्थित तहसील बैरिया में गंगा नदी के कटान से ग्राम दूबे छपरा एवं केहर पुर कटान पीड़ित परिवारों को पहचानकर आपत्ति आमंत्रित करने हेतु उसे सार्वजनिक किया गया है, उसमें कुछ परिवार एन0एच0-31 के किनारे अस्थाई रूप से रह रहे हैं। समस्त बेघर परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु भूमि तलाश की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज ग्राम असवारा में कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में

5-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा के शारदा सहायक खण्ड नहर के पुल से पहले काली रोड से ग्राम लुरखुरी के मार्ग से रामकेश यादव तथा संजय यादव के घर से होते हुए सागर यादव के घर तक तथा ग्राम अमरा में श्री देवनाथ राय जी के घर से श्री कुवर राय के घर से होते हुए पोस्ट आफिस तक तथा श्री हृदय नारायण मिश्र के घर से श्री अच्छे लाल गुप्ता के घर तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर इण्टरलॉकिंग का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

उक्त मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव आगामी जिला पंचायत जौनपुर के सदन की बैठक में रखा जायेगा। सदन के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के ब्लॉक सिकरारा के ग्राम रामपुर में क्षतिग्रस्त नाला का पुनः निर्माण तथा इण्टरलॉकिंग कार्य से सम्बन्धित

6-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लॉक सिकरारा के ग्राम रामपुर में चक नम्बर 09 और 10 के बगल में रामपुर नाला संख्या 01 क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाला का निर्माण करायेगी ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के ग्राम पुरा बघेला में पिच रोड से डॉ0 बैजनाथ सिंह के घर से होते हुए स्व0 फौजदार सिंह के मकान तक के मार्ग पर इण्टरलॉकिंग का कार्य भी करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

प्रश्नगत कार्य को केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं मनरेगा से प्राप्त धनराशि से ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए करा दिया जायेगा।

जनपद जौनपुर के ब्लॉक सिकरारा के ग्राम रामपुर में नाले को अवैध कब्जा मुक्त कराने के सम्बन्ध में

7-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लॉक सिकरारा के ग्राम रामपुर में चक नम्बर 09 और 10 के बगल में रामपुर नाला संख्या 01 पर कतिपय दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाला को कब्जा मुक्त करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम भीटी, परगना मिझौडा, तहसील-भीटी में मिल जुमला खतौनी की भूमि को बिना बंटवारा के अकृषक भूमि किये जाने की जाँच विषयक

8-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम भीटी, परगना मिझौडा, तहसील भीटी में खाता संख्या-1122 गाटा संख्या-1077 मि0/0.101 हेक्टेयर, खाता

संख्या-1157 गाटा संख्या-1077 मि0/0.025 हेक्टेयर, खाता संख्या-1163 गाटा संख्या-1077 मि0/0.506 हेक्टेयर, खाता संख्या-1169 गाटा संख्या-1077 मि0/0.064 हेक्टेयर, खाता संख्या-1199 गाटा संख्या-1077/0.189 हेक्टेयर, खाता संख्या-1220 गाटा संख्या-1077 मि0/0.253 हेक्टेयर, खाता संख्या-1303 गाटा संख्या-1077 मि0/0.230 हेक्टेयर, खाता संख्या-1314 गाटा संख्या-1077 मि0/0.003 आदि नक्शे में मिल जुमला नम्बर हैं ? यदि हां, तो क्या मिल जुमला खतौनी की भूमि को बिना बंटवारा के अकृषक भूमि घोषित किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या उप जिलाधिकारी भीटी द्वारा उक्त भूमि के खाता संख्या-1220 गाटा संख्या-1077 मि0/0.253 भूमि को अकृषक घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रकरण में जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर की आख्या स्पष्ट न होने के कारण जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर से विस्तृत तथा बोधगम्य आख्या सुसंत अभिलेखों सहित प्राप्त की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

विगत पांच वर्षों में जनपद अयोध्या के कतिपय ब्लाक में सांडों से मरने एवं घायल होने पर आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में

9-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या में वर्ष 2017 से 2021 तक उक्त क्षेत्र के ब्लॉक अमानीगंज, मिल्कीपुर एवं हरीनटनगंज तथा तहसील मिल्कीपुर में छुट्टा सांडों से दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुए हैं ? क्या सरकार मृतकों के परिवारों को तथा घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर के विकास खण्ड अमानीगंज में 7, विकास खण्ड मिल्कीपुर में 2 लोगों की छुट्टा सांडों से दुर्घटना में मृत्यु होने की आख्या प्राप्त हुई है।

मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना/ मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 6 मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की

गयी है। 2 मृतकों के दावों को शासनादेश में दिये निर्देशों के अनुरूप न होने के कारण निरस्त किया गया है तथा 1 दावा जांच प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपदवार गोचर भूमि का विवरण जानने एवं गोचर भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में

10-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजस्व अभिलेखों में लाखों हेक्टेयर भूमि गोचर के रूप में दर्ज है ? यदि हां, तो जनपदवार गोचर भूमि का विवरण क्या है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि कतिपय गोचर भूमि पर अवैध कब्जे हैं ? यदि हां, तो उक्त गोचर भूमि खाली कराने हेतु सरकार अभियान चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

राजस्व परिषद के भू-लेख पोर्टल पर दर्ज श्रेणी-5(3) (ग)-(स्थायी पशुचर) का प्रदेश में कुल क्षेत्रफल 67996.65 हे0 है।

जनपदवार गोचर भूमि का विवरण संलग्न है।[†]

जी हां।

गोचर भूमि सहित सभी प्रकार की सार्वजनिक उपयोग की भूमियों पर हुए अवैध कब्जे से अतिक्रमण मुक्त कराये जाने हेतु वर्ष 2017 से प्रदेश स्तर पर एण्टी भू-माफिया अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुल 64690.72 हे0 क्षेत्रफल भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नवम्बर, 2020 से शुरू किसान आन्दोलन में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने विषयक

11-श्री रविदास मेहरोत्रा

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नवम्बर, 2020 से शुरू किसान आन्दोलन में कितने किसानों की मृत्यु हुई ? क्या सरकार उक्त मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में नवम्बर, 2020 से शुरू किसान आन्दोलन में किसी भी किसान की मृत्यु नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या-307-308 पर।

जनपद लखनऊ में गोमती नदी की सफाई के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी के सम्बन्ध में

12-श्री रविदास मेहरोत्रा

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में प्रवाहित गोमती नदी की सफाई के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

लखनऊ शहर में मुख्य रूप से 33 नालों 1-बैरीकलां, 2-नगरिया, 3-गऊघाट व मोहनीपुवा, 4-सरकटा, 5-पाटा, 6-एन0ई0आर0 यू/एस, 7-एन0ई0आर0 डी0/एस, 8-वजीरगंज, 9-घसियारीमण्डी, 10-चाइना बाजार, 11-लाप्लास, 12-जापलिंग रोड, 13-जी0एच0 कैनाल, 14-जियामऊ, 15-लामार्टीनियर, 16-धैला, 17-फैजुल्लागंज यू/एस 18-फैजुल्लागंज डी/एस, 19-महेशगंज, 20-रूपपुर खदरा, 21-मोहन मेकिन्स, 22-डालीगंज-1 (यू/एस), 23-डालीगंज-1(डी/एस), 24-आर्ट्स कालेज, 25-हनुमान सेतु, 26-टीजी नाला, 27-केदारनाथ, 28-निशातगंज, 29-बाबा का पुरवा, 30-कुकरैल, 31-सहारा सिटी, 32-गोमती नगर ड्रेन, 33-गोमती नगर एक्सटेंशन नाले हैं, जिनका श्राव क्रमशः 0.65, 16.18, 1.64, 28.87, 15.57, 3.76, 3.76, 41.41, 17.86, 0.32, 8.90, 0.58, 207.27, 2.05, 6.50, 0.04, 11.58, 5.50, 5.29, 1.28, 5.25, 8.57, 3.46, 2.14, 1.38, 1.05, 1.08, 3.83, 0.84, 130.00, 8.68, 29.60, 5.40 एम0एल0डी0 गोमती नदी में प्रवाहित होते हैं।

शहर के उक्त 33 नालों में से 26 नालों को गोमती एक्शन प्लान के अन्तर्गत पूर्व में टैब्ड किया गया है जिसका संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एण्ड डी) का कार्य उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा एक शहर एक ऑपरेटर के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त 07 (सात) अनटैब्ड नालों का सीवेज सीधे गोमती नदी में प्रवाहित होता था जिसके रोकथाम हेतु नमामि गंगे के अन्तर्गत लखनऊ शहर में गोमती नदी में मिलने वाले 07 (सात) अनटैब्ड नालों में से धैला नाला पर अप्रैल माह, 2022 में 07 दिनों तक किये गये फ्लो मेजरमेन्ट में मिन0 डिस्चार्ज शून्य एम0एल0डी0 एण्ड मैक्स0 डिस्चार्ज 0.07 प्राप्त हुआ है, श्राव काफी कम है। उक्त के दृष्टिगत धैला नाला पर आई एण्ड डी एसपीएस एवं एसटीपी के कार्यों का प्राविधान वर्तमान में विरचित की गयी डीपीआर (पॉलूसन अवेटमेन्ट ऑफ रिवर गोमती, लखनऊ फेज-2, पार्ट-1) में नहीं किया गया है।

धैला नाला को छोड़कर शेष 01 अनटैब्ड नाला बैरीकलां को टेप कर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु डीपीआर पर नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर की गोमती कार्ययोजना प्रथम चरण पार्ट-1 हेतु रुपये 213.91 करोड़ के प्राक्कलन की स्वीकृति

प्राप्त हो चुकी है, जिसकी निविदा की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त कार्य हेतु अनुबन्ध गठित कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त योजना पर दायर एस0एल0पी0 संख्या-013371/201 मे0 जियो मिलर एण्ड प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19-05-2022 को निरस्त कर दिया गया है जिसके उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

नमामि गंगे कार्यक्रमान्तर्गत शेष 02 अनटैब्ड नालों क्रमशः फैजुल्लागंज यू/एस एवं फैजुल्लागंज डी/एस को टेप कर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु डीपीआर विरचन कर माह मई, 2022 में एसएमसीजी को स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु प्रेषित की जा रही है। शेष 03 अनटैब्ड नालों क्रमशः सहारा सिटी, गोमती नगर ड्रेन, गोमती नगर एक्सटेन्शन को टेप कर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु डीपीआर विरचन का कार्य किया जा रहा है। उक्त डीपीआर विरचन हेतु जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जानी है।

वर्तमान में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में लखनऊ शहर में गोमती नदी में मिलने वाले 07 (सात) अनटैब्ड नालों का अन्तरित उपचार बायोरेमेडियेशन विधि से जल शोधन का कार्य नगर निगम, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है।

विवरण संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव एवं प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भूमि के पट्टे आवंटित करने विषयक

13-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप जिलाधिकारी पुरवा, उन्नाव द्वारा स्वप्रेरणा से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भूमि के पट्टे आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के समस्त लाभार्थियों को भूमि के पट्टे आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्यमान शासनादेशानुसार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

[†] देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं0-309 पर।

उप जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वप्रेरणा से आवंटित भूमि पट्टे के लाभार्थियों को पुनः भूमि के पट्टे आवंटित किये जाने विषयक

14-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप जिलाधिकारी पुरवा, उन्नाव द्वारा स्वप्रेरणा से कितने लाभार्थियों को भूमि के पट्टे आवंटित किये गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त लाभार्थियों में कतिपय लाभार्थियों को पूर्व में भी भूमि के पट्टे आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त का आधार क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप जिलाधिकारी पुरवा, उन्नाव द्वारा 02 लाभार्थियों को स्वप्रेरणा से आवासीय पट्टे आवंटित किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है-

1-श्री अशोक पुत्र श्री मंगल निवासी-ग्राम-रमना, मजरे-कांथा, परगना-असोहा, तहसील-पुरवा, जिला-उन्नाव के पक्ष में 30 वर्ग मीटर।

2-श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री सधन प्रसाद, निवासी-ग्राम-अडगांवपासाखेड़ा, परगना व तहसील-पुरवा, जिला-उन्नाव के पक्ष में 100 वर्ग मीटर।

1-श्री अशोक पुत्र श्री मंगल निवासी-ग्राम-रमना, मजरे-कांथा, परगना-असोहा, तहसील-पुरवा, जिला-उन्नाव के पक्ष में पूर्व में दिनांक 03-10-2011 को ग्राम-कांथा, परगना-असोहा, तहसील-पुरवा, जिला-उन्नाव में स्थित गाटा संख्या-654मि0/0.379 हे0 उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122बी-4 एफ0 के अन्तर्गत विनियमित किया गया था।

2-श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री सधन प्रसाद, निवासी-ग्राम-अडगांवपासाखेड़ा, परगना व तहसील-पुरवा, जिला-उन्नाव के पक्ष में पूर्व में भूमि के पट्टे आवंटित नहीं किये गये हैं।

उक्त विनियमितीकरण आदेश अनुसूचित जाति के व्यक्ति के कब्जे के आधार पर किया गया है।

उक्त आदेश दिनांक 03-10-2011 की प्रति संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सं0-310 पर।

जनपद उन्नाव के ब्लाक पुरवा के कतिपय निवासियों को निःशुल्क आवास दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-833482, दिनांक 31 मार्च, 2022 पर कृत कार्रवाई की जानकारी

15-श्री जवाहर लाल राजपूत

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक पुरवा की ग्राम सभा त्रिपुरारपुर के ग्राम रम्माखेड़ा के कतिपय निवासियों का वर्ष 2021 में बरसात में मकान गिरने के कारण उन्हें निःशुल्क आवास दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-833482, दिनांक 31 मार्च, 2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 31 मार्च, 2022 द्वारा वर्ष 2021 में लगातार बरसात के कारण मकान गिर जाने का उल्लेख करते हुए श्री बाबूलाल पुत्र श्री भागू लोधी निवासी ग्राम रम्माखेड़ा, मजरा-त्रिपुरारपुर, ब्लाक-पुरवा, जनपद-उन्नाव को एक निःशुल्क आवास आवंटित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उन्नाव के पत्र संख्या-240/मु0मं0आ0यो0-ग्रामीण/2022-23, दिनांक 13 मई, 2022 द्वारा उप जिलाधिकारी, बीघापुर से श्री बाबूलाल पुत्र श्री भागू लोधी का अतिवृष्टि के कारण आवास गिर जाने के सम्बन्ध में आख्या मांगी गयी।

उप जिलाधिकारी, बीघापुर के पत्र संख्या-1451/एसटी/2022, दिनांक 16 मई, 2022 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण की स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच तहसीलदार, बीघापुर से करायी गयी। जांच में पाया गया कि प्रार्थी श्री बाबूलाल पुत्र श्री भागू लोधी, निवासी ग्राम रम्माखेड़ा, मजरा-त्रिपुरारपुर का मकान वर्ष 2021 की बारिश में नहीं गिरा था। दैवीय आपदा के अन्तर्गत अग्निकाण्ड, बरसात व अतिवृष्टि से क्षति न होने के कारण किसी प्रकार की सहायता तहसील से प्रदान नहीं की गयी है। इनका मकान पक्का है।

पक्का मकान होने के कारण श्री बाबूलाल पुत्र श्री भागू किसी भी शासकीय आवास योजना हेतु पात्र नहीं हैं, अतएव वर्तमान नियमों के आलोक में इन्हें आवास दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं का 07 अक्टूबर, 2021 का निर्बन्धित अवकाश निरस्त कर दिये जाने विषयक

16-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शासन द्वारा जारी वर्ष 2021 की अवकाश तालिका में दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 को अंकित महाराजा अग्रसेन जयन्ती का निर्बन्धित अवकाश के आधार पर जनपद फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा दिये गये उपभोग प्रार्थना-पत्र को अवकाश घोषित न होने का कारण बताकर निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कृत्य हेतु जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2021 हेतु निर्गत अवकाश तालिका में दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 का अवकाश घोषित नहीं है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के अमौली ब्लाक में तैनात शिक्षकों के वेतन एरियर का भुगतान कराये जाने विषयक

17-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2018 में 68500 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत भर्ती समस्त शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराकर शिक्षकों के वेतन एरियर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर के अमौली ब्लाक में तैनात शिक्षकों के वेतन एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों के वेतन एरियर का भुगतान कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

सूचना संकलित की जा रही है।

जनपद फतेहपुर के अमौली ब्लाक में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के अन्तर्गत 116 अध्यापकों की नियुक्ति की गयी, जिसमें से 10 अध्यापकों को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के अन्तर्गत अन्य जनपदों हेतु स्थानान्तरित किया जा चुका है। शेष 106 अध्यापकों के सापेक्ष 55 अध्यापकों का शैक्षिक अभिलेखों के आफलाइन सत्यापन प्राप्त होने के उपरान्त अवशेष वेतन भुगतान आदेश निर्गत किया गया है। 51 अध्यापकों के शैक्षिक अभिलेखों का आफलाइन

सत्यापन सम्बन्धित संस्थाओं से प्राप्त न होने के कारण अवशेष वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 बोर्ड की परीक्षाओं के पर्चा के लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने विषयक

18-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 30 मार्च, 2022 को यू0पी0 बोर्ड के इण्टरमीडिएट परीक्षा का अंग्रेजी का पेपर लीक होने से परीक्षा स्थगित हो गई ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटनाओं को रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्ययोजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हां।

जनपद बलिया में दिनांक 30-03-2022 को इण्टरमीडिएट अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के प्रकटन का कुत्सित प्रयास किया गया, जिसको निष्फल करते हुए परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता बनाये रखने के उद्देश्य से ऐसे 24 जनपदों, जिनमें बलिया को आवंटित कोड का प्रश्न पत्र वितरित किया गया था, में इण्टरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा को स्थगित करते हुए अन्य तिथि निर्धारित की गयी तथा उक्त परीक्षा दिनांक 13-04-2022 को सफलतापूर्वक सम्पन्न करायी गयी।

शेष 51 जनपदों में दिनांक 30-03-2022 को ही इण्टरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा सकुशल सम्पन्न करायी गयी।

प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु प्रश्न पत्रों की टेम्पर एविडेंट पैकिंग, पुलिस अभिरक्षा में वायस रिकार्डर एवं वेब कास्टिंग युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में स्ट्रांग रूम तथा डबल लॉक अलमीरा में प्रश्न पत्रों को रखा जाना तथा 24 घण्टे निगरानी किया जाना, पुलिस अभिरक्षा में प्रश्न पत्रों का सुरक्षित आवागमन, डबल लॉक की एक चाभी केन्द्र व्यवस्थापक तथा दूसरी चाभी वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक के पास सुरक्षित रखना, प्रश्न पत्रों के पैकेटों को केन्द्र व्यवस्थापक, वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट तीनों की उपस्थिति में खोला जाना, स्ट्रांग रूम में प्रवेश हेतु अधिकृत अधिकारियों का विवरण लॉक-बुक में दर्ज किया जाना आदि व्यवस्थाएं पूर्व से ही विद्यमान हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

एन0टी0पी0सी0 टाण्डा, अम्बेडकरनगर के द्वारा आबादी की भूमि अधिग्रहीत किये जाने से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में

19-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0टी0पी0सी0 टाण्डा, अम्बेडकरनगर के द्वारा आबादी की भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु उक्त अधिग्रहीत भूमि को सरकार आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

एन0टी0पी0सी0 टाण्डा द्वितीय चरण विस्तारीकरण योजनान्तर्गत 03 राजस्व ग्रामों सलाहपुर रजौर, हासिमपुर व हुसेनपुर सुधाना की 10.236 हे0 श्रेणी-6(2) की आबादी भूमि का दिनांक 21-02-2013 को उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के तहत उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के तहत पुनर्ग्रहण किया गया है न कि भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया है।

जी नहीं। किन्तु श्रेणी-6(2) की आबादी की भूमि पर आवासित प्रभावित व्यक्तियों को उनके आवास की भूमि के सापेक्ष कुल धनराशि रुपये 36.85 करोड़ उन पर स्थित संरचनाओं की धनराशि रुपये 53.30 करोड़ एवं एक मुश्त समाधान के तहत धनराशि रुपये 116.95 करोड़ (कुल धनराशि रुपये 207.08 करोड़) का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में छात्राओं हेतु पंचायतों द्वारा निर्मित शौचालय को क्रियाशील कराने के सम्बन्ध में

20-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में छात्राओं हेतु पंचायतों द्वारा निर्मित शौचालय अपूर्ण अथवा क्रियाशील नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त शौचालयों को क्रियाशील करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

यू-डायस डाटा 2020-21 के अनुसार 6119 विद्यालयों में बालिका शौचालय अक्रियाशील हैं, जिसमें पंचायतों द्वारा निर्मित शौचालय भी सम्मिलित हैं।

'ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प' के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित समस्त परिषदीय विद्यालयों में बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय के निर्माण/क्रियाशीलता/उच्चीकरण/विस्तारीकरण किये जाने के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग को दिनांक 24-03-2022 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में छात्रों को प्रातः अल्पाहार का प्रावधान नई शिक्षा नीति में प्रावधानित करने के विषय में

21-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में छात्रों को मध्याह्न भोजन के साथ प्रातः नाश्ता दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

मध्यान्ह भोजन (पी0एम0 पोषण योजना) का संचालन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। मध्यान्ह भोजन योजना केन्द्र पोषित योजना है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसके अनुसार योजना का संचालन प्रदेश सरकार करती है। वर्तमान में विद्यालय दिवस में योजना से आच्छादित छात्रों को मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है, नाश्ते का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय विद्यालय हाई स्कूल ओसाह, विकास खण्ड शिवगढ़, तहसील महाराजगंज, जनपद रायबरेली को उच्चीकृत किये जाने विषयक

22-श्री श्याम सुन्दर-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में राजकीय विद्यालय हाई स्कूल ओसाह, विकास खण्ड शिवगढ़, तहसील महाराजगंज को उच्चीकृत करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

शिक्षा अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन (सम्प्रति माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1) के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-53 एम/15-10-2000-321141/2000, दिनांक 21 दिसम्बर, 2000 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार प्रस्तावित स्थल से 10 कि0मी0 की परिधि में समस्तर का

इण्टर कालेज न होने की स्थिति में ही माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण इण्टर स्तर पर किया जाता है।

प्रश्नगत स्थल राजकीय हाई स्कूल ओसाह से 05 कि0मी0 की दूरी पर पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज, पराकला, (विकास खण्ड-महाराजगंज) शैक्षिक सत्र 2018-19 से संचालित है। इसके अतिरिक्त 6.5 कि0मी0 की दूरी पर राजकीय इण्टर कालेज, हलोर, (विकास खण्ड-महाराजगंज) एवं 09 कि0मी0 की दूरी पर जनता विद्यालय इण्टर कालेज, गुढ़ा, (विकास खण्ड-शिवगढ़) भी स्थापित है।

अतएव, मानकानुसार राजकीय हाई स्कूल, ओसाह क्षेत्र इण्टरमीडिएट शिक्षा से संतृप्त है।

प्राथमिक विद्यालय ओसाह, विकास खण्ड शिवगढ़, तहसील महाराजगंज, जनपद रायबरेली का भवन बनाने विषयक

23-श्री श्याम सुन्दर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय हाई स्कूल ओसाह, विकास खण्ड शिवगढ़, तहसील महाराजगंज का स्वयं का भवन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय हेतु स्वयं का नये भवन का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

जी हां।

प्राथमिक विद्यालय ओसाह, विकास खण्ड शिवगढ़ का भवन जर्जर होने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

उक्त विद्यालय के पुनर्निर्माण हेतु समग्र शिक्षा नीति की वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्रस्तावित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय पॉलीटेक्निक गोबिन्दपुर ओसाह, विकास खण्ड शिवगढ़, तहसील महाराजगंज, जनपद रायबरेली में शिक्षण कार्य संचालित किये जाने विषयक

24-श्री श्याम सुन्दर-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के राजकीय पॉलीटेक्निक गोबिन्दपुर ओसाह, विकास खण्ड शिवगढ़, तहसील महाराजगंज, रायबरेली का भवन वर्ष 2017 से तैयार है, किन्तु शिक्षण कार्य संचालित नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पॉलीटेक्निक में शिक्षण कार्य संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

प्रश्नगत संस्थान का भवन वर्ष 2019 में तैयार हो गया था परन्तु आवश्यक शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर पदों का तत्समय सृजन नहीं होने के कारण उक्त संस्थान में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की कक्षायें शैक्षिक सत्र 2019-20 से समीपस्थ जनपद की संचालित संस्थान (संजय गांधी पालीटेक्निक, जगदीशपुर, अमेठी) में चल रही है।

जी हां।

अतिशीघ्र संचालन किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में नलकूपों की बोरिंग के पूर्व हाइड्रोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट का सन्दर्भ लिये जाने विषयक

25-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में अधिष्ठापित खराब व बन्द पड़े सभी नलकूपों का स्ट्रेटा चार्ट व बोरिंग किये जाने का वर्ष का विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त नलकूपों की बोरिंग के पूर्व हाइड्रोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट का सन्दर्भ लिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

विवरण निम्नवत् है-

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-रानीगंज में दिनांक 01-04-2022 की स्थिति के अनुसार कुल 14 राजकीय नलकूप स्थाई रूप से खराब व बन्द पड़े हैं। इन राजकीय नलकूपों का स्ट्रेटा चार्ट व बोरिंग किये जाने की स्थिति :-

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	नलकूप संख्या व समूह	नलकूप का निर्माण वर्ष	स्ट्रेटा चार्ट के अनुसार बोरिंग की गहराई (मी0 में)
1	सदर	संसारपुर-1	41 पी0बी0एच0	1976	213
2	शिवगढ़	पूरेभागी	07 पट्टी	1971	226
3	शिवगढ़	लच्छीपुर	78 पट्टी	1972	201

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	नलकूप संख्या व समूह	नलकूप का निर्माण वर्ष	स्ट्रेटा चार्ट के अनुसार बोरिंग की गहराई (मी0 में)
4	शिवगढ़	पवारपुर	65 पट्टी	1983	204
5	शिवगढ़	रूपीपुर	05 पट्टी	2009	256
6	बाबा बेलखरनाथ	कर्मजीतपुर	46 पट्टी	1971	221
7	गोरा	कनेवरा	58 पट्टी	2006	249
8	गोरा	दिघवट	59 पट्टी	1972	180
9	गोरा	गोरा	17 पट्टी	1978	182
10	गोरा	कटरौली	57 पट्टी	2014	176
11	गोरा	दिघवट	101 पट्टी	2014	200
12	गोरा	सुवंश	105 पट्टी	2014	180
13	गोरा	रामापुर	16 पट्टी	2016	246
14	गोरा	रामनगर	87 पट्टी	2008	225

जी हां।

वर्ष 2005 से पूर्व निर्मित राजकीय नलकूपों का हाइड्रोलॉजिकल सर्वे/रजिस्टिविटी सर्वे प्रायः नहीं कराया गया है। वर्ष 2005 के बाद निर्मित ऐसे राजकीय नलकूपों के स्थलों, जहां भूगर्भ जल खारा है, मानक के अनुसार स्ट्रेटा उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित निकास प्राप्त होने की सम्भावना नहीं होती है, वहां पर हाइड्रोलॉजिकल सर्वे/रजिस्टिविटी सर्वे कराया जाता है। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे/रजिस्टिविटी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही बोरिंग का कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के तहसील रामनगर के ब्लाक सूरतगंज, थाना मोहम्मदपुर खाला के अन्तर्गत जागनपुरवा में शौचालय तोड़े जाने विषयक

26-श्री फरीद महफूज किदवई-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के तहसील रामनगर के ब्लाक सूरतगंज, थाना मोहम्मदपुर खाला के अन्तर्गत ग्राम जागनपुरवा (पाण्डेयपुर)

मजरे बतनेरा में दिनांक 06 सितम्बर, 2021 को रंजिशन पूर्व प्रधान द्वारा बनाये गये 07 शौचालय तोड़ने की रिपोर्ट थानाध्यक्ष मोहम्मदपुर खाला को दिनांक 21-09-2021 को जिलाधिकारी 05-10-2021, पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को दिनांक 21-09-2021 तथा उप जिलाधिकारी को दिनांक 07-10-2021 तथा खण्ड विकास अधिकारी सूरतगंज को दिनांक 21-09-2021 को की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 17-05-2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत बतनेरा, वि0ख0-सूरतगंज, जनपद बाराबंकी के मजरे पाण्डेयपुर में अनुचित तरीके से कतिपय शौचालयों को गिराये जाने की जांच परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बाराबंकी/खण्ड विकास अधिकारी, सूरतगंज, बाराबंकी द्वारा दिनांक 01-11-2021 को की गयी। जांच अधिकारी द्वारा पाया गया कि उक्त सात शौचालय (1-शेर अली पुत्र जुनाव, 2-रिजवान पुत्र शेर अली, 3-नूर हसन पुत्र शेर अली, 4-चिनाय अली पुत्र जुनाव, 5-जफरुद्दीन पुत्र किताब अली, 6-लाल मोहम्मद पुत्र किताब अली, 7-यासीन पुत्र किताब अली) पुत्र जलील मेराज द्वारा ध्वस्त किये गये हैं तथा वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती नन्दिनी की भूमिका भी संदिग्ध पायी गयी है।

उक्त के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी बाराबंकी के कार्यालय पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2021 द्वारा सम्बन्धित तत्कालीन सचिव श्री जितेन्द्र कुमार (ग्रा0वि0अ0) को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश दिनांक 16-11-2021 द्वारा धारा 95-1-(छ) के अन्तर्गत ग्राम प्रधान को नोटिस निर्गत किया गया। थाना-मोहम्मदपुर खाला, जनपद बाराबंकी में शौचालय गिराने हेतु श्री मेराज पुत्र जलील, निवासी पाण्डेयपुर, मजरे बतनेरा, जनपद बाराबंकी के विरुद्ध दिनांक 17-11-2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जो कि विवेचनाधीन है। प्रधान को निर्गत नोटिस के क्रम में ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 29-11-2021 को अपना स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण का परीक्षण उप जिलाधिकारी, रामनगर द्वारा करते हुए आख्या मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी के समक्ष प्रेषित की गयी है, जिसमें ग्राम प्रधान को दोषी नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में परिषदीय लिपिक का एक कार्यालय एक जनपद में पदस्थापित रहने की अवधि से सम्बन्धित नीति की जानकारी के सम्बन्ध में

27-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत परिषदीय लिपिकों का एक कार्यालय एक जनपद में पदस्थापित रहने की अवधि से सम्बन्धित नीति क्या है ? क्या सरकार उक्त नीति के विपरीत बेसिक शिक्षा विभाग में विगत 25-30 वर्षों से एक ही कार्यालय में कार्यरत परिषदीय लिपिकों को अन्य कार्यालय/जनपद में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत परिषदीय लिपिक का पद जनपदीय संवर्ग का होने के कारण अन्य जनपद में स्थानान्तरण की नीति नहीं है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद लखीमपुर-खीरी की ग्राम पंचायत-औरंगाबाद में चकबन्दी का कार्य कराये जाने विषयक

28-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर-खीरी में ग्राम पंचायत-औरंगाबाद में चकबन्दी का कार्य नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम-औरंगाबाद में चकबन्दी का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पंचायत औरंगाबाद में चकबन्दी प्रक्रियाएं वर्ष 1994 में प्रारम्भ की गयी थीं। ग्राम में धारा-23 के अन्तर्गत पुष्टिकरण दिनांक 30-11-1999 को होने के उपरान्त प्रस्तावित चकों पर कब्जा परिवर्तन कराने हेतु सीमांकन/पैमाइश कार्य प्रारम्भ किया गया, परन्तु कृषकों में विरोध व गुटबाजी के कारण सीमांकन कार्य स्थगित हो गया। जिलाधिकारी/जिला उप संचालक, चकबन्दी, लखीमपुर खीरी द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत ग्राम औरंगाबाद को उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या-8215/जी0-367/60-86, दिनांक 26-12-2000 द्वारा चकबन्दी प्रक्रियाओं से पृथक कर दिया गया। जिसके विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ में 03 पृथक-पृथक रिट याचिकायें योजित हुईं, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-05-2001, 06-03-2002 व 05-08-2003 के द्वारा धारा-6(1) की विज्ञप्ति को

स्थगित करते हुए पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये, जिसके कारण ग्राम का चकबन्दी कार्य स्थगित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में गंगा नदी की सफाई हेतु किये जाने वाले उपाय एवं उसकी समय-सीमा विषयक

29-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में गंगा नदी की सफाई हेतु कौन से उपाय किये गये हैं एवं किन-किन संस्थानों को उक्त सफाई करने का कार्य दिया गया है ? क्या सरकार ने गंगा नदी की सफाई की कोई समय-सीमा निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ0प्र0 द्वारा जनपद रायबरेली में विधान सभा क्षेत्र सरेनी में गंगा नदी की सफाई हेतु कोई भी कार्ययोजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के 30 ग्रामों को 'बेहटा पेयजल योजना' के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने विषयक

30-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के 30 ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने 'बेहटा पेयजल योजना' वर्ष 2015-2016 में प्रारम्भ की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त पेयजल योजना को पूर्ण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पेयजल योजना को समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में वर्ष 2014-15 में स्वीकृत बेहटा कलां पेयजल योजना का कार्य वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ किया गया किन्तु योजना के कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो सके हैं। अतः उक्त की विस्तृत जांच टेक्निकल ऑडिट सेल (टी0ए0सी0) एवं विशेष आडिट टीम गठित कर करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर के ग्राम टकसरा में राजकीय बालिका विद्यालय के भवन में पठन-पाठन कार्य शुरू करने विषयक

31-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर के ग्राम टकसरा में राजकीय बालिका विद्यालय का भवन विगत छः वर्षों से तैयार है किन्तु पठन-पाठन का कार्य शुरू नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त विद्यालय में पठन-पाठन कार्य को संचालन की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

शासनादेश संख्या-1741(1)पन्द्रह-1-2021-2(82)/2021, दिनांक 24-12-2021 द्वारा राजकीय इण्टर कालेज टकसरा मिल्कीपुर, अयोध्या में पद सृजन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा विद्यालय में प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के पदों का विषयवार आवंटन भी कर दिया गया है। सत्र 2022-23 से विद्यालय संचालित करते हुए शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं विद्यालय में छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही गतिमान है।

जी हां।

वर्तमान सत्र 2022-23 से विद्यालय संचालित करते हुए शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं विद्यालय में छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही गतिमान है।

वर्तमान में विद्यालय संचालित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

थाना शिवगढ़, तहसील महाराजगंज, जनपद-रायबरेली में पुलिस चौकी के निर्माण विषयक

32-श्री श्याम सुन्दर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली में थाना शिवगढ़, तहसील महाराजगंज, पुलिस चौकी की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

थाना शिवगढ़, तहसील महाराजगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-गुमांवा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। इस सम्बन्ध में संगत नियमों/मानकों व वित्तीय संसाधनों के आलोक में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित मदेयगंज पुलिस चौकी के स्थान पर थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में

33-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में अपराध नियंत्रण हेतु नये थाना क्षेत्र सृजित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ स्थित मदेयगंज पुलिस चौकी को थाना बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ स्थित मदेयगंज पुलिस चौकी को नवीन पुलिस थाना मदेयगंज बनाये जाने के आदेश शा0 संख्या-23/2022/534पी/छः-पु-6-2022-300(33)/2021, दिनांक 26-04-2022 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

हाथरस में दलित युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार में लिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई विषयक

34-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के संज्ञान में है कि 14 सितम्बर, 2020 को जनपद हाथरस में दलित युवती के साथ खेत में सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी 29 सितम्बर को दिल्ली में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी तथा 30 सितम्बर को पुलिस ने अर्द्धरात्रि में पेट्रोल डालकर बिना परिवारजनों को सूचित किये श्मशान घाट पर उसका अन्तिम संस्कार कर दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रकरण में बलात्कारी और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

श्री सतेन्द्र सिंह (वादी) पुत्र ओमप्रकाश बाल्मीकि निवासी बूलगढ़ी, थाना चंदपा, जनपद हाथरस की बहन (पीड़िता) के साथ अभियुक्त सन्दीप पुत्र गुड्डू ठाकुर निवासी बूलगढ़ी द्वारा दुपट्टे से घटना कारित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 14-09-2020 को थाना चंदपा पर संदीप पुत्र गुड्डू ठाकुर निवासी बूलगढ़ी, थाना चंदपा, जनपद हाथरस के विरुद्ध म0अ0सं0-136/20 धारा-307 भा0दं0वि0 व 3(3)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट पंजीकृत कराया गया था। दौराने विवेचना पीड़िता के धारा 161 द0प्र0सं0 के बयान अंकित किये गये, जिसके आधार पर धारा 354 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त सन्दीप उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार अलीगढ़ भेजा गया। दिनांक 22-09-2020 को पीड़िता के मजीद बयान महिला मुख्य आरक्षी सरला के सहयोग से लिये गये, जिसमें पीड़िता द्वारा 03 अन्य अभियुक्तगण रामू उर्फ रामकुमार पुत्र राकेश, लवकुश पुत्र रामवीर, रवि पुत्र अमर सिंह निवासीगण ग्राम बूलगढ़ी, थाना चंदपा के नाम प्रकाश में आये तथा पीड़िता के कथनानुसार धारा-376डी भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्तगण लवकुश, रवि एवं रामू को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया। पीड़िता की उपचार के दौरान दिनांक 29-09-2020 को प्रातः मृत्यु की सूचना पर अभियोग में धारा 376ए, 302 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। प्रकरण की विवेचना दिनांक 11-10-2020 को सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित की गयी। सी0बी0आई0 द्वारा विवेचना के पश्चात् अभियुक्त सन्दीप ठाकुर आदि 04 नफर उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 18-12-2020 को आरोप-पत्र माननीय न्यायालय एस0सी0/एस0टी0 हाथरस में प्रेषित किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 शासन द्वारा एस0आई0टी0 टीम का भी गठन किया। मृतका के दाह संस्कार के समय मृतका के परिवारीजन उपस्थित थे।

प्रश्नगत अभियोग में नामित अभियुक्तगण संदीप पुत्र गुड्डू ठाकुर, रामू उर्फ रामकुमार पुत्र राकेश, लवकुश पुत्र रामवीर तथा रवि पुत्र अमर सिंह निवासीगण ग्राम बूलगढ़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया। सी0बी0आई0 द्वारा विवेचना के पश्चात् उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में हाथरस में प्रेषित किया गया।

प्रकरण में गठित एस0आई0टी0 टीम द्वारा प्रकरण में जांचोपरान्त लापरवाही के लिए दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सर्वश्री निरीक्षक ना0पु0 श्री लक्ष्मण सिंह, उ0नि0ना0पु0 श्री दयाचन्द, मुख्य आरक्षी संजय कुमार, आरक्षी राजेन्द्र प्रसाद, आरक्षी बृजमोहन एवं महिला आरक्षी नेहा को उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(2) के अन्तर्गत परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी एवं सर्वश्री निरीक्षक ना0पु0 दिनेश कुमार वर्मा, उ0नि0ना0पु0 जगवीर सिंह, मुख्य आरक्षी

ना0पु0 महेश पाल एवं महिला आरक्षी श्रीमती कृष्णा को उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए वर्तमान पद के न्यूनतम वेतन पर प्रत्यावर्तित किया गया है। श्री राम शब्द, पुलिस उपाधीक्षक, 01 वर्ष के लिए वेतन-वृद्धि रोकने के दण्ड, श्री प्रकाश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध पत्र दिनांक 20-01-2021 को आरोप-पत्र निर्गत किया गया, श्री ब्रह्म सिंह क्षेत्राधिकारी सादाबाद (द्वितीय विवेचक) से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए कार्यवाही की गयी एवं श्री विक्रान्त वीर, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जनपद-हाथरस को निलम्बित किया गया। इस प्रकार प्रकरण में उपरोक्तानुसार अभियुक्तों एवं लापरवाही हेतु दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जिला पंचायत मुरादाबाद के वार्ड-27 एवं 28 में गलत तरीके से 2015 का आरक्षण 2021 में भी दोहराये जाने सम्बन्धी

35-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत मुरादाबाद के वर्ष 2021 चुनाव हेतु किये गये नवीन परिसीमन में जिला पंचायत वार्ड संख्या-27 एवं 28 में अधिकांश भाग मूल जिला पंचायत वार्ड संख्या-37 का होने के बावजूद अवैधानिक तरीके से चुनाव वर्ष 2015 का आरक्षण वर्ष 2021 के चुनाव में भी दोहराये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैधानिक आरक्षण के दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

वर्ष 2015 में जनपद मुरदाबाद में जिला पंचायत के कुल 34 वार्ड अस्तित्व में थे जिनका क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 है एवं क्रमांक 17 से 34 एवं क्रमांक 38 के वार्ड जनपद सम्भल में थे। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में पूर्व जनपद मुरादाबाद में जिला पंचायतों के वार्डों के परिसीमन/पुनर्गठन उपरान्त वर्तमान में कुल 39 वार्ड गठित हुए हैं जिनका क्रमांक 1 से 39 तक अंकित किया गया है। नव गठित वार्डों में क्रम संख्या 1 से 16 तक के वार्डों का आरक्षण वर्ष 2015 के आरक्षण को ध्यान में रखकर चक्रानुक्रम में किया गया था। चूंकि वार्ड संख्या-17 से 34 एवं 38 क्रमांक के वार्ड सामान्य निर्वाचन 2015 के दौरान जनपद सम्भल में थे। अतः उक्त वार्डों को नवीन मानते हुए तथा वर्ष 2015 के आरक्षण को शून्य मानते हुए आरक्षण किया गया। इसी प्रकार शेष वार्ड संख्या-35, 36, 37 एवं 39 का आरक्षण चक्रानुक्रम में किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के ब्लाक बिलारी में ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर इब्राहिमपुर की मतदाता सूची में ग्राम पंचायत थांवला के कतिपय गाटा संख्याओं में बसे मतदाताओं के नाम विलोपित किये जाने के सम्बन्ध में

36-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के ब्लॉक बिलारी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर इब्राहिमपुर की मतदाता सूची में से उसी ब्लॉक की एक अन्य ग्राम पंचायत थांवला के राजस्व रकबे की गाटा संख्या 265, 329, 330, 339, 340, 342, 620, 624, 625, 626, 630, 631, 632, 634, 635 व 636 में बसे लोगों को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली-1994 के नियम-18 व 20 में अंकित प्राविधान के अनुपालन में सरकार विलोपित करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी -

वर्तमान में पंचायत नामावली पुनरीक्षण का कार्य नहीं चल रहा है, भविष्य में जब भी नामावली का कार्य शुरू होगा तब जांचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र की समय-सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी शासनादेश की जानकारी

37-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षित पद पर चुनाव लड़ने हेतु जाति प्रमाण-पत्र की वैधता की समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो उक्त हेतु कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शासनादेश की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह-

जाति प्रमाण-पत्र की वैधता के सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात सहायक अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालयों में स्थानान्तरण करने के विषय में

38-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक अध्यापकों की तैनाती की कोई नीति है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक अध्यापकों की

तैनाती की गई है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? क्या सरकार उक्त शिक्षकों का स्थानान्तरण प्राथमिक विद्यालयों में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जौनपुर में किसी अध्यापक की तैनाती नहीं की गयी है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में फ्लोराइड युक्त जल की समस्या के निदान के सम्बन्ध में

39-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में कौन-कौन से गांव फ्लोराइड युक्त जल से प्रभावित हैं ? क्या उक्त समस्या के निदान हेतु कोई ठोस योजना सरकार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में निम्नलिखित बस्तियां फ्लोराइड युक्त पानी से प्रभावित हैं :-

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	सम्बन्धित बस्ती का नाम
1	काजीखेड़ा	काजीखेड़ा	काजीखेड़ा
2	उबरनी	मालपुरा	पूरे महाराज
3	मदुरी	मदुरी	पूरे तबीजन
4	मदुरी	मदुरी	पूरे रामगुलाम
5	मदुरी	मदुरी	पूरे मदुरी खास
6	काजीखेड़ा	लखईखेड़ा	लखीखेड़ा
7	मदुरी	मुबारकपुर	पूरे बज्जू
8	रसूलपुर-1	रसूलपुर	रसूलपुर
9	सैम्बसी-2	सैम्बसी	पूरे चिरई

10	सैम्बसी-2	सैम्बसी	सैम्बसी खास
11	उबरनी	उबरनी	बीनापुरी
12	उबरनी	उबरनी	लोधन

'जल जीवन मिशन कार्यक्रम' के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से उक्त ग्राम पंचायतों को आच्छादित कर शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में माध्यमिक शिक्षा विभाग की भूमि को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय में स्थानान्तरित करने विषयक

40-श्री रवि शर्मा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी महानगर के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय में खेल के लिए मैदान नहीं है, जिसके कारण महाविद्यालय में खेल गतिविधियां नहीं हो पाती हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि कॉलेज परिसर के बगल में माध्यमिक शिक्षा विभाग का अनुपयुक्त मैदान उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग की भूमि को राजकीय महिला महाविद्यालय के नाम स्थानान्तरित कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के बिजौली में स्थित पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर थाना बनाने विषयक

41-श्री रवि शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बिजौली, राजगढ़, बल्लमगढ़, हंसारी व उसके आस-पास के क्षेत्र के लोगों को थानों से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन हेतु लगभग 15 किलोमीटर दूर प्रेमनगर थाना जाना पड़ता है, जिससे श्रम, धन एवं समय अधिक खर्च होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत बिजौली में स्थित पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर थाना बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पुलिस चौकी बिजौली को उच्चीकृत कर थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है। इस सम्बन्ध में संगत नियमों और शासनादेशों तथा वित्तीय संसाधनों के आलोक में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत शारदा नहर पुल पर रिटेनिंग वाल बनाने सम्बन्धी कार्य की जांच विषयक

42-डॉ0 अमित सिंह चौहान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 05 अप्रैल, 2022 तथा 04 अप्रैल, 2022 के पत्र क्रमशः जो मुख्य मंत्री तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित हैं तथा जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत शारदा नहर पुल पर रिटेनिंग वॉल बनाने हेतु आवंटित धनराशि तथा निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता एवं मानक के विपरीत कार्य कराये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2022, जो मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित है, आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा पत्र दिनांक 04 अप्रैल, 2022, जो जिलाधिकारी, अयोध्या को सम्बोधित है, प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु इसी सन्दर्भ का पत्र दिनांक 03-04-2022 जिलाधिकारी, अयोध्या को प्राप्त हुआ है।

आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर दर्ज संख्या-18157220026045 के माध्यम से प्राप्त पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2022 को अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या द्वारा पोर्टल पर संलग्न आख्या दिनांक 22-04-2022 के आधार पर निस्तारित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी, अयोध्या को सम्बोधित मा0 विधायक, बीकापुर का पत्र दिनांक 03-04-2022, जो ग्राम जगदीशपुर, विकास खण्ड मसौंधा के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर पर बने नहर पुल पर रिटेनिंग वाल के निर्माण में अनियमितता किये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र सं0-01-03/ओएसडी/विधा0(बी0)-जांच/2022, दिनांक 05-04-2022 द्वारा प्रकरण की जांच हेतु 03 सदस्सीय समिति का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का प्रतिशत बढ़ाने हेतु सरकार की कार्य योजना के सम्बन्ध में

43-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का प्रतिशत बढ़ाने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हाँ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, परीक्षा सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था एवं अवस्थापना में सुधार, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, विशिष्ट विश्वविद्यालयों का उन्नयन तथा रोजगार परक उच्च शिक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 250 से अधिक आबादी के गांवों को रोड से जोड़ने सम्बन्धी

44-श्रीमती पूजा पाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2002 की जनगणना में 250 से कम किन्तु वर्तमान में 250 से अधिक आबादी के गांवों को मुख्य रोड से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के जनपदों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

45-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में जहां कृषि हेतु सिंचाई का समुचित प्रबन्ध न होने के कारण रबी, खरीफ तथा जायद की फसलों का समुचित उत्पादन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे गांवों को चिन्हित कर सरकारी ट्यूबवेल स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गत 05 वर्षों में मा0 जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला नलकूप स्थल चयन समिति द्वारा अनुमोदित स्थलों पर 2248 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया गया है जिससे 1,12,400 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का नवसृजन किया गया है।

गत 05 वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1272 असफल राजकीय नलकूपों का पुनःनिर्माण कर 1,27,200 हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना की गयी है।

दिनांक 01-04-2022 के अनुसार प्रदेश में 34316 राजकीय नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को मुआवजा धनराशि वितरण विषयक

46-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर आश्रितों को मुआवजा धनराशि देने का सरकार द्वारा क्या प्रावधान किया गया है? क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकांश मृतकों के परिवारजनों को दिनांक 31 मार्च, 2022 तक सहायता धनराशि नहीं वितरित हुई है ? क्या सरकार उक्त अवधि में वितरित मुआवजा का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-539/2021 में पारित आदेश दिनांक 30-06-2021 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-जी0आई0-105/एक-11-2021-5(जी)/2021, दिनांक 23-10-2021 द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजनों को रुपये 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर दिनांक 31-03-2022 तक 36,858 मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजनों को प्रति मृतक रुपये 50,000/- की दर से कुल रुपये 184.29 करोड़ की अनुग्रह सहायता वितरित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की भरपाई विषयक

47-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति की भरपाई की विशेष नीति बनकर किसानों को लाभान्वित कराने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को भारत सरकार के आदेश संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा निर्धारित मानक एवं दरों के अनुसार राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय विकास खण्ड में गिरते भूगर्भ जल स्तर को रोकने के सम्बन्ध में

48-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धता, लक्ष्मणपुर, शिवगढ़, सदर, बाबा बेलखरनाथ एवं विकास खण्ड गौरा में वित्तीय वर्ष 2017 से 2022 तक पीजोमीटर या बोरवेल की रीडिंग में कितने सेन्टीमीटर भूगर्भ जल स्तर में गिरावट आई है ? क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में गिरते भूगर्भ जल स्तर को रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धता, लक्ष्मणपुर, शिवगढ़, सदर, बाबा बेलखरनाथ एवं गौरा में वित्तीय वर्ष 2017 से 2022 तक निम्नानुसार भूगर्भ जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है :-

विकास खण्ड	प्री मानसून 2017 (मी0 में)	प्री मानसून 2022 (मी0 में)	अन्तर (मी0 में)	वृद्धि/गिरावट
मान्धाता	9.13	9.83	-0.70	गिरावट
लक्ष्मणपुर	5.65	9.15	-3.50	गिरावट
शिवगढ़	7.92	10.18	-2.26	गिरावट
सदर	11.20	13.59	-2.39	गिरावट
बाबा बेलखरनाथ	12.03	10.35	1.68	वृद्धि
गौरा	6.22	6.30	-0.08	गिरावट

प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर की समस्या के निदान हेतु पूर्व में राज्य भूजल संरक्षण मिशन एवं वर्तमान में उ0प्र0 अटल भूजल योजना लागू है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा कन्वर्जेन्स के माध्यम से अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिनमें चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, आन-फार्म हार्वेस्टिंग, यथा मेढबन्धी, रूफटॉप, रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के कार्य सम्मिलित हैं।

प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं नियमन किये जाने हेतु प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश ग्राउण्ड वाटर (मैनेजमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट-2019' प्रख्यापित है। अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम चरण में समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों

पर तथा द्वितीय चरण में समस्त सरकारी सहायता प्राप्त भवनों एवं नियमानुसार निजी क्षेत्रों के भवनों को आच्छादित करते हुए रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में

49-श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जनपद प्रतापगढ़ में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

शिक्षकों के पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
प्रधानाचार्य	47	11
प्रधानाध्यापक	29	10
प्रवक्ता सीधी भर्ती	188	56
पदोन्नति	189	45
सहायक अध्यापक	1234	439

जी हां।

01-रिक्त पदों का अधियाचन उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित किये गये हैं। उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रेषित अधियाचन के सापेक्ष विज्ञापन/चयन की कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

02-पदोन्नति का प्रकरण विद्यालयों से प्रेषित किये जाने के निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़ के पत्र दिनांक 20-04-2022 द्वारा प्रदान किये गये हैं। प्राप्त होते ही मण्डलीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत कर निस्तारण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद में तहसील बिलारी के अन्तर्गत लुप्तप्राय अरिल नदी को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी

50-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में तहसील बिलारी के अन्तर्गत प्रवाहित लुप्तप्राय अरिल नदी का रकबा चिन्ति कर उसे पुनर्जीवित करने की योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आदित्यनाथ योगी-

जी हां।

तहसील बिलारी के ग्राम अभनपुर, नरौली, भिड़वारी, ग्वारऊ, ग्वारखेड़ा, सतारन, कबूरी मानक, कनोबी, भूड़, मरेसी, पालनपुर, विजयपुर, समसपुर, आरीखेड़ा, अमरपुर, काशी, देवरी, दिनौरा और खानपुर पंचायतों में अरिल नदी गुजरती है। उन ग्रामों में नदी का सीमांकन कराकर मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के द्वारा जीर्णोद्धार कराकर वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

आश्मान्य शुक्ला पुत्री श्री अवधेश कुमार शुक्ला के अपहरण के प्रकरण में दर्ज एफ0आई0आर0 पर कृत कार्रवाई की जानकारी

51-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में आश्मान्य शुक्ला उर्फ मुस्कान पुत्री अवधेश कुमार शुक्ला उम्र 20 साल, निवासिनी 249/48, नाला बेगमगंज, राजाबजार, लखनऊ में अपहरण दिनांक 02-12-2020 को हुआ था जिसकी एफ0आई0आर0 थाना ठाकुरगंज में दिनांक 02-12-2020 को दर्ज की गई थी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो, क्यों?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रकरण में थाना ठाकुरगंज, लखनऊ पर दिनांक 10-12-2020 को मु0अ0सं0-727/2020, धारा-366 भा0दं0वि0 अवधेश कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 अमरनाथ शुक्ला, निवासी 249/48क, नाला बेगम, यहियागंज, थाना चौक, लखनऊ बनाम हरिश्चन्द्र गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता, निवासी ई-ब्लॉक, सपना कालोनी, राजाजीपुरम्, थाना-तालकटोरा, लखनऊ पंजीकृत किया गया है।

दिनांक 10-12-2020 को अवधेश कुमार शुक्ला द्वारा सूचना दी गयी कि उनकी पुत्री आशमान्य शुक्ला उर्फ मुस्कान उम्र 20 वर्ष को हरिश्चन्द्र गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता, निवासी ई-ब्लॉक, सपना कालोनी, राजाजीपुरम्, लखनऊ द्वारा बिस्मिल्लाह लॉन सिद्धि विनायक होजरी/गणेश भवन, कैम्पवेल रोड से बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। सूचना के आधार पर थाना ठाकुरगंज पर दर्ज मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के माध्य पीड़िता आशमान्य शुक्ला की खोजबीन हेतु वादी मुकदमा का कथन अंकित किया गया और निरीक्षण घटना स्थल के उपरान्त नामित आरोपी हरिश्चन्द्र गुप्ता का बयान भी अंकित किया गया। पीड़िता के सम्बन्ध में सी0डी0आर0 प्राप्त किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी और पीड़िता की बरामदगी हेतु सम्भावित स्थानों पर तलाश की गयी। सी0डी0आर0 के अवलोकन से प्राप्त मोबाइल नम्बरों के धारकों से पूछताछ की गयी और नामित आरोपी से एसटीएफ द्वारा भी पूछताछ एवं संदिग्ध नम्बरों के धारकों से वार्ता तथा पीड़िता के ईष्ट मित्रों व स्कूल की छात्राओं से जानकारी के उपरान्त भी पीड़िता/गुमशुदा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। पीड़िता की बरामदगी हेतु तलाश गश्ती, सोशल मीडिया में प्रचार-प्रसार के सार्थक प्रयासों के बाद भी पीड़िता के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी है। बरामदगी हेतु सार्थक प्रयास जारी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में धरना दे रहे किसानों की हत्या के मुआवजे के सम्बन्ध में

52-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर, 2021 को तिकुनिया इलाके में धरना दे रहे किसानों की गाड़ी से कुचल कर किसानों की हत्या की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार मृतक किसानों के आश्रितों को मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी में दिनांक 03 अक्टूबर 2021 को हुई घटना में कुल 08 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिसमें 04 किसान तथा 04 अन्य व्यक्ति थे। इन 04 किसानों में 02 किसान जनपद बहराइच तथा 02 किसान जनपद लखीमपुर खीरी के निवासी थे। सभी मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

53-श्री रवि शर्मा-

[समाज कल्याण 01-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

54-श्री रवि शर्मा-

[आवास एवं शहरी नियोजन 01-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत शारदा नहर पर ग्राम गोपालपुर के पास नहर के दाहिनी पटरी पर खड़न्जा निर्माण विषयक

55-श्री अमित सिंह चौहान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2022 व दिनांक 04 अप्रैल, 2022 जो क्रमशः मुख्य मंत्री तथा जिलाधिकारी, अयोध्या को सम्बोधित है तथा जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत शारदा नहर पर ग्राम गोपालपुर के पास नहर की दाहिनी पटरी पर खड़न्जा निर्माण हेतु लगभग 2 करोड़ रुपये का आवंटन तथा कार्य मानक के अनुसार न करके धन का दुरुपयोग कर अनियमितता किये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित मा0 विधायक का पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2022 आई0जी0आर0एस0 संख्या-18177220025944 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रकरण जो शारदा सहायक नहर पर निर्मित हो रहे खड़न्जे से सम्बन्धित है, उसे निस्तारित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी अयोध्या को सम्बोधित मा0 विधायक, बीकापुर का पत्र दिनांक 03-04-2022 जिनके द्वारा शारदा सहायक नहर के समीप ग्राम गोपालपुर के दाहिनी पटरी पर कि0मी0 8.0 पर खड़न्जा लगाने में अनियमितता किये जाने की शिकायत के क्रम में जिलाधिकारी अयोध्या के पत्र संख्या-01-03/ओएसडी/विधा0(बी)-जांच/2022, दिनांक 05-04-2022 द्वारा प्रकरण की जांच हेतु 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उपरोक्त जांच में कुछ स्थानों पर वर्क-मैन-शिप व अन्य सामान्य कमियां पायी गयी हैं। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त कमियों हेतु ठेकेदार को नोटिस दी जा चुकी है जिसे उनके द्वारा ठीक कराया जाना बाध्यकारी है। उक्त कार्यों में धन का दुरुपयोग किये जाने का प्रकरण नहीं बनता है।

प्रश्न नहीं उठता।

56-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[लोक निर्माण 03-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा, तहसील बिसण्डा के ग्राम बाधा में सिद्ध बाबा देव स्थान को जाने वाले मार्ग के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर उक्त मार्ग का निर्माण विषयक

57-श्री अखिलेश-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा, तहसील बिसण्डा के ग्राम बाघा में सिद्ध बाबा देव स्थान को जाने वाले मार्ग के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर उक्त मार्ग का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 1620 मी0 है। उक्त मार्ग में 660 मी0 में सोलिंग का कार्य है एवं 960 मी0 रोड कच्ची है, जिसमें डामरीकरण का कार्य कराने हेतु कुल मू0 93.30 लाख का अनुमानित व्यय भार आ रहा है। उक्त मार्ग के निर्माण के लिए नवगठित जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 11-04-2022 में अन्य प्रस्ताव सं0-01 प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उक्त बैठक में चर्चा के उपरान्त सदन में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। पूर्व में भी उक्त मार्ग का निर्माण कराने के लिए जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 10-09-2020 में अन्य प्रस्ताव सं0-04 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें चर्चा के उपरान्त मा0 सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया गया था।

प्रदेश को अपराध एवं भयमुक्त बनाये जाने के लिए कार्य योजना विषयक

58-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश को अपराध एवं भयमुक्त बनाने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 द्वारा समय-समय पर समस्त कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कार्य योजना तैयार कर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 100 दिन, 06 माह, 02 वर्ष व 05 वर्ष की गृह विभाग व पुलिस की कार्य योजना बनायी है।

प्रदेश में माफिया व उनके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों को चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त अपराधिक माफिया, भूमाफिया, खनन माफिया, वन माफिया, मादक पदार्थ/शराब माफिया, शिक्षा माफिया, गौ तस्कर आदि के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति/एन्टी रोमियो/फुट पेट्रोलिंग/महिला सुरक्षा हेतु गठित विशेष दल, बैंक चेकिंग/कैदियों की वैन/अवैध शराब/अवैध टैक्सी, बस, ऑटो स्टैण्ड के विरुद्ध/संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध प्रभावी रूप से अभियान चलाये जा रहे हैं। आतंक/नक्सल घटनाओं पर पूर्णतः नियंत्रण रखा जा रहा है। बीट प्रणाली का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराया जा रहा है। 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन (लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी) का गठन किया जा रहा है। महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्ग के लोगों का उत्पीड़न रोकने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। वीमेन पावर लाईन-1090 योजना, यू0पी0-112, इण्डिया मोबाइल एप, महिला हेल्प डेस्क आदि योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वन किया जा रहा है। यू0पी0-112 का रिस्पांस टाइम पहले से बेहतर हुआ है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतया सामान्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के आस पास आदर्श थाना (मॉडल थाना) बनाने के सम्बन्ध में

59-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर में विकास खण्डों के क्षेत्रों में आदर्श थाना (मॉडल थाना) के रूप में सरकार विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शासन में इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है। इस सम्बन्ध में संगत नियमों और शासनादेशों तथा वित्तीय संसाधनों के आलोक में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

प्रदेश में जनता को बाढ़ से बचाव हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2022 में बनाई जा रही कार्य योजना के सम्बन्ध में

60-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान वर्ष 2022 में बाढ़ विभीषिका से बचाव हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

बाढ़ से बचाव हेतु उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर धन उपलब्धता के अनुक्रम में बाढ़ बचाव की परियोजनाएं वर्तमान में क्रियान्वित हैं।

जी हां। विवरण निम्नवत् है :-

आगामी बाढ़ वर्ष 2022, में बाढ़ से बचाव हेतु कुल 237 परियोजनाएं संचालित हैं। (सूची संलग्न)†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सम्भल के विधान सभा असमौली क्षेत्र अग्निशमन केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में

61-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली में किसानों की फसलों तथा ग्रामीण जनता को आगजनी की घटनाओं से बचाव के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद सम्भल के तहसील सम्भल में अग्निशमन केन्द्र पूर्व से स्थापित एवं सुचारु रूप से संचालित हैं। असमौली क्षेत्र तहसील सम्भल के अन्तर्गत आता है। फायर स्टेशन सम्भल द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2020 से मार्च, 2022 तक छुट्टा जानवरों से किसानों की रबी, खरीफ तथा जायद की फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में

62-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2020 से मार्च, 2022 तक छुट्टा जानवरों से किसानों की रबी, खरीफ तथा जायद की फसलों को कितना नुकसान हुआ है ? क्या सरकार उक्त क्षति का आकलन कराकर फसलों का मुआवजा किसानों को देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापी नहीं गई।

श्री योगी आदित्यनाथ-

भारत सरकार के आदेश संख्या-32-7-2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा विभिन्न आपदाओं यथा-बाढ़/अतिवृष्टि, सूखा/ओलावृष्टि आदि से फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष निर्धारित मानक एवं दरों के अनुसार राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है। छुट्टा जानवरों से रबी, खरीफ तथा जायद की फसलों का नुकसान, मानक मदों में सम्मिलित नहीं है। उक्त स्थिति में छुट्टा जानवरों से हुई फसल क्षति का मुआवजा दिये जाने का औचित्य नहीं है।

जिला मुरादाबाद की ग्राम पंचायतों में प्रशासकों द्वारा दिसम्बर, 2020 से मई, 2021 के मध्य अपने कार्यकाल में उजागर घोटालों की जांच विषयक

63-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद की ग्राम पंचायतों में प्रशासकों द्वारा दिसम्बर, 2020 से मई, 2021 के मध्य अपने कार्यकाल के दौरान किये गये धन आहरण की जांच में उजागर घोटालों के दोषियों के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्रवाई का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जांच आख्या में पायी गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी मुरादाबाद, विकास खण्ड मुढापाण्डे एवं कुन्दरकी के सहायक विकास अधिकारी (पं0) एवं 09 ग्राम पंचायत सचिवों को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/जांच संस्थित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुरादाबाद के विकास खण्ड बिलारी तथा जिला सम्भल के विकास खण्ड बनियाखेड़ा में नवीन परिसीमन के अनुसार न्याय पंचायतों के पुनर्गठन/परिसीमन की योजना विषयक

64-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के विकास खण्ड बिलारी तथा जिला सम्भल के विकास खण्ड बनियाखेड़ा में नवीन परिसीममन के अनुसार न्याय पंचायतों के पुनर्गठन/परिसीमन की योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

शासन से निर्गत अधिसूचना संख्या-2673/79-वि-1-17-1(क)2/17, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है-

"संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन की स्थापना और विकास के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों के गठन के लिए व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9, भारत का संविधान में बढ़ाया गया है, जिसके अनुसार ग्राम पंचायतें त्रिस्तरीय होगी, अर्थात् ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें होंगी। भारत का संविधान के आदेशानुसार न्याय पंचायतें जो अक्रियाशील हो गयी है, की अव्यवहारिकता के कारण ग्राम पंचायतों को अनेक शक्तियां सौंपी गयी हैं। अतएव अब न्याय पंचायतों से सम्बन्धित उसके उपबन्धों को निकालने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। तद्नुसार उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 पुनः स्थापित किया जाता है।"

जिला मुरादाबाद की बिलारी विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम-स्योंडारा के मजरे सुन्दरपुर स्थित सिंचाई विभाग के डाक बंगले का पुनर्निर्माण/मरम्मत सम्बन्धित

65-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद की बिलारी विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम-स्योंडारा के मजरे सुन्दरपुर स्थित सिंचाई विभाग के जीर्ण-शीर्ण डाक बंगले का पुनर्निर्माण/मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुरादाबाद की बिलारी विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम-स्योंडारा के मजरे सुन्दरपुर स्थित सिंचाई विभाग का डाक बंगला जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा वर्तमान समय में इसका कोई विभागीय उपयोग भी नहीं है। अतः डाक बंगले के जीर्णोद्धार की आवश्यकता नहीं है।

जिला मुरादाबाद के ब्लाक बिलारी के ग्राम मोहम्मदपुर इब्राहिमपुर के कम्पोजिट परिषदीय विद्यालय परिसर में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत सी0सी0 टाइल्स बिछाने सम्बन्धित

66-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के ब्लॉक बिलारी के अन्तर्गत ग्राम मोहम्मद इब्राहिमपुर के कम्पोजिट परिषदीय विद्यालय परिसर में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत सी0सी0 टाइल्स बिछाने सहित अवशेष विकास कार्य किसी निश्चित अवधि तक पूर्ण कराने की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

कम्पोजिट विद्यालय मोहम्मद इब्राहिमपुर के ब्लॉक बिलारी के परिसर में 'आपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत निर्धारित 19 पैरामीटर्स के सापेक्ष 17 पैरामीटर्स पूर्ण हो चुके हैं।

यद्यपि 'आपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत विद्यालयों में सी0सी0 टाइल्स बिछाने सम्बन्धी कार्य निर्धारित 19 पैरामीटर्स में सम्मिलित नहीं है तथापि कम्पोजिट विद्यालय मोहम्मद इब्राहिमपुर के विद्यालय परिसर व संचालित प्राथमिक कक्षाओं के सामने लगभग 700 वर्गमीटर सी0सी0 टाइल्स लगी हुई है।

उक्तवत्।

प्रदेश में ग्राम पंचायत द्वारा अपने राजस्व ग्राम रकबे से बाहर दूसरी ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम रकबे में विकास कार्यों पर धनराशि व्यय के सम्बन्ध में सरकार का नियम सम्बन्धित

67-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायत द्वारा अपने राजस्व ग्राम रकबे से बाहर दूसरी ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम रकबे में विकास कार्यों पर धनराशि व्यय की जा सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियम का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम-1947 की धारा-30 में किसी सम्मिलित निर्माण कार्य के निवारण तथा रख-रखाव आदि के लिए संयुक्त समिति नियुक्त करने का प्राविधान है।

अधिनियम की सुसंगत प्रति संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

बहराइच के ब्लाक मिहीपुरवा व ग्राम सभा मिहीपुरवा बाजार में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था विषयक

68-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के ब्लाक मिहीपुरवा व ग्राम सभा मिहीपुरवा बाजार में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार मिहीपुरवा बाजार जिसमें ग्राम पंचायत मोतीपुर, मिहीपुरवा, कुड़वा, परवानीगौड़ी सम्मिलित है, मिहीपुरवा कस्बा के विभिन्न स्थानों पर सोलर लाइट एवं स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराया गया है। वर्तमान में ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शासन की प्राथमिकता वाले कार्य यथा पंचायत भवन/ ग्राम पंचायत सचिवालय की

[†] आगे देखें नत्थी 'ङ' पृष्ठ संख्या-311-312 पर।

रंगाई-पुताई, कम्प्यूटर, फर्नीचर, अन्य उपकरण क्रय व जल व्यवस्था हैण्डपम्प/रि-बोर पंचायत सहायक, केयर टेकर का मानदेय भुगतान कराने के साथ उपरोक्तानुसार मिहीपुरवा बाजार में अवशेष (अंधेरा रहने वाले) स्थानों पर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था कराई जा रही है। उक्त के अतिरिक्त विकास खण्ड मिहीपुवा की अन्य ग्राम पंचायतों में धनराशि की उपलब्धता के अनुसार स्ट्रीट लाईट लगवाने की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड गौरा अन्तर्गत ड्रेनों की सफाई कराकर जलभराव की समस्या का समाधान कराये जाने विषयक

69-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड गौरा अन्तर्गत उमरन ड्रेन, नौडेरा ड्रेन, कमासिन ड्रेन, लपकन ड्रेन, रोहकला ड्रेन की सफाई न होने से वर्षाकाल में जलभराव होने के कारण लपकन, शेखूपुर, दमदम, अतरी, सुजहा, राजापुर, डिघवट, नौडेरा, करका, हरपुर, सौध, कैलीडीह आदि ग्राम पंचायतों की हजारों एकड़ भूमि पर लगी धान की फसल बर्बाद हो जाती है ? क्या सरकार उक्त ड्रेनों की सफाई कराकर जलभराव की समस्या का समाधान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

ड्रेनों की सफाई कराना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके क्रम में जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड गौरा अन्तर्गत उमरन, नौडेरा ड्रेन व लपकन ड्रेन पर वर्ष 2021-22 में सफाई का कार्य कराया गया था। रोहकला ग्राम का जल प्रवाह नौडेरा ड्रेन से होता है। रोहकला के नाम से कोई ड्रेन नहीं है। कमासिन ड्रेन की सफाई का कार्य वर्ष 2022-23 की कार्य योजना में सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

रायबरेली-डलमऊ पम्प कैनाल से ऊंचाहार विकास खण्ड के ग्राम कन्दरावां व हुरैंसा, खरौली आदि क्षेत्रों की नहरें ऊंची होने के कारण सिंचाई हेतु पानी नहीं पहुंच पाता, पुनः सरकार द्वारा नहर की खुदाई विषयक

70-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली-डलमऊ पम्प कैनाल से ऊंचाहार विकास खण्ड के ग्राम कन्दरावां व हुरैंसा, खरौली आदि क्षेत्रों को सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है, परन्तु उक्त भाग की नहरें ऊंची होने के कारण सिंचाई हेतु पानी नहीं पहुंच पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नहर की खुदाई कराकर उक्त क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डलमऊ पम्प कैनाल के ऊंचाहार व कन्दरावां, राजवाहा, कन्दरावां, पचखरा व हुरैंसा माइनर से ऊंचाहार विकास खण्ड के ग्राम कन्दरावां व हुरैंसा व खरौली आदि क्षेत्रों को सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है। रबी 1429 फसली वर्ष 2021-22 में ऊंचाहार विकास खण्ड के सभी रजबहों व माइनरों की सिल्ट सफाई कराकर उपरोक्त सभी नहरों के टेल भाग तक पानी पहुंचाया गया तथा खरीफ फसली 1430 में सभी नहरों की टेलों तक पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान समय में डलमऊ पम्प कैनाल से एन0टी0पी0सी0 ऊंचाहार की मशीनों के शीतलीकरण हेतु जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड जगतपुर से दीनशाह गौरा जाने वाले इसौर नाले की खुदाई कराये जाने विषयक

71-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड जगतपुर से दीनशाह गौरा जाने वाले इसौर नाले की खुदाई विगत 3 वर्षों से न होने के कारण क्षेत्रीय किसानों की कृषि योग्य भूमि सीपेज के कारण परती होने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसौर नाले की खुदाई करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

इसौर नाले की सफाई वर्ष 2019-20 में कराई गई थी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टी0सी0-111-का-2/2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु अन्य पिछड़ वर्ग (ओ0बी0सी0) के लिए निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के प्रारूप में कर्मचारी समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' की श्रेणी सम्बन्धी उपबन्ध संशोधन विषयक

72-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आय

सीमा अथवा कर्मचारी की श्रेणी जैसे समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में से क्या प्रभावी है ? यदि आय सीमा प्रभावी है तो क्या उसमें कर्मचारी के वेतन को भी जोड़ा जाता है ? यदि आय सीमा प्रभावी नहीं है तो क्या सरकार शासनादेश संख्या 13/22/16/92/टी0सी0-111-का-2/2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु अन्य पिछड़ वर्ग (ओ0बी0सी0) के लिए निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के प्रारूप में कर्मचारी की श्रेणी सम्बन्धी उपबन्ध रखे जाने हेतु संशोधन की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-2460/सत्रह-वी-1-1(क)33/2001 दिनांक 06 अक्टूबर, 2001 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक-2001 एवं विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-2513/सत्रह-वी-1-1(क)33-2001 दिनांक 11 अक्टूबर, 2001 के शुद्धि पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2001 की धारा-3(1) की अनुसूची-2 में एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-22/16/92/टीसी-111 दिनांक 29 जनवरी, 2014 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) श्रेणी के लिए क्रीमीलेयर की व्यवस्था अंकित है। शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टी0सी0-111-का-2/2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप निर्गत नहीं किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोयला, ब्लाक-बक्शी का तालाब द्वारा की गई शिकायत विषयक

73-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोयला, ब्लाक-बक्शी का तालाब, लखनऊ की शिकायत सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या-2/17/2018/सा0 दिनांक 13-02-2018 के द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

जी हां।

(जांख्या आख्या की प्रति संलग्न है[†]।)

प्रश्न नहीं उठता।

उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोयला, लखनऊ में स्थायी प्रधानाध्यापक की तैनाती विषयक

74-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक-ई0(नियुक्ति)/3010/2021-22 दिनांक 17-08-2021 द्वारा निलम्बित कतिपय इंचार्ज सहायक अध्यापक प्रकरण से सम्बन्धित रिट याचिका संख्या-19402(एसएस)/2021 सी0एम0 एप्लीकेशन संख्या-123549/2021 में पारित आदेश दिनांक 23-09-2021 के अनुपालन में शिक्षक का स्थानान्तरण अन्यत्र विद्यालय में कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोयला, बख्शी का तालाब, लखनऊ में स्थायी प्रधानाध्यापक की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद पदोन्नति से भरे जाने का प्राविधान है। मा0 न्यायालय के समक्ष योजित विभिन्न वादों के कारण पदोन्नति प्रक्रिया लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड मान्धाता की ग्राम पंचायत दिवैनी चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

75-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता की ग्राम पंचायत दिवैनी चकबन्दी प्रक्रिया में शामिल है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि उक्त ग्राम पंचायत की समस्याओं के समाधान हेतु चकबन्दी प्रक्रिया कब तक पूर्ण कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] आगे देखें नत्थी 'च' पृष्ठ संख्या-313-316 पर।

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम दिवैनी को वर्ष 2018 में चकबन्दी प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया, किन्तु कृषकों द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। चकबन्दी कराये जाने के लिए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद पीठ, लखनऊ में पी0आई0एल0 सिविल संख्या-8497/2021 गुलाम रब्बानी सिद्दीकी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25-03-2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध याची द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील (डिफेक्टिव) संख्या-270/2021 गुलाम रब्बानी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12-08-2021 द्वारा इन्स्ट्रक्शन मांगा गया। दिनांक 07-09-2021 को इन्स्ट्रक्शन दाखिल कर दिये गये। उक्त स्पेशल अपील अभी न्यायालय में लम्बित है। कृषकों द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया का विरोध किये जाने के दृष्टिगत ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

तहसील मुख्यालय बिलारी, जिला मुरादाबाद के अधिवक्ता हॉल में ग्राम न्यायालय आरम्भ कराए जाने सम्बन्धी

76-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या मुख्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के बिलारी तहसील मुख्यालय पर वैकल्पिक भवन के तौर पर अधिवक्ता हॉल में ग्राम न्यायालय प्रारम्भ करने की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी निश्चित अवधि में ग्राम न्यायालय का आरम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत तहसील बिलारी स्थित अधिवक्ता भवन को ग्राम न्यायालय, तहसील बिलारी में परिवर्तन करने का कार्य लगभग 95 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मा0 उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा अधिसूचना निर्गतोपरान्त ग्राम न्यायालय क्रियाशील हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बिलारी विधान सभा अन्तर्गत मोहम्मद इब्राहिमपुर के पंचायत भवन व सुलभ शौचालय संयुक्त प्रांगण में सी0सी0 टाइल्स बिछाने सम्बन्धी

77-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत ग्राम मोहम्मद इब्राहिमपुर में बने पंचायत भवन व सुलभ शौचालय कॉम्पलेक्स के संयुक्त प्रांगण में सी0सी0 टाइल्स बिछवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

ग्राम पंचायत मौहम्मद इब्राहिमपुर में पंचायत भवन व सुलभ शौचालय के अन्दर सिरेमिक टाईल्स का कार्य पूर्ण है। पंचायत भवन व सुलभ शौचालय कॉम्पलेक्स के प्रांगण में मिट्टी भराव डलवाकर लेविल करा दिया गया है। पंचायत भवन व सुलभ शौचालय कॉम्पलेक्स के प्रांगण में इण्टरलॉकिंग का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सर्वाधिक अपराध दर वाले जिलों में अपराध दरों को कम करने हेतु कार्य योजना की जानकारी सम्बन्धी

78-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध दर की अधिकता में प्रथम तीन स्थानों पर प्रदेश के कौन-कौन से जिले हैं ? क्या सरकार की उक्त जिलों में अपराध दर को कम करने हेतु कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में अपराध गाजियाबाद, लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर में पंजीकृत हुए हैं। अपराध नियंत्रण के साथ-साथ अपराधों के पंजीकरण पर निरन्तर जोर दिया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि सभी बड़े जनपद हैं।

गौतमबुद्धनगर व लखनऊ में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गयी है। नई व्यवस्था लागू कर अपराध में कमी लायी गयी है। प्रत्येक जनपद में जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करने एवं अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नांकित कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है-

अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये जाने हेतु प्रत्येक जोन के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से गहन समीक्षा/गोष्ठी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जा रहे हैं।

हत्या, बलवा व अन्य शरीर सम्बन्धी अपराधों के कारणों को चिन्हित कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने तथा विवेचनाओं का गुणवत्तापरक निस्तारण करते हुए गुण-दोष के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित करते हुए अभियोग में प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराने एवं अभियुक्तों के शस्त्र लाइसेंस का निरस्तीकरण/शस्त्र जमा कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

लूट/डकैती के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से बाजारों में पुलिस की चौकसी और पेट्रोलिंग/पिकेट व्यवस्था बढ़ायी गयी है तथा बाजारों के मुख्य स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। डकैती व लूट की घटना करने वाले गैंगों व व्यक्तियों के विरुद्ध लम्बित अभियोगों में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए उनको निष्क्रिय करने की कार्यवाही की जा रही है।

महिलाओं एवं बच्चियों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु एक समग्र अभियान 'मिशन शक्ति' विशेष रूप से चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से ग्राम स्तर तक पुलिसजन के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही महिला पुलिस बीटों का निर्धारण करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों तक सक्रिय किया गया है। प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है, जिसमें पीड़ित महिलाओं एवं शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया जा रहा है।

सक्रिय संगठित अपराधी गिरोहों का चिन्हांकन करते हुए उनके सम्बन्ध में गैंगचार्ट व डोजियर तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। ऐसे अपराधियों के शस्त्र लाइसेन्सों का निरस्तीकरण करते हुए उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियों की गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही भी करायी जा रही है।

नये गैंगों का चिन्हीकरण कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

बीट व्यवस्था को सुदृढ़ कर थाना स्तर पर ग्राम/मोहल्लों में प्रचलित अथवा उत्पन्न तनाव अथवा विवादों को हल्का उपनिरीक्षक/बीट आरक्षी द्वारा प्रकरण की निगरानी करने के निर्देश दिये गये हैं।

लम्बित विवेचनाओं के गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

चोरी, लूट, डकैती तथा महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों को रात्रि गश्त व फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ललितपुर विधान सभा क्षेत्र पूराकलां में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में

79-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के ग्राम पूराकलां में वर्ष 2019 में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में

80-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर में पर्याप्त महाविद्यालय हैं, जहां छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर में 03 राजकीय महाविद्यालय, 01 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 11 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त के अतिरिक्त मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-ललितपुर में राजकीय महाविद्यालय जखौरा, ललितपुर निर्माणाधीन हैं। उपर्युक्त महाविद्यालयों द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र की छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत हलवा खण्ड नहर के पक्की करण, दोनों तरफ रोड एवं नाली निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-8259/04/2022, दिनांक 11-04-2022 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

81-श्री सुरेन्द्र मैथानी-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत बस्ती के बीच से गुजरने वाली हलवा खण्ड नहर के पक्कीकरण एवं दोनों तरफ रोड एवं नाली निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 8259/04/2022 दिनांक 11-04-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत बस्ती के बीच से गुजरने वाली हलवा खण्ड नहर के आन्तरिक भाग का पुनरोद्धार एवं पक्कीकरण की परियोजना का प्रस्ताव नगर निगम, कानपुर को दिनांक 17-08-2020 प्रेषित किया गया था, परन्तु दिनांक 13-05-2022 को आयोजित दिशा की बैठक जिसमें श्री सुरेन्द्र मैथानी, मा0 सदस्य, विधान सभा भी उपस्थित थे, में नगर निगम, कानपुर के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य नगर निगम, कानपुर द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है।

अतः विषयक कार्यों को सम्पादित कराये जाने हेतु एक परियोजना सिंचाई विभाग द्वारा गठित की गयी है। वर्तमान में परियोजना परीक्षण स्तर पर है।

उपरोक्तानुसार।

जनता के इन्वेस्टमेन्ट का पैसा लेकर फरार शाइन सिटी कम्पनी के एम0डी0 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

82-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शाइन सिटी कम्पनी द्वारा इन्वेस्टरों का पैसा लेकर फरार होने की जानकारी सरकार को है ? क्या सरकार बतायेगी कि कम्पनी के खिलाफ लखनऊ तथा प्रदेश के अन्य जिलों के कितने थानों में मुकदमे दर्ज हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शाइन सिटी कम्पनी के सी0एम0डी0 एवं अध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

कम्पनी के खिलाफ लखनऊ तथा प्रदेश के अन्य जिलों के 15 थानों में 448 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी विवेचना आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन, उ0प्र0 द्वारा की जा रही है।

शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कम्पनीज के मुख्य अभियुक्त सी0एम0डी0 श्री आसिफ नसीम के विरुद्ध धारा-83 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 01-11-2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। कम्पनी के एम0डी0 श्री राशिद नसीम का पासपोर्ट निरस्त कराया गया है तथा धारा-83 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही की गयी है। इनके दुबई में रहने की सूचना प्राप्त होने पर इनके प्रत्यर्पण हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में बाढ़ से प्रभावित ग्रामीण अंचल के लिए कार्य योजना बनाये जाने विषयक

83-श्री विवेकानन्द पाण्डेय

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा नारायणी नदी की बाढ़ से उक्त क्षेत्र के ग्रामीण अंचल प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो

क्या सरकार जनहित में उक्त क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित ग्रामीण अंचल के विकास हेतु विशेष कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां, विधान सभा क्षेत्र खड्डा के ग्रामीण अंचल का 5045.78 हे0 एरिया प्रभावित होता है।

ग्राम्य विकास विभाग बाढ़ नियंत्रण/सुरक्षा हेतु नोडल विभाग नहीं है तथापि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विकास हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा में विभिन्न श्रेणियों में तथा लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत कार्य कराया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य/केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्य कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में नवतार बन्धे पर रेगुलेटर निर्माण कराने के सम्बन्ध में

84-श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत छितौनी नवतार बन्धे पर रेगुलेटर निर्माण न होने के कारण उक्त क्षेत्र की लगभग 50 हजार आबादी तथा कई सौ एकड़ फसल जलमग्न से प्रभावित होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार छितौनी नवतार बन्धे पर रेगुलेटर निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद कुशीनगर में बाढ़ खण्ड, कुशीनगर के नियंत्रणाधीन नवतार तट बन्ध की कुल लम्बाई 3.220 कि0मी0 है। प्रश्नगत तट बन्ध के कि0मी0 1.750 पर पूर्व से ही एक अदद पांच बैरल फ्लैपर गेट रेगुलेटर निर्मित है, जिसकी क्षमता कालान्तर में सिल्टिंग इत्यादि के कारण कम हो गयी थी। वर्ष 2022-23 में पूर्व निर्मित उक्त रेगुलेटर की सफाई एवं इसके डाउनस्ट्रीम में ड्रेन की पुनर्स्थापना का कार्य करके रेगुलेटर क्रियाशील किया जा रहा है जिसके उपरान्त उक्त जल प्लावन की समस्या का समाधान हो जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में मामा तालाब के आगे स्थित तालाब पर भू-माफियाओं द्वारा किये कब्जे को हटाये जाने विषयक

85-श्री सुरेन्द्र मैथानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत मामा तालाब के आगे मसवानपुर स्थित सदियों पुराने तालाब पर भू-माफियाओं के अवैध कब्जे को हटाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 8322/04/2022, दिनांकित 11-04-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार प्रकरण की स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक से कराई गयी, जिसमें पाया गया कि नकटी तालाब की भूमि के चारों ओर घनी आबादी के रूप में मकान एवं रास्ते आदि पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, जिसके बीच में लगभग 1200 वर्ग मीटर भूमि समतल एवं रिक्त पड़ी है, जिसे आस-पास के लोगों से पूछ-ताछ में 'नकटी तालाब' के नाम से कहा जाने वाला स्थल बताया गया, जो कि ग्राम-मोहसिनपुर की पुरानी आबादी की आराजी सं0-520 मि0 में स्थित है। राजस्व अभिलेखों में ग्राम-मोहसिनपुर की आराजी सं0-520 में कोई भी तालाब दर्ज नहीं है। तहसील अभिलेखागार में उपलब्ध सन् 1359फ0 के खसरे का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि आराजी सं0-520 रकबा 138 बीघा 01 बिस्वा आबादी के रूप में विभिन्न मोहालों में दर्ज है तथा किसी तालाब का उल्लेख नहीं है एवं ग्राम-मोहसिनपुर की वर्तमान खतौनी सन् 1425फ0 से 1430फ0 में आराजी सं0-520 मि0 में रकबा 6.9760 हे0 आबादी के नाम, रकबा 0.1020 हे0 कब्रिस्तान के नाम, रकबा 0.2050 हे0 राष्ट्रीय शिक्षा समिति के नाम एवं रकबा 1.007 हे0 विभिन्न खातेदारों के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। इसके अतिरिक्त रकबा 19.9930 हे0 नान जेड0ए0 खसरा/खतौनी में अनेक खातेदारों के नाम व आबादी, कब्रिस्तान आदि के नाम दर्ज है। आराजी सं0-520 मिनजुमला नम्बर है, जिसमें खातेदार के मध्य कोई सरकारी बंटवारा अभिलेखों में अंकित नहीं है तथा राजस्व ग्राम-मोहसिनपुर कानपुर नगर निगम/कानपुर विकास प्रधिकरण के प्रबन्धन में शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत है। अतः प्रकरण में कार्यवाही कानपुर नगर निगम/कानपुर विकास प्राधिकरण के स्तर से अपेक्षित है।

सचिव, कानपुर विकास प्रधिकरण के पत्र संख्या-163/सचिव/पीए/काविप्रा/2022, दिनांक 18-05-2022 द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखागार ग्राम-मोहसिनपुर की खतौनी फसली वर्ष 1348 के मुआयना के अनुसार आराजी

सं0-520 रकबा 138 बीघा 1 बिस्वा आबादी के रूप में दर्ज भूमि है। आराजी संख्या में तालाब के नाम दर्ज अभिलेख नहीं है। वर्तमान खतौनी फसली वर्ष 1425-1430 में आराजी सं0-520मि0 रकबा 6.97 हे0 आबादी के खाते में, रकबा-0.102हे0 कब्रिस्तान के नाम, रकबा 1.212हे0 विभिन्न खातेदारों के नाम संक्रमणीय भूमि दर्ज है। वर्तमान खतौनी में भी कोई तालाब दर्ज नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी पेयजल पुनर्गठन योजना के निर्माण एवं एम0ओ0यू0 के गठन की अनुमति के सम्बन्ध में

86-श्री रवि शर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत झांसी पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 एवं फेज-2 हेतु वांछित रॉ-वॉटर एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु अनुमति/अनापत्ति की कार्यवाही लम्बित होने के कारण सी0पी0 टैंक एवं सब-स्टेशन के निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के निर्माण एवं एम0ओ0यू0 के गठन की अनुमति के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजमार्ग-91, कानपुर-कन्नौज सेक्टर 4/6 लेन चौड़ीकरण की अधिग्रहण प्रक्रिया में बिना वैधानिक नोटिस तामील के कब्जे प्राप्त करने के सम्बन्ध में

87-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91, कानपुर-कन्नौज सेक्शन के 4/6 लेन चौड़ीकरण प्रक्रिया में भूमि अधिग्रहण के लिए बिना अभिनिर्णीत धनराशि के शत-प्रतिशत भुगतान एवं बिना वैधानिक नोटिस तामील किये कब्जे प्राप्त किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने भू-स्वामियों की कितनी भूमि पर ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91, कानपुर-कन्नौज सेक्शन के 4/6 लेन चौड़ीकरण में अर्जित की गई भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर की कुल मु0 1499.54 करोड़ धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिसे भूमि अर्जन से प्रभावित कुल 18816 कृषकों में भुगतान की जानी है, जिन्हें नियमानुसार प्रतिकर भुगतान से सम्बन्धित नोटिसें निर्गत कर 10499 भू-स्वामियों को मु0 1191.75 करोड़ धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष 8317 भू-स्वामियों को मु0 59.92 करोड़ प्रतिकर धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

एन0एच0ए0आई0 अधिनियम की धारा-3ई व एच के अन्तर्गत प्रभावित भू-स्वामियों को वैधानिक नोटिस निर्गत कर भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिग्रहण प्रक्रिया में अभिनिर्णय के उपरान्त अभिनिर्णीत धनराशि में कटौती करने एवं भुगतान न करने के सम्बन्ध में

88-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अधिग्रहण प्रक्रिया में अभिनिर्णय के उपरान्त अभिनिर्णीत धनराशि में कटौती करने एवं भुगतान न करने के प्राविधान हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय के उपरान्त अभिनिर्णीत धनराशि में कटौती करने का कोई प्रावधान नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में आगजनी से जले मकान, फसल, झोपड़ी की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में

89-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में मार्च 2017 से 13 अप्रैल 2022 तक आगजनी से कितनी फसल, मकान व झोपड़ी जल कर नष्ट हुए हैं ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि उक्त की क्षतिपूर्ति हेतु कितना धन मुआवजे के रूप में दिया जा चुका है तथा कितना धन दिया जाना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में मार्च 2017 से 13 अप्रैल 2022 तक आगजनी से 45,492 हेक्टेयर फसल, 71 मकान व 111 झोपड़ी जल कर नष्ट हुए हैं।

उक्त हुई क्षति के लिए रु0 19,18,839/- की धनराशि अहैतुक सहायता के रूप में प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को वितरित की जा चुकी है तथा रु0 1,04,730/- की धनराशि वितरित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ की सरधना विधान सभा क्षेत्र में पानी की टंकियों के निर्माण एवं ग्राम सभाओं में लगे हैण्ड पम्पों की स्थिति के सम्बन्ध में

90-श्री अतुल प्रधान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ की सरधना विधान सभा क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल हेतु पानी की टंकी निर्माण का माप दण्ड तथा निर्धारण करने की प्रक्रिया का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त क्षेत्र की ग्राम सभाओं में कितने इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प स्थापित हैं तथा इनमें से कितने चालू हैं तथा कितने खराब हैं ? क्या सरकार खराब इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। ग्राम पंचायतों में एकल ग्राम एवं ग्राम समूह की पेयजल योजना बनाते समय उक्त ग्राम की वर्तमान जनसंख्या को अभिकल्पित वर्ष (डिजाइन पीरियड) के लिए गणना करके पानी की टंकी की क्षमता का निर्धारण, नलकूप का स्राव (डिस्चार्ज) एवं बिछाई जाने वाली पाइप लाइन की साइज को निर्धारित किया जाता है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के 122 ग्राम सम्मिलित हैं तथा क्षेत्र के शेष ग्रामों में पूर्व निर्मित पाइप पेयजल योजनाएं उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र सरधना में कुल 5,469 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में से 5,012 चालू हैं। कुल खराब 484 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत कराकर ठीक करा दिये गये हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

91-श्री रवि शर्मा-

[03-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-02 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में स्थित चारागाहों पर अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में

92-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित कतिपय चारागाहों पर अतिक्रमण होने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चारागाहों से अतिक्रमण हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

चारागाह भूमि सहित सभी प्रकार की सार्वजनिक भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने हेतु वर्ष 2017 से प्रदेश स्तर पर एण्टी भू-माफिया अभियान संचालित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 64690.72 हे0 क्षेत्रफल भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अवर अभियन्ताओं के राजपत्रित किये जाने सम्बन्धी जारी शासनादेश को जिला पंचायत राज अधिकारी पर भी लागू किये जाने विषयक

93-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्मिक अनुभाग-4 द्वारा अवर अभियन्ताओं को राजपत्रित किये जाने सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या-1661/47-का0-4-44 ई0एच0-85 दिनांक 11 मार्च, 1999 क्या पंचायत राज विभाग में कार्यरत सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी पर भी लागू है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

अवर अभियन्ताओं को राजपत्रित किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-4 द्वारा शासनादेश संख्या-1661/47-का0-4-44 ई0एच0-85 दिनांक 11 मार्च, 1999 निर्गत किया गया है, जिसमें यह व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश शसान के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत ऐसे समस्त अवर अभियन्ताओं को, जिन्होंने 16 वर्ष की सेवा-अवधि पूरी कर ली है तथा जिन्हें सहायक अभियन्ता के पद का वेतनमान प्राप्त हो रहा है, को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान की जाये। पंचायती राज विभाग में कार्यरत सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी प्राविधिक के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश में कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

94-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

केवल आरोप के आधार पर मकान या सम्पत्ति नष्ट करने की अनुमति देने वाले कानून की जानकारी

95-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में केवल आरोप के आधार पर किसी के मकान या सम्पत्ति नष्ट करने की अनुमति देने वाले कानून का ब्यौरा सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्न नहीं उठता।

सभी कार्यवाहियां विधि अनुसार की जाती हैं।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की संगठित अपराधियों तथा गिरोहबन्द के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अधीन दृढ़तापूर्वक कार्यवाही की जाती है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के दौरान ऐसे संगठित अपराधियों तथा गिरोहबन्द द्वारा अर्जित जंगम व स्थावर सम्पत्ति और उसके अर्जन स्रोत का सम्यक अन्वेषण किया जाता है तथा गिरोहबन्द के आय के ज्ञात स्रोतों व गिरोह द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन उल्लिखित अपराध करके गिरोह द्वारा कृत बेनामी संव्यवहारों का विस्तृत विवरण व तत्सम्बन्धी साक्ष्य संग्रहीत किये जाते हैं तथा उक्त सम्पत्तियां अधिनियम की धारा-14 व अनुवर्ती धाराओं के अनुसार कुर्क तथा अधिहरित की जाती है।

यदि उक्त प्रक्रिया के मध्य यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उक्त अचल सम्पत्ति में सम्मिलित कोई भवन, निर्माण, संरचना, परिसर अविधितः निर्मित है यथा राजकीय तालाबों, नदी, जल सारिणी के ऊपर निर्मित हैं या निर्माण जनजीवन को परिसंकट में डालता है या स्थानीय निकायों व अन्य प्राधिकरणों इत्यादि की विधियों के प्रतिकूलतः अवैध रूप से निर्मित किया जाता है, तो तत्सम्बन्धी विकास प्राधिकरण व स्थानीय निकाय द्वारा सम्बन्धित विधियों के अधीन उक्त का यथास्थिति अभिग्रहण, ध्वस्तीकरण आदि की कार्यवाहियां सम्पादित की जाती हैं।

प्रदेश में भू-जल को दूषित करने वाले कारकों तथा दूषित करने वालों के विरुद्ध कानूनी प्रावधान की जानकारी सम्बन्धी

96-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू-जल को दूषित करने के कौन-कौन से कारक हैं ? क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश में भू-जल को दूषित करने पर अंकुश

लगाने हेतु कोई कानून प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु कानून बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

प्रदेश में भू-जल को दूषित करने के कुछ मुख्य कारक निम्न हैं-यथा घरेलू/व्यवसायिक/चिकित्सकीय अपशिष्टों का अनियंत्रित/अव्यवस्थित निस्तारण, उद्योगों इत्यादि द्वारा निस्तारित अपशिष्टों का अनियोजित निस्तारण, भूमि पर अपशिष्टों के ढेर से सन्दूषक पदार्थों का भूमि के अन्दर घुलकर जलभृत्तों में रिसाव इत्यादि।

भू-जल को दूषित करने पर अंकुश लगाने हेतु भू-गर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 प्रदेश में प्रचलित है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में कोई उपयोक्ता (वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भू-गर्भ जल उपयोक्ता) द्वारा भू-गर्भ जल एवं इसकी गुणवत्ता को प्रदूषित करता है तथा पेयजल आपूर्ति हेतु गुणवत्ता पूरक परिक्षेत्रों को प्रदूषित करता है या पाया जाता है तो अधिनियम की धारा 26, 27, 28 व 29 में भू-गर्भ जल का प्रदूषण-निवारण हेतु प्राविधान किये गये हैं एवं इसके उल्लंघन पश्चात् अधिनियम की धारा-39 की उपधारा-2 में दण्ड का प्राविधान निहित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरसात के मौसम में आने वाली बाढ़ से उत्तर प्रदेश की विभिन्न नदियों के तट बन्ध (किनारों) को पक्का कराने के सम्बन्ध में

97-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ से नदियों के किनारों पर खेती की जमीन की कटान को रोकने के लिए नदियों के तट बन्ध (किनारों) को पक्का कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम तुख्मापुर जग्गुवाला आदि ग्रामों के निकट खो नदी के किनारों पर भी बान्ध बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम तुख्मापुर जग्गुवाला आदि ग्रामों के निकट खो नदी के किनारों पर भी बांध (बन्ध) की बनाने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी में एरच बांध परियोजना को समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

98-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में एरच बांध परियोजना का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परियोजना को समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

एरच बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना की जांच प्रचलित होने के कारण निर्माण कार्य 04/2017 से बन्द है। बांध की गुणवत्ता एवं भौतिक जांच का कार्य टी0ए0सी0 सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन (ई0ओ0डब्लू0) द्वारा भी जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर परियोजना के निर्माण कार्य सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी की गुरसराय मुख्य नहर के गढ़वाई, भसनेह तथा एरच रजबहों में टेल तक पानी पहुंचाने की योजना के सम्बन्ध में

99-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गुरसराय मुख्य नहर के गढ़वाई, भसनेह तथा एरच रजबहों में टेल तक पानी न पहुंचाने से किसानों की फसलें सूख जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रजबहों में टेल तक पानी पहुंचाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गुरसराय नहर प्रणाली की कुल लम्बाई 295.26 कि0मी0 है। प्रणाली की प्रस्तावित सिंचाई 19232 हेक्टेयर के सापेक्ष प्रतिवर्ष औसतन 26500 हेक्टेयर सींच की जाती है।

गढ़वई, राजवाहा एवं भसनेह राजवाहा गुरसराय मुख्य नहर के कि0मी0 52.400 तथा एरच राजवाहा कि0मी0 40.712 से उदगमित होती है। इन नहरों की प्रस्तावित टेल तक प्रति वर्ष पानी पहुंचाया जाता है।

जनपद झांसी की गरौठा तहसील में किसानों को उनकी फसलों की सिंचाई के लिए कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

100-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा तहसील में किसानों की आय बढ़ाने के दृष्टिगत उनकी खाद्यान्न फसलों की सिंचाई के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद झांसी की गरौठा तहसील में बड़वार नहर प्रणाली की 09 नहरों एवं गुरसराय नहर प्रणाली की 32 नहरों जिनकी कुल लम्बाई 230 कि0मी0 तथा नहरों की प्रस्तावित सिंचन क्षमता 17254 हेक्टेयर है, के विरुद्ध प्रतिवर्ष औसतन लगभग 15051 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। गरौठा तहसील क्षेत्र में स्थित बड़वार नहर प्रणाली जो बड़वार झील से पोषित होती है तथा क्षेत्र में कम वर्षा के कारण प्रति वर्ष झील पूर्ण क्षमता तक न भर पाने के कारण बड़वार नहर प्रणाली बड़वार झील को भरने हेतु गुरसराय मुख्य नहर के कि0मी0 45.066 से उदगमित बड़वार पोषक नहर परियोजना निर्माणाधीन है।

उपरोक्तानुसार

जनपद झांसी की गुरसराय मुख्य नहर से भस्नेह बांध व बड़वार झील को भरने हेतु पोषक नहर का निर्माण विषयक

101-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गुरसराय मुख्य नहर से भस्नेह बांध व बड़वार झील को भरने हेतु पोषक नहर का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर का निर्माण कार्य समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की तहसील सदर, लखनऊ, परगना काकोरी के अन्तर्गत ग्राम बेढौना से किसान पथ मार्ग होते हुए नन्हक्के व श्री विनोद के खेत के मध्य निकले नाली व चक रोड को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर निशानदेही/हदबन्दी कराकर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक

102-श्री अमित सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील सदर, परगना काकोरी के अन्तर्गत ग्राम बेढौना से किसान पथ मार्ग से होते हुए नन्हक्के पुत्र श्री प्रभू के खेत गाटा संख्या-244 व श्री विनोद के खेत के मध्य निकले चक रोड व नाली पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर नाली व चक रोड को संकरा कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली व चक रोड पर से अवैध कब्जे हटाकर उक्त की राजस्व अभिलेखानुसार निशानदेही/हदबन्दी कराकर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजस्व के विवादों का मौके पर सक्षम अधिकारी द्वारा निपटारा करने तथा राजस्व विवादों की शिकायतों को पुलिस के पास भेजने की वैधानिक व्यवस्था विषयक

103-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजस्व विवादों का मौके पर सक्षम अधिकारी द्वारा निपटारा करने का प्राविधान तथा राजस्व विवादों की शिकायतों को पुलिस के पास भेजने की वैधानिक व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

इस सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-25 (मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार), धारा-26 (अवरोध का हटाया जाना) तथा धारा-129(1) (आवंटिती या सरकारी पट्टेदार को कब्जा देने की बहाली) में प्राविधान दिये गये हैं, जो संलग्न हैं।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

[†] छापा नहीं गया।

आजमगढ़ के विकास खण्डों जहानाबाद, रानी की सराय तथा तरवां में वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत चयनितों का विवरण देने के सम्बन्ध में

104-श्री अखिलेश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के विकास खण्डों जहानाबाद, रानी की सराय तथा तरवां में वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में कितने लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत चयन किया गया ? क्या सरकार वर्षवार चयनितों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड जहानाबाद में वर्ष 2020-21 में 12 आवास एवं वर्ष 2021-22 में 02 आवास, विकास खण्ड रानी की सराय में वर्ष 2020-21 में 47 आवास तथा वर्ष 2021-22 में 11 आवास तथा विकास खण्ड तरवां में वर्ष 2020-21 में 03 आवास आवंटित किये गये हैं। विकास खण्ड तरवां में वर्ष 2021-22 में कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं है।

जी हां। लाभार्थियों की सूची संलग्न है[†]।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के ब्लाक खजुहा के ग्राम दरौटा लालपुर (साधु घ्यारह) मार्ग का इण्टरलॉकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में

105-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के ब्लाक खजुहा के ग्राम दरौटा लालपुर (साधु घ्यारह) में शिवबहादुर सिंह कछवाह के घर के बगल से अजय सिंह कछवार के घर के पीछे तक का मार्ग का इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

उक्त मार्ग के स्थलीय सत्यापन में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त रास्ते में शिवभूषण सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह एवं श्री शिव बहादुर सिंह पुत्र स्व0 श्री कंसदेव सिंह जो भाई पट्टीदार हैं, दोनों पक्षों में भूमि के सीमांकन को लेकर आपसी विवाद है। दोनों पक्ष बिना भूमि

[†] नोटः- देखें नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ सं0-320-323 पर।

सीमांकन के रास्ते के निर्माण हेतु सहमत नहीं हैं, जिसके कारण ग्राम पंचायत द्वारा उक्त स्थल पर इण्टरलॉकिंग एवं नाली का नर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया में 2018 से अब तक जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूलों में तैनात सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की मृत्यु के पश्चात् आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में

106-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में 2018 से दिनांक 17-04-2022 तक जूनियर हाई स्कूलों, प्राइमरी स्कूलों में तैनात सहायक अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों की मृत्यु सेवा काल में हुई है तथा कितने मृतकों के आश्रितों को नियुक्ति दे दी गयी है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

67- नियुक्ति-पत्र कुल निर्गत जो निम्नवत हैं-

55 अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र निर्गत कर दिये गये हैं।

05 मृतक आश्रितों के आवेदन निरस्त किये गये हैं।

07 मृतक आश्रितों द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया, मऊ के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में रिक्त अध्यापकों के पद के सम्बन्ध में

107-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया, मऊ के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जनपद बलिया में प्रवक्ता के 82 पद एवं सहायक अध्यापक के 130 पद रिक्त तथा जनपद मऊ में प्रवक्ता के 33 पद एवं सहायक अध्यापक के 54 पद रिक्त हैं।

जनपद मऊ एवं बलिया के अध्यापकों का विवरण :-

जनपद का नाम	पदनाम	रिक्त पद
बलिया	प्रवक्ता	82
	सहायक अध्यापक	130
मऊ	प्रवक्ता	33
	सहायक अध्यापक	54

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में स्थानान्तरण नीति के विपरीत तैनात सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और अवर अभियन्ता की जांच कराकर स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में

108-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में स्थानान्तरण नीति के विपरीत कितने सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और अवर अभियन्ता तैनात है ? क्या सरकार उक्त को चिन्हित कर इनका स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

वर्तमान सत्र हेतु शासन द्वारा अभी तक स्थानान्तरण नीति प्रख्यापित नहीं की गई है। विगत स्थानान्तरण नीति के अनुसार जनपद लखीमपुर खीरी में कोई अधिशासी अभियन्ता और अवर अभियन्ता स्थानान्तरण नीति की परिधि में नहीं है।

स्थानान्तरण नीति प्रख्यापित होने के पश्चात् तदनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

मुरादाबाद स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक में विश्वविद्यालय खोले जाने की योजना के सम्बन्ध में

109-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक में विश्वविद्यालय स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत विश्वविद्यालय स्थापित करने का सम्प्रति कोई निर्णय नहीं है।

प्रदेश में तालाबों से अवैध कब्जे हटाने के लिए विशेष सेल गठन की जानकारी के सम्बन्ध में

110-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तालाबों की भूमि से शत-प्रतिशत अवैध कब्जा मुक्ति हेतु विशेष सेल गठित की गई है ? यदि हां, तो उक्त सेल द्वारा विगत 3 वर्षों में कितने तालाबों से कब्जे हटवाये गये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार तालाबों को कब्जा मुक्त करने हेतु विशेष सेल गठित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

शासनादेश संख्या-142/एक-2-2060-6(रिट)/2020, दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

अद्यतन सूचना के अनुसार तालाब/झील/अन्य वाटर बॉडीज के कुल 19926.60 हे0 क्षेत्रफल में से 2622.89 हे0 क्षेत्रफल को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में कच्ची नहर को गोमती रिवर फ्रन्ट की तर्ज पर बनाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-8262/04/2022, दिनांक 11-04-2022 पर कृत कार्रवाई की जानकारी

111-श्री सुरेन्द्र मैथानी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत नौरैय्या खेड़ा पुल से सी0टी0आई0 चौराहा पुल तक कच्ची नहर को गोमती रिवर फ्रन्ट की तर्ज पर बनाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-8262/04/2022 दिनांकित 11-04-2022 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत नौरैय्या खेड़ा पुल से सी0टी0आई0 चौराहा पुल तक कच्ची नहर को गोमती रिवर फ्रन्ट की तर्ज पर बनाने की सिंचाई विभाग की कोई योजना नहीं है।

हलवाखाण्डा नहर के दोनों ओर शहरीकरण हो जाने के कारण, रिवर फ्रन्ट की तरह कोई योजना बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है। नहर के किनारे रिवर फ्रन्ट जैसी योजना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

जनपद मेरठ के दादरी गांव में निर्माणाधीन डिग्री कालेज के निर्माण हेतु वर्ष 2017-2022 तक आवंटित धनराशि एवं निर्माण की समय-सीमा व शिक्षकों की भर्ती के सम्बन्ध में

112-श्री अतुल प्रधान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के दादरी गांव में निर्माणाधीन डिग्री कालेज के लिए वर्तमान तक कितनी धनराशि आवंटित की जा चुकी है ? क्या सरकार ने डिग्री कालेज के निर्माण पूर्ण होने की कोई समय-सीमा निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2017-2022 तक उ0प्र0 विश्वविद्यालय में कितने असिस्टेन्ट प्रोफेसर तथा शिक्षकों की भर्ती हुई है तथा उक्त चयन में सामान्य/पिछड़ी व एस0सी0, एस0टी0 की संख्या कितनी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

उक्त महाविद्यालय की मूल्यांकित लागत रु0 1085.00 लाख के सापेक्ष रु0 501.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

जी हां।

एक वर्ष।

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में वर्ष 2017-2022 तक शिक्षकों (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर) की भर्ती/चयन का विवरण निम्नवत् है-

कुल शिक्षक संख्या-468

सामान्य वर्ग संख्या-263

अन्य पिछड़ा वर्ग-125

अनुसूचित जाति-72

अनुसूचित जनजाति-0

उक्त अवधि में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर भर्ती/चयन का विवरण-

कुल शिक्षक संख्या-326

सामान्य वर्ग संख्या-164

अन्य पिछड़ा वर्ग-96

अनुसूचित जाति-59

अनुसूचित जनजाति-0

प्रश्न नहीं उठता।

113-श्री अतुल प्रधान-

[03-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सरेनी विधान सभा क्षेत्र जनपद रायबरेली में खजूरगांव रजबहा में जल आपूर्ति के सम्बन्ध में

114-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में खजूरगांव रजबहा कब स्थापित की गयी एवं इसकी लम्बाई कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त रजबहा से अन्य जनपद भी सेवित है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त रजबहा में जल आपूर्ति के अभाव की पूर्ति हेतु डलमऊ बी पम्प लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस वर्ष में लागू की गई तथा कितने क्षमता के पम्प से कितने क्यूसेक पानी नहर में छोड़ा जाता है ? क्या यह सही है कि गंगा जी के जल स्तर से यह परियोजना प्रभावित व निष्क्रिय हो जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई नवीन तकनीकी योजना लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद रायबरेली में खजूरगांव रजबहा की स्थापना वर्ष 1932 में की गयी थी। रजबहा की कुल लम्बाई 22.000 कि0मी0 टेलगूल सहित लम्बाई 28.600 कि0मी0 है।

खजूरगांव रजबहा का कि0मी0 0.000 से कि0मी0 7.000 तक जनपद उन्नाव में एवं कि0मी0 7.000 से 28.600 तक जनपद रायबरेली में पड़ता है। उक्त रजबहा से जनपद उन्नाव एवं जनपद रायबरेली के क्रमशः तहसील बीघापुर एवं तहसील लालगंज में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

उक्त रजबहा में जलापूर्ति के अभाव की पूर्ति हेतु डलमऊ 'बी' पम्प लिफ्ट सिंचाई परियोजना वर्ष 1984-85 में लागू की गयी थी, जिसमें 60 क्यूसेक क्षमता के 905 पम्प तथा 60 क्यूसेक के 02 पम्प स्टैण्डबाई के रूप में बार्ज पर स्थापित हैं। बार्ज आधारित पूर्व 05 पम्प अपना निर्धारित समय पूर्ण कर चुके हैं। वर्तमान में इन पम्पों की क्षमता आधे से भी कम रह गयी है, जिसके कारण डलमऊ 'बी' पम्प नहर परिकल्पित डिस्चार्ज 300 क्यूसेक के स्थान पर 100 क्यूसेक पर संचालित होने के फलस्वरूप प्रश्नगत क्षेत्र की सिंचाई प्रभावित होती है।

चौ0 चरण सिंह डलमऊ 'बी' पम्प नहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बार्ज पर स्थापित होने के कारण गंगा नदी के जल स्तर से प्रभावित होती है। उक्त परियोजना में स्थापित पम्पों का निर्धारित समय पूर्ण होने से पम्पों की क्षमता एवं दक्षता प्रभावित हो गयी है। वर्तमान में परियोजना निष्क्रिय नहीं है।

उक्त समस्या के समाधान हेतु बार्ज आधारित परियोजना को पुनरीक्षित कर नई परियोजना प्रस्तावित है, जिस पर स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त समस्या के समाधान हेतु प्रस्तावित पुनरीक्षित परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त धनावंटन कराकर परियोजना के प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो जाने पर खजूरगांव में सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के ग्राम सभा आशापुर में आराजी नम्बर-218/0.016 हे0 को दबंगों केअवैध कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में

115-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील केराकत के ग्राम सभा आशापुर में आराजी नम्बर 218/0.016 हे0 जो कि नवीन परती दर्ज है, पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर अवैध कब्जे को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम आशापुर तहसील केराकत में आराजी नम्बर 218/0.016 हे0 नवीन परती की भूमि को आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी वाद सं0-टी-202114360500892 समदेई बनाम गांव सभा अन्तर्गत धारा-67(क) उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 ता0फै0 30-04-2021 को आराजी नम्बर 218/0.016 हे0 में से 0.008 हे0 तथा वाद संख्या टी-202114360500893 अशोक कुमार बनाम गांव सभा में ता0फै0 30-04-2021 को आराजी नम्बर 218/0.016 हे0 में से 0.008 हे0 नवीन परती खाते से निरस्त करते हुए श्रेणी-6(2) आबादी दर्ज किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्राम सभा की जमीन पर 50 साल से बसी आबादी का संज्ञान लेकर आबादी खाते में दर्ज कराने के सम्बन्ध में

116-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम सभा की जमीन पर विगत 50 वर्षों से बसी आबादी का संज्ञान लेकर उक्त भूमि को आबादी खाते में दर्ज कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राजस्व संहिता-2006 की धारा-67(क) के अन्तर्गत ग्राम सभा की जमीन पर बसे हुए व्यक्तियों के लिए निम्न व्यवस्था दी गयी है-

कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बन्दोबस्त -(1) यदि धारा-64 की उपधारा-(1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने जो इस संहिता की धारा-63 में निर्दिष्ट किसी भूमि पर जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित न हो, कोई गृह निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवम्बर, 2012 को विद्यमान हो तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो विहित किये जायें, धृत किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-68 में प्राविधान किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में स्थित आरा ताल, जमुहायी ताल, कुकुहां तालों की अवैध कब्जों से मुक्त कराकर प्राकृतिक स्वरूप दिये जाने के सम्बन्ध में

117-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में स्थित आरा ताल, जमुहायी ताल, कुकुहां तालों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालों पर से अवैध कब्जों को हटाकर तालों को प्राकृतिक स्वरूप देने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रकरण में जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार स्थिति निम्नवत है-

ग्राम आरा, तहसील सदर, जिला जौनपुर में ताल खाते की कोई भूमि नहीं है। गाटा संख्या-602/82.095 हे0, 684/14.654 हे0, 975/32.731 हे0, तालाब खाते की भूमि है जो मौके पर ताल के स्वरूप में है। उक्त आराजी नं0 पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। मौके पर गाटा सं0-602, 684 व 975 खाली है।

ग्राम जमुहाई में आराजी नं0-331/1.390 हे0, 384/0.430 हे0, 471/0.591 हे0, 474/1.137 हे0, 481/0.940 हे0 व आराजी नं0-848ख/1.203 हे0 कुल 6 गाटा क्षेत्रफल 5.69 हे0 तालाब खाते की भूमि है। आराजी नं0 331 व 384 मौके पर पूर्णतः खाली है। आराजी नं0-471, 474, 481 व 848ख के आंशिक क्षेत्रफल पर ग्रामवासियों द्वारा किये गये अस्थाई अतिक्रमण के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार सदर के नेतृत्व में राजस्व टीम का गठन कर राजस्व/पुलिस टीम की उपस्थिति में तालाब के 0.450 हे0 भूमि पर से अतिक्रमण हटवा दिया गया है तथा उक्त तालाब पर सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी करंजाकला को निर्देशित कर दिया गया है।

ग्राम कुकुहां में स्थलीय व अभिलेखीय जांच में पाया गया कि उक्त ग्राम में ताल खाते की कोई भूमि अंकित नहीं है। गाटा संख्या-2289 छ/41.395 हे0, 2290 च/2.913 हे0, 2291/1.140 हे0 व 2572/0.004 हे0 झील खाते की भूमि जिसमें गाटा सं0-2291/1.140हे0 के आंशिक हिस्से पर अस्थायी अतिक्रमण पाया गया था जिसे दिनांक 17-05-2022 को राजस्व/पुलिस टीम द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में झील के सौन्दर्यीकरण हेतु खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता

प्रदेश में पुरानी दीवानी न्यायालयों हेतु नये भवन बनाने व जनपद जौनपुर दीवानी न्यायालय के भवन निर्माण हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में

118-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुरानी दीवानी न्यायालयों हेतु नये भवन बनाने की सरकार की कोई कार्य प्रचलित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य योजना जनपद जौनपुर दीवानी न्यायालय के भवन निर्माण हेतु धन आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी नहीं।

वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में नये निर्माण कार्य हेतु अभी बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण धनराशि अवमुक्त नहीं की जा सकी है। सम्प्रति जनपद जौनपुर में 16 कोर्ट रूम निर्माण कार्य विषयक प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

119-श्री अतुल प्रधान-

[03-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-04 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ की सरधना विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों व आवेदनों के सापेक्ष आवंटित आवासों के सम्बन्ध में

120-श्री अतुल प्रधान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ की सरधना विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदकों को वर्तमान

तक आवास प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास का आवंटन आवेदन-पत्र के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए तैयार की गयी स्थायी पात्रता सूची से आवास आवंटन की कार्यवाही की जाती है।

परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ की आख्या के अनुसार जनपद मेरठ की विधान सभा सरधना में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, 2011 एवं आवास प्लस पर अपलोड स्थायी पात्रता सूची में कुल 289 नाम हैं, जिसके सापेक्ष वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक कुल 121 परिवारों/लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास आवंटित किया गया है।

जी हां। लाभार्थियों की सूची संलग्न है[†]।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज गंगा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की हजारों एकड़ धान की फसल नष्ट होने के कारण मुआवजे के सम्बन्ध में

121-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 2021 में जनपद प्रयागराज की सोरांव तहसील के अन्तर्गत गंगा नदी में बाढ़ आने से गंगा के कछार के नरहा, झिंगहा, सिंघापुर, घासीपुर, मेडारा, मलकिया, सराय जयराम, पथरियापुर आदि सैकड़ों गांव की हजारों एकड़ धान की फसल बाढ़ में डूब कर नष्ट हो गई थी ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्षेत्रों में प्रभावित वर्तमान तक उक्त क्षति का किसानों को मुजावजा नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद-प्रयागराज की तहसील-सोरांव के अन्तर्गत गंगा के कछार के ग्रामों यथा-नरहा, झिंगड़ा, सिंघापुर, घासीपुर, मेंडारा, मलकिया, सराय जयराम, पथरियापुर आदि में वित्तीय वर्ष-2021-2022 के माह अगस्त, में आयी बाढ़ से धान की फसल की 15 प्रतिशत क्षति पायी गयी है।

[†] नोटः- देखें नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ सं0-324-328 पर।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-32-7/2014 एनडीएम-1, दिनांक 08-04-2015 द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार फसलों में 33 प्रतिशत से कम क्षति होने पर सहायता देय नहीं है।

उपरोक्तानुसार मुआवजा देने का औचित्य नहीं बनता है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर के परगना दादरी के ग्राम-सुथियाना में खाता सं0-00114 व 00115 से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में

122-श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के परगना दादरी के ग्राम-सुथियाना में स्थित खाता संख्या-00114 व 00115, खसरा संख्या-634 व 552 व क्षेत्रफल 1.0890 हे0 व 0.7220 पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम-सुथियाना, परगना दादरी, तहसील व जनपद गौतमबुद्धनगर के राजस्व अभिलेखों में खसरा संख्या-634, क्षेत्रफल 1.2890 हे0 पर श्री धर्मवीर पुत्र श्री तोता निवासी ग्राम विशनूली व अन्य खातेदारों का नाम बतौर सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है तथा खसरा संख्या-552 क्षेत्रफल-0.7220 हे0 पर श्री धर्मवीर पुत्र श्री तोता निवासी ग्राम विशनूली का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। खसरा संख्या-552 पर खातेदार श्री धर्मवीर बजरिये कृषि मौके पर काबिज है तथा खसरा संख्या-634 अधिकांश भाग में मूल खातेदार श्री धर्मवीर बजरिये कृषि काबिज है। खसरा संख्या-634 में आंशिक भाग पर श्री धर्मवीर पुत्र श्री तोता द्वारा प्लाटिंग करके बेचने का कार्य किया गया है, जिसमें मौके पर विक्रय के अनुसार चहारदीवारी आदि निर्मित है। स्थलीय जांच में अवैध कब्जे के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बिलरियागंज में मानीरपुर पिच रोड से इस्माइलपुर मार्ग का नवनिर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में

123-श्री नफीस अहमद-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में मानीरपुर पिच रोड से (नहर) इस्माइलपुर तक 03 कि0मी0 का मार्ग

का नवनिर्माण न होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नवनिर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नहर पटरियों के निरीक्षण हेतु बनी हैं जो अधिकांश कच्ची हैं तथा वर्तमान में आवागमन हेतु उपयोगी है। नहर पटरियों पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अपने संसाधनों की सुरक्षा एवं रख-रखाव के दृष्टिगत सड़क निर्माण का कार्य कराया जाता है।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में मानीरपुर (मसीरपुर) से इस्माइलपुर तक दोहरीघाट लिंक नहर के बांयी पटरी पर सड़क/मार्ग निर्माण की कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा नदी पर एरच बांध परियोजना को पुनः प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में

124-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा नदी पर एरच बांध परियोजना को पुनः प्रारम्भ कराने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-6, 705316, दिनांक 13 अप्रैल, 2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

एरच बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना की जांच प्रचलित होने के कारण निर्माण कार्य 04/2017 से बन्द है। बांध की गुणवत्ता एवं भौतिक जांच का कार्य टी0ए0सी0 सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन (ई0ओ0डब्लू0) द्वारा भी जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर परियोजना के निर्माण कार्य सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर, तहसील सदर स्थित ग्राम-कुल्हनामऊ में अवैध कब्जा हटाने तथा चकबन्दी प्रक्रिया को रोकने के सम्बन्ध में

125-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की सदर तहसील स्थित ग्राम-कुल्हनामऊ जो कि दो हाई-वे के मध्य स्थित में चकबन्दी का कार्य हो रहा है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त क्षेत्र में कतिपय स्थानों पर अवैध कब्जा कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार चकबन्दी प्रक्रिया को रोक कर अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी नहीं। कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया।

चूंकि कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया, इसलिए कब्जा हटाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान में मॉडल विद्यालय बनाने की कार्य योजना एवं जनपद जौनपुर में मॉडल विद्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में

126-श्री जगदीश नारायण-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मॉडल विद्यालय बनाये जाने की सरकार की कोई योजना संचालित है ? यदि हां, तो वर्तमान में कितने मॉडल विद्यालय बनाये गये हैं तथा उनमें से कितने संचालित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद जौनपुर में कितने मॉडल विद्यालयों का निर्माण किया गया तथा उनमें से कितने संचालित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

मॉडल विद्यालय बनाये जाने की कोई योजना सम्प्रति संचालित नहीं है।

(केन्द्र पुरोनिधानित मॉडल स्कूल योजना पूर्व में संचालित थी जो वर्ष 2014 में समाप्त कर दी गयी।)

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कुल 191 विद्यालय स्वीकृत किये गये थे। सम्प्रति 174 विद्यालय संचालित हैं।

जनपद जौनपुर में 01 मॉडल विद्यालय का निर्माण कराया गया। प्रश्नगत विद्यालय सम्प्रति संचालित नहीं है।

उक्त योजनान्तर्गत अढ़नपुर, मड़िआहूं, जनपद जौनपुर में मॉडल स्कूल स्वीकृत किया गया था, जिसका निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में कतिपय कमियां होने के कारण सम्प्रति विद्यालय हैण्डओवर नहीं हो पाया है।

जनपद आजमगढ़ क्षेत्र के गोपालपुर में सरकारी डिग्री कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में

127-श्री नफीस अहमद-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में सरकारी डिग्री कालेज के न होने से उक्त क्षेत्र के किसान, मजदूर एवं गरीब के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सरकारी डिग्री कालेज स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में पर्याप्त महाविद्यालय हैं, जहां छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में 02 राजकीय महाविद्यालय, 10 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 235 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में 14 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उपर्युक्त महाविद्यालयों द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र की छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में परशुरामपुर को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में

128-श्री नफीस अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड गोपालपुर में जनता के हितों को देखते हुए परशुरामपुर को तहसील बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शासनादेश/परिषदादेश के क्रम में तहसीलों के सृजन/परिसीमन के सम्बन्ध में निर्गत परिपत्र संख्या-1644/9-155बी/86 दिनांक 06-05-1987 में मानक के सम्बन्ध में मैदानी क्षेत्र

में लेखपाल हल्कों की संख्या-100 एवं 120 के मध्य निर्धारित की गयी है। वर्तमान तहसील सगड़ी में 190 लेखपाल क्षेत्र है, जिसमें प्रस्तावित नई तहसील परशुरामपुर में विभाजित होने के पश्चात् 90 लेखपाल क्षेत्र अधिकतम दिया जा सकता है। मानक पूर्ण करने हेतु निकटवर्ती तहसील बूढ़नपुर से पूर्ण किया जा सकता है, किन्तु जनता एवं अधिवक्ताओं का घोर विरोध है। प्रस्तावित नई तहसील परशुरामपुर में 90 लेखपाल क्षेत्र से अधिक दिये जाने पर शासनादेश/परिषदादेश संख्या-1644/9-155बी/86 दिनांक 06-05-1987 का उल्लंघन है। उक्त परिस्थितियों के आधार पर प्रस्तावित नई तहसील परशुरामपुर के सृजन के सम्बन्ध में कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व विधायकों को दी जा रही सुरक्षा के सम्बन्ध में

129-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने पूर्व विधान मण्डल सदस्यों को सुरक्षा की दृष्टि से सरकार द्वारा गनर की सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माननीयों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश में 247 पूर्व विधान मण्डल सदस्यों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी है।

सूची प्रारूप 'अ' संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

धार्मिक जुलूस में लोगों के हथियारों का प्रदर्शन करने, डीजे का प्रयोग करने व भड़काऊ नारे लगाने की जानकारी सम्बन्धी

130-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसी धार्मिक या गैर धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों द्वारा हथियारों का प्रदर्शन, तेज आवाज में लाउडस्पीकर/डीजे बजाने और भड़काऊ नारे लगाने प्रतिबन्धित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का उल्लंघन करने वालों पर की जाने वाली दण्डात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में योजित जनहित याचिका (सिविल) संख्या-24981/2017 मोतीलाल यादव बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश के अनुपालन में

नोट :-[†] आगे देखें नत्थी 'झ' पृष्ठ संख्या-329-335 पर।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु समस्त मण्डलायुक्त/समस्त पुलिस आयुक्त/समस्त पुलिस महानिरीक्षक/समस्त जिलाधिकारी/समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं समस्त पुलिस अधीक्षक को आदेश निर्गत किये गये हैं। किसी भी धार्मिक या गैर धार्मिक जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन व भड़काऊ नारे लगाया जाना दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता और अन्य विधिक अधिनियमों तथा स्थानीय जनपद स्तर पर सक्षम अधिकारी के आदेशों के अधीन प्रतिबन्धित है।

धार्मिक आयोजनों, त्योहारों/जुलूसों/शोभा यात्राओं आदि को अनुशासित ढंग से सकुशल सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में कमिश्नरेट/जनपद के सक्षम प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विधिक प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

131-डॉ0 नीरज बोरा-

[01-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

132-डॉ0 नीरज बोरा-

[01-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बैरिया विधान सभा क्षेत्र, जनपद बलिया में वर्ष 2021-2023 तक आग से प्रभावित किसानों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

133-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में वर्ष 2021-2022 व 2022-2023 में दिनांक 20-04-2022 तक कितने किसान आग से प्रभावित हुए हैं तथा उनको कितना-कितना धन-जन का व फसलों का नुकसान हुआ है ? क्या सरकार उक्त प्रभावित किसानों को सहायता/आवास देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में वित्तीय वर्ष 2021-2022 में अग्निकाण्ड की 35 घटनाएं घटित हुईं जिसमें कुल 106 किसान प्रभावित हुए। सभी प्रभावित किसानों को रु0 8,22,000/- की सहायता धनराशि वितरित की गयी। अग्निकाण्ड से कोई जनहानि नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में दिनांक 20-04-2022 तक अग्निकाण्ड की 04 घटनाएं घटित हुईं जिसमें 10 किसान प्रभावित हुए हैं। सभी प्रभावित किसानों को रु0 79,000/- की सहायता धनराशि वितरित की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त 'मुख्य मंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 32.00 हेक्टेयर भूमि में आग लगने से प्रभावित कुल 47 किसानों को रु0 9,53,440/- का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में दिनांक 20-04-2022 तक 'मुख्य मंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना' के अन्तर्गत किसी भी कृषक द्वारा आवेदन/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमेठी के ग्राम रामापुर, मजरे पीपरपुर में इमारती लकड़ी के जंगल को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने व उसका सीमांकन कराने के सम्बन्ध में

134-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमेठी के ग्राम रामापुर, मजरे पीपरपुर में गाटा संख्या-1096 तथा 1104 राजस्व अभिलेखों में इमारती लकड़ी के जंगल के रूप में अंकित है ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त गाटा संख्या पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गाटा संख्या को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराके इमारती लकड़ी के जंगल का सीमांकन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जिलाधिकारी, अमेठी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार ग्राम रामापुर, मजरे पीपरपुर की गाटा संख्या गाटा संख्या-1096/0.100 हे0 व 1104/0.170 हे0 राजस्व अभिलेखों में इमारती लकड़ी के वन के रूप में अंकित है। गाटा संख्या-1096/0.100 हे0 के 0.0130 हे0 क्षेत्रफल पर राजेन्द्र पुत्र सत्यनरायन द्वारा आवासीय मकान बना लिया गया है। अतिक्रमणी राजेन्द्र के विरुद्ध उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-67(1) के तहत बेदखली की कार्यवाही का वाद संख्या-टी 202104710500956 न्यायालय तहसीलदार, अमेठी में विचाराधीन है। गाटा संख्या-1104/0.170 हे0 के 0.076 हे0 क्षेत्रफल पर पप्पू पुत्र सत्यनरायन द्वारा फसल बोकर कब्जा किया गया था। अतिक्रमणी पप्पू के द्वारा बोई गयी गेहूं की फसल को नीलाम कराकर तहसील अमेठी के रजिस्टर नं0-4 मु0-2100/- जमा करा दिया गया है। वर्तमान में गाटा संख्या-1104 खाली है तथा गाटा संख्या-1096 की शेष भूमि खाली है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर से प्रवाहित काली नदी को साफ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आवंटित धनराशि व उसके सापेक्ष व्यय धनराशि तथा प्रदूषण स्तर की जानकारी

135-श्री अतुल प्रधान-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर से प्रवाहित काली नदी को साफ, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वर्तमान तक कितनी धनराशि का आवंटन हुआ है तथा उसके सापेक्ष कितनी धनराशि व्यय कर किस स्तर तक प्रदूषण कम हुआ है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर से प्रवाहित होने वाली काली नदी को साफ, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वर्तमान में एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली द्वारा मेरठ में 01, मुजफ्फरनगर में 01 तथा कासगंज में 01 सीवरेज परियोजना स्वीकृत की गयी है।

मेरठ नगर की योजना की स्वीकृत लागत रु0 690.71 करोड़ है, जिसमें कार्य की लागत 410.52 करोड़ तथा 15 वर्ष के संचालन एवं रख-रखाव की लागत रु0 280.19 करोड़ है। इस कार्य की निविदा प्रक्रिया प्रगति में है।

मुजफ्फरनगर की योजना की स्वीकृत लागत रु0 234.03 करोड़ है। इस योजना की अनुबन्ध की लागत 205.09 करोड़ है, जिसमें कार्य की लागत 146.25 करोड़ तथा 15 वर्ष के संचालन एवं रख-रखाव की लागत रु0 58.84 करोड़ है। इस योजना का 38.00 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, योजना पर रु0 52.225 करोड़ का व्यय हुआ है एवं कार्य प्रगति पर है।

कासगंज की योजना पर स्वीकृत लागत रु0 76.73 करोड़ है। इस कार्य हेतु किये गये अनुबन्ध की लागत 67.56 करोड़ है, जिसमें निर्माण कार्य की लागत 34.24 तथा रख-रखाव व संचालन की लागत 33.32 है। वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 33.71 करोड़ का व्यय हुआ है।

इन योजनाओं हेतु एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली द्वारा कृत कार्यों के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त की जाती है एवं अलग से कोई फण्ड आवंटन नहीं किया जाता है।

इस योजनाओं के पूर्ण होने पर काली नदी के प्रदूषण स्तर में कमी आयेगी।

विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-[†] आगे देखें नत्थी 'ञ' पृष्ठ संख्या-336 पर।

01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 के मध्य प्रदेश की अनुपयोगी बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने की जानकारी

136-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने हेक्टेयर भूमि बंजर है ? क्या सरकार 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 के मध्य बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राजस्व परिषद् के भूलेख पोर्टल पर दर्ज श्रेणी-5(3)(ङ)(बंजर भूमि) के अनुसार प्रदेश में कुल क्षेत्रफल 304351.2142 हे0 बंजर भूमि है।

इस सम्बन्ध में परती भूमि विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजनान्तर्गत 01 अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2018 (परियोजना समाप्ति तक) प्रदेश के 20 जनपदों में संचालित परियोजना इकाइयों से 10120.66 हेक्टेयर ऊसर/बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना दिसम्बर, 2018 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में ऊसर/बंजर भूमि के सुधार हेतु निगम में कोई योजना संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी की गुरसराय मुख्य नहर से बड़वार झील को भरने हेतु पोषक नहर के निर्माण के सम्बन्ध में

137-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र की बड़वार झील को भरने हेतु गुरसराय मुख्य नहर से पोषक नहर के निर्माण कराये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13 अप्रैल, 2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जनपद झांसी स्थित बड़वार झील को भरने हेतु गुरसराय मुख्य नहर से पोषक नहर का निर्माण कार्य प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद उन्नाव की पुरवा रजबहा के पास चमियानी माइनर में पानी पहुंचाने हेतु रजबहा में क्रास रेगुलेटर बनाने के सम्बन्ध में

138-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की पुरवा रजबहा में पुरवा के पास चमियानी माइनर में पर्याप्त पानी पहुंचाये जाने हेतु रजबहा में क्रास रेगुलेटर बनवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6 सं0-842960, दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जनपद उन्नाव में पुरवा शाखा के कि0मी0 36.890 दांयी पटरी से चमियानी माइनर निकलती है। पुरवा शाखा के कि0मी0 37.00 पर एक फॉल निर्मित है, जो अत्यधिक पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त फॉल का पुनर्निर्माण प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव की पुरवा रजबहा के पास चमियानी माइनर में ग्राम पंचायत रामा अमरापुर के पास पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में

139-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की पुरवा रजबहा से निकली चमियानी माइनर में ग्राम पंचायत रामाअमरापुर के गाटा संख्या-1229 के पास एक पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक सभापति, प्राक्कलन समिति, विधान सभा का पत्र सं0-351/वी0आई0पी0/स0प्रा0सं0/2021, दिनांक 23 जुलाई, 2021 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

पुरवा शाखा के कि0मी0 36.890 से निकली चमियानी माइनर की कुल लम्बाई 9.000 कि0मी0 है। उक्त माइनर के कि0मी0 1.879 पर प्रश्नकर्ता द्वारा पुल निर्माण की वांछना की गयी है। चमियानी माइनर के कि0मी0 1.667 पर पूर्व से पुलिया निर्मित है। तकनीकी मानकों के अनुसार 500 मीटर से कम की दूरी पर दूसरी पुलिया का निर्माण किये जाने का प्राविधान नहीं है।

वांछित स्थल पर पुलिया की मांग से पूर्व निर्मित पुलिया की दूरी 212 मीटर होने पर विभागीय मानकों के अनुसार उक्त पुलिया का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ शहर में नीचे गिरते भू-जल स्तर को रोकने के सम्बन्ध में

140-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में लगातार गिरता भू-जल स्तर को रोकने के लिये सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

लखनऊ शहर में विगत 05 वर्षों (2016-2020) में औसतन प्रति वर्ष 89 से0मी0 जल स्तर गिरावट परिलक्षित हुई है। इस समस्या से निदान प्राप्त करने एवं प्रदेश में भू-जल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं नियमन किये जाने हेतु प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश ग्राउण्ड वाटर (मैनेजमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट-2019' प्रख्यापित है।

अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम चरण में समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर तथा द्वितीय चरण में समस्त सरकारी सहायता प्राप्त भवनों एवं निजी क्षेत्रों के भवनों को आच्छादित करते हुए रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ के विकास खण्ड महाराजगंज तथा बिलरियागंज में ऊसर तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की व्यापक कार्य योजना बनाने विषयक

141-श्री नफीस अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के विकास खण्ड महाराजगंज तथा बिलरियागंज में ऊसर तथा बंजर भूमि का क्षेत्रफल कितना है ? क्या सरकार उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार विकास खण्ड महाराजगंज तथा ऊसर भूमि का क्षेत्रफल 10.173 हे0 व बंजर भूमि का क्षेत्रफल 143.69 हे0 है तथा विकास खण्ड बिलरियागंज में ऊसर भूमि का क्षेत्रफल 48.201 हे0 व बंजर भूमि का क्षेत्रफल 84.482 हे0 है।

विकास खण्ड महाराजगंज के ग्राम पंचायत बछुआपार में 1.10 हे0 ऊसर भूमि एवं ग्राम पंचायत देवराजदीद में 25.00 हे0, आ0 तिघरा 1.58 हे0, चौकनपरसोत्तम 2.24 हे0, टीकर पैठान 1.00 हे0, कुम्भवट 1.31 हे0, इटौरादयाल 1.00 हे0, गोपालपुर 1.00 हे0 कुल 33.13 हे0 बंजर भूमि के सुधार का कार्यक्रम मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

विकास खण्ड बिलरियागंज के ग्राम पंचायत अमरौलादेह में 1.131 हे0, अलाउद्दीन पट्टी 1.26 हे0, असरफपुर 3.02 हे0, कन्धरापुर 3.77 हे0, कपसा 1.21 हे0, गोसड़ी पट्टी 2.04 हे0, छिही 1.63 हे0, झूसी 2.20 हे0, दुल्लहपार 3.10 हे0, पहलवानपुर 1.30 हे0, भगतपुर 1.22 हे0, राधोपुर 1.82 हे0, सांती 1.11 हे0 कुल 24.99 हे0 ऊसर भूमि तथा ग्राम पंचायत मदनपुरहिच्छनपट्टी में 1.18 हे0, बलदेव मदूरी 2.64 हे0, मुहम्मदपुर 2.11 हे0, कुल 5.93 हे0 बंजर भूमि के सुधार का कार्यक्रम मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या स्थित विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के ग्राम परसवा में निर्माणाधीन राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा कराने विषयक

142-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या स्थित विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के ग्राम परसवा में राजकीय महिला महाविद्यालय निर्माणाधीन कार्य वर्तमान में बन्द है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर विद्यालय संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में उक्त महाविद्यालय का निर्माण कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण है। इसे डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के क्षेत्रान्तर्गत संघटक महाविद्यालय के रूप में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव एवं प्रधान द्वारा सफाई कर्मियों के वेतन भुगतान में किये जा रहे भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में

143-डॉ0 अनिल कुमार मौर्य-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में विकास खण्ड महुआ में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा प्रधान की मिलीभगत से भ्रष्टाचार कर ग्राम में तैनात महिला सफाई कर्मी के वेतन भुगतान में अनियमितता कर शोषण किये जाने की शिकायत

सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

विकास खण्ड महुआ में तैनात 13 महिला सफाई कर्मियों के बयान प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उनके वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है तथा उनका प्रधान एवं सचिव द्वारा किसी भी प्रकार उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मी शिक्षण/शिक्षणेत्तर सामग्री मानक अनुरूप विवरण विषयक

144-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में सरकार द्वारा शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मी शिक्षण/शिक्षणेत्तर सामग्री आदि सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं ? यदि हां, तो उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं का मानक अनुसार विवरण क्या है ? क्या सरकार लखनऊ में उत्तर विधान सभा क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मानक अनुरूप उपलब्ध सुविधाओं का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

जी हां।

विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु शिक्षण/शिक्षणेत्तर सामग्री के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें प्रदान की जाती हैं एवं निःशुल्क 02-सेट यूनीफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा, स्कूल बैग हेतु रुपये 1100/- की धनराशि छात्र/छात्राओं के माता-पिता, अभिभावक के खाते में प्रेषित किये जाने की व्यवस्था है।

शिक्षकों को प्रतिवर्ष रुपये 300/- की धनराशि शिक्षण अधिगम सामग्री (टी0एल0एम0) हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

इसके अतिरिक्त विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को प्रधानमंत्री पोषण योजना के अन्तर्गत साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र स्थित कतिपय प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत बिलों का भुगतान कर विद्युत आपूर्ति बहाल करने विषयक

145-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र स्थित कतिपय प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत बिल का भुगतान नहीं होने से विद्युत आपूर्ति बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालयों का बकाया विद्युत बिलों का भुगतान सुनिश्चित करते हुए विद्युत आपूर्ति बहाल करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में रेवती, दुबेछपरा, बैरिया और मुरली छपरा में बन्द नलकूपों की मरम्मत कराकर चालू कराने के सम्बन्ध में

146-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में रेवती, दुबेछपरा, बैरिया तथा मुरली छपरा में कुल कितने सरकारी नलकूप हैं, उक्त में कितने बन्द हैं और कितने संचालित हैं ? क्या सरकार उक्त बन्द पड़े नलकूपों की मरम्मत कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में दिनांक 01-04-2022 की स्थिति के अनुसार ब्लाकवार राजकीय नलकूपों का विवरण निम्नलिखित है-

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	राजकीय नलकूपों की संख्या	बन्द राजकीय नलकूपों की संख्या (दिनांक 12-05-2022 की बन्दी के अनुसार)			संचालित राजकीय नलकूपों की संख्या (दिनांक 12-05-2022 की बन्दी के अनुसार)
			यांत्रिक दोष	विद्युत दोष	कुल योग	
1	रैवती	16	0	04	04	12
2	बैरिया	33	01	02	03	30
3	मुरली छपरा	30	0	02	02	28
	कुल	**79**	**01**	**08**	**09**	**70**

ब्लाक-बैरिया में स्थित ग्राम दुबेछपरा में कोई राजकीय नलकूप स्थापित नहीं है।

राजकीय नलकूपों का अस्थाई रूप से यांत्रिक/विद्युत दोष से बन्द होना एवं चालू कराया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। यांत्रिक दोष से बन्द राजकीय नलकूपों को विभागीय मानकों के अनुसार निर्धारित अवधि में मरम्मत कराकर सिंचाईरत कर दिया जाता है। विद्युत दोष से बन्द राजकीय नलकूपों को चालू कराये जाने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर राजकीय नलकूप को चालू कराये जाने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र में ग्राम रालपुर व सिंघौरतारा के मध्य उत्तरवाहिनी गंगा जी में 'लिफ्ट सिंचाई योजना' अधिष्ठापित करने के सम्बन्ध में

147-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र में ग्राम रालपुर व सिंघौरतारा के मध्य उत्तरवाहिनी गंगा जी में 'लिफ्ट सिंचाई योजना' अधिष्ठापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई चौ0 चरण सिंह डलमऊ 'बी' पम्प नहर के खजूरगांव रजबहा से की जाती है। उक्त रजबहा की कुल लम्बाई 22.00 कि0मी0 टेलगूल सहित लम्बाई 28.60 कि0मी0 है। खजूरगांव रजबहा के कि0मी0 21.20 के लगभग रालपुर ग्राम पड़ता है। उक्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा डलमऊ 'बी' पम्प नहर प्रणाली से उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। ग्राम सिंधौरतारा नहरी कमाण्ड क्षेत्र में नहीं पड़ता है।

डलमऊ 'बी' पम्प नहर 'लिफ्ट सिंचाई परियोजना' गंगा नदी पर बार्ज पर स्थापित पम्पों पर आधारित है। उक्त परियोजनान्तर्गत बार्ज पर स्थापित 05 पम्प अपना निर्धारित समय पूर्ण कर चुके हैं। वर्तमान में इन पम्पों की क्षमता आधे से भी कम रह गयी है, जिसके कारण डलमऊ 'बी' पम्प नहर परिकल्पित डिस्चार्ज 300 क्यूसेक के स्थान पर 100 क्यूसेक पर संचालित होने के फलस्वरूप प्रश्नगत क्षेत्र की सिंचाई प्रभावित होती है। उक्त समस्या के समाधान हेतु बार्ज आधारित परियोजना को पुनरीक्षित कर नई परियोजना प्रस्तावित है, जिस पर स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त धनावंटन कराकर परियोजना के प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो जाने पर ग्राम रालपुर में सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

जनपद बलिया में वर्ष 2019 से 2022 तक वर्षवार नहरों की सफाई/मरम्मत कार्य की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

148-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में 2019-2020 व 2020-21 तथा 2021-2022 में नहरों की सफाई व मरम्मत की अनियमितता की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद बलिया में वर्ष 2019-2020 व 2020-21 तथा 2021-2022 में नहरों की सिल्ट सफाई व मरम्मत के कार्यों की कोई भी शिकायत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला जौनपुर के विकास खण्ड बक्शा में रामलखन कान्वेन्ट स्कूल बेलापार की अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराने के सम्बन्ध में

149-श्री लकी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बक्शा में रामलखन कान्वेन्ट स्कूल बेलापार की जमीन अवैध रूप से स्कूल के नाम दर्ज कराकर उक्त जमीन पर कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई जमीन को मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ -

ग्राम बेलापार, विकास खण्ड बक्शा, तहसील सदर, जनपद जौनपुर स्थित रामलखन कान्वेन्ट स्कूल बेलापार जो वर्तमान समय में रामलखन इण्टरमीडिएट कालेज के नाम से संचालित है। उक्त कालेज की स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच में पाया गया कि आराजी संख्या-521/0.729 हे0 व 557/0.020 हे0 में निर्मित है। उक्त आराजी च0अ0 पत्र-45 के खाता संख्या-572 के आराजी संख्या-521/0.729 हे0 व 557/0.020 हे0 के खातेदारों का नाम महेन्द्र कुमार, धर्मेन्द्र कुमार व मनोज कुमार पुत्रगण रामलखन व रामकिशोर शिक्षा समिति बेलापार, परगना रारी, जनपद जौनपुर द्वारा प्रबन्धक श्रीमती सुनीता देवी पत्नी महेन्द्र कुमार

निवासी बेलापार अंकित है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार स्थल पर कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया।

उपरोक्तनुसार।

उपरोक्तनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा में कार्यरत आउट सोर्सिंग एवं संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाये जाने विषयक

150-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों, शिक्षामित्रों, रसोईयों एवं समस्त आउट सोर्सिंग कर्मियों का मानदेय बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

शैक्षिक सत्र-2022-23 से परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में रु0 2000/- प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी करते हुए रु0 9000/- प्रतिमाह (वर्ष में 11 माह के लिए) तथा मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के अन्तर्गत रसोईयों के मानदेय में रु0 500/- की वृद्धि करते हुए रु0 2000/- (वर्ष में 10 माह के लिए) किया गया है।

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-32599/2015 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव में पारित आदेश दिनांक 25-07-2017 के क्रम में शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2017 जारी किया गया है, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर नियत रु0 10,000/- प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

आउट सोर्सिंग कर्मियों का मानदेय उनके नियोक्ता (सेवा प्रदाता संस्था) द्वारा नियत किया जाता है। सेवा प्रदाता संस्था का चयन निविदा के माध्यम से समय- समय पर किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के जिला पंचायत द्वारा नव-निर्मित गेस्ट हाउस के सम्बन्ध में

151-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के जिला पंचायत द्वारा नवनिर्मित गेस्ट हाउस खण्डहर है, जिसे राजकीय निर्माण निगम जिला इकाई मैनपुरी अपने स्टोर के रूप में उपयोग कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गेस्ट हाउस को पूर्ण कराकर संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी -

जनपद मैनपुरी में जिला पंचायत के नियंत्रणाधीन गेस्ट हाउस का निर्माण राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया गया था। शेष धनराशि अवमुक्त न होने के कारण गेस्ट हाउस के पूर्ण रूप से तैयार न होने के कारण उक्त गेस्ट हाउस के ढांचे का उपयोग राजकीय निर्माण निगम द्वारा अपने स्टोर के रूप में किया जा रहा है। उक्त गेस्ट हाउस के रुके हुए निर्माण को पूर्ण कराने का प्रस्ताव जिला पंचायत, मैनपुरी की बोर्ड बैठक दिनांक 23-04-2022 में अनुमोदित किया जा चुका है। उक्त गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराकर संचालित कराया जायेगा।

जनपद मैनपुरी के तहसील किशनी, करहल, भोगांव के बेवर अधूरे फायर स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में

152-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के तहसील किशनी, करहल एवं भोगांव के बेवर में कितने फायर स्टेशन अधूरे हैं ? क्या सरकार उक्त तहसीलों में अपूर्ण फायर स्टेशनों को क्षेत्रीय जनमानस की सुविधा हेतु पूर्ण कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद मैनपुरी के तहसील किशनी, करहल एवं भोगांव के बेवर में 03 तहसीलों पर फायर स्टेशन के निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त तहसीलों में अपूर्ण फायर स्टेशनों को पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

153-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

(बहुत ब्योरे की जानकारी के आधार पर निरस्त)

प्रदेश भर में सैंकड़ों हेक्टेयर उबड़-खाबड़ भूमि को समतल कराने के सम्बन्ध में

154-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में उबड़-खाबड़ भूमि जिसमें पैदावार नहीं होती है, को समतल कराने हेतु सरकार कोई विशेष अभियान चलायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बिजनौर की तहसील नगीना के परगना बढ़ापुर की भूमि को समतल करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रेटर शारदा सहायक समादेश द्वारा कमाण्ड क्षेत्र के प्रत्येक खेत तक सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रक्षेत्र विकास कार्य के अन्तर्गत कच्ची गूल, पक्की गूल, जल नियंत्रक संरचना एवं जल निकास नाली आदि का निर्माण कराया जाता है। प्रश्नगत प्रकृति का कार्य समादेश द्वारा नहीं कराया जाता है।

विभिन्न जनपदों के प्राइवेट विद्यालयों को धन आवंटन के सम्बन्ध में

155-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आर0टी0ई0 में प्राविधानित 25 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत जिन प्राइवेट विद्यालयों द्वारा बच्चों को प्रवेश कराया गया है, को वित्तीय वर्ष 2021-22 में केवल 1-4 प्रतिशत धनराशि का ही भुगतान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट आवंटित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों को धनराशि का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

जी हां।

जी हां।

वित्त विभाग से बजट स्वीकृत होने के उपरान्त।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पंचायतों में नियुक्त पंचायत सहायकों के वेतन हेतु अलग से बजट आवंटन के सम्बन्ध में

156-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायतों में नियुक्त पंचायत सहायकों को ग्राम निधि से मानदेय दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पंचायत सहायकों के मानदेय हेतु पृथक से बजट की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

पंचायत सहायकों को मानदेय वित्त आयोग की तकनीकी एवं प्रशासनिक मद से भुगतान किया जा रहा है, इस हेतु पृथक से बजट प्राविधान कराने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

वित्त आयोग की तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में पंचायत सहायकों के मानदेय हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

पंचायत सहायकों का मानदेय समय से दिये जाने के सम्बन्ध में

157-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों में नियुक्त किये गये पंचायत सहायकों को समय से मानदेय नहीं दिया जा रहा है ? क्या सरकार पंचायत सहायकों को समय से मानदेय दिलाये जाने हेतु स्पष्ट गाइडलाइन जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

पंचायत सहायकों को समयान्तर्गत मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

शासनादेश संख्या-42/2021/1235/33-3-2021-989/2021, दिनांक 25-07-2021 के निर्देशानुसार राज्य स्तर से वेबसाइट के माध्यम से अनुश्रवण किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

158-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मनरेगा में दैनिक मजदूरी 213/- रुपये किन्तु ग्राम पंचायतों में नियुक्त किये गये पंचायत सहायकों को 200/- रुपये प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

प्रदेश में मनरेगा योजना के अन्तर्गत दैनिक मजदूरों की मजदूरी की मस्टर रोल के आधार पर भुगतान किया जाता है, जबकि पंचायत सहायकों का मानदेय धनराशि रुपया 6000/- प्रतिमाह नियत है।

पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत फरह, बल्देव, राया ब्लाक के ग्रामीण अंचल में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में

159-श्री पूरन प्रकाश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत फरह, बल्देव, राया ब्लाक के ग्रामीण अंचल में पेयजल आपूर्ति हेतु निर्मित अधिकांश टंकियों सें पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामीण अंचलों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत विकास खण्ड फरह की 10, बल्देव की 13 एवं राया की 03 एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का संचालन एवं अनुरक्षण हेतु हस्तगत कर दिया गया है।

विकास खण्ड फरह की 05, बल्देव की 09 एवं राया की 03 ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाओं की अभिकल्पित आयु पूर्ण हो चुकी है।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मथुरा में सतही जल आधारित ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा के ग्रामों-सिरसी, ददरवार, नटवाबर आदि में पानी की टंकी से पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में

160-श्री गणेश चन्द्र -

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा के ग्राम पंचायतों सिरसी, ददरवार, नटवाबर सहित कई गांवों में पानी की टंकी बनी होने के बावजूद भी आम जनमानस के घरों तक पानी की सप्लाई नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में स्थापित टंकियों से पानी की सप्लाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा के विकास खण्ड हैंसर बाजार के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में सिरसी ग्राम पंचायत पेयजल योजना, ददरवार ग्राम पंचायत पेयजल योजना तथा नटवाबर ग्राम पंचायत पेयजल योजना स्वीकृत की गयी थी। सिरसी ग्राम पंचायत

पेयजल योजना तथा ददरवार ग्राम पंचायत पेयजल योजना को पूर्ण कराकर वर्ष 2018 में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दी गयी है।

नटवाबर ग्राम पंचायत पेयजल योजना को वर्ष 2018-19 में पूर्ण कराकर उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संचालन कर जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचन्दपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गुनावर कमगरपुर में भू-माफियाओं द्वारा चकबन्दी के दौरान बंजर भूमि पर कब्जा करने के सम्बन्ध में

161-श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचन्दपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गुनावर कमगरपुर में चकबन्दी के दौरान भू-माफियाओं द्वारा फर्जीवाड़ा करके बंजर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (प्रशा0 ए0 दिनांक 03-04-2019 बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी) रायबरेली की आख्या दिनांक 12-04-2019 पर जिला प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार ग्राम-गुनावर कमगरपुर, परगना व तहसील-सदर में भू-माफियाओं द्वारा फर्जीवाड़ा का प्रकरण संज्ञान में आते ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की संयुक्त जांच आख्या दिनांक 03-04-2019 के क्रम में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, रायबरेली के पत्र दिनांक 12-04-2019 के अनुपालन में चकबन्दी अधिकारी, हरचन्दपुर के न्यायालय द्वारा वाद संख्या-1309 आदि निर्णीत दिनांक 15-05-2019 का अनुपालन करते हुए धारा-42 के अन्तर्गत जोत चकबन्दी अधिनियम वाद सं0-74 दिनांक 24-04-2021 द्वारा चकों में प्रदिष्ट बंजर के गाटों को चकों से निरस्त कर बंजर के खाते में अंकित कर दिया गया है। अभिलेखों में फर्जीवाड़ा के सम्बन्ध में दोषी पाये गये श्री शिव प्रकाश दीक्षित, चकबन्दीकर्ता को जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 14-06-2019 द्वारा निलम्बित किया गया तथा चकबन्दी लेखपाल श्री श्योराज सिंह, श्री महेन्द्र कुमार, कमलाकान्त व श्री राकेश कुमार वर्मा सभी के जनपद से स्थानान्तरित होने के फलस्वरूप आरोप-पत्र गठित कर दिनांक 22-06-2019 को स्थानान्तरित जनपद क्रमशः कासगंज, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़ व उन्नाव को प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी रजवहा से राजस्थान के किसानों द्वारा अवैध रूप से पानी की चोरी को रोकने की योजना के सम्बन्ध में

162-श्री बाबूलाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी में रजवहा से हंसपुरा ग्राम जो राजस्थान सीमा से लगा हुआ है तथा उक्त हंसपुरा के आस-पास राजवाह से राजस्थान के किसानों द्वारा अवैध रूप से पानी की चोरी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार फतेहपुर सीकरी राजवाह से सिंचाई के पानी की चोरी रोकने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जी हां।

राजस्थान के कृषकों द्वारा सिंचाई हेतु उपयोग किये जा रहे अवैध साधनों को हटाने की कार्यवाही एक सप्ताह पूर्व की गयी है। शेष अवैध साधनों को हटाने हेतु राजस्थान के जनपद भरतपुर के जिला प्रशासन से पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की गयी है। पुलिस बल प्राप्त होते ही शेष अवैध साधनों को हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी रजवहा से निकलने वाली माइनर मडौली के विस्तार की योजना के सम्बन्ध में

163-श्री बाबूलाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी रजबहा से निकलने वाली माइनर मडौली में विस्तार की सरकार की कोई कार्य योजना है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

फतेहपुर सीकरी शाखा एक निश्चित डिस्चार्ज (546 क्यूसेक) के लिए परिकल्पित है। उक्त के अनुरूप शाखा एवं इससे निकलने वाले रजवहे व मडौली माइनर के साथ-साथ अन्य माइनरों से कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। यमुना नदी में जल उपलब्धता

अत्यन्त कम होने के कारण मडौली माइनर के विस्तार की परियोजना प्रस्तावित किया जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के करीब 90-100 ग्रामों में सिंचाई की व्यवस्था हेतु योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

164-श्री बाबूलाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के 90-100 ग्रामों में सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण सिंचाई कार्यों में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में सिंचाई हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

अनुसन्धान एवं नियोजन खण्ड, अलीगढ़ द्वारा उक्त क्षेत्र के सर्वे/अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि उक्त क्षेत्र में गुरुत्व प्रवाह से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है तथा फतेहपुर सीकरी ब्लाक अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत होने के कारण नवीन राजकीय नलकूप भी नहीं लगाये जा सकते हैं।

जिला उन्नाव की तहसील पुरवा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप जिलाधिकारी पुरवा, उन्नाव द्वारा भूमि के पट्टे आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में

165-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव की तहसील पुरवा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप जिलाधिकारी पुरवा, उन्नाव द्वारा स्वप्रेरणा से कितने लाभार्थियों को भूमि के पट्टे आवंटित किये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त लाभार्थियों को पूर्व में भी भूमि के पट्टे आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का कारण सहित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप जिलाधिकारी पुरवा, उन्नाव द्वारा 02 लाभार्थियों को स्वप्रेरणा से आवासीय पट्टे आवंटित किये गये हैं।

प्रश्नगत प्रकरण में स्वप्रेरणा से आवासीय पट्टा स्वीकृत करने विषयक तत्कालीन उप जिलाधिकारी पुरवा, उन्नाव के आदेश की छायाप्रति संलग्न[†] है।

[†] आगे देखें नत्थी 'ट' पृष्ठ संख्या-337-339 पर।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के ग्राम पंचायत कांथा में वर्ष 2016 से 2021 तक कराये गये विकास कार्यों में सरकारी धनराशि के दुरुपयोग करने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

166-श्री राम अचल राजभर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के ग्राम पंचायत कांथा में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कराये गये विकास सम्बन्धित कार्यों एवं ग्राम योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण आदि में अनियमितता/सरकारी धनराशि के दुरुपयोग किये जाने की जांच में संयुक्त जांच कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत कांथा के वर्तमान/तत्कालीन ग्राम सचिवों आदि को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं/सरकारी धनराशि के दुरुपयोग करने के दोषियों के विरुद्ध सरकार विधिक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

उपायुक्त (श्रम एवं रोजगार), उन्नाव/जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 23-12-2020 में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में दुरुपयोगित धनराशि मु0 2,04,000.00 के लिए प्रधान व तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत कांथा को दोषी सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप जिलाधिकारी, उन्नाव के कार्यालय आदेश दिनांक 23-03-2021 द्वारा दुरुपयोग की गयी धनराशि को प्रधान व सचिव, ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर भाग में वसूली का आदेश निर्गत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के ग्राम पंचायत कांथा में वर्ष 2016 से 2021 तक कराये गये विकास कार्यों पर खर्च धनराशि से सम्बन्धित सरकारी अभिलेखों को गायब करने में लिप्त सचिवों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

167-श्री राम अचल राजभर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के ग्राम पंचायत कांथा में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कराये गये निर्माण कार्य, हैण्ड पम्प रि-बोर अथवा मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, प्रशासनिक व्यय आदि मदों पर व्यय की गयी सरकारी धनराशि से सम्बन्धित सरकारी अभिलेखों/विवरणों आदि को गायब कर दिये जाने के कारण संयुक्त जांच कमेटी द्वारा उक्त सम्बन्धित विकास कार्यों/अभिलेखों का सत्यापन नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सरकारी अभिलेखों को गायब करने वाले दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

शिकायती प्रकरण में स्थलीय/अभिलेखीय जांच के समय उपलब्ध अभिलेखानुसार सत्यापन उपरान्त प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक 23-12-2021 के अनुसार व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में दुरुपयोगित धनराशि मु0 2,04,000.00 के लिए ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत कांथा को दोषी सिद्ध पाये जाने के कारण जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव के आदेश दिनांक 23-03-2021 द्वारा ग्राम प्रधान व सचिव पंचायत से बराबर-बराबर भाग में दुरुपयोगित धनराशि की वसूली किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है।

अवशेष अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी के पत्र दिनांक 17-05-2022 द्वारा सहायक विकास अधिकारी, पंचायत व खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड असोहा को निर्देशित किया गया है कि अभिलेख सम्बन्धित जांच अधिकारी को उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति में अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने का दोषी मानते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर अवगत कराया जाये।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के ग्राम पंचायत कांथा में वर्ष 2016 से 2021 तक राज्य वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों को गायब करने में लिप्त सचिवों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

168-श्री राम अचल राजभर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के ग्राम पंचायत कांथा में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक राज्य वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित कार्य योजना का प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं विकास कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाऊचर आदि सरकारी अभिलेखों/विवरणों को गायब कर दिये जाने के कारण संयुक्त जांच कमेटी द्वारा उक्त सम्बन्धित विकास कार्यों/अभिलेखों का सत्यापन नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सरकारी अभिलेखों को गायब करने वाले दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

शिकायती प्रकरण में नामित जांच अधिकारी/उपायुक्त (श्रम रोजगार), उन्नाव के कार्यालय पत्र दिनांक 23-12-2020 द्वारा ग्राम पंचायत कांथा में योजनान्तर्गत कराये गये

कार्यों व स्ट्रीट लाइट, हैण्डपम्प, शौचालय निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपलब्ध समस्त अभिलेखों के आधार पर निरीक्षित बिन्दुओं में प्रधान व तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत कांथा को धनराशि दुरुपयोग एवं पदीय अनियमितता बरतने के लिए दोषी पाया गया है। शिकायती प्रकरण में स्थलीय/अभिलेखीय जांच के समय उपलब्ध अभिलेखानुसार सत्यापन उपरान्त प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक 23-12-2020 के अनुसार व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में दुरुपयोगित धनराशि मु0 2,04,000.00 के लिए ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत कांथा को दोषी सिद्ध पाये जाने के कारण जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव के आदेश दिनांक 23-03-2021 द्वारा ग्राम प्रधान व सचिव, पंचायत से बराबर-बराबर भाग में दुरुपयोगित धनराशि की वसूली किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है।

अवशेष अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी के पत्र दिनांक 17-05-2022 द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत व खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड असोहा को निर्देशित किया गया है कि अभिलेख सम्बन्धित जांच अधिकारी को उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति में अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने का दोषी मानते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर अवगत कराया जाये।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल के कतिपय मण्डलों में गोंड बिरादरी के लोगों को तहसील से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में

169-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल के आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर आदि मण्डलों के गोंड बिरादरी के लोगों को तहसील से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार गोंड बिरादरी के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उत्तर प्रदेश में गोंड जाति प्रदेश के 13 जनपदों (महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र) में अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित हैं। अतः उक्त 13 जनपदों में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र सुगमतापूर्वक निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा शासनादेश निर्गत कर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये जाते रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमाण-पत्र का निर्गमन एक सतत् प्रक्रिया है। नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी के कटान से दुबे छपरा रिंग बांध का पुनः निर्माण करने के सम्बन्ध में

170-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में विगत वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी के कटान से दुबे छपरा रिंग बांध गंगा नदी में विलीन होने के कारण दुबे छपरा, उदयी छपरा, गोपालपुर, प्रसाद छपरा, बुद्धन चक, जगदेवा, टेंगरही आदि ग्रामों की लगभग 20 हजार आबादी प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिंग बांध का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिह-

जी हां।

विगत वर्ष 2019 में अत्यधिक वर्षा होने एवं केन नदी, बेतवा एवं चम्बल नदी से अत्यधिक पानी आने के कारण दूबे छपरा रिंग बांध क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे प्रश्नगत ग्रामों की आबादी प्रभावित हुई थी। ग्रामों की सुरक्षा हेतु वर्ष 2020 के बाढ़ से पूर्व कटान निरोधक कार्य कराकर गांव को सुरक्षित रखा गया।

रिंग बांध का पुनर्निर्माण कराना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

वर्ष 2020 के बाढ़ के पूर्व एक परियोजना जनपद बलिया में गंगा नदी के बांयें किनारे पर स्थित दूबे छपरा रिंग बांध के किमी0 0.450 से किमी0 1.500 के मध्य स्थित ग्राम समूह दूबे छपरा, गोपालपुर, उदई छपरा के बाढ़ से सुरक्षार्थ कार्य की परियोजना, लागत रु0 829.07 लाख की स्वीकृत थी, इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य कराकर गांव को सुरक्षित रखा गया। वर्ष 2021 में भी इन गांवों की सुरक्षा हेतु तीन अदद परियोजनायें स्थाई संचालन समिति की 54वीं बैठक दिनांक 30-11-2021 द्वारा स्वीकृत की गयी हैं। उक्त परियोजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। परियोजना के कार्य के पूर्ण हो जाने पर उक्त ग्रामों को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी के कटान से विस्थापित परिवारों को बसाने की स्थायी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में

171-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र में घाघरा नदी के कटान से प्रभावित परिवार बंधों पर शरण लिये हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार घाघरा नदी के कटान से विस्थापित परिवारों को बसाने की कोई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र में घाघरा नदी के कटान से प्रभावित परिवार बंधों पर शरण नहीं लिये हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

खरवार बिरादरी के लोगों का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में

172-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खरवार बिरादरी के लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं, परन्तु प्रदेश में पूर्वांचल में खरवार बिरादरी के लोगों का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार खरवार बिरादरी के लोगों का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची के क्रमांक-7 पर अंकित खरवार, खैरवार जातियां जनपद देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी तथा सोनभद्र में सूचीबद्ध हैं। इस प्रकार प्रदेश की खरवार जाति कतिपय 05 जनपदों में अनुसूचित जनजाति तथा शेष जनपदों में खरवार जाति (बनवासी को छोड़कर) अनुसूचित जाति में सम्मिलित हैं। इस

प्रकार खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र सुगमतापूर्वक निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा शासनादेश निर्गत कर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रमाण-पत्र का निर्गमन एक सतत् प्रक्रिया है। नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के अन्तर्गत गंगा नदी के कटान से हजारों विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के सम्बन्ध में

173-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत गंगा नदी के कटान से हजारों परिवार विस्थापित होकर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गंगा नदी से विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु भूमि क्रय कर बसाने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत स्थित तहसील सदर, बलिया के ग्राम गंगापुर में क्रय की गयी 0.686 हे0 तथा 0.093 हे0 भूमि (नयी परती) कुल 0.779 हे0 भूमि बेघर परिवार पुनर्वास हेतु उपलब्ध करा दिया गया है तथा विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत स्थित तहसील बैरिया में गंगा नदी के कटान से विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु भूमि तलाश कर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक औचित्य का प्रश्न था ?

श्री अध्यक्ष-

औचित्य का प्रश्न अभी नियम-300 में आयेगा।

[12:20] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह का 23 जून, 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री राजेन्द्र सिंह का जन्म 10 जनवरी, 1937 को ग्राम गढ़िया (मजरा गढ़ी मदसुआ), जिला एटा में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल-एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राजेन्द्र सिंह वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र निधपुर से जनसंघ तथा वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र पटियाली से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर जिला एटा से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राजेन्द्र सिंह विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे थे। वे स्टूडेन्ट्स यूनियन के महासचिव एवं अध्यक्ष तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की समितियों के प्रबन्धक एवं अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने एटा जनपद शिक्षा विकास परिषद् की स्थापना की और इसके अध्यक्ष भी रहे थे। पीड़ितों, ईमानदार एवं कर्मठ लोगों की सहायता तथा शिक्षा व्यवस्था के सुधार में उनकी विशेष रुचि थी और अध्ययन उनको प्रिय था। श्री राजेन्द्र सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मन्नूराम का 11 सितम्बर, 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 86 वर्ष के थे। श्री मन्नूराम का जन्म 01 जुलाई, 1935 को हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल-एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मन्नूराम वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र रसड़ा (अ0जा0), जिला बलिया से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री मन्नूराम को कृषि, उद्योग तथा शिक्षा आदि विषयों से विशेष लगाव था। बागवानी एवं समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री मन्नूराम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दामोदर शर्मा का 28 अक्टूबर, 2021 को निधन हो गया। श्री दामोदर शर्मा का जन्म मेरठ में हुआ था। उन्होंने बी0एस-सी0, एल-एल0 बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री दामोदर शर्मा वर्ष 1980 में कांग्रेस (आई0) के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र खरखौंदा, जिला मेरठ से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री दामोदर शर्मा विभिन्न आन्दोलनों के अन्तर्गत मेरठ तथा बरेली जेल में बन्दी रहे थे। वे जिला युवक कांग्रेस मेरठ के अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी व जिला कांग्रेस कमेटी मेरठ के सदस्य तथा जिला कांग्रेस कमेटी मेरठ के अध्यक्ष सहित अनेक शैक्षणिक संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के सदस्य भी रहे थे। राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। श्री दामोदर शर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शुकदेव प्रसाद का 16 जनवरी, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 92 वर्ष के थे। श्री शुकदेव प्रसाद का जन्म 12 जनवरी, 1930 को ग्राम सेहरींवा, जिला गोण्डा में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण

की थी। श्री शुकदेव प्रसाद वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र बलरामपुर (उत्तर) तथा वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र तुलसीपुर, जिला गोण्डा से जनसंघ दल से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री शुकदेव प्रसाद एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। वे प्रान्तीय रक्षक दल में आर्गेनाइजर, भारतीय जनसंघ उत्तर प्रदेश के सहमन्त्री तथा हरिजन कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश के सदस्य रहे थे। श्री शुकदेव प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या श्रीमती कमला देवी का 30 जनवरी, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 95 वर्ष की थीं। श्रीमती कमला देवी का जन्म 16 जून, 1927 को शिमला में हुआ था। श्रीमती कमला देवी वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र पिहानी, जिला हरदोई से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। श्रीमती कमला देवी सहकारी बैंक, हरदोई की अध्यक्ष तथा शिक्षा कल्याण समिति की संचालिका रही थीं। श्रीमती कमला देवी एक कुशल राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती थीं। समाजसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्रीमती कमला देवी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजीव कुमार सिंह का 31 जनवरी, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 69 वर्ष के थे। श्री राजीव कुमार सिंह का जन्म 25 दिसम्बर, 1952 को लखनऊ में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राजीव कुमार सिंह वर्ष 1985 में निर्दलीय, 1989 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1996 व 2002 में भारतीय जनता पार्टी तथा वर्ष 2007 व 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र दरियाबाद, जिला बाराबंकी से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राजीव कुमार सिंह, श्री अखिलेश यादव मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। वे एक कुशल राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राजीव कुमार सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री पीतम राम का 03 फरवरी, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे। श्री पीतम राम का जन्म 26 जनवरी, 1951 को ग्राम ऐमी, जिला पीलीभीत में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री प्रीतम राम वर्ष 1996 में समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) से, 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बरखेड़ा (अ0जा0) तथा वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर (अ0जा0), जिला पीलीभीत से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री पीतम राम विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे थे। वे जिला पंचायत क्षेत्र समिति के सदस्य तथा रूहेलखण्ड तराई गन्ना बीज विकास निगम लिमिटेड, बरेली, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे

थे। कृषि और समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री पीतम राम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम रतन यादव का 06 फरवरी, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री राम रतन यादव का जन्म 25 मार्च, 1943 को ग्राम बगिया गांव, जिला सुल्तानपुर में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम रतन यादव वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम रतन यादव एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम रतन यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बंशीधर राज का 15 फरवरी, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे। श्री बंशीधर राज का जन्म 22 जून, 1934 को ग्राम अल्लीपुर, जिला लखीमपुर खीरी में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बंशीधर राज वर्ष 1980, 1985 व 1991 में कांग्रेस (आई0) के टिकट पर तथा वर्ष 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र मोहम्मदी (अ0जा0), जिला लखीमपुर खीरी से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री बंशीधर राज विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सभापति रहे थे। वे श्री मुलायम सिंह यादव मन्त्रि-मण्डल के सदस्य रहे थे। श्री बंशीधर राज विभिन्न आन्दोलनों के अन्तर्गत जिला कारागार, लखीमपुर खीरी में बन्दी रहे थे। वे बिड़ला विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, हरगांव, सीतापुर के अध्यक्ष, कन्हैया जूनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय बेहजम, खीरी के प्रबन्धक तथा जिला सहकारी बैंक खीरी के संचालक, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत खीरी के अध्यक्ष तथा जिला परिषद् खीरी के सदस्य रहे थे। ग्रामीण विकास, सहकारिता एवं सामाजिक उत्थान में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बंशीधर राज के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह का 12 अप्रैल, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह का जन्म 24 जुलाई, 1941 को लखनऊ में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह वर्ष 1969 में कांग्रेस से, 1989 में निर्दलीय, 1991, 1993 व 1996 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र भिनगा, जिला बहराइच तथा वर्ष 2002 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र भिनगा, जिला श्रावस्ती से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे थे। वे कॉमनवेल्थ पार्लियामेन्ट्री एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश शाखा के आजीवन सदस्य भी रहे थे। वे

प्रबन्धक उदय प्रताप शिक्षा समिति, वाराणसी एवं वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑफ इण्डिया के आजीवन सदस्य थे। वे श्री अलक्षेन्द्र इण्टर कालेज भिनगा, श्रावस्ती के अध्यक्ष तथा लखनऊ गोल्फ क्लब के स्थाई सदस्य सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सदस्य रहे तथा अयोध्या कारसेवा प्रकरण में वे जिला कारागार, बहराइच में बन्दी रहे थे। वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण, कृषि, खेलकूद तथा समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री आशाराम यादव का 26 अप्रैल, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री आशाराम यादव का जन्म 1944 में हुआ था। उन्होंने एम0 ए0, बी0 एड0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री आशाराम यादव वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र मिर्जापुर, जिला मिर्जापुर से भारतीय जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री आशाराम यादव कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। शिक्षण कार्य उन्हें प्रिय था। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री आशाराम यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

यहां पर हमारे माननीय भूतपूर्व सदस्यों की जितनी शोक-संवेदनायें पढ़ी गई हैं, मैं उन सबके परिवारों को अपने द्वारा पढ़ी गयी शोक-संवेदनायें भेज दूंगा। भारत रत्न लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच में नहीं रहीं। मैं सुश्री लता मंगेशकर जी के जीवन-परिचय के बारे में पढूंगा फिर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं नेता प्रतिपक्ष और सभी नेताओं से कहूंगा कि उनके बारे में अपने विचार रखें। उसके बाद हम सब लोग सामूहिक रूप से 02 मिनट का मौन रखेंगे।

भारत रत्न स्वर कोकिला सुश्री लता मंगेशकर जी के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप सुश्री लता मंगेशकर जी के लिए बोल दीजिए।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अध्यक्ष जी, अत्यन्त दुःख के साथ इस माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि 'भारत रत्न' लता मंगेशकर जी का 06 फरवरी, 2022 को लगभग 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। 'स्वर कोकिला' के नाम से विख्यात भारत की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितम्बर, 1929 को मध्य प्रदेश के इन्दौर में पण्डित दीनानाथ मंगेशकर के वहां हुआ था। लता मंगेशकर जी ने 25 से अधिक भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में कुल मिलाकर 50 हजार से अधिक गीत गाये। वर्ष 1974 में विश्व में सबसे अधिक गीत गाने का 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड' उनके नाम है। वर्ष 1974 में लन्दन के 'रॉयल

अल्बर्ट हॉल' में प्रदर्शन करने वाली वह पहली भारतीय भी बनीं। वर्ष 1999 से 2005 तक उन्होंने राज्य सभा के मनोनीत सदस्य के रूप में राष्ट्र की अमूल्य सेवा भी की। उनकी विलक्षण प्रतिभा को जीवन पर्यन्त विभिन्न पुरस्कारों से भी देश ने सम्मानित किया। लता जी द्वारा राष्ट्र के प्रति किये गये योगदान को देखते हुए वर्ष 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से विभूषित किया गया। फिल्म जगत से जुड़े अनेक पुरस्कारों के अतिरिक्त उन्हें 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और तीन बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार एवं फिल्मफेयरों में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार भी प्रदान किये गये। वर्ष 2009 में फ्रांस ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान 'फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी' की उपाधि से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने उनके सम्मान में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की। सेवाभावी लता जी ने पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, 'लता मंगेशकर मेडिकल फाउण्डेशन' की स्थापना की, जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क मेडिकल सेवायें प्रदान की जाती हैं। विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने पिता की स्मृति में 'मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान' की भी स्थापना की। लता मंगेशकर जी के निधन से संगीत, कला और संस्कृति जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से तथा इस माननीय सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से उनकी आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए उनके शोक संतप्त परिजनों, शुभचिन्तकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष जी, इसके साथ ही मैं इस माननीय सदन के पूर्व सदस्यों श्री राजेन्द्र सिंह जी, श्री मन्नूराम जी, श्री दामोदर शर्मा जी, श्री शुकदेव प्रसाद जी, श्रीमती कमला देवी जी, श्री राजीव कुमार सिंह जी, श्री पीतम राम जी, श्री राम रतन यादव जी, श्री बंशीधर राज जी, श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह जी और श्री आशाराम यादव जी, इस सदन के पूर्व सदस्य जो हमारे बीच में नहीं हैं, दिवंगत होने पर अपनी ओर से तथा सदन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपसे यह विनम्र अनुरोध करता हूँ कि हम सबकी भावनाओं को शोक संतप्त परिजनों और उनके शुभचिन्तकों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री जी और सभी दल के नेता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहां लता मंगेशकर जी को न केवल भारत बल्कि दुनिया में याद किया गया और जिस समय उनका निधन हुआ भारत के अलावा दुनिया के दूसरे

हिस्सों में लोगों ने शोक प्रकट किया। जहां हमारे भारत की सबसे बड़ी सिंगर रहीं लता मंगेशकर जी ने भारत की भाषाओं में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी, रसियन और भाषाओं में भी उन्होंने गाने गाये, जहां वह हमारी हिन्दी और हिन्दी फिल्मों की मेलोडी क्वीन कही गईं, वहीं शायद ही ऐसा कोई सिंगर होगा जिसने इतने गाने एक साथ गाये हों। यहां पर बहुत पीढ़ी के लोग हैं। किसी ने अपनी कम उम्र पर गाने सुने होंगे, हम लोगों के समय पर भी गाने थे और आखिरी वक्त तक जो म्यूजिक कम्पोजर्स थे, उनके लिए उन्होंने गाने गाये। जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा, उन्हें सभी अवार्डों से सम्मानित होने का मौका मिला। भारत के जितने भी प्रेस्टीजियस अवार्ड थे, उनको उन सभी अवार्डों से सम्मानित किया गया है। मैं आज अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और हमारे सहयोगी दल की तरफ से और माननीय सभी सदस्यों की तरफ से मैं भी उन्हें याद करता हूँ। उनके खोने से फिल्म इण्डस्ट्री के साथ-साथ समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे सिंगर्स कभी-कभी जन्म लेते हैं और ऐसे लोगों के अन्दर इन वार्ड टैलेंट भगवान ही देता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से, सदन की तरफ से और पार्टी की तरफ से उनके परिवार को हमारी संवेदनायें पहुंचें। वहीं जो माननीय सदस्य हमारे बीच नहीं रहे, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, माननीय सदस्यों की तरफ से उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके पारिवारिक सदस्यों को विधान सभा द्वारा शोक सन्देश प्रेषित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता लोक दल।

श्री राजपाल सिंह बालियान-

माननीय अध्यक्ष जी, लता मंगेशकर जी ने जो भारत का गौरव हासिल किया है, परमेश्वर अलग-अलग व्यक्ति को अलग-अलग कुछ प्रतिभायें देते हैं, जहां लता मंगेशकर जी की बात है तो उनकी आवाज पूरी दुनिया में रही है, उनके गाने, उनकी आवाज वह देश के लिए पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अपनी बात को जोड़ते हुए मैं उनके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देता हूँ। वह जहां भी हों, परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे और जो हमारे सदस्यों का निधन हुआ है मैं उनके परिवारों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से सांत्वना देता हूँ, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, भारत की लोकप्रिय और आदरणीय गायिका भारत रत्न से सम्मानित सुश्री लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी, 2022 को निधन हो गया। वह लगभग 92 वर्ष की थीं। सुश्री लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितम्बर, 1929 को मध्य प्रदेश के इन्दौर में पण्डित दीनानाथ मंगेशकर की सबसे बड़ी पुत्री के रूप में एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। बचपन से ही लता मंगेशकर जी को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वह उसी ओर आकर्षित हुईं। लता मंगेशकर जी की मात्र 13 वर्ष की आयु में वर्ष 1941 में अपना पहला गाना रिकार्ड किया था। मेलोडी क्वीन तथा स्वर कोकिला जैसे नामों से वे विश्व भर में विख्यात हैं। पार्श्व गायिका के रूप में लता जी ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं में लगभग 50 हजार से अधिक गीत गाये हैं। उन्होंने अपनी जादुई आवाज के दम पर देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी परचम लहराया है।

वर्ष 1974 में विश्व में सबसे अधिक गीत गाने का 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड' भी उनके नाम है। उनकी प्रतिभा व राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उनको वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। लता जी ने वर्ष 1999 से 2005 तक राज्य सभा सांसद के तौर पर देश की सेवा की उन्होंने इस दौरान सांसद के तौर पर मिलने वाला वेतन, भत्ता और आवास भी नहीं लिया। उन्हें प्रतिष्ठित 'रॉयल अल्बर्ट हॉल', लन्दन में परफार्म करने वाली पहली भारतीय महिला होने का सम्मान प्राप्त है। वर्ष 2007 में फ्रांस की सरकार ने उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'फ्रांस लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी' की उपाधि से सम्मानित किया गया। गायन के क्षेत्र में उन्हें विविध पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। फिल्म जगत के पुरस्कारों के अतिरिक्त लता जी को भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है।

उनको वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1997 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, इसके अतिरिक्त तीन बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार तथा फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेन्ट आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क मेडिकल सेवा प्रदान करने हेतु लता जी ने पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, 'लता मंगेशकर मेडिकल फाउण्डेशन' की स्थापना तथा विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु अपने पिता की स्मृति में 'मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान' की स्थापना की। सुश्री लता मंगेशकर जी के निधन से संगीत, कला और संस्कृति जगत की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं और मेरा दल दिवंगत आत्मा को नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से उनकी आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए उनके दुःखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ

ही हमारे जो और माननीय सदस्यों का निधन हुआ है उनको भी अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए उनके दुःखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मानीय अध्यक्ष जी, स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी को आज यह सदन भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लता जी, जिनको पूरी दुनिया लता दीदी के नाम से जानती है, उनके व्यक्तित्व को शब्दों में बांट पाना असम्भव है। वह ऐसी शख्सियत थीं कि उनके आगे कोई भी पुरस्कार और सम्मान बहुत छोटे थे। 6 फरवरी को जब उनके निधन का समाचार मिला तो मैं यह मानती हूँ कि पूरे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में दुःख की एक लहर आयी। उनके अन्दर उनकी आवाज में दैवीय शक्ति थी, माँ सरस्वती का साक्षात वास था। उनके मधुर कण्ठ से करीब 65 वर्ष के अन्तराल में कई भाषाओं में 20 हजार से अधिक गाने गाये गये, जिसमें बहुत सारी भाषाएं विदेशी थीं। उनका पूरा जीवन एक मिसाल था। 13 वर्ष की आयु में अपने पिता को खोने के बाद पूरे घर की और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्होंने निभायी और पूरे जीवन उसे निभाती रहीं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे गीत गाए, जिसको हम आज भी गुनगुनाते हैं। वर्ष 1963 में उनके द्वारा गाया हुआ गीत 'मेरे वतन के लोगों'। इस गाने को सुनकर आज भी करोड़ों भारतीयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हमेशा अनमोल रत्न के तौर पर हमारे दिल में मौजूद रहेंगी। उनके गीत हमारी सांसों में हमेशा गुदगुदाते रहेंगे। इनको राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय, बहुत सारे पुरस्कार दिये गये, पर वह हमेशा उन पुरस्कारों को लेने से कतराती रहीं। वह हमेशा यही कहती रहीं कि युवाओं को आगे लाकर ये पुरस्कार उन्हें देना चाहिए, ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सकें। मैं मानती हूँ कि युवाओं के लिए ये उनकी बहुत बड़ी सोच थी, एक सकारात्मक सोच थी। उनकी यह विचारधारा हमारे ही अनुकूल थी। राज्य सभा के अपने छह साल के कार्यकाल में उन्होंने कभी वेतन-भत्ते नहीं लिये। उन्होंने हमेशा समाज सेवा और बीमार लोगों के लिए अपने पिता के नाम पर ट्रस्ट चलाकर समाज को अर्पित किया। उनकी आवाज ने भारत को एकता सूत्र में पिरोया और भाषा, जाति व क्षेत्र के बन्धनों से आजाद करने में उनकी हमेशा एक अहम भूमिका रही है। ऐसी देवी को हम शत्-शत् नमन करते हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और अन्य सभी दल के नेताओं से सम्बद्ध करती हूँ। इस सदन में हमारे पूर्व के सदस्य, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, यह एक बड़ी क्षति है, उन सबका एक बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है। जिनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। साथ ही अनुरोध करती हूँ कि मेरे दल की और सदन की संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुंचायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता बहुजन समाज पार्टी।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आज नेता सदन ने सुश्री लता मंगेशकर जी के निधन पर अपनी बात रखी। हमारे नेता विरोधी दल एवं हमसे पूर्व अन्य दलीय नेताओं ने उनकी शोक-संवेदना में अपनी बात रखी, उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

मा0 अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से, एक तरह से कह दें कि जिसकी जिह्वा पर माँ सरस्वती का पूरी तरह से वास था, उनके निधन के बाद, जो लोग थोड़ा-बहुत भी संगीत या ऐसी विषयों में रुचि लेते हैं, काफी दुःखी रहे, पूरा देश मर्माहत रहा। उनकी प्रतिभा को हम इसी से अन्दाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में अपना पहला गीत रिकार्ड कराया था और उसके बाद उनका वह कारवां चलता रहा और लगभग 50 हजार से अधिक गीत गाकर उन्होंने 'गिनीज बुक' में अपना रिकार्ड कायम किया।

मा0 अध्यक्ष जी, अपने देश के जो विभिन्न पुरस्कार हैं, प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, जो कम ही लोगों को मिलते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी पुरस्कार से उन्हें वंचित रखा गया। यहां तक कि उनको वर्ष 2007 में न कि भारत सरकार, बल्कि फ्रांस की सरकार ने भी उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानि 'फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी' के अधिकार से भी सम्मानित किया था। इससे भी हम उनकी प्रतिभा का अन्दाजा लगा सकते हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, उनके मन में एक सेवा भाव भी था। गीत में रुचि के अलावा उन्होंने कैसे गरीब लोगों का इलाज हो, इसके लिए भी उन्होंने चैरिटेबल हॉस्पिटल भी खोल रखा था ? कैसे अन्य लोगों की मदद हो, इसके लिए भी अपने पिता जी के नाम पर उन्होंने कई तरह की संस्थाएं खोल रखी थीं कि हम किसी न किसी रूप में एक दूसरे के काम आएं ?

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपनी तरफ से आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारी शोक-संवेदना उनके दुःखी परिजनों तक व्यक्त करने की कृपा करें। साथ ही पिछले दिनों जब सदन बैठा था, उन दिनों से लेकर आज तक जितने भी हमारे मा0 सदस्य जो कभी इस सदन के सदस्य हुआ करते थे, जो आज हमारे बीच नहीं हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि हमारी शोक-संवेदना उन सभी लोगों के परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, लता जी के विषय में हम सभी लोग अपने बाल्यकाल से ही जानते हैं और इस सदन में हर अवस्था के सम्मानित सदस्य उपस्थित हैं और मैं समझता हूँ कि अपने बाल्यकाल से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा होगा, जो उनके गीतों से, संगीत

से प्रभावित हुए बिना रह सका हो। आज कई ऐसे उपकरण मौजूद हैं कि हम जब चाहें जो चाहें वह गाना सुन सकते हैं वह चाहे पेन ड्राइव हो या अपने लैपटॉप पर, लेकिन एक समय ऐसा था, जब लोग रेडियो पर विविध भारती की प्रतीक्षा करते थे कि विविध भारती में जब गाने आएंगे तो हो सकता है कि लता जी का कोई गाना हमें सुनने को मिले और चाय की दुकानों पर और छोटे दुकानदार रेडियो को सामने रख करके बजाते थे, कई बार ऐसा भी हुआ जब उनका लोकप्रिय गाना बजना शुरू हुआ तो ट्रैफिक रुक जाता था, लोग उनका गाना सुनकर ही आगे बढ़ते थे। पुरस्कार से निःसन्देह सम्मान बढ़ता है, लेकिन लता जी को देने से पुरस्कार का सम्मान बढ़ा, यह मैं कह सकता हूँ और इतना लम्बा उनका कार्यकाल, जीवन तो 92 वर्ष का रहा, लेकिन अपने जीवन का 75 वर्ष से अधिक उन्होंने संगीत को दिया। न सिर्फ फिल्मी पार्श्व गायन बल्कि भजन, श्लोक निश्चित रूप से उनके जो गाये हुए भजन हैं, श्रीरामचरितमानस और अनेक श्लोक वो भक्ति संगीत में अद्वितीय हैं और बेमिसाल हैं। उनके गाये हुए गाने आज हम लोगों को और आने वाली पीढ़ियां हैं जो संगीत प्रेमी हैं, उन सबको प्रेरित करती रहेंगी, लुभाती रहेंगी, इतना ही कह सकते हैं कि अब दूसरी लता मंगेशकर दुनिया में कभी नहीं होंगी और बहुत अनमोल निधि हमने खो दिया है। हमारे दल की ओर से उनके परिजनों को संवेदना पहुंचाने की कोशिश करें और जो हमारे पूर्व साथी दिवंगत हुए हैं जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनके परिवारजनों को मा0 नेता सदन, मा0 नेता प्रतिपक्ष और सभी दलीय नेताओं की भावनाओं को जोड़ते हुए मेरे दल की ओर से उनको हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

मत्स्य विभाग मंत्री (श्री संजय निषाद)-

मा0 अध्यक्ष जी, भारत की लोकप्रिय आदरणीय गायिका सुश्री लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी, 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 92 वर्ष की थीं। यह राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है, सुश्री लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितम्बर, 1929 को मध्य प्रदेश के इन्दौर में पण्डित दीनानाथ मंगेशकर की सबसे बड़ी पुत्री के रूप में एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। बचपन से ही लता मंगेशकर जी को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वह उसी ओर आकर्षित हुईं। लता मंगेशकर जी ने मात्र 13 वर्ष की आयु में वर्ष 1941 में अपना पहला गाना रिकार्ड किया था। यह एक निर्णय लेने का विषय है इस देश के सभी नागरिकों के लिए। लता जी क्वीन ऑफ मेलोडी एवं स्वर कोकिला जैसे नामों से विख्यात हुईं। पार्श्व गायिका के रूप में लता जी ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में लगभग 50 हजार से अधिक गीत गाये हैं। ऐसी दुर्लभ प्रतिभा उनमें थी, ऐसा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। उन्होंने अपनी जादुई आवाज के दम पर देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी परचम लहराया। वर्ष 1974 में विश्व में सबसे अधिक गीत गाने का 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड

रिकार्ड' भी उनके नाम है। यह हमारे देश के लिए एक गौरव की बात है और पूरी दुनिया में इस तरीके से नाम और स्थान स्थापित करना एक महत्वपूर्ण विषय है। उनकी प्रतिभा और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उनको वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। हम अपनी सरकार से कहेंगे कि इस तरीके के जो और भी प्रतिभाशाली लोग हैं उनको भी इस तरह से सम्मान मिलना चाहिए। लता जी ने वर्ष 1999 से 2005 तक राज्य सभा सांसद के तौर पर देश की सेवा की थी। उन्होंने इस दौरान सांसद के तौर पर मिलने वाला वेतन, भत्ता एवं आवास भी नहीं लिया। उन्हें प्रतिष्ठित 'रॉयल अल्बर्ट हॉल', लन्दन में परफार्म करने वाली भारतीय होने का सम्मान प्राप्त है। यह हमारे देश के लिए गौरव का विषय है। वर्ष 2007 में फ्रांस की सरकार ने उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी' की उपाधि से सम्मानित किया। गायन के क्षेत्र में उनकी विलक्षण प्रतिभा को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

फिल्म जगत से जुड़े अनेक पुरस्कारों के अतिरिक्त लता जी को भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। उनको वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1997 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, इसके अतिरिक्त तीन बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार तथा फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेन्ट पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया। यह भी हमारे देश के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है। समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क मेडिकल सेवा प्रदान करने हेतु लता जी ने पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, 'लता मंगेशकर मेडिकल फाउण्डेशन' की स्थापना तथा विद्यार्थियों व वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु अपने पिता की स्मृति में 'मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान' की स्थापना की थी। यह भी हम लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है।

सुश्री लता मंगेशकर जी के निधन से संगीत, कला और संस्कृति जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं और मेरा दल दिवंगत आत्मा को नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है एवं ईश्वर से उनकी आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए उनके दुःखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। साथ ही सदन के माननीय पूर्व दिवंगत सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व श्रद्धांजलि अर्पित करता है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारी व हमारे दल की शोक संवेदनायें शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम निवास वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष व अन्य दलीय नेताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

भारत की लोकप्रिय आदरणीय गायिका भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ कि सुश्री लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितम्बर, 1929 को मध्य प्रदेश के इन्दौर में पण्डित दीनानाथ मंगेशकर की सबसे बड़ी पुत्री के रूप में एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में मात्र 13 वर्ष की आयु में वर्ष 1941 में अपना पहला गाना रिकार्ड किया था। वह सम्पूर्ण विश्व में क्वीन ऑफ मेलोडी तथा भारत में स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थीं पार्श्व गायिका के रूप में लता जी ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं व विदेशी भाषाओं में लगभग 50 हजार से अधिक गीत गाये। उन्होंने राष्ट्र प्रेम व राष्ट्र के जवानों के लिए जो राष्ट्रगीत अपने स्वर में गाये वह जवानों और सभी लोगों में एक प्रेरणा और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओत-प्रोत कर देती थीं। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। लता जी ने वर्ष 1999 से 2005 तक राज्य सभा सांसद के तौर पर देश की सेवा कीं। फिल्म जगत के अनेक पुरस्कारों के अतिरिक्त लता जी को भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेन्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क मेडिकल सेवा प्रदान करने के लिए अपने पिता की स्मृति में 'मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान' की स्थापना की। सुश्री लता मंगेशकर जी के निधन से संगीत, कला और संस्कृति जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपने दल की और अपने दल के नेता की ओर से उनकी दिवंगत आत्मा को नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं ईश्वर से उनकी आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए उनके दुःखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी संवेदना उनके दुःखी परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। साथ ही आज जो हमारे माननीय पूर्व सदस्य हमारे बीच नहीं रहे हैं, मैं अपनी और अपनी पार्टी अपना दल (एस) की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा माननीय अध्यक्ष जी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि सभी माननीय सदस्यों के शोक-संतप्त परिवारों को शोक-संवेदना पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

भारत की ख्याति प्राप्त स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी, 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 92 वर्ष की थीं। सुश्री लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितम्बर, 1929 को मध्य प्रदेश के इन्दौर में पण्डित दीनानाथ मंगेशकर की सबसे बड़ी पुत्री के रूप में एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। बचपन से ही लता मंगेशकर जी को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वह उसी ओर आकर्षित हुईं। लता मंगेशकर जी ने मात्र 13 वर्ष की आयु में वर्ष 1941 में अपना पहला गाना रिकार्ड किया। यह क्वीन ऑफ मेलोडी तथा स्वर कोकिला जैसे नामों से पहचानी जाने वाली विश्वविख्यात सुश्री लता मंगेशकर जी ने सभी भारतीय भाषाओं व विदेशी भाषाओं में लगभग 50,000 से

अधिक गीत गाये। उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में पार्श्व गायिका के रूप में रही है। लता जी जो गा देती थीं, लगता था कि यही मेलोडी है, वही स्वर है। माँ सरस्वती की कृपा लता जी के ऊपर थी।

लता जी की गायिका के साथ ही उनका संसदीय सफर भी स्मरणीय है। उन्होंने वर्ष 1999 से 2005 तक राज्य सभा सांसद के तौर पर देश की सेवा की थीं। उन्होंने इस दौरान सांसद के तौर पर मिलने वाला वेतन, भत्ता एवं आवास भी नहीं लिया। समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क मेडिकल सेवा प्रदान करने हेतु लता जी के पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, 'लता मंगेशकर मेडिकल फाउण्डेशन' की स्थापना तथा विद्यार्थियों व वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु अपने पिता की स्मृति में 'मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान' की स्थापना की। उनकी प्रतिभा और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उनको वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर इन्दौर में जन्मी लता मंगेशकर जी ने अपनी जादुई आवाज में देश ही नहीं विदेशों में भी परचम लहराया। उन्होंने प्रतिष्ठित 'रॉयल अल्बर्ट हॉल', लन्दन में परफार्म करने वाली पहली भारतीय होने का सम्मान प्राप्त किया है। वर्ष 2007 में फ्रांस की सरकार ने उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी' की उपाधि से सम्मानित किया। गायन के क्षेत्र में उनकी विलक्षण प्रतिभा को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस बात को भी कहा जा सकता है कि लता जी को पुरस्कार देने से पुरस्कारों का सम्मान बढ़ा। फिल्म जगत से जुड़े अनेक पुरस्कारों के अतिरिक्त लता जी को भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। उनको वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1997 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, इसके अतिरिक्त तीन बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार तथा फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेन्ट पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया। सुश्री लता मंगेशकर जी के निधन से संगीत, कला और संस्कृति जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। उत्तर प्रदेश विधान सभा का यह सदन दिवंगत आत्मा को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता है एवं ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए उनके दुःखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता है। विधान सभा के पूर्व सदस्य तथा भारत रत्न सुश्री लता जी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके परिवारों को घटना को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति...

[01:06] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचनाएं लेता हूँ। आज नियम-301 की 53 सूचनाएं प्राप्त हुईं हैं जिसमें 15 माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई हैं। जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं, उनकी सूचनाएं ली जाएंगी। जो माननीय सदस्य अनुपस्थित हों उनकी जगह जो वेटिंग वाले सदस्य हैं उनकी सूचनाएं ली जाएंगी। श्री नफीस अहमद अनुपस्थित हैं उनके स्थान पर श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी की सूचना ली जाती है।

पहली सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की सरकारी अस्पतालों में स्टैण्ड लगाकर गरीब मरीजों से धन उगाही के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर शहर में निष्प्रयोज्य घोषित अनुसूचित जाति के छात्रावास के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के विकास-खण्ड रामपुर के ग्राम उमरी कलां में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर में अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में रुदौली-इन्हौंना सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री रवि शर्मा की जनपद झांसी के ऐतिहासिक भवनों का रख-रखाव एवं प्रवेश द्वारों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री राजीव कुमार की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में तटबन्ध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की कतिपय ग्राम सभाओं में ओवरहेड टैंक संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना मौ0 फईम इरफान की जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम पिपली में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर की ग्राम सभा टड़वा पहाड़पुर में सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचाना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर में सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना डॉ0 राजेश्वर सिंह की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में अण्डर ग्राउण्ड विद्युत केबलिंग कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना डॉ0 जी0एस0 धर्मेश की जनपद आगरा कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजाराम की बगिया से बीच के उखर्रा तक दोनों किनारे पक्का कर स्लैब डाल कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा पन्द्रहवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की वर्ष 2014 से

पूर्व हुए क्रेता व विक्रेता के बीच प्रापर्टी के क्रय पर खरीद मूल्य को ही क्रय राशि माने जाने के सम्बन्ध में है।

सरकारी अस्पतालों में स्टैण्ड लगाकर गरीब मरीजों से धन उगाही के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसमें पूरे प्रदेश के अस्पतालों की स्थितियां जानकारी में आई हैं, परन्तु हमारे जिले कानपुर नगर के खासतौर कानपुर नगर निगम के मेडिकल द्वारा संचालित हैलेट हास्पिटल, जिला अस्पताल उर्सला, महिला अस्पताल, डफरिन हास्पिटल आदि अस्पतालों में अवैध रूप से स्टैण्ड संचालित किये जाने की बात आयी है। इसी प्रकार से अन्य सरकारी अस्पतालों में अवैध रूप से स्टैण्ड संचालित किये जा रहे हैं। जिन सरकारी अस्पतालों में सरकार 1.00 रुपये का दवा का पर्चा बनाकर दवा मुफ्त में देने की बात करती है व इलाज मुफ्त में देने की बात करती है, जिसमें मरीज परेशानी की हालत में आता है, पता नहीं ? घर से पैसे लेकर आता है कि नहीं लेकर आ पाता है, पर्चा 1.00 रु0 में बनता है, परन्तु स्टैण्ड में साइकिल, मोटर साइकिल इत्यादि खड़ी करने में उससे 20 से 50 रुपये तक की उगाही होती है। लिखा-पढ़ी में स्टैण्ड आवंटित भी नहीं है, परन्तु अस्पताल प्रशासन के माध्यम से इस प्रकार की उगाही लगातार की जा रही है। जिस मरीज को हम एक रुपये में इलाज देने का दावा करते हैं, उससे उसी अस्पताल के अन्दर 20 से लेकर 50 रुपये तक स्टैण्ड के नाम पर वसूला जाना कतई अमानवीय, अवैधानिक प्रतीत होता है। अतएव इस मांग के साथ कि सरकार इस तरह के सारे सरकारी अस्पतालों में स्टैण्ड की व्यवस्था को समाप्त करके अपने सरकारी चौकीदारों के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से वाहन लगाये जाने की व्यवस्था करे ताकि परेशानी की हालत में आये गरीब मरीजों को इन स्टैण्डों पर होने वाली उगाही एवं अनावश्यक वाद-विवाद से बचाया जा सके।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल इस समस्या का निस्तारण किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर शहर में निष्प्रयोज्य घोषित अनुसूचित जाति के छात्रावास के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[मान्यवर, जनपद फतेहपुर अन्तर्गत फतेहपुर शहर में स्थापित एवं संचालित अनुसूचित जाति के छात्रावास को 05 वर्ष पूर्व तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने जातीय विद्वेष की भावना से ग्रसित होकर सुदृढ़ छात्रावास को निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया था तथा उस एवज में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्माण की कोई कार्रवाई नहीं की गयी। गत वर्ष 2021-22 में उक्त छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव किया था जिसके सापेक्ष समाज कल्याण फतेहपुर द्वारा आगणन शासन को प्रेषित किया गया था जोकि शासन में लम्बित है। छात्रावास के अभाव में अनुसूचित जाति के निर्धन छात्र उक्त शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। छात्रावास का निर्माण जनहित में आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करती हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के विकास-खण्ड रामपुर के ग्राम उमरी कलाँ में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन, जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत विकास-खण्ड रामपुर के ग्राम उमरी कलाँ में कोई स्टेडियम न होने के कारण क्षेत्र के खिलाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में विकास खण्ड रामपुर के ग्राम उमरी कलाँ में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए विकास खण्ड रामपुर के ग्राम उमरी कलाँ में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर में अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर के सहारनपुर नगर में प्राइवेट बस अड्डे को खाली कराकर शहर से बाहर कर दिया गया है। सहारनपुर नगर में रोडवेज बस स्टैण्ड के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है, जिस कारण देहात क्षेत्र से शहर में आने व जाने में महिलाओं, स्कूली छात्रों व यात्रियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में रोडवेज व प्राइवेट बसों के संचालन हेतु अत्याधुनिक अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जनहित में आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में रुदौली-इन्हौंना सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत भेलसर-रुदौली-इन्हौंना मार्ग लम्बाई 22 कि0मी0 जनपद का अति महत्वपूर्ण मार्ग है जो अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, एन0एच0-96 व पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ता है। वर्तमान में उक्त मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिसके कारण सड़क दुर्घटना में दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। क्षेत्रवासियों द्वारा इस मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने की काफी समय से मांग की जा रही है, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई न होने के कारण आम-जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।]

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।

जनपद झांसी के ऐतिहासिक भवनों का रख-रखाव एवं प्रवेश द्वारों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि शर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि झांसी शहर का नाम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विश्वविख्यात है। मराठा शासकों द्वारा झांसी नगर की सीमाएं सुरक्षित रखते हुए, झांसी को घेरते हुए लगभग 20 फीट ऊंचे और लगभग 6 से 12 फीट तक चौड़े इस परकोटे में विभिन्न स्थानों पर कई प्रवेश द्वारों का निर्माण कराया गया था। यह प्रवेश द्वार नगर की शोभा ही नहीं अपितु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का बोध कराते हैं। इन प्रवेश द्वारों के विभिन्न नाम यथा दतिया गेट, उन्नाव गेट, ओरछा गेट, बड़ागांव गेट, लक्ष्मी गेट, सागर गेट, भाण्डेरी गेट, झरना गेट नाम से जाने जाते हैं। देखभाल के अभाव में यह गेट दुर्दशा की ओर हैं। कई गेटों के पत्थर सड़क पर आ रहे हैं या धसक कर अपने अस्तित्व की समाप्ति की ओर हैं। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह समाप्त हो जायेंगे। न तो इस ओर पुरातत्व विभाग का ध्यान है और न ही स्थानीय निकायों का। इन प्रवेश द्वारों का पुनर्निर्माण एवं ऐतिहासिक भवनों का रख-रखाव कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में तटबन्ध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद अमरोहा की धनौरा विधान सभा क्षेत्र के दडवड़ ठेट से शेरपुर तक तटबन्ध का निर्माण कराया गया है, जो अधूरा पड़ा हुआ है। इस इलाके में गंगा नदी निकट से होकर बहती है, तटबन्ध के अधूरे निर्माण के कारण यहां पर बाढ़ का खतरा बना रहता है। जनहित में उक्त तटबन्ध के अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की कतिपय ग्राम सभाओं में ओवरहेड टैंक संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत अधिक आबादी के गांवों में ओवरहेड टैंक का निर्माण किया गया था, जो तैयार होने के बाद भी कतिपय कमियों के कारण संचालित नहीं हो पा रहा है या संचालित होने के बाद उसे बन्द कर दिया गया। उदाहरणार्थ-ग्राम सभा खनवर, कुरेजी, अठिलापुरा, सिसवार, हजौली, जाम, शाह मुहम्मदपुर के ओवरहेड टैंक चालू किये जाने के कुछ समय बाद ही बन्द हो गये एवं ग्राम सभा पिपरा पट्टी बहोरापुर में टैंक तैयार है फिर भी चालू नहीं किया गया एवं ग्राम सभा डेहरी में ओवरहेड टैंक का कार्य शुरू करवाकर फिर उसे बीच में ही बन्द कर दिया गया।]

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम पिपली में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मौ0 फहीम इरफान-

[मान्यवर, तहसील बिलारी, जनपद मुरादाबाद में छात्र-छात्राओं की उच्च पढ़ाई के लिए राजकीय डिग्री कालेज आस-पास न होने के कारण छात्र-छात्राओं को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। ज्यादातर छात्र-छात्राएं दूरी अधिक होने के कारण पढ़ाई आगे नहीं कर पाती हैं। अतः मेरी विधान सभा में एक राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने की आवश्यकता

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। मेरी विधान सभा में ग्राम पीपली में सीलिंग की जमीन भी उपलब्ध है, जहां पर राजकीय डिग्री कालेज बनाया जा सकता है। राजकीय डिग्री कालेज बनाये जाने के लिए पूर्व में भी कई बार मांग की जा चुकी है। मगर अभी तक राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण नहीं हो पाया है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तहसील बिलारी, जनपद मुरादाबाद के ग्राम पीपली में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर की ग्राम सभा टड़वा पहाड़पुर में सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[मान्यवर, जिला अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा टड़वा पहाड़पुर (गोपालपुर) शारदा सहायक नहर के उत्तरी तरफ से कौशिलवा पुलिया तक (ल0 लगभग 600 मी0) मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर में सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा-

[मान्यवर, अकबरपुर-गौहनिया सम्पर्क मार्ग से दिल्लीमरी से यरकी गड़ेरियन के पुरा तक सम्पर्क मार्ग, जिसकी लम्बाई 1700 मीटर है, अति जर्जर हो गया है, उक्त मार्ग पर ही 33/11 विद्युत उपकेन्द्र स्थित है। मार्ग जर्जर होने के कारण आम जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए उक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में अण्डर ग्राउण्ड विद्युत केबलिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश्वर सिंह-

[मान्यवर, आपके माध्यम से अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र जिसमें आशियाना कालोनी, एल0डी0ए0 कालोनी (कानपुर रोड), मानसरोवर योजना, वृन्दावन योजना आदि आता है जिसमें विद्युत लाइनें काफी पुरानी हैं और शहरी क्षेत्र में घनी आबादी होने के कारण आये दिन लाइनों के जर्जर अवस्था से घटनाएं होती रहती हैं तथा समुचित विद्युत आपूर्ति भी नहीं हो पाती है, जिससे जनता में आक्रोश है। ऐसी परिस्थिति में उक्त शहरी क्षेत्र में तत्काल अण्डर ग्राउण्ड विद्युत केबलिंग कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कई नदियां पड़ती हैं। पुल न होने से आवागमन में बाधा रहती है। जनता को मुख्यालय आने-जाने में काफी कठिनाई होती है। अतः सई नदी पर गुतवन व सलखापुर के बीच तत्काल पैन्टून ब्रिज की आवश्यकता है तथा मोहद्दीनपुर में गोमती नदी पर भी आवश्यकता है।

अतः जनहित में अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृर्षित करना चाहता हूँ।]

जनपद आगरा कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजाराम की बगिया से बीच के उखर्रा तक दोनों किनारे पक्का कर स्लैब डाल कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्ट में राजाराम की बगिया से बीच के उखरी तक राजपुर चुंगी क्षेत्र में मात्र 2.5-3 मीटर चौड़ाई की सिंचाई विभाग की एक माइनर है। यह माइनर काफी घनी आबादी के बीच है तथा पूरी तरह खुली हुई है। इस कारण माइनर में जानवर आये दिन गिरते रहते हैं और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। माइनर पूरी तरह सूखी है। माइनर के दोनों किनारे भी टूट गये हैं। मच्छरों एवं गन्दगी का आलम है, इस कारण भयंकर आक्रोश है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यदि माइनर के दोनों किनारे पक्का कर स्लैब से जनहित में पाट दिया जाय तो समस्या का समाधान हो सकेगा।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए राजाराम की बगिया से बीच के उखर्रा तक दोनों किनारे पक्का कर बड़े-बड़े स्लैब डालकर निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्रवाई करने की मांग करता हूँ]

वर्ष 2014 से पूर्व हुए क्रेता व विक्रेता के बीच प्रापर्टी के क्रय पर खरीद मूल्य को ही क्रय राशि माने जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में भूमि, मकान या अन्य किसी अचल सम्पत्ति के क्रय व विक्रय पर वर्ष 2014 से पूर्व क्रेता व विक्रेता के आपसी तय हुए निर्धारित मूल्य पर रजिस्ट्री कराये जाने का प्राविधान रहा है, मात्र स्टाम्प शुल्क हेतु ही जिलाधिकारी के निर्धारित सर्किल रेट से स्टाम्प शुल्क का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाता रहा है, परन्तु सरकारी विभागों द्वारा यदि कोई सरकारी कर्मचारी वर्ष 2014 के पूर्व किसी भूमि अथवा मकान को विक्रेता के रजामन्दी से हुए समझौते के आधार पर पेमेन्ट देकर भूमि क्रय किया है, इन परिस्थितियों में कुछ विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त सरकारी कर्मी जिसके द्वारा भूमि क्रय की गयी है, उसकी लागत जिलाधिकारी के द्वारा निर्धारित सर्किल रेट को मानकर अपनी सम्पत्ति घोषित करने हेतु कहते हैं।

जबकि इस विषय में 2014 से पूर्व ऐसा कोई राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्देश न ही पारित है, न ही किसी एक्ट में इसका प्राविजन किया गया है। सर्किल रेट का तात्पर्य मात्र स्टाम्प ड्यूटी पेमेन्ट करने के लिए निर्धारित किया गया है।]

[1:08] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत कुल 06 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

सदन की कार्यवाही एक वर्ष में कम से कम 90 दिन तक न चलाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मनोज कुमार पांडेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान अट्ठारहवी विधान सभा के बजट सत्र हेतु निर्धारित समय कार्यक्रम की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वर्तमान बजट सत्र कार्यक्रम 23 मई, 2022 से 31 मई, 2022 तक जारी किया गया है क्योंकि यह बजट सत्र है यह परम्परा रही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-174 तथा भारत के संविधान के अन्तर्गत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्मित नियमावली उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-14 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सभा के तीन अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षा कालीन अधिवेशन तथा शीतकालीन अधिवेशन कुल मिलाकर 90 दिन उपवेशन होने चाहिये। इससे तत्कालीन वर्षों में बजट सत्र कम से कम 30 दिवस चलाया जाना चाहिए था। पूर्व में भी यह दृष्टान्त रहे हैं कि वर्ष 1994 में 33 दिवस, 1999 में 27 दिवस, 2005 में 24 दिवस, 2010 में 15 दिवस, 2013 में 22 दिवस, 2015 में 28 दिवस तथा 2018 में भी 16 दिवस सत्र चलाया गया था, किन्तु 18वीं विधान सभा, उत्तर प्रदेश के प्रथम सत्र में भारत के संविधान के अनुच्छेद-174 एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-14 का यह उल्लंघन है। अतः मैं इस अति अविलम्बनीय, लोक महत्व के मामले को औचित्य के प्रश्न के रूप में सदन के संज्ञान में लाते हुए आज के उपवेशन की कार्य-सूची को स्थगित करते हुए चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी सूचना है और मेरा दूसरा तर्क है। आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य मनोज जी की जो सूचना है पहले उसका जवाब तो आ जाये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उनका दूसरा तर्क था और मेरा दूसरा तर्क है। इसलिये आप हमें सुन लें, उसके बाद मा0 मंत्री जी एक साथ उत्तर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 लालजी वर्मा जी आप बड़े पुराने मा0 सदस्य हैं और हर चीज के ज्ञाता हैं इसलिये आप मेरा निवेदन सुन लें कि अलग-अलग सूचनाओं की ग्राह्यता और अग्राह्यता एक ही साथ कैसे हो सकती है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, लगभग एक से जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि सारी सूचनाओं की ग्राह्यता अलग होगी और उसका विषय अलग होगा तो उसको एक साथ कैसे लिया जा सकता है ?

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है मान्यवर।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना) -

मा0 अध्यक्ष जी, अभी जो 90 दिन वाली बात है तो इस सरकार के बनने के बाद यह पहला सत्र शुरू हुआ है इसलिये अभी 90 दिन की बात कहां से आ गयी ? मा0 सदस्य को कहां से इस बात का आभास होने लगा कि हम 90 दिन सदन नहीं चलायेंगे ? लेकिन इन्होंने एक बात अपनी नोटिस में ही कही है कि 2010 में 15 दिवस और 2013 में केवल 22 दिवस ही विधान सभा चली। 2015 में 28 दिवस विधान सभा चली।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, यह नोटिस केवल बजट सत्र की है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अपने कार्यकाल में मा0 सदस्य जब उधर बैठते थे तब इन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे 90 दिन चलाई। यह अपने आप में अगर नियमावली देखेंगे तो उसमें एक शब्द 'यथासम्भव' दिया गया है। आपके पूर्व में जो मा0 अध्यक्ष जी इस पीठ पर बैठते थे आजकल इस मा0 सदन के सदस्य हैं तो जब मैं इस बात को उठाता था तो वह कहते थे कि यह 'यथासम्भव' है और मैं समझता हूँ कि इन लोगों को यह जरूर सोचना चाहिए कि अभी तो कहीं 90 दिन की बात ही नहीं है और बजट सत्र में अभी हमने केवल 28 तारीख तक का प्रोग्राम लिया है। आपको किस बात से आभास होने लगा कि हम बजट सत्र नहीं चला रहे हैं ? अभी तो इट इज टू अर्ली। अभी तो यह बहुत जल्दी है कि अगर कोई आखिरी दिन होता तब तो समझ में आता या हम बजट सत्र का प्रोग्राम जारी कर देते तब समझ में आता अथवा जब आय-व्ययक की बात हो जाती तब समझ में आता, लेकिन आप तो पहले से ही यह प्रिज्यूम करे ले रहे हैं। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि इस वक्त यह औचित्य का प्रश्न बनता भी नहीं है और इस समय इसको उठाने का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अभी तो यह कहा ही नहीं जा सकता, अभी तो दूसरा दिन है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, 04 दिन चर्चा के लिये नियत है। उसके बाद शनिवार से बजट पर सामान्य चर्चा होगी। कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ था कि उसके बाद एक बार बैठकर तय कर लेंगे। इसलिये अभी तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है कि जिसके आधार पर यह कहा जाय कि विधान सभा नहीं चलेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको अग्राह्य किया जाय, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैंने आपसे उद्‌बोधन किया है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-300 पढ़िए, 300 में जो इस समय विधान सभा की कार्यवाही चल रही है उसके औचित्य के बारे में बातचीत होती है। आपने यहां पर जैसे अभी मा0 सदस्य श्री जगदीश नारायण जी ने जनपद के ऊपर पटल स्थापित करने की बात करी है, खनन मिट्टी की बात करी गयी है, बी0एस0एन0एल0 की लैण्ड लाइन सर्विस खराब होने की बात करी गयी है, यह सारी बातें इस नियम में नहीं आयेंगी। बी0एस0एन0एल0 की लैण्ड लाइन सर्विस या सिम कार्ड खोया है तो वह नियम-301 में नहीं आयेंगी। राकेश जी, यदि हमारे सिस्टम में कोई खराबी है तो वह आप बतायें।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी 403 विधायक और 100 मा0 विधान परिषद सदस्यों को सिम कार्ड और लैण्ड लाइन दिया जाता है।

(कई सदस्यों का एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न अलग से है और इससे हटकर है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी क्या यह प्रश्न ग्राह्यता का है या नहीं है ? इस सूचना को सदन की पीठ से स्वीकार किया गया था।

श्री अध्यक्ष-

श्री लाल जी वर्मा जी।

आय-व्ययक पर नियमानुसार चर्चा एवं मतदान के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमारी इस नियमावली के तहत नियम-186 के अन्तर्गत आय-व्ययक पर चर्चा का प्राविजन है और उस चर्चा में उसी के अनुसार दो तरह की चर्चा आय-व्ययक पर होती है। एक साधारण चर्चा और एक अनुदान के मानक पर मतदान, नियम-187 के अनुसार आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने के कम से कम दो दिन बाद मा0 अध्यक्ष द्वारा आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के लिए दिन तय किया जायेगा, जो सामान्यतः पांच दिन होगी।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा उसके बाद ही होगा।

श्री लालजी वर्मा-

जी मान्यवर, लेकिन जो कार्यक्रम आया है हम उसी के अनुसार बता रहे हैं। 31 तारीख तक आपके द्वारा हम लोगों को प्रोग्राम भेजा गया है।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति में इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, जिसके आप भी सदस्य थे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के लिए केवल दो दिन रखे गये हैं और अनुदान की मांगों के लिए एक दिन भी नहीं रखा गया है, जबकि अनुदान की मांगों के लिए कम से कम 33 दिन का समय होना चाहिए। मान्यवर, सत्रहवीं विधान सभा का पिछला सत्र बीत गया, कई सदस्य जो सत्रहवीं विधान सभा के हैं वह अनुदान की मांग पर कैसे कटौती रखी जाती है, इसके बारे में जान ही नहीं पाए हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री उदाहरण पेश करते हैं। यह प्रथम सत्र है। वर्ष 1952 से लेकर आज तक प्रथम बजट सत्र जब भी हुआ, वह अगर सबसे छोटा किसी ने किया है तो वह मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया है। वर्ष 1952 में प्रथम बजट सत्र 63 दिन चला था, 1957 में 57 दिन, 1962 में 99 दिन, 1967 में 36 दिन, 1974 में 29 दिन, 1977 में 33 दिन इसके बाद अगली विधान सभा 38 दिन चली थी, नवीं विधान सभा 34 दिन, दसवीं 23 दिन, ग्यारहवीं 38 दिन, बारहवीं 33 दिन, तेरहवीं 18 दिन, चौदहवीं 22 दिन, पन्द्रहवीं 15 दिन, सोलहवीं 21 दिन, सत्रहवीं विधान सभा का प्रथम बजट सत्र केवल 11 दिन चला था और इस बार केवल 7 दिन विधान सभा चल रही है। मान्यवर, हम क्या सीखेंगे ? विभागवार कटौती कैसे प्रस्तुत की जाती है, यह मा0 सदस्य कैसे सीखेंगे ? इसलिए यह पूरी तरह से औचित्य का प्रश्न बनता है और सामान्यतः का मतलब यह नहीं होता है कि इसे बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय। मान्यवर, सामान्यतः का मतलब होता है कि इसके अनुसार होना चाहिए। मान्यवर, इस पर अगर आप डिबेट करायेंगे तो इसका यह तात्पर्य नहीं हुआ कि जीरो हो जाये। विभागवार कटौती का प्रस्ताव, हमारा उद्देश्य है कि जो बड़े विभाग हैं कम से कम उनमें विभागवार कटौती का प्रस्ताव हो जाये। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर पहले से औचित्य का विषय आपके संज्ञान में नहीं रहेगा तो मान्यवर हमारे तमाम सदस्य जान ही नहीं पायेंगे, सीख ही नहीं पायेंगे कि विभागवार कटौती कैसे रखा जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस औचित्य के प्रश्न को ग्राह्य करके जो विभागवार कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है, बजट रखा जाता है अनुदान का मतदान होता है, हम यह नहीं कहते हैं कि सदन 99 दिन चले। कम से कम बड़े विभागों को इसमें जरूर शामिल करने की कृपा करें। इस औचित्य के प्रश्न पर मैं चाहता हूँ कि आप इसको देख लें।

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल सीखने को मिलेगा, अभी तो यह पहला सत्र है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता था कि वर्मा जी न बोलें तो अच्छा था इसकी वजह यह है कि यह किताब खो जाती है जब आप इधर बैठते हैं, तब यह किताब पता नहीं कहां चली जाती है।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने सन् 1952 से आज तक का रखा है, आप से छोटा सत्र किसी ने नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी इनकी शंका पूरी तरीके से निर्मूल है। उसकी वजह यह है कि अभी तो इस तरीके की कोई बात ही नहीं है। जहां तक आपने दो दिन की बात कही। 26 तारीख को बजट पेश होगा और जो कार्यक्रम हमारे आदरणीय सदन से स्वीकृत हुआ है उसमें 28 तारीख से बजट पर चर्चा शुरू होगी। यहां भी आपकी कण्डीशन पूरी हो रही है। हमने उस दिन भी कहा था कि 'आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो।' 2009 में देख लीजिए कि कितने दिन चला। 2009 में केवल 13 दिन सत्र चला। यह रिकार्ड आपने बनाया है। वाकई में इस रिकार्ड को कोई नहीं तोड़ पायेगा जो आपने बनाया है। इसलिए अभी इस बात की कोई शंका इन्हें नहीं करनी चाहिए, अभी कोई कार्यक्रम नहीं आया है। अभी केवल 28 तारीख तक का कार्यक्रम आया है और आप पहले से ही इस बात पर शंका कर रहे हैं। अभी आप शंका मत करिये पहले से शंकालु मत बनिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

विधान सभा मण्डप में संविधान निर्माता श्रद्धेय डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर जी का तैलीय चित्र स्थापित किये जाने विषयक अपनी पूर्व सूचना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करूंगा और मुझे लगता है कि जिस विषय को मैं लेकर आया हूँ अगर मैं यह कहूं कि आपकी पीठ द्वारा 3 साल पहले परम पूज्य बाबा साहेब डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर जी का तैलीय चित्र इस मण्डप में लगाने की बात स्वीकृत हुई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी आपकी पीठ का आदेश था, जिसे पूर्व माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया था और सचिवालय को निर्देश दिया था कि यह लगाया जाये। ठीक सामने की बात हुई थी, पर एक साल बीत गया और मैं दुबारा लेकर आया तो फिर पूर्व माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तैलीय चित्र क्यों नहीं लगा ? हमसे कहा कि उमाशंकर जी यह चित्र लगेगा उसकी तैयारी हो रही है फिर तीसरी बार मैंने यह प्रश्न उठाया तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की और आज मुझे विवश होकर अट्ठारहवीं विधान सभा में उस

प्रश्न को लेकर आना पड़ रहा है, जिसके लिए आज सारे लोग व्याकुल हैं। बाबा साहब के आज सारे लोग भक्त हो गये हैं, लेकिन इस बात का पालन करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है कि इस मण्डप में बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी तैलीय चित्र लगे। मानीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि नियम-300 की जो व्यवस्था दी गयी है इसकी ग्राह्यता स्वीकृत करने के लिए कोई उपयुक्त प्रश्न नहीं उठ सकता है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा और चाहूंगा कि आपकी पीठ से पूर्व में दिये गये आदेश का अनुपालन कब तक हो जायेगा, इससे सदन अवगत हो जाये ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

बाबा साहब भीमरव अम्बेडकर जी का नाम हम सब लोग बहुत आदर से लेते हैं और हृदय से हम उनकी योग्यता व योगदान को हम लोग हृदय से स्वीकार भी करते हैं। 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार थी, केन्द्र में तब मा0 बाबा साहब जी को भारत रत्न दिया गया और जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी पैदा हुए और पैदा होने से लेकर जहां उनका निर्वाण हुआ। उनके जीवन में जहां-जहां जो घटनाएं घटित हुई थीं, उन सभी स्थानों को पंच तीर्थ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मानित भी किया गया है और हर तरह से उनके सम्मान को भारतीय जनता पार्टी ने मन, वचन, कर्म से बढ़ाने का काम भी किया है। मान्यवर ने जो प्रश्न उठाया है तो आपको शायद जानकारी होगी कि सेन्ट्रल हाल में उसी के अनुरूप उनकी फोटो बनाकर वहां स्थापित की गयी है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, इसी मण्डप में लगाने को कहा गया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसको विवाद का विषय न बनाया जाय इसमें उस बात का ही सम्मान किया गया है और पूरी तरीके से केन्द्रीय हाल में स्थापित किया गया है। इसको विवाद का विषय न बनाया जाय यह नियम-300 में नहीं आता है।

श्री उमाशंकर सिंह-

सदन में नहीं लगेगा, क्या यह तय हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

पहले कभी स्वीकार नहीं किया गया है फोटो लगाने के लिए।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-3

[01:27] उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021[†]

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि गृह (पुलिस) अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-402 पी0/छः-पु-6-2021-02-विविध-2020, दिनांक 26 मार्च, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021 को उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2020 की धारा-18(2) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (भाग-एक तथा भाग-दो)[† †]

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (भाग-एक तथा भाग-दो) को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठावां संशोधन), नियमावली, 2011 के नियम-176 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5, डॉ0 मंजू शिवाच मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो आपका सर्वाधिकार है और हमें इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। मान्यवर, हमने नियम-56 की नोटिस देखी है। नियम-56 के सम्बन्ध में जो नियम हैं उनमें जो पहली शर्त है उसके अनुसार नियम किसी एक घटना से सुनिश्चित हो, तात्कालिक हो और लोक महत्व का हो। यहां पर एक ही नोटिस में बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस घटनाएं दे दी गयी हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पर जरूर विचार कर लीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो आपको तय करना है।

[†] छापी नहीं गयी।

[† †] छापा नहीं गया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि नियम-56 की सूचनाएँ ले लीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप जब चाहें तब नियम-56 की सूचना ले लें। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका सर्वाधिकार सुरक्षित है।

[01:31] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब मैं नियम-56 की सूचनाएँ लेता हूँ। आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं जिसमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएँ चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता के आधार पर सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री अखिलेश यादव, श्री मनोज पाण्डेय, श्री लालजी वर्मा, श्री संग्राम यादव, श्री राम अचल राजभर, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री राकेश सिंह, श्री प्रदीप यादव, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री अमिताभ बाजेपयी, श्री अतुल प्रधान, श्री नफीस अहमद, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' तथा श्री वीरेन्द्र चौधरी की प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री ओमप्रकाश राजभर, श्री बेदी राम, श्री हंसु राम, श्री अब्बास अंसारी, श्री दूधराम तथा श्री जगदीश नारायण की श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ दिनांक 10-05-2022 को हुई घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री उमाशंकर सिंह की उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर कराये जाने को लेकर मची अफरा-तफरी से उत्पन्न विषम परिस्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री पंकज मलिक की प्रदेश में आयी आंधी-तूफान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ अस्वीकार की गई :-

श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री लालजी वर्मा, श्री अवधेश प्रसाद, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री मौहम्मद फहीम इरफान, श्री राकेश पाण्डेय, डॉ0 शिव प्रताप यादव, श्री जगदीश नारायण, श्री अनिल प्रधान तथा श्री त्रिभुवन दत्त।

श्री अध्यक्ष-

पहली सूचना पर श्री अखिलेश यादव जी बोलेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने नियम-56 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण विषय लाने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार नई बनी है, लेकिन सदन के नेता पुराने हैं। बड़ी संख्या में नये सदस्य जीते हैं,

पुराने सदस्य भी जीते हैं, लेकिन नये मंत्री ज्यादा बने हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जीरो टालरेन्स की बात करने वाली सरकार और जिस तरह उत्तर प्रदेश में घटनायें हो रही हैं कोई कल्पना नहीं कर सकता कि यह उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टालरेन्स की बात हो रही है। जब कल माननीय राज्यपाल जी यहां पर अभिभाषण दे रही थीं, उसी दिन के अखबार में परसों की एक घटना छपी थी कि एक 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। अगर हम घटनाओं को देखें और आंकड़ों को देखें तो यह कोई एक घटना नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि कम से कम सरकार इस पर स्थिति साफ करे। जो सरकार जीरो टालरेन्स की बात कर रही हो और जो सबसे ज्यादा इस बात के लिए अपना प्रचार कर रही हो कि वह महिलाओं, बेटियों, लड़कियों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है, लेकिन हम देश और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अगर यह आंकड़े सरकार नहीं मानती है तो सरकार यह बताये कि सरकार का जो सिस्टम है डायल-100 जिसको बदल कर डायल-112 कर दिया है उसके आंकड़े क्या कहते हैं। जो सुरक्षा के लिए 1090 बना था उसके आंकड़े क्या कहते हैं। हम हर दिन जब अखबार पढ़ते हैं तो पाते हैं कि गम्भीर से गम्भीर घटनायें हो रही हैं। अगर हम याद करें और पीछे मुड़कर देखें तो पायेंगे कि सरकार जितनी संवेदनशील होनी चाहिये, जितनी गम्भीर होनी चाहिये वह अभी भी घटनाओं को लेकर उतनी संवेदनशील नहीं है।

जनपद इलाहाबाद में 22 अप्रैल को थाना भरवई के अन्दर पूरा परिवार समाप्त कर दिया गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। जो जानकारियां आ रही हैं उसके अनुसार अभी भी अपराधी पकड़े नहीं गये हैं। यह प्रयागराज की पहली घटना नहीं है। प्रयागराज में ना जाने ऐसी कितनी घटनायें हुई हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है, क्या थाने इसी तरह से अराजकता का केन्द्र बन जायेंगे। कल की रामपुर की घटना जहां पर रूलिंग पार्टी के सदस्य जिनके ऊपर कानून-व्यवस्था को बेहतर करने की जिम्मेदारी है। थाने के अन्दर उनकी पिटाई हो जाना, उनके साथ मार-पीट होना और रिवाल्वर लगा देना यह है जीरो टालरेन्स की सरकार। मा0 मुख्य मंत्री जी जहां ललितपुर में गये, इसमें मैं यह कहूंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं और जब आपने सच बोला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन अखबारों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई। जब सरकार के अधिकारियों की शिकायतें की गयीं तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूँ। पांच साल तक दलाली चलती रही नेता सदन को पता ही नहीं चला और किन अधिकारियों को सुधार दिया। मैं इन विषयों को इसलिए उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ललितपुर गया था। जब मैंने वहां सूचना पायी कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई। सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन क्या सरकार बतायेगी कि घटना होने के बाद जीरो टालरेन्स है। घटना न हो, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। इसी तरह से सिद्धार्थनगर में पुलिस को खुली छूट मिली हुई है। सिद्धार्थनगर में घर में जाकर पुलिस

पकड़ने की कोशिश करती है नहीं पकड़ पाती है, उसको माँ छुड़वाने आती है, माँ को गोली मार दी जाती है। उस घटना को क्या रूप दे दिया गया। किसी और को जेल भेज दिया गया। सच्चाई जनता जानती है, लेकिन सरकार और प्रशासन जब अपराधियों के साथ खड़ी हो जायेगी। जो घटना कर रहे हैं उनके साथ खड़ी हो जायेगी तो न्याय कैसे मिलेगा। चन्दौली की वह बेटी जो रो-रोकर कह रही थी कि पुलिस दबिश करने आयी थी। पुलिस दबिश के लिए जाती है कि दबंगई करने जाती है। उसकी व्यवस्था है कि आप घर में कैसे जायेंगे। यह किसने छूट दी है। आप घर में घुस गये। बेटी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गयी। आज के जमाने में जब आप सब चीजों को डिजिटलाइज कर रहे हो। हर चीज को आप इन्टरनेट से जोड़ रहे हैं। सभी माननीय सदस्यों ने भी सुना होगा कि वह लड़की क्या कह रही थी। उसकी बहन कह रही थी कि पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गयी उसके बाद पुलिस उसकी झूठी कहानी बनाने के लिये उसको फांसी पर लटकाना चाहती थी। यह घटनायें होंगी उत्तर प्रदेश में। एक घटना नहीं है। मैं सूची पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं पर हो रहे हैं ? और डॉयल-112 और 1090 उसके आंकड़े क्या कहते हैं। क्योंकि यह सरकार नई नहीं है। यह कन्टीन्यूटी की सरकार है। क्या सरकार यह स्वीकार करेगी कि पुलिस के लोग कहानी बदल देते हैं। क्या कहानी नहीं बदली जा रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जीरो टालरेन्स की पालिसी में कब महिलाओं पर घटना होना बन्द होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने कुछ मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है और खासतौर से महिला सम्बन्धी अपराध के मुद्दे पर सरकार गम्भीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में यह नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

मा0 अध्यक्ष जी, अगर अपराधी है फिर वह चाहे कोई भी हो, उसके विरुद्ध जीरो टालरेन्स की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है, क्योंकि अब आप हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुण्डागर्दी जिनका पेशा बन चुका था। विगत पांच वर्ष के अन्दर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से व्यापक जन-समर्थन दिया है। 'प्रत्यक्षं किमं प्रमाणम्'। प्रत्यक्ष को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यह चुने गये मा0 सदस्य इस बात के प्रमाण हैं कि जनता ने इन्हें समर्थन दिया है, आधी आबादी ने जिस भाव के साथ समर्थन दिया है वह अभिनन्दनीय है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। पिछले पांच वर्षों के अन्दर भी

सरकार ने जीरो टालरेन्स की नीति के तहत ही कार्रवाई की है और फिर इस बात के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कह रहे हैं कि सरकार अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर बिना किसी की परवाह किये अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी। सबको सुरक्षा का अधिकार देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई व्यक्ति सरेआम अपराध करे, यह किसी भी प्रकार से सरकार स्वीकार नहीं कर सकती है और खासतौर पर महिला सम्बन्धी अपराधों को लेकर 'एण्टी रोमियो स्क्वायड' का गठन हमारी सरकार ने वर्ष 2017 में आने के तत्काल बाद किया था। 'एण्टी रोमियो स्क्वायड' के गठन के साथ ही प्रदेश के अन्दर 218 महिला सम्बन्धी अपराधों को रोकने के लिए और सरकार ने पॉस्को कोर्ट की स्थापना भी की थी। उस पर त्वरित कार्रवाई हुई। आंकड़ों के हिसाब से नहीं पूरे देश के अन्दर घटित होने वाले मामलों की संख्या को अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के बीच में विभिन्न प्रकार के जो अपराध हुए हैं वह चाहे हत्या से सम्बन्धित हों, लूट से सम्बन्धित हों, दुष्कर्म से सम्बन्धित हों, महिला सम्बन्धी अपराध हों, इनमें भारी गिरावट आई है और कल हमारे प्रतिपक्ष के सामने क्लीयर हुई होती। बाकी जो कुछ बचेंगी तो अभिभाषण पर जवाब देंगे तो उस समय बहुत स्पष्ट रूप से बतायेंगे कि अपराधों में कितनी गिरावट आई है।

दूसरा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले विधान सभा के चुनाव होते थे या कोई चुनाव होता था तो चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी व्यापक हिंसा होती थी। कुछ लोगों ने इस विधान सभा चुनाव के दौरान भी या चुनाव सम्पन्न हुए उसके बाद कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घण्टों में हम लोगों ने कन्ट्रोल भी किया है, यू0पी0 पुलिस ने कन्ट्रोल भी किया है। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का भी प्रयास किया था, वह गर्मी भी शान्त हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था आज देश के अन्दर नजीर बनी हुई है। पांच वर्ष में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के बीच में सात सौ से भी अधिक बड़े दंगे हुए थे। महीनों-महीनों तक मुजफ्फरनगर, बरेली, लखनऊ एवं कानपुर कौन-सा ऐसा जिला है जहां पर दंगे न हुए हों। वर्ष 2017 से वर्ष 2022 के बीच में कोई भी दंगा नहीं हुआ है, कोई कर्फ्यू नहीं लगा और नई सरकार के गठन के बाद रामनवमी के अवसर पर देश के अन्दर सात राज्यों में दंगे हुए, लेकिन यू0पी0 में कोई भी दंगा नहीं हुआ। हनुमत जयन्ती के अवसर पर कोई दंगा नहीं हुआ। महोदय, यही नहीं हमें हर जगह से शिकायत आती थी, बुजुर्गों के द्वारा, परिवार की महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, माताओं के द्वारा शिकायतें आती थीं कि नवजात शिशु है या कोई बीमार व्यक्ति है, अनावश्यक माइक धर्म स्थलों से उतरने चाहिए, शोरगुल बन्द होना चाहिए। एक लाख से अधिक माइक या तो उतरे हैं या उनकी आवाज कम हुई है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) यह काम उत्तर प्रदेश में पहले भी हो सकता था, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी, हर एक कार्य को वोट बैंक के नजरिये से देखने की जो प्रवृत्ति है उसने यह कार्य नहीं करने दिया और शायद इतिहास में यह पहली बार हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ है कि अलविदा की नमाज

भी सड़कों पर नहीं हुई है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) ईद के अवसर पर सड़कों पर कोई अराजकता नहीं हुई है। शान्तिपूर्ण तरीके से पर्व-त्यौहार मनाये गये। सरकार ने कहा कि सबको सुरक्षा देना हमारा दायित्व है, सुविधा देना भी सरकार का कार्य है, पर्व और त्यौहार को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने में हम योगदान देंगे और मैं उन सभी धर्म गुरुओं का अभिनन्दन करूंगा जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था के साथ-साथ शान्ति और सौहार्द के इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आज देश के अन्दर एक नजीर माना जा रहा है। (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की माफियाओं की सम्पत्ति जब्त हुई है, यह पहली बार हो रहा है और इसलिए महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, 25 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर प्रदेश की बेहतर कानून-व्यवस्था का मुद्दा हो, यह सब सरकार की प्राथमिकता का बिन्दु है, सरकार जीरो टॉलरेन्स की नीति के तहत काम कर रही है। जिन घटनाओं का उल्लेख यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है, उसमें से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, जैसे सिद्धार्थनगर में माननीय नेता प्रतिपक्ष गये थे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर उंगली तो नहीं उठा सकते थे, वे लोग अब कुछ-न-कुछ तो षडयंत्र करेंगे ही, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वे कुछ कर सकें तो अब वह कुछ-न-कुछ षडयंत्र कर गये।

महोदय, पुलिस पार्टी के जाने के बाद जितेन्द्र यादव नाम के एक व्यक्ति ने वहां पर गोली चलाई थी और एक निर्दोष मुस्लिम महिला को वहां पर गोली मारी थी, वह पकड़ा गया है और ऐसे तत्वों के साथ सख्ती से निपटने की छूट भी प्रशासन को दी गयी है। यह पहली बार नहीं है, मुझे याद है कि वर्ष 2017 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था तो उस समय आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थीं और जहरीली शराब से मौतों के बाद, जब हम लोग मामले की तह में गये कि कौन वह व्यक्ति है, तो क्या यह सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। हमारे पास उसके पूरे तथ्य एवं प्रमाण हैं और मैं उसका नाम बोलुंगा तो आपको और भी बुरा लग जाएगा इसलिए नाम मत लेने दीजिए।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर माननीय नेता सदन को नाम ही लेने हैं तो पिछले पांच साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सभी लोगों के नाम लेने चाहिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

हम सबका नाम देंगे, आप हमें मुद्दे दीजिये।

श्री अखिलेश यादव-

आप नाम दीजिए, आपको किसने रोका है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

हम सबका नाम देंगे।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, जहां तक सिद्धार्थनगर की घटना की बात है तो वहां पुलिस की गोली से मारे गये हैं, लेकिन ये लोग परिवार को मैनेज करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मुख्य मंत्री जी की बात आ जाने दीजिये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री रह चुके हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि घटना सिद्धार्थनगर के अन्दर हुई है और कोई भी व्यक्ति आज के समय पर घटित होने वाली किसी भी ऐसी आपराधिक घटना को छुपा नहीं सकता है। हर एक इस प्रकार के मामलों में बोर्ड गठित होता है, वीडियोग्राफी होती है, एफ0एस0एल0 की पूरी रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच भी उसके बाद होती है और उस सब में यह तथ्य सामने आये हैं कि पुलिस की गोली से नहीं, बल्कि एक अवैध असलहे से वह हत्या हुई है, दोनों में अन्तर होता है। एक जिम्मेदार पार्टी से होने के नाते आप जब सदन में इस प्रकार की बात करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो एक फोर्स की और पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने वाली हो। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात होनी चाहिए। अपराधी कहीं भी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात तो होनी चाहिए, लेकिन कोई बात हमें ऐसी नहीं कहनी चाहिए जो प्रदेश की सुरक्षा पर और एक जिम्मेदार पुलिस बल पर उंगली उठाता हो और उसके मनोबल को तोड़ने वाला हो। यह हमें हमेशा ध्यान रखना होगा और दूसरा अन्य जिन मामलों में भी बातें हुई हैं, हर एक मामले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और सरकार फिर इस बात के लिए आश्वस्त करती है, पूरे सदन को कि किसी भी अपराधी, जो अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेन्स की नीति के तहत कार्रवाई होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह किसी को नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना और माननीय मुख्य मंत्री जी को सुना। इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ।

श्री अखिलेश यादव-

सवाल यह है कि महिलाओं के ऊपर अपराध होने पर यू0पी0 कहां खड़ा है ? मुख्य मंत्री जी, जो आपने कहा कि दलाल दलाली नहीं कर सकते हैं, उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर आप कल पूछिएगा। अगली सूचना श्री ओम प्रकाश राजभर जी की है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

अध्यक्ष जी, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता सदन को मैंने सुना। मेरे ऊपर जो घटना घटी है, मैं उसी का जिक्र करना चाहता हूँ। क्षेत्र भ्रमण के तहत मैं 10 मई को सुबह साढ़े दस बजे, तीन गांव के बाद चौथे गांव में गया। गाड़ी खड़ी करके हम रामजी राजभर के दरवाजे पर पानी पी रहे थे, उसी बीच एक मोटर साइकिल से कोई गया, आगे से भी मोटर साइकिल आयी, दोनों भिड़ गये। विवाद हुआ, विवाद के बाद गांव से ही लाठी-डण्डा लेकर चले आये मेरे ऊपर। उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ओम प्रकाश राजभर ही यह मार करा रहे हैं। मैंने सोचा ही नहीं, तब तक सुरक्षाकर्मी और हमारे साथ जो 25-30 लोग थे, उन लोगों ने बीच-बचाव किया, फिर गाड़ी में बैठे, फिर वह लाठी-डण्डा लेकर गाड़ी के आगे खड़े हो गये। फिर किसी तरह हम लोग निकले तो मैंने एस0ओ0 करीमुद्दीनपुर को फोन किया, फिर मैंने एस0पी0 को फोन किया, मैंने ए0डी0जी0 को फोन किया, प्रमुख सचिव, गृह को फोन किया। मैंने डी0जी0 को भी फोन किया। पौन घण्टे के बाद एस0ओ0 की गाड़ी पहुंची, एस0ओ0 से भी वह सब मार-पीट करने पर उतारू हो गए। फिर किसी तरह वह हमको वहां से निकाले। फिर एस0पी0आर0ए0, एडिशनल एस0पी0 मौके पर पहुंचे। उन लोगों ने कहा कि चलिए, इसको कैसे भी निपटा लिया जाये। हमने कहा कि हमको कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तब उन लोगों ने दो लोगों को गिरफ्तार किया और यह तय हुआ कि हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे।

एस0पी0आर0ए0 महोदय, एडिशनल एस0पी0 ने मुझसे यह खुद कहा, आप मंगा कर देख लीजिए, जो गाजीपुर पुलिस का ट्वीटर हैण्डल है, उस पर उन्होंने बयान भी दिया है कि ओम प्रकाश राजभर बैठे थे, बगल में मोटर साइकिल से विवाद हुआ, उन लोगों को न समझ हुआ, उसके बाद वह लोग पूछ-ताछ करने के लिए चढ़ आए। तो जहां मार-पीट हो रही है तो कोई सीधे पूछ-ताछ करने नहीं आयेगा, लाठी-डण्डे से लैस आयेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं शान्तिप्रिय ढंग से बैठा था, एस0पी0आर0ए0 महोदय ने मेरी तरफ से तहरीर लिया और मुकदमा लिख दिया और मुझसे कहा कि मैं 24 घण्टे के अन्दर कार्रवाई करूंगा। हम सभी लोग वहां से चले गये। रात के 11:00 बजते-बजते दोनों अपराधी छोड़ दिये जाते हैं और हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है, कुल 17 लोगों के खिलाफ और एक अज्ञात के खिलाफ। जबकि पुलिस के ट्वीटर हैण्डल पर साफ लिखा है कि इसमें ओम प्रकाश राजभर का कोई दोष नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। उस समय एस0पी0आर0ए0 महोदय गए थे, हमारे माननीय विधायक वीरेन्द्र जी भी गए थे, वह मौके पर थे, हमारे कई और विधायक

भी मौके पर पहुंच गये थे। एस0पी0आर0ए0 महोदय और एडिशनल एस0पी0 ने कहा कि कोई मुकदमा नहीं लिखा जायेगा। जीरो टॉलरेन्स की बात हो रही है, जब यह घटना विधायक के साथ हो रही है, मान्यवर, पुलिस ने हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख दिया, मुझे मुकदमे की चिन्ता नहीं, मुझे चिन्ता सच्चाई की है। मैंने डी0एम0 से भी कहा तो डी0एम0 ने कहा कि अन्याय हुआ है, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी पैदा हुई कि हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है, हमसे क्या कसूर हो गया ? क्या मैं क्षेत्र भ्रमण करना छोड़ दूं ? इस विषय पर जो मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया 323, 504, 506, 147, 67 क्या हम बैठकर किसी के दरवाजे पर पानी भी न पियें ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मा0 ओम प्रकाश राजभर जी जो इस सदन के सदस्य भी हैं और मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने स्वयं अपने बयान में इस बात को कहा है और जो विवाद का कारण था उसको भी बताया और जिस प्रकार से घटना थी उसको भी बताया, लेकिन जो पुलिस महानिरीक्षक कानून-व्यवस्था की रिपोर्ट हमारे पास आई है, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर की तरफ से उसमें यही किया गया है कि दोनों तरफ से विवाद हुआ है और दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत हुआ है। मुकदमा क्राईम नम्बर 99/22, 147, 323, 504, 506 जो आपकी तरफ से गाजीपुर में श्री सुरेन्द्र राजभर पुत्र पारस नाथ के द्वारा दिखाया गया और आपके खिलाफ भी एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है क्राईम नम्बर 100/22, धारा-147, 323, 504, 506 आई0पी0सी0 व 67 आई0टी0 एक्ट बनाम ओम प्रकाश राजभर आदि। इसमें दोनों अभियोगों की विवेचना स्थानीय थाने में प्रचलित है और हम आपके माध्यम से इस सदन को आश्वस्त करते हैं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा, यही इस समय कहने की आवश्यकता है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि तीन तहरीर दी गई थी मैं आपको वीडियो भी सुना सकता हूँ जिसमें मेरे खिलाफ दो बजे दिन में मई का महीना था मैं गाय चराने गया था, ओम प्रकाश राजभर सैकड़ों की संख्या में आए मुझे मारे-पीटे और गाय हांक दिए कि लेकर भाग जाओ यहां चराने मत आना यह पहला वीडियो जारी हुआ। दूसरा वीडियो जारी होता है कि ओम प्रकाश राजभर प्रधान को लेकर सैकड़ों की संख्या में जमीन कब्जा करने आये। फिर तीसरी तहरीर दी गई जिसमें रात के 11 बजे मुकदमा लिखा गया है। मान्यवर, मैं कहता हूँ कि आप किसी मजिस्ट्रेट से जांच करा लीजिए अगर मैं दोषी पाया गया तो इसी सदन से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। जिस तरह से वहां पर पुलिस का रूप है और वहां पर सरकार के दबाव में काम हो रहा है। चाहे कोई कुछ भी कहे मेरे ऊपर मुकदमा क्यों किया गया ? मेरा क्या कसूर था ? इस कसूर की जानकारी मुझे लेना है।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, नेता सदन हैं मा0 ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ भी रहे हैं आज हमारे साथ आ गए हैं, लेकिन इतनी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। कम से कम उनको न्याय मिलना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं इस बात को पहले आश्वस्त कर चुका हूँ कि कोई दुश्मनी की बात नहीं है, कोई पूर्वाग्रह की बात भी नहीं है। यह दिमाग से निकाल दिया जाये।

श्री अखिलेश यादव-

दिमाग से क्या बात नहीं होनी चाहिए, दिमाग से क्या निकाल दिया जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यहां पर किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 सदस्य के साथ अन्याय हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इस प्रकरण की आप जांच करा लीजिए।

श्री अखिलेश यादव-

उस दिन मैंने खुद जिलाधिकारी महोदय से बात की थी। मैंने कहा कि नेता पुराने हैं इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, मैं दिखवा लूंगा और घटना हुई है उनके साथ और जानबूझ कर घटना हुई है। जीत का घमण्ड नहीं होना चाहिए, मैं भी जानता हूँ कि आप कैसे जीत के आए हैं।

इनके बहुत सारे लोग बेईमानी से जीते हैं। क्या जीतने का घमण्ड दिखाते हो ?

श्री अध्यक्ष-

वह अलग चीज है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसमें कोई जीतने का घमण्ड नहीं है।

(तत्पश्चात् कतिपय सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, बिना सिर-पैर की बात करते हैं ये लोग। ये देखिए, यह क्या हो रहा है ? ऐसे हाउस नहीं चल सकता। ये भाषा और व्यवहार नहीं हो सकता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, जब मा0 राजभर जी ने कहा था, जब उन्होंने सदन के सामने नियम-56 की सूचना के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दिया तो मैंने उसी वक्त इस बात को कहा कि इसमें पूरी तरह से न्याय होगा, दोनों मामलों में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा। मैं यह आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूँ और यहां पर किसी प्रकार का कोई घमण्ड नहीं है। इसमें घमण्ड की कोई बात ही नहीं है। जब मैंने कह दिया कि जो विवेचना है, उसमें न्याय होगा। जब मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूँ तो अब इसमें फिर किसी प्रकार की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अगली दो सूचनाएं मैं ध्यान आकर्षण के लिए ले लेता हूँ।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, ऐसे आश्वासन मैं पांच साल से सुन रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, देखिए पूरी बात आ गई है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी तो अब क्या है ? यहां पर कोई जांच का विषय नहीं है, अब जांच जहां से होनी है, वहीं से होनी है। मा0 राजभर जी, आपने अपनी पूरी बात बताई, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इसमें आपने भी रिपोर्ट लिखाई है तो अब दोनों की निष्पक्ष जांच हो जाएगी। अब आप निष्पक्ष जांच के अलावा और क्या चाहते हैं ? इसमें कोई पक्ष-विपक्ष नहीं है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी किसी का पक्ष नहीं ले सकते। जांच जो भी करेगा तो अगर आपको जांच पर डाउट है तो आप मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि उसकी जांच कैसे होगी ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, इन्होंने तो मुकदमा लिखाया है।

श्री अध्यक्ष-

अब पुलिस का काम तो पुलिस ही करेगी, पुलिस का काम मैं और आप तो नहीं करेंगे, उसका काम तो वे ही लोग करेंगे।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, पुलिस ने ही तो मुकदमा लिखा है तो क्या पुलिस जांच करके रिपोर्ट देगी ?

श्री अध्यक्ष-

अगली दो सूचनाएं मा0 उमाशंकर सिंह जी और मा0 पंकज मलिक जी की हैं जो ध्यान आकर्षण के लिए स्वीकार हैं। बाकी सारी सूचनाएं अग्राह्य हैं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

अब मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। डॉ0 मंजू शिवाच, आप मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

डॉ0 मंजू शिवाच-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सदन मा0 राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 23 मई, 2022 को दिया है, उस पर कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है। मान्यवर, कोरोना जैसी महामारी के बाद उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मा0 योगी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी की दूरदर्शी सोच के अनुसार जो कार्य किया उसी का असर है कि आज पुनः पूर्ण बहुमत के साथ जनता ने पूरे सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश की बागडोर दोबारा आदरणीय योगी जी की सरकार को सौंपी है। इसके लिए हम सभी जनता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 राज्यपाल महोदया ने ईज ऑफ लिविंग की बात कही, जो हमारी सरकार ने कर दिखाया है और यह ईज ऑफ लिविंग विभिन्न योजनाओं के द्वारा किया गया। अब से बहुत पहले बहुत सारे ग्रामीण और और शहरी गरीब जिनके पास घर नहीं था, उन्हें मा0 प्रधानमंत्री जी की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री जी ने क्रियान्वित करके दिखाया। हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगभग 12.50 लाख घर बने और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अगर छोटी-छोटी नगर पंचायतों में भी देखें तो लगभग 1200 से ऊपर, 1800 से ऊपर घर बने हुए हैं। पहले हमारे शहरी मोहल्ले जो स्लम कहे जाते थे या जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते थे, जहां मोहल्ले के मोहल्ले बहुत पिछड़े हुए रहते थे। आज वे मोहल्ले और गलियां इन घरों से चमचमा रहे हैं। इन घरों में टाइल्स तक लगी हुई है। ये मोहल्ले बहुत सुन्दर हो गये हैं और इन सभी गरीबों को एक छत मिल गई है। यह सपना आदरणीय योगी जी ने पूरा करके दिखाया है और इससे ईज ऑफ लिविंग हुआ है। अगर आदमी के सिर के ऊपर छत है। परिवार छत के नीचे बैठा है तो उससे ईज ऑफ लिविंग आता है और अपनी सरकार ने चूंकि बहुत सालों से भारत को स्वच्छ करने की बातें चलती रहती थीं, लेकिन यदि पिछले दशक में हम जायें तो धरातल पर इतना कुछ नहीं हो पाया न भारत स्वच्छ हो पाया।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो स्वच्छ भारत की एक योजना थी, उसके तहत उत्तर प्रदेश में जो शौचालयों का निर्माण किया गया, उसमें पहले चरण में 2.61 करोड़ व्यक्तिगत

शौचालय बनाये गये। ऐसा नहीं है कि पहले ग्रामीणों को या जो हमारे शहरी गरीब थे उन्हें शौचालय की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन पहले की सरकारों ने कभी इतनी गम्भीरता से इसे सोचा नहीं। शौचालय सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शौचालय की ही जरूरत पूरा करता है, जो व्यक्तिगत शौचालय बने हैं, उससे जो पोलियो हमारे देश से हटा है, पोलियो का जो उन्मूलन हुआ है, उसमें इन शौचालयों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चूंकि पहले यदि एक गांव में, एक बस्ती में एक बच्चे को पोलियो हो जाता था और वह खुले खेत में या नाली के अन्दर शौच करता था तो पूरा गांव और पूरा मोहल्ला उस बीमारी की चपेट में आने के खतरे में रहता था और इससे बराबर हमारे बच्चे पोलियो की चपेट में आते रहे। पोलियो की बूंदे बहुत समय से बच्चे पीते आ रहे हैं। हमने भी पोलियो की दवा पी, हमारे बच्चों ने भी और पोते-पोतियों ने भी पी, लेकिन पोलियो खत्म नहीं हो रहा था तो इन शौचालयों के बनने से पोलियो के उन्मूलन में बहुत ज्यादा योगदान रहा। यह एक ईज ऑफ लिविंग है और एक परिवार के लिए स्वास्थ्य की कामना है। दूसरे चरण में जो सार्वजनिक शौचालय बने हैं, बहुत-से बस अड्डों पर, बहुत-से मार्केट्स में, पूजा-स्थल पर इन सभी स्थलों को इसमें कवर किया गया और सार्वजनिक शौचालय दिये गये। इस योजना से हमारे रेलवे, बस स्टॉप और जो सामाजिक स्थल हैं, उन सबको इससे आच्छादित किया गया है। आज हम चाहे शहर देखें, चाहे कस्बे देखें सार्वजनिक शौचालय प्रत्येक जगह उपलब्ध हैं। इसमें भी एक कड़ी आगे बढ़कर आज पिंक टॉयलेट्स भी बनाये गये हैं। जो बहुत-से हमारे मेट्रो सिटीज हैं और जो हमारे बहुत-से अड्डे हैं, वहां पर इस तरह के शौचालय भी सरकार ने बनाये हैं जिसमें हमारी जो बहनें अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर जाती हैं, वह उनके साथ टाइम स्पेन्ड कर सकती हैं, फीडिंग करा सकती हैं और उसके बाद वह अपनी नौकरी के लिए या अपने बाजार के काम के लिए जा सकती हैं।

(इस समय अपराह्न 02 बजकर 06 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए)

यह परिवर्तन है सरकार का और यह है ईज ऑफ लिविंग जिससे लोगों की जिन्दगी में परिवर्तन आया। हमारे बहुत-से परिवारों में खाना बनाने की समस्या रहती थी। केन्द्र सरकार ने उज्ज्वला गैस की योजना के माध्यम से गैस सिलेण्डर शहरी गरीबों को, ग्रामीणों को दिये, क्योंकि एक गैस का सिलेण्डर केवल खाना बनाने की बात नहीं है, एक महिला का स्वास्थ्य, एक गृहणी का स्वास्थ्य पूरे का पूरा इस चूल्हे पर टिका हुआ है, क्योंकि पहले महिलाएं खास तौर से बरसातों के मौसम में बहुत परेशान हो जाती थीं, क्योंकि न ईंधन सूखा होता था, न उपले मिल पाते थे और वह महिलाएं खाना बनाने में बहुत परेशानी महसूस करती थीं। साथ ही साथ उन महिलाओं की आंखें व उन महिलाओं के फेफड़ों में धुआं भर जाता था और महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत नीचे चला जाता था। पहले का यदि डेटा देखा जाये तो महिलाओं को टी0बी0 और आंखों की बीमारी बहुत ज्यादा होती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय योगी जी को धन्यवाद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज उज्ज्वला गैस के माध्यम से हमारी जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं है, खासतौर से जो हमारी महिलाएं है, उनके जीवन में परिवर्तन

आया है। उनकी भी ईज ऑफ लिविंग चाहिए और उनकी ईज ऑफ लिविंग अच्छी हुई जिससे उनकी जिन्दगी में परिवर्तन आया। यदि हम सोच कर देखें कि एक हमारी नगर पालिका में काम करने वाली सफाईकर्मी सुबह 5 बजे खाना बनाती है तो क्या सम्भव था कि वह इतनी जल्दी चूल्हे में खाना बना सकती थी ? कभी बरसात की वजह से और कभी ईंधन न होने की वजह से वह अपने बच्चों को बहुत बार ऐसे ही छोड़ कर आ जाती थीं, परिवार को ऐसे ही छोड़ कर नौकरी के लिए आ जाती थीं। यह परिवर्तन इन मजदूर महिलाओं में और छोटे-छोटे काम करने वाली जो हमारी महिलाएं हैं, उनकी जिन्दगी में आया जिनको उज्ज्वला गैस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में यह कनेक्शन दिये। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे मजरे, बहुत सारे हमारे मोहल्ले ऐसे थे कि जहां पर बिजली के कनेक्शन ही नहीं थे। पूरे के पूरे मजरे ही ऐसे थे जहां पर लोगों ने बिजली के बल्ब को जलता हुआ नहीं देखा था। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत आदरणीय योगी जी ने एक-एक मजरे को बिजली के कनेक्शन दिये जो हमारे गरीब भाई-बहन थे, उनके परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिये गये।

(इस समय अपराह्न 02 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

कैम्प लगा-लगाकर दिये गये। इस बिजली के कनेक्शन से उन लोगों की जिन्दगी में परिवर्तन आया और बिजली होने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ी। बिना पढ़े-लिखे व्यक्ति के बच्चे बिना पढ़े-लिखे ही रह जाते थे, आज वो बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और अपने माता-पिता से निश्चित ही वो एक श्रेणी ऊपर जायेंगे। ये परिवर्तन आया है प्रदेश में बिजली के कनेक्शन देने से और कनेक्शन देने के साथ-साथ जो गुणवत्ता है, जो बिजली आने के घण्टे हैं वह निश्चित ही बढ़े हैं। चाहे गांव हो, चाहे कस्बे हों, चाहे शहर हों, 18 घण्टे से 20 घण्टे और 20 घण्टे से 22 घण्टे और 22 घण्टे से 24 घण्टे, शहरों और क्षेत्रों के अनुसार बिजली दी गयी। पहले हमारे किसान जब घर से खेत पर जाते थे तो उनके खेत पर जाते ही बिजली चली जाती थी और वो वापस घर पर आ जाते थे। बड़ी मुश्किलों में जब खेत पर पहुंचते थे तो 02 घण्टे या 03 घण्टे वो ट्यूबवेल चला पाते थे और फिर वापस घर को आ जाते थे। अब हमारा किसान लगातार 08 घण्टे ट्यूबवेल चला के अपनी खेती की सिंचाई करके तब अपने घरों को आता है और जब वो किसान घर पर आता है तो घर में भी बिजली मिलती है। किसान पंखे में बैठकर खाना खाता है और आराम करता है। इस बिजली के आने से उसका ईज ऑफ लिविंग अच्छा हुआ है, उस किसान के जीवन में परिवर्तन आया है।

अब दूसरी बात एक किसान के लिए हमारी ईज ऑफ लिविंग अलग है, मजदूर के लिए अलग है और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति चाहे हाई-प्रोफाइल बिजनेस मैन है, चाहे कोई सी0ए0 है या कोई बैंक मैनेजर है उसके लिए ईज ऑफ लिविंग ये है कि जब वह नौकरी करके अपना काम खत्म करके घर को जाये तो कम-से-कम उसको ए0सी0 या कूलर चलते हुए मिले। पहले तो ऐसा होता नहीं था, क्योंकि बिजली बहुत कम आती थी, लेकिन पिछले 05 साल पूरा अपनी सरकार के कार्यकाल में बिजली की गुणवत्ता बढ़ी, बिजली 18 से 20 घण्टे आती रही जिससे

कि उनकी जिन्दगी में परिवर्तन आया और उनके काम करने की क्षमता बढ़ी, निश्चित रूप से बढ़ी।

चाहे हमारे किसानों की सम्मान निधि की बात हो, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये किसान से पूछिये कि ये छोटी सी राशि भी उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कभी उसके बच्चे की फीस रुक जाती थी, कभी उसे कुछ जरूरी चीज खरीदनी होती थी तो वह रह जाती थी, कभी उसका खाद या बीज रह जाता था। उस किसान की जिन्दगी में परिवर्तन आया तो वह किसान सम्मान निधि से आया जो बिल्कुल ट्रांसपेरेन्ट तरीके से किसान के खाते में समय से पहुंचता है और किसान इसको अपने दैनिक जरूरतों में प्रयोग कर रहे हैं। किसानों को बिजली की बहुत जरूरत, किसानों को समय से खाद मिल जाये उसकी बहुत जरूरत किसानों को अच्छे बीज मिल जायें उसकी बहुत जरूरत, किसानों का पेमेण्ट हो जाये उसकी बहुत जरूरत और किसान की जो उपज है उसको सही मूल्य पर खरीद लिया जाय उसकी बहुत जरूरत थी। ये सब कुछ पिछले 05 साल में हुआ जिसका नतीजा था कि किसान आज खुश है और किसान ने ये समर्थन देकर जाहिर कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम आदरणीय योगी जी के साथ हैं। महोदय, राज्यपाल महोदया ने यह भी कहा कि ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, अपने उत्तर प्रदेश में पिछले 05 सालों में देखने के लिए आया। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की जनता है। अगर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हिन्दुस्तान ही नहीं मुझे लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी और अगर उत्तर प्रदेश पीछे रह जायेगा तो मुझे लगता है कि पूरा विश्व ही पीछे रह जायेगा। यह हमारी 05 साल की सरकार ने कर दिखाया कि उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है। मान्यवर, पहले अपने उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए बहुत सारे बिजनेस फैमिलीज और बिजनेस ग्रुप थे। इण्टरनेशनल से मैं क्या कहूं, हिन्दुस्तान से ही कोई आने को तैयार नहीं होता था, उन्हें डर लगता था कि यहां लॉ एण्ड आर्डर ठीक नहीं है। गुण्डा, बदमाश, माफिया बहुत हैं, यहां कार्य करने की प्रणाली बहुत खराब है तो हम बिजनेस यहां लगायें कि न लगायें। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी सरकार को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बिजनेस करने की जो लोगों की क्षमता है और लोगों को जो अट्रैक्ट करा है, चाहे वह हमारे देश के व्यापारी हों, चाहे हमारे इण्टरनेशनल ग्रुप हों, वह आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं इसके लिए हमारी सरकार ने जो इण्डस्ट्रियल समिट करी थी उसका बहुत बड़ा रोल था।

इण्डस्ट्रियल समिट में जब सभी व्यापारियों को चाहे वह देश के हों, चाहे विदेश के हों, उनको ये विश्वास हुआ कि सरकार हमारी पूर्णता मदद करेगी। हमारे सिंगल-विंडो क्लीयरेंस हों। हमारे कागजी काम कम से कम हो जायेंगे और उत्तर प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था ठीक रहेगी तो उन्होंने सरकार में भी विश्वास दिखाया और यहां की जनता में भी विश्वास दिखाया और विभिन्न तरह की इण्डस्ट्री आज उत्तर प्रदेश में लग रही हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में इण्डस्ट्री आने के लिए हमारी सड़कों की कनेक्टिविटी अच्छी हो, हमारा ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, हमारे व्यापारी ग्रुप जो सामान की लोडिंग करते हैं, उसकी व्यवस्था

अच्छी हो। उसके लिए निश्चित ही जो हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं, हमारी सड़कों का निर्माण है, हमारे एक्सप्रेस-वे हैं, हमारे हाई-वेज हैं, हमारे ट्रेन के रास्ते हैं, उनमें निश्चित ही पांच साल में बहुत अन्तर आया है, चाहे वह बुन्देलखण्ड के एक्सप्रेस-वे हों, रूहेलखण्ड के एक्सप्रेस-वे हों या मैं पश्चिम से आती हूँ तो चाहे वह हमारे पश्चिम के एक्सप्रेस-वे हों, निश्चित ही एक तरफ अगर आई0आर0सी0टी0सी0 की रेल चल रही है तो दूसरी तरफ जैसे मेरठ-डासना रोड है या बहुत सारे एक्सप्रेस-वे चल रहे हैं अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो आदरणीय अध्यक्ष जी, पश्चिम में तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर भी जा रहा है कि उस फ्रेट कॉरीडोर से यदि किसान भी अपनी उपज को दूसरे प्रदेश में भेजना चाहता है तो ए0सी0 कम्पार्टमेण्ट से वह भी भेज सकता है और उचित दाम ले सकता है।

किसान की जिन्दगी में और व्यापारियों की जिन्दगियों में परिवर्तन आया है। हमारी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुईं, अभी हमारी तीसरी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है। निश्चित ही जितने पुराने व्यवसाय हैं, जितनी फैक्ट्री लग चुकी हैं और उनके प्रॉमिस हो चुके हैं, उसके साथ अन्य फैक्ट्रीज भी उत्तर प्रदेश में आयेंगी। आज उत्तर प्रदेश की तरफ पूरा हिन्दस्तान देख रहा है कि किस तरह से हमारे एक्सप्रेस-वे के चारों तरफ एक हमारा डिफेंस कॉरीडोर बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे गोला-बारूद और हमारे डिफेंस सिस्टम की सारी फैक्ट्रीज लगेंगी। किस तरह से हम इन एक्सप्रेस-वे को यूज कर सकते हैं कि हम उनके चारों तरफ फैक्ट्रीज लगायें। जो हमारा मजदूर बाहर जाता था, वह मजदूर हमारा उसी जगह पर रुक जायेगा, उसी जिले में रुक जायेगा। इससे फैक्ट्री वाले को आसानी से मैन पॉवर मिलेगी और मजदूर को आसानी से काम करने के लिए फैक्ट्री मिलेगी और हमारे जो बच्चे पढ़े-लिखे हैं, उनको उन फैक्ट्रीज में काम करने का अवसर मिलेगा। ऐसी सोच के साथ सरकार काम कर रही है और निश्चित ही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश बहुत ऊपर जाने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही नहीं है कि बड़े व्यापार की चर्चा की जाये या सरकार बड़े व्यापारी या बड़े बिजनेस को लाने के बारे में सोचे, सरकार छोटे-छोटे व्यापारियों के बारे में भी सोच रही है और सरकार उसके लिए चाहे वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट योजना हो कि जो हमारे कारीगरों में हुनर है और उसके माध्यम से एक जिले को हम कैसे आगे लेकर जायें और उस जिले के कारीगरों को हम कैसे आगे बढ़ायें। उसको इण्टरनेशनल मार्केट कैसे मिले, उसको नेशनल मार्केट कैसे मिले, ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस हुनर के काम से एक महिला जो कढ़ाई करती थी, उसका प्रोडक्ट भी इण्टरनेशनल मार्केट में जा रहा है, अगर कोई पीतल का काम करता है तो उसका प्रोडक्ट भी जा रहा है, अगर कोई बांस की टोकरी बनाता है तो उसका प्रोडक्ट भी इण्टरनेशनल मार्केट में जा रहा है, यह खूबसूरती वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट की है और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेन्ट के माध्यम से जो हमारा बहुत सारा यूथ है, बहुत पढ़ा-लिखा नहीं है, इंजीनियर नहीं है, उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन वह दसवीं पास है, कुछ काम नहीं करना चाहता है, उसको स्किल सिखाने के माध्यम से चाहे हम उसको वेल्डिंग के काम सिखायें, चाहे

हम उसको टाइल्स लगाने का काम सिखायें, चाहे हम उसको टेलरिंग का काम सिखायें। विश्वकर्मा योजना के तहत उनको विभिन्न काम कराये जा रहे हैं और वह छोटा काम करने वाला व्यक्ति, वह अपना ही काम नहीं संभाल पा रहा है, वह दो-चार और लोगों को भी काम दे रहा है। यह सरकार की सोच है कि अगर बड़ा व्यापारी भी हमारे क्षेत्र में आये तो छोटे-छोटे व्यापारी भी अपने उद्यमों को संभालें तथा देश और प्रदेश की इकोनॉमी में शेयर करें, उसमें सहभागिता करें और बेहतर विकास के लिए अगर कोई फॉरेन डेलीगेट हमारे उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए आता है और वह अपनी फैक्ट्री लगाता है तो निश्चित ही हमारी एयर-कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए और यह हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय योगी जी ने हमें पांच इण्टरनेशनल एयरपोर्ट्स दिये हैं जिनसे हमारी कनेक्टिविटी बहुत सुधरी है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)।

आज सोचिये कि अगर किसी विदेशी कम्पनी का कनॉट प्लेस में आफिस है, वह खोलता है तो वह अपनी फील्ड की साइट दिखाने के लिए बाई-एयर अपने उत्तर प्रदेश में कहीं भी जा सकता है और अपनी फैक्ट्री दिखाकर पुनः कनॉट प्लेस अपने आफिस में वापस आ सकता है। पहले क्या होता था कि उसको अगर अपने फील्ड की अपनी फैक्ट्री दिखानी हो तो वह बहुत बार जाम में अटका रहता था। बहुत बार आने-जाने की एयर-कनेक्टिविटी नहीं थी, इससे फॉरेन डेलीगेट्स भी चले जाते थे और हिन्दुस्तानी जो हाई-प्रोफाइल बिजनेस मैन हैं, वह भी उसमें मना कर देते थे कि हम नहीं लगायेंगे, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होने से आज हर तरह का व्यापारी चाहे वह नेशनल हो चाहे इण्टरनेशनल हो उत्तर प्रदेश आने के लिए उत्सुक है साथ ही साथ हमारे जो छोटे व्यापारी हैं वह भी अपना काम करके और सरकार की स्किल इण्डिया के माध्यम से अपने परिवार को चला ही रहे हैं अपने साथ के लोगों को व्यापार भी दे रहे हैं और काम भी दे रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय योगी जी को भी। महामारी कभी भी आ सकती है और इत्तेफाक यह महामारी हमारे सरकार के कार्यकाल में आई। इस महामारी से वह देश जिन्हें डिवलप कन्ट्री कहा जाता है जिनके पास दवाई, इन्जेक्शन सारे बचाव के साधन वैक्सीन सब कुछ थे। वैक्सीन बनाने के सारे साधन थे वह देश हिम्मत हार गये लेकिन हमारे देश ने हिम्मत नहीं हारी। आज कोरोना का मैनेजमेन्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है वह इस चुनौतीपूर्ण समय में चाहे कोटा से हमारे बच्चों को उनके घर पहुंचाना हो यह काम आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किया है और चाहे हमारे प्रवासी मजदूर रहे हों जो उत्तर प्रदेश का मजदूर दूसरे प्रदेशों में जा कर काम करता था और दूसरे प्रदेश वाले कहते थे कि यह तो उत्तर प्रदेश का मजदूर है, उस मजदूर को आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने अपने यहां बुलाया और उसको उसके जिले तक, उसके गांव तक पहुंचाया है और आदरणीय अध्यक्ष जी इतना ही नहीं मैं स्वयं मोदी नगर से आती हूँ, 20-20 हजार मजदूर दिल्ली से हमारे गाजियाबाद में भेज दिये जाते थे कि जाओ यहां से बसे चलेंगी, ट्रेन चलेंगी और उन 20-20 हजार मजदूरों को हमारी सरकार के माध्यम से उनके प्रदेश भी

भेजा गया, और उत्तर प्रदेश में जहां-जहां उनके जिले थे वहां तक भी भेजा गया, साथ ही साथ जो हमारे मजदूर हैं इनके चाहे इलाज की व्यवस्था हो, चाहे इनके टेस्ट की व्यवस्था हो, चाहे इनके खाने की व्यवस्था हो, इनको तहसीलों के माध्यम से इनको मैनेज किया गया और वह मजदूर याद रखता है जब वोट डालता है कि आदरणीय योगी जी ने मुझे कोरोना के समय घर तक पहुंचाया था और वह बच्चा भी याद रखता है और उसके घरवाले भी याद रखते हैं कि हमारी सरकार ने उन बच्चों को कोटा से निकाल करके उनके घर तक पहुंचाया था और उसका नतीजा है कि उस चुनाव में उन्होंने याद रखा और मेरी सरकार को पूरा सहयोग किया।

साथ ही साथ इस कोरोना काल में हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, खास तौर से हमारी सरकारी तंत्र के पैरामेडिकल स्टाफ हैं चाहे वह कम्पाउण्डर हों, चाहे वह ए0एन0एम0 हों, चाहे वह आशा हों, चाहे हमारी हेल्थ विजिटर्स हों, इन्होंने घर-घर जाकर दस्तक दी और घर-घर जाकर दस्तक देकर, चाहे उन्होंने कोरोना का टेस्ट किया हो, चाहें इन्होंने कोरोना की दवाई दी हो, सरकार के माध्यम से इतनी दवाईयां दी गई थीं कि अगर बिना पढ़ा-लिखा आदमी हो वह भी समझ जाये कि यह किस ग्रुप के बच्चे के लिए है और इसे कितनी दवा देनी है और जो हमारी हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने भी यह काम बखूबी निभाया है, मैं आज सदन के माध्यम से उन पैरामेडिकल स्टाफ को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और उत्तर प्रदेश का मॉडल एक समय था जब हम हिन्दुस्तानी विदेशी मॉडल की तरफ देखते थे और उनके मॉडल को हम फॉलो करते थे। चाहे वह किसी भी आपदा से हो, चाहे वह कोई भी चीज हो, हम विदेश की तरफ देखा करते थे, लेकिन सौभाग्य से आज विदेश हमारी तरफ देख रहा है कि इण्डिया ने कैसे कन्ट्रोल किया और मैं बधाई देती हूँ आदरणीय मुख्य मंत्री जी को कि आज विदेश में जो हमारे जैसे सदस्य सदन में बैठे हैं वह अपने प्रधानमंत्री से कहते हैं कि यू0पी0 मॉडल फॉलो करिये, तब आपका कोरोना ठीक होगा। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारा यू0पी0 मॉडल आस्ट्रेलिया जैसे देशों में फॉलो किया जा रहा है। साथ ही साथ एक आपदा आई और उस आपदा में अरबों रुपये खर्च हुये लेकिन कहीं भी यह देखना होगा कि चाहे वह इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे सड़क निर्माण का काम हो, चाहे अमृत योजना में सीवरेज का काम चल रहा है, वह कुछ समय के लिए थोड़ा शिथिल हुआ लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं हमारे प्रोजेक्ट बन्द हो गये हों, जो सड़कें बन रही थीं, वह सड़कें बनती रहीं, जो सीवर लाइन के प्रोजेक्ट चल रहे थे, वह चलते रहे। थोड़ा गति जरूर कम हुई लेकिन वह बराबर चलते रहे, यह एक बहुत ही काबिले तारीफ की बात है कि इतनी बड़ी महामारी के बाद भी हमारी सारी व्यवस्था पूरे प्रदेश की नियमित चलती रही और साथ ही साथ चाहे सैनिटाइजर बनना हो, जब कोई विपत्ति आ जाती है तो हम बहुत तेजी से सोचते हैं और सैनिटाइजर बनाने से शुगर मिल से हमारा इतना सैनिटाइजर बन गया कि हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। यह सरकार की दूरदर्शी नीति का परिणाम था कि शुगर मिल से सैनिटाइजर बने और वह अस्पतालों में लोगों को मुहैया कराये गये। साथ ही साथ पीएचसीज पर आज हमारे जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, अपग्रेडेड हमारे हेल्थ सेन्टर्स हैं उन पर सब पर आक्सीजन बनाने की मशीनें क्षमता के अनुसार लग

चुकी हैं और हमारे सभी स्वास्थ्य केन्द्र इससे आच्छादित हैं। चाहे आक्सीजन के कन्सेन्ट्रेटर हों, चाहे आक्सीजन के बड़े सिलेण्डर हों, वह सब किसी न किसी माध्यम से हमारे अस्पतालों में लग चुके हैं।

हालांकि तीसरी जो खतरनाक वेव थी वह भी निकल गई लेकिन उसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, यह हमें कोरोना सिखाकर गया है। उत्तर प्रदेश ने बखूबी उससे बहुत कुछ सीखा और आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े-छोटे सभी अस्पतालों को इसके लिए तैयार कर दिया कि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना होती है तो हम उससे निपटने के लिए तैयार रहें। चाहे व्यक्ति अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे गांव में रहता हो, चाहे शहर में रहता हो, हर किसी को इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारे चारों ओर कानून-व्यवस्था कैसी है। अगर एक लड़की पढ़ने जाती है, वह टाइम से घर नहीं आती तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं या कोई बच्चा नौकरी पर गया तो मां उसके आने का इन्तजार देखती थी। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्य मंत्री जी को और अपनी पूरी सरकार को कि पिछले पांच सालों में कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। चाहे आम जनता हो, चाहे व्यापारी हों, आज गुण्डे, माफिया, छोटे चेन छीनने वाले, मोबाइल खींचने वाले सारे बदमाश बिल्कुल साइलेंट पड़े हैं। खास तौर से हमारे यहां पश्चिम में तो गाड़ियां चोरी हो जाती थीं, मोटर साइकिल चोरी हो जाती थीं, मैं तो अस्पताल की ओनर हूँ तो जानती हूँ कि अस्पताल के बाहर से ही मोटर साइकिल चोरी हो जाती थी। मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो गाड़ी चोरी की बहुत बड़ी समस्या थी वह सोतीगंज का बाजार बन्द होते ही सारी की सारी समस्या खत्म हो गई। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं आस-पास के प्रदेशों को भी बहुत सुकून मिला है क्योंकि गाड़ियां चोरी होना बन्द हो गईं, यह एक अन्तर आता है कानून-व्यवस्था के ठीक होने से। एक बच्ची पढ़ने जाती है तो वह कल की उत्तर प्रदेश की अच्छी नागरिक बनेगी, हमारे प्रदेश को एक क्वालिटी सिटीजन मिलेगा। एक लड़का जो नौकरी पर जा रहा है वह निश्चिन्त होकर नौकरी कर सकता है क्योंकि उसको यह चिन्ता नहीं है कि मुझे गांव जाते हुए गुण्डे-बदमाश मिल जायेंगे।

जिस भी प्रदेश में महिलाएं पढ़ रही हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं निश्चित ही वह प्रदेश आगे जाता है और बढ़ता है। आज उत्तर प्रदेश की बेटियां पढ़ रही हैं और वह उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की इकोनामी में सहयोग कर रही हैं। खास तौर से महिलाएं थाने जाते हुए बहुत डरती थीं, पुलिस से बात करते हुए डरती थीं, खाकी वाला कोई व्यक्ति घर आ जाये तो वैसे भी महिलाएं डर जाती हैं। इसको ध्यान रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने मिशन शक्ति सेन्टर बनाये हैं, पिंक हेल्प डेस्क बनाये हैं, वहां एक महिला जाकर अपनी बात कह सकती है। चाहे उसके घर में किसी तरह की बात हुई हो, या उसे किसी ने फोन पर धमकी दी हो या अश्लील मैसेज भेजे हों, चाहे किसी भी तरह का गलत व्यवहार हुआ हो, वह लड़की निश्चित रूप से वहां जाकर महिला पुलिसकर्मी से अपनी बात कह सकती है। इन महिला पुलिस थानों का इतना खौफ है कि आज लड़कियों को छेड़ना, बदतमीजी

करना बहुत पुराने इतिहास की बात हो गई है, आज लड़कियां निश्चिन्त घूम रही हैं और यदि कोई दिक्कत होती है तो निश्चिंत होकर थाने भी चली जाती हैं। इसके साथ-साथ हमारे जो होमगार्ड्स थे, वह साइडलाइन थे लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन्हें पुलिस के साथ समायोजित किया, ट्रैफिक पुलिस के साथ समायोजित किया तथा एनडीआरएफ के लिए उनकी ट्रेनिंग करायी उससे उनकी मैनपॉवर को अच्छी दिशा में आगे बढ़ाया गया, इससे चाहे पुलिस हो या एनडीआरएफ हो, उसकी क्षमता में परिवर्तन आयेगा इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे जो महापुरुष हैं, जिनकी गाइडलाइन्स पर हम चलते हैं कि हमारी सेवाएं अन्त तक जाएं, हमारी सेवाएं आखिरी छोर तक जाएं और इसी कड़ी में आदरणीय अटल जी के जन्म जयन्ती के अवसर पर आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे बच्चों को जो फोन और टैबलेट बांटे हैं, उससे निश्चित ही हमारे युवा वर्ग में बहुत उत्साह आया है। कोरोना के कारण स्कूलों और कोचिंग्स में टैबलेट और फोन से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में निश्चित ही बहुत प्रभावशाली साबित हुआ है। बहुत सारे बच्चे फोन और टैबलेट्स नहीं खरीद पाते थे, उनके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी की यह योजना निश्चित ही बहुत लाभकारी है।

साथ ही साथ विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन की जो रकम बढ़ाई गई है, उससे उनकी जिन्दगी में जरूर परिवर्तन आयेगा। बहुत बार घर में बेटियां पैदा होने को अभिशाप मान लिया जाता था। अगर हम पिछले पांच साल के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश में बेटियों की संख्या बढ़ी है। पहले जो अल्ट्रासाउण्ड के माध्यम से बेटियों की संख्या कम हो रही थी, उसमें हम बहुत हद तक सफलता पाए हैं। उत्तर प्रदेश में अब बेटियों का लिंगानुपात बढ़ रहा है।

साथ ही साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह ऐसे होता है, जैसे लगता है कि किसी राजा-महाराजा के बेटी की शादी हो रही है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से एक साथ दो-दो हजार बच्चियों की शादी हो रही है। अगर ये कार्यक्रम छोटी जगह पर है तो भी इस योजना के तहत दो-तीन सौ बच्चियों की एक साथ शादी होती है। निश्चित ही एक गरीब परिवार इसकी महत्ता समझ सकता है कि ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम उसके लिए कितना उपयोगी है।

एक और विशेष बात पूरे पांच साल के कार्यकाल की है। आदरणीय राज्यपाल महोदया के मन से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है 'पोषण'। चाहे गर्भावस्था से देखें, चाहे पांच साल के बच्चे देखें, वे कुपोषित होते थे। एक गरीब के घर में बच्चा पैदा हो गया, तो उसको यही नहीं पता कि उसको क्या खिलाएं ? सरकार उन बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध करा रही है, सरकार बराबर मानीटरिंग कर रही है। यहां तक कि राज्यपाल महोदया स्वयं बहुत सारे बच्चों को गोद लेने के लिए, टी0बी0 के मरीजों को गोद लेने के लिए प्रेरित करती रही हैं। अभी पिछले महीने सरकार का एक कार्यक्रम चला था, जिसमें टी0बी0 के मरीजों और कुपोषित बच्चों को गोद

लिया गया था। सिर्फ सरकार की तरफ से शुरुआत करने की देर है। हमारे समाज में काम करने वाले इतने सामाजिक व्यक्ति हैं कि बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर गोद लेने वाले व्यक्ति ज्यादा थे और मरीज कम पड़ गये। जिस तरह से हमारे टी0बी0 के मरीजों को गोद लिया जा रहा है, तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश क्या, पूरे हिन्दुस्तान से टी0बी0 भी जल्दी ही चली जायेगी, जैसे पोलियो गया है ? इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए जो 'स्कूल चलो अभियान' है। काया कल्प के माध्यम से आज हमारे प्राथमिक विद्यालय बहुत सुन्दर हो गये हैं, उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। उनमें बच्चों के बैठने के लिए बढ़िया फर्नीचर है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। एक ब्लॉक में हमारे बहुत सारे स्कूल प्राइवेट विद्यालयों को टक्कर दे रहे हैं। आज हमारे प्राइमरी स्कूलों का ये स्तर हो गया है कि वहां बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं, सीटें भी फुल हो जाती हैं और हम जैसे लोगों से एडमिशन के लिए सिफारिश भी लगवायी जाती है। एक समय ऐसा था कि उन स्कूलों में न टीचर होते थे और न बच्चे होते थे, लेकिन आज टीचर्स भी मेहनत से कार्य कर रहे हैं और बच्चे भी उसमें पढ़ रहे हैं। जब हमारे गांव के गरीब बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, तभी हमारे बड़े-बड़े महाविद्यालय, इंजीनियरिंग और आई0आई0टी0 के कॉलेज काम आएंगे, क्योंकि यदि प्राथमिक स्तर ही हमारा अच्छा नहीं होगा, तो निश्चित ही बच्चे उच्च शिक्षा के लिए कहां जा पाएंगे ? साथ ही साथ हमारे जो महाविद्यालय और मेडिकल कॉलेजेज बढ़े हैं, निश्चित ही आने वाले समय में उससे बहुत परिवर्तन आयेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार के सराहनीय कामों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि मा0 प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप हम सबका साथ, सबका विकास और तेजी से बढ़ेगा। साथ ही सबका विश्वास और हम सबका प्रयास उत्तर प्रदेश को अति उत्तम प्रदेश बनायेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

समर्थन के लिए मा0 साकेन्द्र प्रताप जी अपनी बात रखें।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 राज्यपाल जी द्वारा राज्य विधान मण्डल के समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिए गए अभिभाषण पर डॉ0 मन्जू शिवाच जी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए उक्त प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, पिछली बार हम लोग विधान सभा के अन्तिम सत्र में जिस समय बैठे थे, तब मा0 अध्यक्ष जी ने एक वाक्य कहा था कि हम सब लोग इस गुम्बद के नीचे अग्नि स्नान करके आते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दोबारा आई है और हमारे बहुत सारे सदस्य नये निर्वाचित होकर आये हैं। पुराने बहुत साथी आये हैं। वह सब अग्नि स्नान करके आये हैं, इसलिए मैं उन सबका अभिनन्दन करता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, सरकार के बारे में बहुत भ्रम फैलाने की

कोशिश की गई थी। पहले तो हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी के बारे में कहा गया कि बाबा जी तो गए, जो नोएडा गया वह वापस ही नहीं आया। हमने मिथक तोड़ दिया और मिथक तोड़ कर मुख्य मंत्री जी ने फिर से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कमान संभाल ली। कुछ लोग यह भी भ्रम फैला रहे थे कि बाबा जी अगर चुनाव जीत भी जाएंगे तो भी सरकार तो नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार तो उत्तर प्रदेश में दुबारा कभी नहीं बनी। रिपीट नहीं होंगे ये भ्रम भी फैलाने की कोशिश की गई परन्तु जनता का विश्वास हमारे साथ था। हमारी सरकार का सुशासन, हमारी सरकार का लोक कल्याण का मंत्र, हमारी सरकार का गरीब कल्याण का मंत्र और विकास के नए प्रतिमान जनता ने स्वीकार किए। जनता ने एक बार फिर से हमको आशीर्वाद दिया और जनता ने कहा कि भले यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हों कि दोबारा सरकार नहीं आती, लेकिन जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसी का दुबारा आना जरूरी है। 2017 में आप जिस नारे के साथ आये थे, ना गुण्डाराज, ना भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार, वह नारा आपका बहुत सटीक है।

आपने 5 साल उसी नारे का ईमानदारी से पालन किया है, इसलिए आप जाओ फिर से प्रदेश की जनता की सेवा करो। प्रदेश के अन्दर फैलाए गये इस भ्रम को भी हमने तोड़ने का काम किया है। वैसे तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम उत्पन्न करना कुछ लोगों का काम है मा0 अध्यक्ष जी, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी और इस चर्चा के दौरान एक बहुत गम्भीर आरोप भारत के निर्वाचन आयोग के ऊपर लगाया गया कि बेईमानी करके कुछ लोग चुनाव जीते हैं। मैं तो शिक्षक रहा हूँ, क्लास में भी हम लोग देखते थे कि जो लड़का पास हो जाता था वह कहता था कि हम तो अपने पौरुष और पराक्रम से पास हुए हैं लेकिन जो फेल हो जाता था वह कहता था कि मास्टर साहब ने फेल कर दिया है। बिल्कुल वही स्थिति यहां विधान सभा में उपस्थित हुई है। मा0 अध्यक्ष जी, इधर के लोग बेईमानी करके जीते हैं और उधर के ईमानदारी से जीते हैं, तो फिर यह मापदण्ड भी दोहरा है और दोहरे मापदण्ड पर भी सदन को विचार करने की आवश्यकता है। जब 2017 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, तब जिन्होंने उससे पहले की सरकार चलाई थी उन्होंने कहा था कि 5 साल बेमिसाल, आपके 5 साल बेमिसाल को जनता ने ढकोसला समझा और जनता ने कहा 5 साल बेमिसाल नहीं, कौन-कौन से काम किए गए हैं उन कारनामों की सजा जनता ने उनको दी है। जो हमारे अच्छे काम हैं, उन अच्छे कामों के कारण जनता ने हमें फिर एक बार सेवा करने का मौका दिया है। एक दूसरा भ्रम पूरे एक साल फैलाने की कोशिश की गयी कि यह सरकार किसान विरोधी है। माननीय अध्यक्ष जी, यह वो सरकार है जो 2017 में पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ करती है। यह वो सरकार है जिसमें 2 करोड़ 55 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी गयी। यह वो सरकार है जिसमें कृषि उपज खरीदने के लिए, जितना पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में खरीदा गया होगा उससे दो से ढाई गुना ज्यादा खरीद की गयी और समर्थन मूल्य भी लगभग डेढ़ गुना करने का काम किया।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मैं किसी दूसरी विधान सभा क्षेत्र का नहीं केवल अपनी विधान सभा क्षेत्र का आंकड़ा बताता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 23913 किसानों का कर्जा माफ हुआ है। 80 लाख रुपये की लागत से मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कृषि कल्याण केन्द्र का निर्माण हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो मैंने अपने हाथों से कर के देखा है, हजारों किसानों की सरसों, लाही, मसूर का निःशुल्क बीज वितरण योगी जी की सरकार में पूरे प्रदेश में करने का काम किया है। इसलिए जनता ने सोचा कि ये तो भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो सरकार किसानों के लिए इतना कर रही है, उसकी बुराई कर रहे हैं। पीछे के कार्यकाल में सरकार ने कभी किसान के खाते में एक रुपया नहीं भेजा। अगर यह सरकार अच्छे काम कर रही है तो इस सरकार को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने यह भ्रम भी तोड़ने का काम किया और फिर से अग्नि स्नान करके हम सब लोग इस गुम्बद के नीचे आ गये। 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट हुई है।

(विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा टोका-टाकी करने पर)

माननीय अध्यक्ष जी, जब माननीय सदस्य का मौका आयेगा तो जरूर बोलने के लिए निर्देशित करियेगा। उत्तर प्रदेश की महान जनता का जो आशीर्वाद हमारे साथ है, यह गुड-गवर्नेन्स का आशीर्वाद है। अभी थोड़ी देर पहले जब डॉ0 मन्जू शिवाच माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही थीं, उसमें कोरोना के काल खण्ड का जिक्र किया। हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई व्यवस्थाएँ नहीं थीं, लेकिन वह व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी तरीके से बना करके उत्तर प्रदेश को बचाया। यू0पी0 पूर्वांचल का गेट-वे बन गया था जहां मुम्बई से, जयपुर से, दिल्ली से आने वाले लोग भी आ रहे थे और उनको भी सेवा व सुविधा देते हुए सब तरह से उनकी सेवा करने का काम किया। सारे अस्पतालों ने ठीक तरह से सेवा करने का काम किया। न जाने हमारे कितने कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारे सरकार के मंत्री सेवा करते-करते हमारे बीच नहीं रहे। अनेक विधायक हमारे बीच में नहीं रहे। मैं स्वयं 18 दिन एस0जी0पी0जी0आई0 की आई0सी0यू0 में भर्ती रहा। माननीय मुख्य मंत्री जी और दोनों डिप्टी सी0एम0 लगातार हम लोगों की चिन्ता करते रहे, पूरे प्रदेश के लोगों की चिन्ता करते रहे। इसके पहले जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविन्द चौधरी जी थे उन्होंने भी सदन के अन्दर स्वीकार किया था कि इस सरकार ने बहुत बेहतर ढंग से इस कोरोना के काल खण्ड में सेवा देकर प्रदेश के लोगों को सुरक्षित करने का कार्य किया है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

केवल इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक-एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तमाम प्रकार की सुविधायें दे करके इस सरकार ने कोरोना से इस प्रदेश की जनता को बचाने का काम किया। इस कोरोना के काल खण्ड में आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, आपने अपने परिवार में भी कहीं नहीं देखा होगा, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्य मंत्री आपने देखा जो अपने पिता की अर्थी को कन्धा देने के लिए भी नहीं गया, उसके लिए उत्तर

प्रदेश की जनता की सेवा महत्वपूर्ण थी, कोरोना का काल खण्ड उसके लिए महत्वपूर्ण था। कोरोना में जनता की सेवा में कोई कमी न आ जाये इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी अपने पिताजी की मृत्य के अन्तिम संस्कार में भी वहां पर नहीं गये। माननीय अध्यक्ष जी, आस्ट्रेलिया के सांसद अगर कहते थे कि थोड़े दिन के लिए योगी जी को आस्ट्रेलिया भेज दो तो शायद हमारे यहां का भी कोरोना खत्म हो जाये तो यह मान करके चलना पड़ेगा कि आस्ट्रेलिया के सांसदों के मन के अन्दर यदि यह विचार आता है तो उत्तर प्रदेश में कोरोना काल का गुड-गवर्नेन्स का प्रबन्ध कैसा रहा होगा, इसको हम सब लोग बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। पूरी सरकार तथा माननीय मुख्य मंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज निश्चित रूप से इसके लिए अभिनन्दन के पात्र हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, उस समय चिकित्सा शिक्षा विभाग हमारे आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी देखते थे, वह भी इसके लिए अभिनन्दन के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल खण्ड के समय बेहतर व्यवस्था देने का काम किया है। गुड-गवर्नेन्स का मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ। चुनाव में लोगों ने भयभीत होकर मुख्य मंत्री जी का बुलडोजर बाबा नाम रख दिया। जो उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर एक यंत्र नहीं है, बुलडोजर गुण्डागर्दी को समाप्त करने का प्रतीक बन गया है। उस बुलडोजर का किस-किस तरह से लोगों ने चुनाव अभियान के अन्तर्गत नाम लिया है, यह भी हम सबको पता है। गुड-गवर्नेन्स के मामले में अगर मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र का आपको उदाहरण दूं तो शायद लोगों को आश्चर्य होगा। आजादी के बाद लम्बे समय से एक मेन रोड पर बकरी मण्डी लगती थी, वहां के लोगों ने आपसी सामंजस्य बनाकर उस बकरी मण्डी को हटाकर जन सुविधायें देने का काम किया है। वहां पर कोई भी एम्बुलेन्स निकलती थी, कोई भी सरकारी गाड़ी निकलती थी, पुलिस की गाड़ी निकलती थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकलती थी, किसी भी प्रकार की सुविधा की गाड़ी निकलती थी तो जाम में फंस जाती थी, उस रास्ते को खाली कराकर वहां की आम जनता ने एक-दूसरे के साथ अपना विश्वास जोड़कर उसको बेहतर ढंग से हटाने का काम करते हुए अतिक्रमण हटाने का भी काम किया है।

एक डेढ़-दो सौ साल पुराना पकरिया का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे मजार बनी हुई थी। ईमानदारी के साथ लोगों ने बैठकर फैसला किया कि इससे किसका नुकसान होता है तो वहां अल्पसंख्यक समुदाय के जिन लोगों की मार्केट थी, उन्होंने स्वयं अप्लीकेशन दी कि अगर यह स्थान यहां से खाली हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा व्यापार बढ़ जायेगा और आपने देखा कि सरकार की गुड-गवर्नेन्स के नाते वहां पर यह सारी सुविधायें हो गयीं। आज वह रास्ता निर्बाध रूप से चल रहा है। पर्व और त्यौहार शान्ति और उल्लास के साथ मनाये गये। आस्था का सम्मान भी इस उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में आस्था के सम्मान के नाते हमने उत्तर प्रदेश दिवस का जब आयोजन किया तो लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस के आयोजन का क्या मतलब है ? हमारी सरकार ने और आदरणीय योगी जी ने इस बात को

कहा कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्रीराम का, भगवान श्रीकृष्ण का अवतार हुआ है, भगवान भोलेनाथ का दरबार यहां पर है। उत्तर प्रदेश में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की भूमि है, जिन्होंने एकात्म मानववाद के दर्शन को दिया है। उत्तर प्रदेश की ऐसी भूमि है, जहां आज हम विधान सभा में बैठकर यदि प्रदेश के लोक कल्याण की अगर चर्चा कर रहे हैं तो दुनिया के लोक कल्याण की चर्चा के लिए ऋषियों के द्वारा बनायी गयी संसद का स्थल नैमिषारण्य भी है। उस नैमिषारण्य में बैठकर अगर लोगों ने चर्चा की है तो उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर इन सब बातों का हम स्मरण करेंगे। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लोगों को यह सब जानकारी मिलेगी। हमारी सरकार ने आस्था का सम्मान करते हुए 1225 यात्रियों को कैलाश मानसरोवर का अनुदान 1 लाख रुपये प्रति व्यक्ति दिया है, सिन्धु दर्शन के लिए 324 यात्रियों को अनुदान दिया है, तीर्थों का विकास किया है, अयोध्या का दीपोत्सव किया है, ब्रज का रंगोत्सव किया है और अगर मैं दूसरी जगह की बात न करूं केवल अपनी विधान सभा क्षेत्र की चर्चा करूं तो मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर गंगापुर घाट, भगौली मन्दिर, गुरसेल मन्दिर, महादेव तालाब का भारत सरकार के द्वारा विकास हुआ है और बाबा साहब मन्दिर, धन्नाग तीर्थ, मूर्त स्वामी मन्दिर, बाबा मस्तराम आश्रम का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ा विकास हो रहा है, जिससे आस्था का केन्द्र बनकर वहां के लोगों को आस्था का सम्मान दिया गया है।

(इस समय अपराह्न 02 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता श्री पंकज सिंह पीठासीन हुए)

केवल इतना ही नहीं हमारे महापुरुषों को सम्मान देने का काम भी इस सरकार ने किया है। हमसे पहले अगर मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र का जिक्र करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर कोई पार्क नहीं था। जब हम वर्ष 2017 में विधायक चुने गये तो उसके बाद हमारी सरकार के सहयोग से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर वहां पार्क बना। वहां पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा थी, उस प्रतिमा का सौन्दर्यीकरण कराया गया। कुछ वर्षों पहले की सरकार का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक सरकार थी जो चाहती थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा वहां पर स्थापित न हो, क्योंकि पी0डब्लू0डी0 से उसका एन0ओ0सी0 होना था और पी0डब्लू0डी0 से एन0ओ0सी0 देने वाले भी पटेल बिरादरी के थे, इसलिए उन्होंने एन0ओ0सी0 नहीं दी। जब वहां की जनता ने धमकी दी कि हम आत्मदाह कर लेंगे तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित हुई थी, ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को सम्मान देने का काम हमने अपनी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर किया है। हमने विकास के नये प्रतिमान स्थापित किये हैं। आज अगर सड़कों का जिक्र करें, हाई-वेज का जिक्र करें, एक्सप्रेस-वेज का जिक्र करें तो वह एक अलग बात है। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है। इतनी सड़कें बनी हैं, पिछले अनेक वर्षों का अगर हम हिसाब जोड़ेंगे तो शायद नहीं दिखाई पड़ेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अभी तक कोई नेशनल हाई-वे नहीं था और मुझे खुशी है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी की कृपा और आशीर्वाद से एक नेशनल हाई-वे स्वीकृत हो गया है जिसका

नम्बर 727 एच है। एक स्टेट हाई-वे स्वीकृत हो गया है। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी पी0डब्लू0डी0 मंत्री थे, उप मुख्य मंत्री थे, उनसे हमने आग्रह किया तो एक स्टेट हाई-वे यहां पर स्वीकृत हो गया। एक किसान पथ भी है जिसके चार गांव हमारे विधान सभा क्षेत्र को भी टच करते हैं। ऐसे सड़कों के विकास की दृष्टि से अगर मैं बड़ी सड़कों का नाम लूं तो अलग है परन्तु आज अगर हम अपने तहसील हेड क्वार्टर पर खड़े होते हैं तो चारों तरफ के रास्ते हमको शानदार दिखाई देते हैं, चाहे अयोध्या की तरफ चले जाओ, चाहे नैमिष की तरफ चले जाओ, चाहे देवा की तरफ चले जाओ, चाहे महादेवा की तरफ चले जाओ, सब तरफ के रास्ते हमको शानदार अच्छी चौड़ी सड़कों के रूप में दिखाई पड़ते हैं।

अगर मैं छोटी सड़कों का जिक्र करूं, जिसके हमने चुनाव के समय आंकड़े भी तैयार किये थे। 275 नयी सड़क पिछले पांच वर्ष के कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बनी हैं। वो सड़क पी0डब्लू0डी0 के द्वारा, विधायक निधि के द्वारा, पूर्वांचल विकास निधि के द्वारा अनेक योजनाओं के द्वारा जिसमें इण्टरलॉकिंग रोड भी शामिल है, उनको बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमने किया है। इसलिए निश्चित रूप से इस प्रकार के विकास की जो योजनाएं हैं उन विकास की योजनाओं को देखकर उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको फिर से आशीर्वाद दिया है। अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर वर्षों से जाने का कोई रास्ता नहीं था। उन रास्तों को भी हमने जोड़ने का काम किया है। हमारी सरकार ने 250 आबादी के गांवों को भी जोड़ने की योजना बना रखी है। उसमें से बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो शायद अभी नहीं जुड़ पाये हैं लेकिन बहुत बड़ी मात्राएं ऐसी हैं कि इन गांव को हमने सड़क से जोड़ने का काम किया है। इस प्रकार का विकास इण्डस्ट्रियल एरिया के रूप में भी हम अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्दर देखते हैं। आज इण्डस्ट्रियल एरिया लखनऊ, कुर्सी महमूदाबाद रोड पर कोई भी जाकर देख सकता है। पहले जहां पर ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी का लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी से क्या होगा ? लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि कानून-व्यवस्था, सुरक्षा का ऐसा माहौल हमने देने का काम किया है और गुण्डा-गर्दी नहीं हो पाएगी, ऐसा वातावरण बनाने की हमने कोशिश की है, इसलिए आज वहां पर जमीन खाली नहीं है। अगर इण्डस्ट्री लाने के लिए कोई उद्योगपति जमीन लेना चाहता है तो हमारे पास जमीन देने के लिए वहां पर स्थान नहीं है। यह व्यवस्था भी हमने की है। अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दे करके आप सबको सरकार का जो विकास का नया प्रतिमान है उसका एक और उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं।

हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक इण्टर कालेज है आजाद इण्टर कालेज, अल्पसंख्यक विद्यालय है। मैं विधायक बनने के बाद जब उस विद्यालय में गया तो एक डॉक्टर जमाल साहब उसकी प्रबन्ध समिति में हैं तो उन्होंने हमारे स्वागत में कहा कि विधायक जी अभी तक तो आजादी के बाद कोई विधायक यहां आया नहीं ? आप पहले विधायक हो, वह भी भाजपा वाले हो, जो इस कालेज में आये हो, इसलिए आपका बहुत अभिनन्दन करते हैं। उस

विद्यालय में हम गये। उसके बाद जनता के सहयोग से तीन कमरे वहां पर बने। हम जो विधायक निधि का सहयोग कर सकते थे वह भी किया। आज उस स्कूल की शक्ल ऐसी है कि बहुत अच्छे तरीके से आजाद इण्टर कालेज वहां पर संचालित है। गर विकास के नये प्रतिमान हमारी सरकार ने स्थापित किये हैं तो जनता का विश्वास हमारी सरकार के प्रति बनना स्वाभाविक है। हम सबने देखा होगा कि नहरों से सिंचाई की बात चलती है। पिछले 35 साल से उस कुंअरगड्डी रजबहे में पानी की एक बूंद नहीं थी। आज आप जा करके उसको देख सकते हैं कुंअरगड्डी रजबहे में आपको पानी दिखाई देगा। आज आप जा करके उसको देख सकते हैं। निन्दूरा ब्लॉक हमारे यहां पर पड़ता है। 15 नहरें वहां पर थीं सीतापुर डिवीजन से गवर्न होती थीं। इससे पहले वहां की क्या स्थिति थी मैं बता नहीं सकता, केवल तीन नहरों में पानी आता था। आज 15 की 15 नहरों में पानी आता है। यह सरकार की उपलब्धता है। योगी जी के लिए गए निर्णयों का प्रभाव है। इसलिए विकास के नए प्रतिमान जो हमने स्थापित किये हैं उन विकास के नए प्रतिमानों के कारण जनता ने हम पर विश्वास और भरोसा व्यक्त किया है। कई कल्याण की कितनी योजनाओं का हम उल्लेख करें। बहुत सारी योजनाएं आपके सामने हैं। उन योजनाओं को मैं दोहराऊंगा नहीं लेकिन मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह में जब किसी गरीब कन्या का विवाह होता है और कन्यादान करने का अवसर किसी मुख्य मंत्री को मिलता है तो आनन्द की अनुभूति होती है। आज अगर मैं बताऊं तो दो लाख अड़सठ हजार कन्याओं का कन्यादान यह कोई छोटी घटना नहीं है। यह बहुत बड़ा दृश्य लोगों की आंखों के सामने उपस्थित होता है। सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी जब वहां पर जाते हैं और उस अवसर को देखते हैं तो उनकी आंखें आनन्द से अभिभूत हो जाती हैं। गरीब कल्याण के नाम पर जितने भी प्रकार के हमारे काम चल रहे हैं उसमें भ्रम फैलाने की जो भी कोशिशें हैं उन भ्रम फैलाने की कोशिशों से बचते हुए योगी जी की इस सरकार ने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम किया है। हमारी सरकार सुशासन का प्रतीक है, आस्था का सम्मान करती है, विकास के नए प्रतिमान स्थापित करती है, गरीबों का कल्याण करती है। किसी कवि ने कहा है, ''कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं, घायल पड़े जटायु को हम गले लगाने निकले हैं। हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, ठोकर लगी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले हैं।'' इस भाव के साथ उत्तर प्रदेश में योग जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है।

आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय जी यहां नहीं है। मा0 अधिष्ठाता जी बैठे हुए हैं। हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि 75 घण्टे का सदन चलना चाहिए। 75 घण्टे का सदन इस देश की उस संवैधानिक व्यवस्था को केन्द्र मानकर चलना चाहिए। इस देश की उस संवैधानिक व्यवस्था को आधार मानकर, संविधान में जो चीजें लिखी हैं, संविधान में जो वर्णित चित्र हैं, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। 75 साल के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर चर्चा होनी चाहिये, फिर चाहे वह देश में इमरजेंसी थोपी गयी हो, चाहे अन्य

प्रकार के काम हों, इन सब पर चर्चा होनी चाहिये, नहीं तो सब कुछ भूल जायेंगे, बलिदानों की गाथा भूल जायेंगे, देश के महापुरुषों को भूल जायेंगे, देश कैसे बना है, यह भी भूल जायेंगे। क्योंकि इस देश में ऐसे लोग भी हुए हैं, जिन्होंने इस देश के अन्दर राजभाषा बहस में कह दिया था कि अंग्रेजी इसलिए स्वीकार की जा सकती है कि वह विजेता की भाषा है। क्या विजेता की भाषा लोग मान लेंगे ? 'शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग मान लेगा, सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देगा'। इसलिए सत्य लोगों के सामने आना चाहिये और सदन में चर्चा जरूर होनी चाहिये।

मा0 अध्यक्ष की पीठ बड़ी महत्वपूर्ण पीठ है। इस पीठ पर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन जी बैठे हैं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन जी जब इस पीठ पर बैठे हैं तो राजर्षि कैसे बन गये और 13 साल तक उन्होंने विधान सभा अध्यक्ष के रूप में किस प्रकार का व्यवहार किया और इन्होंने उनकी टांग खींच करके उनको कूड़ेदान में फेंकने का काम किया है, यह चर्चा भी इस सदन के अन्दर आनी चाहिये। तब आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से इन सब बातों को देखकर और इन सब बातों को समझ कर उससे कुछ सीखने का काम करेगी, नहीं तो कोई हमारा ही नेता दुनिया के किसी भी देश में जा करके कह देगा कि यह यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वह कह देगा कि इस देश का क्या है यह तो टुकड़ों में बंटा हुआ देश है। यह देश आज भी दुनिया को ज्ञान देने की ताकत रखता है। यह देश विश्वगुरू है। कोरोना की वैक्सीन जब दुनिया के लोगों को नहीं मिली तो हमने कोरोना की वैक्सीन दुनिया के लोगों को देने का काम किया है। हमारे यहां विश्वगुरू की भूमिका है। अन्त में मैं एक बात कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि समय लगभग हो रहा है। इसलिए मैं अन्तिम बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा।

मा0 अध्यक्ष जी, कल मुझे सदन में थोड़ा-सा कष्ट हुआ। सदन में बाकी लोगों को भी कष्ट हुआ होगा। सदन में किस प्रकार का व्यवहार होता है ? जब महामहिम राज्यपाल जी आती हैं तो उनके आने पर ऐसा लगा कि मानो कोई दुश्मन आ रहा है, उनके साथ कुछ लोगों द्वारा दुश्मन जैसा व्यवहार करना उचित नहीं है और जिस तरह से लोग व्यवहार कर रहे थे वह सदन की मर्यादा के विपरीत है।

डॉ0 संग्राम यादव-

संसदीय कार्य मंत्री जी से हम लोग सीखे हैं।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा-

बाकी भी चीजें सीख लीजिये। मा0 अध्यक्ष जी, यहां नियमावली की किताबें निकाली जाती हैं। नियमावली की किताबें निकालते समय नियमों का उल्लेख किया जाता है। क्या नियमों में यह व्यवस्था नहीं है कि जब यहां पर राज्यपाल महोदया आयेंगी तो राज्यपाल महोदया के साथ हमको क्या व्यवहार करना है ? अगर व्यवस्था नहीं है तो यह व्यवस्था बननी चाहिए। बाहर हम रेड कारपेट बिछाते हैं, स्वागत करते हैं, गुलदस्ता देते हैं और यहां आने पर इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। मेरी दृष्टि में यह व्यवहार उचित नहीं है और मैं तो यह सोच रहा था कि इन लोगों ने तो 'वन्दे मातरम्' का भी ध्यान नहीं रखा कि 'वन्दे मातरम्' हो जाये, उसी

समय रुक जायें। कुछ लोगों को बैठाना पड़ा कि बैठ जाओ, बैठ जाओ, 'वन्दे मातरम्' हो रहा है। यह सदन चर्चा का स्थान है, मैं नहीं समझ पाया कि नाराजगी किस बात से थी, नाराजगी एक बुजुर्ग महिला से थी या संवैधानिक व्यवस्था से थी। आपकी नाराजगी संवैधानिक व्यवस्था से हो सकती है। मैंने छोटे दिमाग से, हल्के दिमाग से सोचा तो लगा कि यह नाराजगी पटेल लोगों से तो नहीं है? आखिर क्यों विरोध हो है, क्यों नारे लगाये जा रहे हैं कि वापस जाओ, वापस जाओ। वापस जाओ, वापस जाओ का नारा अगर लोग लगाते रहे तो मा0 अधिष्ठाता जी पांच साल बाद जनता भी उनसे कहेगी कि वापस जाओ, वापस जाओ। जो सरकार का विजन डाक्युमेन्ट ले करके मा0 राज्यपाल महोदया इस विधान सभा के अन्दर आई थीं निश्चित रूप से वह विजन डाक्युमेन्ट सरकार के आगे के कामों का उल्लेख होता है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 18 राज्यों में सरकार, 1300 एम0एल0ए0, 400 एम0पी0 यह हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य तो इस देश को, भारत माता को गौरव के शिखर पर ले जाना है और इसी शिखर पर ले जाने की यात्रा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में यह सरकार कर रही है।

'न त्वहम् कामये राज्यम् न स्वर्गम् न पुनर्भवम्।
कामये दुःखतप्तानम् प्राणिनामार्तिनाशम्।'

के भाव के साथ यह सरकार काम कर रही है। मैं राज्यपाल जी के द्वारा दिये गये अभिभाषण प्रस्ताव पर डॉ0 मन्जू शिवाच जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूँ और मा0 अधिष्ठाता जी आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया है, एक बार फिर से नवनिर्वाचित सभी विधायकों का अभिनन्दन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद जय हिन्द, जय भारत।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये। किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है।

कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में, प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बलात्कार, डकैती, चोरी, लूट, हत्या, जातीय हिंसा आदि को रोकने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में, महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में, महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में, महिलाओं और युवतियों के लिए बेहतर जीवन और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुदृढ़ योजना के सम्बन्ध में, निरन्तर बढ़ रहे साइबर क्राइम के रोकथाम के सम्बन्ध में, दिन-प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के रोकथाम के सम्बन्ध में, किसानों को खाद्य और बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में, किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त करने के सम्बन्ध में, सिंचाई हेतु किसानां को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

किसानों की कृषक उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, किसानों को खाद बीज व पानी की उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में, गन्ना किसानों को गन्ने की खरीद का शत-प्रतिशत मूल्य सुनिश्चित कराये जाने तथा घटतौली, बिचौलियों और दलालों पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में, पशुधन विकास हेतु छोटे किसानों को उन्नत किस्म के और दुधारु पशु क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मान्यवर, अगर इसको प्रस्तुत किया हुआ मान लें तो मैं आगे की बात कर लूँ।

श्री अधिष्ठाता-

बिल्कुल पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

[15-छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा-व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

16-कुक्कुट नीति के सम्बन्ध में,

17-बेरोजगार, नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

18-सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

19-प्रतिभावान, साहित्यकारों, कवियों, खिलाड़ियों, उद्यमियों, किसानों, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में,

20-प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुदृढ़ अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

21-निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

22-ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

23-अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए दवाएं एवं बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

24-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं एवं दवाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

25-नकली दवाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में,

26-भाजपा पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुले आम अराजकता फैलाने एवं आतंक का माहौल पैदा करने एवं धन की वसूली पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में,

27-बुनकरों को सस्ती एवं फिक्स दर पर विद्युत दिये जाने, सस्ती दर पर धागा उपलब्ध कराये जाने, पावरलूमों को बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,

---

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

29-समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

30-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

31-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

32-सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

33-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में,

34-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे, काम-काज के सम्बन्ध में,

35-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

36-पिछले वर्ष विधान सभा द्वारा पारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में,

37-अल्पसंख्यक कल्याण हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

38-सौहार्द व भाईचारा बनाये रखने के सम्बन्ध में,

39-सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

40-आलू किसानों की बदहाल स्थिति के सुधार हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में, तथा

41-सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के सम्बन्ध में। राज्य कर्मचारियों (सरकारी) की पुरानी पेंशन बहाल किया जाये।]

(अन्य सदस्यों द्वारा दिये गये संशोधन भी प्रस्तुत किये हुए माने गये)†

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया और धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने महामहिम जी का अभिभाषण सुना लगभग एक घण्टा दस मिनट अनवरत गति से उन्होंने अपने भाषण को पढ़ने का काम किया। महामहिम जी का जो भाषण होता है वह सरकार के पिछले कार्यों के ब्योरे के साथ-साथ आने वाले वर्ष का एजेण्डा भी होता है। महामहिम राज्यपाल जी ने अपने भाषण में केवल सपने बेचने वाला भाषण दिया, सरकार के पास विकास का कोई विजन नहीं है। इसलिए केवल केन्द्र सरकार की योजनाओं का विस्तृत रूप से उल्लेख करने का काम किया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है जिसमें लगभग 24 करोड़ की आबादी है। इस 24 करोड़ की आबादी में 42 लाख 50 हजार प्रधानमंत्री आवास दे देने से और इसके साथ-साथ 2 करोड़ 55 लाख किसानों के लिए सम्मान निधि की चर्चा की गयी जो कि केन्द्र सरकार की योजनायें हैं। प्रदेश सरकार ने अपनी किसी भी योजना का उल्लेख नहीं किया है जो प्रदेश के विकास में सार्थक सिद्ध हों। मान्यवर, हम जब चुनाव लड़ते हैं तो

† देखें नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ सं0-340-461 पर।

निश्चित रूप से सरकार की एक कार्य योजना होती है चुनाव लड़ने वालों का भी एक अलग एजेण्डा होता है और जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं उनका भी एक चुनाव घोषणा-पत्र होता है। 5 साल पूरा बीत गया, छठवें साल में हम प्रवेश किये हैं हम इसे प्रस्ताव के माध्यम से जो कि महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है कि लोकतंत्र सेनानियों का मानदेय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के ऊपर जब आक्रमण हुआ तो जिन लोगों ने संघर्ष किया निश्चित रूप से उनको मानदेय मिलना चाहिए और उसको बढ़ाया जाना चाहिए लेकिन आज पूरी तरह से लोकतंत्र को कलंकित किया जा रहा है। तानाशाही की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों को हर तरह से समाप्त करने का काम कर रही है। बुलडोजर सड़क पर चलता है और जब सड़क पर चलता है तो अच्छी सड़क बनती है। जिस एक्सप्रेस-वे का उल्लेख किया गया है इस महामहिम जी के अभिभाषण में कि 340 कि0मी0 का हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बनाया। अगर इसमें स्पष्ट उल्लेख होता कि एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि किसने क्रय की, एक्सप्रेस-वे के लिए साइट किसने बनाने का काम किया ? ज्यादातर काम पिछली सरकार ने श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। उसकी चर्चा नहीं, दूसरे के कामों को अपना गिनाने में इस सरकार को महारत हासिल है। इनके पास कार्य का कोई विजन नहीं है लेकिन प्रचार का सबसे बड़ा एजेण्डा सरकार के पास है। दूसरे के कामों को कैसे भुनाया जा सकता है ? किस तरह से लोगों को बहकाया जा सकता है ? यह एजेण्डा लेकर आये हैं और इसीलिए प्रचार कर रहे हैं। पिछला जब बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें जो प्रचार का बजट था, सूचना विभाग का बजट था उसको बढ़ाया गया जिससे कि हम लोगों को ऑबलाइज करके अपने कार्यों को जो काम जनता के अहित के लिए हैं, उसको छिपा सकें और जो काम हमारा नहीं है, दूसरे का है, उसको कैसे हम अपना गिना सकें, यह कहने का काम किया गया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमें इस बात पर भी विचार करना है। आज अगर डॉ0 मन्जू शिवाच जी और श्री साकेन्द्र प्रताप जी ने यह बात रखी होती कि पिछली बार का जो हमारा संकल्प-पत्र था, उस संकल्प-पत्र के किन-किन मुद्दों पर हम सफल हुए। मान्यवर, मेरे पास घोषणा-पत्र है जिसमें 2017 में सभी लघु सीमान्त किसानों को फसली ऋण ब्याज मुक्त दिया जायेगा, आज भी ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया जा रहा है। सभी खेतों में कम दरों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था का उल्लेख है। मान्यवर, पहले किसान को बिजली मिलती थी। जब हम निजी नलकूप लगाते थे, 300 मीटर तक फ्री बिजली दी जाती थी, उसे बिजली पहुंचाने का काम किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी। पहले इन्होंने कहा कि अब कोई भी बिजली निःशुल्क नहीं दी जायेगी। हमने यहां पर एक प्रश्न लगाया, उस प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि हम 68 हजार रुपये छूट देंगे और 68 हजार रुपये छूट देने के बाद किसान किसी तरह से लगवा लेता था, अब वह छूट भी खत्म कर दी है यानि अगर किसान को पांच हार्सपावर की बिजली का कनेक्शन लेना है सिंचाई के लिए तो आज वह सवा लाख रुपये से डेढ़ लाख रुपये तक जमा करें तब वह बिजली का कनेक्शन पायेगा। यह व्यवस्था इस सरकार ने की लेकिन संकल्प-पत्र में आपने कहा था कि हम

कम दरों पर बिजली उपलब्ध करायेंगे। सभी किसानों को सरकार की तरफ से एक नया एनर्जी एफिसिएंट पम्प दिया जायेगा लेकिन यह पम्प भी नहीं दिया गया और कहा गया था कि हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज स्थापित किये जायेंगे लेकिन नहीं किये गये और यह भी कहा गया था कि सत्तर लाख लोगों को रोजगार दिया जायेगा लेकिन वह भी नहीं दिया गया। मा0 मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में और महामहिम राज्यपाल जी के भाषण में जिक्र किया गया है हमने साढ़े चार लाख नौजवानों को रोजगार दिया।

मान्यवर, इसी भाषण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बेरोजगारी के सम्बन्ध में सी0एम0आई0ई0 की रिपोर्ट का हवाला देकर दिखाया गया है कि हमने बेरोजगारी दर पर नियंत्रण पाया लेकिन मान्यवर, उसी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो वर्किंग एज पापुलेशन है 14 प्रतिशत बढ़कर 17 करोड़ से ज्यादा हो गयी है जो कि पिछले पांच वर्ष में 14.9 करोड़ थी जहां वर्किंग एज पापुलेशन बढ़कर 17 करोड़ हुई है वहीं पिछले पांच वर्ष में नौकरी करने वाले लोगों की संख्या में 16 लाख की कमी आयी है तो इस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। इसके बाद साफ-साफ कहा गया कि प्रदेश के सभी युवाओं को कालेज में दाखिला लेने पर बिना जाति और भेद-भाव के लैपटॉप दिया जायेगा। जब चुनाव नजदीक आया तो स्मार्ट फोन दे दिया गया और चुनाव जीतने के बाद टैबलेट दिया और कहा था लैपटॉप देने को और दिया स्मार्ट फोन और टैबलेट और यह भी कहा गया था कि स्नातक की शिक्षा मुफ्त प्रदान की जायेगी लेकिन शिक्षा भी मुफ्त प्रदान नहीं की गयी और उच्च शिक्षा के लिए 500 करोड़ की बाबा साहब अम्बेडकर छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की जायेगी लेकिन आज परिस्थिति यह है कि जो छात्रवृत्ति मिलती थी और शून्य बैलेंस पर एडमिशन किया जाता था अनुसूचित जाति के लोगों का लेकिन आज शून्य बैलेंस पर एडमिशन बन्द कर दिये हैं निजी संस्थानों में और साथ ही साथ पहले जो छात्रवृत्ति से प्रतिपूर्ति मिल जाती थी उसमें पिछड़ों की भी छात्रवृत्ति बन्द कर दी गयी है। मान्यवर, इस सरकार ने हर जिले में एक इंजीनियरिंग एवं पालीटेक्निक कालेज खोलने का जो वादा किया था और सभी कालेजों और विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा व गरीब घरों को 100 यूनिट बिजली 3 रुपये की दर से देना तथा सारी सुविधाओं को देने का वादा किया था लेकिन सरकार अब अपनी बात से मुकर रही है इसमें से कोई भी सुविधा जनता को उपलब्ध नहीं करायी गयी है जितनी भी संकल्प-पत्र की घोषणा थी कोई भी पूरी नहीं की गयी है। ट्यूबवेल का जो पहले 55 रु0 प्रति हार्सपावर था वह बढ़ाकर 255 रुपए कर दिया गया है। अब चुनाव के बाद थोड़ा-बहुत उसमें छूट देने का काम किया गया है। जहां पर कानून-व्यवस्था का सवाल आता है यह सरकार पूरी तरह से फेल है। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी कानून-व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेन्स की बात कही गई है और कहा गया है कि हमने अपराध दर में बहुत बड़ी कमी लाने का काम किया है। अपराध दर के सम्बन्ध में मेरे पास नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार के आंकड़े उपलब्ध हैं। क्राइम इन इण्डिया, 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016 में टोटल 2,82,172 अपराध दर्ज हुए थे लेकिन आपकी सरकार के दौरान एक वर्ष में 3,55,110 अपराध दर्ज हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी, अब ज्यादा समय हो गया है। कृपया आप एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बस मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं केवल पांच मिनट का समय लूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

बोलने की एक समय-सीमा निर्धारित है उसी के अन्दर आप बोल सकते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी सरकार में अपराध की दर में बढ़ोत्तरी हुई है। और आये दिन महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अभी गोरखपुर में एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। इसी तरह से पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण पर अगर सबसे बड़ा डाका डालने का काम किया गया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपकी सरकार में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है उन्होंने इस भर्ती के सम्बन्ध में कहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। 3000 से ज्यादा अनुसूचित जाति के पदों को सामान्य वर्ग के लोगों को देने का काम किया गया है और करीब 6000 से ज्यादा पिछड़े वर्ग के पदों को सामान्य वर्ग के लोगों को देने का काम किया गया है। इसमें सुधार की बात की गई और कहा गया कि यह 18000 की हम भरपाई करने का काम करेंगे लेकिन वह भी काम आज तक पूरा नहीं किया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब बहुत समय हो गया है। कृपया आप समाप्त करिये।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

पांच मिनट का समय बहुत ज्यादा हो जायेगा। मुझे बीच में किसी माननीय सदस्य को बुलाना पड़ेगा। मैं वह नहीं चाहता हूँ। मेरा आग्रह है कि कृपया अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अब आप ना बुलाईये। मैं समाप्त कर रहा हूँ। मान्यवर, इस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार न मिल जाये इसलिये सरकार जातीय जनगणना कराने से भागने का काम कर रही है। आज यह सरकार पूरी तरह से तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। किसानों और नौजवानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। न्यायिक प्रक्रिया का पालन न करते हुए बड़े पैमाने पर पक्षपात किया जा रहा है। सरकार द्वारा अपने लोगों को जो अपराधी हैं, उनको

सम्मान दिया जाता है और दूसरे न्याय प्रिय लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। मान्यवर, अभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा वह स्वयं आपने भी सुना है कि उनके ऊपर किस तरह से मुकदमा दर्ज किया गया। मेरे क्षेत्र में एक घटना हुई जिसमें शेषमणि निषाद को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीटा। पीटना ही काफी नहीं रहा अपने एक कारिन्दे के द्वारा उनके खिलाफ अलग से रिपोर्ट भी लिखा दी गई। इस तरह से बड़े पैमाने पर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय और अत्याचार की पर्यायवाची बन गई है। पूरे प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। मैं माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन पर बल देता हूँ। धन्यवाद।

श्री अधिठाता-

सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपनी बात पांच-छह मिनट के अन्दर पूरी कर लें।

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसलिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी एक वरिष्ठ सदस्य संकल्प-पत्र की चर्चा कर रहे थे तो अचानक मुझे एक बात याद आ गई कि एक संकल्प हम लोगों ने और लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि 'ना गुण्डाराज, ना भ्रष्टाचार, भाजपा लायेगी ऐसी सरकार।' हमारी सरकार ने वह नारा पूरी तरह से आत्मसात करते हुए गुण्डाराज, भष्टाचार और स्थानान्तरण उद्योग को समाप्त कर दिया है। हमारे वरिष्ठ सदस्य ने संकल्प-पत्र को उलट-पलटकर उसकी बहुत चर्चा की है, लेकिन उन्होंने संकल्प-पत्र को ध्यान से नहीं देखा। हमको तो ऐसा लगता है कि वैचारिक परिवर्तन के साथ-साथ दृष्टि का भी परिवर्तन हो गया है। आप याद करिये 86 लाख किसानों की ऋण मोचन योजना को। आदरणीय योगी जी की सरकार बनने के साथ ही 36,000 करोड़ रुपये के साथ किसानों की कर्ज माफी की गई थी। आप यह भी भूल गये कि पहले ऐसी तमाम फसलें थीं जिनकी खरीददारी आपकी पुरानी पार्टी की सरकार और आप जिस नई पार्टी में आये हैं उस पार्टी की सरकार नहीं करती थी। लेकिन आज ऐसी फसलों की खरीद होती है।

मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जिस नवीन पार्टी में वैचारिक परिवर्तन करके गये हैं उसमें क्या-क्या होता था। वहां पर दो तरह के टैक्स लिये जाते थे। एक टैक्स सरकार के अधिकारियों द्वारा लिया जाता था और दूसरा टैक्स आपकी सरकार के संरक्षण में चलता था जिसकी आपके लोग वसूली करते थे उसे गुण्डा टैक्स, वसूली टैक्स, फिरौती टैक्स कहा जाता था। आज पूरे प्रदेश में किसी की जुर्रत नहीं है कि योगी जी की सरकार के ऊपर एक भी वसूली का आरोप लगा सके। आज कोई भी नहीं बता सकता है कि कहीं पर वसूली हो भी सकती है। आपकी भी जुर्रत नहीं और आपके लोगों की भी जुर्रत नहीं कि आप कहीं वसूली कर सकें। आपकी नवीन पार्टी जिसके बारे में आप बहुत चर्चा कर रहे थे। आप कह रहे थे

कि वर्ष 2016 के सरकारी आंकड़े के अनुसार उस समय पर बेरोजगारी दर 8 परसेण्ट थी। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 18 प्रतिशत थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रेरणा से हमारे मुख्य मंत्री योगी जी ने एक कर्मयोगी की तरह दिन-रात काम करके बेरोजगारी दर को दो परसेण्ट पर ला दिया है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि बेरोजगारी दर केवल दो परसेण्ट हो गई है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही कि दिमाग वाली बात मत कहो, अरे भैया दिल तो आपके पास है ही नहीं तो दिमाग से नहीं निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे। अभी कुछ दिन पहले उनका एक स्टेटमेण्ट आया था। वाराणसी में न्यायिक प्रक्रिया के तहत ज्ञानवापी का विचारण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई नेता उसमें शामिल नहीं है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने एक स्टेटमेण्ट दिया जिसमें हमको बड़ा दुख हुआ। मैं तो कहूंगा कि आप सबको भी दुख हुआ होगा जब उन्होंने कहा था कि 'पीपल के पेड़ पर लाल झण्डा बांधकर पत्थर रख दो यह हमारे धर्म में होता है।' अपने धर्म के सम्बन्ध में उन्होंने ग्लानि शब्द का इस्तेमाल किया था ज्ञानवापी के प्रकरण में। उनका यह स्टेटमेण्ट सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और पूरे भारत के लोगों को दुख हुआ, जो भारत के सांस्कृतिक पक्ष के पक्षधर थे। सबको इस बात को लेकर दुख हुआ था और हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया।

हमने यही किया कि अपने गौरव के केन्द्रों को, अपने सनातन परम्परा के केन्द्रों को, अपने सांस्कृतिक केन्द्रों को अग्रेतर करने का काम किया और श्री विश्वनाथ धाम का माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में निर्माण कराने का काम किया। यह जाकर जरूर देखियेगा। यह भी देखियेगा कि 2017 में जब मैं गया था 2017 में आप भी गये होंगे। आदरणीय योगी जी की जब सरकार बनी तो उस समय अयोध्या में नालियां बजबजा रही थीं, सड़कें टूटी हुई थीं। अयोध्या का कोई पुरसाहाल नहीं था। सन्त समाज के लोग यह कहते थे कि वह सरकार निकम्मी थी जिसने कोई काम नहीं किया था। ऐसे में आदरणीय योगी जी की सरकार ने गलियों को सजाया, नालियों को बनाया, सड़कों को बनाया। दीपोत्सव कराया और आज यह कहने में गौरव होता है कि अयोध्या तो भव्य बन ही रही है, दिव्यता को लेकर श्री राम जन्मभूमि का निर्माण भी हो रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, हमने अपने गौरव की रक्षा के लिए चित्रकूट को सजाया-संवारा। हमने अपने गौरव की रक्षा को लेकर श्री विश्वनाथ, श्री विन्ध्यवासिनी धाम को सजाया-संवारा और एक बात और बतायें कि अभी आपके नेता प्रतिपक्ष जी अभी यहां पर नहीं हैं। उन्होंने आदरणीय सुहेलदेव पार्टी के नेता के पक्ष में बोलते हुए कहा कि वोट चाहिये। सुहेलदेव महाराज हमारे गौरव के प्रतीक थे। उस सुहेलदेव महाराज के धाम पर वोट मांगने का काम करते थे। लेकिन किया कुछ नहीं।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के बीच में एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

बीच में मत बोलिये। उन्हें बोलने दीजिये।

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

मान्यवर, सुहेलदेव महाराज जी के गौरवगाथा, पौरुषगाथा का केन्द्र चित्तौरा झील था। उस चित्तौरा झील पर आप जाने का काम नहीं करते थे और जिस गाजी का महाराजा सुहेलदेव जी ने वध किया था वहां जा करके चादर चढ़ाने का काम करते थे। लेकिन पांच साल में आदरणीय योगी जी की सरकार ने उस चित्तौरा झील को सजाने का काम शुरू कर दिया। महाराजा सुहेलदेव जी की 51 फुट की अश्वारोही प्रतिमा लगाने का वहां पर काम किया।

श्री अधिष्ठाता-

नीलकण्ठ जी, अब समाप्त करिये।

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

अधिष्ठाता महोदय, बस एक-दो मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। श्री रामचरितमानस में, बाल्मीकि रामायण में जब आप पढ़ेंगे तो सखा भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक महाराजा निषादराज को क्या आप भूल गये। आप वोट मांगते हो। जाति को बांटते हो। लेकिन किसी ने महाराजा निषादराज पर चर्चा नहीं किया। आज कहने में गौरव होता है कि श्रृंगवेरपुर में महाराजा निषादराज की भव्य प्रतिमा लगाने का काम किया जा रहा है। मैंने यह सिर्फ इसलिए कहा कि इन लोगों को भारतीय संस्कृति से कोई लेना-देना नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, इसी उत्तर प्रदेश में एक ट्रांसफर उद्योग चलता था। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसी उत्तर प्रदेश में उद्योग तो कोई लगते नहीं थे, अपराधी गुण्डा टैक्स मांगने लगते थे, कोई उद्योग लगता नहीं था लेकिन इनका एक निजी उद्योग चलता था, जिसे ट्रांसफर उद्योग कहा जाता था। उसे मा0 योगी जी की सरकार ने बन्द कर दिया। अब ट्रांसफर उद्योग नहीं चलता है। आप इन्वेस्टर्स समिट दिल्ली जाकर होटल के कमरे में करते थे। लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट किया गया और 4 लाख 68 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने का एम0ओ0यू0 किया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाईये, आपका समय समाप्त हो गया है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मेरा एक आग्रह है कि श्री लाल जी वर्मा जी, श्री अवधेश जी, वरिष्ठ सदस्य हैं। आपके 17 मिनट के उद्‌बोधन में इस तरफ से किसी ने भी टोंका-टांकी नहीं की है, आप कार्यवाही से निकाल कर देख लीजिए क्योंकि पूरा रिकार्ड हो रहा है, एक सेकेण्ड के लिए किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला है लेकिन जब नीलकण्ठ जी बोलने लगे तो लाल जी वर्मा जी आप खुद सोचिए कितनी टोंका-टांकी शुरू हो गयी है। मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है। अगर हम लोगों ने संयम बरता है तो संयम उधर के लोगों को भी बरतना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा सभी मा0 सदस्यों से आग्रह है कि वह अपनी बात को 4-5 मिनट में समाप्त करें और बीच में कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण के लिए आये धन्यवाद प्रस्ताव के विषय पर मुझे आपने बोलने का वक्त दिया है इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपको नमन, वन्दन एवं अभिनन्दन करता हूँ। मैं इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को नमन, वन्दन एवं अभिनन्दन करता हूँ कि हम सब मिलकर लोकतंत्र को और मजबूत करने की दिशा में निरन्तर काम कर रहे है, निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ महान जनता है, महान लोग हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से कोटि-कोटि अभिनन्दन करता हूँ कि तमाम सारे दुष्प्रचारों, तमाम सारी कोशिशों, तमाम सारी साजिशों और तमाम सारे षडयंत्रों के बावजूद उन्होंने सुशासन का मार्ग चुना है और कर्म-योगी के नेतृत्व में प्रचण्ड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। हम सब पूर्वांचल से आते हैं, देवरिया से आते हैं, हम सभी ने उस वेदना को देखा है, उस पीड़ा को देखा है और मुझे लगता है कि यहां पर जितने भी सम्मानित सदस्य बैठे हैं उन सभी की पृष्ठभूमि संघर्ष की रही है। हर कोई जानता है पर कोई भी बोलता नहीं है।

हम सभी ने उस वेदना को देखा है कि जब इन्सेफेलाइटिस जैसी एक बीमारी हुआ करती थी जो पूर्वांचल, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर के लिए अभिशाप बनती थी। 80-90 के दशक में हजारों की संख्या में बच्चों की मृत्यु होती थी और एक ऐसी बीमारी थी जो जान लेती थी और अगर जान बख्शती थी तो जीवन भर के लिए विकलांग कर देती थी। मुझे कहते हुए कष्ट होता है कि सबसे बड़ी संख्या में इस बीमारी से बच्चे प्रभावित होते थे, गरीब परिवारों के बच्चे प्रभावित होते थे और सरकारों के लिए यह बीमारी एक मिथ बन चुकी थी, यह मान चुके थे कि यह बीमारी खत्म नहीं हो सकती है। इसका हम खात्मा नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मा0 योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस सरकार ने पूरी शिद्दत, पूरी निष्ठा एवं पूरी मेहनत के साथ काम किया है और एक बीमारी जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से मिथ बन चुकी थी, यह माना जा चुका था कि यह बीमारी खत्म नहीं होगी लेकिन आज पूरी तौर पर सफाई के कगार पर है और आज पूर्वांचल के बच्चे एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यही वह कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने एक प्रचण्ड बहुमत के साथ जन-समर्थन दिया है। हम सबने उस दौर को देखा है कि जब देवरिया में दुर्भाग्य से कोई बीमार पड़ जाता था तो उसे गोरखपुर लेकर भागना पड़ता था, बिहार लेकर भागना पड़ता था, अस्पताल नहीं थे और यह सभी को पता है कि लेकिन जब कोविड की बीमारी आई तो प्रदेश के 36 जिलों में एक भी वेन्टीलेटर नहीं था। हमारा जिला भी उसी में था, वेन्टीलेटर तो छोड़िए मेडिकल कालेज और अस्पताल भी नहीं थे।

छोटी-छोटी बीमारियों के लिए दूसरे-दूसरे जिलों में जाना पड़ता था, नर्सिंग होम में जाना पड़ता था। लेकिन मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा और इस बात पर गर्व का अनुभव करता हूँ कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार आई जिसने बहुत तेजी से काम करते हुए वहां पर मेडिकल कालेज की स्थापना कराई और महर्षि देवरहा बाबा के नाम से मेडिकल कालेज की स्थापना कराई।

महोदय, यह कार्य तब हुआ जब दो साल कोरोना के चलते सारा काम प्रभावित रहा, कोरोना के चलते लॉकडाउन रहा, कोरोना के चलते निर्माण कार्य ठप रहे, कोरोना के चलते सारे विकास कार्य रुकने की स्थिति में थे, सारी अर्थव्यवस्था पर संकट था लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया, देवरिया को एक शानदार मेडिकल कालेज देने का काम किया। देवरिया की महान जनता की ओर से मैं योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि-कोटि अभिनन्दन करता हूँ। कुशीनगर और देवरिया का जो इलाका है, वह बिहार से जुड़ा इलाका है, कई बार लोग बाहर से आते थे और मजाक उड़ाते थे कि यहां तो गाड़ियों के चलने के लिए सड़क नहीं है, यहां पर बाइक से चलने के लिए सड़क नहीं है, लेकिन आज हम सब बड़े गर्व से यह कह सकते हैं कि जिस कुशीनगर और देवरिया में लोग यह कहते थे कि वहां चलने के लिए सड़के नहीं हैं, गाड़ियां और मोटरकार नहीं चल सकतीं, वहां पर योगी जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महात्मा बुद्ध की पुण्यभूमि से हवाई जहाज उड़ रहे हैं और इण्टरनेशनल फ्लाइट्स उड़ रही हैं। मान्यवर, आज जब कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय टूरिस्ट उतरते हैं तो हमें गौरव की अनुभूति होती है और हम इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारी सरकार है। एक जनप्रिय सरकार है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे और विपक्ष के हमारे साथी पूछ रहे थे कि आगे का रोडमैप क्या है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य होने जा रहा है।

मैं अपने एक वरिष्ठ साथी को सुन रहा था और मैं उनका सम्मान करता हूँ लेकिन कभी आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाया, कभी किसानों के नाम पर भ्रम फैलाया, कभी महिलाओं के नाम पर भ्रम फैलाया लेकिन आखिरकार हुआ क्या ? आपका समाज को जाति में बांटने का जो कार्ड था उसे जनता ने ठुकरा दिया। आपका समाज को धर्म के नाम पर बांटने का जो कार्ड था उसे जनता ने ठुकरा दिया और जनता के सामने जनता की नजरों में आपका चेहरा उजागर हो गया। आज आप सकारात्मक राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, कल भी नहीं कर पा रहे थे और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा गया है। बहुत-सी बातें की गयीं कि जो मुख्य मंत्री नोएडा जाता है उसको दोबारा काम करने का अवसर नहीं मिलता है। बहुत तरह की बातें कही गयी कि सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती है लेकिन एक सकारात्मक दिशा के साथ माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया जिसने न मत के नाम पर कोई भेद किया, न मजहब के नाम पर कोई भेद किया, न धर्म के नाम पर कोई भेद किया और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में प्रचण्ड बहुमत से योगी जी की सरकार बनी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय शलभ जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी-

महोदय, एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि कल मैंने विपक्ष के साथियों को देखा, आप सभी माननीय सदस्यों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा और आप सबसे बहुत कुछ सीखूंगा भी, लेकिन कल मुझे समझ में नहीं आया कि जब राज्यपाल महोदया अपना अभिभाषण दे रही थीं, अभी तो सरकार के गठन के बाद हम पहली बार यहां पर बैठे हैं और जनता ने अपना जनादेश दे दिया है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, उसके बाद यह पहली बैठक थी, जिस तरह से विपक्ष के साथियों ने अभिभाषण का विरोध किया, राज्यपाल महोदया का विरोध किया, उसका कोई कारण मुझे समझ नहीं आया। अभी तो हम चुनावों से आये हैं, थोड़ा वक्त देते और निश्चित तौर पर हम आपकी समीक्षाओं का स्वागत करेंगे, आपकी आलोचनाओं का स्वागत है लेकिन मुझे नये विद्यार्थी के तौर पर इस बात का कोई कारण समझ नहीं आया कि सरकार के गठन के बाद राज्यपाल महोदया पहली बार सदन में भाषण देने के लिए आईं, उसके बाद उनका इस तरह से विरोध क्यों हुआ। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि,

ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी,

हम परों से नहीं हौंसलों से उड़ान भरते हैं।

(सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

श्री अधिष्ठाता-

शलभ जी, बहुत अच्छा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय फईम जी, आप बोलिए।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने आपको जो हमारे नेता प्रतिपक्ष भाषण देंगे और जो हमारे लोगों ने विचार रखे हैं, उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। उक्त अभिभाषण सरकार की पिछले पांच वर्ष की अपने शब्दों में की गयी तारीफ और विफलताओं पर पर्दा डालने का प्रयास मात्र है, जिसके बारे में एक फिल्मी गीत का मुखड़ा याद आ रहा है कि-

'पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जायेगा।'

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

इस अभिभाषण के शुरुआत में ही केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना, उज्ज्वला गैस योजना, किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र कर राज्य

सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने का कार्य किया, जो अपनी खुद की हकीकत नहीं है। रोजगार उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र, स्वरोजगार आदि के जरिये 2.21 करोड़ रोजगार मिलना और बेरोजगारी 18 परसेण्ट से 2.9 परसेण्ट पर लाने का जिक्र किया गया है, जबकि हकीकत उसके उलट है और प्रदेश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। कानून-व्यवस्था और अपराध के बारे में भले ही प्रदेश की स्थिति बेहतर बतायी गयी हो, परन्तु अधिष्ठाता महोदय असली हालात बद से बदतर हैं। अखबार-हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार और पुलिस पर हमला अदि की वारदातों से भरे होते हैं। कत्ल की घटनाएं, अदालतों और जेलों के भीतर तक होने लगी हैं। केवल आंकड़े सुधारने के उद्देश्य से घटनाओं को दर्ज करने में पुलिस ने परहेज किया है। हकीकत में प्रदेश में बुलडोजर राज, पुलिसिया अत्याचार, आन्दोलनकारियों का दमन राज, कार से कुचलना राज, यह सब चल रहा है। सम्पत्तियों के जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, सरकार समर्थित माफियाओं का विरोध करने वालों के विरुद्ध नितान्त अवैधानिक रूप से की गयी है, जिससे न्याय व्यवस्था भी पूरी तरीके से कमजोर होती नजर आ रही है।

खासतौर से माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान धनराशि का तुलनात्मक विवरण बताकर रिकार्ड भुगतान होना बताया गया है जबकि अभी भी गडोरा मिल, महाराजगंज का जीरो परसेण्ट, मोदी की 02 मिलों का 9 परसेण्ट, कप्तानगंज मिल कुशीनगर का 13 परसेण्ट, शामली मिल का 17.5 परसेण्ट, बजाज की मिलों का 20 परसेण्ट, सिम्भावली की 3 मिलों का 21 परसेण्ट, यदु की 2 मिलों का 29 परसेण्ट भुगतान करना सारी असलियत उजागर करता है। यदि यही आंकड़े कुल धनराशि के बजाय प्रतिशत में कर दिये जायें तो कहानी बदल जाएगी। किसानों की आय एमएसपी पर खरीदने मात्र से दोगुनी नहीं, बल्कि लागत कम करने और एमएसपी दर बढ़ाने तथा एमएसपी दर से कम खरीदने पर पाबन्दी से ही मुमकिन है। मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में मुआवजे की धनराशि कई वर्षों से 5 लाख है, जिसे 10 लाख किया जाना बेइन्तिहा जरूरी है, जिसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। अभी तक न तो छुट्टा गोवंश और बदहाल और आश्रय स्थल की सर्वस्वीकार्य समस्या से छुटकारा मिला है, न ही बन्दरों और जंगली सुअरों के द्वारा किसानों का किया जा रहा नुकसान रोकने का कोई प्रबन्ध किया गया है। सबसे गम्भीर तो यह है कि आवारा पशुओं द्वारा नष्ट की गयी फसलों का मुआवजा भी कहीं किसानों को दिया गया है और न ही इस तरह की किसी योजना का प्राविधान है। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद व सम्भल जिले के कृषकों को सिंचाई हेतु कई वर्ष से बनाई जा रही गंगा नहर का अभी तक पूरा नहीं होना सरकार के कार्यों की सुस्त रफ्तार को दर्शाता है। सरकार का दो एक्सप्रेस-वे बनने भर से प्रदेश को एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में महिमा मण्डित करना हास्यास्पद है।

सरकार का गड्ढा-मुक्ति अभियान भले ही सड़कों के गड्ढे भरने में कामयाब नहीं हुआ, परन्तु सरकार के समर्थक जो ठेकेदार हैं, उनकी जेबें भरने में कामयाब जरूर हुआ है। मैं बताना चाहूंगा, अभी हमारे साथी कह रहे थे, मुरादाबाद के अन्दर हवाई पट्टी से उड़ानें

अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सकी है। कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी भी गये हैं और लोगों ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक हमारे यहां से यातायात शुरू नहीं हुआ है। एक जनपद, एक उत्पाद योजना कागजों तक सीमित है, किसी भी जनपद में उस जनपद के लिए चयनित उत्पाद से सम्बन्धित प्रशिक्षण, उत्पादन, बिक्री आदि के सुविधा केन्द्र स्थापित नहीं किये गये हैं। पंचायत भवनों में जन सेवा केन्द्र स्थापित कर उनके जरिये दी जाने वाली सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराने का संकल्प इसमें नहीं लिया गया है। अभिभाषण में सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ाई, इसका उल्लेख न करना, ऊर्जा क्षेत्र में उसका गम्भीर न होना सिद्ध करता है। नलकूप उपभोक्ताओं को बिल में 50 परसेण्ट की छूट पुराने बिल पर न देना परेशान कृषकों के साथ नाइंसाफी है। समस्त सरकारी कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों में क्षमता के अनुरूप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की नितान्त आवश्यकता है। समस्त सामाजिक पेंशनरों को 1000 प्रति माह की पेंशन में प्रति वर्ष वृद्धि की व्यवस्था होना, उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना में कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के साथ दुर्घटना और आकस्मिक मृत्यु के कारण अनाथ बच्चों को भी सम्मिलित करने, समस्त प्रकार की विवाह अनुदान योजना की धनराशि एक समान करने, किन्नरों और यौन-कर्मियों को पुनर्वासित करने का संकल्प नहीं लिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं, पूरी बात आ जाये। अखबारों में अधिकारियों के बयान, कार्डधारकों से वसूली का छपना, कार्ड को स्वयं निरस्त कराने को कहना, ऐसा कोई सरकारी निर्देश नहीं होने की खबरें छपना, सरकार की कलाबाजियों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। हर घर नल से जल योजना की रफ्तार धीमी है, उसके शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति हेतु समय-सीमा निर्धारित किया जाना जरूरी है। ग्राम पंचायत सचिवालयों में ग्राम स्तरीय कर्मचारियों की उपस्थिति की अनिवार्यता और शेड्यूल निर्धारित करना बहुत जरूरी है। एण्टी भू-माफिया अभियान सत्ता समर्थक माफिया का विरोध करने वालों के दमन का हथियार बन गया है। स्मार्ट सिटी आंकड़ों तक सीमित है, वास्तविक स्मार्ट होने की उम्मीद नहीं है। कोविड प्रबन्धन का जैसा व्याख्यान अभिभाषण में है कोविड काल में ऑक्सीजन, दवाई, वेन्टीलेटर आदि का नहीं किया है। जो करोड़ों पौधे लगे हैं उनको लगाने से ज्यादा बचाने का भी प्राविधान होना चाहिए। नई शिक्षा नीति मानकों के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में सबसे अहम शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई है। मानक और मांग के अनुरूप अस्पतालों में इलाज की आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। मैं आपसे आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं उनके हितार्थ चली सबका साथ सबका विकास नारे के परिप्रेक्ष्य में लागू करें। मैं अपने शब्दों को इस शेर के साथ समाप्त करूंगा कि अगर मैं झूठ कहूंगा तो रूह को मरना है, अगर मैं सच कहूं तो सर मेरा नहीं बचना। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं एक आखिरी बात

और कहूंगा। बात चलती है कहां और बात पहुंच जाती है कहां। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बात मुद्दे की होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मा0 राज्यपाल महोदया जी ने जो अभिभाषण दिया है उस पर ही अगर हम सब लोग बोलें तो जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा। कोई इधर-उधर की बात करेगा तो भाषण तो हमें बहुत शानदार देना आता है अगर आप जिक्र करोगे तो योजनाएं बताना मैं शुरू कर दूंगा, क्योंकि हालात इस तरीके से बना दिये जाते हैं कि साहब यह हुआ वह हुआ। अरे जो अभिभाषण है उस पर बात करो, नहीं तो डिबेट करा दो। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में प्रतिभाग हेतु सदस्यों के लिए समय का निर्धारण

श्री अधिष्ठाता-

मेरा सभी मा0 सदस्यों से यह आग्रह है कि जो समय दिया गया है उसमें ही अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि अगर बीच में इंटरप्ट करके उसको समाप्त कर दें तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरा आग्रह है कि 4-5 मिनट में ही अपनी बात को समाप्त करें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

प्रो0 श्याम बिहारी लाल-

मान्यवर, मा0 राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। अभी हमसे पहले जो मा0 सदस्य बोल रहे थे मैं उन्हीं की बात से शुरू करता हूँ, उन्होंने एजुकेशन की बात की तो मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों में शिक्षा के साथ क्या किया गया और सबसे बड़ी बात है कि पन्द्रह साल के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ नकल को बढ़ावा दिया गया था और उस नकल का जो कहते हैं कि दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ों के लिए उन्होंने बहुत काम किया तो उस नकल के माध्यम से उन्होंने इस वर्ग को जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ता था और जो प्राईवेट स्कूलों में नहीं जाता था जो परिषदीय स्कूलों में पढ़ता था उनको बिल्कुल हाशिये पर समेट दिया और जो लामार्ट में पढ़ते थे बिशप और सनोवर वह लोग आगे आए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि पूरी दुनिया पर राज करने वाला इंग्लैण्ड अगर क्यों एक छोटा सा स्टेट था और उसने पूरी दुनिया पर अपना परचम फहराया तो उसकी वजह क्या हो सकती है। मैं बताना चाहता हूँ कि उनका चौथी या पांचवी का पढ़ा हुआ बच्चा जब कभी आगे भविष्य में नहीं पढ़ पाता था और शिप पर पूरी दुनिया में जाता था तो कैप्टन की मौत के बाद वह अक्षांश और देशान्तर निकालने के लिए कैलकुलेशन करना जानता था, लेकिन इस बात पर पीछे की सरकारों ने कभी जोर दिया ही नहीं।

मा0 योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जो काम किया है ऐलेमेण्ट्री एजुकेशन में, बेसिक शिक्षा में वह बहुत ही सराहनीय है। अभी यह तय हुआ कि 1-3 कि0मी0 के बीच में स्कूल उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि वहां पर जो शिक्षकों की कमी थी, जो शिक्षक नहीं आते थे, उनके लिए वाया मीडिया ढूंढ़ा गया और आज आप प्रदेश में 7:30 बजे

कहीं भी जाकर देख लीजिए, 7:30 बजे शिक्षक स्कूल में पहुंच जाते हैं और जहां नहीं पहुंचते हैं, वहां पर अधिकारी तुरन्त वाट्स ऐप के माध्यम से अटेण्डेन्स लेते हैं। यह एक फैक्ट है और यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जो यहां बैठे हुए हैं हमारे अन्य मा0 सदस्यों को पता न हो। यहां से काम शुरू करते हुए फिर आप देखें कि काया कल्प योजना के माध्यम से भी बहुत काम हुआ है। यदि किसी ने अरविन्द अडिगा की किताब वाइट टाइगर पढ़ी हो तो उसमें देखा होगा कि कहीं पान थूका हुआ है, कहीं स्कूल की खिड़कियां टूटी हुई हैं, फर्श है ही नहीं, बच्चा फटी बोरी अपने घर से लेकर आ रहा है, लेकिन आज के समय में वहां अच्छे फर्श बनाये गये हैं। आज लगभग 1,30,000 स्कूलों की दशा और दिशा बदली है। सबसे बड़ी बात है कि आज उनमें बाउण्ड्री वॉल है, आज उनमें छत अच्छी हो गई है, आज उनमें अच्छे फर्श बन गये हैं, आज ढेर सारे स्कूलों में ब्लैक बोर्ड ठीक हो गये हैं और यहां तक कि मास्टर क्लासेज बनने शुरू हो गये हैं। मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में कम से कम चार से छः दर्जन स्कूल ऐसे हैं जिनमें मास्टर क्लासेज हैं और काम कर रही हैं। यह कोई एक काम नहीं हुआ है। कम से कम 19 बिन्दु ऐसे हैं, जिन पर मा0 योगी आदित्यनाथ जी ने काम कराया और हम सब सदस्यों ने खुद जाकर देखा है कि यह काम आगे बढ़ा है।

इसके अतिरिक्त आप देखें कि माध्यमिक शिक्षा में वर्ष 2022-23 में लगभग 02 करोड़ बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राइमरी से लेकर पूर्व माध्यमिक तक मतलब आठवीं तक के बच्चों को बैग, स्वेटर, मोजा, जूता और किताबें देने की प्रक्रिया चालू की गयी है। यह सब मा0 योगी आदित्यनाथ जी ने किया है जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। सबसे बड़ी बात है कि अब एन0सी0ई0आर0टी0 की किताबें लागू कर दी गयी हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अतिरिक्त अगर आप उच्च शिक्षा में देखें तो पहले संस्कृत विद्यालयों की बहुत बदहाली थी। संस्कृत के इंस्टीट्यूशन न के बराबर थे और जो थे, वे बिल्कुल बन्द हो गये थे। लेकिन राज्य सरकार ने इस बार वहां पर नये सब्जेक्ट चालू किये हैं, वहां कई चीजें इण्ट्रोड्यूस की हैं और कोशिश की है कि वहां पर शिक्षकों को लगाया जाये और वहां शिक्षकों को मृतक आश्रित का लाभ भी दिया जाये। उच्च शिक्षा में जो असेवित क्षेत्र थे, उनमें तीन जगह नये विश्वविद्यालय खोलने का काम हुआ। आपने देखा कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में प्रारम्भ करने की प्रक्रिया चालू हुई है। इसी तरीके से अलीगढ़ में राजा महेन्द्र सिंह विश्वविद्यालय प्रारम्भ होने की प्रक्रिया शुरू हुई है और सहारनपुर में माँ शाकुम्भरी देवी के नाम से विश्वविद्यालय प्रारम्भ हुआ है। इसी तरीके से मेडिकल कालेजेज का भी काम हुआ है। इसी तरीके से पॉलीटेक्निक एजूकेशन और टेक्निकल एजूकेशन में भी ढेर सारी चीजें हुई हैं, वहां पर नई संरचनाओं के लिए बुनियादी तौर पर काम करने की कोशिश की गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यही है कि एजूकेशन के महत्व को इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भाजपा सरकार ने समझा और मा0 योगी आदित्यनाथ जी ने इसको बढ़ावा देने का काम किया है।

इसके अतिरिक्त अब मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ। एक तो यह कि फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र में अगर एक मण्डी समिति स्थल बन जाये तो बहुत अच्छा

होगा। ऐसे ही भूता विकास खण्ड में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता है। प्रदेश में एक बंजारा जाति है, उनके उत्थान के लिए एक बंजारा डेवलपमेण्ट फाउण्डेशन की स्थापना कर दी जाये तो यह बहुत बेहतर कार्य होगा। ऐसे ही फरीदपुर में दूषित जल की निकासी की व्यवस्था अविलम्ब करा दी जाये और राजकीय महाविद्यालय, फरीदपुर नगर पालिका में विज्ञान वर्ग के शिक्षकों की तैनाती करा दी जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द-जय भारत।

श्री राम फेरन पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका धन्यवाद। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर और साकेन्द्र वर्मा व डॉ0 साहब के प्रस्ताव व समर्थन पर अपने आपको सम्बद्ध करते हुए सदन में बैठे हुए सभी प्रतिनिधियों को प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी बहुत-से साथी हमारी कानून-व्यवस्था की बात कर रहे थे। यहां जितने लोग बैठे हैं, वह सभी जानते थे कि वर्ष 2017 से पहले शहरों में लड़कियां दिन बैठने के बाद निकल नहीं पाती थीं। यदि निकलती थीं तो उनको गुण्डे उठा ले जाते थे लेकिन आज जो भयमुक्त समाज देने का काम योगी सरकार ने किया है, उसमें 12 बजे के उपरान्त भी हमारी बहनें स्कूटी से सामान लेने जा रही हैं, यह है कानून-व्यवस्था। आज नारी सशक्तिकरण को इस तरीके से हमारे मुख्य मंत्री जी ने बढ़ाया है, वह अपने-आप में अद्वितीय है। अभी बहुत-से साथी बिजली की बात कर रहे थे, हम इसी यू0पी0 में पैदा हुए हैं और यहीं मरना भी है। वर्ष 2017 से पहले जब हम लोग सो जाते थे तब बत्ती आती थी और जब आंख खुलती थी तो बिजली गुल हो जाती थी। आज की स्थिति यह है कि शहरों में 24 घण्टा, तहसीलों में 21 घण्टा और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे बत्ती देने का काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह काम हो रहा है। आज पूरा प्रदेश इसका लाभ उठा रहा है लेकिन हमारे सहयोगी विपक्षियों की एक आदत है कि अच्छों को बुरा साबित करना। यह दुनिया की पुरानी आदत है। अगर अपने ठण्डे दिल पर हाथ रख कर सोचेंगे तो मेरे ख्याल से यह आलोचना नहीं कर पाएंगे। शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही थी। अन्य सरकारों में जैसे पुलिस वालों को खाकी वर्दी मिलती थी, उस तरह का बच्चों को कपड़ा मिलता था लेकिन मैं अपने मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो बच्चों को अच्छी क्वालिटी के ड्रेस, जूता-मोजा, स्वेटर और मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पढ़ाई और कायाकल्प योजना के अन्तर्गत स्कूलों का जिस तरह से कायाकल्प किया है, उसमें मेरा जिला श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के 8 पिछड़े जिलों में अति पिछड़ा जिला था लेकिन आज मैं इस सरकार को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब हमारे जिले श्रावस्ती में 24 इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल बन गये हैं।

अभी बहुत-से लोग कृषि की बात कर रहे थे, आज तक हमने सांसद निधि और विधायक निधि सुना था लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने किसानों की आत्मा को चूमते हुए 'किसान सम्मान निधि' देकर किसानों के मस्तक को ऊंचा

करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज बिना किसी भेदभाव के चाहे होली का त्यौहार हो या ईद का, गरीब के पास जब पैसा नहीं होता है और सरकार की जब दो हजार रुपये किसान सम्मान निधि पहुंचती है तो वह त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाता है। इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2017 में सरकार बनती है और वर्ष 2018 में पूरे प्रदेश में लगभग बाढ़ की स्थिति थी। हमारे जिले श्रावस्ती में 12 अगस्त को बाढ़ आती है तो मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी को टेलीफोनिक वार्ता करके अवगत कराया। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा 14 अगस्त को श्रावस्ती पहुंचकर बिना किसी भेदभाव के लोगों को 16 प्रकार की सामग्री उपलब्ध करायी गयी। यही नहीं, वह धन्य हैं, भगवान उनको शतायु करें, उन्होंने जानवरों के भूसे की भी व्यवस्था की। वह पूजनीय हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी सरकारों का अलग-अलग कार्य। 'आयुष्मान भारत योजना' के अन्तर्गत बिना किसी भेदभाव के, पहले लोग दवाई के बगैर अपनी जान दे देते थे लेकिन पांच लाख रुपए का गोल्डन कार्ड केवल भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने नहीं पाया बल्कि सभी दल के लोगों को मिला है जो अपने-आप में अद्वितीय है। अब बीमारी से मौतों का दर घटा हुआ है और इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारी डबल इंजन सरकार को जाता है।

जब वर्ष 2020 में 25 मार्च को कोविड आया तो उस वक्त लॉक डाउन लगा। उत्तर प्रदेश के सारे रास्ते बन्द थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपनी जान की परवाह किये बगैर जितने प्रवासी मजदूर थे, उनको भोजन और पानी देने का काम किया और जो निराश्रित मजदूर थे, जिनके रोजगार बन्द हो गये थे, उन सबको राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये अपने आप में एक अद्वितीय है। कहने के लिए कोई भी कह दे, अभी हमारे एक सहयोगी कह रहे थे। हमारे विपक्ष के नेता परम आदरणीय चौधरी साहब थे, जब उनको कोविड हुआ तब हमारे मुख्य मंत्री जी ने पूरी पारदर्शी व्यवस्था के साथ उनका वी0वी0आई0पी0 ट्रीटमेन्ट कराया था। कोविड काल में हमारी सरकार ने लोगों की जांच करायी, लोगों का उपचार कराया और निःशुल्क में टीकाकरण भी कराया जिससे पूरे प्रदेश और देश के लोगों की जान बची है। ये है योगी राज का कमाल। ये मैं नहीं कहता हूँ, गूगल सर्च करके कोई भी देख ले। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सड़कें बनी हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है। हमारा श्रावस्ती आकांक्षी जनपद है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 162 किलोमीटर की सड़क दे करके माननीय मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री ने गागर में सागर भरने का काम किया है वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। वर्ष, 1997 में श्रावस्ती जनपद का सृजन हुआ था। एक हवाई पट्टी हाथी के रूप में खड़ी थी। रीजनल कनेक्टिविटी में ले करके हमारी सरकार ने उसका विस्तारीकरण कराया है। अगले महीने से श्रावस्ती का किसान हवाई चप्पल पहन करके हवाई यात्रा करने जा रहा है। इससे बड़ा गौरव और क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता-

राम फेरन जी समाप्त करिये।

श्री राम फेरन पाण्डेय-

इस सरकार की नौकरियों में भी पारदर्शी व्यवस्था है। पूर्व की सरकारों में नौकरियों में एक विशेष वर्ग के लोगों का चयन होता था। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा, मेरे जिलौला ब्लाक में एक पण्डित राम जी पाठक हैं, उनके लड़के ने वर्ष, 2015 में पी0सी0एस0 की परीक्षा दी, उसे 01 नम्बर से पिछाड़ दिया गया। जब हमारी सरकार वर्ष, 2018 में आयी तो उसने पी0सी0एस0 की डिग्री प्राप्त की और इस समय वह मनकापुर में एस0डी0एम0 है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी पारदर्शी व्यवस्था के साथ शिक्षकों की भर्ती हुई है। सभी दलों के लोगों का हमारे यहां ईमानदारी पर काम होता है। धन्यवाद देते हुए और एक बात कहते हुए कि 'एक पत्थर की तस्वीर भी संवर सकती है, शर्त यह है कि उसे सलीके से तराशा जाये।' आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदस्य श्री पंकज मलिक का नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित थे)

श्री विनोद चतुर्वेदी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम के अभिभाषण पर संशोधन में बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यह अभिभाषण उन मुद्दों के लिए याद रखा जायेगा जिनका इसमें उल्लेख नहीं है। कानून-व्यवस्था पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें अभी सदन में हुई हैं। जहां तक माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनायी गयी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, महिला डेस्क के होते हुए बुन्देलखण्ड के ललितपुर में जो घटना हुई जिसके बारे में हमारे माननीय नेता विपक्ष ने कहा और वो मौके पर गये, उसी थाने में एक दलित महिला के साथ एस0एच0ओ0 ने बलात्कार किया। महिला हेल्पलाइन डेस्क होने के बाद भी यह प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है, वह अपने आप में स्वयं ही एक उदाहरण है कि थाने के अन्दर दलित महिला के साथ बलात्कार होता है। जहां तक माफियाओं के बारे में कहा जाता है कि उनको कुचल दिया गया है, उनके साथ उनकी जमीनें और उन्होंने जो अवैध चीजें बनायी थीं, उन सबको सरकार ने खत्म कर दिया है। अगर सब खत्म हो गया है तो फिर मान्यवर, यह तो राम राज्य होना चाहिए, फिर क्यों रोज अखबारों में हत्या, बलात्कार और डकैती की घटनायें आती हैं। हमारे जनपद जालौन में अभी तीन-चार ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हैं जो यह प्रदर्शित करती हैं कि यहां गिरोह चल रहे हैं, यहां माफियाराज चल रहा है। हमारे यहां बालू-खनन के बड़े-बड़े पट्टे हैं, उनको अगर देखा जाये तो आज भी खनन में उन लोगों का हाथ है और लाखों-करोड़ों रुपये सरकार का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है।

इस अभिभाषण में आवारा पशुओं के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि इनके लिए सरकार ने चुनाव के दौरान वादा किया था। बुन्देलखण्ड में वैसे ही किसानों की स्थिति

बहुत खराब है लेकिन जो कुछ किसान अपनी खेती करते भी हैं तो जो आवारा पशु हैं, जिनकी वजह से वह रात-रात भर जगकर अपनी फसलों को किसी तरह से बचाते हैं और यदि एक या दो दिन नहीं गये तो निश्चित ही उनकी सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। एक्सप्रेस-वे बनाने का भी इस अभिभाषण में बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया, लेकिन अगर देखा जाये तो यह हमारी सरकार की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में इन एक्सप्रेस-वे का सारा अधिग्रहण हुआ, भूमि-अधिग्रहण हुआ और सिर्फ नाम आपने ले लिया कि यह हमने बनाये हैं। जो हमारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे समय पर बनना था, लेकिन आज भी वह पूरा नहीं हुआ। चित्रकूट से लेकर लखनऊ एक्सप्रेस-वे में जो जोड़ना था, अभी उसका काम अधूरा है। बहुत से किसानों की भूमि का जो अधिग्रहण किया गया, उसका भी बहुत पैसा बकाया है। स्वास्थ्य के बारे में बड़ी बातें अभी यहां लोग कह रहे थे। इस बारे में नहीं बताया कि कोरोना के टाइम में गंगा में जो लाशें थीं, वह किनकी लाशें थीं, क्या वहां जानवर थे। मीडिया ने जो लाशें दिखाई थीं और उन्नाव और कानपुर में लाखों-लाखों लाशें गंगा में दिखाई दी थीं, वह लाशें किनकी थीं और कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोग मरे हैं, दवाई न मिलने पर हजारों लोग मरे हैं, बेड न मिलने पर हजारों लोग मरे हैं। जहां तक अभिभाषण में मेडिकल कालेज की बात कही गई। मेरे वहां जनपद जालौन में माननीय मुलायम सिंह जी का दिया हुआ मेडिकल कालेज है, वह उरई में स्थित है। उस मेडिकल कालेज में आज तक पूरे डॉक्टर नहीं हैं, संविदा पर काम हो रहा है। जनपद जालौन में अगर कोई भी एक्सीडेण्ट हो जाये, कोई भी घटना हो जाये, आप देखेंगे कि पांच मिनट के अन्दर रेफर करते हैं। चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कालेज हो, कोई घटना-दुर्घटना अगर होती है, पांच मिनट के अन्दर मरीज को कानपुर या झांसी रेफर किया जाता है। न दवाइयां हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी एक्सपाइरी दवाईयां पकड़ी हैं, और यह अखबार में छपा भी था। पाठक जी ने खुद कहीं छापा मारा और करोड़ों की एक्सपाइरी दवाई वहां निकली।

श्री अधिष्ठाता-

आदरणीय विनोद जी, समाप्त करें।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, बस थोड़ी सी बात किसानों के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो किसानों के लिए बहुत वाह-वाही लूटी जाती है। किसान सम्मान निधि के बारे में अभी कोई हमारा माननीय सदस्य कह रहा था कि यह 6 हजार रुपये है। लेकिन एक बार में 2-2 हजार रुपये दिये जाते हैं और 2 हजार रुपये का इस महंगाई में कपड़ों का साबुन नहीं आयेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि किसानों को उससे बड़ी राहत मिलती है और वह यह भी कह रहे थे कि किसान उससे अपने बच्चों की फीस देता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप ही बतायें कि 2 हजार रुपये में क्या होता है ? मैं केवल आपका थोड़ा-सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और आपका एक सेकेण्ड लूंगा। अभी जो कानून-व्यवस्था पर बात हो रही थी। आज ही उत्तर प्रदेश सरकार को इसको समझ लेना

चाहिए कि आन्ध्र प्रदेश में जो एनकाउण्टर हुए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपनी बात कही है, उसमें 10 सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसमें 10 लोगों को जेल भेजा गया है। अगर आप काम करके प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे तो निश्चित ही माना जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि जिन माननीय सदस्यों का नाम मैं ले लिया करूंगा, वह अपनी बात को 5 मिनट में समाप्त कर दें।

श्री रमेश जायसवाल-

अध्यक्ष पीठ पर आसीन आज इस सदन के अन्दर अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, सदन में उपस्थित मंत्रि-मण्डल के सभी सम्मानित मंत्रीगण, सदन में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आपने जो मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कहना चाहूंगा कि कल बहुत सारे विषय आये, माननीय राज्यपाल महोदया ने बहुत ही विस्तार से सदन के सम्मुख इस सरकार की योजनाओं को रखने का प्रयास किया, हम सब लोगों ने बहुत ही तन्मयता और पूरे भाव के साथ कल की कार्यवाही को पूरा सुनने का काम किया। चूंकि बहुत सारे विषयों पर संशोधन भी आये जिस पर सम्मुख बैठे सभी माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ठीक से उस अभिभाषण को सुना गया होता तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें स्पष्ट रूप से कहने और सुनने में अच्छी लगतीं। अभी हमारे सम्मानित वरिष्ठ साथी ने कहा कि बहुत संघर्षों के बाद लोग सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनने के लिए इस सदन में शामिल होते हैं। यहां पर बहुत सारे सम्मानित वरिष्ठ सदस्य जो बहुत पुराने हैं, मैं बहुत आदर के साथ मैं उनका सम्मान करता हूँ नियमावली के तहत विरोध ठीक है, विरोध करना भी चाहिए और करें, परन्तु सुनना भी बहुत जरूरी है, सुनने के बाद जितने अच्छे तरीके से आप अपने विषय को बाद में रखते हैं। अभिभाषण का लाभ नहीं सुनने वालों को कभी नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं। सरकार पिछले 5 वर्षों तक जनता के बीच में उतर कर समाज के बीच में खुद को प्रमाणित करने का काम किया, वह ज्वलन्त प्रमाण इस बात का है कि बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखने वाली देश की 25 करोड़ जनता ने सर्वाधिक बहुमत के साथ इस सदन के अन्दर सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को जिताकर भेजा है।

मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कल माननीय राज्यपाल महोदया ने हर विषय पर इस सरकार के पक्ष को और इस सरकार की नीतियों को इस सरकार की जनमानस के प्रति संवेदनशीलता को रखने का पूरा प्रयास किया और रखा। चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे प्रदेश के बदलने का मुद्दा हो, चाहे अपराध के नियंत्रण का मुद्दा हो, किसानों की उन्नति का मुद्दा हो, छात्रों के जीवन का मुद्दा हो, नौनिहालों का मुद्दा

हो, सभी मुद्दों पर सरकार ने बहुत ही तन्मयी भाव से काम करके प्रदेश के लोगों के विश्वास को जीतने का काम किया और बधाई की पात्र है। हम लोगों की योगी जी की सरकार जिन्होंने पूरे प्रदेश के अन्दर औद्योगिक जाल बिछा दिया है। चारों तरफ सुगम रास्ते हो गये, लगातार लोगों को आने-जाने में परेशानी कभी हुआ करती थी, परन्तु 5 वर्षों में जिस तरीके से सरकार ने जनता का विश्वास प्राप्त किया और उसका प्रमाण भी मिला कि सर्वाधिक बहुमत से हम सब यहां जीत कर अपने विचारों के साथ इस सदन में आये हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ सदन के सभी सदस्यों से कि जब भी जनहित का मुद्दा हो तो विरोध के अलावा जनमानस को कैसे लाभ दिलाया जाय, इसकी भी चिन्ता सदन को करनी चाहिए।

मैं इस सदन में दिये गये महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ और समर्थन करता हूँ। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित में आवश्यक हैं इसलिए मैं उन्हें भी सदन में रखना चाहूंगा। मैं चन्दौली जिले की मुगलसराय विधान सभा सीट से चुनकर आया हूँ जो वर्तमान में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी की निर्वाण स्थली है, जिनके सिद्धान्तों के आधार पर हम सब लोगों ने कुछ न कुछ बेहतर करने का कार्य किया है। वहां की आबादी लगातार तेजी से बढ़ रही है अब वहां थोड़ी समस्या आ रही है। मेरा अनुरोध है कि सुभाष पार्क से चकिया तिराहे तक एक ओवरब्रिज बन जाता है तो निश्चित तौर पर आवागमन सुलभ हो जायेगा और लोगों को बहुत राहत मिलेगी। हमारे यहां बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य कराये गये जो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय हैं। क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वांगीण विकास की पिछले वर्षों में एक भूमिका तय हुई उसको फिर से हमारी सरकार करने जा रही है। मैं सदन का बहुत सम्मान करता हूँ, कहीं हमारे विपक्ष के साथी यह न कह दें कि 6 मिनट हो गया अभी समाप्त नहीं किया इसलिए मैं सभी को प्रणाम करते हुए, अभिभाषण का सम्मान करते हुए प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूँ और स्नेह के साथ अभिनन्दन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री संजय कुमार शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। डॉ0 मन्जू शिवाच, जिन्होंने अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उनके और श्री साकेन्द्र वर्मा जी के विचारों के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस बार जब हम दोबारा चुनकर आये तो हमें विधान सभा बिल्कुल नये कलेवर में मिली। ई-विधान सभा के माध्यम से मुझे लगता है हम सबको और ज्यादा अपने विधान सभा क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिलेगा। अधिष्ठाता महोदय, कल जब माननीया राज्यपाल जी का अभिभाषण चल रहा था तो जिस प्रकार का माहौल सदन के अन्दर देखा गया उसे देखकर बहुत कष्ट हुआ। इस

बार बहुत सारे नये सदस्य सदन में आये हैं उसमें हमारी पार्टी के ही नहीं बल्कि विपक्ष के भी हैं। मैं सोचता हूँ कि उनके मन में क्या भाव पैदा हुआ होगा पहले दिन सदन का हाल देखकर। लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार होता है अपनी भावनाओं को प्रकट करने का लेकिन जिस तरह की अराजकता का माहौल पैदा किया गया, मुझे लगता है वह जनता के प्रति उनके कर्तव्यबोध की कमी को दर्शाता है। जिस तरह से विपक्ष के द्वारा गो-बैक, गो-बैक के नारे लगाये जा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे कि आजादी की लड़ाई में साइमन गो-बैक के नारे लग रहे थे। यह संविधान के अनुरूप चुनी गई सरकार है, हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया अपना अभिभाषण पढ़ रही हैं और आप गो-बैक के नारे लगा रहे हैं। वर्ष 2017 में इस प्रदेश की जनता गो-बैक के नारे लगा रही थी, सपा गो-बैक, अराजकता गो-बैक, भ्रष्टाचार गो-बैक, अशिक्षा गो-बैक, स्वास्थ्य की जो बदहाली थी वह गो-बैक, उसके बाद जनता ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का अवसर दिया था। आपको जनादेश का सम्मान करना चाहिए, आप उस जनादेश के बाद पहली बार सदन में बैठे थे और आप इस तरह से जनादेश का अनादर कर रहे थे वह जनता का अपमान था और प्रदेश की जनता इस बात को याद रखेगी। क्यों इनको गो-बैक के नारे लगाने पड़े, आखिर ऐसा क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय योगी जी, मोदी जी की सरकार ने। हमने इतने सारे एक्सप्रेस-वे बनाये, इतनी सारी सड़कें बनायीं, क्या इनको वह नहीं चाहिए थीं।

आज उत्तर प्रदेश में पांच नये इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में 5 नये अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसके पास पांच अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। योजना है कि नये एक्सप्रेस-वे के किनारे इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर बनाये जायेंगे। उद्योगों को नया अवसर मिलेगा। आज देश का नहीं, पूरी दुनिया का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। हमारा जो इन्वेस्टर्स सम्मिट हुआ था, पहले दिन 4 लाख 68 हजार करोड़ रुपये के समझौते हुए थे। तब इसी सदन में मजाक उड़ाया गया था कि ऐसे समझौते होते रहते हैं, लेकिन आज उसमें से साढ़े तीन लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और तीसरी 'ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी' में 03 जून, 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी 75 हजार करोड़ रुपये के नये प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। क्या इनको ये सब पसन्द नहीं कि हमने जनता के लिए 'ईज ऑफ लिविंग', का एक नया कांसेप्ट दिया ? गरीबों को 42 लाख से ज्यादा आवास दिये। 1 करोड़ 67 लाख से ज्यादा उनको इज्जत घर दिये। 1 करोड़ 41 लाख से ज्यादा उनको गैस के नये कनेक्शन दिये और हमने उनको 'आयुष्मान कार्ड' दिया। हमने एक गरीब को जीने का अधिकार दिया। इसमें क्या बुरा किया ? क्या इनको ये पसन्द नहीं था ? क्या इसीलिए ये लोग कह रहे थे कि राज्यपाल गो-बैक ? आज इस प्रदेश में जो परिवर्तन हो रहा है वह इनको बर्दाश्त नहीं है। आज अयोध्या और काशी में जो हो रहा है, वह इनको बर्दाश्त नहीं है। क्या ये देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं है ?

इसीलिए ये लोग नारे लगा रहे थे कि राज्यपाल गो-बैक। मुझे लगता है कि इनको फिर से विचार करना चाहिए।

आज हमारे देश में जिस तरह से काम हो रहे हैं। आप स्वास्थ्य की स्थिति देखिए, हम लोग सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 देखते हैं। मेरे क्षेत्र के लोग बोलते थे कि यहां पर डॉक्टर नहीं हैं, इन्होंने हास्पिटल तो बना दिये, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं थे। इन्होंने चिन्ता नहीं की कि इनको मेडिकल कालेज भी बनाने हैं, जहां पर डॉक्टर पैदा होते हैं। आज हमारे प्रदेश में जहां 70 साल में 12 मेडिकल कालेज थे, आज हर जिले में एक मेडिकल कालेज बन रहा है। मेरे अपने जिले में बाबू जी कल्याण सिंह के नाम पर एक मेडिकल कालेज का निर्माण हो रहा है और ये कहते हैं राज्यपाल गो-बैक। इनको सोचना चाहिए कि इनके समय में किसानों के लिए क्या हुआ ? आज हमारी सरकार ने किसानों के लिए 'किसान सम्मान निधि' के माध्यम से। हमारे विपक्ष के मा0 सदस्य कह रहे हैं कि दो हजार रुपए क्या होते हैं ? जरा दीजिए तो दो हजार रुपए। आज तक आपने दो हजार रुपए क्यों नहीं दिये थे। किसान सम्मान निधि, गन्ने का भुगतान।

श्री अधिष्ठाता-

श्री संजय जी, अपनी बात को समाप्त करें।

श्री संजय कुमार शर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, बस दो मिनट में अपनी बात को समाप्त कर देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

दो मिनट नहीं, जल्दी समाप्त करिए।

श्री संजय कुमार शर्मा-

महोदय, ठीक है। आज किसानों के लिए मेरे अपने क्षेत्र में चीनी मिल है। 44 साल पुरानी चीनी मिल। वहां गन्ना माफिया राज करता था। जिसकी दो बीघा जमीन उसको सौ पर्ची और जिसकी सौ बीघा जमीन, उसको चार पर्ची, आज कोई गन्ना माफिया नहीं है। पिछले पांच वर्षों में 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये के गन्ने का पेमेन्ट हुआ, जो पिछले 10 वर्षों में भी उससे कम हुआ था। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है।

आज किसानों के लिए बिजली है, आज हमको 18, 20 एवं 24 घण्टे बिजली उपलब्ध है। आज हमारे जो युवा हैं, वह जब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो उनको पता होता है कि कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई पी0सी0एस0 जैसा घोटाला नहीं होगा, आज कोई जिला, विशेष का तुष्टीकरण नहीं होगा, आज किसी जाति, धर्म विशेष का तुष्टिकरण नहीं होगा। जो युवा योग्य हैं, वह आज चुनकर आयेगा। पिछले पांच वर्षों में हमने साढ़े चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। किसी के पास यह आरोप नहीं लगा कि उसको कहीं किसी भ्रष्टाचार

का या किसी भाई-भतीजावाद का उसको शिकार होना पड़ा हो। आज हमने प्राइवेट सेक्टर में 1 करोड़ 61 लाख नये रोजगार के अवसर प्रदान किये।

श्री अधिष्ठाता-

श्री संजय जी, अब अपनी बात को समाप्त करें।

श्री संजय कुमार शर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ और विपक्ष के हमारे जितने साथी हैं, उनसे भी आह्वान करता हूँ मा0 अधिष्ठाता महोदय कि आज आजादी का 'अमृत महोत्सव' मनाया जा रहा है। आज राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। 70 वर्षों तक इन्होंने ही सरकारें चलायी हैं। 70 वर्षों तक इन्हीं लोगों ने ही राजनीति की है, लेकिन आज देश का निर्माण हो रहा है। ये सब मिलकर, राजनीति को भूलकर देश के निर्माण में अपना योगदान दें। एक ऐसे विपक्ष की भूमिका निभाएं, जो देश के निर्माण में सकारात्मकता के साथ काम करें, हम इनका स्वागत करेंगे। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और फिर से इस अभिभाषण का पूर समर्थन करते हुए आदरणीय योगी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से इस अच्छी सरकार की बदौलत हम लोग एक बार फिर से चुनकर आये हैं और विपक्ष को फिर से मुंह की खानी पड़ी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अतुल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम संविधान रचयिता बाबा साहब आम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और अपने महापुरुषों को याद करते हुए। अपनी बात प्रारम्भ करता हूँ। अभी हमारे काबिल साथी काफी गुणगान कर रहे थे, सरकार के कार्यों का, एजेण्डों का, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम 1857 की क्रान्ति के शहर मेरठ की धरती का, जिसमें शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर जैसे लोग जन्मे और हजारों हजार लोगों ने अपनी कुर्बानियां इस देश के लिए दी। उस शहर की तरफ जहां पर नासूर बन गयी एक काली नदी के बारे में जो मुजफ्फरनगर के अतंवाडा एक जगह से निकलती है और मुजफ्फरनगर से होते हुए, मेरठ से होते हुए हापुड़ जिले के पास से गुजरते हुए, बुलन्दशहर और आपके अलीगढ़ से होते हुए और कानपुर से होते हुए माँ गंगा के आंचल में गन्दगी फैलाने का काम करती है। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। मैं दो दिन पहले मा0 नेता सदन जी की बात सुन रहा था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया ऐसे बुखार का, जिस दिमागी बुखार से गोरखपुर में हजारों जान जाती हैं और उन्होंने जिक्र किया 1998 का, उन्होंने कहा कि मुझे अध्यक्ष महोदय इस पर बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन मैंने जिक्र किया इस बात का कि इसमें हजारों जान जाती हैं। लेकिन यह काली नदी जिस छदना क्षेत्र से मैं आता हूँ उस छदना क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में कैंसर के इतने रोगी हैं अगर आज सरकार जांच करा ले तो पता चलेगा कि इससे साल में हजारों मौते होती हैं। कैंसर से पीड़ित, चर्म रोग के मरीज, पेट से सम्बन्धित

जितनी बीमारियां हैं, लकवे से ग्रसित लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं लेकिन आज तक उस काली नदी के सॉल्यूशन के लिए एक बात नहीं रखी गयी।

मैं आपके माध्यम से उस 450 कि0मी0 लम्बी काली नदी जिससे हजारों मौते होती हैं उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उस नदी के बारे में सोचिए, जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौते होती हैं और मैंने अध्यक्ष जी से विशेष अनुरोध इस चीज के लिए किया कि उस काली नदी के विषय के बारे में हमें स्पेशल चर्चा भी करानी चाहिए। मैं सदन के सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि इस पर विशेष अनुरोध करके चर्चा कराई जाये। इसके साथ-साथ हमारे साथी अभी रोल मॉडल के बारे में चर्चा कर रहे थे अरे सोचो थाने के अन्दर आपका थानेदार एक बेटी के साथ, उस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना करता है। शर्म आती है इस चीज पर बोलते हुए भी उस घटना का भी जिक्र करो जिस घटना में आपके पुलिस के गुण्डों ने, गुण्डों शब्द मैं बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अलग-अलग जगह से घटनाएं आयी हैं इन्होंने वहां पर घुसकर दबिश देने के दौरान एक माता की हत्या कर दी। उस चीज की चर्चा करो। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ नमामि गंगे पर प्रकाश डाल दीजिए, कितने ऐसे नाले हैं, कितनी ऐसी नदियां हैं। कोई भी नदी पिच से साफ नहीं हो सकती, अगर उसके उद्गम से साफ न किया जाये। अगर उसके पिच की जगह से जहां पर नाले गिरते हैं, जहां पर गन्दा पानी जाता है, अगर उस पानी को ट्रीट किया जाये तभी नदी साफ होगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, थोड़ा समय और दे दीजिए। पहली बार मौका मिला है। मैं जिक्र कर रहा हूँ नमामि गंगे का, इनके प्रोजेक्ट में अगर माता गंगा को साफ करना है तो गन्दे नालों को नदी में गिरने से रोकना होगा तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाला गन्दा पानी बगैर ट्रीट किये नदी में गिरेगा तो कैसे कोई नदी साफ हो पायेगी। इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र हमारे काबिल साथी ने किया। मेरठ मेडिकल कालेज है, रेफर सेण्टर है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, बिजनौर तथा अलीगढ़ तक के मरीज नोएडा तक के मरीज हमारे मेरठ मेडिकल कालेज में जाते हैं। कोरोना के समय में उसका हश्र देखिये, वहां पर जितने मरीजों की क्षमता है उससे तीन गुना मरीज रखे गये थे। वहां पर बहुत अव्यवस्था रही। कैंसर मरीजों की रेडियो थेरेपी की मशीन, जिसमें सिंकाई होती है वर्ष 2016 से खराब पड़ी है। आप पता कर लीजिए, वह मशीन अब तक ठीक नहीं हो पायी है। मेडिकल कालेज में ट्रामा सेण्टर है लेकिन रात को अगर मरीज पहुंचते हैं तो उनको प्राइवेट अस्पतालों में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां पर रहने वाले कर्मचारी उनसे धन उगाही का काम करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, थोड़ा समय दे दें। आप पता कर लीजिए मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स की कमी है, स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है। यहां तक कि मेरठ के प्यारे लाल हॉस्पिटल में सर्जन भी नहीं हैं। हमारे सरधना के लाडवा कस्बे में सी0एच0सी0 का निर्माण किया गया वहां पर आज तक न डॉक्टर हैं और न ही अन्य स्टाफ हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य धन्यवाद। अब समाप्त करें। श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल जी अपनी बात प्रारम्भ करें।

श्री अतुल प्रधान-

कन्या महाविद्यालय की बात थी लेकिन उसको भी नहीं किया गया। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहां पर गन्ने की अधिकता है। हमारे गन्ना मंत्री बैठे हुए हैं, किसानों का काफी बकाया है उसका भुगतान होना चाहिए। इसके साथ ही अधिष्ठाता महोदय, आपको समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग पता नहीं आज किस प्रकार से बोल रहे हैं, कल तो महामहिम राज्यपाल जी को नहीं सुना। रंग बदलने के यह लोग मास्टर हैं। रंग यह लोग मिनटों में बदलते हैं। शायद इनके रंग बदलने से गिरगिट भी शर्माने लगे। कल महामहिम राज्यपाल जी के सामने काले, लाल, पीले फर्जी प्ले कार्ड दिखाने में लगे हुए थे और आज महामहिम राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी ओर से बात कह रहे हैं। रंग बदलने में इनको मास्टरी हासिल है, इनको तो पद्मश्री सम्मान देना चाहिए। यह वह लोग हैं, जिस दल के नेता ने कोरोना काल में जनता को बर्बाद करने की पूरी साजिश रची थी, उस समय इन्होंने कहा था कि वैक्सीन मत लगवाओ, यह वैक्सीन मोदी की है, यह वैक्सीन भाजपा की है। यह अलग बात है कि वैक्सीन आदरणीय नेता श्री मुलायम सिंह जी ने भी लगवाई। समाजवादी पार्टी के लोग बतायें कि कितने लोगों को वैक्सीन नहीं लगने दी, डिस्टर्ब किया, लेकिन देवतुल्य जनता ने वैक्सीन लगवाकर उत्तर प्रदेश में एक रिकार्ड कायम किया और कोरोना के मामले में आज विकसित देशों के साथ हम खड़े हुए हैं। यह वह दल हैं, जो कोरोना के समय अपने घरों से नहीं निकले थे। लाखों लेबर जो सड़कों पर आये थे, उस समय राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकलकर उनको भोजन करवा रहे थे, उनको चप्पल पहनवा रहे थे और

यह लोग अपने घरों में बैठे हुए थे। यह जन विरोधी लोग हैं। यह राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, यह अपराधियों को राजनेता बनाते हैं, यह सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं, यह वह लोग हैं जो जातिवाद और साम्प्रदायिकता के आधार पर वोट मांगते हैं। मैं आगरा की उस धरती से आता हूँ जिसने महाराणा प्रताप को चुनौती दी थी, वह था अकबर आप उसके अनुयायी हैं, औरंगजेब के अनुयायी हैं, यह साफ प्रमाण आ चुका है और इस जनता ने आगरा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको धूल चटा दी, नेस्तनाबूद कर दिया। आप औरंगजेब के अनुयायी हैं।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप अभिभाषण पर बोलिये, बीच में टीका-टिप्पणी न करें।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम राम के भक्त हैं, हम राधा स्वामी को मानने वाले हैं, हम कृष्ण को मानने वाले हैं। आगरा की वह धरती जो भगवान श्रीकृष्ण की भूमि है, वह राधा स्वामी मठ के संस्थापक स्वामी जी महाराज की भूमि है। वह बटेश्वर पारसनाथ भगवान की जन्मस्थली है। हम बताना चाहते हैं कि अटल जी की जन्मस्थली आगरा है। छत्रपति शिवाजी और गुरू तेग बहादुर का इतिहास आगरा से जुड़ा हुआ है। आगरा में 70 वर्ष में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कोई नागरिक सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं 05 वर्षों के लिए आदरणीय योगी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने आगरा की जनता को गंगाजल उपलब्ध कराया। आगरा में जितनी सीवर लाइन और पाईप लाइन पड़ी हैं, आगरा के 71 वर्ष के इतिहास में नहीं पड़ी हैं, इसलिए आप लोग समझ लीजिए कि आगरा की जनता ने 9 सीटों पर नेस्तनाबूद कर दिया। अधिकांश पर आपकी जमानत जब्त करा दी, इसलिए करा दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगरा में विकास की गंगा बहा दी थी। आगरा में विकास हुआ है। आगरा में जाकर देखिये। आगरा में आपने कोई काम नहीं किया। आपने केवल आगरा को लूटने का काम किया है। थाने आपके अड्डे बने हुए थे। आज थानों पर आपके कुख्यात गुण्डे बैठ नहीं सकते हैं। आज सम्भ्रान्त लोगों को वहां पर सम्मान मिलता है। आगरा को जब ताजमहल के नाम पर पॉल्यूशन के नाम पर बर्बाद किया गया था, उस समय सारी इण्डस्ट्रीज समाप्त हो गयी थी, मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि आगरा में टेक्सटाइल हब बना दिया जाये। आगरा में रेडीमेड गारमेन्ट्स का हब बना दिया जाये। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया था, जनता ने भी इनको बर्बाद कर दिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जो धन्यवाद प्रस्ताव डॉ0 मन्जू शिवाच जी ने, श्री साकेन्द्र प्रताप जी ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है उसको मैं नमन करता हूँ कि सुशासन और विकास के मुद्दे पर हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 37 साल बाद लगातार सरकार को बहुमत देते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें निश्चित तौर पर हमारा जो विकास हुआ है वह सुनिश्चित व्यवस्था के साथ हुआ है और इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी की आवास योजना के तहत हम लोगों ने इस उत्तर प्रदेश में साढ़े बयालीस लाख आवास स्वीकृत करने का काम हमारी सरकार ने किया है और उसके साथ ही पिछले पांच वर्षों में मेरी सरकार द्वारा सार्थक प्रयास के कारण उत्तर प्रदेश इस देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसकी एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश की होने जा रही है। पिछले पांच वर्षों में लगभग साढ़े चार लाख युवाओं को नौकरी देकर हमारे उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों ने नौकरी दी है, पहले वह सरकारें नौकरी देती थीं दस वैकेंसी अगर कहीं निकलती थी तो पचास लोग झोला लेकर निकल पड़ते थे लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में साढ़े चार लाख नौकरी हम लोागें ने देने का काम किया है और कहीं एक रुपया किसी को देने का काम नहीं किया है इसके लिए मैं अपनी सरकार का धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। 2017 से पहले गुण्डे बाहर फ्री रहा करते थे और उत्तर प्रदेश में फिरौती उद्योग सबसे बड़ा धन्धा बन चुका था। लगातार पकड़ें होती थीं पिछली सरकारों में।

आज माननीय योगी जी के राज्य में सभी गुण्डे या तो जेल में हैं या उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गये हैं। इसके बाद भी इस प्रदेश में आज 119 चीनी मिल हैं हमारी सरकार ने सही रूप से 119 चीनी मिलों को चलाने का काम किया है और एक लाख बहत्तर हजार करोड़ रुपए का रिकार्ड भुगतान कराने का काम हमारी योगी सरकार ने किया है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो आप निराश्रित गो-वंश की बात करते हैं आपने 2017 से पहले एक भी गौ-स्थल का निर्माण नहीं किया था। मान्यवर, आज हमारे उत्तर प्रदेश में छह हजार से ज्यादा गौ-शालाएं बनवा कर नौ लाख से ज्यादा पशुओं को हम लोगों ने संरक्षण देने का काम किया है और हमने इतना ही नहीं किया है। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग सेक्स सॉर्टेड सीमेन लेकर आये हैं जिसको प्रत्येक जनपद में लागू करने का काम किया है उससे हमारे उत्तर प्रदेश में आज बछड़ा और पड़वा पैदा नहीं होते केवल बछियां ही पैदा हो रही हैं जिससे हमारी निश्चित तौर पर जो आवारा पशु हैं जिनको आप लोग छोड़ देते हो उसमें कमी आयेगी। जब मेल कॉफ पैदा नहीं होंगे फीमेल कॉफ को कोई छोड़ता नहीं है। आप लोग मेल कॉफ को बाहर छोड़ने का काम करते हैं। आप मेडिकल की बात करते हैं जब उत्तर प्रदेश में सत्तर साल में केवल

14 राजकीय मेडिकल कालेज थे 2017 के पहले आज हम अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं आज 35 राजकीय मेडिकल कालेज माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं और तीस प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कालेज चल रहे हैं निश्चित तौर पर आप की स्वयं सरकार थी तो न तो मेडिकल प्रोफेसर हुआ करते थे और यहां तक कि इस उत्तर प्रदेश के जो वेटेनरी कॉलेज हैं, जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सा महाविद्यालय है, आपने कुमारगंज, फैजाबाद और मेरठ का पशु चिकित्सा महाविद्यालय इन लोगों ने बन्द कराने का काम किया था। वी0सी0आई0 (VCI) ने यू0जी0 की बी0बी0एस0 की सीटें बैन कर दी थी कि वहां प्रोफेसर नहीं थे। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुख्य मंत्री जी ने मथुरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त कराके आज हमारे सभी वेटेनरी कॉलेज और सभी मेडिकल महाविद्यालय सुचारु रूप से चल रहे हैं इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं।

मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इतना ही नहीं, आज हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मण्डलों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इस उत्तर प्रदेश को हमारी सरकार ने देने का काम किया है और हवाई कनेक्टिविटी के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर आ गया है। हमारी सरकार में मा0 मुख्य मंत्री जी ने हमें 09 अन्य पुल दिये हैं और आज हमारी विधान सभा क्षेत्र में 09 अन्य पुलों का निर्माण हुआ है। बिजली के क्षेत्र में लगभग 80 ऐसे गांव थे जहां के लोगों ने आजादी के लगभग 70 सालों में बल्ब भी नहीं देखा था, लेकिन आज हमारी पूरी विधान सभा क्षेत्र के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इतना ही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारा बरेली जनपद लखनऊ और दिल्ली के बीच में पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बरेली में भी एम्स स्तर का एक मेडिकल कालेज देने का काम हमारी सरकार करे जिससे निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक मेडिकल कालेज खुल जाये। दूसरी चीज कि बरेली में जो एयरपोर्ट बना है उसकी कनेक्टिविटी दिल्ली, बॉम्बे तथा बंगलौर से कर दी गयी है। मैं एक निवेदन करता हूँ कि उसकी कनेक्टिविटी लखनऊ से भी कर दी जाए और उस एयरपोर्ट का नाम जैसाकि पहले कहा गया था कि नाथ नगरी टर्मिनल रखा जायेगा तो उसका नाम भी नाथ नगरी टर्मिनल करवाने का काम किया जाये। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करता हूँ। जय हिन्द।

श्री अधिष्ठाता-

डॉ0 संग्राम यादव जी।

डॉ0 संग्राम यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम आभार व्यक्त करते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर मा0 लाल जी वर्मा जी द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया। जब कल महामहिम राज्यपाल महोदया अपना अभिभाषण पढ़ रही थीं तो बड़ी

तादात में इस देश का और उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान बड़ी आशा और उम्मीद से देख रहा था कि सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए आखिर कौन से ठोस प्रयास करने जा रही है, लेकिन इस अभिभाषण में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को बड़े व्यापक पैमाने पर निराशा ही हाथ लगी है। अभी डॉ0 मन्जू शिवाच जी बोल रही थीं कि कोरोना काल में हमने बेहतर प्रबन्धन किया। उत्तर प्रदेश और देश ने अपनी खुली आंखों से देखा था, ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते और मरते हुए लोगों को देखा था। उस समय देश के ऐसे हालात हो गये थे कि बड़े-बड़े संस्थानों के डायरेक्टर्स ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि अगर हमें ऑक्सीजन का बैकअप नहीं दिया गया तो कुछ ही घण्टों के बाद यहां पर जो मरीज भर्ती हैं वह दम तोड़ देंगे। मान्यवर, देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन के अभाव में लोगों ने दम भी तोड़ दिया और उत्तर प्रदेश के अन्दर चाहे पी0जी0आई0 संस्थान हो, चाहे वह मेडिकल कालेज हो, चाहे वह लोहिया संस्थान हो, बड़े से बड़े संस्थानों ने अपने हाथ खड़े कर दिये। उनके पास संसाधनों का पूर्णतः अभाव था और लोग गाड़ियों में प्राईवेट ऑक्सीजन पर निर्भर थे। मैं यहां पर केवल आलोचना के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूँ कि आजाद भारत में लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में अपने परिवार के लोगों को तड़पते हुए और मौत के गाल में समाते हुए और खोते हुए देखा है। गंगा नदी हो या जितनी नदियां हों, इतिहास के पन्नों से आप इसे दूर नहीं रख सकते और उनमें बहती हुई लाशें इस बात की गवाह हैं कि किस हालात से लोग गुजर रहे थे, देश के अन्दर कैसा गमी का माहौल था। हमारे एक साथी बोल रहे थे कि कोरोना काल में बहुत अच्छा प्रबन्धन हुआ। पंजाब से आते हुए, महाराष्ट्र से आते हुए व देश के अन्य हिस्सों से आते हुए मजदूर तथा कहीं सड़कों पर हमने वह दृश्य भी देखा था कि सड़क पर मां ने बेटे को जन्म दिया। मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में अगर इन बातों का जिक्र किया गया होता तो हम जैसे छात्र राजनीति से निकले हुए लोग महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण का स्वागत करते। क्या आपने 05 साल में एक भी अन्तर्राष्ट्रीय या देश स्तर का कोई विश्वविद्यालय बनाया ? अगर आपने कोई एक भी विश्वविद्यालय बनवाया हो तो बता दें। हम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सी0एम0 आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे। मैं मानता हूँ कि वह छात्र राजनीति से आते हैं, उनमें निर्भीकता और बोलने का साहस है। जब वह बाराबंकी के अन्दर गये तो वहां के अस्पताल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इतनी बदहाल व्यवस्था देख करके और इस तरह के हालात देख करके मैं शर्मिन्दा हूँ।

मान्यवर, वह लखनऊ मेडिकल कालेज गये, वह आगरा के एस0एन0 मेडिकल कालेज गये। आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सी0एम0 हैं अगर उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख ले तो लगातार आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी ने सरकार और

मेडिकल कालेज के हालात को देख करके इस बात का जिक्र किया कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गयी है। मा0 सदस्य श्री जय प्रताप सिंह जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो इसी सदन में बोलते थे कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा कर दिया है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, डिप्टी सी0एम0 जी ने दवा के गोदाम में छापा डाल करके मीडिया के सामने स्वीकार किया कि 16 करोड़ से ज्यादा की एक्सपायरी दवायें उत्तर प्रदेश में पायी गयी हैं। आज बिजली कटौती से पूरा उत्तर प्रदेश त्राहिमाम है। अभी मैं इलाहाबाद गया था, हमारे ऊर्जा मंत्री जी तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं, फोन घुमा करके पूछ लें। पूरे इलाहाबाद के अन्दर इतनी बिजली कटौती कभी नहीं हुई है जितनी आज हो रही है। मंत्री जी बैठे हुए हैं, इलाहाबाद के अन्दर लगातार बिजली कटौती हो रही है। मैं इलाहाबाद में जिस कालोनी के अन्दर रहता हूँ वहां पर पिछले पांच साल किसी को भी इन्वर्टर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, आज आप वहां के हालात पता कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज बनाये हैं एक भी मेडिकल कॉलेज को एम0सी0आई0 की मान्यता नहीं दी गयी है। मैं कोई आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आपने जितने भी मेडिकल कॉलेज बनाये हैं क्या वहां पर सेकेण्ड ईयर एम0बी0बी0एस0 की क्लास चलाने के लिए एम0सी0आई0 ने मान्यता दी है ? महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जातीय जनगणना का जिक्र हो जाता, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में 69 हजार शिक्षक भर्ती घोटाले की मांग हो जाती, पुरानी पेंशन की मांग हो जाती तो क्या हो जाता ? अभी कल ही टोक्यो में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम बुद्ध की धरती से आये हैं हम बुद्ध के आदेशों पर चलकर ही देश के अन्दर आतंकवाद से छुटकारा पा सकते हैं। आप दोहरी बातें क्यों करते हैं एक तरफ आप कहते हो कि सबका मालिक एक है, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप लगातार समाज को बांटकर नफरत की आग लगाने का काम करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जायें आपका समय समाप्त हो गया है, श्री पूरन प्रकाश जी।

डॉ0 संग्राम यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी समय नहीं हुआ है। बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है। जो भर्तियां निकाली गयी हैं उसमें से 15 से ज्यादा भर्तियों के पेपर आउट हुए।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, मा0 सदस्य श्री पूरन प्रकाश जी का समय शुरू हो गया है।

(डॉ0 संग्राम यादव एवं श्री पूरन प्रकाश जी के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने समय दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप देख रहे हैं कि यह विपक्ष वाले सिर्फ बोल सकते हैं कुछ कर नहीं सकते। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो अपनी झेप नहीं मिटाते। हम करते हैं और करके दिखा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि 37 साल के बाद पहली बार दुबारा से हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल के बाद पुनः 37 साल बाद पूरे बहुमत के साथ हम सदन में बैठे हैं, हमारी सरकार सदन में बैठी है। जनता ने पूरा जनादेश दिया है। लोक सभा का चुनाव-2024 में होगा। डॉक्टर साहब आप देखियेगा 400 सांसद बी0जे0पी0 के आयेंगे। आप बोल रहे हैं हम भी बोलना जानते हैं, आप सुनियेगा। आपने अभी कोविड की बात कही जरा दो साल पीछे दिमाग घुमाइये, दुनिया में क्या हाहाकार मच रहा था ? क्या स्थिति थी ? अगर किसी ने कन्ट्रोल किया तो मोदी जी और योगी जी ने किया। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। अगर आपके परिवार का भी कोई मरीज है और उसके घर जाना होता था तो सौ मीटर चक्कर लगाकर जाते थे। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री 75 जिलों में गये, हर जिले में गये जब कोई नहीं पहुंच रहा था, कोई दवा नहीं थी, कोई इंजेक्शन नहीं था। धन्यवाद है हमारे देश के, हमारे प्रदेश के डॉक्टरों का, धन्यवाद है उन वैज्ञानिकों का, जिन्होंने अल्प समय में वैक्सीन तैयार की और सबको लगाई, आपको भी लगवाई, एक पैसा नहीं लिया गया।

आप हमारी सरकार की बात कर रहे हैं इससे पहले भी हम थे, हम 30 साल से देख रहे हैं हम भी 6 बार के विधायक हैं, क्या हालत रहती थी ? एक गरीब अस्पताल में पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा सकता था, दम तोड़ देता था। हमारी सरकार ने सबको 5 लाख का फ्री इलाज कार्ड मुहैया कराया है जिससे वह इलाज करा सके। अभी कह रहे थे हमारे साथी कि हम किसानों का सम्मान करते हैं, किसान हमारा अन्नदाता है। हमने सभी के सम्मान के लिए 6000 करोड़ रुपये सीधे उनके खाते में भेजने का काम किया है। हमारी बहन-बेटियां-माताएं लकड़ियां बीन कर लाती थीं, पैसा नहीं था, गैस चूल्हा नहीं खरीद सकती थीं। गैस का सिलेण्डर नहीं खरीद सकती थीं, हमारी सरकार ने बिना पैसे के घर-घर जाकर बिना पैसे के गैस चूल्हे दिये। इतना ही नहीं, पैसे के अभाव में हमारा गरीब था, किसान था, देहात में रहने वाला था, पैसा न होने के कारण अन्धेरे में बैठा रहता था। हमने बिना पैसे के घर-घर जाकर बिजली के कनेक्शन फ्री दिये और अब भी दे रहे हैं। आप बात करते हैं विकास की, हमारी सरकार चाहे प्रदेश की हो, चाहे देश की सरकार हो। डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश/देश पूरा लोड ले रही है।

माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी राम राज्य की एक कल्पना थी। यह राम राज्य ही चल रहा है। किसी भी स्तर पर देख लीजियेगा। साथी बहुत हल्ला मचाते थे कि मन्दिर वहीं बनायेंगे, तारीख नहीं बतायेंगे। हमने तारीख भी बताई और

आप सबको बुलाया भी है। मात्र डेढ़ साल के बाद भव्य मन्दिर भी बनने जा रहा है। काशी क्या अभी तो मथुरा का भी नम्बर है। हमारा एक ही ध्येय है सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास। आज हमारी सरकार सभी वर्ग की जनता को एक साथ लेकर चल रही है और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोक सभा का चुनाव हुआ था। लगभग तीन सौ सांसद लोक सभा में पहुंचे और पांच साल बाद फिर चुनाव हुआ तो तीन सौ पचास सांसद पहुंचे। फिर अब 2024 में चुनाव है, चार सौ सांसद पहुंचेंगे। आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 2017 में 403 सदस्यों में से 325 सदस्यों का जनादेश हमारे पक्ष में आया और फिर पांच साल बाद चुनाव हुआ तो 273 यहां पर विधायक बैठे हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की जनता के बीच में स्वीकृति है। आप अपना मोबाइल खोल लीजिएगा। पिछले पांच साल में हर विधान सभा क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य हुए हैं। जब हम गांव में रात के समय वोट मांगने जाते थे, गांव की बहन-बेटियां खेतों में शौच करते मिलती थीं तो हमको भी शर्म आती थी लेकिन आज हमारी सरकार ने हर घर हर परिवार में इज्जत घर बना दिया है। तुम्हारी सरकार में माफिया बदमाश थे, बहन-बेटियों को छेड़ते थे, लेकिन हमारी सरकार ने आज ऐसे माफिया बदमाशों को सबक सिखाने का काम किया है और जो हमने कहा है वह करके दिखाया है।

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बोलने का अवसर दिया। मैं पूर्व के अपने सभी वक्ताओं के वक्तव्यों से अपने को सम्बद्ध करते हुए अभिभाषण की प्रशंसा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मा0 मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जिन्होंने इस आजाद भारत के इतिहास में पहली बार सरकार को परिभाषित करने का काम किया। यानी एक सरकार किस प्रकार से अपनी जनकल्याणकारी नीतियों को अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचा सकती है, इसको दिखाने का काम किया। देश में और उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे कि हम किसी को भी वोट करें, हमें क्या प्राप्त होगा। किसी की भी सरकार बने, हमें क्या लाभ होगा। लेकिन आज कोई नहीं कह सकता क्योंकि पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में, किसी न किसी को मुफ्त राशन मिला होगा, किसी को शौचालय, मुफ्त आवास, बिजली का कनेक्शन, गरीब कन्याओं का विवाह, खातों में पैसा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा मिली होगी या किसी को पांच लाख का बीमा मिला होगा, नहीं तो किसी न किसी को, वैक्सीनेशन जरूर लगा होगा जिससे लोगों की जान बची है। हमारी सरकार ने कुछ काम ऐसे भी किये हैं जिससे हमें वोट नहीं मिलेगा लेकिन हमारे नैतिक कर्तव्य का पालन हमारी सरकार ने आदरणीय योगी जी ने किया। जिसके आधार पर 37 वर्षों के बाद पहली बार इस उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा और हमारी सरकार को स्थापित करते हुए मा0 योगी जी को पुनः मुख्य मंत्री बनाया, हम लोगों को पुनः विजयी बनाकर इस सदन में भेजा। जैसे तालाबों का संरक्षण की बात है, जलवायु संरक्षण की बात है जो आने वाली पीढ़ी को लाभ दे। इस प्रकार के

अनेकों काम हैं। अगर मैं उनका उल्लेख करूंगा तो मेरा पूरा समय उस पर चला जायेगा। मा0 सदस्यगण उन सारी योजनाओं को जानते हैं। मैं समय-सीमा में अपनी बात रखूंगा।

अधिष्ठाता महोदय, मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रफाका नाला है जो पूरे कानपुर के लगभग 20 लाख लोगों की बहाई गई गन्दगी को लेकर चलता है और पाण्डु नदी में मिलता है। वह नाला शहर के बीचोबीच से निकलता है और जहां-जहां से निकलता है आस-पास की बस्तियों में अनेक प्रकार की बीमारियां और अनेक प्रकार के विषैले गैस के कारण से लोगों के जीवन को हानि होती है। मैं चाहता हूँ कि इस पीठ से उस पर कृपा हो जाये और एक नया मार्ग जाम से मुक्ति के लिए प्राप्त हो, उस नाले को ढककर एक नया मार्ग भी दिया जाये। नाले का जो मैला है, उसको पाण्डु नदी में ठीक प्रकार से डाला जाये। अधिठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं श्रमिक कालोनी में 42 वर्ष जीवन बिताकर इस सदन में आया हूँ। हमारी सरकार ने श्रमिक कालोनियों पर बहुत काम किया है लेकिन मैं चाहता हूँ कि श्रमिक कालोनियों के मुद्दे पर अभी और काम करने की आवश्यकता है। श्रमिक कालोनियों के स्वामित्व का मामला है, जो काफी कुछ आगे बढ़ा है। इस विषय पर आपकी पीठ से स्वामित्व प्राप्त की कार्यवाही आगे बढ़े, इस पर स्वामित्व हेतु आपकी कृपा हो जाये। मेरे क्षेत्र में एक दादानगर समानान्तर पुल है जिसमें मैं आदरणीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना राज्यांश की स्वीकृति और भारत सरकार ने और रेल मंत्रालय ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन वह कार्य शिलान्यास के लिए रुका है क्योंकि बीच में आचार संहिता लग गयी थी। उसका शिलान्यास करके, उस कार्य को भी प्रारम्भ करा दिया जाये।

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि कानपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नहर निकलती है जो कच्ची है और जहां से पानी का बहाव प्रारम्भ होता है और डेढ़-डेढ़ सौ कि0मी0 जहानाबाद, घाटमपुर, फतेहपुर के आस-पास के किसानों की सिंचाई के लिए उनके टेल तक पानी पहुंचाने का काम होता है और उसके आस-पास लगभग 30-35 हजार के बीच लोग निवास करते हैं और जब पानी का फोर्स छोड़ा जाता है जिससे वह अन्तिम सिरे तक पहुंचे तो उससे नहर कट जाती है और बस्तियों में बेमौसम बाढ़ आ जाती है। इसके लिए पहले भी सरकार ने कई बार सफाई करायी लेकिन सफाई पर्याप्त नहीं है। मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि उस नहर का पक्कीकरण करा दिया जाये क्योंकि जब नहर बनी थी तो उस समय शहर के बाहरी भाग में थी, आज वह मध्य में हो गयी है। उसको गोमती रिवर फ्रन्ट की तर्ज पर वहां पर भी नहर को पक्का करके गोमती रिवर फ्रन्ट की तर्ज पर उसका निर्माण कर दिया जाये। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात समय-सीमा में पूरी कर दूंगा। मेरे क्षेत्र पनकी में 100 बेडों का एक अस्पताल बनना चाहिए और पनकी क्षेत्र में एक पॉवर प्रोजेक्ट है जिससे बहुत ज्यादा ही ऊर्जा का संचार होगा, उससे लोगों को लाभ होगा। परन्तु हैवी व्हीकल की वजह से, हैवी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पूरे पनकी क्षेत्र में लगभग एक लाख लोग रहते हैं

और वहां की सड़कें, सीवर एवं पेयजल की लाइनें टूट गई हैं, उनको बनवाने के काम का आदेश आपकी पीठ के द्वारा किया जाये।

मान्यवर, जब वर्ष 2012 से 2017 के बीच में सरकार थी तो उस समय जनपद कानपुर में 1100 करोड़ रुपये की गहरी सीवर लाईन एवं पेयजल लाईन का एक बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें ज्वाइंटों को जोड़ा नहीं गया था और टेस्टिंग में सड़क फट गयी जिससे पानी का फव्वारा निकलता है जिससे पूरा कानपुर त्राहिमाम् है उस पर भी कुछ कृपा हो जाये जिससे सीवर एवं पेयजल का काम प्रगति पर आ जाये। मान्यवर, हमारे यहां लाल इमली मिल है जिसको भारत सरकार ने जनहित में, चूंकि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यापार है और लाल इमली में पुरानी पद्धति की मशीनें थीं इसलिए उसको बन्द कर दिया गया, इसमें हमारी कोई भी आपत्ति नहीं है लेकिन वहां के मजदूरों के लिए मैं चाहता हूँ कि आपकी पीठ से भारत सरकार से उनका बचा हुआ पैसा मिल जाये। हालांकि वहां पर कई-कई बार हमारी केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान किया गया है, लेकिन उनका फाइनल हिसाब नहीं हुआ है। मेरा एक आग्रह है कि हमारे कानपुर में एक झकरकटी बस स्टेशन है जहां पर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों एवं आस-पास के प्रदेशों की बसों का आवागमन होता है, उसको पी0पी0पी0 मॉडल पर डेवलप करने का एक विषय आया था जिसमें कार्य को प्रगति पर कर दें और अन्त में एक विषय है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र से लगा हुआ कॉर्डियोलॉजी का अस्पताल है उस पर हमारी एक नहर लोहारन भट्टा से जाती है जिस पर सड़क निर्माण मा0 योगी जी की सरकार ने कराया था उसके लिए मा0 योगी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी निर्माणाधीन लोहारन भट्ठा (नहर) सड़क को रेलवे लाइन के ऊपर से ले जाकर, एक नये निर्माण होने वाली, जी0टी0 रोड के ऊपर ऐलीवेटेड रोड में जोड़ दी जाये, जिससे हार्ट का कोई भी पेशेन्ट, जाम मुक्त मार्ग से कार्डियोलॉजी अस्पताल में आसानी से पहुंच सके क्योंकि उस कार्डियोलॉजी में 16-17 जिलों के गरीब लोगों का इलाज होता है। उस कार्डियोलॉजी का रिकार्ड है कि अगर उस कार्डियोलॉजी में मरीज पहुंच गया तो वह मरीज 95 प्रतिशत बच जाता है लेकिन उस कार्डियोलॉजी तक पहुंचने की कठिनाई है। इसलिए उन गरीब लोगों की जान बचाने के लिए उस सड़क को कार्डियोलॉजी से जोड़ने का काम आपकी पीठ द्वारा किया जाये।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ और मा0 मोदी जी एवं मा0 योगी जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी ऐसी जन-कल्याणकारी नीतियां परिभाषित की हैं जिसके कारण हम लोग दोबारा इस सदन में आये हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आपका बहुत-बहुत आभार। मैं मा0 राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण की प्रशंसा करता हूँ।

श्री अजय कुमार-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। मैंने राज्यपाल जी के अभिभाषण को बड़े गौर से पढ़ा है लेकिन उसमें कुछ चीजों का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं नहीं समझता कि वह या तो

छूट गया या फिर जानबूझकर नहीं किया गया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है, आपकी सहमति से कि मेरे कुछ प्रस्ताव हैं उनको भी अन्त में जोड़ दिया जाये। जैसे-बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाये जाने के सम्बन्ध में, सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में, प्रदेश के गन्ना किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, फसलों का मूल्य निर्धारण सी-2 प्लस 50 प्रतिशत स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के आधार पर हो न कि ए-2 प्लस एफ0एल0 के फार्मूले के आधार पर, आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसलों में हो रहे भारी नुकसान को बचाये जाने के सम्बन्ध में, सेवानिवृत्ति पर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन बहाल किए जाने के सम्बन्ध में, पस्तावित 20 प्रतिशत एथेनॉल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारी चीनी मिलों में एथेनॉल प्लांट स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में, प्रदेश में अन्त्योदय कार्ड धारकों को अनाज, तेल, नमक आदि के अतिरिक्त दो किलो आलू प्रति यूनिट दिये जाने के सम्बन्ध में, चौगामा नहर परियोजना के अधूरे कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में, प्रदेश के शिक्षामित्रों को समायोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।

आम जनता बहुत लम्बे समय से महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। मेरे साथी अपनी सरकार का बड़ा बखान कर रहे हैं। मुझे उस पर कोई ऐतराज नहीं है, बखान करना भी चाहिए। लेकिन यह जानकर उनको हैरानी होगी और वह जानते भी हैं कि खुदरा महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर आठ साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है और थोक महंगाई दर 17 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है आज खास तौर पर मध्य वर्ग कराह रहा है, पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि 21 मार्च से 21 मई तक केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों पर दस-दस रुपये की वृद्धि की। 21 मई को जब उन्हें महंगाई का चारों तरफ से शोर सुनाई देने लगा तो पेट्रोल पर नौ रुपये छप्पन पैसे और डीजल पर सात रुपये की कटौती हुई। मैं उसका स्वागत करता हूँ लेकिन अब बारी हमारी प्रदेश सरकार की है कि वह भी प्रदेश की जनता को राहत देने का काम करे। जिस तरीके से दूसरी सरकारें कर सकती हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर सकती है।

मान्यवर, मैं यही कहना चाहूंगा जब क्रूड ऑयल के दाम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े नहीं थे तो फिर यह दाम बढ़ाये ही क्यों गये थे। ये तो वही बात हुई कि पहले आप आंख फोड़ो फिर चश्मा बांटो। यह कोई बात नहीं हुई। आज न किसान खुशहाल है, न उसकी फसलें सुरक्षित हैं। आवारा पशु इस तरीके से फसलों को चट करते जा रहे हैं जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है। आप गौशाला की बात करते हो, मैं यह कहता हूँ कि जब गौशाला है तो आवारा पशु कहां से आ गये ? वह किसानों को रात-रात भर पहरा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किसानों में आपसी वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, मुकदमेबाजी बढ़ती जा रही है। एक कहता है कि मेरे खेत में ठेल देते हैं, दूसरा कहता है कि मेरे खेत में क्यों ले आये, दोनों में लड़ाई हो जाती है। ये आवारा पशु किसानों को बहुत परेशान करते हैं, उनको मारते हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र के एक गांव लूम्ब में अभी हाल ही में एक ऐसी घटना

हो चुकी है जिसमें किसान को आवारा पशु ने मारकर घायल कर दिया। उसने मेरठ में चार लाख रुपये का इलाज कराया। यह समस्या मुंह बाये खड़ी है। किसान परेशान है और यह किसान विरोधी सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त किया जा रहा है कि उन्होंने फसलों पर एम0एस0पी0 पर डेढ़ गुना मूल्य देने की बात की, लेकिन मैं इसका प्रतिकार करता हूँ। वह जो फार्मूला है जिस पर आप एम0एस0पी0 देने की बात कर रहे हो, वह ए-टू प्लस एफएल है जबकि किसानों को सी-टू फार्मूले के आधार पर मिलना चाहिए, यही बिल्कुल उचित एवं न्यायोचित है। किसानों की लूट हो रही है और देश एवं प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कनेक्शन काटे जा रहे हैं, गन्ना मूल्य मिला नहीं है, चीनी मिलों पर नौ हजार करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य बकाया है और सहकारी चीनी मिलों पर भी तेरह सौ करोड़ रुपये बकाया है।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गयी है, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अजय कुमार-

मान्यवर, मैं दो मिनट और लूंगा, अभी पांच मिनट भी नहीं हुए हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि किसानों की बहुत बड़ी दुर्दशा है। मैं नाबार्ड की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के किसान की प्रति परिवार जो मासिक आय है वह छः हजार नौ सौ इक्यावन रुपए है और जिस परिवार में छः सदस्य होते हैं उसे सिर्फ 37 रुपए प्राप्त होता है, किसान की मालीहालत खराब है उसको बहुत सहायता की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब समाप्त करिए, धन्यवाद। कई लोगों को अभी बोलना है।

श्री अजय कुमार-

मान्यवर, सिर्फ दो मिनट दे दीजिए। मान्यवर, सदन को इस बात को सोचकर शर्म आनी चाहिए कि एक फीसदी लोगों का हमारे देश की 73 फीसदी सम्पदा पर कब्जा है। यह हम सबके लिए शर्म की बात है और बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, जो हमारे कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्ति के पश्चात् जो चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन मिले और वह आन्दोलित हैं। नई पेंशन योजना एक इन्वेस्टमेन्ट प्लान है, बाजार आधारित नीति है। पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए और अन्त में मैं अपने क्षेत्र की एक परियोजना जो चौराना नहर परियोजना है, उसके बारे में भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सोलह करोड़ रुपये उस पर खर्च हो चुके हैं, 1978 में वह शुरू हुई थी। लेकिन आज भी किसानों को उस परियोजना से एक इंच पानी नहीं मिल रहा है। आज उस नहर में खर-पतवार खड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि उस

परियोजना को पूर्ण कराने का कार्य किया जाय। अधिष्ठाता जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

अधिष्ठाता जी, आपने महामहिम राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अधिष्ठाता महोदय, कल महामहिम ने जो अभिभाषण को पढ़ने का काम किया, उस अभिभाषण को पढ़ने से पहले यहां सदन में बैठे सदस्यों को बहुत बड़ी उम्मीदें थीं कि कुछ नया करने का, नया कहने का काम महोदया करेंगी, लेकिन जब अभिभाषण पढ़ रही थीं तो शुरू में उन्होंने आवास, शौचालय, गैस कनेक्शन और बिजली के निःशुल्क कनेक्शन पर प्राथमिकता पर बात कहने का काम किया। आज गरीब, किसान, मजदूर का बड़े पैमाने पर बिजली कनेक्शन के नाम पर, गैस कनेक्शन के नाम पर, शौचालय के नाम पर उसका शोषण करने का भी काम किया जा रहा है। आज वह लोग जिनको फ्री कनेक्शन के नाम पर गैस का कनेक्शन दिया गया, आज इतना महंगा सिलेण्डर हो गया कि आज उनका जो चूल्हा है, उसका रख जाने का काम हुआ है। बिजली कनेक्शन के नाम पर जिस तरह से आज उनको फर्जी बिलिंग के नाम पर लाख-लाख रुपया गरीब परिवार के जो लाइट, फैन का कनेक्शन लिये हैं, उनको फर्जी बिल देकर उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है। सरकार सर्वे करा ले, 75 परसेण्ट से ज्यादा शौचालय बेकार और खराब पड़े हैं, या तो उनमें उपले रखने का काम हो रहा है। एक भी शौचालय में पानी का कोई इन्तजाम नहीं है, पूरी तरह से योजना बरबाद होने का काम है।

बिजली के नाम पर जहां किसानों का, गरीबों का शोषण हो रहा है। आज बिजली कटौती जिस तरह से हो रही है, बहुत बखान हुआ, 24 घण्टे, 21 घण्टे, 18 घण्टे का। मान्यवर, अगर गांव में सही पता लगायेंगे तो आज 5-6 घण्टे से ज्यादा बिजली मिलने का काम नहीं हो रहा है। बिजली के बिल के नाम पर जहां किसान को फर्जी बिल भेज कर उत्पीड़न हो रहा है, वहीं गरीबों के साथ भी अन्याय और अत्याचार करने का काम किया जा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई की बात की अभिभाषण में चर्चा की गयी। बेरोजगारी भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है। कोरोना काल में चाहे सरकारी क्षेत्र रहा हो, चाहे गैर सरकारी क्षेत्र रहा हो, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ने का काम हुआ। महंगाई भी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। गरीब आदमी का जीना दूभर हो चुका है। आज डीजल के भी दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के भी दाम बढ़े हैं, आज रसोई गैस के भी दाम बढ़े हैं, खाने वाले सरसों के दाम भी बढ़े हैं। बीज भी महंगा है, शिक्षा भी महंगी हो गयी, दवाई भी महंगी हो गयी, कोई चीज सस्ती नहीं है। सीमेन्ट, छड़ के दाम, मौरंग, गिट्टी, बालू के दाम भी महंगे हैं। इस महंगाई को रोकने का काम यह सरकार नहीं कर पा रही है।

कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जहां सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। मैं एक घटना का दृष्टान्त आपको बताना चाहता हूँ, जनपद चन्दौली का, जहां के माननीय अधिष्ठाता महोदय आप भी रहने वाले हैं, बहुत ही दर्दनाक और गम्भीर

घटना है। 01-05-2022 को सैदराजा थाना के प्रभारी अपने भारी पुलिस बल के साथ मनराजपुर के निवासी कन्हैया यादव घर पर जाते हैं और यह कह कर जाते हैं कि हम कन्हैया यादव को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, जबकि कन्हैया यादव घर पर नहीं थे। उनके बेटों को भी जेल में बन्द करके रखा था। उनके घर में मात्र दो बच्चियों थीं, पुलिस जाकर गेट/दरवाजा में घुसती है, उनके मकान में जाती है और दोनों लड़कियों को इस कदर पीटने का काम किया। एक लड़की निशा है, एक गुंजन है। निशा की जान चली गयी। घटना को छिपाने के लिए पुलिस ने इतनी बेरहमी से घटना को बदलने का काम किया। फांसी का फंदा लगाकर उसको टांगने का प्रयास किया और उसके बाद वहां से फरार होने का काम किया। बड़े-बड़े अधिकारी, कमिश्नर, आई0जी0, पुलिस अधीक्षक और डी0एम0 मौके पर पहुंचे और मुकदमा भी लिखा गया, लेकिन आज तक किसी पुलिस अधिकारियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी करने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। उनके परिवार के लोग आज भी मांग कर रहे हैं कि घटना की न्यायिक जांच कराई जाये। इस घटना की जांच हाई कोर्ट के किसी जज के निर्देश में उनकी देखरेख में कराई जाये, इनके परिवार को न्याय दिया जाय और अपराधियों की गिरफ्तारी हो, लेकिन आज तक गिरफ्तारी करने का काम इस सरकार ने अभी तक नहीं किया।

गौ-शाला के नाम पर सरकार बड़ा ढिंढोरा पीट रही है। गौ-शालाओं की हालत ऐसी है कि उनके रहने के लिए कहीं कोई स्थान भी नहीं है कि जहां पर गौ-शाला में पशु बांधने का काम किया जाये। गर्मी के दिन हों, चाहे जाड़े के दिन हों, खुले आसमान में जानवर रखने का काम करते हैं, उनके चारे का भी इन्तजाम नहीं है। आज जिस तरीके से दुर्व्यवस्था के कारण उनकी बड़े पैमाने पर मौत हो रही है। किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड के बारे में बड़ी चर्चा है हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक तरफ जहां जिले का कलेक्टर डुगडुगी बजाकर गांव में मुनादी करा कर इस बात का प्रचार करता है, यदि राशन कार्ड को वापस करने का काम नहीं करते हो तो गेहूं का दाम 24 रुपये और चावल का दाम 30 रुपये के हिसाब से जितना आपको अनुदान मिला है, जितना राशन आपने लिया है उसको वापस करने का काम करना होगा। वहीं, किसान से सम्मान निधि भी वापस करने का काम करना होगा। दूसरी तरफ मा0 सरकार के मंत्री यह बयान देते हैं कि हमारी सरकार ने ऐसा कोई आदेश देने का काम नहीं किया है। जांच और चिकित्सा के क्षेत्र में आज कोरोना काल में जो दुर्दशा प्रदेश के लोगों ने झेली है भगवान न करे यह बीमारी दोबारा कभी देश में आने का काम करे। जब यह बीमारी आई थी न दवा थी, न अस्पताल था, न ऑक्सीजन था, न डॉक्टर थे, लोगों की जान चली गई। उनको कफन तक देने का काम इस सरकार ने नहीं किया, उनको लकड़ी भी देने का काम इस सरकार ने नहीं किया, लोगों की जिन्दा लाश अन्त में गंगा नदी में बहाना पड़ा।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद की कुछ समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जनपद चन्दौली में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। सभी सड़कें गड्ढा युक्त हो चुकी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो एक जिला ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल को जोड़ती हैं जैसे

चन्दौली-सकलिया-सैदपुर मार्ग हो, मुगलसराय-भूपौली-चहनिंया मार्ग हो, पड़ाव-भकौली मार्ग हो। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूँ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 शिव प्रताप यादव-

अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं अभिभाषण का विरोध करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूँ। जो अभिभाषण हुआ है, महामहिम राज्यपाल जी का जो झूठ का पुलिन्दा यहां पर प्रस्तुत किया गया है उस पर मुझे अदम गोंडवी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि 'तुम्हारी फाईलों में गांव का मौसम गुलाबी है, यह आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी के, तुम्हारे जाम सोने के तो यह है मुबारक इस सरकार को।' इस सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है। कोई कह रहा है कि 10 करोड़ नौकरी दी गई। पेपर लीक/आउट कराने में इस सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है। अभी दरोगा भर्ती हुई तो उसमें कैसा भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है और उसके विरोध में जब यहां पर बेरोजगार आन्दोलन कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। बेरोजगारों के ऊपर पिछले पांच सालों में लाठियां बरसाई गई हैं, मारा गया है, महिलाओं को मारा गया है, लड़कियों को मारा गया है जिन्होंने अपने हक की मांग की है। इसमें भी एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है।

जहां तक सवाल है कोविड का, अभी यहां कोविड की बात की जा रही है। कोविड के मामले में मैं लखनऊ की मेयर की बात करूंगा कि जिस समय कोविड महामारी चल रही थी और उनका एक बयान आया था कि कोविड में जो दवाईयां या जो उपकरण खरीदे जा रहे हैं, उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, यह उनका बयान था। ऑक्सीजन में ब्लैक मार्केटिंग हुई और यहां तक कि जो अभी बात कर रहे थे कि बाम्बे, महाराष्ट्र, लुधियाना या दिल्ली से जो हमारे मजदूर बाहर काम करने गये थे, वहां से वापस आ रहे थे तो उनको टिकट देने में भी ब्लैक मार्केटिंग की गई। सत्तारूढ़ दल के लोगों के द्वारा टिकटों का विक्रय किया गया। उस समय हजारों लोग रास्ते में मर गये, एक बेटी जो अपने बाप को, अपने बीमार पिता को साइकिल के कैरियर पर बिठाकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके यू0पी0 से बिहार ले गई तो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 अखिलेश यादव जी ने उस बेटी को आर्थिक सहायता दी थी। इस तरीके से ये केवल ढिंढोरा पीट रहे हैं। मुझे तो यहां तक याद है कि जो इस समय उप मुख्य मंत्री भी हैं, उन्होंने बयान दिया था, एक चिट्ठी लिखी थी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ब्रजेश पाठक जी ने यह कहा था, चिट्ठी लिखी थी, मुझे सब याद है। इस तरीके से केवल यह ढिंढोरा पीटना कि कोविड में हमने बहुत काम किया, ऐसा नहीं है, कोविड में इस सरकार के लोगों ने कमाई की है, बहुत कमाई की है। केवल यही नहीं मान्यवर, अभी हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी का बयान आया है कि थानों पर दलाली नहीं होनी चाहिए, लोग दलाली बन्द करें। लेकिन दलाली तो यहां तक हो रही है कि सुबह थाने पर इनके पन्ना प्रभारी, इनके बूथ प्रभारी, इनके सेक्टर प्रभारी वहीं पर जाकर थाने के नल पर मंजन करते हैं, वहीं नाश्ता करते हैं। इस प्रकार दलाली की यह हालत है।

श्री अधिष्ठाता-

आप अभिभाषण पर बोलिये, बिना तथ्यों के ऐसे मत बोलिये।

डॉ0 शिव प्रताप यादव-

अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सड़कों पर चाहे वह हाई-वे हो या कोई अन्य मार्ग हो, वहां पर वसूली नहीं होनी चाहिए। मैं बलरामपुर जनपद की बात कर रहा हूँ। नगर पालिका और नगर पंचायत के टैक्सी स्टैण्ड के नाम पर जो एन0एच0-730 है, उस पर टैक्सी स्टैण्ड के नाम पर वसूली हो रही है। लोग डण्डा और लाठी लेकर सड़क के ऊपर खड़े होकर वसूली कर रहे हैं। यहां तक कि जो कुशीनगर, सारनाथ और लुम्बिनी से जो बौद्ध धर्म के श्रद्धालु आते हैं, जो श्रीलंका से, थाईलैण्ड से, मलेशिया से, इण्डोनेशिया से, जापान से लग्जरी बसों में आते हैं, उनको रोक कर बस के ड्राइवर से वसूली की जाती है जिससे हमारे प्रदेश और देश की छवि धूमिल हो रही है। इनकी बातें सिर्फ कहने की हैं, क्योंकि हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और हैं।

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी जनपद बलरामपुर में है। वहां पर सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग में करीब 50 हजार की आबादी थारू जनजाति की है। वहां पर कोई काम न होने के कारण लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है, जहां पर थारू जनजाति की महिलाएं और बच्चे मजदूरी करने न जाते हों। जब हमारी सरकार थी तो वहां पर ईको टूरिज्म के लिए काम हुआ था और ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया था। इसलिए हम चाहते हैं कि वहां पर ईको टूरिज्म के काम को आगे बढ़ाया जाय जिससे उनको रोजगार मिले। मान्यवर, मैं केवल एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में खादर एरिया है यह नेपाल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। वहां पर तमाम नदियां और नाले हैं, खादर क्षेत्र है। वर्ष 1993 में जब हमारी सरकार थी और मैं विधायक था तो वहां पर सड़कों का पटान हुआ था, निर्माण हुआ था, लेकिन आज वहां पर सड़कों की मरम्मत के नाम पर लूट हो रही है। हमारी पूर्व सरकार में मा0 अखिलेश यादव जी के जमाने में जो सड़कें बनाई गई थीं।

श्री जाहीद-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ, वह भदोही विधान सभा क्षेत्र हमारा है। वहां कारपेट का काम होता है। आज बड़ी-बड़ी बातें इस विधान सभा क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर कही गयी हैं। पिछले 5 सालों में जो सरकार ने किया है, उसे आप भदोही में जाकर देख सकते हैं। हमारी सरकार ने भदोही में बुनकरों के लिए कारपेट एक्सपो मार्ट बनवाया था और उसका शिलान्यास, उद्घाटन पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने किया था, लेकिन आपके मुख्य मंत्री ने वहां जाकर दोबारा उद्घाटन किया, अपनी सभा की। दो-दो बार गये, पांच साल बीत गये, लेकिन वह मेला चालू नहीं हुआ। भदोही में रेलवे का

ओवर ब्रिज आजादी के बाद एक भी नहीं था। हमारी सरकार ने दो-दो ओवर ब्रिज बनवाये। एक ओवर ब्रिज का काम थोड़ा बाकी रह गया था जिसमें 80 प्रतिशत काम हो गया था, लेकिन पांच साल के अन्दर भी वह ओवर ब्रिज चालू नहीं हो सका। उसकी सर्विस लेन अभी तक नहीं बन पायी। रोडवेज हमारे कार्यकाल में बनकर तैयार हो गये थे, लेकिन योगी सरकार के पांच साल बीत जाने के बाद भी अभी तक रोडवेज बस चालू नहीं किया गया। यह बड़ी-बड़ी बात करते हैं। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में मैं देख रहा था, सबसे पहला मुद्दा औरतों का था। अभी मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे और गर्मी उतारने की बात कह रहे थे। मैं आपकी बात पर कहना चाहता हूँ कि जो उधर के लोग हैं, जो विधायक हैं, उनकी गर्मी उतारने की बात करें।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे पास पांच साल के अन्दर जो अपराध हुए हैं, उनका डाटा है। यह राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन0सी0आर0बी0) का है जिसमें हर दो घण्टे में एक रेप की घटना हो रही है। 18 साल से कम बच्चे के साथ 90 मिनट में एक रेप की घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है। किडनैपिंग/अपहरण की घटना वर्ष 2020 में 12913 है। रेप के मामले 3779 हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध 371501 हैं। इसका आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 23 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध में सबसे ऊपर है। पांच सालों के अन्दर योगी सरकार का वर्ष 2017 से 2020 तक जो आंकड़ा आया है, वह सरकारी आंकड़ा है लेकिन चार साल में आई0पी0सी0 की धारा के तहत उ0प्र0 में जो केस दर्ज हुए हैं, वह 3401701 हैं। अखिलेश यादव की सरकार में यह आंकड़ा 237821 था। इसमें वर्ष 2017 से 2020 तक हिंसा वारदात 59277 हैं और अखिलेश सरकार में 44039 था। महिलाओं के खिलाफ 56174 वर्ष 2017 से 2020 तक और अखिलेश सरकार में यह 36041 है। चार साल में 7345 दंगे हुए, परन्तु अखिलेश सरकार में पांच साल में 6607 थे। रेप की घटना के बारे में कहना चाहूंगा कि जो हमारी महामहिम राज्यपाल हैं, उनसे जो योगी सरकार ने पढ़वाया उन्होंने वही पढ़ा, परन्तु मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा।

आज बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि रेप की घटनायें 36017, 4 साल में और 5 सालों में 16,320 ये फर्क है। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये पुलिस की बात कर रहे हैं। पुलिस ने ललितपुर में थाने के अन्दर महिलाओं के साथ बलात्कार किया। यही नहीं, चन्दौली का आपने जिक्र किया कि किस तरह पुलिस ने मारा। प्रयागराज के अन्दर वर्ष 2019 से 2022 तक 134 हत्याएं हुई हैं जिनमें से 01 परिवार में 05 हत्यायें हुई हैं। तमाम जिले हैं, जैसे-मुजफ्फरनगर, उन्नाव, रायबरेली, अलीगढ़ में भी घटनायें घटित हुई हैं। योगी सरकार के कार्यकाल में दलित महिलाओं का उत्पीड़न किया गया है। बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूँ कि आजादी के 75 साल हो गये, जिन जाति के नाम पर वोट मांगे हैं, जिन दलितों के नाम पर वोट मांगे हैं, जिन पिछड़ी जातियों के नाम पर वोट मांगे हैं, जिनकी मूर्तियां बनाने की बात करते हैं, उनके नाम पर अत्याचार होता है, उनकी नौकरी छीनी जाती है, उनका शोषण किया जाता है। ये मूर्ति लगाकर वोट मांगने का काम करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त कीजिये, आपका समय हो गया है। कई और लोगों को भी बोलना है। आपकी सारी बात आ गयी है।

श्री जाहीद-

अधिष्ठाता महोदय, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत बातें आयी हैं। तमाम सरकारों में एक-आध मंत्री भ्रष्ट हुआ करते थे, लेकिन योगी सरकार में भ्रष्टाचार सिस्टम बना दिया गया है, इनका पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में बदल गया है।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय हो गया, आप बैठ जाइये। आपकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं आ रही है। श्री समरपाल सिंह जी आप शुरू करें।

श्री समरपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मुझे आश्चर्य यह हो रहा है कि ये लोग किसानों की सहायता का ढोंग पीटने वाले हैं। 13 महीने किसान हमारी मातायें-बहनें, बुजुर्ग किस हाल में दिल्ली बार्डर, सिन्धु बार्डर और दूसरे बार्डर पर रहे यह देखने वाला कोई नहीं था, ये फसल का दाम दोगुना करते हैं और ढोंग पीटते हैं कि हम किसानों के हमदर्द हैं। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी सारे जिलों में घूमे और मुख्य मंत्री जी तो मुखिया हैं, उनके पास उड़न खटोला है, सारा अमला उनके साथ है, हमारा तो कोई आदमी लॉकडाउन में जब बाहर निकलता था तो कहते थे कि उसे केस में फंसा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आपका तो राज-काज था, जो चाहते वो करते।

आप कानून-व्यवस्था की बात कर रहे हैं पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की जिसमें एस0पी0 फरार है और आज तक इनके हाथ नहीं आया। कोई दरोगा, सिपाही फरार होता, कोई मुल्जिम होता तो उसे ढूंढ़ लेते, एस0पी0 फरार है, वो जहां भी होगा इनकी जानकारी में होगा, लेकिन आज तक पता नहीं कर पाये। मैं चाहता हूँ कि उसका पता करिये, उसका मकान ढहवाइये, उस पर बुल्डोजर चलाइये। महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, शिक्षा मित्रों का बहुत बुरा हाल है, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। मैं यह चाहूंगा कि सरकार उनको नियमित करे। सरकार शिक्षा मित्रों से अध्यापक का काम ले रही है तो तनख्वाह भी उनको अध्यापक की दी जाय। जो संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको भी नियमित किया जाय। इस देश के सभी मण्डलों में विश्वविद्यालय हैं, सिर्फ मुरादाबाद मण्डल ऐसा है जिसमें विश्वविद्यालय नहीं है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार वहां तत्काल सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना कराये। किसान जिस चीज को खरीदता है वह महंगी होती है और जो बेचता है, वह सस्ती होती है। जब वह इनके व्यापारियों तक आती है तो वह एकदम महंगी हो जाती है और जब किसान के

घर से जायेगी तो सस्ती रहेगी। पेपर आउट तो आम बात है। हमारे यहां गजरौला औद्योगिक इकाइयों का गढ़ है वहां इतना प्रदूषण है कि मेरे भाई ये बी0जे0पी0 के लोग भी निकलते होंगे तो मुंह पर रूमाल लगा लेते होंगे। इतनी बदबू और इतना प्रदूषण है, जबकि वहां मेरा लगा हुआ क्षेत्र है। वहां किसान कैंसर से पीड़ित है, दवाई नहीं है और उनकी फसल भी चौपट हो गई। नीचे नल से पानी आता है, वह काला आता है, लेकिन इसे सरकार नहीं देख रही है, इस पर काम कराया जाये।

दूसरा, राम मन्दिर की बात करते हैं। राम हमारे भी इतने ही हैं, जितने आपके हैं, लेकिन आप ढोल पीटते हो। बहुत हो गया अब आगे किसान और गरीब के लिये काम करिये। जनवरी की ठण्ड में मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं, जिनके पैर में चप्पल नहीं थे, पहनने को जैकिट नहीं थी, स्वेटर नहीं थे। हमारे नारे मारते थे, आपके भी नारे मारते होंगे। सर्दी में इतनी ठिठुरन थी। मैं सरकार से यह चाहूंगा उनके लिए कुछ काम किया जाये। पुलिस इतना भेदभाव कर रही है। पुलिस तो इनकी वर्कर हो गयी, सरकारी अधिकारी इनके वर्कर हो गये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि उन पर अंकुश लगवाया जाये। बिजली का भी बहुत बुरा हाल है। मेरा एक गांव कूबी है, वह अमरोहा का गांव है और नैगावां में पड़ता है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे भी कहूंगा कि दोनों तरफ, यहां तक चार गुना दिया है और इधर भी चार गुना दिया है। बीच में एक बेल्ट है, उसको सिर्फ टोटल जमीन के 50 हजार रुपये दिये हैं। बहुत संवेदनशील मामला है। कई दिन धरना-प्रदर्शन हुआ। मेरे भाई चेतन चौहान जी, जो इस सदन में नहीं रहे, उनकी पत्नी एम0एल0ए0 थीं, वह भी इनके साथ में आई थीं। सरकार से बात किया था। लेकिन बात नहीं बनी थी। मैं चाहूंगा कि उनको उचित मुआवजा दिया जाये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, टोल प्लाजा 60 कि0मी0 दूर होना चाहिए और मेरे क्षेत्र के गांव, जमापुर में टोल प्लाजा 30 कि0मी0 पर लगा है, जो गढ़वा और रजबपुर में है। इसको देखकर 60 कि0मी0 पर किया जाये और मेरे वहां का टोल प्लाजा खत्म किया जाये। अस्पतालों का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। मेरे क्षेत्र में एक कताई मिल है और उसमें हजारों लोग काम करते थे। कई हजार लोगों को दवा और रोजगार मिला हुआ था, लेकिन वह वर्षों से बन्द है। उसमें सरकार को ज्यादा काम नहीं करना है। वह बनी-बनाई मिल है, उसको चालू करवाया जाये। गंगा जी की सफाई का बहुत बुरा हाल है। मैं कहूंगा कि कुछ हिम्मत करो, प्रधानमंत्री जी से कहें कि बैन लगा दें, क्योंकि जब तक बॉडी जलना बन्द नहीं होंगी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं तब तक कुछ नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता-

श्री समरपाल सिंह जी अब समाप्त कीजिए, समय हो गया है।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, मैं तो आपकी बात मानता हूँ। शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश चौधरी-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया। माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा जो अभिभाषण दिया गया, उस पर माननीय सदस्य मन्जू शिवाच जी और आदरणीय वर्मा जी की बातों से अपने को जोड़ता हुआ उनका समर्थन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। पर मेरे सामने जो मेरे मित्र बैठे हुए हैं, उनको सरकार की कोई योजना पसन्द नहीं आ रही है। 'जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई', इनको गरीबों का दर्द नहीं पता। सोने की चम्मच मुंह में ले करके पैदा होने वाला व्यक्ति जमीन की हकीकत नहीं जान सकता। आज भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। 2012 में मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री मनोनीत कर दिया। तब से लेकर आज तक आप यदि देखेंगे तो लगातार पांच चुनाव हारने का काम किया है, फिर भी इनको हमारी योजनायें समझ नहीं आ रही हैं। तो मुझे इनको यह कहना है कि आप आत्म-मन्थन करिये। यह सरकार गरीबों की सरकार है। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था कि गरीब की झोपड़ी में फ्री में गैस का सिलेण्डर पहुंच जायेगा, कभी किसी ने कल्पना की थी कि आयुष्मान योजना के अन्तर्गत गरीब का भी 5 लाख तक का इलाज फ्री में होगा। कभी किसी ने कल्पना की थी कि गरीब को फ्री में राशन मिलेगा ?

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो गरीब व्यक्ति चने की दाल नहीं खा सकता था वह आज चने की रोटियां खाने का काम योगी जी की सरकार की वजह से कर रहा है, पर यह बातें इनकी समझ में नहीं आयेंगी, पर मैं कहता हूँ समझ में नहीं आये, क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे तब तक हम लगातार सत्ता में आते रहेंगे और आपको चुनाव में बार-बार हराते रहेंगे। कानून-व्यवस्था की यदि मैं बात करूं तो कानून-व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। मैं मथुरा जिले की मांट विधान सभा क्षेत्र से जीत करके आया हूँ और यमुना एक्सप्रेस-वे पूरा उसी विधान सभा क्षेत्र में आता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब इनकी सरकार थी तब रात में वह हाई-वे बन्द हो जाता था। मैं नाम तो यहां नहीं ले सकता पर एक सांसद महोदय, मथुरा वृन्दावन में दर्शन करने के लिए आये थे, रात को करीब साढ़े 8 बजे जब वह वापस जाने लगे तब मैंने उनको सलाह दी कि यमुना एक्सप्रेस-वे शुरू हो गया है वहां से आप निकल जायें, दिल्ली जल्दी पहुंच जायेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार है, अगर उस हाई-वे पर जायेंगे तो लुट जायेंगे, उस हाई-वे पर दिल्ली नहीं पहुंच सकते। यह इन्होंने माहौल बना दिया था। वह फिर पुराने हाई-वे पर से गये। आज याद करिये वह दिन जब 2012 में कोशी के अन्दर पहला दंगा हुआ था और 2012 से ले करके 2017 तक ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश केवल दंगों का प्रदेश बनकर रह गया है, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य बनकर रह गया है, आज हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में ले जाने के लिए कदम बढ़ाया है। आज बाहर से आकर इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश के अन्दर इन्वेस्ट करना

चाहता है, उद्योग धन्धे लगाना चाहता है, कोई सोच सकता था कि कभी ऐसा भी होगा। धीरेन्द्र जी यहां बैठे हैं आपकी विधान सभा क्षेत्र से लगा हुआ जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयर पोर्ट बन रहा है।

मैं सरकार से मांग करूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र वहां से 20 मिनट की दूरी पर लगती है वहां पर एक बहुत ही अच्छा इण्डस्ट्रियल एरिया वहां पर बनाया जाये, क्योंकि वहां पर भी नौजवानों को रोजगार मिल सके। हमारे मित्र गायों की बात कर रहे थे। आपकी सरकार में तो गायों को काटा जाता था, कट्टी घर में ले जा करके उनका कत्लेआम कर दिया जाता था। आज हमने हर ब्लॉक के अन्दर कई गौ-शालाओं का निर्माण किया है, आपके समय में कटती थीं, हम उनको आश्रय देने का काम कर रहे हैं। हमने अभियान चलाया एण्टी भू-माफिया तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द समाजवादी पार्टी की सरकार को होता है, किसी दूसरे को नहीं होता है,क्योंकि सरकारी जमीनों, गरीब व बेसहारा लोगों की जमीनों पर कब्जा करने का काम इनकी सरकार में होता है। इसलिए सरकार की एण्टी भू-माफिया की नीति इनको रास नहीं आती है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में अनेक ऐसे काम हुए हैं। गोरखपुर में उर्वरक कारखाना कब से बन्द पड़ा हुआ था, आप भी सरकार में थे आप भी चालू कर सकते थे किसी ने आपको रोका तो नहीं था पर आपको ध्यान उसका नहीं था, क्योंकि आपका ध्यान तो इस ओर था कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा जाये और कैसे अपने घर भरने का काम किया जाये, आपको गरीब की चिन्ता नहीं थी। मैं बृज भूमि से आता हूँ आप आयें और देखें कैसे बृज भूमि में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, किस तरह से बृज की जो पौराणिक चीजें थीं, भगवान कृष्ण से जुड़े हुए तमाम ऐसे स्थान थे जो अपना अस्तित्व खोते जा रहे थे आज उनका विकास योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, उनकी पौराणिक महत्ता थी, उसको डेवलप करने का काम किया है। बृज विकास तीर्थ परिषद् बना करके योगी जी ने बृज को जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ और बार-बार आप लोगों को सम्मान देता हूँ और जो यह अभिभाषण यहां पर आया है उसका समर्थन करता हूँ और कहना चाहता हूँ एक बार फिर आपको सलाह देता हूँ कि आप अपनी नीतियों पर विचार करिये नहीं तो जनता आपको इसी तरह नकारती रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय-जय श्रीराम।

श्री रफीक अंसारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मेरे साथी मुगलों की बातें करते हैं, 800 साल पुरानी बात कर रहे हैं, अंग्रेजों को भूल गये, यह अंग्रेजों के मुखबर थे, अंग्रेजों को भूल गये, आजादी किसने दिलाई, किसने यह मुल्क आजाद कराया। हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिलकर इस मुल्क को आजादी दिलाई है। आज हम शानदार जगह बैठे हैं, यह आजाद मुल्क की मेहरबानी है, यह आजाद भारत के देश की बात है। आप काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं, अरे काशी भी यहीं है, मथुरा भी यहीं है, हम भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहोगे। हमारे सब्र का तुम्हें असर

नहीं मालूम, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा, इंशा अल्लाह। यह मुल्क दोनों का मिल करके है, ना हिन्दू का है, ना मुसलमान का, यह हमारा सबका मुल्क है हमने इसे आजाद कराया था, अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। आज इस मुल्क के अन्दर हमारे क्या हालात हैं, जब यह मुल्क आजाद हुआ था, जिस वक्त बंटवारा हुआ था, अपनी मर्जी से हमने हिन्दुस्तान को चुना था, आज ये हमें गद्दार कहते हैं, आज कहते हैं कि ये मुल्क इनका नहीं है। हमारा मुल्क नहीं है तो गिरा दो ताजमहल को जो अजूबा है, गिरा दो लाल किले को जिस पर से प्रधानमंत्री बोलते हैं, गिरा दो तुममें हिम्मत हो तो, नहीं है हिम्मत आप में। हर मस्जिद के नीचे मूर्ति निकलेगी, हम हर तरह से सहमत हैं आपसे, अरे बनाओ कितने मन्दिर बनाओगे, जितने चाहे मन्दिर बना लो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम तुमसे पीछे रहने वाले नहीं हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर माइनॉरिटी के लोगों का क्या हाल कर दिया आपने, वह दहशत और खौफ में जी रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास क्या यही है सबका साथ सबका विश्वास। आज जेलों के अन्दर माइनॉरिटी के लोग हैं, वह भोले-भाले लोग जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया, इस मिट्टी में जिनका खून शामिल है...

(इस समय सायं 05 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए)

आप उन्हें जेलों में डालने का काम कर रहे हैं। आप भूल गये, अरे बड़े-बड़े बादशाह देश-दुनिया के अन्दर जालिम हुए हैं, जब-जब जुल्म देश के अन्दर, दुनिया के अन्दर बढ़ा है, जुल्म फना हुआ है, आप भी फना हो जाओगे।

गांधी जी आकर देख लो अपना हिन्दुस्तान, कैसे-कैसे आपके चेले हो गये बेईमान। बन्द करो ये खून की होली, मत मारो फिर गांधी के सीने में गोली। ये खून तो हिन्दुस्तान का है, जब लहू टपकता गीता से तो बहता खून कुरान का है। इस मुल्क के अन्दर फिरकापरस्ती फैलाने का काम कर रहे हो, जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हो। अरे गीता भी हमारी है, कुरान भी हमारी है, तुम हमारे नहीं हो तुम। आप सब अंग्रेजों के मुखबर थे, आज इस मुल्क के मालिक बन रहे हो, भूल गये अंग्रेजों को, कोई अंग्रेज की बात नहीं करता, मुगलों की बात कर रहे हो, 800 साल पुरानी बात कर रहे हो। हमारा क्या रिश्ता उन मुगलों से, हमारा रिश्ता इस हिन्दुस्तान से, हमारा रिश्ता है इस भारत से, हमारा रिश्ता है आप से, आप हमको कुचलने का काम करोगे, आप हमें मारने का काम करोगे। अरे तुममें दम नहीं है हमको मिटाने का, दो चार चाहे जमाने के बावजूद, हम मिट नहीं सकेंगे मिटाने के बावजूद। आप क्या सोचते हो हम तुमसे मिट जायेंगे, अरे तुम खत्म हो जाओगे [xxx] तुम जुल्म कर रहे हो हमारे ऊपर, जुल्म हमेशा खत्म हुआ है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्य अपने-अपने स्थान से खड़े होकर बोलने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आप लोग बैठ जायें, उन्हें बोलने दीजिये। बावन सिंह जी, बैठ जायें, आप सभी बैठ जायें। माननीय सदस्य असंसदीय आचरण ठीक नहीं है, संसदीय भाषा का प्रयोग कीजिये। भोला जी बैठ जाइये, आप लोग बैठ जाइये, माननीय सदस्य असंसदीय भाषा का प्रयोग यहां पर नहीं हो सकता है। यदि कोई भी असंसदीय शब्द माननीय सदस्य ने कहे हैं तो उन्हें कार्यवाही से तत्काल निकाल दिया जायेगा।

असंसदीय शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है, एक शब्द अगर हमारे माननीय सदस्य के मुंह से निकल गया, उन्होंने [xxx] कह दिया तो इन लोगों को मिर्ची लग गई। अभी चन्द मिनट पहले एक विधायक के द्वारा हमको [xxx] कहा गया।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

यदि किसी मा0 सदस्य ने कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है, तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। आज अगर हमारे एक सदस्य के मुंह से [xxx] शब्द निकल गया, तो सबको मिर्ची लग गई। अभी चन्द मिनट पहले हमको [xxx] कहा गया, तब ये चुप काहे बैठे थे। तब इनको संसदीय परम्पराओं का ज्ञान क्यों नहीं था ? तब इन्होंने संसदीय परम्पराओं की बात क्यों नहीं की। मा0 अधिष्ठाता महोदय, ये नहीं चलेगा। ऐसे हम बात को नहीं सुन सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अगर सभी मा0 सदस्य व्यवस्था बनायेंगे, तो सदन ठीक से चलेगा। मा0 सदस्य राकेश जी, व्यवस्था बनवाइये, जिससे सदन ठीक से चल सके।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने एवं हो-हल्ला करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य राकेश जी, इसको हम निश्चित रूप से अभी दिखवा लेते हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अंसारी जी, आप अपना भाषण पूरा करिये।

श्री रफीक अंसारी-

मा0 अधिष्ठाता जी, मेरे पैमाने में कुछ, उसके पैमाने में कुछ, देख साखी तेरे मैखाने में न हो जाये। यह नियम सबके लिए लागू होता है। हम [xxx] नहीं हैं, अपने बाप की औलाद हैं। हमको अगर ऐसा कहोगे, तो सुनने की भी आप हिम्मत रखिए। अधिष्ठाता महोदय, ये हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं, इनके लिए सब कुछ और हमारे लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

आप अभिभाषण पर बोलिये।

श्री रफीक अंसारी-

उसी पर बोल रहा हूँ। तुम भी खड़े होकर बोले थे भाई। मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे मेरठ के अन्दर, जो एकतरफा कानून हमारे लिए पैदा कर दिया है कि माइनारिटी के लिए कानून और है और दूसरे लोगों के लिए कानून और है। अधिष्ठाता जी, जब ये बोले थे, तो कोई नहीं बोला था। अब इनको मिर्ची लग रही है। अधिष्ठाता महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, लेकिन ऐसा नहीं है।

श्री राजेश चौधरी-

बोलना तो सीख लो।

श्री रफीक अंसारी-

मैं दूसरी बार, तीसरी बार का विधायक हूँ। पांच बार नगर निगम में रहा हूँ। तुम पहली बार जीतकर आए हो, तुम सिखाओगे मुझको।

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें। कृपया व्यवस्था बनाकर रखें। मा0 सदस्य, राजेश जी, व्यवस्था बनाकर रखें।

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

प्रकाश जी, बैठिए। मा0 सदस्य कृपया व्यवस्था बनाएं। हां, लॉबी के मा0 सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाएं। बोरा जी, खण्डेलवाल जी, कृपया बैठिए।

(सदन में घोर व्यवधान)

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, सदन को चलाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, 'योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)

श्री अधिष्ठाता-

डॉ0 संग्राम सिंह जी, अपने स्थान पर जाइए।

(घोर व्यवधान के मध्य सायं 06 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

जो भी बात कहनी है आप अपनी सीट से कहिए।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, विपक्ष पूरी तरह से इस सदन को चलाने में कॉपरेट कर रहा है और चलाना भी चाहता है, अभी किसी मा0 सदस्य ने अपने भाषण में इधर हाथ दिखा दिखाकर समाजवादी पार्टी का नाम लेकर [xxx], [xxx], [xxx] को मानने वाले जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। हम लोग चुपचाप सुनते रहे, कहीं व्यवधान नहीं किया, जितना उनको बोलना था, बोल गए। फिर रफीक अंसारी जी खड़े हुए, उनके मुंह से बोलते-बोलते केवल इतना निकल गया कि ये जुल्म करने वाले [xxx] लोग भी कभी न कभी खत्म होंगे। इस पर हाथ दिखाना, बाजुओं की ताकत दिखाना, ये सदन की कहां से मर्यादा है। मैंने इसमें केवल इतना कहा कि अगर अधिष्ठाता महोदय, ने कहा है कि [xxx] शब्द है कार्यवाही से निकाल दिया जाये तो, मैंने कहा कि [xxx] और [xxx] भी कार्यवाही से निकाल दिया जाये तो यह कहां की परम्परा है और रफीक जी ने केवल इतना कह दिया कि मैं 5 पांच नगर पालिका का चेयरमैन रहा हूँ और 3 बार का विधायक हूँ, तुम पहली बार जीत के आए हो, हमें आप कानून सिखाओगे, हमें सदन का तरीका आप बताओगे। यहां कोई पहली बार जीत के आया हो या 8वीं बार जीत के आए हों, सब बराबर हैं। रफीक जी को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इतना कहने में इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत है। क्या यहां दंगल करने आये हो और अगर सदन में यह मर्यादा भाजपा के विधायक की है तो बाहर जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा। मा0 अध्यक्ष जी, जिस विधायक ने इस तरह से अपनी बाजुओं की ताकत विपक्ष को दिखाने का काम किया है, पूरे विपक्ष को अपमानित करने का काम किया है। उसको क्षमा मांगनी चाहिए पूरे सदन से।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

इसमें जो भी कार्यवाही है मैं उसको दिखवा लूंगा और जो भी इस प्रकार के शब्द होंगे, मैं उनको कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

यह विधान सभा चर्चा-परिचर्चा का केन्द्र है। आप अपनी बात कह सकते हैं, आपकी बात कड़वी हो सकती है लेकिन अशिष्ट नहीं हो सकती है, यह सभी लोगों के लिए है।

डॉ0 संग्राम यादव-

यहां कोई [xxx] नहीं बैठा है, क्या मुगलों पर इनको नाज है।

श्री अध्यक्ष-

किसी को भी इस इस तरह की बात कहना उचित नहीं है।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह यह है कि आप कार्यवाही दिखवा लें, अगर किसी भी तरह से कोई असंसदीय शब्द हो, चाहे उधर से हो या इधर से हो, दोनों को निकलवा दें। किसी के एक्शन से किसी ने क्या समझा, यह मेरी समझ में नहीं आया, मैं आगे देख रहा था, पीछे देख नहीं रहा था। लेकिन अगर किसी एक्शन से दिक्कत हो रही है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने खेद व्यक्त कर दिया है, अब आगे चलिये।

श्री रफीक अंसारी-

अध्यक्ष जी, मान्यवर, केवल दो मिनट बोल पाया था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, श्री रफीक अंसारी जी का दिखा दीजिए कि कितने समय तक बोले हैं (स्क्रीन पर 6.38 मिनट समय दर्शाया गया) आप पर्याप्त समय ले चुके हैं। अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रफीक अंसारी-

मान्यवर, वाद-विवाद में काफी समय चला गया।

श्री अध्यक्ष-

झगड़े वाला तो झगड़े के खाते में ही जायेगा।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रफीक अंसारी-

अध्यक्ष जी, जो भी हालात हुये वह अलग बात है। मगर-

मयकदे बन्द भी हो जायें तो परवाह न करो,

किसी कमजर्फ के हाथों में मगर जाम न देना।

इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं पहली बार का विधायक हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के बाद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उसको लेकर परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज विकास के पथ पर पांच साल इस प्रदेश को ले गये। 37 साल के बाद लगातार दूसरी बार जनादेश प्राप्त कर परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। हमें लगता है कि विपक्ष को वह पच नहीं रहा है।

मैं कुशीनगर जनपद से विधायक हूँ, एक समय था वर्ष 2017 से पहले गण्डक, गन्ना और गुण्डा ये तीन समस्यायें थीं। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के मुख्य मंत्री पद की कमान संभाली तो गुण्डा शब्द तत्काल ही समाप्त हो गया और आगे चलकर गण्डक और गन्ना की समस्या भी समाप्त हो गयी। प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बाद विकास के पथ पर आगे बढ़ गया है और देश के 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में कुशीनगर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कोरोना महामारी में सेवा की बात अभी हो रही थी। यह बात आयी कि हमारे मुख्य मंत्री जी उड़न-खटोला से जाते थे। मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में सत्ता पक्ष के लोगों ने सड़कों और गलियों में जाकर कोरोना काल में लोगों की सेवा करने का काम किया परन्तु विपक्ष का कोई सदस्य कोरोना महामारी में दिखायी नहीं दिया, उनके अन्दर सेवा भाव नहीं दिखा। हमारे मंत्री, उप मुख्य मंत्री जनता के बीच गांवों में, जिलों में जाकर जनता की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करने का काम कर रहे हैं क्योंकि हम जनता की सेवा करने के लिए सरकार में आये हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने 05 साल सिर्फ लखनऊ में सरकार चलायी है, लेकिन हमारे परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनते ही पूरा मंत्रिमण्डल गांव-गांव में जाकर जनता के बीच गरीबों की समस्याओं को सुनकर अपने काम को कर रहे हैं, जनता का विकास कैसे हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि देश में माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दूसरे नम्बर का प्रदेश हर क्षेत्र में बनने वाला है। हॉस्पिटल, शिक्षा, किसान, नौजवान हर क्षेत्र में विकास हुआ है। वर्ष 2007 से वर्ष 2012 की जो सरकार चली या वर्ष 2012 से वर्ष 2017 की जो सरकार चली, क्या उसके भी मंत्री और

उप मुख्य मंत्री कभी हास्पिटलों में जाते थे ? हमारे ही पक्ष के विधायक कह रहे थे कि मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री गये हैं। हमारे मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री चल रहे हैं। और गांव-गांव की छोटी से छोटी इकाई में जाने का काम कर रहे हैं। यह परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है। अभी गांव की बात हो रही थी। आवारा पशु जो इनके राज में खुलेआम घूम रहे थे, परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी जब प्रदेश के मुख्य मंत्री हुए और हमारी सरकार जब वर्ष 2017 में आयी तो बेसहारा पशुओं का सहारा बनकर उनको आश्रय देने का काम किया। निश्चित रूप से हमारी सरकार में किसानों की आमदनी दोगुनी हुई है। किसान सम्मान निधि 2000 तो दिख रही है, लेकिन किसानों को 2000 देने की पहल आपकी सरकार ने नहीं की। 2017 में जब हमारी सरकार बनी परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी ने पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। हमारी सरकार के कार्य विपक्ष को पच नहीं रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरे साथी भाई पहली बार के विधायक से तीसरी बार के विधायक ने कहा कि मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, आप पहली बार के विधायक हैं।

पहली बार वर्ष 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी हुए विश्व उनको अपना गुरू मानने के लिए तैयार है। पूरे विश्व में श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का नाम लिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज सांसद से पहली बार वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार चलाने के लिए आए और उसी की देन है कि पहली बार 37 सालों के बाद रिकार्ड टूटा। दूसरी बार अगर लगातार कोई सरकार बनी तो पहली बार का अनुभव ही काम आया, इसलिए मैं उस साथी भाई से कहना चाहता हूँ कि पहली, दूसरी और तीसरी कुछ नहीं होता है, अनुभव और प्रशासन ही सब कुछ होता है। जिस प्रकार परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज वर्ष 2017 में पहली बार मुख्य मंत्री हुए और पुनः जनता ने उन्हें दूसरी बार मौका दिया, उसी प्रकार मेरे भाई भले ही पहली बार विधान सभा में आये हैं, हर साल आयें। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी को आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि आज के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अभय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो योजनायें हैं, वह दिखने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसमें बहुत सी कमियां हैं। अगर हम शुरुआत करते हैं तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि आपने कितने आवास स्वीकृत किए, कितने शौचालय निर्माण कराये ? आवासों और शौचालयों की क्या स्थिति है, यह जिले में जाकर, गांव में जाकर, ब्लाक स्तर पर जाकर देखने में पता चलता है कि सबको मिला है या नहीं मिला है। उसमें किस तरह से सेक्रेटरी, बी0डी0ओ0 सब लोग मिलकर भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, यह मौके पर जाकर देखने से पता चलता है। बहुत से लोग अगर पैसा नहीं देते

हैं तो उनको आवास नहीं मिलता है। आवास की पात्रता सूची बनी हुई है, वह सूची होने के बाद भी अगर सुविधा शुल्क नहीं देता है तो उसको अपात्र घोषित कर दिया जाता है, इसको भी देखने की बहुत आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इसमें दिया हुआ है कि बहुत से बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। हम यह कहना चाहते हैं कि जितनी बेरोजगारी आज के समय उत्तर प्रदेश में है, उतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। जिस तरीके से बेरोजगारी को खत्म करने का तरीका आउट सोर्सिंग/ठेके के माध्यम से और संविदा के माध्यम से किया जा रहा है, उसमें दलितों और पिछड़ों का बहुत बड़ा हक मारा जा रहा है। उनको उनके आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर आप संविदा/आउट सोर्सिंग पर भी नौकरी दे रहे हैं तो आपको दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का लाभ देना चाहिए। हम आपसे कहना चाहते हैं अभी मैं इसमें पढ़ रहा था किसान दुर्घटना बीमा योजना। माननीय अध्यक्ष जी, किसान दुर्घटना बीमा दस साल पहले हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पांच लाख रुपया दिया था जो कि अब समय बदल चुका है दस साल में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, उसको कम से कम दस लाख रुपया किया जाना चाहिए और इसके अतिरिक्त इसमें और संशोधन करना चाहिए। बहुत से हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में अगल-बगल जिले में हमने देखा है कि जिन किसानों की हत्या हो जाती है अगर उनका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है, उनकी कोई गैंगवार नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है तो ऐसे भी किसानों को पांच लाख रुपये जो उनका किसान दुर्घटना बीमा है वह आपको उनको देना चाहिए।

हमारा सरकार से अनुरोध है हम आपसे कहना चाहते हैं कि अभी गो-वंश की बात हो रही थी कि हर जगह गौ-शाला बनी हुई है। गौ-शाला बनी हुई है यह बहुत अच्छी बात है लेकिन यह किस तरीके से चल रही है सुचारु रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है। इसको भी देखना बहुत जरूरी है। इसमें हम आपसे कहना चाहते हैं कि वहां पर जब किसान आवारा पशुओं को पकड़ कर ले जाते हैं तब कहते हैं कि भूसा दो, अगर भूसा नहीं देते हैं तो उसको बन्द नहीं करते हैं। भूसा नहीं है तो कहते हैं कि दो हजार रुपया दो। ऐसी स्थिति है और जो भूसे के ठेकेदार हैं वह अधिकारियों के साथ मिल करके ठेकेदारी कर रहे हैं जितना भूसा वहां पर पहुंचना चाहिए सिर्फ कागजों में पहुंच रहा है। लिखा-पढ़ी में नहीं पहुंच रहा है। जिसकी वजह से यह हो रहा है कि गौ-शाला खोलने के बाद भी जो गौ-शाला चला रहा है वह पाप का भागीदार है। वहां पर जानवर मरे जा रहे हैं, गो-वंश मरे जा रहे हैं और उनको वहीं पर जे0सी0बी0 से खोदकर गाड़ दिया जा रहा है। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो हम चलेंगे और कोई निरीक्षण करना चाहेंगे तो कम से कम दस जगह हम दिखा देंगे जहां इस तरीके से किया जा रहा है। हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि विद्युत के क्षेत्र में जो आप लोगों ने कहा कि बहुत काम किया है। फ्री कनेक्शन दिया गया, कनेक्शन कर दिया गया लेकिन सिर्फ कागजों पर किया गया है। बहुत से लोग हम लोग जब क्षेत्र में बैठते हैं, गांव में बैठते हैं तो गांव का गांव इकट्ठा हो जाता है कि हमारा बिल आया है, कितना बिल आया है किसी का 20 हजार आया है, किसी का 25 हजार आया है, किसी का 18 हजार आया है। हम एक्सीएन

से बात करते हैं कि इसकी समीक्षा करा लें, जांच करा लें व उसको खत्म करा दें। इसको भी देखने की आवश्यकता है कि गांव में रहने वाले लोग जो गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को फ्री विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं, सिर्फ कागजों पर दे दिये गये हैं। वहां पर न लाइट पहुंची, न खम्भा लगा है और न ही कनेक्शन जोड़ा गया है। उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको देखें, इसको करें और जहां तक गन्ना किसानों की पेमेन्ट की बात है हमारे अयोध्या जनपद में गन्ना की बहुत बड़ी खेती होती है। वहां पर दो मिल हैं एक रोजा गांव मिल और एक मसोधा मिल है। हम लोगों का क्षेत्र मसोधा मिल में आता है। मसोधा मिल द्वारा बहुत ढेर सारे किसानों का गन्ना पेमेन्ट बकाया है जिसकी वजह से इस बार बहुत सारे किसानों के बच्चों की और बेटियों की शादी नहीं हो पायी है। वह बहुत परेशान थे, इसके लिए हम लोगों ने जाकर अधिकारियों से बात किया हमारा आपसे अनुरोध है कि गन्ना किसानों को उनका पेमेन्ट दिलवाने का काम करें।

इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए जैसा कि दिखाया जा रहा है कि सिंचाई व्यवस्था बहुत सी माइनरें हम लोगों के क्षेत्र में ऐसी हैं जहां टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। 2014 में हमने एक सब-स्टेशन स्वीकृत कराया था बेरूगंज में पैसा भी चला था लेकिन उसके बाद वहां का पैसा दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया था और वह सब-स्टेशन आज तक नहीं बन पाया है। वहां 18 किलोमीटर दूर से लाइन आती है और उस क्षेत्र में अक्सर बिजली की फॉल्ट रहती है। हमारा आपसे अनुरोध है कि उसको ठीक कराने की कृपा करें। हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि नलकूपों की स्थिति ऐसी है कि बहुत सी जगह मोटर जल जाते हैं हम लोग बोलते हैं, शिकायत करते हैं, फोन करते हैं, उसके बाद भी एक-एक महीने बाद तक वह ठीक नहीं हो पाता है। हमारा आपसे अनुरोध है कि इसकी व्यवस्था ठीक कराने की कृपा करें और इसकी निगरानी की जाये। अन्त में आपसे कहना चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में तो कहने में काम बहुत हुआ है लेकिन जितनी दुर्व्यवस्था यहां पर फैली हुई है, उतनी कहीं नहीं है जो लोग आयोग के द्वारा नौकरी लेकर आ भी रहे हैं उनको डी0आई0ओ0एस0 और स्कूलों के प्रबन्धक मिलकर लौटा दे रहे हैं। एक सुल्तानपुर का लड़का नौकरी पाया है उसको लगातार वापस कर दिया जा रहा है। कोर्ट जा रहा है, कोर्ट के आदेश के बाद भी डी0आई0ओ0एस0 नहीं कर रहा है। किस तरह से दुर्व्यवस्थाएं फैली हुई हैं। इसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

श्री धीरेन्द्र सिंह-

महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था, ग्रामों के माध्यम से इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का। सही मायने में 1947 के बाद अगर किसी सरकार ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है तो वह नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जैसे आपने देखा होगा कि गांवों में जिनको हक नहीं मिलता था, उन लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में भी घरौनियों के निर्माण के माध्यम से ऐसा हक दिया जा रहा

है जिससे वह बैंक आदि से लोन ले सकें। मैं मा0 मन्जू जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने विस्तार से महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने अपने भाषण में कही थी वह है इस देश की संस्कृति की पुर्नस्थापना। यह वही मुल्क है जिसने दुनिया को शान्ति का सन्देश दिया। यह वही मुल्क है जहां के तक्षशिला तथा नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों में पूरी दुनिया के लोग शोध करने के लिए आते थे। अभी मेरे भाई आपस में चर्चा कर रहे थे। मेरे भाईयों, हम उस सनातन संस्कृति के लोग हैं जिस संस्कृति में दूसरे को आत्मसात् करने की भावना है। हमने कभी किसी धर्म के बारे में कोई गलत टीका-टिप्पणी नहीं की। हमारी संस्कृति रही है और हमने हर धर्म का सम्मान किया है। आज अगर हमारे देश की संस्कृति की पुर्नस्थापना हो रही है, उस बनारस की पुर्नस्थापना हो रही है जो नगर के रूप में उस समय विद्यमान था जब मानव सभ्यता अपनी शैशवावस्था में थी। बनारस दुनिया का सबसे पुराना नगर है। क्या वजह थी कि मध्य काल में भारतीय संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट किया गया। अगर आज हमारी यह सरकारें हमें गौरवान्वित कर रही हैं और हमारे उस खोए हुए अतीत को वापस पूरी दुनिया के सामने ला रही हैं तो आखिर इसमें क्या गुनाह है ? वह सारी बातें जो इतिहास के पन्नों में दफन हो गयी थीं आज हमारी आने वाली नस्लें जान रही हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं दोबारा आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत चर्चाएं और बहुत से आरोप हमारी सरकारों पर लगाए जाते हैं तो मैं अपने भाईयों से पूछना चाहता हूँ कि किसी भी सरकारी योजना में कौन सा विभेद किया जाता है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना देख लीजिये कि उसमें किन लोगों को ज्यादा फायदा है। देश के प्रधानमंत्री एक नजर से सिर्फ और सिर्फ इस राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं और हर गरीब के घर तक उस सरकारी योजना को पहुंचाना चाहते हैं जिसका सपना कभी पं0 दीन दयाल जी ने देखा था। आज जो आरोप हम पर लगाये जाते हैं, अगर हम अपने कश्मीर को अपने मुल्क का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं, वह कश्मीर जहां इतिहास के पन्नों में अगर हम झांकें तो हिन्दुस्तान की संस्कृति के हमें दर्शन होते हैं। हमारा क्या गुनाह है कि हमारे देश के दो ऐसे हिस्से जिन्हें हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में जानते हैं वह हमसे छीन लिये गये ? हमारा क्या गुनाह है ? आज अगर हम अपनी आने वाली नस्लों को इस देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहे हैं तो हमारे भाईयों को क्यों कष्ट होता है ? मेरे भाईयों, यह हिन्दुस्तान जहां विश्वास, यह हिन्दुस्तान जहां के लोगों ने आगे बढ़कर पूरी दुनिया के लिए शान्ति के दूत यत्र-तत्र भेजे, आज उस हिन्दुस्तान की मजबूती के लिए इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्य मंत्री निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। वह प्रयास लोगों को पच नहीं रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ यह वही क्षेत्र है जहां दो इंच जमीन के लिये गोलियां चलती थीं। मैंने अभी विश्वास की चर्चा की और यह सरकार के प्रति किसानों का विश्वास ही है कि जेवर एयरपोर्ट का इतना बड़ा अधिग्रहण जिसे इतिहास में दर्ज किया जायेगा

वहां एक डण्डा नहीं चला। ये नजरिया है जो वर्ष 2017 के बाद से बदला है, ये वह नजरिया है जहां इस प्रदेश का किसान अपने आने वाली नस्लों के भविष्य के लिए अपनी जमीनों को विकास के लिए दे रहा है। यह सोच परिवर्तित हुई है। अगर परिवर्तन से किसी को दिक्कत है तो मैं समझता हूँ कि सही मायने में उसे अपने जेहन को परिवर्तित कर लेना चाहिए। हम लोग उस रास्ते पर चलें जिसका सपना हम वर्षों से देख रहे हैं। लगभग सभी मुद्दों पर मेरे बहुत सारे साथी चर्चा कर चुके हैं तो मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहूंगा। जनता ने हमें चुना है इसलिए मैं आपकी अनुमति से अपने क्षेत्र की एक-दो बातें आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में किसानों ने विकास के लिए अपनी जमीनें दी हैं। मैं सरकार से चाहता हूँ कि पुरानी सरकारों ने जो पाप किये थे वह पाप थे सी0ए0जी0 के ऑडिट में 30 हजार करोड़ रुपये का घोटाला नोएडा प्राधिकरण में निकला। ये उन गरीब, गरीब किसानों की बात करते हैं, जिन्हें, इन्होंने माध्यम बनाया, उन घोटालों का, जिन्हें हम अपना अन्नदाता कहते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे जिले की जो लम्बित समस्यायें इन लोगों ने पैदा की हैं उनका निपटारा मेरी सरकार करे, इनके बिल्डरों ने बायर्स को जिस तरीके से उलझाया है, उन बायर्स की समस्याओं का समाधान मेरी सरकार करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कैलाश नाथ-

धन्यवाद मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के द्वारा सदन में दिये गये भाषण के सम्बन्ध में डॉ0 मन्जू शिवाच जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर हमारे बहुत ही विद्वान वक्ता डॉ0 साकेन्द्र प्रताप जी द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने का मुझे अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोरोना के इस विश्वव्यापी संकट के काल में जब विश्व में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई थी, उस परिस्थिति में विधान सभा का चुनाव सकुशल सम्पन्न कराने में चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे हमारे कर्मचारी हों, सभी ने महत्वपूर्ण योगदान देकर बहुत ही सकुशलता और निष्पक्षता के साथ चुनाव सम्पन्न कराया है, इन सभी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस चुनाव में जो हमारे विधायक जीत कर आये हैं उनको भी मैं बहुत-बहुत शुभकामनायें और धन्यवाद देता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, इस अवसर पर मेरा मन कहता है कि मैं अपने विपक्ष के नेताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करूं, क्योंकि पिछले कई चुनावों में देखा जाता रहा है कि जब भी चुनाव परिणाम आता है तो निश्चित रूप से इन लोगों के द्वारा ई0वी0एम0 को दोष देने का काम होता रहा है, बार-बार ई0वी0एम0 को कोसा गया है। मुझे लगता है कि यह पहला चुनाव परिणाम कि हमारे विपक्ष के मित्रों ने जो भी कहा हो लेकिन कम से कम ई0वी0एम0 को कोसने का काम इस बार नहीं किया है। इस सद्बुद्धि के लिए मैं विपक्ष के मित्रों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, दूसरी बार जनता का विश्वास अर्जित करना

चाहे विधायक के लिए हो, चाहे सरकार के लिए हो, बहुत ही टेढ़ी खीर होता है। निश्चित रूप से योगी सरकार ने अपने अच्छे कार्यों के कारण जनता का अभूतपूर्व विश्वास अर्जित किया है। जिस प्रकार से चुनाव के समय विपक्ष के लोगों के द्वारा एक आडम्बर बनाने का काम किया गया, एक वातावरण बनाने का काम किया गया, उन सारे वातावरणों को नकारते हुए प्रदेश की जनता ने जो विश्वास और आशीर्वाद हमारी भाजपा सरकार को दिया है, उसके लिए निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी कार्य कराये गये हैं, इनका ही परिणाम है कि आज हम सत्ता में बैठे हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान उस कोरोना महामारी की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ जब चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, लगता था कि हम लोग जीवित बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे ? उस परिस्थिति में मोदी जी और योगी जी की प्रेरणा से हमारे प्रशासन के कर्मचारी जो कोरोना योद्धा बनकर अग्रिम पंक्ति पर खड़े होकर बाहर से आने वाले प्रवासी भाइयों को बचाने में, उनके लिए व्यवस्था देने में, कोरोना के मरीजों को, चाहे हमारे चिकित्सा कर्मी हों, चाहे हमारे सफाई कर्मी हों, चाहे हमारे अध्यापक हों, इन लोगों ने जिस तत्परता और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोरोना का मुकाबला किया और योगी जी का जो कुशल प्रबन्धन था उसकी सराहना न केवल उत्तर प्रदेश के बाहर हुई अपितु पाकिस्तान जो मेरा दुश्मन देश है उसने भी हमारे योगी जी की कुशल प्रबन्धन नीति की सराहना की। माननीय अध्यक्ष जी, यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि डब्लू0एच0ओ0 जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था है, उसने भी योगी जी के कुशल प्रबन्धन की सराहना की। हम आपका ध्यान आकृष्ट करना करना चाहेंगे कि जब कोरोना की बीमारी आई, कोरोना का किसी ने नाम भी नहीं सुना रहा होगा, कोरोना नाम की जब नई बीमारी आई तो हमारे प्रदेश में, देश में कोई जांच के उपकरण नहीं थे, कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थाएं नहीं थीं लेकिन योगी जी को मैं नमन करना चाहता हूँ कि उस कोरोना काल में स्वयं भी संक्रमित होते हुए जिस दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस के साथ उन्होंने कोरोना का सामना किया वह अपने आप में अनुकरणीय है।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति में योगी जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, अभूतपूर्व सुधार हुआ है। जो अपराधी देश और परदेश में आतंक के पर्याय माने जाते थे, ये योगी जी के डण्डे का प्रभाव है कि गले में तख्ती लगाकर और अपराध से तौबा करते हुए थाने पर आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, समय बीत रहा है इसलिए मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हरिहरगंज, ललिया बनकटुआ मार्ग यह हमारे विकास खण्ड मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है जो पिछले कार्यकाल में स्वीकृत भी हो गया था लेकिन अचानक आचार संहिता लग जाने के कारण उसका निर्माण नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ मथुरा बाजार में विद्युत उपकेन्द्र भी चुनाव के पूर्व स्वीकृत हो गया था लेकिन वह भी आचार संहिता की भेंट चढ़ गया और उसका भी

निर्माण नहीं हो पाया है। उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से अपनी लोक प्रिय सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अन्तिम बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देवीपाटन शक्ति पीठ जो हमारे तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित है वह राष्ट्रीय महत्व का तीर्थ स्थान है। 51 शक्ति पीठों में से एक है जहां बाहर से तीर्थ यात्री आते हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां बस अड्डा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर एक बस अड्डे का निर्माण करवायें। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर माननीय लाल जी वर्मा द्वारा दिये गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने जो भी लिखकर दिया माननीय राज्यपाल जी ने वह सुनाने का काम किया मगर वह सच नहीं है क्योंकि हम लोगों को बराबर सदन में रहने का मौका मिला है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि जब भी बजट पास होता है तो यह पता नहीं चलता है कि बजट कहां चला गया, किस मद में चला गया। आज बिजली की समस्या पूरे प्रदेश में खराब है। हमारे आजमगढ़ की स्थिति यह है कि गरीब आदमी अगर एक बल्ब जलाता है तो विजिलेन्स और बिजली विभाग के लोग वहां जाकर उस पर मुकदमा कायम करते हैं और उसका तार काट देते हैं। किसान परेशान है और युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। सरकार दावा करती है कि हमने नौकरियां दी हैं। सरकार आउट सोर्सिंग नौकरियों को गिनवाती है लेकिन आउट सोर्सिंग से कोई नौकरी नहीं होती है। वहां होता है नौकरी करने वालों का शोषण। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस प्रक्रिया को खत्म करना चाहिए। सरकार में अगर हिम्मत है तो वह सरकारी नौकरी देने का काम करे। आज स्थिति यह है कि जो लोग पढ़-लिखकर नौकरी खोज रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है वह आत्महत्या कर ले रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है। अस्पतालों में दवाई नहीं है। अगर कोई मरीज अस्पताल में जाता है तो अस्पताल वाले बाहर से दवाई लेने के लिए कह देते हैं लेकिन गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता है वह बाहर के किसी मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं ले पाता है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी आपसे यही मांग है कि अस्पतालों में पूरी दवा की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, कानून व्यवस्था के मामले में सभी लोग जानते हैं और हमारे मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हर जगह महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, यह सरकार मूकदर्शक बनकर बैठी है। आज तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है, इस सरकार में कानून व्यवस्था बहुत बदहाल स्थिति में चल रही है। नहरों-नदियों में पानी नहीं है और हमारी खुद की विधान सभा क्षेत्र में नदी में पानी बन्धा के नीचे है और नाली-नालों की स्थिति बहुत बदहाल अवस्था में है। मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सांसद थे तो उन्होंने अपनी निधि से पैसा दिया था कि जितने भी बड़े-बड़े पम्प लगाये

जायें कैसे भी करके पानी नदी में डाला जाये। लेकिन पैसा पड़ा हुआ है, फिर भी आज तक एस्टीमेट नहीं बन पाया है। अब बरसात आ गयी है तो फिर नालों की स्थिति बदहाल हो जाएगी। हम आपसे यही कहना चाहते हैं जो सांसद निधि का पैसा गया हुआ है, उसका उपयोग करके पानी नदी में पहुंचाने का काम किया जाये क्योंकि सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है।

हमारे क्षेत्र में सड़कें टूटी हुई है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह सड़कें टूट गयी हैं और उसका एस्टीमेट बनकर आया है शासन में लेकिन मैं कई बार गया और मैंने व्यक्तिगत तौर पर कहा भी लेकिन सुनवाई नहीं हो पायी है। प्राक्कलन समिति का मैं सदस्य था। मैंने वहां मुद्दा भी उठाया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे क्षेत्र में नदी पर पुल की आवश्यकता है और प्रस्ताव भी दिया गया। हम आपसे यही मांग करते हैं कि पुल बनवाने की व्यवस्था की जाए। हमारे क्षेत्र में सात-आठ गांव हैं। बिजली सब-स्टेशन बहुत-बहुत दूर है। आपसे हमारी मांग है कि मनचोवा गांव में सब-स्टेशन बनाने की आवश्यकता है। आजमगढ़ शहर बाईपास दस किलोमीटर का है। वह क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसकी विशेष मरम्मत कराया जाये। शहर बाईपास पर आहूपट्टी मेरा खुद का गांव है, उसका मार्ग बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। उस पर इस्टीमेट बनकर शासन में आया है लेकिन शासन ने उसका पैसा देने का काम नहीं किया है। इस तरह से सारी सड़कें खराब पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी धन्यवाद।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

जो नये सदस्य आये हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी नौ बार के एम0एल0ए0 हैं। हम सब लोगों को इनका स्वागत करना चाहिए।

(मेजें थपथपायी गयीं)

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, इसीलिए आपसे समय मांग रहा हूँ। आजमगढ़ से दोहरी घाट मार्ग से लेकर जाने वाली सड़क खराब है। हम जानते हैं कि हम बोल रहे हैं लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है। कार्यवाही होगी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

आप चाहेंगे तो कार्यवाही हो जायेगी, ऐसा हमारा विश्वास है।

श्री अध्यक्ष-

कार्यवाही होगी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

आजमगढ़ दोहरीघाट उकरौरा से ककराका मार्ग खराब है। यह सारे मार्ग खराब हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछली बार हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने सारे विधायकों से सदन में कहा था कि आप लोग पांच-पांच करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेज दीजिए, हम पैसा देने का काम करेंगे। हम लोगों ने पांच करोड़ रुपये का प्रस्ताव अपने क्षेत्र का भिजवाया था लेकिन दुख की बात है कि विपक्ष के जो भी मा0 सदस्य हैं, उनको पैसा नहीं मिला, सत्ता पक्ष के विधायकों का काम हुआ है। इसलिए मैं संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ। आपसे अपेक्षा है कि आप आदेश करके हमारे क्षेत्रों का विकास करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल से मा0 सदस्य बोलेंगे। सुहेल देव पार्टी से कोई मा0 सदस्य बोलेंगे।

श्री जगदीश नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सदन में आया और मैं इसको ध्यान से पढ़ ही रहा था कि आपने मुझे पुकार लिया है। इसमें एक बात कही गयी है कि पूर्व की भांति मेरी सरकार प्रदेशवासियों को पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन एवं ईमानदार तथा संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। बात तो बहुत सही है। सरकार की नीयत पर मुझे सन्देह नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हँ कि जब से सरकार बनी है क्या इस प्रदेश में जनहित गारण्टी कानून लागू है जो आम आदमी के हित का है। क्या सूचना का अधिकार चल रहा है। क्या लोकायुक्त बनाये गये। हम कैसे मान लें कि पारदर्शिता हो रही है। जो सरकार चाहे वह सही है। इस पर विचार होना आवश्यक है। इस प्रदेश में जनहित गारण्टी कानून पूर्व की सरकारों में पूर्व में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में बनाया गया था। इससे आम आदमी को बड़ा लाभ मिलता लेकिन चूंकि यह कानून ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ होता था इसलिए इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी ने उसको ठण्डे बस्ते में रख दिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि इस कानून को लागू कराया जाये। दूसरी, किसानों की समस्या है। हम लोग भी गांव से जुड़े हैं, किसान हैं। किसानों का उत्पाद घट रहा है, दवा का, खाद का दाम बढ़ गया है। किसानों को शुद्ध बीज नहीं मिलता है। कृषि विज्ञान केन्द्र की भी बात आयी है। मैंने अपने यहां पता किया। फैजाबाद, जौनपुर में जो कृषि विज्ञान केन्द्र बने हैं वहां कोई शुद्ध बीज आज तक नहीं मिला है। बीज जाता भी है तो बहुत कम जाता है। वह गरीब किसानों में प्रदर्शन करने के लिए होता है। ऐसी स्थिति में किसानों का

उत्पाद कैसे बढ़े, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी की बात, हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। बहुत से लोग मुम्बई और बाहर काम करते हैं। कोरोना काल के बाद बहुत से लोग वहां से काम छोड़कर या कम्पनी बन्द होने के बाद काम छोड़कर हमारे क्षेत्र में ही कम से कम 10 हजार लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। उनको कोई रोजगार नहीं है।

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे जनपद में कम-से-कम 10 हजार पुराने लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिला है। आपकी सरकार ने कहा कि 'एक जिला, एक उत्पाद'। आज तक हमको यह देखने को नहीं मिला है और मैं अपने जनपद की गारण्टी ले सकता हूँ कि आपने जो 'एक जिला, एक उत्पाद' दिया था, उसके लिए क्या किया है। वहां पर कोई मिल नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई नया उद्योग नहीं लगा है, कोई लघु उद्योग नहीं लगा है, फिर रोजगार मिला कहां से है ? यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक आंकड़ा है। इस पर हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। हम सभी लोग यहां पर आम आदमी का हित करने के लिए बैठे हैं, आंकड़ों की जादूगरी के लिए नहीं बैठे हैं। सरकार चाहे इधर की हो, चाहे उधर की हो। सबका काम है, आम आदमी का हित। कानून-व्यवस्था के नाम पर गरीब आदमी को परेशान किया जाता है, गरीब आदमी को थानों पर बैठा लिया जाता है, उससे सौदेबाजी की जा रही है। मा0 मुख्य मंत्री जी भी बड़े जोर से कहते हैं कि कानून-व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहां पर बैठे हुए मा0 सदस्य भी कह रहे हैं लेकिन आम आदमी को न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। आज थानों पर एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जाती है, पैसा मांगा जाता है। कानून-गो एवं लेखपाल खेत की नपाई करने के लिए किसानों से पैसा लेते हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार आम आदमी से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, इस अभिभाषण में आयुष्मान कार्ड की बात कही गयी है लेकिन उस कार्ड से इलाज कितना होता है। जब कोई गरीब आदमी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाता है तो जो बहुत कम पैसे का इलाज होता है, उसको करते हैं और पूरा पैसा निकाल लेते है। और किसी भी बड़ी बीमारी पर आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज नहीं होता है। मा0 मुख्य मंत्री जी को इसकी अच्छी तरह जानकारी होगी कि हम लोग लिखकर भेजते हैं कि 5 लाख, 10 लाख रुपया बड़ी बीमारियों का सेंक्शन कराया जाता है। अगर आयुष्मान कार्ड का सदुपयोग हो और डॉक्टरों पर रोक लगे तो जो 5 लाख रुपये तक का इलाज है उसको आयुष्मान कार्ड द्वारा किया जाये जिससे गरीब आदमी अपनी बहुत-सी समस्याओं का समाधान कर लेगा। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

मेरे क्षेत्र में एक ट्रॉमा सेण्टर है, मैंने उसको अपने पूर्व के कार्यकाल में बनाया है। लेकिन वह आज तक पूर्ण क्षमता से नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य की बात की जा रही है। हमारे जनपद में एक मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा खुलवाया गया था। उस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो गया, उस पर बड़ी-बड़ी होर्डिंग लग गयी, बड़ा-बड़ा नाम आ गया। इस सदन में हमारे जनपद के तमाम मा0 विधायकगण बैठे हैं,

लेकिन वह मेडिकल कॉलेज सुचारु रूप से काम नहीं कर पा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उस मेडिकल कॉलेज को चलाया जाये और सरकार चाहे कितना भी कॉलेज की बात करे, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज को देख ले। हमारा जनपद बनारस, आजमगढ़ एवं इलाहाबाद के बीच में पड़ता है। आज गरीब लोग इलाज के लिए बनारस भागते हैं, अगर वह मेडिकल कॉलेज सुचारु रूप से चलने लगेगा तो बहुत सुविधा होगी। जनपद जौनपुर में पूर्व की सरकार में एक ऑडिटोरियम स्वीकृत किया गया था लेकिन आज तक उसका अता-पता नहीं है। हमारे जनपद में एक सेन्ट्रल स्कूल दिया गया था लेकिन उसका भी आज तक अता-पता नहीं है। सब कागज पर होता है। वहां पर सर्किट हाउस बनाने की बात की गयी थी, उसके लिए जमीन भी ले ली गयी थी उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने शुरू किया था और इस सरकार ने आगे बढ़ाया लेकिन वह जमीन पर नहीं आ रहा है।

मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जमीनी हकीकत कुछ और है और यहां पर जो बात कही जाती है वह कुछ और है। इस फर्क को दूर करने के लिए प्रशासन तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, प्रशासन को जवाबदेह बनाना पड़ेगा, जो जनहित से जुड़े कानून हैं, उनको प्रभावी बनाना पड़ेगा और निश्चित रूप से जब तक यह नहीं होगा, हम यहां पर बैठकर आरोप-प्रत्यारोप करते रहेंगे और आम आदमी पिसता रहेगा और इस प्रदेश का विकास कभी नहीं होगा और प्रदेश कभी-भी विकसित नहीं होगा, गरीबी रेखा बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के आधार पर एक मा0 सदस्य बोल रहे थे कि इतने प्रतिशत बेरोजगारी कम हुई है। यह फर्जी आंकड़े हैं, आज तक कोई गणना नहीं हुई है, आज तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि कितने लोग बेरोजगार हैं और वह कहां हैं। इसकी एक गणना होनी चाहिए। मेरा समय समाप्त हो गया और मैं अनुशासन में हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सौरभ श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष जी, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं भोले बाबा की नगरी काशी से चुना गया हूँ। मेरा जन्म एक राजनीतिक एवं सामाजिक परिवार में हुआ है और मैंने होश संभालने के बाद से ही वर्षों तक कई सरकारों को काम करते हुए देखा है। मुझे यह कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है कि इन सभी सरकारों में, इस समय केन्द्र और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार जैसा काम कर रही है, ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ है। महोदय, वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार प्रदेश में बनने से पहले 15 वर्षों तक प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार थी और इस दौरान केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। इस कालखण्ड में उत्तर प्रदेश किस हाल में था, यह यहां बैठे किसी सदस्य से छिपा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों में गड्ढे पाये नहीं जाते थे, बल्कि गड्ढों के बीच कहीं-कहीं सड़कें मिल जाती थीं। बिजली तो कभी जाती ही नहीं थी, बल्कि कभी-कभी चली आती थी। शिक्षा के हमारे

मन्दिर कहे जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों में टीचर्स का पता नहीं होता था, फर्नीचर नहीं होते थे, एक-एक क्लास में चार-चार क्लास के बच्चे बैठकर पढ़ाई करते थे। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर न डॉक्टर होते थे, न दवाएं होती थीं। ये तो भाग्य खुला काशी का और मैं काशी से ही हूँ, भोले बाबा की नगरी है, काशी की जनता ने सांसद के स्थान पर सीधे प्रधानमंत्री चुना। लेकिन प्रदेश की सपा की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ जनता तक तीन साल तक पहुंचने नहीं दिया। फिर जनता का पुनः आशीर्वाद मिला और वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार बनी और यह डबल इंजन की सरकार रात-दिन जनता के लिए काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश जिसकी गिनती बीमारू राज्य में होने लगी थी, आज हर पैमाने पर पहले व दूसरे नम्बर पर पहुंच गया है। इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की केन्द्र सरकार को एवं आदरणीय योगी जी की प्रदेश सरकार को जाता है। पांच वर्षों में हर क्षेत्र में इस सरकार ने काम किया। सबसे बड़ा काम जो इस सरकार ने किया वह प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम किया। 15 वर्षों में सपा-बसपा के कार्यकाल में सारे उद्योग-धन्धे यहां से भाग गये थे, कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार नहीं था। योगी जी ने अपराध खत्म किये, भ्रष्टाचार खत्म किया, प्रदेश में कानून का राज लेकर आए और उसी का परिणाम हुआ कि कम्पनियां उद्योग-धन्धे यहां पर ला रही हैं, व्यापार आ रहा है और इन्हीं उद्योग-धन्धों एवं व्यापार से रोजगार का सृजन हो रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में बुरा हाल था, प्राथमिक विद्यालयों में भवन ही नहीं थे, योगी जी की सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति ठीक की। माध्यमिक विद्यालयों को ठीक किया। आज बच्चों को, जिनके हाथों में देश एवं प्रदेश का भविष्य है, उनके भविष्य को मजबूत करने का काम इस सरकार ने किया है। रोजगार ठीक किया, उद्योग-धन्धे लाए, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, पूरे प्रदेश का विकास किया और सड़कों का जाल बिछाया। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए, उन्नत सड़कों की आवश्यकता होती है, वह भी उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं आईं, जनधन योजना आई, उज्ज्वला योजना आई, उन योजनाओं को समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। योजनाएं तो हर सरकार बनाती है लेकिन उन योजनाओं का लाभ कभी समाज के अन्तिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता था। आपको याद होगा एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूँ तो नीचे तक आते-आते 15 पैसा बचता है। यह 85 पैसा बीच में कमाने वाले जो बिचौलिये दलाल थे, इनकी सेवा समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके एक-एक योजना का लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम इस सरकार ने करके दिखाया। पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार किया और अन्त्योदय को सही मायने में अगर किसी सरकार ने परिभाषित करके दिखाया तो योगी जी की भाजपा सरकार ने करके दिखाया। आज उत्तर प्रदेश की सरकार की गाड़ी विकास के पथ पर

सरपट दौड़ रही है और हमारा प्रदेश देश के सबसे विकसित प्रदेशों में आ गया है। मैं काशी से चुना गया हूँ, दो बातें काशी के बारे में कहना चाहूंगा, मान्यवर, 15 वर्षों तक सपा-बसपा की सरकार प्रदेश में रही लेकिन काशी की जनता ने इस दौरान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जनसेवकों को आशीर्वाद दिया। सांसद भाजपा के, विधायक भाजपा के, मेयर भाजपा के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकिन सपा-बसपा की सरकारों की नियत ऐसी नहीं थी। इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया और काशी की जनता से तो निरन्तर 15 वर्षों तक अपनी हार का बदला लिया। काशी में कोई बड़ी परियोजना आने नहीं दी, अगर आ भी गयी तो उसकी फण्डिंग स्लो की गयी, उसका काम रोका गया। आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भोले बाबा की नगरी, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी 'काशी' का जो विकास हुआ है, वह हम सब की जानकारी में है।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद।

श्री सौरभ श्रीवास्तव-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में चौरासी घाट है माँ गंगा के तट पर, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मेरे विधान सभा क्षेत्र का अस्सी घाट से सन्त रविदास घाट और सन्त रविदास घाट के सामने घाट तक का कच्चा है। कटान की वजह से विधायक निधि से बनी कई सड़कें भी माँ गंगा में समा चुकी हैं, अब यदि यह कटान आगे हुआ तो आवासीय मोहल्ले कटान की जद में आ चुके हैं। इसलिए यहां पर एक घाट का बन जाना बड़ा आवश्यक है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पूरे विकास की कड़ी में इस घाट को भी जोड़ दिया जाये। मेरा सौभाग्य है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का पैतृक आवास रामनगर भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, उनके नाम पर शास्त्री घाट बना दिया जाये। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राजेश त्रिपाठी-

अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर उनके समर्थन में माननीय विधायक डॉ0 मन्जू शिवाच ने जो समर्थन प्रस्ताव दिया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं कई बातें सुन रहा था, अपने सत्ता दल से लेकर और अन्य साथी भी कह रहे थे कि 37 साल बाद कोई सरकार दोबारा लौटी है। मैं थोड़ा और पीछे चला गया। भारत का संविधान जब लागू हुआ और भारत का संविधान लागू होने के बाद 5 वर्ष तक कोई मुख्य मंत्री रहा हो और दोबारा वह सरकार में आया हो, यह आजाद भारत के संविधान लागू होने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार आयी है, जो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा लौटी है और ऐसा जनता ने क्यों किया होगा ? मा0 अध्यक्ष जी, इसलिए किया क्योंकि जनता को लगा कि दिल्ली में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री आदरणीय योगी जी हैं, ये दोनों लोग जिस रूप में कार्य कर रहे हैं,

निश्चित रूप से इन दोनों में महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की झलक उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। इस नाते उन्हें लगा, इन्हें वापस इसलिए लाना चाहिए क्योंकि यही वह लोग हैं, जो सदियों से सनातन संस्कृति को जिसके स्वाभिमान को पददलित किया गया था, रौंदा गया था, उस सनातन संस्कृति के स्वाभिमान को राणा प्रताप जी और शिवाजी की तरह से एक चट्टान की तरह खींच करके वापस सनातन संस्कृति के उसका महिमा-मण्डन कर रहे हैं, इस नाते जनता को लगा कि जो हमारी आध्यात्मिक थाती को सींच रहा है, जो गरीबों के, पं0 दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार कर रहा है, अन्त्योदय कर रहा है, हमें उसको लाना ही होगा और इसी नाते विपक्ष के सारे हथकण्डों को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने आदरणीय योगी जी को दोबार मुख्य मंत्री बना दिया और हम सब आज यहां सदन में बैठे हैं।

महामहिम राज्यपाल जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि यह जो 05 साल का समय है, यह विकास की नींव रखी गयी है और यह 5 साल की जो विकास की नींव है, अगले 5 वर्ष में एक विकास का शानदार महल खड़ा होगा। मैं इस बात से सहमत हूँ, गरीबों के आंसू पोंछने का जिस तरह से कार्य किया गया है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वह झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला किसान हो, चाहे वह मजबूत किसान हो, जिसके पास बड़ी खेती हो, चाहे कोई बीमार व्यक्ति हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह हिन्दू हो, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, समाज के हर वर्ग को साथ ले करके, समाज के हर तबके के लिए जिस तरीके से योगी सरकार ने कार्य किया है, निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल जी की इस बात का कथन सत्य है कि आने वाले 5 वर्षों में एक जानदार और विकसित उत्तम प्रदेश बन करके दिखायी देगा। निश्चित रूप से मुझे इस बात की सन्तुष्टि है, मैं यह बात कह सकता हूँ कि लोग कहते हैं कि योगी जी की भाजपा की सरकार ने क्या-क्या किया है। हमारे मा0 विधायक साथी ने जिक्र किया आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि कुछ दिखाई नहीं देता। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि पांच साल में पांच लाख लोगों को जो सरकारी नौकरियां दी गईं, वह पांच लाख नौकरियां आपको नजर क्यों नहीं आतीं।

मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आजमगढ़ जनपद को ही अगर ले लिया जाए तो पुलिस विभाग से ले करके शिक्षा विभाग और तमाम ऐसे विभाग हैं जहां आउटसोर्सिंग पर नहीं, सीधे आयोग से भर्तियां की गई हैं। यह पांच लाख नौकरियां निश्चित रूप से वह हैं जो सपा और बसपा के हालांकि मैं भी एक सरकार में रहा हूँ इसके बाद भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि इन दस वर्षों में इतनी नौकरियां दी गई होंगी योगी सरकार ने इन पांच वर्षों में उससे ज्यादा सरकारी नौकरी दिया है। 56 लाख निजी क्षेत्रों में नौकरी दिया है। करीब एक करोड़ के आस-पास गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। निश्चित रूप से यह जो कार्य हुआ है, यह उत्तर प्रदेश के युवाओं को मजबूत किया गया है। उनके भविष्य को मजबूत दिशा दी गई है। इतना ही नहीं, जब बात लोगों की जान पर बन आई तो हमारे मुख्य

मंत्री अपनी जान पर खेलकर उत्तर प्रदेश के एक-एक जनपद में गांव-गांव दौड़ा कर रहे थे। हम जैसे लोग भी जब कोरोना से पीड़ित थे तो एक महीना बिस्तर छोड़ नहीं पाये थे। लोग घरों में दुबके पड़े हुए थे और हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी लोगों की सुध ले रहे थे। नेतृत्व इसे कहते हैं कि वह भीषण परिस्थिति में भी अपने लोगों का नेतृत्व करे और ऐसा आदरणीय योगी जी ने किया। चाहे किसानों का मामला हो, चाहे उनके कर्ज माफी का मामला हो या गेहूं और खरीफ के दाम बढ़ाने का मामला हो। किसानों और महिलाओं से लेकर प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। एक्सप्रेस-वे से लेकर बुन्देलखण्ड से जाने वाली गंगा एक्सप्रेस-वे यह सारी चीजें बताती हैं कि समाज के चौतरफा विकास के लिए हमारे नेता ने काम किया है और आने वाला वक्त न सिर्फ पांच साल, बल्कि कई पंच दशक ऐसे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल होने जा रहा है।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, आपने मुझे मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है। मैं अभिभाषण का पहला ही पेज पढ़ रहा था तो इसमें लिखा था कि मेरी सरकार के द्वारा दूरदर्शी योजनाएं तैयार की जाती हैं, मुझे लगा कि सचमुच इतनी दूर हैं कि हम लोगों को उन योजनाओं के दर्शन नहीं हो पा रहे, अगर इतनी दूरदर्शी योजनाओं को देखने की कोई दूरबीन आती हो तो दूरबीन लेने को हम भी तैयार हैं। यह जो अभिभाषण है, उसका वास्तविक और व्यवहारिक जीवन से कोई वास्ता नहीं है। प्रमुख रूप से अभिभाषण में केन्द्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया गया है इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना आदि का उल्लेख है। जबकि इतना महंगा सिलेण्डर और इतनी महंगी बिजली है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। सरकार में बड़े दावे बेरोजगारी दूर करने के लिए हैं। आंकड़े देख रहे थे और हमारे पहले के साथी बोल रहे थे कि सरकार के आंकड़े के हिसाब से एक करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में 60 लाख को स्वरोजगार से जोड़ा गया है और साढ़े चार लाख सरकारी नौकरियों से भी जोड़ा गया है जबकि इस आंकड़े को सवा दो करोड़ को चार सौ तीन विधान सभा से भाग देंगे तो एक विधान सभा में 56 हजार नौकरी सरकार दे चुकी है, ऐसा दावा करती है। अगर साहब इतनी नौकरी मिल गई होती तो कोई बेरोजगार बचा नहीं होता। कृपा करके अपने आंकड़ों की जांच दोबारा करा लें या इनकी कोई पुख्ता रिपोर्ट हो तो हम लोगों को उपलब्ध कराने का काम करें ताकि हम लोग भी उनको दे सकें। जो सी0एम0आई0 का आंकड़ा है, बेरोजगारी का जिस सर्वे का उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार बेरोजगारी महामारी का रूप धारण कर चुकी है और 9 प्रतिशत से अधिक बेरोजगारी का आंकड़ा छू चुकी है।

बड़े-बड़े दावे कानून व्यवस्था को लेकर किये जाते हैं। स्थितियां यह हैं कि थाने के अन्दर हत्याएं हो रही हैं। हमारे यहां एक महिला को पकड़ करके लाया गया और उसका कोई अपराध नहीं उसकी बेटी का भी अपराध नहीं, एक चोरी का मुकदमा था और महिला को रात

में महिला आश्रम में रखा गया और वह वहां आत्महत्या कर लेती है। पता नहीं थाने में आत्महत्याएं हो रही हैं कि हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार और लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। इस बात का तमगा जरूर मिला है, क्योंकि जो एन0सी0आर0बी0 का डेटा और महिला आयोग का डेटा है, उसके हिसाब से महिला सम्बन्धित अपराध, बाल अपराध, लैंगिक अपराध में उत्तर प्रदेश की गणना प्रथम राज्य के रूप में होने लगी है। एक जगह पर कृषि विश्वविद्यालय से सम्बन्धित लखीमपुर कॉलेज का जिक्र किया गया है। असलियत यह है कि इस कॉलेज का शिलान्यास हमारी समाजवादी सरकार में हुआ था और मा0 मुख्य मंत्री जी ने लोकार्पण तो किया, बच्चों के एडमिशन तो हुए, फीस तो ली गई, लेकिन आज तक लखीमपुर खीरी के कृषि महाविद्यालय, इटावा के मत्स्य महाविद्यालय और दुग्ध पशु महाविद्यालय में एक भी नियमित भर्ती नहीं की गई। एक जनपद, एक उत्पाद योजना न जाने कहां है, सरकार के पांच साल हो गए। हम कानपुर महानगर से आते हैं, हमारे यहां चर्म उद्योग को ओ0डी0ओ0पी0 में लिया गया, लेकिन असलियत यह है कि चर्म उद्योग से सम्बन्धित टेनरीज को भगाने के लिए जो भी साजिश सम्भव है, उनको करने का काम सरकार लगातार कर रही है। कानपुर का एक्सपोर्ट का आंकड़ा घटा है, यहां तक कि जो आपने अपने अभिभाषण में एक्सपोर्ट का आंकड़ा दिया है, 88 हजार करोड़ से बढ़कर 01 लाख 56 हजार करोड़ पंच साल में हुआ है, इसे पांच साल में दोगुने से ज्यादा होना चाहिए था। आपका बजट कितना गुना हो गया, चार गुना बजट हो गया, लेकिन एक्सपोर्ट का आंकड़ा दोगुना भी नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं न कहीं हम लोग एक्सपोर्ट के मामले में भी पीछे जा रहे हैं। बिजली की बात हो रही है।

कहां तो तय था चिराग हर घर के लिए,

कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।

हम लोग जिस शहर से आते हैं। अध्यक्ष जी, सौभाग्य है हमारा कि आप भी उसी शहर से आते हैं। जिस कांस्टीट्युएंसी को हम रिप्रजेण्ट कर रहे हैं, कभी उसका हिस्सा आपकी कांस्टीट्युएंसी में होता था। आज चाहे वह बिजली का मामला हो, चाहे पेयजल का मामला हो, चाहे सीवर का मामला हो, लेकिन आज भी हम स्मार्ट सिटी कानपुर के रहने वाले लोग मौलिक आवश्यकताओं से भी बहुत दूर हैं। आज रात-रात भर बिजली नहीं आ रही है। आज हम लोगों के पास आने वाले आधे टेलीफोन कॉल पीने के पानी की कमी को ले करके हैं, उसके लीकेज को ले करके हैं, गंगा बैराज की बाधित पेयजल आपूर्ति को ले करके हैं। न जाने कहां के दावे किये जा रहे हैं कि हम हर घर में नल से पानी पहुंचा देंगे। अभी तो जो पुरानी पाइप लाइनें पड़ी हुई हैं पिछले 10-15 सालों में, वे लाइनें भी आज तक ठीक नहीं हो सकी हैं और उनसे पानी नहीं पहुंचा है। शहरी पथ विक्रेताओं के बड़े-बड़े दावे किये गये, उनको लोन देने के दावे किये गये हैं। लेकिन साहब असली स्थिति यह है कि उनसे ज्यादा दबा-कुचला वर्ग और कोई नहीं है, उनको चाहे पुलिस का सिपाही मार ले, चाहे नगर निगम का अधिकारी आकर

उनको मारना शुरू कर दे। जो आता है, उनका शोषण करके चला जाता है। जब चाहता है, जहां से चाहता है, भगा देता है। उनके खड़े होने तक की कोई व्यवस्था आज तक इस सरकार ने नहीं की, लेकिन ये वे गरीब लोग हैं कि-

जो न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जनते हैं,

जो भूखे पेट हैं, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं।

अभी यहां चिकित्सा व्यवस्था की खूब बातें हो रही हैं, लेकिन साहब हमारे यहां तो अस्पतालों में फिक्स रेट है। आपरेशन कराना है तो 8000 रुपए, हड्डी का आपरेशन है तो 16000 रुपए। स्थिति यह है कि बगैर पैसे के कोई आपरेशन कोई भी करा नहीं सकता, चाहे वह हमारी-आपकी चिट्ठी लेकर जाये, चाहे फोन कराके जाये। यहां तक कि डॉक्टर इतने ढीठ हो गये हैं कि अगर हम लोग फोन भी करते हैं तो बताते हैं कि साहब आप तो जानते हैं कि दवाएं नहीं हैं, आप बताइए हम आपरेशन कैसे करें ? ऐसा करके आज डॉक्टर हम लोगों को भी मुंह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज आज केवल रेफरल सेण्टर बनकर रह गये हैं, वहां आने वाले ज्यादातर मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम्स में वहीं के डॉक्टर रेफर करते हैं और फिर उन्हीं नर्सिंग होम्स में जा करके उन मरीजों को देखने का काम करते हैं। चूंकि समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें कहते हुए यह चाहता हूँ कि उनको इस अभिभाषण में संशोधन करके जोड़ दिया जाये कि विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर में एक धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम हेतु एक भव्य महोत्सव पण्डाल बनाया जाये। जाम की समस्या से निपटने के लिए एलिवेटेड रोड बनाई जाये। नगर निगम द्वारा पूर्व में संचालित धनकुट्टी अस्पताल का नव निर्माण कराया जाये। शिवाला के चूड़ी मार्केट को अत्याधुनिक बनाया जाये। इन्हीं बातों के साथ कि-

यहां तक आते-आते सूख जाती हैं नदियां,

मुझे मालूम है, पानी कहां ठहरा हुआ है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बम्बा लाल-

मा0 अध्यक्ष जी, आज महामहिम मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में गरीब जनता, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ सम्मानित जनता को सम्मान देने की बात हुई है और गरीब के घर तक सरकार की कल्याणकारी योजना चाहे वह प्रधानमंत्री आवास की योजना हो जिसके माध्यम से पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा 42 लाख गरीबों को छत देने का काम हो, उसके साथ-साथ आपने देखा कि स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से घर-घर को इज्जत घर देने का काम हमारी सरकार ने किया। जैसा कि हमारे कई साथियों ने बताया चाहे वह आयुष्मान भारत का कार्ड हो जिसके द्वारा हमारी सरकार ने गरीब

के घर में कोई विपत्ति आने पर 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज देने का काम किया। यही बात सौभाग्य योजना की अगर करें तो उत्तर प्रदेश के हजारों ऐसे गांव हुआ करते थे, जहां के मजरों तक बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, इस सूबे के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गांव-गांव तक बिजली भी पहुंचाने का काम किया और उसके साथ-साथ आपने देखा कि सौभाग्य योजना के माध्यम से 1 करोड़ 47 लाख बिजली के मुफ्त में कनेक्शन देने का काम सरकार ने किया। आपने देखा जहां बिजली पिछली सरकारों में नहीं आती थी, परन्तु इस बार 5 वर्ष की सरकार में जिला मुख्यालय पर 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय पर 22 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे बिजली देने का काम किया गया। अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो मैं बताना चाहूंगा कि बिजली का बिल इसलिए आ रहा है, क्योंकि आपकी सरकार में तो बिजली आती नहीं थी, परन्तु अब जब बिजली आ रही है तो बिल भी आयेगा।

मान्यवर, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, चाहे गन्ना भुगतान की बात करें और चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, इसमें यदि हम गन्ने के भुगतान की बात करें तो पिछली सरकार में मात्र 77500 करोड़ रुपये का भुगतान पिछले 5 वर्षों में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व की सरकार में गन्ना किसानों का 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया जो पिछली सरकार के सापेक्ष 95 हजार करोड़ ज्यादा है। इससे अधिक भुगतान करने के काम के साथ-साथ 119 चीनी मिलों को संचालित किया जा रहा है, यह भी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। आपने देखा कि इस सरकार में जिस तरह नहरों की सफाई पर काम किया गया, पिछली सरकार में जो वर्ष 2012 से 2017 तक थी, उनमें कागज पर जरूर सफाई हुआ करती थी, लेकिन योगी जी के नेतृत्व की पूरी सरकार जो 2017 से 2022 तक थी उसमें नहरों की सफाई भी हुई और नहरों के पानी को टेल तक पहुंचाने का काम भी किया गया। मान्यवर, टेल तक ही नहीं, हम तो कहते हैं कि जिस तरह से नहरों की सफाई हुई है, उसमें पानी को खेत तक पहुंचाने का काम योगी जी की सरकार करेगी। आपने देखा कि घर-घर जल और घर-घर नल का संकल्प जो हमारी सरकार ने लिया है कि वर्ष 2024 तक हम उत्तर प्रदेश के गांव के हर घर तक पेयजल देने का काम करेंगे। जैसा कि पहले भी बात हो रही थी कि पिछली सरकार में एक एक्सप्रेस-वे बनाया गया और इतना ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन वर्ष 2017 से 2022 तक की सरकार ने 5-5 एक्सप्रेस-वे बनाने का काम किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे चालू हो गया है। आपने देखा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे भी चल रहा है और उसके साथ-साथ गोरखपुर एक्सप्रेस-वे लिंक और गंगा एक्सप्रेस-वे जिसकी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, उसका भी अतिशीघ्र काम चालू हो जायेगा।

यहां तक कि 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज भी बन जायें, क्योंकि बहुत-सी ऐसी शिकायतें आया करती थीं कि हमारे सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 पर डॉक्टरों की कमी है,

लेकिन जब मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो हर जनपद से डॉक्टर आयेंगे और जब डॉक्टर आयेंगे तो उनकी कमी भी पूरी होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर योगी जी की सरकार जिसको लोग विकास और सुशासन की सरकार कहते थे, 2022 में फिर से 25 करोड़ जनता ने उनको विश्वास देने का काम किया। यहां के अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि दूरदर्शी योजनाओं के बारे में ऐसी कौन-सी दूरबीन है जिसके माध्यम से हम देखना चाहते हैं कि यह कौन-सी योजनाएं हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपका मन अगर ठीक हो तो सारी योजनाएं भी आपको दिखायी देंगी, क्योंकि गरीब के घर में खुशहाली आये, इसका चिन्तन हमारी सरकार ने किया है। गरीब के लिए चाहे आवास की बात हो तो गरीब को अगर छत मिल रही है, गरीब के घर में अगर खुशहाली आ रही है, गरीब का बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने जा रहा है और वो स्कूल जिसकी व्यवस्था आपने वर्ष 2012 से 2017 की सरकार में भी देखी थी। वहां प्राइमरी विद्यालय के भवन नहीं हुआ करते थे, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो स्कूल के कायाकल्प की व्यवस्था भी की गयी। स्कूल में बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, अध्यापक जो ड्यूटी पर नहीं आया करते थे वो समय पर ड्यूटी आयें और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करें, क्योंकि पिछली सरकारों में अगर 04 अध्यापक की ड्यूटी होती थी तो वो अल्टरनेट पर काम करते थे, 02 ड्यूटी करते थे, 02 छुट्टी मनाया करते थे, लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह सरकार काम कर रही है, 04 के 04 अध्यापकों को काम करना पड़ रहा है। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाले अध्यापक जो छुट्टी मनाया करते थे, आज उनको मालूम हो गया है कि योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें अगर हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे तो कहीं-न-कहीं सरकार हम पर भी आब्जेक्शन करेगी। आपने सरकारी नौकरी की बात की कि साढ़े चार लाख नौकरियां दिखायी नहीं पड़ रही हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले नौकरियां उन लोगों को मिलती थीं, जिनके पास पैसे हुआ करते थे इसलिए आपको दिखायी देती थीं, लेकिन आज नौकरी गरीब के बच्चे को उसकी प्रतिभा के हिसाब से मिली है। इसलिए आपको गरीब के बच्चे की नौकरी नहीं दिखायी दे रही है। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह सरकार पारदर्शी ढंग से चल रही है, साढ़े चार लाख नौकरियां दी हैं। मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में एक ग्रामीण यादव का परिवार था उनके 02 बच्चों को पुलिस की नौकरी मिली। मैंने पूछा 01 बच्चे की उम्र 05 साल ज्यादा है, दूसरे की 05 साल कम है, दोनों में आपने क्या पहले प्रयास नहीं किया था ? तो उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में हमसे 08 लाख रुपये मांगे गये थे, मैं दे नहीं पाया, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में मेरे दोनों बच्चों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया। मेरे दो के दो बच्चों को नौकरी मिल गयी इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ योगी जी की सरकार को। ये मन प्रसन्न हो गया कि जिस सरकार ने वाकई में यह संकल्प लिया है, चाहे वह अन्त्योदय का संकल्प हो, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को पूरा करने का संकल्प हो कि आखिरी

पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को जब तक आगे लाने का काम नहीं कर लेंगे, जब तक गरीब के घर में खुशहाली लाने का काम नहीं कर लेंगे तब तक हमारी सरकार संकल्प को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। मैं आपसे निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह सरकार के द्वारा इतने ढेर सारी कल्याणकारी योजनाओं पर काम चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार में अपने सारे मुद्दों पर काम के साथ-साथ विकास की धारा देखी गयी। हमने देखा कि 05 वर्षों में किस तरह सरकार ने काम किया है। बच्चों के स्कूल की ड्रेस, बच्चों के स्कूल के जूते, किताबें ये समय पर नहीं मिला करते थे, लेकिन आज उनके अभिभावकों के खाते में जो पैसा जा रहा है, सही समय पर वो लोग अच्छी ड्रेस और अच्छी किताबें खरीदकर अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। आज यहां तक कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं, वहां लोग बच्चों को भेजना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में जब अच्छी पढ़ाई हो रही है तो योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इस सरकार के साथ सभी लोग कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्रीमती इन्द्राणी देवी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीया राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय लालजी वर्मा जी के संशोधन प्रस्ताव पर मैं बोलना चाहती हूँ। मैं जनपद श्रावस्ती, भगवान बुद्ध की धरती से चुनकर आयी हूँ। हमारे जनपद के जिला हॉस्पिटल में जब वहां के ग्रामीण दवा लेने जाते हैं तो वहां के डॉक्टर उनको बाहर की दवा लिखते हैं वहां दवा की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही सही इलाज होता है और न ही वहां पर अच्छे डॉक्टर हैं। उनको श्रावस्ती से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया जाता है। ग्रामीणों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। इस बजट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि उनको सही इलाज मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही गयीं, बहुत-सी योजनायें बतायी गयीं, लेकिन आज किसान बिजली का संकट झेल रहा है। हमारे जनपद श्रावस्ती व भिनगा-289 क्षेत्र में मात्र 04 घण्टा बिजली रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, चाहे शहर के लोग हों या ग्रामीण के लोग हों, वह बहुत परेशान रहते हैं। पूर्व में सपा की जब सरकार थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जनपद श्रावस्ती को पर्यटन स्थल घोषित करके और 24 घण्टे बिजली देने का काम किया था। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है, इसमें 4 घण्टे भी बिजली नहीं मिल पाती है। विधान सभा में बहुत लम्बी-चौड़ी बातें आयीं।

मान्यवर, जनपद श्रावस्ती का भिनगा विधान सभा क्षेत्र नेपाल बार्डर की सीमा से जुड़ा हुआ है और वहां बहुत से पढ़े-लिखे नौजवान आत्महत्या की कगार पर हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है, न उनको कोई नौकरी दी गई है। हम चाहते हैं कि वहां कोई उद्योग या कोई फैक्ट्री

लगायी जाये, जिससे उन लोगों को रोजगार मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा की व्यवस्था में जैसे अभी बहुत-सी बातें आईं कि जनपद श्रावस्ती में बहुत विकास हुआ, लेकिन हम तो देखे हैं कि जनपद श्रावस्ती में कोई एक सरकारी बालिका इण्टर कॉलेज या डिग्री कॉलेज नहीं है। शिक्षा की स्थिति में हमारा भिनगा बहुत पिछड़ा एरिया है और बहुत अशिक्षित एरिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि वहां कोई सरकारी डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो जाये, जिससे बालिका और बालक पढ़ सकें और शिक्षा ले सकें। मान्यवर, हमारे क्षेत्र भिनगा में छुट्टा जानवरों का बड़ा प्रकोप रहता है। हमने देखा है कि कई महिलाओं और बुजुर्गों को छुट्टा जानवरों ने मार डाला है, जो गौ-शाला हैं उसमें भी वह नहीं रहते हैं और उनमें चारे की भी व्यवस्था सही नहीं होती है उसकी भी व्यवस्था कराई जाये, जिससे किसानों का भला हो सके। हमारा श्रावस्ती भिनगा-289 दो जंगलों से जुड़ा हुआ है, भिनगा का जंगल और बलरामपुर का जंगल, जो सेंच्युरी है। उन जंगलों के लिए कोई ऐसा प्रबन्ध कराया जाये, जैसे तार की घेराबन्दी हो जाये ताकि जंगल के जानवरों से किसानों की भूमि की बचत हो सके और उनकी फसल की बचत हो जाये।

मान्यवर, हमारा भिनगा विधान सभा असिंचित एरिया है, वहां किसानों को सही से पानी नहीं मिल पाता है। वहां ज्यादा से ज्यादा नलकूपों की व्यवस्था कराई जाये। हमारा भिनगा क्षेत्र नहरों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बजट में साइफन का कोई प्राविधान नहीं है, अगर साइफन नहीं बनता है तो माननीय अध्यक्ष जी, बरसात का समय है और बरसात के समय में कई गांव बहने के कगार पर होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे मांग करते हैं, हमारा सदर का भिनगा विधान सभा क्षेत्र है, वहां आवागमन की बड़ी असुविधा है। जब शहर में शाम को लोग निकलते हैं तो बड़ी भीड़ हो जाती है, लेकिन वहां कोई बाईपास नहीं है। अगर बाईपास हो जाये तो आवागमन की सुविधा सुचारु रूप से चल सके। हमारे क्षेत्र में बहुत से थारू जाति के लोग रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वहां बहुत बड़ी घटना हुई है। मोतीपुर कला नमसहा में 21 और 22 साल की लड़कियां कौशल विकास मिशन योजना के तहत लखनऊ आई थीं और उनको यहां ट्रेनिंग देकर मध्य प्रदेश भेजा गया, लेकिन वहां लड़कियां 6 महीने तक पैसा नहीं पाईं और वह अपने घर वापस श्रावस्ती आ रही थीं। रास्ते में मध्य प्रदेश में उनको ट्रेन से उतारकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया और उनकी हत्या की गई। मान्यवर, हम आपसे आशा करते हैं कि कौशल विकास मिशन से जुड़ी हुई जनपद श्रावस्ती और भिनगा में मोतीपुर गांव की जांच कराई जाये और वह कौन-सी ऐसी कम्पनी है, जिन्होंने तनख्वाह और भोजन न दिया हो और उनको मध्य प्रदेश से भगाने का काम किया हो। ऐसे बहुत से घोटाले हैं।

मान्यवर, बहुत-सी बातें आईं, लेकिन आज किसान भूखों मर रहा है। जैसा कि डबल इंजन की सरकार में कहा गया था कि किसान की आय दोगुनी होगी, लेकिन आज बरसात का महीना आ गया है, किसानों को खाद-बीज की बड़ी मुश्किलें हैं। उनके गेहूं और धान का जो

उत्पादन हुआ है, उसका उचित मूल्य नहीं मिला। अध्यक्ष जी, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, उनका उचित मूल्य देना चाहिए, जिससे वह अपनी खेती-किसानी आसानी से कर सकें। हम भिनगा विधान सभा क्षेत्र से हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं, वह टूटी हुई हैं। उनकी कोई मरम्मत नहीं हुई है, उन सड़कों की मरम्मत करायी जाये, जिससे आवागमन की सुविधा सुचारु रूप से चल सके। मान्यवर, बहुत-सी बातें आईं, लेकिन बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो नौजवान आज अपनी आत्महत्यायें कर रहे हैं, उनके लिए आप नौकरी की व्यवस्था करें या कोई उद्योग या फैक्ट्री लगाकर उनको रोजगार देने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

आपको धन्यवाद।

श्रीमती इन्द्राणी देवी-

मान्यवर, कोरोना काल में जो बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, वह पैदल चलते-चलते अपने घर पहुंचे तो उनके पांव में छाले पड़े। माननीय अध्यक्ष जी, उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के सभी लोगों ने उनकी व्यवस्था कराने का काम किया था, लेकिन मान्यवर, डबल इंजन की सरकार चल रही थी तब उन बच्चों को जो मजदूरी करने गये थे, उनको कोई संसाधन नहीं देकर उनको भगाने का कार्य किया गया था। मान्यवर, हमारा भिनगा विधान सभा क्षेत्र है और सिंचित इलाका है, और वहां का पानी बहुत दूषित पानी है। वहां पीने के लिए पानी की टंकी लगवाने की कृपा करें।

श्री अजय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब लोग अयोध्या को जानते हैं, काशी को जानते हैं, मथुरा को जानते हैं, चित्रकूट को जानते हैं, वैष्णो देवी को जानते हैं ऐसे तमाम सारे देश के जो धार्मिक स्थल हैं, उनको जानते हैं, लेकिन मैं ऐसी विधान सभा से आता हूँ, जो विधान सभा भगवान श्रीराम के जन्म का कारण है, पुत्रेष्ठ यज्ञ स्थली है। रुद्रयामल-शिव-पार्वती संवाद में भगवान शंकर ने कहा है-

मखस्थानं महत्पुण्यं यत्र पुण्या मनोरमा।
नदी वहति पापघ्नी भुक्तिमुक्ति प्रदायिका।।
यत्र राजा दशरथे हि शुधीमेघं चकार वै।
तेन पुण्य प्रभावेण जाता रामादयः सुताः।।
बम्हो भोजिता विप्राः गावोदत्ता विधानतः।
तत्र तीर्थानि सर्वाणि देवा सर्वे सवासवः।।

हमारा कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा सदन है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मघधाम मघौड़ा को नहीं जानते हैं, भगवान श्रीराम की पुत्रेष्ठ यज्ञ स्थली है और वहीं से कुछ दूर पर महादेवा है, जहां पर पुत्रेष्ठ यज्ञ करने से पहले महाराजा दशरथ ने शिव लिंग की स्थापना की थी। मैं हरैय्या की इस पवित्र भूमि से विधायक बनकर आया हूँ, जो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है। मैं आपके माध्यम से हरैय्या की महान जनता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, तमाम सारी चर्चा हुई, पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले-जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात हो, चाहे सड़क के मामले में भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। गांव-गांव में सचिवालय बनाने की बात हो तो गांव-गांव में सचिवालय बना, घर-घर शौचालय बना और जहां शौचालय नहीं थे, हमने सार्वजनिक शौचालय बनवाये। हमारी अपनी विधान सभा में लगभग 150 पंचायत भवन बने, लगभग 250 से अधिक सार्वजनिक शौचालय बने और इस माध्यम से विकास की योजनायें धरातल पर उतारने का हम लोगों ने प्रयास किया है।

पर्यटन में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे मथुरा की बात लें, चित्रकूट की बात लें, चाहे काशी की बात लें, नैमिषारण्य की बात लें, अयोध्या की बात लें, सब जगह बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमारी अपनी विधान सभा क्षेत्र में, मुझे यह बताते हुए सदन को भी हर्ष हो रहा है और आपके माध्यम से मैं अपनी विधान सभा तक यह बात पहुंचाने का प्रयास करता हूँ कि मघधाम मखौड़ा में लगभग 15 करोड़ की लागत से पर्यटन के विकास कार्य का काम चल रहा है, धर्मशाला निर्माण हो, सेतु का निर्माण हो, 4 सौ मीटर सीढ़ी के निर्माण का कार्य हो, पार्क के निर्माण का कार्य हो, पुल के निर्माण का कार्य हो, यह सब कार्य प्रगति पर हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो श्रृंगी ऋषि को सिर्फ प्रयागराज के नाम से जानते हों, लेकिन श्रृंगी ऋषि का एक आश्रम हमारी विधान सभा क्षेत्र में है, जिसका नाम श्रृंगी नारी है, वहां पर भी पर्यटन का काम चाहे धर्मशाला निर्माण का काम हो, रोड के निर्माण का काम हो, इण्टरलॉकिंग के निर्माण का काम हो, शौचालय निर्माण का काम हो, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, वहीं पर हनुमान जी का दूसरा स्वरूप अमोलीपुर है, अमोलीपुर की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। अमोलीपुर में लगभग 3 करोड़ की लागत से चाहे वह तालाब निर्माण का कार्य हो, मन्दिर के बाउण्ड्री के निर्माण का कार्य हो, धर्मशाला निर्माण का कार्य हो और शौचालय निर्माण का कार्य हो, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। रानी गांव शिव मन्दिर है, वहां पर भी लगभग डेढ़ करोड़ का काम, धर्मशाला निर्माण का काम, पुल के निर्माण का काम, रोड के निर्माण का काम प्रगति पर है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 84 कोसी परिक्रमा का पहला पड़ाव स्थल मखौड़ा, दूसरा राम रेखा और तीसरा हनुमान बाग चकोही यह तीनों हमारी विधान सभा क्षेत्र में आते हैं। राम रेखा में पूरे मन्दिर की बाउण्ड्री, मन्दिर का निर्माण कार्य और दो-दो धर्मशाला, एक सेतु और उसके अन्दर

सारी सड़कों का निर्माण कार्य कराया है। अगला पड़ाव स्थल हनुमान बाग चिकोही में धर्मशाले का निर्माण, रोड का निर्माण, रसोई का निर्माण, शौचालय का निर्माण भी हमने कराया है और इसी पांच साल में शिव मन्दिर में बाउण्ड्री के निर्माण का काम, बोलिया तालाब के निर्माण का काम, शौचालय के निर्माण का काम, धर्मशाला के निर्माण का काम कराया है। इसी पांच साल के अन्दर तपसी धाम आश्रम पर लगभग 10 करोड़ के पर्यटन का विकास कार्य हम लोगों ने इसी सरकार के माध्यम से कराया है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में रोडों का निर्माण हुआ, चाहे ओडीआर की रोड हो, एमडीआर की रोड हो या एक्सप्रेस-वे हो, लेकिन हमने इस पांच साल में अपने विधान सभा क्षेत्र में लगभग 20 रोडों का चौड़ीकरण कराया है जिसमें से 5 पी0एम0जी0एस0वाई की हैं और 15 पी0डब्लू0डी0 से करायी हैं। चारों ओर से महाराजगंज से लेकर दुबौलिया से अशोकपुर मांझा तक की 20 किलोमीटर की रोड का चौड़ीकरण, आगे आयें तो पेदा से लेकर एन0एच0-28 तक रोड का चौड़ीकरण, एन0एच0-28 से तपसीधाम आश्रम तक रोड का चौड़ीकरण, आगे आयें तो महू घाट से बसन्तपुर 9 किलोमीटर रोड का चौड़ीकरण, उसके आगे आयें तो एन0एच0-28 से विश्वेसरगंज 9 किलोमीटर रोड का चौड़ीकरण, उसके आगे राम जानकी रोड से 10 नम्बर होकर 9 किलोमीटर रोड का चौड़ीकरण, एन0एच0-28 से बुधवापुर की 9 किलोमीटर रोड का चौड़ीकरण।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना काम कराया तभी तो आप जीतकर आये हैं।

श्री अजय सिंह-

मान्यवर, एक मिनट का मौका और दे दीजिये। मैंने अपनी विधान सभा क्षेत्र में महापुरुषों के नाम पर चाहे स्थानीय स्तर पर हों, चाहे अमर शहीदों के हों और चाहे राष्ट्रीय महापुरुषों के हों, लगभग 45 गेटों का निर्माण कार्य और अगर मन्दिरों को ले लें तो 50 गेटों का निर्माण कार्य हमने कराया है। मान्यवर, समय दे दीजिये कि जो करके आये हैं तो विधान सभा क्षेत्र के लोग उसके बारे में जानें तो।

श्री अध्यक्ष-

आप जीत करके आये हैं तो समझ गये कि काम करके आये हैं, लेकिन अब 6 मिनट का समय हो गया है, इसलिए अब आगे कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय लालजी वर्मा द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जो सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, वह केवल दिखावे के लिए है। बहुत सारी चीजें धरातल पर नहीं हैं और उसे ठीक करने की आवश्यकता है। जैसे इसमें बुनकरों का कोई जिक्र नहीं है,

आज प्रदेश का बुनकर परेशान है और हथकरघा के माध्यम से जो चीजें हम विदेशों से आयात करते थे, वह बन्द हो गया है, विदेशी करेंसी जो भारत में आती थी, वह आनी बन्द हो गयी है। चाहे कारपेट का घराना हो, चाहे बुनकरों का, आज बुनकर भुखमरी के कगार पर है। इसमें शिक्षा मित्रों का समायोजन का कोई जिक्र नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में 1 लाख 75 हजार बेरोजगारों को माननीय अखिलेश यादव जी ने रोजगार देने का काम किया था। उनकी रोजी-रोटी छीनने का काम इस सरकार ने किया है और बहुत सारे शिक्षा मित्र बेचारे मर गये और उनकी शादियां टूट गईं। जब उनको नौकरी से निकाल दिया गया तो उनकी पत्नियां उन्हें छोड़ कर चली गईं कि तुम्हारे साथ कौन रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

पत्नियां छोड़कर चली गईं या पत्नी चली गई ?

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, पत्नी छोड़कर चली गई। आज बेरोजगारी की जटिल समस्या है उत्तर प्रदेश में, अभी बाबा बोल रहे थे और 5 लाख, 10 लाख का आंकड़ा दे रहे थे। तीन-तीन बार पर्चा आपके राज में लीक हुआ, गिरफ्तारियां आपने कीं, लेकिन नौकरी नहीं मिली। मान्यवर, अभी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो रही थी, उसमें कितनी ज्यादा धांधली हुई है। जब मा0 मुख्य मंत्री जी ने जांच कराया, तो कितने लोग गिरफ्तार हुए, यह आप जानते हैं। अभी हमारे श्रीवास्तव जी काशी से बोल रहे थे कि काशी में कोई काम ही नहीं हुआ। श्रीवास्तव जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके ही जिले के वृद्ध विधायक थे, जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के बगल में बैठते थे श्री श्याम देव राय चौधरी जी। वह बिजली को लेकर अनशन पर बैठ गये और तीसरे दिन हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने सन्देश भिजवाया कि काशी को हम 24 घण्टे बिजली देंगे, आप अनशन तोड़ दीजिए, तो उन्होंने अनशन तोड़ दिया, इतने बड़े-बड़े काम हुए।

एक्सप्रेस-वे बनाकर हम लोगों ने रास्ता दिखाया, आपने उसको आगे बढ़ाया, ये खुशी की बात है। सरकार को आगे बढ़ना भी चाहिए। हमारी सरकार आयी होती, तो हम और भी आगे बढ़े होते, लेकिन आज महंगाई से जनता त्रस्त है। आप जो 'उज्ज्वला योजना' लाए, आज सिलेण्डर का दाम कहां चला गया ? हम निषाद, गौड़ एवं राजभर बस्ती में जाते हैं। हमने देखा है कि सिलेण्डर खाली रखा हुआ है। हमने पूछा कि भाई ये सिलेण्डर क्यों नहीं भरा जा रहा है ? तो उन्होंने कहा कि नेताजी रु0 1200/- का सिलेण्डर हो गया, हम कहां से भराएं ?

मान्यवर, गरीबी के काण लोगों के सिलेण्डर नहीं भरे जा रहे हैं और महंगाई के कारण इस 'उज्ज्वला योजना' का गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज चौतरफा महंगाई है। कड़वा तेल, दाल एवं आवश्यक वस्तुओं के दाम कहां चले गये ? ये महंगाई का आलम है साथियों। आज प्रदेश को छः घण्टे भी बिजली नहीं मिल रही है। हमारे सत्ता पक्ष के

मित्र यहां पर बैठे हैं। ये अपने क्षेत्र का भी हाल देखते होंगे। कहने के लिए ये सरकार के फेवर में यहां पर भले बोल दें, लेकिन सच्चाई है कि प्रदेश में बिजली की हालत खराब है। आज गर्मी के दिनों में 4 से 6 घण्टे भी बिजली नहीं मिल रही है।

शौचालय के लिए आपने जो लिखा है। गांव में शौचालय बनवा रहे हैं। मान्यवर, हम गांव में जाते हैं, तो देखते हैं कि गांव में जो शौचालय बने हैं, उनमें भूसा भरा हुआ है, कहीं गोइठा रखा हुआ है, कहीं पुआल रखा हुआ है। मैंने कई गांव में पूछा कि भाई शौचालय आपके शौच के लिए बनाया हुआ है, तो आप भूसा, गोइठा क्यों रखे हुए हैं ? लोगों ने कहा कि पानी की समस्या है। हैण्डपाइप नहीं है, ऊपर टंकी नहीं है, अन्दर टोटी नहीं है, तो इसका इस्तेमाल कहां से होगा ? हम लोगों ने ऐलान किया था कि अगर इस बार हमारी सरकार आयेगी, तो हम ऐसा शौचालय बनवायेंगे कि टंकी और टोटी, दोनों का इन्तजाम करेंगे, ताकि गांव में रहने वाले लोगों को बाहर लोटा लेकर शौच न जाना पड़े, यह व्यवस्था हमने किया था।

मान्यवर, आज हमारे जिले का गौड़, खरवार जाति परेशान है। उसको तहसील से जाति प्रमाण-पत्र नहीं मिल रहा है। गौड़ और खरवार के लोग पिछले पांच साल से आन्दोलन कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनको जाति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो गौड़ एवं खरवार बिरादरी के लोग हैं, उनको एस0डी0एम0 और तहसीलदार जाति प्रमाण-पत्र जारी करें, क्योंकि वे उसी जाति में आते हैं और जाति प्रमाण-पत्र के लिए बहुत परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद रिजवी जी। अब आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

आज 27 जातियां पिछड़ी जाति में आती हैं, जिनमें निषाद, केवट, बिन्द और राजभर भी हैं। उनको अनुसूचित जाति का दर्जा देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था और उन्होंने अब तक उसको अमलीजामा नहीं पहनाया। वह भी आज तक परेशान हैं, इन्तजार में बैठे हैं। मान्यवर, आप देख रहे हैं कि आज कानून-व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब हो गयी है। मान्यवर, बिना पैसे के, बिना रिश्वत के आम आदमी का काम नहीं हो रहा है।

मान्यवर, एक घटना छोटी-सी है, इसको कहकर अपनी बात हम दो मिनट में खत्म करेंगे। हमारे इलाके में लखनापार गांव में एक प्रभुनाथ गुप्ता का मकान था। जिसका फोटोग्राफ मेरे पास उपलब्ध है। मान्यवर, मैं आपको यह भिजवा दूंगा। एक अजय सिंह नाम का सिपाही, जो पिछले 20 साल से गोरखपुर में नौकरी करता है। वह जबरन प्रभुनाथ गुप्ता के मकान पर कब्जा कर लिया है। दो मंजिला मकान प्रभुनाथ गुप्ता ने बनाया था, जिस पर कब्जा करके उस अजय सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बोर्ड लगा दिया है। इस मकान पर कब्जा दिनांक 27-04-2022 को किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

रिजवी साहब, इसको आप मेरे पास भिजवा दो, मैं मा0 मंत्री जी को भेज दूंगा। अब आपकी पूरी बात आ गई। अब आप बैठिये।

श्री गणेश चन्द्र-

मा0 अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने जो बोलने का अवसर दिया, सर्वप्रथम मैं अपने बारे में मा0 सदन में छोटा विषय रखना चाहता हूँ। जिस सामान्य परिवार से मैं आया एक मजदूर का बेटा, एक सफाई कर्मचारी का बेटा, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिला और आज आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूज्य महाराज जी के नेतृत्व पर अभी जो मा0 राज्यपाल महोदया जी ने भाषण दिया, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। जिस प्रकार से सुशासन को चरितार्थ और राशन व्यवस्था को गरीब के हितार्थ पूज्य महाराज के नेतृत्व में सरकार ने 5 वर्ष तक कार्य किया, वह निश्चित प्रशंसनीय है। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि सुशासन में जिस प्रकार से अपराध में कमी आयी है। जिस प्रकार डकैती को लेकर 2016 से 2021 के बीच में 70 प्रतिशत तक की कमी आयी है। लूट के मामले में 66 प्रतिशत से अधिक कमी आयी है। हत्या के मामले में 33 प्रतिशत से अधिक की कमी आयी है। बलात्कार के मामले में 50 प्रतिशत से भी अधिक की कमी आयी है।

मा0 अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सुशासन की व्यवस्था को लेकर प्रदेश का आम-जनमानस ने पूज्य महाराज जी के नेतृत्व पर विश्वास किया, ठीक उसी प्रकार से प्रदेश में 6 वर्ष पूर्व त्यौहारों पर जिस प्रकार दंगा होता रहा, परन्तु मा0 सदन इस विषय पर ध्यान देगा, इस समय चाहे वह रक्षाबन्धन हो, चाहे वह रमजान का विषय हो, दोनों विषय पर पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया है। रक्षाबन्धनों पर बहनों को निःशुल्क बस की व्यवस्था देकर और रमजान माह में भी पर्याप्त बिजली देकर तथा पर्याप्त व्यवस्था करके सबका साथ, सबका विकास को चरितार्थ किया। मा0 अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था के कारण इस 5 वर्ष में कोई भी दंगा नहीं हुआ। मा0 अध्यक्ष महोदय, जो दंगे का विषय रहता था, चाहे वह आजमगढ़ हो या मुजफ्फरनगर हो, चाहे आगरा हो, जिस प्रकार से बड़े दंगे होते रहे, ऐसा आपके सामने उदाहरण था कि कोई अपराधी अगर बढ़ने का कार्य किया चाहे वह किसी भी समाज का हो तब उसे या तो जेल में या प्रदेश से बाहर जाना पड़ा, जिसके कारण पूरा प्रदेश दंगा मुक्त रहा।

मा0 अध्यक्ष महोदय, कोविड काल में हमने देखा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और इस विचार के परिवार के मेरे जैसे लोग सड़कों पर उतर कर समाज के बीच में

यात्री आते थे, उन सबको चाहे वह पैदल या गाड़ी में आते थे। उसे ठीक प्रकार से भोजन, चप्पल, सैनिटाइजर, मास्क भेंट कर सेवा काम करते रहे। कोविड की महामारी जिस प्रकार से प्रदेश झेल रहा था। उसमें ठीक प्रकार से पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश ने जिस प्रकार से लड़ने का काम किया है। कोविड काल के बाद 11.30 करोड़ टेस्ट, 536 ऑक्सीजन प्लाण्ट और 32 करोड़ डोज तीनों डोजों को मिलाकर उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं। कोविड काल में जिस प्रकार से प्रदेश और देश की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो रही थी, पूज्य महाराज जी ने अपने नेतृत्व, विचार तथा संगठनात्मक दूर-दृष्टि की बदौलत कोविड में बहुत अच्छी व्यवस्था की। पूज्य महाराज जी ने कोविड काल में अपने परिवार के संकट को छोड़कर प्रदेश को वरीयता देते हुए प्रदेश को छोड़कर कहीं जाने का काम नहीं किया और 24-24 घण्टे काम करके प्रदेश को बचाने का काम किया। जहां तक बिजली की बात है तो बिजली की अभी ठीक तरह से व्यवस्था चल रही थी, कोयले के कारण थोड़ी अव्यवस्था हुई है। पूज्य योगी जी ने बिजली समस्या का निराकरण किया था, उसका परिणाम है कि उनका प्रतिनिधि एम0एल0ए0 बिजली संकट को ले करके जनता से आंख से आंख मिलाकर हिन्दी में विषय रखने के बाद जनता के लिए बोल दिया कि 'योर प्राब्लम इज माई प्राब्लम'। उसको लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किस प्रकार से खिल्ली उड़ाने का काम किया। आपकी समस्या मेरी समस्या है और उसको अपनी समस्या मानकर माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मिलने गया और दो दिन के अन्दर उसका निवारण हुआ। दो नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र हमारा क्षेत्र है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ कटान को लेकर सवाल खड़ा रहता है। महोदय, इन विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, इन पर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद माननीय सदस्य, अब आप बैठें।

श्री गणेश चन्द्र-

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों की बहुत सारी याचिकायें हैं। मेरा प्रयास यह है कि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों की याचिकायें ली जायें। जो माननीय सदस्य इसमें उपस्थित होंगे उन सबकी याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी जायेंगी। जो माननीय सदस्य अनुपस्थित होंगे उनकी याचिकायें प्रस्तुत हुई नहीं मानी जायेंगी। यह मैं इसलिए कर रहा हूँ कि

जो मा0 सदस्य मेहनत करके यहां पर बैठते हैं, उन्होंने क्या कसूर किया है, वह भी याचिका लगाकर चले जाते।

मद संख्या-6 में कुछ नहीं है। मद संख्या-7 में डॉ0 आर0 के0 वर्मा, मद संख्या-8 में श्री अमिताभ बाजपेई की याचिकायें उपस्थित की हुई मानी गईं। मद संख्या-9 श्री कुं0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह अनुपस्थित हैं, इसलिए मा0 सदस्य को पुनः याचिका देनी होगी।

मद संख्या-10 श्री प्रभात कुमार वर्मा, मद संख्या-11 श्री प्रेम नारायन पाण्डेय, मद संख्या-12 श्री बम्बा लाल, मद संख्या-13 श्री मनोज कुमार पाण्डेय, मद संख्या-14 श्री मौहम्मद फहीम इरफान, मद संख्या-15 श्री रमेश चन्द्र मिश्र, मद संख्या-16 श्री रवि शर्मा, मद संख्या-17 श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स' की याचिकायें उपस्थित की हुई मानी गईं।

मद संख्या-18 श्री श्याम सुन्दर जी अनुपस्थित हैं, इसलिए उनकी याचिका उपस्थित की हुई नहीं मानी गई।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका[†]

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड गौरा में उमरन ड्रेन, रोहकला ड्रेन, लपकन ड्रेन, कमासिन ड्रेन की सफाई कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं एवं जनपद मथुरा से सम्बन्धित दो याचिकाएं[†]

1-जनपद कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर जिला पंचायत से पास किये भवन मानचित्र के बावजूद जबरिया गिराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश यादव, निवासी जनपद कानपुर नगर की याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर में मकान नं0-15/239, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर की नजूल की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे के सम्बन्ध में श्री हरिओम पाण्डेय, निवासी जनपद कानपुर नगर की याचिका,

3-जनपद कानपुर नगर में उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के बाद भी कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मकान गिराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार सिंह, निवासी जनपद कानपुर नगर की याचिका,

4-जनपद कानपुर नगर में उ0प्र0 लघु उद्योग निगम की कोयला खरीद/बिक्री की जांच के सम्बन्ध में श्री चेतन पाण्डेय, निवासी जनपद कानपुर नगर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

5-जनपद मथुरा में उ0प्र0 पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन संख्या-165/2018 के द्वारा आच्छादित हरे कृष्णा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0 की भूमि खसरा नं0-1266, सुनरख बांगर, तहसील व जिला मथुरा का भू-उपयोग परिवर्तन व्यवसायिक (होटल) करने के सम्बन्ध में श्री गोवर्धन अग्रवाल, निवासी जनपद मथुरा की याचिका,

6-जनपद मथुरा में परिषद् की भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या-4, मथुरा के अन्तर्गत समाविष्ट ग्राम छटीकरा वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या-218, 219, 220, 233, 234 कुल क्षेत्रफल 2.4725 हेक्टेयर के सम्बन्ध में श्री गोवर्धन अग्रवाल, निवासी जनपद मथुरा की याचिका तथा

7-जनपद कानपुर नगर में उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, 110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर में कार्यरत संविदा कार्मिकों को वेतन भुगतान न होने के सम्बन्ध में श्री अजय पिप्पल, निवासी जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

कुं0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा, जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)[†]

कुं0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के विकास खण्ड भरखनी में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री गणेश प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित दस याचिकाएं[†]

1-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बभनजोत के ग्राम पंचायत बस्ती खास बकुई कुट्टी को पर्यटन विभाग से सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तिलकराम व अन्य निवासीगण, जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड छपिया के स्वामी नारायण छपिया मन्दिर को अयोध्या से फोर-लेन से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के घारीघाट से केशवनगर ग्रन्ट सम्पर्क मार्ग की जर्जर हालत की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्य कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के फूलवापुर से मझरेटी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वासुदेव मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गई ।

5-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ढढौमेहनिया से सिसहनी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम तौल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

6-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत घारीघाट में 100 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

7-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के सादुल्लानगर से चन्द्रदीप घाट सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बसन्त गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

8-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के रेनुबा से दौलतपुर सम्पर्क मार्ग लगभग 12 कि0मी0 का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोमती यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

9-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के गिन्नीनगर से अल्लीपुर अड़वाघाट तक जर्जर सड़क को रिपेयर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ताराशंकर श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

10-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के महेवानानकार से दुलहियातिवारी तक जर्जर सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पांच याचिकाएं[†]

1-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 डी0 तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर की ग्राम पंचायत नगदही में दुर्गापुरवा उदवतनगर के मध्य लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुपम शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गई।

4-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत सरयू नदी के कैथी घाट पर पीपे के पुल के स्थान पर आर0सी0सी0 सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज में गन्ना विकास समिति की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बम्बालाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पन्द्रह याचिकाएं[†]

1-जनपद उन्नाव की ग्राम सभा छूही के मजरा उधम पुरवा तथा ग्राम नेवरा उदई एवं ग्राम नीबीगाढ़ा में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू निषाद व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव में चौधरी खेड़ा पुल से शेरपुर कला सम्पर्क मार्ग तक मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित जर्जर सड़क का पुनः निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बऊवा यादव व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मुंशीगंज से रावतपुर तक जर्जर सड़क तथा पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम शंकर त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के ग्राम बम्हना करौंदी में जर्जर तार बदलवाने तथा ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धाकड़ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के विभिन्न विकास खण्डों में समाज कल्याण विभाग द्वारा एकीकृत विकास योजनान्तर्गत इण्टरलॉकिंग, सी0सी0 रोड एवं पिच रोड, नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र सिंह सेंगर व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

6-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत जर्जर विद्युत लाइन बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

7-जनपद उन्नाव में सिंचाई विभाग से देवगांव माइनर की सफाई तथा मुस्तफाबाद माइनर पर परेन्दा दुपुला होते हुए भदेमू के टेल तक माइनर की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिनव गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

8-जनपद उन्नाव, विकास खण्ड मियांगंज में अरैरकला से लगलेसरा तक मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बबलू कुरील व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

9-जनपद उन्नाव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत बेलसी मजरा माखी से बिरसिंहपुर होते हुए राजाबाग तक सड़क का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

10-जनपद उन्नाव में पंचायती राज विभाग से ग्राम सभा पमेधिया में पुतान नाई के दरवाजे से गौरव अवस्थी के मकान तक लगभग 100 मीटर आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

11-जनपद उन्नाव में उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम की बस ग्रामीण क्षेत्रों में कतिपय वांछित स्थानों पर जनहित में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल विमल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

12-जनपद उन्नाव के ग्राम पंचायत फिरोजपुर कला के मजरा सहित सफीपुर में जर्जर तार बदलवाने के सम्बन्ध में डॉ0 राम गोस्वामी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

13-जनपद उन्नाव के ग्राम नैनी खेड़ा में प्रा0 जूनियर स्कूल को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय पाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

14-जनपद उन्नाव के सफीपुर मियांगंज से छत्ता खेड़ा सम्पर्क मार्ग का निर्माण जिला पंचायत द्वारा कराया गया है, जो अभी भी अपूर्ण है, वांछित सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 बलवन्त सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

15-जनपद उन्नाव के ग्राम लहरू तथा रामपुर खजरी में सरकारी ट्यूबवेल स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री जागेश्वर प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित चौबीस याचिकाएं[†]

1-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार की ग्राम सभा गोकना में जमुनापुर-खरौली पक्की सड़क से पूरे बिन्दा पाण्डेय श्री शारदा यादव के घर तक 1 कि0मी0 व गोकना घाट शहजादपुर बार्डर से लक्ष्मी मन्दिर तक दूरी लगभग 500 मी0 व हुरैंसा पक्की सड़क से पूरेचूर सरांयभान तक दूरी लगभग 1 कि0मी0 सांवापुर सम्पर्क मार्ग से पूरे राम जियावन श्री राजेश तिवारी के घर तक 1 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ में श्रीमती ममता, उचित दर दुकान विक्रेता ओसाह के विरुद्ध दर्ज मुकदमा अ0सं0-191/2021, धारा-3/7 में साक्ष्य के आधार पर

[†] छापी नहीं गई।

फाइनल रिपोर्ट एवं दुकान बहाल कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती ममता त्रिवेदी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार में पटेरवा पक्की सड़क से मुरारमऊ तक व अरखा अकोढिया प्रधानमंत्री मार्ग से निगोहां तक खराब पड़े सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिवबरन मिश्रा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार में कतिपय मार्गों के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

5-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर में कतिपय मार्गों के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज सिंह, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

6-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार के खोजनपुर में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा भ्रष्टाचार एवं मनमाने तरीके से प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

7-जनपद रायबरेली के जिला चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच एवं कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र शुक्ला, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

8-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार में नहरों की सफाई, पुल, पुलिया मरम्मत कार्य एवं साइफन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

9-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा में बेलाखारा से थुलरई की ओर आने वाली नहर में टूटे हुए पाइप को सही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

10-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर में इसौर ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश मिश्रा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

11-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ एवं जगतपुर में क्षेत्रीय खाद्य विपणन अधिकारी (इन्सपेक्टर) द्वारा गोदामों से सरकारी धन की बिक्री किये जाने एवं कोटेदारों से वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज सिंह, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

12-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार की ग्राम पंचायत कमोली व ग्राम पंचायत शहजादपुर में ग्राम प्रधान द्वारा की जा रही धांधली व अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

13-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां की ग्राम पंचायत रसूलपुर के ग्राम प्रधान द्वारा की जा रही धांधली व अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकनाथ शुक्ला, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

14-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में खराब पड़े राजकीय नलकूपों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

15-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा में कतिपय मार्गों के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तराम यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

16-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा में कतिपय मार्गों के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

17-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर में सुदामापुर तिराहे से ककोरन तक व अन्य मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू सिंह, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

18-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा में नउवन का पुरवा पडरिया तक व अन्य मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धूना त्रिवेदी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

19-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां में ग्राम सभा हटका से सरेनी मार्ग व अन्य मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

20-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ में ग्राम इलमऊ-पखरौली कोल्ड स्टोरेज से धूता तक व अन्य मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

21-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार में ग्राम लाला का पुरवा मकवापुर से ग्राम सांवापुर नेवादा में श्री विनोद पाण्डेय के घर तक व ग्राम सेमरी पटेरवा से ग्राम खालिकपुर में शाहिद के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद पाण्डेय, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

22-जनपद रायबरेली के नगर पालिका परिषद्, रायबरेली के चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य बकाया भुगतान दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री वैभव पाण्डेय, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

23-जनपद रायबरेली में श्री बी0एन0 मौर्या के विरुद्ध प्रचलित जांच पी0डब्लू0डी0 पर निष्पक्ष शीघ्र जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष शुक्ला, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

24-जनपद रायबरेली में रायबरेली शहर के विद्युत विभाग खण्ड-1 में भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश पाण्डेय, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मौहम्मद फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित सत्रह याचिकाएं[†]

1-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम देवरी से ग्राम दिनौरा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिशुपाल यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम सिहाली माला से समाथल ज्यातरत होते हुए नया गांव तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम मुड़िया महेश से ग्राम बेरनी सम्पर्क मार्ग तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम बगपुरा चौराहे से ग्राम नगला नस्सू तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री भूरा व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

5-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम देवरी से ग्राम रतनपुर मार्ग तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बहादुर सिंह, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

6-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम अजमतनगर ज्योंडेरा से ग्राम नियामतपुर तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिनव कुमार, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

7-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम अलीनगर से जनकपुर तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

8-जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम समाथल में श्मशान घाट बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश मौर्य, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

---

[†]नोट :- छापी नहीं गईं।

9-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम नरसरा से ग्राम नसीलपुर धन्ना तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री डालचन्द, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

10-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम मल्हपुर जन्नू से ग्राम नाशना स्योंडारा तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 फारूख, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

11-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम थांवला से ग्राम नगला नस्सू तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलशाद, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

12-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम नियामतपुर से ग्राम धतरारा तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बसर मलिक, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

13-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम बिचौला ढूकी से ग्राम हाजीपुर तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कय्यूम व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

14-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम देवरी से दिनौरा गांव तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशुपाल यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

15-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम थांवला से ग्राम मनकुला तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रेहान पाशा, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

16-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम स्योंडारा के बाजार से रामपुर पट्टी गांव होते हुए इमरतपुर स्योंडारा तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णकान्त यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

17-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम अबूपुर खुर्द से ग्राम खण्डौआ तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुईं मानी गयी।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित नौ याचिकाएं[†]

1-जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के ग्राम बछुवार में औद्योगिक भूमि पर उद्योग व कारखाना स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के विकास खण्ड बदलापुर के शेष 8 ग्राम एवं बक्शा के शेष 26 ग्राम की चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शनि शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

3-जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के नगर पंचायत बदलापुर में नये सिरे से शहरी विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के विकास खण्ड बदलापुर के ग्राम सिंगरामऊ को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

5-जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के विकास खण्ड महाराजगंज को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

6-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर के डेहुणा-भूला के मध्य पीली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

7-जनपद जौनपुर की तहसील बदलापुर के नगर पंचायत बदलापुर में सीवर लाइन फेस 02 का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयकुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

8-जनपद जौनपुर में विकास खण्ड महाराजगंज में ग्राम बाबूगंज में विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य नरायन व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

9-जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के जर्जर सम्पर्क मार्ग बक्सा-तेजी बाजार-लोहिन्दा मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित दो याचिकाएं[†]

1-जनपद झांसी की सैनिक आवासीय कालोनी, झांसी में विकास प्राधिकरण द्वारा आन्तरिक विकास कार्य सड़क, नाली, पार्क आदि कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विद्याभूषण दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका तथा

2-जनपद झांसी के वार्ड नं0-25, पुलिया नं0-09 के आस-पास अतिक्रमण हटाकर मार्ग चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री गंगाराम कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित चौदह याचिकाएं†

1-जनपद शाहजहांपुर के कटरा रेलवे स्टेशन डामर रोड से खुदागंज डामर रोड तक खड़न्जा से डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत कटरा जैतीपुर मार्ग पर सैदापुर में मन्दिर तक कच्चे मार्ग का मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज अन्तर्गत परसुरामपुर से रमापुर उत्तरी तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

4-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज में पौकी नहर पुलिया से कसरक नहर पुलिया तक नहर पटरी पर जर्जर एवं ऊबड़-खाबड़ कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामाधार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

5-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत जलालाबाद स्टेट हाई-वे पर सलेमपुर से साहमपुर तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्रपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

6-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत कटरा बस अड्डा के अन्दर पुराना खड़न्जा हटवाकर इण्टरलॉकिंग कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र प्रकाश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

7-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड कलान के ग्राम पंचायत जटिउरा के मजरा पकड़िया चौराहा का विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री उदयवीर पाल व अन्य निवासीगण, जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

8-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज के परसुरामपुर से जल्लापुर तक के कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

9-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज के कसरक-खुदागंज डामर रोड से हुलासनंगला रेलवे फाटक तक गड्ढायुक्त सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामशंकर व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

10-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत ग्राम सिमौरी से निजामपुर मार्ग का खड़न्जा से डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

11-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में ग्राम हुलासनंगला डामर रोड से ग्राम कुसक तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

12-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के ग्राम धूमगढ़ से हसनापुर मार्ग तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

13-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा विकास खण्ड खुदागंज के परसुरामपुर डामर रोड पर मकरन्दापुर से पलिया नहर पुलिया तक खड़न्जा से डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

14-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत जलालाबाद स्टेट हाई-वे से ग्राम नंगला पृथ्वी उर्फ नगरिया तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंचू गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित दो याचिकाएं (व्यपगत)†

1-जनपद रायबरेली के राजस्व ग्राम पंचायत ओसाह, विकास खण्ड व थाना शिवगढ़, तहसील महाराजगंज में नवनिर्मित पुलिस चौकी के लिए धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

2-जनपद रायबरेली के ओसाह-तिलण्डा मार्ग पर ओसाह, विकास खण्ड शिवगढ़, तहसील महाराजगंज के अन्तर्गत कस्बे में दोनों छोर पर पक्का नाला एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सुनीता, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

1-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के ग्राम पंचायत टांडा सातन, विकास खण्ड एफ-84 में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के ग्राम पंचायत उम्मरपुर प्रीतम के मजरा नेवादा भैरव, विकास खण्ड एफ-84 में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ की विकास खण्ड गंजमुरादाबाद के ग्राम पंचायत खम्बौली में बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रणंजय प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ की विकास खण्ड बांगरमऊ के ग्राम पंचायत कमलापुर में बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप बाजपेई व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

5-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ की विकास खण्ड बांगरमऊ के ग्राम पंचायत माढ़ापुर में बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय पाल प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित चौदह याचिकाएं (व्यपगत)†

1-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विशालकाय खुले रफाका नामक नाले को ढके जाने के सम्बन्ध में श्री रवि गुप्त व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद कानपुर के वार्ड-53 सरांयमीता इण्डस्ट्रीज एरिया के अन्तर्गत आने वाले तालाबों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

3-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय बस्तियों में सीवर की गम्भीर समस्या के निस्तारण हेतु, नई सीवर लाइन बिछवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित सरोज व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

4-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय बस्तियों में पेयजल की गम्भीर समस्या के निस्तारण हेतु नई वाटर लाइन बिछवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

5-जनपद कानपुर में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत, विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में अति आवश्यक कतिपय सड़कों का निर्माण कार्य जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

6-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के भीषण संकट को दूर करने के लिए 100 हैण्ड पम्पों को रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

7-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष अवस्थी, निवासी जनपद कानपुर की याचिका,

8-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर लीकेज वाटर लाइन का जनहित में सुधारीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 वी0 के0 तोमर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

9-जनपद कानपुर के वार्ड-8 मसवानपुर स्थित सदियों पुराने नकटी तालाब पर भू-माफियाओं के अवैध कब्जों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश कटियार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

10-जनपद कानपुर में प्राइवेट स्कूलों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हुए, अभिभावकों को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

11-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में पाल ढाबा नौरैय्याखेड़ा से लेकर रविदासपुरम् छठ पूजा घाट तक तथा नहर नया पुल से इण्डस्ट्रियल स्टेट रोड तक का मार्ग पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आरती गौतम व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

12-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में लखनऊ-झांसी मार्ग से शक्ति नगर होते हुए सी0टी0आई0 चौराहे तक पक्का मार्ग एवं छठ पूजा घाट का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

13-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में स्थित अर्मापुर से दादा नगर इण्डस्ट्रियल एरिया को जोड़ने वाले अति व्यस्त तथा वर्षों पुराने मार्ग पर एक उपरिगामी सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में श्री ललित उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका तथा

14-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पनकी पावर प्रोजेक्ट के कारण भारी वाहनों के आवागमन के दृष्टिगत, पूरे क्षेत्र की टूटी/जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रमणि चौबे व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित बीस याचिकाएं[†]

1-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर के अन्तर्गत गोलवाघाट से रोडवेज घण्टाघर चांदपुरा होते हुए झिंगहाघाट बाईपास (पुराना एन0एच0-927) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन यज्ञसैनी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

2-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर के अन्तर्गत कलेक्ट्रेट आबादी से जिला अस्पताल होते हुए मुख्य मार्केट, डिगिहा चौराहा से बहराइच रेलवे क्रासिंग तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

3-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर के अन्तर्गत लखनऊ-बहराइच मार्ग (एन0एच0-927) के कि0मी0 89 से पीलीभीत-बहराइच-बस्ती मार्ग (एन0एच0-730) के मध्य बहराइच बाईपास के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

4-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर क्षेत्र में मुख्य सड़कों, वार्डों के अन्दर रास्तों पर लगे अनुपयोगी, जर्जर विद्युत पोल, खम्भों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

5-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर क्षेत्र के अन्तर्गत मोहल्ला चांदमारी, नई बस्ती, बकशीपुरा में शिवभक्ति मन्दिर व चन्द्रिका मैरिज लॉन से वारसी मस्जिद से होते हुए दरगाह मुख्य मार्ग पर जल निकासी हेतु नाली के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवांकर शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

6-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच नगर में जनपद बहराइच राजमार्ग स्थित सुखनदिया नहर होते हुए टिकौती-मुंशीपुरवा स्कूल तक डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शोभाराम गौतम व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

7-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच नगर मक्का पुरवा में वीरेन्द्र विक्रम सिंह वकील के घर के सामने से 12 फुट चौड़ी व लगभग 40 मी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकर्ष जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

8-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में बहराइच नगर क्षेत्र के अन्तर्गत चांदमारी, नई बस्ती, बक्शीपुरा में जल भराव व जर्जर रोड निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवांकर शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

9-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच में हुजूरपुर मार्ग पर 10 व 11 कि0मी0 के बीच में जैमरा तालाब से विशुनपुर गांव तक डामर रोड लगभग 1 कि0मी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दयाशंकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

10-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच नगर के ग्राम सभा डूहरू में चन्द्रकेश त्रिपाठी के घर से गांव के बाहर सम्पर्क मार्ग तक लगभग 500 मी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रकेश त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

11-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच नगर के ब्लॉक चित्तौरा के बरौंवा-भदौली में बरौवां-भदौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

12-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच नगर के ग्राम फुटहा मेन रोड से योगेन्द्र शुक्ला व राजेश सिंह के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य लगभग 250 मीटर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

13-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच नगर में अस्पताल चौराहे से पुलिस अधीक्षक आवास, पुलिस लाइन मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय प्रताप व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

14-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच नगर के ब्लॉक चित्तौरा में ताजखोदाई बहादुर सरदारपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

15-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच नगर में ब्लॉक चित्तौरा के बहराइच-हुजूरपुर कि0मी0 5 से बांये खलीलपुर-बेरिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामरूप व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

16-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच नगर की ग्राम सभा डेरवा हरवंशपुर में रूसे के घर से माधवराज बूथ अध्यक्ष के घर तक लगभग 180 मी0 इण्टरलॉकिंग

का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री माधवराज व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

17-जनपद बहराइच के बहराइच विधान सभा क्षेत्र के ग्राम इमलिया में मोहम्मदपुर वाली रोड से ज्वादा प्रसाद बाग होते हुए इमलिया जू0 स्कूल तक 700 मी0 इण्टरलॉकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्वाला प्रसाद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

18-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच नगर के ग्राम मिर्चिहा में रक्षराम शुक्ला के घर से राम सवारे शुक्ला के घर तक लगभग 200 मी0 खड़न्जा निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केदारनाथ शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

19-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच नगर के ग्राम पंचायत उन्नैसा में पंकज वर्मा के मकान से दुर्गा पूजा स्थल होते हुए गोमती प्रसाद पाण्डेय के मकान तक लगभग 160 मी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री केसरी वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका तथा

20-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच नगर के ग्राम बिहारीपुरवा जिगनिया महिपाल में रामू के खेत से मन्दिर से होते हुए रामपारस व डल्लू के घर के बीच रास्ते में लगभग 180 मी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ननकू प्रसाद व अन्य निवासीगण, जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती राजबाला, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ की दो तथा जनपद सीतापुर की एक याचिका (व्यपगत)†

1-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम हमीरपुर से महादेवा बाबा तक डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के यशोदापुरम्, शिवविहार कालोनी, सेक्टर आई, जानकीपुरम्, लखनऊ में नाली, सड़क एवं सीवर लाइन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री एस0एस0 चौहान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

3-जनपद लखनऊ के यशोदापुरम्, शिवविहार कालोनी, सेक्टर आई, जानकीपुरम्, लखनऊ में सैम पब्लिक इण्टर कालेज से दिव्यता ग्रेस अपार्टमेण्ट तक खुली 11 के0वी0 हाईटेंशन लाइन को भूमिगत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एस0एस0 चौहान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-23, 24 व 25 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-26

---

† नोट :- छापी नहीं गयीं।

[07:52] उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022[†]

उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

कार्य स्थगन पहले ही ले लिया गया था। अब हम अगली मद लेते हैं।

[07:53] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 की सूचनाएँ लेते हैं। आज नियम-51 की कुल 78 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, मुझे प्रसन्नता है कि सारे मा0 सदस्य बहुत जागरूक हैं। 78 सूचनाएँ 1 दिन में प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 10 ली जा सकती हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, पिछले सत्र से 20 ली जाती हैं।

श्री अध्यक्ष-

नियम 301 की 20 ली जाती थीं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, नियम-51 की पिछले सत्र से 20 ली जाती हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, ले लेते हैं।

[†] दिनांक 06 जून, 2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

पहली सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के ऊंचाहार में 132 के0वी0ए0 का बिजली घर स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जिला नगरीय विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा कार्यों में किये जा रहे अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में पीने के पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में अत्याधुनिक नवीन प्रशासनिक भवन के निर्माण के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री मोहम्मद हसन रूमी की जनपद कानपुर नगर के सुजातगंज चन्दारी क्षेत्र में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 पेयजल परियोजना के अन्तर्गत निर्मित 10 लाख लीटर पेयजल की टंकी को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री राजेन्द्र सिंह पटेल की जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत कतिपय पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर की बाउण्ड्री वाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' की जनपद जालौन में पुलिस प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना इं0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी में ग्राम सभा की जमीन कब्जा किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अयोध्या के राजेपुर माइनर का अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री अभय सिंह की जनपद अयोध्या के तदर्थ शिक्षकों का विनियिमतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा सातवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

श्री अमिताभ बाजपेई, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, डॉ0 वीरेन्द्र कुमार यादव, श्री फरीद महमूद किदवई, श्री गौरव कुमार, श्री प्रभू नारायण सिंह यादव, श्री जवाहर लाल राजपूत, डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, श्री अशरफ अली खान, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री लाल जी वर्मा, श्री राम अचल राजभर, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री नफीस अहमद, श्री तसलीम अहमद, श्री अताउर्रहमान, श्री विवेकानन्द पाण्डे, श्री राजीव गुम्बर, श्री प्रेम नारायन पाण्डे, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री देवेन्द्र कुमार निम, श्री रामचन्द्र यादव, श्री मनीष रावत, श्री मुकेश चौधरी, श्री पूरन प्रकाश, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री किरत सिंह, श्री मूल चन्द्र सिंह, श्री नन्दकिशोर, श्री विवेक कुमार वर्मा, श्री राजीव तरारा, श्री लक्ष्मीराज, श्री महेन्द्र खड़गवंशी, श्री गुलाम मौहम्मद, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री विनय कुमार, श्री उमाशंकर सिंह, श्री मनोज कुमार पारस, श्री बेचई, श्री पंकज गुप्ता, श्री तुफानी सरोज, श्री बम्बा लाल, श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री मौहम्मद फईम इरफान, श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री विनय प्रकाश गोंड, श्री मुकेश वर्मा, डॉ0 अनिल कुमार मौर्य, श्री रमेश चन्द्र मिश्र,

श्री राकेश पाण्डेय, श्री राजेश्वर सिंह, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री रमेश सिंह, श्री जगदीश नारायण, श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान', श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री सचिन यादव, श्री अनिल कुमार, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्रीमती राजबाला सिंह, डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश, श्री सन्दीप सिंह, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' तथा श्रीमती आशा मौर्य।

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल 11 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 08 बजकर 00 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक, 24 मई, 2022

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-01 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-7-10 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री मनोज कुमार पाण्डेय, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-01 की अनुपूरक सामग्री

विभाग के अधीनस्थ संस्था उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व बैंक एवं यूरोपियन इकोनॉमी कम्यूनिटी (ई0ई0सी0) के वित्तीय पोषण से संचालित ऊसर सुधार योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1993 से 2018 तक प्रदेश के ऊसर प्रभावित 32 जनपदों में कुल 409450.00 हे0 ऊसर क्षेत्र का सुधार किया गया। उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित उक्त योजनाओं में ऊसर सुधार करने हेतु चयनित क्षेत्र में सुचारु जल निकास प्रणाली को भी सुदृढ़ किया जाता है, जिसमें नये नालों की खुदाई एवं पूर्व से विद्यमान नालों की सफाई एवं पुनरोद्धार का कार्य कराया गया। यह परिसम्पत्तियां सम्बन्धित विभाग को एवं चयनित ग्राम की स्थल क्रियान्वयन समिति (एस0आई0सी0) को स्थानान्तरित है। निगम में नालों की सफाई हेतु पृथक से कोई कार्य नहीं किया जाता है। वर्तमान में निगम द्वारा नालों की न तो कोई सफाई का कार्य प्रस्तावित है तथा न ही कोई कार्य योजना है। उक्त योजना के अन्तर्गत जल निकास नालों के पुनरोद्धार एवं अनुरक्षण हेतु सिंचाई विभाग कार्यदायी संस्था/नोडल एजेन्सी है।

सिंचाई विभाग के वाह्य सहायतित संगठन के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित एवं उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में संचालित सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना, जिसमें कृषि विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग सम्मिलित थे, के अन्तर्गत तीन चरणों में वर्ष 1997 से 2018 तक चयनित सोडिक ड्रेनों के पुनरोद्धार का कार्य कराया गया था। ऊसर भूमि सुधार हेतु उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा कृषि विभाग एवं सिंचाई विभाग के समन्वय से तीन चरणों में कुल 2225 नालों, जिनकी कुल लम्बाई 13851.000 किमी0 थी, का चयन किया गया था। इन चयनित सोडिक ड्रेनों के पुनरोद्धार/खुदाई का कार्य इस संगठन द्वारा कराया गया था। भूमि सुधार निगम में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस परियोजना में कुल 266398 हे0 ऊसर भूमि का उपचार किया गया है।

यह परियोजना दिसम्बर, 2018 में पूर्ण हो गई है। यह भी उल्लेख करना है कि उक्त उल्लिखित सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन योजना तीन चरणों में संचालित थी। प्रथम चरण में <u>सोडिक प्रथम वर्ष 1993 से 2000 (10 जनपद), सोडिक द्वितीय वर्ष 1999 से 2007 (24 जनपद) एवं सोडिक तृतीय योजना वर्ष 2009 से 2018 (32 जनपद) में संचालित हुई है। (विवरण संलग्न)</u>। वर्तमान में इन पुनरोद्धारित सोडिक ड्रेनों के अनुरक्षण मात्र का कार्य ही इस संगठन द्वारा कराया जा रहा है। वर्ष 2021-2022 में कुल 792 ड्रेनों पर 4301.000 किमी0 लम्बाई में अनुरक्षण का कार्य इस संगठन द्वारा कराया गया है। प्रयागराज (16 ड्रेनें), संतरविदासनगर

(11 ड्रेनें), कौशाम्बी (02 ड्रेनें) एटा (09 ड्रेनें), मैनपुरी (57 ड्रेनें), कासगंज (03 ड्रेनें), फिरोजाबाद (08 ड्रेनें), इटावा (28 ड्रेनें), औरैया (43 ड्रेनें), कानपुर नगर (42 ड्रेनें), कानपुर देहात (28 ड्रेनें), अलीगढ़ (13 ड्रेनें), हाथरस (04 ड्रेनें), कन्नौज (39 ड्रेनें), बुलन्दशहर (06 ड्रेने) हैं। सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-2023 में आवंटित बजट के सापेक्ष उक्त सोडिक ड्रनों के अनुरक्षण का कार्य कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 27 जनपदों-हरदोई (23 ड्रेनें), उन्नाव (31 ड्रेनें), बाराबंकी (12 ड्रेनें), लखनऊ (08 ड्रेनें), सीतापुर (04 ड्रेनें), अमेठी (36 ड्रेनें), सुल्तानपुर (32 ड्रेनें), जौनपुर (21 ड्रेनें), आजमगढ़ (22 ड्रेनें), प्रतापगढ़ (150 ड्रेनें), रायबरेली (43 ड्रेनें), गाजीपुर (23 ड्रेनें), वाराणसी (15 ड्रेनें), इटावा (29 ड्रेनें), औरैया (28 ड्रेनें), कानपुर नगर (17 ड्रेनें), कानपुर देहात (28 ड्रेनें), अलीगढ़ (3 ड्रेनें), कन्नौज (03 ड्रेनें), बुलन्दशहर (01 ड्रेन), हाथरस (06 ड्रेनें), एटा (35 ड्रेनें), मैनपुरी (40 ड्रेनें), फतेहपुर (21 ड्रेनें), प्रयागराज (15 ड्रेनें), संतरविदासनगर (07 ड्रेनें), कौशाम्बी (01 ड्रेन) में सोडिक नालों की सफाई प्रस्तावित है।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-53 पर)

भूमि श्रेणी 5.3.1 का अंचल के अनुसार रिपोर्ट

क्रम संख्या	अंचल	1 है. से कम		1 है. से 5 है. तक		5 है. से 10 है. तक		10 है. से 25 है. तक		25 है. से 50 है. तक		50 है. से 75 है. तक		75 है. से 100 है. तक		100 है. से अधिक		योग
		संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	अमरोहा	403	101.377	27	59.531	5	40.531	3	33.892	0	0	0	0	0	0	0	0	235.331
2	अमरोहा	2921	774.805	455	885.213	16	111.808	3	36.666	0	0	0	0	0	0	0	0	1808.492
3	अलावलपुर रेहर	836	193.886	116	244.935	10	62.182	1	10.112	0	0	0	0	0	0	0	0	511.122
4	अलीपुरा	3256	847.016	519	955.4003	22	145.996	11	134.025	0	0	0	0	0	0	1	165	2599.4731
5	अहोलीदह	1794	507.98	402	834.149	32	209.211	17	249.961	1	33.736	0	0	0	0	0	0	1834.6577
6	आगरा	1023	252.1863	184	368.4784	19	137.4617	8	112.691	1	31.976	0	0	0	0	1	157	1059.7436
7	आनवगाड	2972	538.1130	306	590.925	20	111.394	5	60.390	0	0	0	0	0	0	0	0	1321.0236
8	इटरवा	618	134.1948	76	141.479	4	21.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.8118
9	उसावा	3410	881.431	773	1660.068	60	391.339	16	206.057	1	25.546	0	0	0	0	0	0	3165.444
10	एटा	715	181.133	74	145.038	9	52.72	2	23.535	0	0	0	0	0	0	0	0	405.426
11	ओरिया	760	218.339	313	675.269	43	304.757	7	84.146	1	34.217	0	0	0	0	0	0	1314.748
12	कासिम	1525	361.8819	228	714.243	49	336.997	16	350.975	2	68.178	0	0	0	0	0	0	1711.9789
13	कासिपुर देवरिया	222	76.613	111	212.885	8	54.46	1	12.374	0	0	0	0	0	0	0	0	356.332
14	कासिपुर जगत	5732	1450.0867	921	1654.6738	35	196.768	4	60.614	0	0	1	69	0	0	0	0	3393.1425
15	केसलांव	242	69.057	30	68.717	5	36.307	1	11.215	0	0	0	0	0	0	0	0	176.316
16	कुरेसिलार	269	55.225	26	32.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.304
17	कोसिल्ली	528	147.766	415	141.2745	1	7.384	0	0	3	99.179	0	0	0	0	0	0	396.4245
18	खेरी	1390	339.543	191	369.242	18	117.281	5	76.928	1	99.179	0	0	0	0	0	0	1002.175
19	गढ़िवाबाद	28	4.185	3	7.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.588
20	गाजीपुर	1421	345.6709	239	440.7638	14	96.5312	3	41.3429	0	0	0	0	0	0	0	0	924.1090
21	गोरखपुर	560	101.041	42	87.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.157
22	गोंडा	2399	485.9875	331	649.5633	29	191.854	4	60.595	0	0	0	0	0	0	0	0	1389.8013
23	गौतम बुद्ध नगर	219	63.1693	75	134.786	11	73.769	5	59.484	0	0	0	0	0	0	0	0	331.2123

51	गढ़वा	417	115.913	133	289.187	20	165.472	14	223.152	4	122.971	0	0	0	1	171.145							1068.849
52	पलामू	354	102.56	83	178.847	9	66.585	10	127.796	4	130.518	2	119.996	1	50.953	0							817.245
53	लातेहार	57	10.7774	9	16.3223	1	5.3696	0	0	0	0	1	52.16	0	0	0							84.8293
54	पूर्वी सिंहभूम	187	44.137	18	26.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							70.843
55	सिंहभूम	236	62.6145	29	55.115	1	9.884	3	47.214	0	0	0	0	0	0	0							174.8185
56	सेरेंगदा	1423	349.041	261	566.125	41	277.232	23	335.04	0	0	0	0	0	0	0							1529.438
57	रांगपुर	79	14.097	4	4.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							18.608
58	रंगपुर	3975	1116.838	1056	2018.687	71	408.586	6	92.466	2	34.384	0	0	0	0	1							4624.935
59	दक्षिण	2365	638.898	725	1540.617	84	555.529	21	272.972	0	0	0	0	0	0	0							3008.016
60	तिरोडीपुर	2683	879.1003	470	897.506	67	438.112	27	351.892	9	350.232	1	50.009	0	0	1							3479.1341
61	बरगाँवकोल	11	6.166	1	1.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							7.538
62	चालिसो	367	136.8933	52	105.3227	7	49.041	1	16.769	0	0	0	0	0	0	0							309.928
63	पाकुड़कोयुर	1222	324.098	234	493.576	21	149.286	12	178.973	3	90.828	0	0	0	0	1							1472.739
64	पाकुड़ी	316	65.709	27	50.417	5	15.268	1	15.883	0	0	0	0	0	0	0							167.277
65	सरकिबीर नगर	166	36.571	27	55.861	1	19.353	2	36.99	0	0	0	0	0	0	0							145.775
66	संथाल	557	136.006	84	175.982	6	38.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0							357.407
67	रोहतासपुर	826	136.0477	33	68.309	2	12.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0							216.9487
68	डेहरीऑनसोन	1394	339.078	201	397.04	14	94.898	1	13.024	1	27.826	0	0	0	0	0							869.866
69	रोहतासपुर	1636	361.772	182	338.124	11	72.05	3	42.316	1	27.49	0	0	0	0	0							841.952
70	बिलासपुर	1158	355.192	301	564.307	10	63.073	2	27.847	0	0	0	0	0	0	0							1010.419
71	बलरामपुर	220	62.667	47	90.245	5	32.86	1	22.414	0	0	1	66.045	0	0	0							274.291
72	हरैयपुर	181	86.199	68	179.078	10	71.942	1	12.477	0	0	0	0	0	0	0							349.696
73	हरदेव	4315	1073.7126	990	2029.3867	88	597.456	30	442.5117	1	39.536	0	0	0	0	0							4152.606
74	हरपस	937	291.339	240	505.51	21	146.332	6	84.361	0	0	0	0	0	0	0							1027.542
75	हरपुर	91	15.856	11	25.333	1	8.549	2	20.89	1	26.16	0	0	0	0	0							105.787
	Total	83734	20508.4566	14420	28752.3164	1154	7762.3358	385	5470.473	59	2014.151	13	776.469	5	451.196	8	2259.231	67996.6485					

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्र0सं0-12 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-54-55 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 के 1-मंगलवार हेतु निर्धारित श्री रविदास मेहरोत्रा, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न-12 का विवरण

जनपद लखनऊ में प्रवाहित होने वाली गोमती नदी को साफ-स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त किये जाने स्वीकृत संचालित परियोजनाओं का विवरण है:-

(अ) नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन सीवेज शोधन

क्रमांक	जनपद	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	अनुबंधत लागत (करोड़ में)			व्यय की गई धनराशि (करोड़ में)	अवशेष धनराशि (करोड़ में)
				कार्य की लागत	15 वर्ष संचालन एवं रखरखाव की लागत	योग		
1	लखनऊ	1	213.91	83.70	73.97	157.67	-	213.91

(ब) अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवेज शोधन

क्रमांक	जनपद	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	अनुबंधत लागत (करोड़ में)			व्यय की गई धनराशि (करोड़ में)	अवशेष धनराशि (करोड़ में)
				कार्य की लागत	15 वर्ष संचालन एवं रखरखाव की लागत	योग		
1	लखनऊ	1	297.38	234.30	-	234.30	83.71	181.93

स्वतंत्र देव सिंह
मंत्री

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्र0सं0-14 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-56 पर)

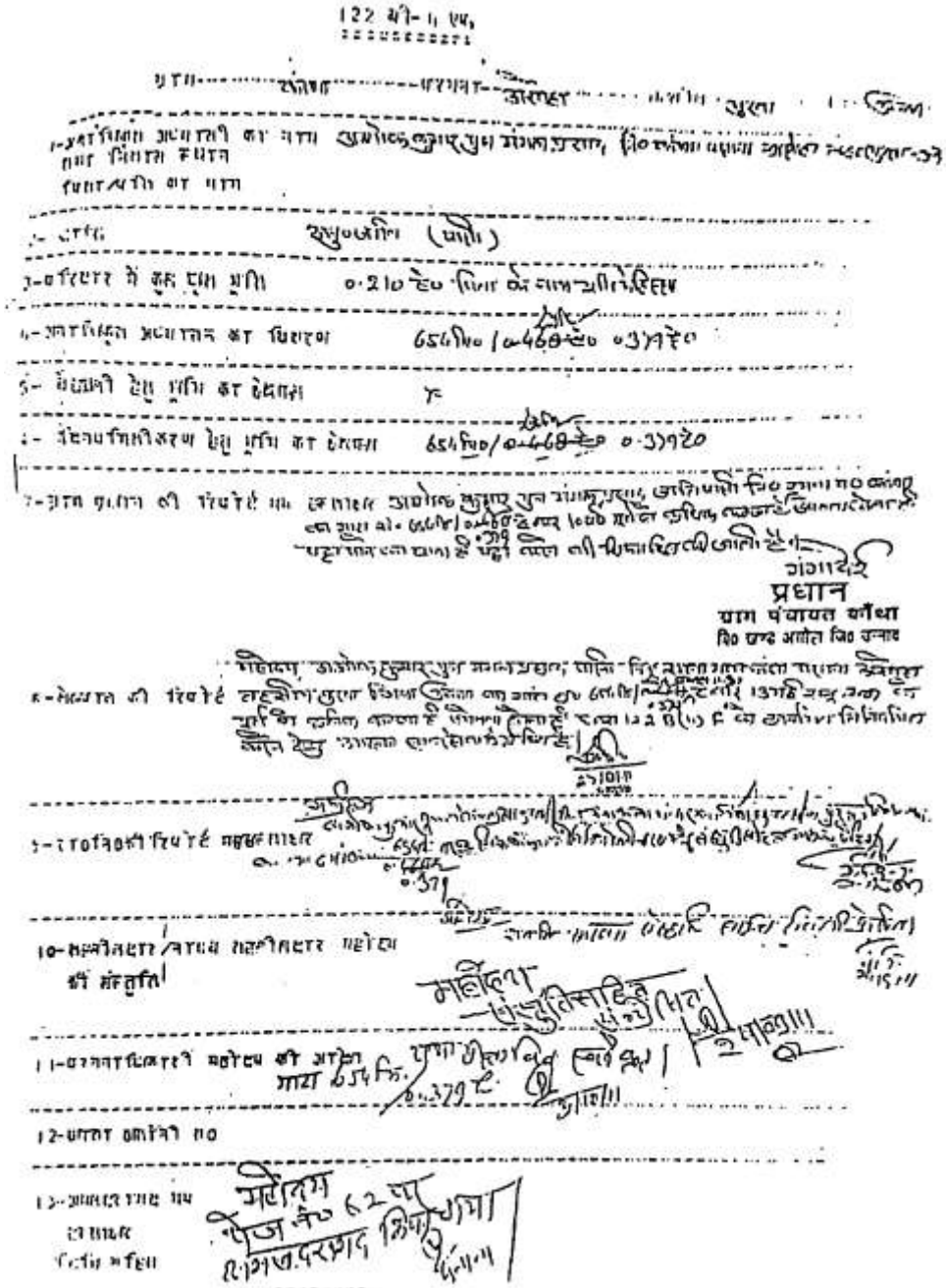

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्र0सं0-67 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-57 पर)

सहायता करनेके लिये संघटित करेगी और ऐसी समिति या समितियों को अपनी ऐसी शक्तियाँ या कृत्य प्रतिनिहित कर सकती है जैसी वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन संघटित प्रत्येक समिति में एक सभापति और छः अन्य सदस्य होंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से नियत रीति से निर्वाचित किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य और पिछड़े वर्गों का एक सदस्य होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि प्रधान [1][* * *] या ग्राम पंचायत का कोई अन्य सदस्य ऐसी किसी समिति का सभापति होगा।

30. संयुक्त समिति – (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये जो विहित किये जायें दो या अधिक [2][ग्राम पंचायतें] किसी ऐसे कार्य को करने के लिये जिनमें वे संयुक्त रूप से अभिरूचि (Interest) रखती हो, अपने प्रतिनिधियों को संयुक्त समिति की नियुक्ति करने हेतु लिखित विलेख (Instrument) द्वारा एक में सम्मिलित हो सकती है और –

(क) ऐसे शर्तों के साथ जिन्हें वे आरोपित करना उचित समझे, उस समिति को ऐसी प्रत्येक [ग्राम पंचायत][3] पर बन्धनकारी (Binding) कोई योजना बनाने के लिये जो किसी सम्मिलित निर्माण कार्य के निवारण तथा रख–रखाव के सम्बन्ध में और ऐसी किसी योजना के सम्बन्ध में उक्त किसी सभा द्वारा काम में लाये जाने वाले अधिकार के सम्बन्ध में हों, अधिकार सौंप सकती है।

(ख) ऐसी समिति के बने रहने तथा उस समिति के सदस्यों की पदावधि और कार्यवाही तथा पत्र व्यवहार करने की पद्धति के सम्बन्ध में नियम बना सकती है या उनको परिष्कृत (Modify) कर सकती है।

(2) यदि इस धारा के अधीन कार्य करते हुये [ग्राम पंचायत][4] में कोई मतभेद उत्पन्न हो तो उसे विहित प्राधिकारी के पास भेजा जायेगा और उसके सम्बन्ध में उस प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

---

[1] शब्द "उप प्रधान", उ0प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया (20–8–2007 से प्रभावी)।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।

[(3) यदि नियत प्राधिकारी ऐसा निर्देश दे तो या उससे अधिक [ग्राम पंचायतें][1] धारा 15 और 16 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों का संयुक्त रूप से निर्वहन करने के लिये इस धारा के अधीन संयुक्त समिति नियुक्त करेगी।][2]

31. प्रतिनिधायन – [* * *][3]

अध्याय 5

भूमि का अर्जन, ग्राम निधि तथा सम्पत्ति

[32. ग्राम निधि – (1) [प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक ग्राम निधि][4] होगी और वही धारा 41 के अधीन पारित आय व्यय के आर्थिक तखमीनों (Estimates) व उपबन्धों के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम या किसी अन्य विधायन (Enactment) के अधीन ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत अथवा उसकी किसी सम्पत्ति पर आरोपित (Imposed) किये गये कर्तव्यों, दायित्वों को निभाने में उपयोग में लाई जायेगी।][5]

[परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी धनराशियों के जोड़ में से जो कि उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन ग्राम कोष में जमा की गई हो, वह रकम घटाकर, जो रकम कि उक्त अधिनियम की धारा 125–क के अधीन संचित ग्राम कोष में जमा की गई हो, वह रकम जो भूमि प्रबन्धक समिति को प्रत्येक वर्ष अपने कर्तव्यों, तथा दायित्वों के पालन करने के लिये आवश्यक हो, उसको दे दी जायेगी।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि भूमि प्रबन्धक समिति का ग्राम पंचायत या ग्राम सभा से इस बात पर मतभेद होने की दशा में कि भूमि प्रबन्धक समिति को कितने रूपये की आवश्यकता है यह मामला प्रधान द्वारा निर्धारित अधिकारी को भेज दिया जायेगा जिसका निर्णय माननीय होगा।][6]

(2) ग्राम निधि में निम्नलिखित जमा किये जायेंगे –

(क) इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर की आय ;

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 9 द्वारा अन्तर्विष्ट।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8(2) 35 द्वारा बढ़ाया गया।

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्र0सं0-73 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-91 पर)

प्रेषक,
खण्ड शिक्षा अधिकारी,
मोहनलालगंज,लखनऊ।
पत्रांक- 26 / 2020-21 / दिनांक - 27.07.2020
सेवामें,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

विषय- श्री सुरेश जायसवाल,स०अ० के विरुद्ध की गयी शिकायतों के जाँच आख्या का प्रेषण।

महोदय,
सादर अवगत कराना है कि उपर्युक्त श्री सुरेश जायसवाल, स०अ०, पू० मा० वि० गोमतला, बी० के० टी० के विरुद्ध की गयी शिकायतों की विन्दुवार आख्या निम्नवत् है -

आरोप सं०-1 .- बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रधानाध्यापक के अधिकारों को अतिक्रमित करते हुए पत्र व्यवहार पंजिका पर अनुचित तरीके से स्वयं/स० अ०/अन्य के द्वारा प्रविष्टि अंकित कर विभाग से चले जाना, विभिन्न तिथियों में ओवरराइटिंग एवं कटिंग करना।

आरोपी का उत्तर - बिन्दु (i) के सम्बन्ध में यह कहना है कि इस प्रकार के कार्य रेजमा सिंह यादव,अन्य द्वारा यह कृत्य किए जाते हैं जिसके लिए इन्हें वर्ष 2015 में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गा

चुकी है। अतः यह दोषी प्रमाणित है।

जाँच में प्राप्त तथ्य — श्रीमती विमला देवी द्वारा अपने अभिकथन दिनांक - 18.01.2019 में कहा गया है कि श्री सुरेश जामसवाल, स० अ० द्वारा रजिस्टर के पन्ने नहीं फाड़े जाते हैं, आपत्तिजनक कार्य, शिक्षक संघ की मीटिंग आदि में जाते हैं। खण्ड शिक्षा अधिकारी चिनहट व बी०के०टी० की जाँच आख्या में दिनांक- 23.05.2015 से 22.02.2018 तक कुल 91 दिन विधालय समय में विधालय से बाहर जाना अंकित है। श्री सुरेश जामसवाल द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि शिक्षक संघ के पदाधिकारी होने के कारण वे शिक्षकों के कार्य से विधालय समय में विधालय से बाहर गये थे।

आरोप सं०-2 - कर्मचारी आचरण नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल आचरण करते हुए विधालय में राजनीति एवं साथी अध्यापकों के साथ गाली-गलौज करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करना।

आरोपी का उत्तर - बिन्दु (02) के सम्बन्ध में यह कहना है कि मैं 2005 से यहाँ कार्यरत हूँ। पहले किसी प्रकार का आरोप नहीं है। श्रीमती रंजना सिंह भदौरिया

- स० अ० 2012 से आयी हैं तब से यह सभी शिक्षकों से लड़ती हैं तथा बच्चों को मारती हैं जिसकी शिकायत विभाग से की जा चुकी है। ये इन्हें अमान्य है।

जाँच में प्राप्त तथ्य — समीक्षा भ्रमण व विद्यालय के कर्मियों द्वारा दिये गये अभिकथन में विद्यालय में गाली-गलौज करना सिद्ध नहीं होता है। मात्र स० अ० श्रीमती रंजना यादव द्वारा गाली देने का आरोप लगाया गया परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। विद्यालय में अध्यापकों के मध्य विवाद (श्री सुरेश जामस्वाल व श्रीमती रंजना यादव) है। यह स्थिति खेदजनक व विभाग की छवि धूमिल करने वाला है।

आरोप सं०-03 — वि० स०-नी० के० टी० में कार्यरत स०स० शिक्षा अधिकारियों एवं अध्यापकों से स्वयं के अनुसार नियम विरुद्ध तरीके से कार्य कराने का दबाव बनाना तथा कार्य न होने पर धमकी, अभद्र भाषा का प्रयोग तथा सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना।

आरोपी का उत्तर - बिन्दु (03) के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह आरोप पूर्णतः निराधार है। पूर्व में खण्ड शिक्षा अधिकारी स्वयं भ्रष्टाचार में सस्पेंड हुए तथा वर्तमान में नियुक्त खण्ड शिक्षा अधिकारी को खेल-कूद प्रतियोगिता में प्रार्थी ने स्वयं 4000/- रुपये का सहयोग किया। ये हमें अमान्य है।

जाँच में प्राप्त तथ्य - पूर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी श्री अजय विक्रम सिंह सेंद्र द्वारा दिनांक - 08.12.2016 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया था जिसमें उन्हें बात करने, अध्यापकों को भड़काने विद्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया था। विद्यालय कार्मिकों द्वारा इनका व्यवहार ठीक बताया गया है। श्रo अo रंजना सिंह यादव द्वारा इनके (श्रीजामसवाल) [illegible] उपर आरोप लगाये गये हैं।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि पूर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी व श्रo अo श्रीमती रंजना के साथ श्री जाभसवाल का विवाद हुआ था/श्रीजामसवाल को 20.08.15 को कठोर चेतावनी व 28.12.15 को प्रतिकूल प्रविष्टि तत्कालीन BSA महोदय द्वारा दी गयी है।

आरोप सं0-04 - पत्र व्यवहार पंजिका में अनुचित तरीके से कटिंग एवं ओवर राइटिंग करते हुए पत्र व्यवहार पंजिका के पन्ने क्षतिग्रस्त करना तथा

प्रधानाध्यापक के समक्ष बिना चिकित्सक के परामर्श प्रस्तुत किये ही अभिलेखों में चिकित्सा अवकाश अंकित करना साथ मनमाने तरीके से बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना

आरोपी का उत्तर – बिन्दु (04) के सन्दर्भ में यह कहना है कि प्रधानाध्यापिका द्वारा स्वयं ही लिखने को कहा जाता था। पत्र-व्यवहार में देखा जाय तो सब अपना-अपना अवकाश चढ़ाते थे। मेरे द्वारा हमेशा चिकित्सीय प्रमाण पत्र दिया गया। इसी कारण मेरा वेतन कभी अवरुद्ध नहीं हुआ। यह असत्य है।

जाँच में प्राप्त तथ्य – श्री जायसवाल द्वारा पत्र-व्यवहार पंजिका में अपना अवकाश स्वयं अंकित करना स्वीकार किया गया है। यह भी बताया गया कि प्र0अ0 के निर्देश पर सभी अध्यापक अपना-अपना अवकाश अंकित करते थे। पत्र व्यवहार पंजिका की प्रविष्टियों के अवलोकन करने पर ज्ञात होता है

कि कतिपय अंकन श्री जामसूपाल द्वारा अंकित व हस्ताक्षरित है; प0 अ0 का हस्ताक्षर नहीं है। कतिपय अंकन में प0 अ0 व श्री सुरेश जामसूपाल दोनों के हस्ताक्षर हैं।

आरोप सं0 - 05 - वर्ष 2016 में विद्यालय की प0 अ0 श्रीमती विमला देवी से एम0डी0एम0 का रू0 30,000/ जबरदस्ती छिनकर गाली-गलौज करना।

आरोपी का उत्तर - बिन्दु (05) के सन्दर्भ में यह कहना है कि यह पूर्णतः असत्य है। यह हेय अमानक है।

जाँच में प्राप्त तथ्य - प0अ0 श्रीमती विमला देवी द्वारा अपने औचक अवलोकन दिनांक - 18.01.2019 में कहा गया है कि श्री जामसूवाल द्वारा MDM का 30,000/- उनसे किसा गया था जिसका MDM बनवाया गया। कथन स्पष्ट नहीं है। अन्य कार्मिकों के बयान से स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में तत समय विवाद हुआ था।

जाँच आख्या श्रीमान् की सेवा में
अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
सादर।

संलग्नक- पत्रावली - 21 पन्ने।

भवदीय,

27.07.2020

खण्ड शिक्षा अधिकारी,
मोहनलालगंज, लखनऊ।

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्र0सं0-104 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-109 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री अखिलेश, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-104 के उत्तर का संलग्नक-

जनपद-आजमगढ, विकास खण्ड-जहानागंज

वित्तीय वर्ष 2020-21

क्र0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति
1	2	3	6	7	8	9
1	आजमगढ	जहानागंज	उमरपुर	इंद्राशनी	विनोद	अन्य
2	आजमगढ	जहानागंज	उमरपुर	अमरावती	इंद्रजीत	अन्य
3	आजमगढ	जहानागंज	उमरपुर	अनीता	संतोष	अन्य
4	आजमगढ	जहानागंज	उमरपुर	सुनीता	दया	अन्य
5	आजमगढ	जहानागंज	उमरपुर	सुनीता	चंद्रधाई	अन्य
6	आजमगढ	जहानागंज	उमरपुर	गीता	बृजमोहन	अन्य
7	आजमगढ	जहानागंज	उमरपुर	देवमती	रामश्री	अन्य
8	आजमगढ	जहानागंज	उमरपुर	शशिकला	सूर्यभन	अन्य
9	आजमगढ	जहानागंज	उमरपुर	ममता	वीरेन्द्र	अन्य
10	आजमगढ	जहानागंज	कोईलारी खुर्द	सुमित्रा	रामाश्रे	अन्य
11	आजमगढ	जहानागंज	मन्देपुर या मन्दे	मोहम्मद सैफ	जाकिर हुसैन	अल्पसंख्यक
12	आजमगढ	जहानागंज	मन्देपुर या मन्दे	जमीला बानो	रशीद जमाल	अल्पसंख्यक

वित्तीय वर्ष 2021-22

1	आजमगढ	जहानागंज	कोईलारी खुर्द	लखराज	सरखू	अन्य
2	आजमगढ	जहानागंज	कोईलारी खुर्द	नागेन्द्र	रामवृक्ष	अन्य

जनपद-आजमगढ, विकास खण्ड-रानी की सराय

वित्तीय वर्ष 2020-21

क्र0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति
1	2	3	4	5	6	7
1	आजमगढ	रानी की सराय	भैरोपुर कला	फूलो देवी	जगदीश	अनुसूचित जाति
2	आजमगढ	रानी की सराय	भैरोपुर कला	किशनौता	सुभाष चंद्र	अनुसूचित जाति
3	आजमगढ	रानी की सराय	भैरोपुर कला	उमा	श्रीविन्द	अनुसूचित जाति
4	आजमगढ	रानी की सराय	भैरोपुर कला	अनीषा	लालबाबू	अनुसूचित जाति
5	आजमगढ	रानी की सराय	भैरोपुर कला	आशा देवी	महेन्द्र	अनुसूचित जाति
6	आजमगढ	रानी की सराय	भैरोपुर कला	भृगुनाथ	धनाई	अनुसूचित जाति
7	आजमगढ	रानी की सराय	भैरोपुर कला	सैंटी	दयाराम	अन्य
8	आजमगढ	रानी की सराय	धुरिपुर	तिरथराज	दिलराम	अनुसूचित जाति
9	आजमगढ	रानी की सराय	धुरिपुर	पुष्पा	मंशा	अनुसूचित जाति
10	आजमगढ	रानी की सराय	धुरिपुर	अरविंद	शंकर राम	अनुसूचित जाति
11	आजमगढ	रानी की सराय	धुरिपुर	सहना बनो	अफशर	अल्पसंख्यक
12	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	बिन्दु	प्रहलाद	अनुसूचित जाति
13	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	चंद्रकला	मनोज कुमार	अनुसूचित जाति
14	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	राजपति	अर्जुन	अनुसूचित जाति
15	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	उर्मिला	प्रदीप कुमार	अनुसूचित जाति
16	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	अशोक कुमार	राजमंगल	अनुसूचित जाति
17	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	गीता	अनिल कुमार	अनुसूचित जाति
18	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	अनिल	शुभकरन	अनुसूचित जाति
19	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	अनिल कुमार	हरिलाल चौहान	अन्य
20	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	अशोक	हरि	अन्य
21	आजमगढ	रानी की सराय	अमहा मफी	मीरा	रामदिहल	अनुसूचित जाति
22	आजमगढ	रानी की सराय	अमहा मफी	सरोज	विनोद	अन्य
23	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	बेशू	किशोर	अनुसूचित जाति
24	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	किशा	प्रकाश	अनुसूचित जाति
25	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	सुमित्रा	रमेश चंद	अनुसूचित जाति
26	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	नीहरी	सुखी	अनुसूचित जाति
27	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	सोनमती	मोहित	अनुसूचित जाति
28	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	इंद्रेश	श्रीपत	अनुसूचित जाति
29	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	चंद्रकला	सुभाष	अनुसूचित जाति
30	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	दिनेश	फुलचंद	अनुसूचित जाति
31	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	राजपाल	चंद्रबली	अनुसूचित जाति
32	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	सोनाजी	मोहन	अनुसूचित जाति

33	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	प्रमिला	अयोध्या	अनुसूचित जाति
34	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	विधा	दशरथ	अनुसूचित जाति
35	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	अनीता	बृजभान	अनुसूचित जाति
36	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	बालकिशुन	गुलाब	अन्य
37	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	शायरा	मुस्तफा	अल्पसंख्यक
38	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	अजिबुन निशा	इमारन	अल्पसंख्यक
39	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	सरोज	हरिकिसुन	अन्य
40	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	बृजेश कुमार	महावीर	अन्य
41	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	शाहजान	सुहैल	अल्पसंख्यक
42	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	सीमा	मंगल	अन्य
43	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	खुर्शीद	सूफियान	अल्पसंख्यक
44	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	मुमताज	कुदबली	अल्पसंख्यक
45	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	रामधनी	बलिहारी	अन्य
46	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	जुनैद	सूफियान	अल्पसंख्यक
47	आजमगढ	रानी की सराय	मुईया मखदुमपुर	गुड्डी	इस्माथिल	अल्पसंख्यक

वित्तीय वर्ष 2021-22

1	आजमगढ	रानी की सराय	भैरोपुर कला	साक्षी देवी	सुरेश	अनुसूचित जाति
2	आजमगढ	रानी की सराय	भैरोपुर कला	शीला	राज कुमार	अनुसूचित जाति
3	आजमगढ	रानी की सराय	भैरोपुर कला	सुभाष	शंकर	अनुसूचित जाति
4	आजमगढ	रानी की सराय	धुरिपुर	चनराई देवी	तपसी	अनुसूचित जाति
5	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	धनदेई	मुनीलाल	अनुसूचित जाति
6	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	झिनकी	रामदर्शन	अनुसूचित जाति
7	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	यशवंत	इन्द्रजीत	अनुसूचित जाति
8	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	धर्मराज	हिरमैन	अनुसूचित जाति
9	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	राजू	बलिहारी	अनुसूचित जाति
10	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	इंद्रवती	रामबली	अन्य
11	आजमगढ	रानी की सराय	हुसैनपुर बड़ागाव	बिन्दु	ज्ञानचंद	अन्य

जनपद-आजमगढ, विकास खण्ड-तरवां

वित्तीय वर्ष 2020-21

क्र0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति
1	2	3	4	5	6	7
1	आजमगढ	तरवां	रसरा	बरातु	जयश्री	अन्य
2	आजमगढ	तरवां	रसरा	मुन्नीलल यादव	स्व0 भुखन यादव	अन्य
3	आजमगढ	तरवां	रस्तिपुर	राजकुमारी	प्रहलाद	अन्य

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्र0सं0-120 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-117-118 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री अतुल प्रधान, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-120 के उत्तर का संलग्नक-

जनपद मेरठ में विधान सभा क्षेत्र सरधना में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों की सूची

क्र0	विधान सभा	वित्तीय वर्ष	विकास खण्ड	आवास प्लस आई0डी0/पी0एम0 एवाई0जी0 आई0डी0	ग्राम पंचायत का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सरधना	2016-17	सरधना	2109323	मढियाई	समीना	शौकत अली	अल्पसंख्यक
2	सरधना	2016-17	सरधना	2850247	मढियाई	रमजानी	घमन	अल्पसंख्यक
3	सरधना	2016-17	सरधना	3264559	मढियाई	जरीना	समीम	अल्पसंख्यक
4	सरधना	2016-17	सरधना	2722336	खेड़ा	कैंपाती	जगमेन्द्र	सामान्य
5	सरधना	2016-17	सरधना	2834814	टेहरकी	नीलू	ताराचन्द	अनु0
6	सरधना	2016-17	सरधना	4655462	शाहपुर जटीट	सरस्वती	मामचन्द	अनु0
7	सरधना	2016-17	सरधना	3509396	कपसाड	सर्वेश	सुभाष	सामान्य
8	सरधना	2016-17	सरधना	3810774	मण्डौरा	दुलारी	सुशील	अनु0
9	सरधना	2016-17	सरधना	3797218	मण्डौरा	भूरी	सुरेन्द्र	सामान्य
10	सरधना	2016-17	सरधना	4209659	मण्डौरा	सतवीर	रतिराम	अनु0
11	सरधना	2016-17	सरधना	3484867	नंगलाराठी	सुमन	अशोक कुमार	अनु0
12	सरधना	2016-17	सरधना	3243288	सरधना देहात	मंजू	रामपाल	अनु0
13	सरधना	2016-17	सरधना	5035509	सरधना देहात	राजेश	चन्द्रपाल	अनु0
14	सरधना	2016-17	सरधना	2941291	सरधना देहात	गोमती	रामकिशन	अनु0
15	सरधना	2016-17	सरधना	2836971	कैली	मंजू	सुभाष	सामान्य
16	सरधना	2016-17	सरधना	2828492	कैली	रहीसा	गफ्फूर	अल्पसंख्यक
17	सरधना	2016-17	सरधना	2960970	कुन्जन	रुकसाना	इस्तयाक	अल्पसंख्यक
18	सरधना	2016-17	सरधना	5669678	कुशावली	संगीता सैनी	देशपाल	सामान्य
19	सरधना	2016-17	सरधना	3433879	कुशावली	डोली शर्मा	देवेन्द्र शर्मा	सामान्य
20	सरधना	2016-17	सरधना	2985946	रुहासा	नूरजहाँ	रहीमूद्दीन	अल्पसंख्यक
21	सरधना	2016-17	सरधना	3575218	रुहासा	जगवती	फिरनपाल	अनु0
22	सरधना	2016-17	सरधना	2985335	रुहासा	फरीदा खातून	दीन मो0	अल्पसंख्यक

23	सरधना	2016-17	सरधना	3874039	रुहासा	नसरीन रिजवी	असरार	अल्पसंख्यक
24	सरधना	2016-17	सरधना	2976077	रुहासा	मोमीना	गोविन	अल्पसंख्यक
25	सरधना	2016-17	मवाना	UP3544621	बातनौर-गुडम्ब	सीमा देवी	सोनपाल	अनु0जाति
26	सरधना	2016-17	मवाना	UP2442526	बातनौर	तारावती	भागराम	पिछडी जाति
27	सरधना	2016-17	मवाना	UP1442131	खालिदपुर	चन्द्रवती	गंगाराम	अनु0जाति
28	सरधना	2016-17	मवाना	UP2721118	नंगला काटर	शिवकुमारी	बलजीत	पिछडी जाति
29	सरधना	2016-17	मवाना	UP1964829	नंगला ऐजदी	सुनीता	नैनसिंह	अनु0जाति
30	सरधना	2016-17	मवाना	UP3239144	रहावती	दयावती	सुरजमल	अनु0जाति
31	सरधना	2016-17	दौराला	UP2448155	महल	संगीता	सुरेश	अनु0जाति
32	सरधना	2016-17	दौराला	UP3952113	चिरौडी	सम्बुन्दरी	राजकुमार	सामान्य जाति
33	सरधना	2016-17	दौराला	UP3324225	समौली सलेमपुर	मंजु	प्रमोद	सामान्य जाति
34	सरधना	2016-17	दौराला	UP1738866	समौली सलेमपुर	राजेश देवी	धीर सिंह	अनु0जाति
35	सरधना	2016-17	दौराला	UP2973280	जेवरी	शिवानी	लक्ष्मण	अनु0जाति
36	सरधना	2016-17	दौराला	UP2973292	जेवरी	डोली	सोनू	अनु0जाति
37	सरधना	2016-17	दौराला	UP4114499	जलालपुर बेहटा	कमलेश	जगपाल सिंह	अनु0जाति
38	सरधना	2017-18	दौराला	UP2981846	महल	आशी	मुस्तकिम	अल्पसंख्यक
39	सरधना	2020-21	सरधना	121632850	झिटकरी	निशा	मदनपाल	अनु0जाति
40	सरधना	2020-21	मवाना	119886746	बिसौला	जयपाल	राजवीर	अनु0जाति
41	सरधना	2020-21	मवाना	140438178	गगसौना	सौनिया	बल्लू	अनु0जाति
42	सरधना	2020-21	मवाना	122462314	खाता	मोहर्रम अली	अनवर	अल्पसंख्यक
43	सरधना	2020-21	मवाना	140447697	नेडू	सुनीता रानी	पवन कुमार	सामान्य
44	सरधना	2020-21	मवाना	140538224	पिलौना	अन्जू	दलीप	अनु0जाति
45	सरधना	2020-21	मवाना	117443825	पिलौना	अंशिका	मोहित	सामान्य
46	सरधना	2020-21	मवाना	117428286	पिलौना	सईदा	जान मौ0	अल्पसंख्यक
47	सरधना	2020-21	मवाना	125846336	सलौता	फूलमिजरा	अफजाल	अल्पसंख्यक
48	सरधना	2020-21	सरधना	123820733	अटेरना	सुशील कुमार	जोधा	अनु0जाति
49	सरधना	2020-21	सरधना	123140921	अटेरना	राधे कृष्ण	मंगते	अनु0जाति

50	सरधना	2020-21	सरधना	117640057	ऐतमादनगर अलीपुर	विमलेश	सुन्दर लाल	अनु0जाति
51	सरधना	2020-21	सरधना	121731540	औरंगनगर रार्घना	रिषिपाल	भागमल	अनु0जाति
52	सरधना	2020-21	सरधना	140017232	औरंगनगर रार्घना	जयवीर सिंह	विक्रम	अनु0जाति
53	सरधना	2020-21	सरधना	136818247	औरंगनगर रार्घना	उर्मिला	कुँवरपाल	
54	सरधना	2020-21	सरधना	121668544	भामोरी	कृष्णपाल	मामराज	अनु0जाति
55	सरधना	2020-21	सरधना	117444021	चांदना	बसन्त	रूप सिंह	अनु0जाति
56	सरधना	2020-21	सरधना	122511887	छबड़िया	हुकुम सिंह	प्रभू	अनु0जाति
57	सरधना	2020-21	सरधना	122876932	जलालपुर अकखेपुर	मदनपाल	जग्गे	अनु0जाति
58	सरधना	2020-21	सरधना	137005945	जुल्हेड़ा	राजू	दैवी सिंह	अनु0जाति
59	सरधना	2020-21	सरधना	123040375	कमरुद्दीन नगर मदैया	राजेश	दीपक कुमार	अनु0जाति
60	सरधना	2020-21	सरधना	123038433	कमरुद्दीन नगर मदैया	हूरा	काले	अल्पसंख्यक
61	सरधना	2020-21	सरधना	121345382	कपसाढ	नरेश कुमार	बालेश्वर	अनु0जाति
62	सरधना	2020-21	सरधना	122515718	ख्वाजापुर कुशावली	महीपाल	मामराज	सामान्य
63	सरधना	2020-21	सरधना	122803542	कुलंजन	आयशा बेगम	राशिद खान	अल्पसंख्यक
64	सरधना	2020-21	सरधना	117903712	महादेव	दयाचन्द	खचेड़ू	अनु0जाति
65	सरधना	2020-21	सरधना	117901863	महादेव	समीम	कासिमुद्दीन	अल्पसंख्यक
66	सरधना	2020-21	सरधना	122057978	मौजमाबाद ज्वालागढ	मान सिंह	दयाराम	सामान्य
67	सरधना	2020-21	सरधना	123079918	रुहासा	हनीफा	हसीन अहमद	अल्पसंख्यक
68	सरधना	2020-21	सरधना	122884326	सलावा	मेमकला	पीतम	अनु0जाति
69	सरधना	2020-21	सरधना	122883288	सलावा	पूनम	लक्ष्मण	सामान्य
70	सरधना	2020-21	सरधना	121373490	सरधना देहात	ओमवीर	जयचन्द	अनु0जाति
71	सरधना	2020-21	सरधना	121368341	सरधना देहात	शान्ति देवी	विनोद कुमार	अनु0जाति
72	सरधना	2020-21	सरधना	124143288	टेहरकी	पिंकी	पप्पू	अनु0जाति
73	सरधना	2020-21	सरधना	124143824	टेहरकी	छोटे लाल	रामचन्द्र	अनु0जाति

74	सरधना	2020-21	दौराला	119992698	अझोता	मुकेश	हरेन्द्र	अनु0जाति
75	सरधना	2020-21	दौराला	119987729	अझोता	संगीता	ललित	अनु0जाति
76	सरधना	2020-21	दौराला	119992766	अझोता	श्यामो	जयप्रकाश	सामान्य
77	सरधना	2020-21	दौराला	124154701	अख्त्यारपुर	शर्मिष्ठा	राकेश	अनु0जाति
78	सरधना	2020-21	दौराला	131079675	बिहटा	रानी	जौनी	अनु0जाति
79	सरधना	2020-21	दौराला	131078692	जलालाबाद उर्फ जलालपुर	कौशल	रामभूल	अनु0जाति
80	सरधना	2020-21	दौराला	128206611	जमालपुर जलालपुर	कुन्तेश	बाबू	अनु0जाति
81	सरधना	2020-21	दौराला	139609531	खेडी टप्पा लावड	आरती	विवेकानन्द मोहन	अनु0जाति
82	सरधना	2020-21	दौराला	126808164	मछरी	पिंकी	छत्रपाल	सामान्य
83	सरधना	2020-21	दौराला	121685853	महलका	बिल्किश	नसीर	अल्पसंख्यक
84	सरधना	2020-21	दौराला	121378645	महल	रविता	विजयपाल	अनु0जाति
85	सरधना	2020-21	दौराला	126004160	मैयना इन्दर सिंह	मन्जेश	महेश	अनु0जाति
86	सरधना	2020-21	दौराला	131073649	मामेपुर उर्फ देदुवा	निधिलेश	सुभाष	अनु0जाति
87	सरधना	2020-21	दौराला	122186915	मटौर	मीनाक्षी	चंद्रभान	अनु0जाति
88	सरधना	2020-21	दौराला	122894408	मवी मौरा	सुनीता	चन्द्रपाल	अनु0जाति
89	सरधना	2020-21	दौराला	119856389	मीठेपुर	सुनीता	रविन्द्र	अनु0जाति
90	सरधना	2020-21	दौराला	123214548	मुख्त्यारपुर नगला	कमलेश	राजकुमार	अनु0जाति
91	सरधना	2020-21	दौराला	119935233	पनवाडी	सविता	हरेन्द्र	अनु0जाति
92	सरधना	2020-21	दौराला	128571535	समोली सलेमपुर	कुलसुम	धर्मेन्द्र	अनु0जाति
93	सरधना	2020-21	दौराला	130764401	वलीदपुर	माला	प्रदीप	अनु0जाति
94	सरधना	2020-21	दौराला	130764524	वलीदपुर	मुकेश	चन्द्रवीर	सामान्य
95	सरधना	2021-22	दौराला	117450021	पिलौना	लक्ष्मी	पाले सिंह	अनु0जाति
96	सरधना	2021-22	सरधना	139697351	अटेरना	अनीता	लोकेश	अनु0जाति
97	सरधना	2021-22	सरधना	136818247	औरंगनगर सार्धना	राकेश	कुवरपाल	सामान्य
98	सरधना	2021-22	सरधना	117449135	चांदना	मनोज	रणधीर सिंह	सामान्य
99	सरधना	2021-22	सरधना	117903556	महादेव	विमलेश	पवन	अनु0जाति
100	सरधना	2021-22	सरधना	117902360	महोदय	कमला	सुखबन	सामान्य

101	सरधना	2021-22	सरधना	119276772	मौजमाबाद ज्वालागढ	सतपाल	कर्मसिंह	सामान्य
102	सरधना	2021-22	सरधना	123030696	रुहासा	जाफर	हबीब	अल्पसंख्यक
103	सरधना	2021-22	दौराला	123394569	बड़कली नैकपुर	ओमकारी	मंगलदास	अनु0जाति
104	सरधना	2021-22	दौराला	128817293	चिरौड़ी	रीना	प्रमोद	सामान्य
105	सरधना	2021-22	दौराला	131077053	जलालाबाद उर्फ जलालपुर	सनज	गफ्फार	अल्पसंख्यक
106	सरधना	2021-22	दौराला	121808094	खनौदा	रुबी	राजेन्द्र कुमार	अनु0जाति
107	सरधना	2021-22	दौराला	122146704	खनौदा	कविता	महेश चन्द	सामान्य
108	सरधना	2021-22	दौराला	132291058	लोइया	रानी	राजपाल	अनु0जाति
109	सरधना	2021-22	दौराला	125287725	लोइया	अफसा	गुल्जार	अल्पसंख्यक
110	सरधना	2021-22	दौराला	121688463	महलका	सुशीला	रतनपाल	अनु0जाति
111	सरधना	2021-22	दौराला	120567495	महलका	शशी	राजबीर सिंह	सामान्य
112	सरधना	2021-22	दौराला	146649250	महलका	अन्नो	अबरार	अल्पसंख्यक
113	सरधना	2021-22	दौराला	120567316	महलका	साबरा	फकरुद्दीन	अल्पसंख्यक
114	सरधना	2021-22	दौराला	120645074	महल	मुनेश कुमारी	ब्रह्म सिंह	सामान्य
115	सरधना	2021-22	दौराला	126014878	मैथना इन्दर सिंह	आशा	दीपक	अनु0जाति
116	सरधना	2021-22	दौराला	126016118	मैथना इन्दर सिंह	सुमन	राजबीर सिंह	सामान्य
117	सरधना	2021-22	दौराला	122555767	मवी मौरा	वकीला	शफीक	अल्पसंख्यक
118	सरधना	2021-22	दौराला	119856566	मीठेपुर	अंगूरी	महबूब	अल्पसंख्यक
119	सरधना	2021-22	दौराला	132365509	समसपुर	रुबी	परमेन्द्र कुमार	अनु0जाति
120	सरधना	2021-22	दौराला	124122358	समौली सलेमपुर	रुखसाना	अमीरुद्दीन	अल्पसंख्यक
121	सरधना	2021-22	दौराला	130764442	वलीदपुर	मुनेश	सतीश	अनु0जाति

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्र0सं0-129 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-123 पर)

पूर्व विधानमण्डल सदस्यों की सूची।

क्र0सं0	महानुभाव का नाम	जनपद का नाम
1	श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह	आगरा
2	श्री राम शंकर गुर्जर	आगरा
3	श्री महेश गोयल	आगरा
4	श्री कालीचरन सुमन	आगरा
5	श्री रामप्रताप चौहान	आगरा
6	डा0 राजेन्द्र सिंह	आगरा
7	श्री राजकुमार यादव	मैनपुरी
8	श्री सोबरन सिंह यादव	मैनपुरी
9	श्री अरविन्द प्रताप सिंह यादव	मैनपुरी
10	श्री सतीश सिंह राठौर	मैनपुरी
11	श्री प्रदीप माथुर	मथुरा
12	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	मथुरा
13	श्री प्रनत पाल सिंह	मथुरा
14	श्री श्याम सिंह अहीरिया	मथुरा
15	श्री राजकुमार रावत	मथुरा
16	ठा0 करौन्दा सिंह	मथुरा
17	श्री हरिओम यादव	फिरोजाबाद
18	श्री रामवीर सिंह	फिरोजाबाद
19	श्री शिव सिंह चक	फिरोजाबाद
20	श्री ओम प्रकाश वर्मा	फिरोजाबाद
21	डा0 दिलीप यादव	फिरोजाबाद
22	श्री उदय वीर सिंह	फिरोजाबाद
23	श्री रामगोपाल पप्पू लोधे	फिरोजाबाद
24	श्री संजीव राजा	अलीगढ़
25	ठा0 बलवीर सिंह	अलीगढ़
26	श्रीमती प्रभलता वर्मा	अलीगढ़
27	श्रीमती रामसती कठेरिया	अलीगढ़
28	श्री सत्यपाल सिंह	अलीगढ़
29	डा0 राम सिंह	अलीगढ़
30	श्री जफर आलम	अलीगढ़
31	श्री प्रमोद गौड़	अलीगढ़
32	ठा0 राकेश सिंह	अलीगढ़
33	हाजी जमीरउल्लाह	अलीगढ़
34	श्री सुनील सिंह	अलीगढ़
35	श्री विवेक बंसल	अलीगढ़
36	श्री मुकुल उपाध्याय	अलीगढ़
37	श्री प्रवेन्द्र पाल सिंह	एटा

38	श्री सुधाकर वर्मा	एटा
39	श्री अवध पाल सिंह यादव	एटा
40	श्री प्रजापतन वर्मा	एटा
41	श्री रज्जन पाल सिंह	एटा
42	श्री खुदेर सिंह अहिरिया	एटा
43	श्री अजय यादव	एटा
44	श्री शिशुपाल सिंह यादव	एटा
45	श्री रामवीर उपाध्याय	हाथरस
46	श्री हरि शंकर माहौर	हाथरस
47	श्री यशपाल सिंह चौहान	हाथरस
48	श्री जसवन्त सिंह	हाथरस
49	श्रीमती शोभा सिंह चौहान	अयोध्या
50	श्री सैय्यद अब्बास अली जैदी	अयोध्या
51	श्री गोरखनाथ बाबा	अयोध्या
52	श्री आनन्द सेन यादव	अयोध्या
53	श्री तेज नरायण पाण्डेय	अयोध्या
54	श्रीमती तीतावती कुशवाहा	अयोध्या
55	श्री मनोज कुमार सिंह	अयोध्या
56	श्री विनय कटियार	बाराबंकी
57	श्रीमती प्रियंका सिंह रावत	बाराबंकी
58	श्री पी0एल0 पुनिया	बाराबंकी
59	श्री अरविन्द सिंह गोप	बाराबंकी
60	श्री राजेश यादव	बाराबंकी
61	श्री धर्मराज निषाद	अम्बेडकरनगर
62	श्री देवमणि द्विवेदी	सुलतानपुर
63	श्री अरुण वर्मा	सुलतानपुर
64	श्री जयनरायण तिवारी	सुलतानपुर
65	श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी	सुलतानपुर
66	श्रीमती वन्दना सिंह	आजमगढ़
67	श्री अरुण कुमार यादव	आजमगढ़
68	श्री राम आसरे विश्वकर्मा	आजमगढ़
69	श्री राम जतन राजभर	मऊ
70	श्री अम्बिका चौधरी	बलिया
71	श्री उपेन्द्र तिवारी	बलिया
72	श्री राज किशोर सिंह	बस्ती
73	श्री राकेश सिंह बघेल	संतकबीरनगर
74	श्री शंखलाल माझी	संतकबीरनगर
75	श्री राजेश कुमार मिश्रा	बरेली
76	श्री विजय पाल सिंह	बरेली

77	श्रीमती सुमनलता	बरेली
78	श्री भगवत शरण गंगवार	बरेली
79	श्री सुल्तान बेग	बरेली
80	श्री विनोद शाक्य	बदायूं
81	श्री नीरज कुशवाहा	शाहजहाँपुर
82	श्री देवेन्द्र पाल सिंह	शाहजहाँपुर
83	श्री शरदवीर सिंह	शाहजहाँपुर
84	श्री राजेश यादव	शाहजहाँपुर
85	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह	शाहजहाँपुर
86	श्री रोशन लाल वर्मा	शाहजहाँपुर
87	श्री अवधेश वर्मा	शाहजहाँपुर
88	श्रीमती शकुन्तला देवी	शाहजहाँपुर
89	श्री संजय मिश्रा	शाहजहाँपुर
90	श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी	चित्रकूट
91	श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय	चित्रकूट
92	श्री आनन्द शुक्ला	चित्रकूट
93	श्री जगदीश सिंह, पूर्व विधायक	बांदा
94	श्री सिद्ध गोपाल सिंह	महोबा
95	श्री अरिमर्दन सिंह	महोबा
96	श्री रमेश मिश्रा	हमीरपुर
97	श्री मसूद अख्तर	सहारनपुर
98	श्री धर्म सिंह सैनी	सहारनपुर
99	श्री नरेश सैनी	सहारनपुर
100	श्री संजय गर्ग	सहारनपुर
101	श्री महावीर राणा	सहारनपुर
102	श्री जगपाल सिंह	सहारनपुर
103	श्री मनोज चौधरी	सहारनपुर
104	श्री हेम सिंह पुण्डीर	सहारनपुर
105	श्री साहब सिंह सैनी	सहारनपुर
106	श्री उमेश मलिक	मुजफ्फरनगर
107	श्री प्रमोद उठवाल	मुजफ्फरनगर
108	श्री सोमपाल प्रकाश	मुजफ्फरनगर
109	श्री योगराज सिंह	मुजफ्फरनगर
110	डा0 जगत सिंह	मुजफ्फरनगर
111	श्री हरेन्द्र मलिक	मुजफ्फरनगर
112	श्री सुरेश राणा	शामली
113	श्री राजेश्वर बंसल	शामली
114	श्री आनन्द सिंह	गोण्डा
115	श्री बैजनाथ दुबे	गोण्डा

116	श्री अजय प्रताप सिंह	गोण्डा
117	श्री योगेश प्रताप सिंह	गोण्डा
118	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	बहराईच
119	श्री बाशर शाह	बहराईच
120	श्री अरूण वीर सिंह	बहराईच
121	श्री मुकेश श्रीवास्तव	बहराईच
122	श्री राजेन्द्र सिंह	गोरखपुर
123	श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल	गोरखपुर
124	श्री देवनरायण	गोरखपुर
125	श्री आशुतोष उपाध्याय	देवरिया
126	श्री चन्द्र पाल यादव	झांसी
127	श्री कैलाश साहू	झांसी
128	श्री रवीन्द्र शुक्ला	झांसी
129	श्री दीप नरायण सिंह	झांसी
130	श्री रतन लाल अहिरवार	झांसी
131	श्री प्रदीप जैन	झांसी
132	श्री रणजीत सिंह जूदेव	झांसी
133	श्री बृजेन्द्र व्यास	झांसी
134	श्री बिहारी लाल आर्य	झांसी
135	श्रीमती निर्मला शंखवार	कानपुर देहात
136	श्री विनोद कटियार	कानपुर देहात
137	श्रीमती सावित्री कठेरिया	इटावा
138	श्री दयाराम प्रजापति	इटावा
139	श्रीमती सुखदा मिश्रा	इटावा
140	श्री के0के0 राज	इटावा
141	श्री रघुराज सिंह शाक्य	इटावा
142	श्री बनवारी लाल दोहरे	कन्नौज
143	श्री अरविन्द प्रताप सिंह	कन्नौज
144	श्री स्वामी प्रसाद मौर्या	लखनऊ
145	श्री सुरेश राणा	लखनऊ
146	श्री संजय यादव	लखनऊ
147	श्री हरि प्रताप सिंह	लखनऊ
148	श्री अविनाश त्रिवेदी	लखनऊ
149	श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	लखनऊ
150	श्री सुनील सिंह साजन	लखनऊ
151	श्री राजकुमार अग्रवाल	हरदोई
152	श्री राकेश प्रताप सिंह	रायबरेली
153	श्री भरत त्रिपाठी	सीतापुर
154	श्री राकेश सिंह	सीतापुर

	श्रीमती जाम्मीन अंसारी	सीतापुर
156	श्री सुनील कुमार वर्मा	सीतापुर
157	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा	सीतापुर
158	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह यादव	सीतापुर
159	श्री बाला प्रसाद अवस्थी	खीरी
160	श्री हीरा ठाकुर	खीरी
161	श्री आर0एस0 कुशवाहा	खीरी
162	श्री दिनेश सिंह	खीरी
163	श्री हृदय नारायण दीक्षित	उन्नाव
164	श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी	उन्नाव
165	श्री राधे लाल रावत	उन्नाव
166	श्री सुदेश शर्मा	गाजियाबाद
167	श्री जितेन्द्र यादव	गाजियाबाद
168	श्री प्रशान्त चौधरी	गाजियाबाद
169	श्रीमती विमला सोलंकी	बुलन्दशहर
170	श्री विजेन्द्र सिंह खटीक	बुलन्दशहर
171	श्रीमती अनीता लोधी	बुलन्दशहर
172	श्री मुकेश शर्मा	बुलन्दशहर
173	श्री संगीत सोम	मेरठ
174	श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेई	मेरठ
175	श्री हरपाल सैनी	मेरठ
176	श्री जगत सिंह	मेरठ
177	श्री लखीराम नागर	मेरठ
178	श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल	मेरठ
179	श्री जितेन्द्र सतवाई	मेरठ
180	श्री सत्यवीर त्यागी	मेरठ
181	श्री सर्वेश कुमार सिंह	मुरादाबाद
182	श्री अकबर हुसैन	मुरादाबाद
183	श्री हरिओम शर्मा	मुरादाबाद
184	श्री अनीसुर्रहमान	मुरादाबाद
185	हाजी इकराम कुरैशी	मुरादाबाद
186	श्री राजेश कुमार सिंह	मुरादाबाद
187	श्री वीर सिंह	मुरादाबाद
188	श्री संजय कपूर	रामपुर
189	श्री नवाब काजिम अली	रामपुर
190	श्री शिव बहादुर सक्सेना	रामपुर
191	श्री कमलेश सैनी	बिजनौर
192	मोहम्मद इकबाल	बिजनौर
193	श्री मूलचन्द्र चौहान	बिजनौर

	श्री नईम-उल-हसन	बिजनौर
195	श्री सुरेश कुमार पाराशर	बिजनौर
196	श्री परमेश्वर लाल सैनी	सम्भल
197	श्री रामस्वरूप आगी	सम्भल
198	श्री अजीत कुमार उर्फ राजू	सम्भल
199	श्री प्रदीप कुमार	सम्भल
200	श्री अर्कालुर्रहमान	सम्भल
201	श्री कैलाश चौरसिया	मिर्जापुर
202	श्री केदारनाथ सिंह	मिर्जापुर
203	श्री श्याम सिंह	सोनभद्र
204	श्री रवीन्द्र त्रिपाठी	भदोही
205	श्री रंगनाथ मिश्रा	भदोही
206	श्री यमुना प्रसाद सरोज	प्रयागराज
207	श्री उज्ज्वल रमन सिंह	प्रयागराज
208	श्री मुजतबा सिद्दीकी	प्रयागराज
209	श्री वासुदेव यादव	प्रयागराज
210	श्री सईद अहमद	प्रयागराज
211	श्री राकेश त्रिपाठी	प्रयागराज
212	श्री अशोक कुमार बाजपेई	प्रयागराज
213	श्री अमरजीत सिंह जनसेवक	फतेहपुर
214	श्री विक्रम सिंह	फतेहपुर
215	श्री आदित्य पाण्डेय	फतेहपुर
216	श्री लाल बहादुर	कौशाम्बी
217	श्री शीतला पटेल	कौशाम्बी
218	श्री संजय कुमार गुप्ता	कौशाम्बी
219	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह मोती सिंह	प्रतापगढ़
220	श्री शिवाकान्त ओझा	प्रतापगढ़
221	श्री राम शिरोमणि शुक्ला	प्रतापगढ़
222	श्री अभय कुमार	प्रतापगढ़
223	डा0 वीना पाण्डेय	वाराणसी
224	श्री प्रदीप कुमार खजाज	वाराणसी
225	श्री मणि शंकर पाण्डेय	वाराणसी
226	श्री उदय लाल मौर्य	वाराणसी
227	श्री अजय राय	वाराणसी
228	श्री राजेश कुमार मिश्रा	वाराणसी
229	श्री कैलाश नाथ सोनकर	वाराणसी ग्रामीण
230	श्री सुरेन्द्र नरायण सिंह	वाराणसी ग्रामीण
231	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	वाराणसी ग्रामीण
232	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	चन्दौली

233	श्री मनोज कुमार सिंह	चन्दौली
234	श्री शिव तपस्या पासवान	चन्दौली
235	डा0 हरेन्द्र प्रताप सिंह	जौनपुर
236	श्रीमती लीना तिवारी	जौनपुर
237	श्री दिनेश चौधरी	जौनपुर
238	डा0 सुषमा पटेल	जौनपुर
239	श्री जगदीश सोनकर	जौनपुर
240	श्री शैलेन्द्र यादव ललई	जौनपुर
241	श्रीमती अल्का राय	गाजीपुर
242	श्रीमती संगीता बलवन्त	गाजीपुर
243	श्रीमती सुनीता सिंह	गाजीपुर
244	श्री विजय कुमार मिश्रा	गाजीपुर
245	श्री सुभाष पासी	गाजीपुर
246	श्रीमती शादाब फातिमा	गाजीपुर
247	श्री पशुपति नाथ राय	गाजीपुर

19-7-2022

19/5/22

नत्थी 'ञ'

(देखिए अतारांकित प्र0सं0-135 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-126 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 के 1-मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अतुल प्रधान, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न-135 का विवरण

जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं एटा में प्रवाहित होने वाली काली नदी को साफ स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति परियोजनाओं का विवरण निम्नवत है :-

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत मेरठ नगर में आबू नाला-2 एवं ओडियन नाला के सीवेज शोधन हेतु 220 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें सीवेज शोधन उपरान्त काली नदी में स्रावित किया जायेगा। योजना की स्वीकृत लागत रू0 690.71 करोड़ है, जिसमें कार्य की लागत 410.52 करोड़ तथा 15 वर्ष के संचालन एवं रखरखाव की लागत रू0 280.19 करोड़ है। योजना के अन्तर्गत 220 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0-01 नग, I & D of Drains-02 नग, सीवर लाईन-600 मी0 एवं तत्सम्बन्धित कार्य प्रस्तावित है। योजना की निविदा प्रक्रिया में है, जिसकी टैक्निकल बिड दिनांक 08.03.2022 को खोली गई, जिसके मूल्यांकन की कार्यवाही प्रगति में है। संचालित परियोजनाओं स्वकृत/व्यय/अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	जनपद	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	अनुबंधत लागत (करोड़ में)			व्यय की गई धनराशि (करोड़ में)	अवशेष धनराशि (करोड़ में)
				कार्य की लागत	15 वर्ष संचालन एवं रखरखाव की लागत	योग		
1	मुजफ्फरनगर	1	234.03	146.25	58.84	205.9	52.225	94.025
2	मेरठ	1	690.71	410.52	280.19	690.71	-	690.71
3	कासगंज	1	76.73	34.24	33.32	67.56	33.71	0.53

स्वतंत्र देव सिंह
मंत्री।

नत्थी 'ट'

(देखिए अतारांकित प्र0सं0-165 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-142 पर)

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :पुरवा
वाद संख्या :-00940/2020
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T20201069020940
श्री अशोक बनाम उ०प्र० सरकार
अंतर्गत धारा:- 65, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

अन्तर्गत धारा-64/65 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006
ग्राम कौंधा परगना असोहा
तहसील पुरवा जिला उन्नाव

आदेश

अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन; राजस्व अनुभाग-2, लखनऊ के पत्र संख्या-130/एम-2/2020 दिनांक 13 फरवरी, 2020 के द्वारा विधान परिषद के ग्रीष्म सत्र 2020 के प्रश्न शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री भगवीर सिंह 'अशोक', माo सदस्य विधान परिषद द्वारा पूँछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-12 के सम्बन्ध में श्री अशोक पुत्र मंगल निवासी ग्राम मजरा कौंधा परि-आवंटन हेतु पत्र है, जो निर्देशानुसार उनके विरूद्ध बेदखली हेतु लंबित वाद को निरस्त करते हुये स्वप्रेरणा से पट्टा आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार पुरवा से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार पुरवा की आख्या दिनांक 17.02.2020 के अनुसार श्री अशोक पुत्र मंगल निवासी ग्राम रमना मजरा कौंधा परगना असोहा तहसील पुरवा जिला उन्नाव आवास स्थल आवंटन हेतु पात्र व्यक्ति है। अतः ग्राम कौंधा परगना असोहा तहसील पुरवा जिला उन्नाव की खतौनी सन् 1422-1427फ0 की खाता संख्या 2679 की गाटा संख्या 2287मि0 के भूज भाग जो राजस्व अभिलेखों में ऊसर दर्ज है पर 0.0030है0 आर्थात 30 वर्ग मीटर का आवास स्थल आवंटन श्री अशोक पुत्र मंगल निवासी ग्राम रमना मजरा कौंधा जाति पासी (अनुसूचित जाति) के हक में स्वप्रेरणा से स्वीकृत किया जाता है।

(राजेश प्रसाद)
उपजिलाधिकारी पुरवा
उन्नाव।

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार पुरवा को मूल पत्रावली सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री अशोक पुत्र मंगल निवासी ग्राम रमना मजरा कौंधा परगना असोहा तहसील पुरवा जिला उन्नाव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी पुरवा
उन्नाव।

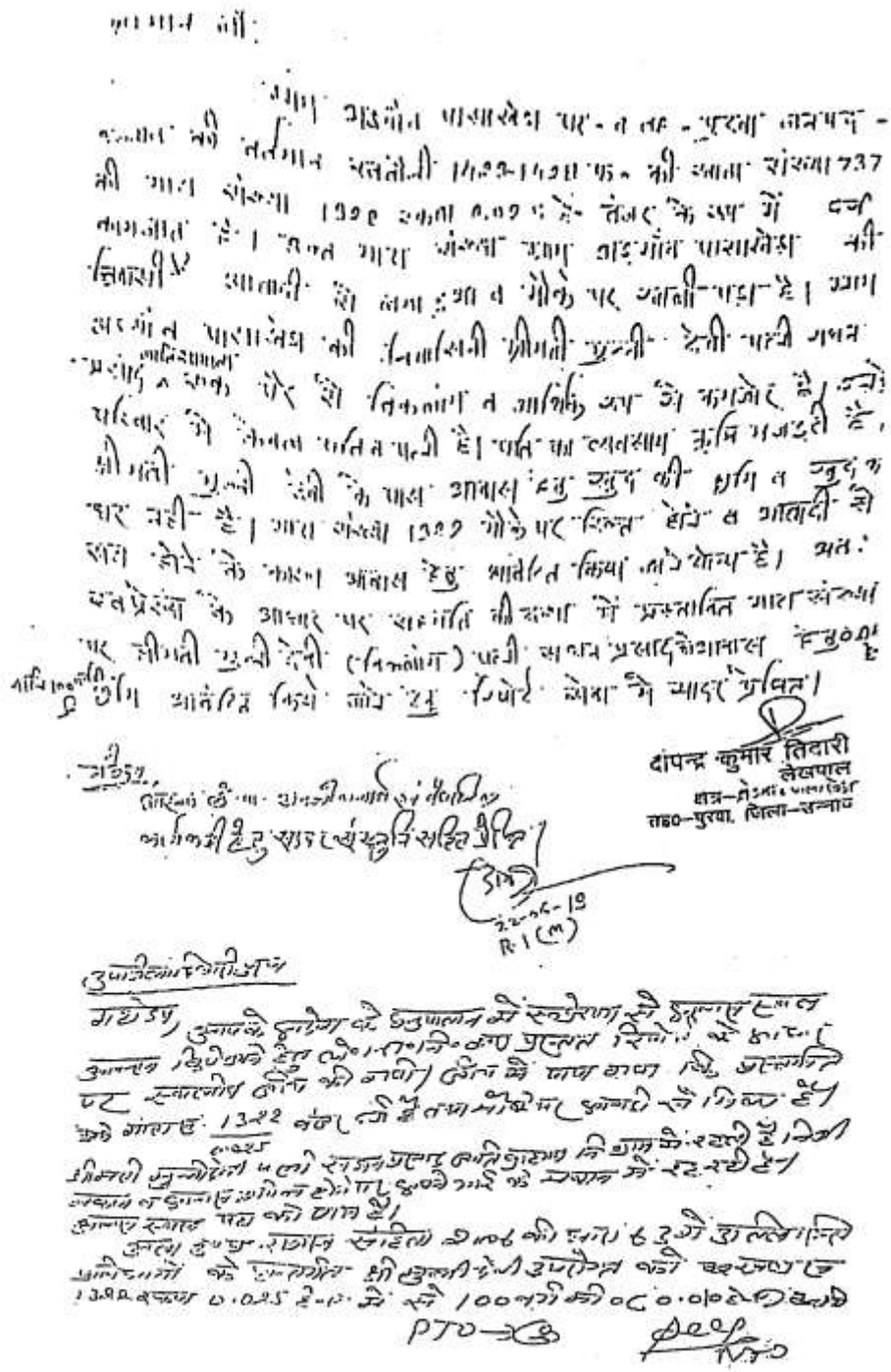

दीपचन्द्र कुमार तिवारी
लेखपाल
क्षेत्र-तेजवा, भालाखेड़ा
तह0-पुरवा, जिला-उन्नाव

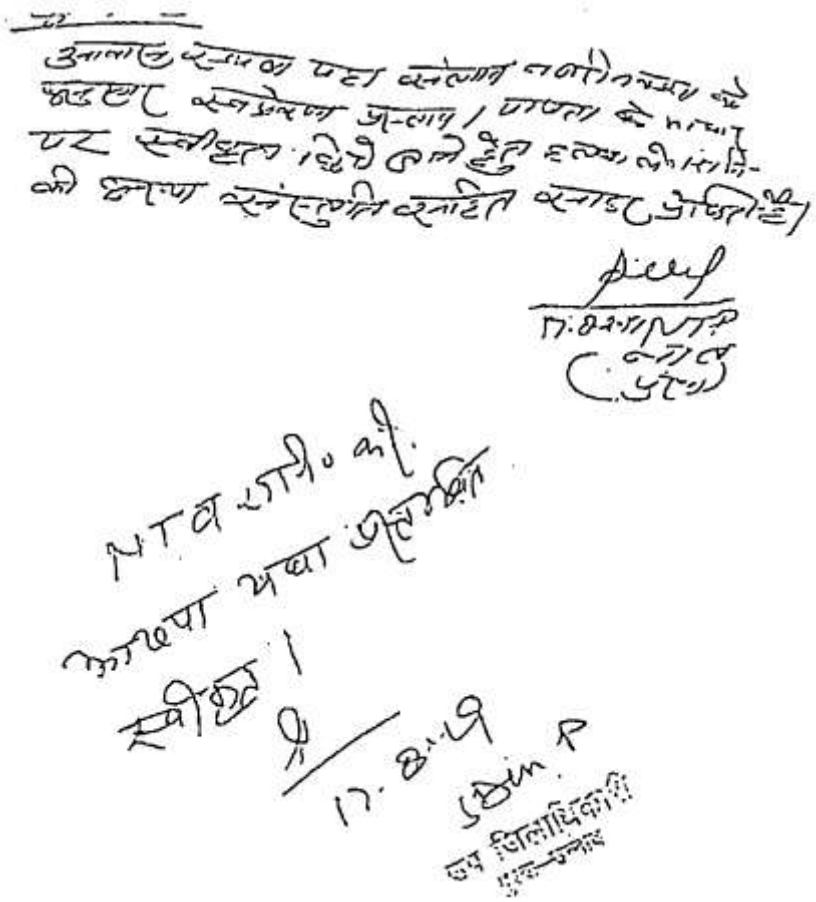

नत्थी 'ठ'

संशोधन प्रस्ताव

(देखिये संशोधन प्रस्ताव पीछे पृष्ठ सं0-206 पर)

2	श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'	''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है। अतः श्री राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में निम्नलिखित संशोधन और जोड़ दिये जायं :- 1-यह कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटनी जनपद प्रतापगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में, 2-यह कि राष्ट्रीय एकता महोत्सव घुइसरनाथ, प्रतापगढ़ की धनराशि रु0 15.00 लाख (पन्द्रह लाख रुपये) से बढ़ाकर रु0 50.00 लाख (पचास लाख रुपये) किये जाने के संबंध में, 3-यह कि मुरैनी-खानीपुर के बीच मट्टन नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में, 4-यह कि गाड़ी (ग्राम पंचायत दरों)-वीरशाहपुर के बीच मट्टन नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में, 5-यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सगरा रजबहा (कादिर बीर बाबा) से दुबे का पुरवा, शीतलमऊ, लालूपुर, मठहा, इटैला, पूरे नोती, मादीपुर, भदारीकला होते हुये बाबूगंज तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के संबंध में, 6-यह कि संगम चौराहे से राजेन्द्र नगर तक बाईपास मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के संबंध में, 7-यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा धधुआगाजन से वर्मा नगर तक, तथा कामापट्टी से बीजूमऊ तक के छूटे हुये बीच के हिस्से का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के संबंध में, 8-यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 231 पर स्थित ट्रामा सेण्टर, लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को निर्मित भवन में तत्काल चालू कराये जाने के संबंध में,

9-यह कि प्रत्येक परिवार को जीवन यापन के लिये 'सम्मान राशि' दिये जाने के संबंध में,

10-यह कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के संबंध में,

11-यह कि राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाये जाने के संबंध में,

12-यह कि राज्य सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग को 15% आरक्षण दिलाये जाने के संबंध में,

13-यह कि अफसरशाही बेलगाम हो गयी है। सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन कराये जाने संबंध में,

14-यह कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के संबंध में,

15-यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास में विकास कार्य पूरी तरह बन्द पड़े है। विकास कार्यो में तेजी लाये जाने के संबंध में,

16-यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किये जाने के संबंध में,

17-यह कि पूर्वान्चल के पिछड़ेपन को देखते हुये बन्द पड़े उद्योगों को चलाने के लिये ''स्पेशल पैकेज'' दिये जाने के संबंध में,

18-यह कि बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं पश्चिमांचल के चतुर्मुखी विकास हेतु ''स्पेशल पैकेज'' दिये जाने के संबंध में।

19-यह कि गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान कराये जाने के संबंध में।

20-यह कि बन्द पड़ी गन्ना मिलों को चालू किया जाये, तथा गन्ने की आखिरी पेराई की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में,

21-यह कि प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, कानून व्यवस्था की स्थिति 'जंगलराज' जैसी हो गयी है। अतः कानून व्यवस्था में सुधार किये जाने के संबंध में,

22-यह कि प्रदेश में महिलाओं, नाबालिक बच्चियों के साथ बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार की घटनायें

घटित हो रही है, तत्काल इस पर रोक लगाने के लिये ठोस कार्यवाही किये जाने के संबंध में,

23-यह कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन न होने से, उत्पादन एवं उपलब्धता के बीच काफी अंतर आ गया है जिसके कारण प्रदेश अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजर रहा है। अतः विद्युत परियोजनाओं को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाना चाहिये तथा आपूर्ति चौबीस घंटे सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में,

24-यह कि जनपद रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ एवं महराजगंज आदि जनपदों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में,

25-यह कि प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से दलालों एवं बिचौलियों के नियंत्रण में आ गयी है। कन्ट्रोल रेट पर चीनी एवं केरोसिन का तेल उपलब्ध नहीं है, और ब्लैक/कालाबाजारी में धड़ल्ले से ये सामान बेंचे जाने के संबंध में,

26-यह कि किसानों को उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल रही है। किसानों को बिजली, सिंचाई, उर्वरक तथा श्रम की कीमत के मद्देनजर इसके लाभ को निर्धारित करते हुये समर्थन मूल्य दिये जाने के संबंध में,

27-यह कि प्रदेश में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने के संबंध में,

28-यह कि सरकारी नियुक्तियों एवं नौकरियों में धांधली और भ्रष्टाचार को देखते हुये पारदर्शिता लाये जाने के संबंध में,

29-यह कि बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराया जाना चाहिये तथा बकाया कर्ज माफ किये जाने के संबंध में,

30-यह कि 25 वर्ष के उपर के प्रत्येक बेरोजगार नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया जाये, चाहे वह किसी भी वर्ग, धर्म या आर्थिक स्थिति का हो के संबंध में,

31-यह कि प्रदेश के सभी किसानों के कर्जें पूरी तरह माफ किये जाने के संबंध में,

32-यह कि राजनैतिक द्वैष से दर्ज कराये गये झूठे राजनैतिक मुकदमें वापस लिये जाने के संबंध में,

33-यह कि उत्तर प्रदेश में गुण्डागर्दी करने वाले, गुण्डा टैक्स वसूलने वाले मकान, दुकान एवं जमीन पर कब्जा करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने के संबंध में,

34-यह कि जनपद रायबरेली में केन्द्र सरकार की प्रस्तावित योजनाओं के लिये एम्स सहित केन्द्रीय प्रस्तावों के लिये आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध करायी जाये, और इसे शीघ्र सेवारत किये जाने के संबंध में,

35-यह कि विधान सभा क्षेत्र विकास निधि की राशि बढ़ाकर रु0 5.00 करोड़ (पांच करोड़ रुपये) किये जाने के संबंध में,

36-यह कि पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगाये जाने हेतु प्रत्येक मा0 विधायक को पांच-पांच सौ इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पाईप प्रदान किये जाने के संबंध में,

37-यह कि प्रत्येक मा0 विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में 10-10 ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में,

38-यह कि नहरों एवं माइनरों की सफाई करायी जाये और उन्हें सिंचाई के लिये समयबद्ध ढंग से पूरी क्षमता के साथ चलाये जाने के संबंध में,

39-यह कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार से पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त प्रसिद्ध पर्यटन एवं धार्मिक स्थल घुइसरनाथ धाम की अस्थाई पुलिस चौकी को ''स्थाई पुलिस चौकी'' बनाये जाने के संबंध में,

40-यह कि लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-231 पर स्थित थाना कोतवाली लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस कर्मियों के आवास के लिये नये भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

41-यह कि प्रदेश में महंगाई बेलगाम बढ़ रही हे, इस पर अंकुश लगाने के लिये ठोस कदम उठाये जाने के संबंध में,

42-यह कि आवारा पशु किसानों की फसल को बर्बाद/नष्ट कर रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिये ठोस कार्यवाही की जाये, तथा आवश्यकतानुसार गौशालाओं का निर्माण कराया जाये, और पशुओं के लिये आहार की उचित व्यवस्था की जाये। तब तक प्रत्येक किसान को दूध न देने वाले पशुओं के पालन पोषण हेतु प्रति पशु की दर से रु0 1,000 (एक हजार रुपये) प्रतिमाह दिये जाने के संबंध में,

43-यह कि आवारा पशुओं के भय से जिन किसानों की भूमि परती है, और किसान पशुओं के डर से उस भूमि में खेती नहीं कर रहे हैं, ऐसे किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में,

44-यह कि प्रदेश में भाईचारा तथा सम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित किये जाने के संबंध में,

45-यह कि प्रेट्रोलियम पदार्थो पर VAT की दर आधी किये जाने के संबंध में,

46-यह कि फ्री राशन गरीबों के साथ मध्यवर्ग (मिडिल इनकम ग्रुप) को भी उपलब्ध कराये जाने के संबध में,

47-यह कि बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक रोजगार भत्ता दिलाये जाने के संबंध में,

48-यह कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्री रेल यात्रा के लिये कूपन निर्गत किये जाने के संबंध में,

49-यह कि महिलाओं तथा बेरोजगारों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दिये जाने के संबंध में,

50-यह कि मोहल्ला स्तर पर चिकित्सा केन्द्र बनाये जाने के संबंध में,

51-यह कि सरकारी क्रय केन्द्रों पर सभी अनाज का आखिरी दाना तक खरीदा जाये तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन संस्तुति के आधार पर तत्काल भुगतान किये जाने के संबंध में,

52-यह कि गन्ने का मूल्य मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार 14 दिन में दिया जाये तथा समय पर भुगतान न देने पर निर्धारित ब्याज दिलाये जाने के संबंध में तथा,

53-यह कि सभी किसानों पर अभी तक कायम सभी मुकदमें वापस लिये जाने के संबंध में।

3 श्री उमाशंकर सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल द्वारा अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है :-

1-उत्तर प्रदेश में अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों व शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,

2-उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड जांच के नाम पर उत्पीड़न बन्द करने के सम्बन्ध में,

3-उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में,

4-उत्तर प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के नियन्त्रण के सम्बन्ध में,

5-दंगा पर प्रभावी नियन्त्रण के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में बिजली की दरों में बेतहाशा की जा रही वृद्धि को कम किये जाने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त करते हुए 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु राज्य परामर्शी समिति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश के किसानों की उपज को बढ़ावा देने हेतु उन्हें प्रसंस्कृत व हाईब्रिड किस्म के बीजों को सब्सिडी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-सरकारी अस्पतालों में दवाओं का अभाव है, उसका समाधान किये जाने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन एवं अनशन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज करके जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश में एण्टी भू-माफिया के नाम पर गरीबों को बेघर करने से रोके जाने के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश में हो रहे फर्जी इन्काउण्टर को रोके जाने के सम्बन्ध में,

15-बढ़ते बलात्कार की घटनाओं एवं महिलाओं के उत्पीड़न को रोके जाने के सम्बन्ध में,

16-गौ-रक्षा के नाम पर हो रही गुण्डागर्दी को प्रभावी ढंग से रोके जाने के सम्बन्ध में,

17-किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के सम्बन्ध में,

18-एम0एस0पी0 के अनुसार किसानों के उत्पाद क्रय सुनिश्चित किये जाने के संबंध में,

19-दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोके जाने के संबंध में,

20-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को प्रारम्भ किये जाने के संबंध में,

21-मा0 श्री कांशीराम शहरी आवास योजना के संबंध में,

22-गन्ना की कीमतों में बढ़ोत्तरी किये जाने के संबंध में,

23-गन्ना मूल्य के बकाये के सम्पूर्ण भुगतान के संबंध में,

24-किसानों के धान एवं गेहूं खरीद में हुई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में,

25-बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाये जाने के संबंध में,

26-माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के संबंध में,

27-प्रदेश में भंयकर पेयजल की समस्या के निदान के संबंध में,

28-प्रदेश में नौजवानों के खेलकूद की सुविधा को बढ़ाये जाने के संबंध में,

29-महामाया राजकीय मेडिकल कालेज अम्बेडकर नगर में पी0जी0 की कक्षायें चलाये जाने के संबंध में,

30-गरीबों को आवास देने के संबंध में,

31-बुनकर बाहुल्य क्षेत्र मुबारकपुर, अकबरपुर, टाण्डा एवं जलालपुर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के संबंध में,

32-पशुधन विकास हेतु किसानों को उन्नत किस्म के दुधारू पशु क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

33-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के संबंध में,

34-प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सालयों में चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में,

35-अग्नि से पीड़ित व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने के संबंध में,

36-जाति के आधार पर किये जा रहे भेद-भाव को रोके जाने के संबंध में,

37-खाद्य वितरण प्रणाली में हो रही अनियमितता को रोके जाने के संबंध में,

38-महामाया बालिका आशीर्वाद योजना को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में,

39-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में विपक्ष के सम्मानित सदस्यों का प्रस्ताव नहीं लिए जाने के संबंध में,

40-किसानों को खाद, बीज व पानी उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के संबंध में,

41-किसानों को खाद एवं बीज क्रय में छूट दिये जाने के संबंध में,

42-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के संबंध में योजना लागू करने के संबंध में,

43-विधान सभा रसड़ा, बलिया के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-32 इन्दारा रजवाहा नहर के सिंगही से डूमरी तक नहर में लाइनिंग (पक्कीकरण) का कार्य के संबंध में,

44-विधान सभा रसड़ा बलिया में साधन सहकारी चीनी मिल रसड़ा को प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में,

45-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रसड़ा, बलिया में चिकित्सकों की तैनाती के संबंध में,

46-प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में,

47-आये दिन पेट्रोल, डीजल के बढ़ाये जा रहे दामों पर से राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे टैक्स को समाप्त किये जाने के संबंध में,

48-बढ़ी हुई गैस के दाम पर राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे टैक्स को हटाये जाने के संबंध में,

49-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के संबंध में,

50-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के संबंध में,

51-प्रदेश के सभी राजमार्गों व ग्रामीण मुख्य मार्गों को गड्ढामुक्त किये जाने के संबंध में तथा

52-प्रदेश में नकली दवाइयों की रोकथाम के संबंध में।''

4 डॉ0 पल्लवी पटेल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में महात्मा बुद्ध की तपोस्थली के सौंदर्यीकरण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

2-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के अदमापुर में पंचायत घर बनाने हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

3-जिला-कौशाम्बी के विधान क्षेत्र सिराथू में नहरों के निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिये धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

4-जिला-कौशाम्बी के विधान क्षेत्र सिराथू में कोखराज ग्राम पंचायत भवन से शिवराजपुर तक पक्की

सड़क बनाये जाने हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

5-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में नगर पालिका भरवारी केशवनगर में पक्की सड़क के निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

6-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में बम्बूपुर से तुलसीपुर तक सड़क निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

7-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में अहिरारा से शिवपुर पंचायत भवन तक पक्की सड़क निर्माण के लिये धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

8-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में जबई में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर प्रतीक स्थल के तौर पर सौंदर्यीकरण के लिये धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

9-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में एक गांव एक तालाब के लिये धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

10-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में प्राथमिक विद्यालयों को ई-विद्यालय बनाने के लिये धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

11-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में अलवारा की झील को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिये धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

12-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में राजा जयचंद के किले को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

13-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में अकबर का किला अकबरपुर) को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु धन आंवटित किये जाने के सम्बन्ध में,

14-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में कड़ाधाम के सौंदर्यीकरण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

15-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में पानी के निकासी के लिये नाली निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

16-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में प्राथमिक विद्यालयों में वाटर कूलर के लिये धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

17-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में सिराथू-मंझनपुर मार्ग से असकरनपुर, मंगरोहनी लिंक मार्ग के चौड़ीकरण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

18-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में असकरनपुर, मंगरोहनी में स्थित प्राचीन शिवालय तक संकरे मार्ग को चौड़ीकरण कर लाइट व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में असकरनपुर, मंगरोहनी में पानी की टंकी द्वारा जलापूर्ति के सम्बन्ध में, तथा

20-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में असकरनपुर, मंगरोहनी में स्थित अति प्राचीन मंदिर में हाइमास्ट लाइट एवं वाटर कूलर लगवाने हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।''

5 श्री जगदीश नारायण

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-प्रदेश में कृषि उत्पादन महंगे खाद, बीज, दवा प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हो जाते हैं इस पर प्रभावशाली नियंत्रण के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में सड़कों के किनारे आर-पार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने जर्जर विद्युत तार के बदलने के बारे में प्रभावी एवं त्वरित प्रयास के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश में तालाबों, पोखरों, झीलों में हमेशा पानी रहे इसका प्रभावी प्रयास के सम्बन्ध में,

4-जनपद जौनपुर में मेडिकल कालेज को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,

5-जनपद जौनपुर में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय, आडीटोरियम, सर्किट हाउस के निर्माण शीघ्र कराने के सम्बन्ध में,

6-जनपद जौनपुर शाहगंज रोड, केराकत रोड, वाराणसी रोड, रिंगरोड के निर्माण के सम्बन्ध में,

7-जनपद जौनपुर में आवास विकास तथा विकास प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिय के सम्बन्ध में,

8-जनपद जौनपुर में लघु उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, भारी उद्योग विशेष रूप से कारिखियां व औद्योगिक केन्द्रों का विकास जौनपुर सीमा के सम्बन्ध में,

9-विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में सई नदी पर सलखापुर गुपवन में महत्वपूर्ण तथा मोहिउद्दीनपुर से गोमती नदी पर बीबीपुर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,

10-विधान सभा क्षेत्र जफराबाद के विद्युत सब-स्टेशन कबूलपुर इगली बराई में 33 के0वी0 के स्टेशनों पर अतिरिक्त फीडर बनाये जाने के सम्बन्ध में,

11-विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में गुजरने वाले जिला मार्ग महिपाह कछिरावं वाराणसी के निर्माण में हो रही देरी तथा खराब गुणवत्ता के जांच के सम्बन्ध में,

12-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में मार्ग की दुर्दशा जिसमें गड्ढ़ामुक्त हेतु टेण्डर हुये परन्तु आज तक कार्य नहीं हुये, को कराने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश में राजस्व मामलों में पुलिस हस्तक्षेप से उत्पन्न भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में,

14-डिजिटल व्यवस्था के तहत ऑनलाइन दिये जाने वाले सूचना प्राथमिकी मानकर की कार्यवाही पर गम्भीरता पूर्वक एवं विधिक मान्यता के सम्बन्ध में,

15-विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में एक वृहद् आयुर्वेदिक अस्पताल के स्थापना के सम्बन्ध में,

16-विधान सभा क्षेत्र जफराबाद से होकर रेलवे मार्ग पर आवागमन होने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में,

17-विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में मोथहां पम्प कैनाल शिवपुर पम्प कैनाल पर हुये कार्यों की गुणवत्ता के जांच के सम्बन्ध में,

18-विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में वि0ख0-जलालपुर, वि0 ख0-रामनगर में नेवढ़िया बाजार के पास सरकारी इण्टर कालेज एवं महिला डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में,

19-जफराबाद विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था हेतु टयूबवेलों के निर्माण के सम्बन्ध में, तथा

20-कानून व्यवस्था न्यायसंगत हो इस सम्बन्ध में न्यायालों की टिप्पणी तथा मानवाधिकार व्यवस्था में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में।''

6 श्री शिवपाल सिंह यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-किसानों की आय को दोगुना करने एवं कृषक उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

2-किसानों के लिये सिंचाई मुफ्त करने व सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

3-गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान व गन्ना खरीद मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

4-ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई हेतु 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

6-महिलाओं के उत्पीड़न, अत्याचार, बलात्कार रोकने के सम्बन्ध में,

7-बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रभावी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में,

9-बिजली की खराब व्यवस्था को सुधारने बढ़ी हुई विद्युत दरों को कम किये जाने के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या की गणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-कमजोर सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में,

14-सरकारी अस्पतालों में दवाओं व बेड का अभाव है उसका समाधान किये जाने के सम्बन्ध में तथा

15-बढ़ती हुयी मंहगाई एवं खाद्यान्न सामग्रियों के आसमान छू रहे दामों को कम करने के सम्बन्ध में।

7 श्री रविदास मेहरोत्रा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-

1-जिला लखनऊ कैसरबाग बस स्टैंड चौराहे से जगत नारायण रोड होते हुये सिटी स्टेशन से मेडिकल कालेज तिराहे तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

2-जिला लखनऊ कैसरबाग बस स्टैंड चोराहे से जिला कचहरी होते हुये महानिदेशक स्वास्थ्य कार्यालय तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

3-जिला लखनऊ कैसरबाग बस स्टैंड चौराहे से सी0एम0ओ0 ऑफिस होते हुये सेशन कोर्ट होते हुये शहीद स्मारक तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

4-जिला लखनऊ अमीनाबाद चौराहे से नाज सिनेमा रोड होते हुये ख्यालीगंज रोशन उद्दौला पुरानी कचहरी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

5-जिला लखनऊ कैसरबाग बस स्टैंड चौराहे से कैसरबाग चौराहे तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

6-जिला लखनऊ कैसरबाग चौराहे से शुभम टॉकीज होते हुये ओडियन सिनेमा होते हुय बर्लिगंटन चौराहे तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

7-जिला लखनऊ कैसरबाग चौराहे से लालबाग गर्ल्स कालेज होते हुये बापू भवन तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

8-जिला लखनऊ नाका हिंडोला चौराहे से अमीनाबाद चौराहे तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

9-जिला लखनऊ रानीगंज तिराहे से झंडेवाला चौराहा होते हुये सराय के फाटक तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

10-जिला लखनऊ नक्खास तिराहे से नादान महल रोड रकाबगंज चौराहे होते हुये मौलवीगंज से अमीनाबाद चौराहे तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

11-जिला लखनऊ कैसरबाग बारादरी के साथ आगे चाइना बाजार चौकी से निशात हॉस्पिटल से जय भारत हॉल के आगे से लालबाग चौराहे तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

12-जिला लखनऊ फूलबाग चौराहे से नजरबाग होते हुए मछली मोहाल से लाटूश रोड तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

13-जिला लखनऊ बिल्लौचपुरा तिराहे से भदेवा होते हुए पीली कॉलोनी तक करीम होटल से जगदीशपुर धर्मशाला तक सड़क के निर्माण सम्बन्ध में,

14-जिला लखनऊ बलरामपुर अस्पताल से चार बत्ती चौराहा से गुइन रोड चौराहे से मेहरा सिनेमा के आगे से अमीनाबाद तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

15-जिला लखनऊ अमीनाबाद से गड़बड़झाला होते हुए फतेहगंज गल्ला मंडी रोड से अमीनाबाद पावर हाउस तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

16-जिला लखनऊ गोमतीनगर स्थित सी0एम0एस0 चौराहे होते हुए कैप्टन मनोज पांडे चौराहा तक टाइल्स के

उच्चीकरण व नवीनीकरण कार्य लम्बाई सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

17-जिला लखनऊ के सिद्धनाथ मंदिर से यहियागंज होते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर पार्क तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

18-जिला लखनऊ के नरही मछली मंडी से पुराना ताड़ी खाना होते हुए नरही बाजार से हजरतगंज कॉफी हाउस के सामने तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

19-जिला लखनऊ के चिड़ियाघर के मुख्य से लेकर विद्या मंदिर स्कूल से श्यामा चौराहा होते हुए भुय्यन मंदिर के पास सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

20-जिला लखनऊ के बटलर पैलेस चौराहे से दैनिक जागरण चौराहे पिकअप कॉलोनी से खनिज भवन तक तथा न्यू बेरी रोड सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

21-जिला लखनऊ के बटलर पैलेस चौराहे से डालीबाग तक बालू अड्डा से पराग नारायण रोड तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

22-जिला लखनऊ के साईं बाबा मंदिर आईडिया ऑफिस से सुल्तानगंज चौकी तक दूसरी नानपरा हाउस नानपारा कम्पाउण्ड चौराहे तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

23-जिला लखनऊ के बालू अड्डा के अंदर कि सारी रोड तथा जय प्रकाश नगर के अंदर एवं मयंक अस्पताल वाली रोड तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

24-जिला लखनऊ के शिक्षा भवन के पास से जनता नगरी होते हुए शाहमीना रोड तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

25-जिला लखनऊ के क्रिश्चियन कालेज चौराहे से बलरामपुर अस्पताल होते हुए सी0एम0ओ0 ऑफिस होते हुए जिला कचहरी चौराहे से नारी निकेतन कालेज होते हुए बारादरी तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

26-जिला लखनऊ के छोटे छत्ते सिटी स्टेशन से वजीरगंज थाना होते हुए क्रिश्चियन कॉलेज तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

27-जिला लखनऊ के सुभाष मार्ग से आगा मीर चुंगी से मेडिकल चौराहा तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

28-जिला लखनऊ के राजेन्द्र नगर क्षेत्र के कॉलोनी मार्ग एवं आंतरिक मार्ग तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

29-जिला लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित आवासों के आंतरिक मार्ग तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

30-जिला लखनऊ के ऐशबाग कालोनी/मोतीझील कॉलोनी मार्ग तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

31-जिला लखनऊ के ला-प्लास कॉलोनी मार्ग तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

32-जिला लखनऊ के कालीदास मार्ग पर स्थित भवनों के आंतरिक मार्ग तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

33-जिला लखनऊ के बापू भवन/विधान भवन/जवाहर भवन के आंतरिक मार्ग तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

34-जिला लखनऊ के गोमतीनगर में मिठाई वाला चौराहा से कैप्टन मनोज पांडे चौराहा होते हुए दयाल चौराहा तक मार्ग सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

35-जिला लखनऊ के गोमतीनगर से बाबा अम्बेडकर चौराहा से सी0एम0एस0 चौराहा होते हुए ग्वारी चौराहा तक मार्ग सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

36-जिला लखनऊ के गोमतीनगर स्टेशन से पंजाब नेशनल बैंक तक मार्ग सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

37-जिला लखनऊ के उत्तर प्रदेश विशेष परिषद् सुरक्षा वाहिनी गेट से पैराडाइज चौराहा तक मार्ग सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

38-जिला लखनऊ के गोमती नगर में लोहिया चौराहा वाया बाबा अम्बेडकर चौराहे से सहारा शहर होते हुए एस0आर0एस0 माल तक मार्ग सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

39-जिला लखनऊ के 1090 चौराहा से गांधी सेतु होते हुए डा0 अम्बेडकर चौराहे तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

40-जिला लखनऊ के ग्वारी चौराहे से हुसड़िया चौराहा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

41-जिला लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन चौराहे से होते हुए ग्वारी चौराहे तक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

42-जिला लखनऊ के मनोज पाण्डे चौराहे से पत्रकार पुरम् चौराहे होते हुए हुसड़िया तक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

43-जिला लखनऊ के संपर्क मार्ग मनोज पांडे वाया सी0एम0एस0 के पास होते हुए संस्कृत विद्यापीठ विश्वास खंड तक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

44-जिला लखनऊ के लाटूश रोड से हुसैनगंज चौराहे तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

45-जिला लखनऊ के अमीनाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत लाटूश रोड से श्री राम रोड तिराहा सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

46-जिला लखनऊ के गुइन रोड चौराहे से बी0एन0 वर्मा रोड होते हुए कैसरबाग बस अड्डा तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

47-जिला लखनऊ के क्लार्क अवध के पीछे शनि मंदिर होते हुए मोती महल लान होते हुए लामार्ट गर्ल्स कालेज होते हुए एस0बी0आई0 ब्रांच से के0डी0सी0 स्टेडियम तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

48-जिला लखनऊ के कैसरबाग चौराहे से विद्यांत कालेज के आगे वाले चौराहे तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

49-जिला लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली के पीछे से बस अड्डे चौराहे तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

50-जिला लखनऊ के कैसरबाग चौराहे से नजीराबाद चौराहे तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

51-जिला लखनऊ के सिटी स्टेशन रोड से रफेआम क्लब के पीछे की रोड तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

52-जिला लखनऊ के ला-प्लास कॉलोनी मार्ग पर लगी इन्टरलॉकिंग टाइल्स के उच्चीकरण का कार्य के सम्बन्ध में,

53-जिला लखनऊ के विधायक निवास-5 ओ0सी0आर0 मार्ग पर लगी इन्टरलॉकिंग टाइल्स के उच्चीकरण का कार्य के सम्बन्ध में,

54-जिला लखनऊ के डायमंड डेरी कॉलोनी मार्ग पर लगी इन्टरलॉकिंग टाइल्स के मरम्मत एवं उच्चीकरण का कार्य के सम्बन्ध में,

55-जिला लखनऊ के हैवलक रोड कॉलोनी मार्ग पर लगी इन्टरलॉकिंग टाइल्स के उच्चीकरण का कार्य के सम्बन्ध में,

56-जिला लखनऊ के लोहिया पथ हजरतगंज चौराहे से विक्रमादित्य चौराहे होते हुए 1090 चौराहे पर फुटपाथ डिवाइडर व रेलिंग मरम्मत का का कार्य के सम्बन्ध में,

57-जिला लखनऊ के लोहिया-पथ हजरतगंज चौराहे से विक्रमादित्य चौराहे होते हुए 1090 चौराहे मार्ग पर तटबंध मरम्मत के कार्य के सम्बन्ध में,

58-जिला लखनऊ के लोहियापथ मार्ग की डिवाइडर एवं फुटपाथ मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में,

59-जिला लखनऊ के ग्वारी चौराहे से हिमालयी मैरिज हाल शहीद पथ पुल तक की मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में,

60-जिला लखनऊ के कालीदास मार्ग पर इन्टरलॉकिंग टाइल्स के उच्चीकरण का कार्य के निर्माण के सम्बन्ध में,

61-जिला लखनऊ के गौतमपल्ली मार्ग के किनारे लगे इन्टरलाकिंग टाइल्स के उच्चीकरण का कार्य के निर्माण के सम्बन्ध में,

62-जिला लखनऊ के कालीदास मार्ग पर रोड सेफ्टी का कार्य के निर्माण के सम्बन्ध में,

63-जिला लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर रोड सेफ्टी का कार्य के निर्माण के सम्बन्ध में,

64-जिला लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग के फुटपाथ पर मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य के सम्बन्ध में,

65-जिला लखनऊ के सप्रू मार्ग पर रोड सेफ्टी का कार्य के निर्माण के सम्बन्ध में,

66-जिला लखनऊ के सीतापुर सिटी ब्रांच मार्ग की मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में,

67-जिला लखनऊ के गुरू गोविन्द सिंह मार्ग की मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में,

68-जिला लखनऊ के अमीनाबाद से हनुमान मंदिर मोड़ चौराहे पर डिवाइडर मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में,

69-जिला लखनऊ के अमीनाबाद चौराहे से रामा बुक डिपो होते हुये झंडे वाले पार्क के चारो ओर रोड मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में,

70-जिला लखनऊ के सुभाष मार्ग के फुटपाथ पर मरम्मत एवं डिवाइडर रंगाई पुताई का कार्य के सम्बन्ध में,

71-जिला लखनऊ के अमीनाबाद चौराहे से हनुमान मंदिर मार्ग तक मरम्मत के कार्य के सम्बन्ध में,

72-जिला लखनऊ के हनुमान मंदिर चौराहे से गुरू गोविन्द सिंह मार्ग ओवर ब्रिज तक मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में,

73-जिला लखनऊ के कैसरबाग चौराहे से अमीरुद्दौला लाइब्रेरी होते हुये रजा अहमद अली मार्ग पर मरम्मत व चौड़ीकरण सड़क का कार्य के सम्बन्ध में,

74-जिला लखनऊ के परिवर्तन चौक से स्वास्थ्य भवन मार्ग की मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में,

75-जिला लखनऊ के कैसरबाग चौलक्खी गेट तक पार्क के चारों ओर मार्ग मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में,

76-जिला लखनऊ के स्वास्थ्य भवन से हाई कोर्ट होते हुए रेजिडेन्सी तक मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में,

77-जिला लखनऊ के जियामऊ चौराहे से गोमती बैराज वाया बालू अड्डा मार्ग पर लगी टाइल्स के उच्चीकरण का कार्य के निर्माण के सम्बन्ध में,

78-जिला लखनऊ के तिलोकीनाथ मार्ग की मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में,

79-जिला लखनऊ के गोमतीनगर पत्रकारपुरम् चौराहे से गणेश पूजा स्थल के मध्य सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

80-जिला लखनऊ के गाँधी सेतु अंडर पास से नव निर्मित उत्तर रेलवे लाइन दिलकुशा-बाराबंकी प्रखंड के मध्य रेल उपरिगामी से होते हुए जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नंबर 4 तक मार्ग पर फुटपाथ रिटेनिंग वाल एवं डिवाइडर की मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में,

81-जिला लखनऊ के 1090 चौराहे से गाँधी सेतु होते हुए डॉ0 अम्बेडकर चौराहे तक मार्ग पर फुटपाथ मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में,

82-जिला लखनऊ के मीराबाई मार्ग पर लगी इन्टरलाकिंग टाइल्स के उच्चीकरण एवं मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में,

83-जिला लखनऊ के आर0एफ0 मार्ग पर लगी इन्टरलाकिंग टाइल्स के उच्चीकरण एवं मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में,

84-राणा प्रताप मार्ग पर लगी इन्टरलॉकिंग टाइल्स के उच्चीकरण एवं डिवाइडर मरम्मत के कार्य के सम्बन्ध में,

85-जिला लखनऊ के कालीदास मार्ग चौराहे और पार्क रोड के बीच में बुद्ध विहार नाले को ढके जाने के सम्बन्ध में,

86-जिला लखनऊ के रिवर बैंक कॉलोनी से जगत नारायण रोड होते हुए वजीरगंज से गौस नगर तक नाले को ढके जाने के सम्बन्ध में,

87-जिला लखनऊ के मशक गंज के अंदर घनी आबादी के बीच बहने वाले नाले को ढके जाने के सम्बन्ध में,

88-जिला लखनऊ के खयालीगंज काकोरी कोठी के अंदर से पीर जलील तक बहने वाला नाले को ढके जाने के सम्बन्ध में,

89-जिला लखनऊ के पीर जलील खटकाना से सेंटेनियल इंटर कॉलेज के पीछे बहने वाला नाले को ढके जाने के सम्बन्ध में,

90-जिला लखनऊ के जवाहर नगर से नई बस्ती की ओर जाने वाला नाला,

91-जिला लखनऊ के रामनगर एलडीए कॉलोनी तिलक नगर ऐशबाग में बहने वाला नाले को ढके जाने के सम्बन्ध में,

92-जिला लखनऊ के ब्लॉक 5 से ब्लॉक 41 तक बहने वाला नाला ऐशबाग नाले को ढके जाने के सम्बन्ध में,

93-जिला लखनऊ के जनता नगरी में शिक्षा भवन के पीछे नाले को ढके जाने के सम्बन्ध में,

94-बटलर रोड पुलिया निर्माण का कार्य के सम्बन्ध में,

95-जिला लखनऊ के राजकीय जुबली कॉलेज से तकिया फल्लासबाग सिटी स्टेशन तक नाले को ढके जाने के सम्बन्ध में,

96-जिला लखनऊ के मछली मुहाल में दोनों साइड बहने वाले नाले को ढके जाने के सम्बन्ध में,

97-जिला लखनऊ के डालीबाग न्यू ड्राईवर कॉलोनी में सीवर के कार्य के सम्बन्ध में,

98-जिला लखनऊ के कैसरबाग आनंद सिनेमा चौराहे से लाटूश रोड होते हुए बांस मंडी चौराहे तक पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

99-जिला लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डा से कैसरबाग चौराहा होते हुए बापू भवन तक पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

100-जिला लखनऊ के रकाबगंज से होते हुए नाके तक पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

101-लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र की सभी बोरिंग कराई गई खराब पानी की टंकियों को ठीक कराए जाने के सम्बन्ध में,

102-लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करने के सम्बन्ध में,

103-लगातार बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं में लगातार हो रहे मूल्य वृद्धि को रोकने के सम्बन्ध में,

104-सभी बेरोजगार युवकों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में,

105-प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए अपराध कस्टोडियन डेथ फर्जी एनकाउंटर, बहन और बेटियों के साथ लगातार हो रहे बलात्कार की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में,

106-प्रदेश में बिजली कटौती को रोकने एवं 24 घंटे बिजली आपूर्ति के सम्बन्ध में,

107-सभी सरकारी अस्पतालों में निशुल्क दवा एवं जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

108-लखनऊ के के0जी0एम0यू0 तथा पी0जी0आई0 में वेंटीलेटर की संख्या तीन गुना करने के सम्बन्ध में,

109-सभी सरकारी स्कूलों के अपने भवन बनाने, स्कूल में पानी, शौचालय बनाने, कुर्सी एवं मेजें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

110-लखनऊ में जनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने के सम्बन्ध में,

111-बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के झुग्गी झोपड़ी ठेला एवं फुटपाथ दुकानदारों को ना उजाड़े जाने के सम्बन्ध में,

112-मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों की वही मालिकाना हक दिये जाने के सम्बन्ध में तथा

113-लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में।''

8 श्री जियाउर्रहमान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए।

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जनपद मुरादाबाद के कुन्दरकी विधान सभा क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया है।

1-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में निम्न मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है इन मार्ग पर भारी वाहनों आवागमन बहुत अधिक रहता है जिस कारण भयंकर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अतः निम्न मार्गों का

चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण कराया जाना जनहित में आवश्यक है, जैसे

(1) खुर्दकी से डीगरपुर-रतनपुर-कलापकौड़ा मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

(2) मुरादाबाद मछरीया लालाटिकर-रौनड़ा-झौन्डा चौराहे से मनकरा-मुढापाण्डे जिला मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

(3) मुरादाबाद सम्भल मार्ग से मसेवी रसूलपुर (लालवारा के सामने से) मिसिंक लिंक का नवनिर्माण तथा लाहरपुर अव्वल मार्ग का भी नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

(4) केडीआरसी मार्ग से डिंगरपुर प्राथमिक विद्यालय से लालवारा सम्पर्क मार्ग तथा मुड़ीमिलक हिसामपुर मार्ग से बरैठा खिजरपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

(5) बिलारी सिरसी मार्ग से गरलिया शाहपुर मार्ग जिसकी दूरी 4 किमी0 है, ताराचन्द्र इण्टर कालेज के सामने का मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

(6) नगलिया मसकूला से कलालखेड़ा एवं बधी गोवर्धनपुर से मैनाठेर मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

(7) हलानागला से ईलर रसूलाबाद रोड पर राजेड़ा नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

(8) चमरुआ से मिलक डिलारी रोड पर राजेड़ा नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

(9) मुरादाबाद सम्भल मार्ग से पुराने गागन पुल वाले शिव मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

(10) मुरादाबाद सम्भल मार्ग से मधुपुरी होते हुए इमरतपुर उधों सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।''

9 श्री दुर्गा प्रसाद यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जनपद आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया है।

1-आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग से जीपमपुर कोठरा होते हुए मनचोभा तक 3 किमी0 के विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में,

2-आजमगढ़ दोहरी घाट उकरौरा से ककराका होते हुए मनचोभा तक 3 किमी0 दूरी के विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में,

3-आजमगढ़ मदूक निजामबाद मार्ग से घोरट जाफरपुर से होते हुए बेलइसा पीट मार्ग जिसकी दूरी 3 किमी0 है, शहर के मिड प्लान बाईपास तक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

4-बेलइसा हुसैनगंज बाईपास से ममौली मोलनापुर होते हुए ऊंचा गांव तक की दूरी 3 किमी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में,

5-रानीसराय निजामबाद मार्ग मोतीगंज से गाने चडई होते हुए रानीपुर पिच रोड तक दूरी 5 किमी0, PWD लेपन व विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-भवरनाथ बैठौली शहर बाईपास से हरिहरपुर प्राथमिक विद्यालय होते हुए नाऊ बस्ती तक लगभग 2 किमी0 नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-आजमगढ़ भवरनाथ तहवरपुर मार्ग से मुजफ्फरपुर लेडूवा पिचमार्ग तक प्रधानमंत्री योजना की सड़कों का मिड प्लान से नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-आजमगढ़ शहर बाईपास से भवसराय व ग्राम अईनियां होते हुए धर्मोनाल तक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

9-आजमगढ़ सिविल लाइन्स से रेलवे स्टेशन से चौक होते हुए हाफीसपुर शहर बाईपास तक PWD मिड प्लान से निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-बवाली मोड़ से बंधा होते हुए सब्जी मण्डी होते हुए जामा मस्जिद होते हुये पाण्डेय बाजार हीरापट्टी विलरियागंज पिचमार्ग लगभग 5 किमी0 का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-अइलवर मोहल्ला पिचरोड होते हुए बड़ादेव बसबरगंज होते हुए लालजीत के बन्धा तक लगभग 1 किमी0 के विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में,

12-दलाल घाट से पुरौनी कोतवाली तक लगभग 1 किमी0 नवनिर्माण व विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-सिविल लाइन्स से चौक होते हुए वईनाला व हाफीजपुर शहर के बाईपास तक लगभग 4 किमी0 विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-दलाल घाट कोट होते हुए हल्लाचुभी तक लगभग 1 किमी0 नवनिर्माण को नगरपालिका से कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-ग्राम कोठीका बाजार से कोंतिला गांव होते हुए कंगाली बस्ती तक लगभग 2 किमी0 सड़क व सी0सी0 रोड पिच का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-रानीसराय सोनवारा कोइकारी खुर्द मार्ग से नहर की उत्तर की तरफ नहर की पटरी होते हुए रानीसराय ऊंची गोदाम मार्ग तक 3 किमी0 सड़क पिच का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-रानीसराय रुदरी मोड़ से ऊंची गोदाम तक पिच रोड का चौड़ीकरण व सुन्दरीकरण मिड प्लान से कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-ऊंचा गांव बाजार से शाहवाजपुर भमनौली से परमेश्वरपुर होते हुए टिल्लूगंज नवपुरा तक 2 किमी0 नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-सदर अस्पताल जिला अस्तपताल में MRI नहीं है, अस्पताल का भवन निर्माण हो, MRI की आवश्यकता है तथा

20-ऊखरौड़ा बन्शीबाजार से गौरा होते हुए आजमपुर पिच मार्ग तक PWD में सम्मिलित कर विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।''

10 डॉ0 वीरेन्द्र यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया है।

1-गाजीपुर चोचकपुर मार्ग जैतपुर शहीद स्व0 महेश कुशवाहा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-गाजीपुर मार्ग लुटावन महाविद्यालय गेट से सकरा सम्पर्क मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य के सम्बन्ध में,

3-बरही-महाहर मार्ग नगर के पुलिया से हरहरी हालपुर चट्टी भरौटी होते हुए पासी का पुरा सम्पर्क मार्ग 4.0 कि0मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-एन0एच0-29 से गोड़िला भर बस्ती सम्पर्क मार्ग 2.0 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-अरखपुर पवहारी बाबा के मंदिर से बरही हरिहर बस्ती तक सम्पर्क मार्ग 3.0 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

6-पारा से चांदपुर प्रा0वि0 सम्पर्क मार्ग 1.0 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

7-भड़सर अविसहन मार्ग से मदनपुर सम्पर्क मार्ग 1.4 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

8-बिहरा चौराबोझ मार्ग से बिहरा हरिजन बस्ती होते हुए मदनपुर सम्पर्क मार्ग दूरी 2.5 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

9-बीरबलपुर प्रा0वि0 से मठिया सम्पर्क मार्ग ल0 1.2 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

10-एन0एच0-29 से सोहबतिररया लं0 1.5 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

11-धनेशपुर गेट से अजीत यादव के घर तक लं0 1.0 कि0मी0 के निर्माण के सम्बन्ध में,

12-एन0एच0-24 रामपुर पट्टी सरनाम खां से गंगा घाट तक का निर्माण के सम्बन्ध में,

13-मलसा ढ़ढनी नगसर उतरौली मार्ग से बेमुई (बेमुदा) सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में,

14-रानीपुर बलुवा रामगढ़ सम्पर्क मार्ग 2.0 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

15-एन0एच0-29 से नसरतपुर भरौली सम्पर्क मार्ग 1.2 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

16-कालुपुर ग्राम से गंगाघाट तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-बरही महाहर सम्पर्क मार्ग से गोविन्दपुर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग लं0 2.5 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

18-नसीरपुर कोडरी पिच रोड से धनेशपुर सम्पर्क मार्ग लं0 2.5 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

19-जंगीपुर पारा 7 कि0मी0 से रसूलपुर कन्धवारा सम्पर्क मार्ग व बेसो नदी पर 5 सेल बाक्स कलवर्ट के अप्रोच मार्ग का पुनः निर्माण लम्बाई 2.00 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

20-गाजीपुर बुजुर्गा नसीरपुर मार्ग से मिठ्ठपारा बाया कटैला सम्पर्क मार्ग व बेसी नदी पर 5 सेल बाक्स कलवर्ट के अप्रोच मार्ग का पुनः निर्माण कार्य लम्बाई 2.5 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

21-नूरपुर धावां चौरही सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 2.00 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

22-गाजीपुर घाट से बवाड़े सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 2.00 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

23-गाजीपुर नसीरपुर रोड के कि0मी0 8 से रूहीपुर विधापारा सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 2.00 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

24-एन0एच0 29 कि0मी0 84 से बघोल सम्पर्क मार्ग,

25-मटेहू से बिजौरा एन0एच0-29 से उदयपुर सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में,

26-गोरया सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.00 कि0मी0 के संबंध में,

27-पारा से चांदपुर प्राथमिक विद्यालय सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.00 कि0मी0 के संबंध में,

28-रानीपुर बलुआ रामगढ़ सम्पर्क मार्ग लम्बाई 2.00 कि0मी0 के संबंध में,

29-ग्राम सभा रमदोपुर ब्रह्मस्थान से मठिया सम्पर्क मार्ग लम्बाई 2.5 कि0मी0 के संबंध में,

30-मदनपुर से पारा रानीपुर सम्पर्क लम्बाई 3.5 कि0मी0 के संबंध में,

31-एन0एच0-24 से मिर्जापुर सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण के संबंध में,

32-एन0एच0-24 से डुहिया सम्पर्क मार्ग के संबंध में,

33-सुवहल चट्टी से रगवल होते हुये डढ़नी तक चौड़ीकरण एवं शुद्धिकरण के संबंध में,

34-कालूपुर युवराज मार्ग का चौड़ीकरण एवं शुद्धिकरण के संबंध में,

35-एन0एच0-24 से रामपुर मिल्की सम्पर्क मार्ग के नव निमार्ण कार्य के संबंध में,

36-सुगवलिया रेलवे लाईन से पटखौलिया गांव तक शून्य लेपन कार्य ल0 2 कि0मी0 के संबंध में,

37-ग्राम अधियरा पिच रोड से सोनवल रेलवे स्टेशन नहर से पटरी तक सम्पर्क मार्ग नव निर्माण कार्य के संबंध में,

38-सुगवलिया रेलवे लाईन से पटखौलिया गांव तक शून्य लेपन कार्य ल0 2 कि0 मी0 के सम्बन्ध में,

39-ग्राम सभा खजुआ पिच रोड से मूरतपुरा होते हुये दयाराम यादव के घर तक शून्य से लेपन ल0 2 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

40-रेवतीपुर टी0बी0 रोड से सुजानपुर गांव तक सम्पर्क मार्ग नव निर्माण कार्य ल0 2 कि0 मी0 के सम्बन्ध में,

41-गाजीपुर जमानिया मुख्य मार्ग से रमावन के डेरा होते हुये गंगा जी किनारे तक नव निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

42-बवाड़ा मुख्य मार्ग से गंगा घाट तक शून्य से लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।''

11 श्रीमती पूजा पाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जनपद कौशाम्बी के चायल विधान सभा क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया है।

1-तिल्हापुर विद्युत उपकेन्द्र पर ओवरलोड के कारण फीडर का बार-बार ट्रिप करने के कारण कई-कई दिनों तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। उक्त क्षेत्र में 33 केवी0 विद्युत उपकेन्द्र कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-मोहम्मदपुर मनौरी फीडर में भी ओवरलोड होने के कारण ट्रिपिंग की समस्या बराबर बनी रहती है उक्त क्षेत्र में 33 केवी0 विद्युत उपकेन्द्र कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-हरदरमऊ से सरकारी नलकूप होते हुए नूरपूर कच्ची सड़क का नवनिर्माण लगभग 1 किमी0 कराये जाने के सम्बघ में,

4-हरदरमऊ सेवढ़ा लिंक मार्ग से उत्तर की तरफ जुनैद के नलकूप वाली कच्ची सड़क का नवनिर्माण लगभग 1 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-बिगहरा उसमानपुर नगर हनुमान मन्दिर से जवई सम्पर्क मार्ग नव निर्माण लगभग 9 किमी0 धन आवंटित करने के सम्बन्ध में,

6-ग्राम सभा जरैनी से अहलादपुर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण लगभग 2 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-नसीरपुर पक्की सड़क से शेरगढ़ तक पक्की सड़क नवनिर्माण लगभग 2 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-शेरगढ़ जू0 विद्यालय से पन्ना लाल पाल गौशाला तक नवनिर्माण 1 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-तालाब से बड़ी नहर तक नवनिर्माण डहरा 1.5 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-चन्दुपुर से अमरायन तक नवनिर्माण लगभग 1 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-कल्यानचन्द्र पासी के पश्चिमी से मेड़ से गया प्रसाद यादव साना के ट्यूबवेल से होते हुए सम्पर्क मार्ग तक नवनिर्माण 1.5 किमी कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-कादी रोड तालाब के पास से काली रोड तक नवनिर्माण 1 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-मनौरी चरवा रोड से हथगहां रोड तक नव निर्माण लगभग 2 किमी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-बहादुर मार्ग से हरहराई मार्ग तक नवनिर्माण लगभग 6 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-लौकीपुर पतेरिया तक नवनिर्माण 1.2 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-ट्रान्सफार्मर से छोटे लाल के घर तक नवनिर्माण पन्नोई लगभग 1 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-डामर रोड से राम विशाल के घर तक नवनिर्माण 1 किमी0 पन्नोई,

18-ग्राम कटैया में मकतब स्कूल से सरकारी प्राइमरी पाठशाला होते हुए डामर रोड कटैया तक लगभग 1.5 किमी0 नवनिर्माण के सम्बन्ध में,

19-ग्राम कटैया इकबाल के घर से निशाद बस्ती तक 1.0 किमी0 नवनिर्माण के सम्बन्ध में,

20-ग्राम बेलपुर कटैया मार्ग पर 500 मी0 सी0सी0 निर्माण के सम्बन्ध में,

21-जनपद कौशाम्बी के चायल विधान सभा क्षेत्र में चौराडीह में राजकीय पालीटेक्निक विद्यालय स्थापित है, उक्त क्षेत्र के आस-पास मनौरी चायल तिल्हा मोड़ आदि क्षेत्रों में आने-जाने हेतु सड़क मार्ग का आभाव है। अतः उक्त क्षेत्रों में सड़क का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

22-विधान सभा क्षेत्र चायल के महमूदपुर मनौरी बाजार में C.S.C. हास्पिटल का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।''

12	श्री लकी यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये। ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जनपद जौनपुर के मल्हनी विधान सभा क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया है। 1-मल्हनी विधान सभा क्षेत्र के सिकरारा विकास खण्ड के ग्राम सिकन्द्रा से अजोसी को जोड़ने हेतु सई नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के संबंध में, 2-विकास खण्ड बक्सा के ग्राम सभा सडेरी घाट पर गोमती नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के संबंध में तथा 3- विकास खण्ड सिरकोनी के ग्राम परियावा व गुतवन घाट के सई नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के संबंध में।''
13	श्रीमती गीता शास्त्री (पासी)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि माननीय श्री राज्यपाल महोदया जी के द्वारा अपने अभिभाषण में जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विधान सभा-55 सोरांव क्षेत्र के निम्नलिखित मार्गों के निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में, 1-राम नगर सिलोखरा रोड पर खेवराजपुर, देवापुर समपर्क मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 03 मि0मी0, 2-राम नगर सिलोखरा रोड पर सम्राट स्कूल के पास शेर अली के घर के सामने से मथुरा उर्फ पारन डीह सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य साथ में नाली निर्माण का कार्य (सराय चन्दी नाले में जोड़ने का कार्य), श्री महेन्द्र शर्मा के घर तक लम्बाई लगभग 02 कि0मी0, 3-मऊ आइमा से रानीगंज रोड पर (सोरांव रानीगंज विधानसभा बार्डर) धनापुर के लिये सम्पर्क मार्ग नहर के बगल बाग के अन्दर से सड़क के नव निर्माण का कार्य लम्बाई लगभग 01 किमी0, 4-कुंसूगुर जिन्सी सम्पर्क मार्ग श्री गुलाब की चक्की से होते हुये पप्पू त्यागी जिला पंचायत सदस्य के घर तक सड़क का निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 01 कि0मी0,

5-मलाक चतुरी जूड़ापुर दादुपुर पक्की सड़क से दयाराम पटेल के खेत के पास से पुराना शिवगढ़ तक सड़क निर्माण एवं नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य सड़क की लम्बाई 01 कि0मी0,

6-सराय अर्जुन उर्फ हरमंदिला प्राथमिक विद्यालय से माधवपुर मलाक चतुरी के श्री नरेन्द्र पटेल के घर तक सड़क निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 02 कि0मी0,

7-दुबाही नहर माइनर के पक्की सड़क से बसदैइया गांव के लिये सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 2.5 कि0मी0,

8-ग्राम पंचायत सरायं जोधराय के बगल से पप्पू गुप्ता के घर दांदूपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 01 कि0मी0,

9-ग्राम सभा लपकन बार्डर से दांदूपुर तक रमेश पाल के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 01 कि0मी0,

10-सोरांव कल्याणपुर रोड पर श्री सीता राम प्रजापति के घर के बगल से रइया ग्राम पंचायत चांदपुर सराय भारत श्री राम चरन यादव के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 01 कि0मी0,

11-नवाबगंज शास्त्री नगर मार्ग के कि0मी0 01 से नहर की पटरी शिवगढ़ मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य लम्बाई लगभग 02 कि0मी0,

12-एस0पी0एच0 कि0मी0 00 नका का तालाब से सेवाइत सधनगंज मार्ग के मरम्मत का कार्य लम्बाई लगभग 1.5 कि0मी0,

13-यू0एफ0ए0 मार्ग से हाई-वे होते हुये शिवगढ़ पुरानी बस्ती तक सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य लम्बाई लगभग 02 कि0मी0,

14-सोरांव होलागढ़ कि0मी0 03 से बायें राजापुर मल्हुआ नहर की पुलिया तक सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य लम्बाई लगभग 02 कि0मी0,

15-एस0पी0एच0 देवगलपुर से सरसा दांदूपुर तक सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य लम्बाई लगभग 03 कि0मी0 तथा

16-सेवइत से यूसुफपुर सधनगंज सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य लम्बाई लगभग 2.5 कि0मी0।''

14 श्रीमती विजमा यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :-

''श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है।

1-मिया का पुरो से शेखपुर उहियका होते हुए सदरेपुर पक्की सड़क 07 किमी0 चौड़ीकरण का कार्य,

2-केवलपुर सरजू पट्टी होते हुए नेवाद बेला तक एवं बरना नदी पर रपता पुल का निर्माण 10 कि0मी0,

3-बजती से हरीपुर पट्टी चम्पापुर वाया जलालपुर तक 10 किमी0 चौड़ीकरण का कार्य,

4-दुर्गागंज मार्ग प्रा0वि0 झरी से अंगद यादव के घर के सामने होते हुए डॉक्टर कमलेश यादव के घर के आगे दुर्गागंज पक्की सड़क तक 10 कि0मी0 चौड़ीकरण का कार्य,

5-ग्राम सभा रस्तीपुर पक्की सड़क से हसनपुर होते हुए बरिया रामपुर रेलवे फाटक पार करते हुए इलाहाबाद जौनपुर बॉर्डर तक 10 किमी0 चौड़ीकरण,

6-जलालपुर पतैया गेट से दीपक प्रधान के घर वाया शेरपुर नेदुल पक्की सड़क तक 10 किमी0 चौड़ीकरण,

7-जंघई पुलिस चौकी से महरछा अनुआ लहूरा चनेपू तक 10 किमी0,

8-चौका चौराहे से मठाही वाया चनेथू प्राथमिक विद्यालय लहउरा पक्की सड़क तक 10 किमी0 चौड़ीकरण,

9-जघंई दुर्गागंज चौराहे से ककरहवा तक 05 किमी0 चौड़ीकरण,

10-नेदुल बाजार से बजती होते हुए शिव का पूरा तिराहा पक्की सड़क तक वाया पारस सरपंच के घर होते हुए रसतीपुर वाया मुसई तक 10 किमी0 चौड़ीकरण का कार्य,

11-कटेहरी तिराहे से गहरपुर खखैचा पक्की सड़क तक चौड़ीकरण व बरना नदी पर रपटा पुल का निर्माण 06 कि0मी0 चौड़ीकरण,

12-बरेस्ता खुर्द तिराहे से बाजार होते हुए गोसैसी होते हुए मिर्जापुर रेलवे फाटक पक्की सड़क तक लम्बाई 10 कि0मी0 का कार्य,

13-ग्राम पूरे ठकुराइन तिराहे से पूरे विक्रमशाह उदगी होते हुए बीबीपुर रेलवे फाटक तक 10 कि0मी0 चौड़ीकरण का कार्य,

14-बसनेहटा तिराहे से बसना खास भोगवारा होते हुए बीबीपुर रेलवे फाटक पक्की सड़क तक 08 कि0मी0 चौड़ीकरण,

15-बरना जंघई मार्ग सकोशवीर तिराहे से सकोशवीर होते हुए मल्तीपुर मीरपुर सोरो इलाहाबाद जौनपुर बार्डर तक 12 कि0मी0 चौड़ीकरण,

16-इलाहाबाद जौनपुर मार्ग लतीफपुर तिराहा सौरहां होते हुए कमलीपुर चौराहा वाया कोड़ापुर चौराहा सलमापुर होते हुए कमरखलडीह जोगिया शेरपुर पक्की सड़क तक 12 कि0मी0 चौड़ीकरण,

17-ग्राम जोगिया शेरपुर बाजार तिराहा से भनेवरा सहुआडीह रैनी होते हुए मुबारकपुर पक्की सड़क तक 10 कि0मी0 चौड़ीकरण,

18-मैलहन बाजार तिराहे से मैलवन सोनार बाजार वाया सोनरवरी नयी कोट होते हुए अमिलिया चौराहा पक्की सड़क तक चौड़ीकरण 10 कि0मी0,

19-कोनार तिराहे से चक अफराद होते हुए व नन्दौर चकरा अलीपुर इलाहाबाद प्रतापगढ़ बार्डर तक 11 कि0मी0,

20-जंघई मार्ग थानापुर से उठा होते हुए सकोशवीर मल्हीपुर पक्की सड़क तक व वरना नदी पर रपटा पुल चौड़ीकरण 08 कि0मी0,

21-ग्राम चपला तिराहे से आरा कला होते हुए आराखुर्द जनुआडीह अमोलवा तिराहे तक 10 कि0मी0 चौड़ीकरण,

22-ग्राम बहुपुर डा0 अशोक के घर तिराहा से आराखुर्द होते हुए भवानीपुर चादोपारा गुलचपा नहर की पुलिया पक्की सड़क तक 05 कि0मी0 चौड़ीकरण,

23-ग्राम चादोपारा से चकिया महुआ कोठी बाजार याकूबपुर होते हुए जलालपुर कस्बा सौरा चक्की सड़क तक 10 कि0मी0 चौड़ीकरण,

24-ग्राम सराय अजीज नहर की पुलिया से राजापुर कपसा होते हुए वाया संसार मलिया का पुरा होते हुए अमिलिया चौराहा 12 कि0मी0 चौड़ीकरण,

25-मियां का पुर पक्की सड़क से आला नगरी होते हुए नासीर पट्टी पक्की सड़क से तिराहे से हतौना होते हुए नहर पक्की सड़क तक 02 कि0मी0 चौड़ीकरण,

26-प्रतापपुर मियां का पूरा पक्की सड़क तिराहे से छतौना होते हुए नहर पक्की सड़क तक 02 कि0मी0 चौड़ीकरण,

27-चादोपारा पक्की सड़क यादव बस्ती होते हुए रामपुर वाया समता इण्टर कॉलेज होते हुए करूवाडीह पक्की सड़क तक 08 कि0मी0 चौड़ीकरण तथा

28-फतेहपुर माफी बाजार पुरुषोत्तम गुप्ता के घर के सामने से बलराम बालिका इण्टर कॉलेज होते हुए दलपतपुर बस्ती होते हुए चादोपारा नहर तक पुलिया 05 कि0मी0 चौड़ीकरण।''

15 श्री तुफानी सरोज

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायेः-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

1-विकास खण्ड जलालपुर ग्राम सभा कनुवानी अन्तर्गत बुद्धू मौर्य (टिकाथान) के घर से श्रीपति चमार मखदूमपुर के घर तक तथा दयाराम यादव चतुरपुर के घर से टिकाथान मौर्य बस्ती तक सी0सी0 रोड लम्बाई 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

2-विकास खण्ड जलालपुर ग्राम सभा छातिडीह में पराऊगंज थौर रोड पर सभाजीत बिन्द के घर से ताल तक सी0सी0 रोड लम्बाई 700 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

3-विकास खण्ड जलालपुर पराऊगंज बाजार से प्राथमिक विद्यालय छातिडीह तक सी0सी0 रोड लम्बाई 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

4-विकास खण्ड जलालपुर पराऊगंज थानागद्दी मार्ग पर ग्राम सभा सरैंया में लल्लन यादव के दुकान से विक्रमा यादव के मशीन तक सी0सी0 रोड लम्बाई 600 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

5-विकास खण्ड जलालपुर ग्राम सभा मई में पिच रोड से पहाड़ीपट्टी मुस्लिम बस्ती तक तथा टूटवा का पूरा प्रजापति बस्ती तक सोलिंग पर पिच रोड लम्बाई 1300 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

6-विकास खण्ड जलालपुर ग्राम सभा औवार अभिमन्यू के घर से उदयराज फौजी के घर तक शून्य से लेपन स्तर तक कार्य लम्बाई 1000 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

7-विकास खण्ड जलालपुर ग्राम महुवारी अन्तर्गत पराऊगंज से थानागद्दी मुख्य मार्ग से अमर इण्टर कालेज के सामने से शीतल यादव के घर तक सोलिंग पर पिच रोड लम्बाई 800 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

8-विकास खण्ड जलालपुर ग्राम सभा खेवशीपुर राजेश यादव के घर से मुसहर बस्ती तक पिच रोड लम्बाई 1500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

9-विकास खण्ड जलालपुर ग्राम खेवशीपुर में त्रिलोकी पासी के घर के पीछे से नारायन पासी के घर तक सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 600 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

10-विकास खण्ड जलालपुर ग्राम भाऊपुर में मथुरा प्रसाद इ0 का0 से अरुण पासी के घर तक सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 700 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

11-विकास खण्ड जलालपुर ग्राम सभा जरहिला में कलीम के घर से पिच रोड तक सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 700 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

12-विकास खण्ड जलालपुर ग्राम सभा थौर दादागंज चौराहा से रामपूजन के घर तक माइनर नहर पर रोड लम्बाई लगभग 1 किलोमीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

13-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा गोबरा में सुशील यादव के घर से भीतरी रोड तक सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 600 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

14-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा सरावां में विद्युतीकरण कार्य हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

15-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा खर्गसेनपुर (बोझवॉ) में थानागद्दी से टण्डवा लिंक मार्ग पर चन्द्रिका यादव के घर से मौर्या बस्ती होते हुए शमसेर यादव के घर तक शुरू से लेपन कार्य लम्बाई लगभग 1000 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

16-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा खर्गसेनपुर में टण्डवा नहर के पुराने पुल से पासी बस्ती दिनानाथ सरोज के घर तक पिच रोड शून्य से लेपन कार्य लम्बाई लगभग 1000 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

17-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा सोहनी महा का पुरा में पाही मूरू यादव के घर से पौनी ग्राम सभा सचिवालय तक पीच रोड लम्बाई लगभग 1000 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

18-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा सोहनी महा का पूरा में शारदा सहायक नहर पर हनुमान मंदिर के सामने आनापुर बस्ती के रास्ते पर नहर पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा निहालापुर में राम मूरत यादव के पाही से लेकर धर्मराज के मकान तक सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

20-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा पारापाटी में छोटेलाल के मशीन से देवराई सम्पर्क मार्ग तक शून्य से लेपन कार्य लम्बाई लगभग 800 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

21-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा देवराई सम्पर्क मार्ग से छांगुर के घर होते हुये पारापाटी बार्डर तक लम्बाई लगभग 900 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

22-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा सुरहुरपुर बेलहरी सम्पर्क मार्ग से राजाराम पी0जी0 कालेज तरियारी तक पिच रोड लम्बाई लगभग 900 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

23-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा बेलहरी सम्पर्क मार्ग से रामचेत के घर तक पिच रोड लम्बाई लगभग 900 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

24-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा चौकियां निषाद बस्ती संजय नागर के घर से मूरली नागर के घर तक सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 800 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

25-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा उदयचन्दपुर सुनील यादव के दुकान से बांसबारी खड़जा तक लम्बाई लगभग 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

26-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा कुसरना रामदेव निषाद के घर से महादेवा घाट तक पिच रोड

लम्बाई लगभग 600 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

27-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा बेहड़ा में सूर्यबली यादव के घर से रामजतन निषाद के घर तक सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

28-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा बरैछा बीर उमरवार विजय यादव के खेत से मेन रोड तक पिच रोड लम्बाई लगभग 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

29-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा बढ़नपुर सेनापुर में रमेश चौहान के घर के सामने से भगउत बाबा मंदिर तक पिच रोड लम्बाई लगभग 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

30-विकास खण्ड केराकत ग्राम सभा बढ़नपुर में नाला निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

31-विकास खण्ड मुफ्तीगंज ग्राम सभा मटियारी में जिलाजीत के घर के पीछे से होते हुए चमार बस्ती होते हुये विश्वकर्मा बस्ती तक पिच रोड लम्बाई लगभग 1000 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

32-विकास खण्ड मुफ्तीगंज ग्राम सभा कन्हौली में शिव मंदिर के पास से सोलिंग पर सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 1000 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

33-विकास खण्ड मुफ्तीगंज ग्राम सभा मेहौड़ा में खण्ड 36 नहर पर यादव बस्ती के सामने पुल के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

34-विकास खण्ड मुफ्तीगंज ग्राम सभा उदियासन में गोरख यादव के घर से मुख्तार के घर तक सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

35-विकास खण्ड मुफ्तीगंज ग्राम सभा सहाबुद्दीनपुर में गिरीश चन्द के घर से मलाऊ नट के

घर तक सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

36-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा तरॉव बगहीं चमार बस्ती से काईलारी बाजार तक शून्य से लेपन तक पिच रोड लम्बाई लगभग 2 किलोमीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

37-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा अवहदपुर से करनेहुवां गांव तक शून्य से लेपन तक पिच रोड 1200 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

38-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा सतमेसरा में राजभर बस्ती से बरडीहां सभाजीत यादव के घर तक पिच रोड तथा नाला पर पुलिया के साथ लम्बाई लगभग 1 किलोमीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

39-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा उमरी में पिच रोड पर इन्द्रदेव सिंह के मशीन से गांगी नदी पुल तक शून्य से लेपन स्तर तक पिच रोड लम्बाई लगभग 2 किलोमीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

40-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा तरॉव में अमरजीत राजभर के घर से रतन राजभर के घर तक शून्य से लेपन स्तर तक पिच रोड लम्बाई लगभग 1500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

41-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा बोडसर खुर्द राजभर बस्ती में सोलिंग के उपर सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

42-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा लोहराखोर में गुलाब चौहान के घर के नहर के पास झन्टू चौहान के घर तक सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

43-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा सतमेसरा में हमीद के खेत से सतमेसरा बस्ती तक पिच रोड लम्बाई लगभग 1 किलोमीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

44-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा विसुनपुरा सरजू राम के घर से राजेन्द्र राम के घर से होते हुये जोखू राम के घर तक लम्बाई लगभग 1500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

45-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा चन्दवक में कुन्ज बिहारी के घर से मुसहर बस्ती तक सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

46-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा हीरापुर राजाराम सरोज के घर से फिरतु यादव के खेत तक सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

47-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा अमरौना बगहीं बस्ती से अमरौना सरहद तक सी0सी0 रोड 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

48-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा अमरौना में पिच रोड से डीह बाबा के तरफ से चमार बस्ती तक पिच रोड लम्बाई लगभग 1 किलोमीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

49-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा बलरामपुर में स्कूल से नरकटा अहिरान प्राइमरी स्कूल तक लम्बाई लगभग 500 मीटर सी0सी0 रोड निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

50-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा औहदपुर पाल बस्ती में पिच रोड से होते हुये रम्मन यादव के घर तक लम्बाई लगभग 600 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में तथा

51-विकास खण्ड डोभी ग्राम सभा बोडसर (भुलन डीह) में हीरा के घर से मुन्नीलाल के घर तक सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 500 मीटर निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।''

16 श्रीमती पिंकी सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है।

1-सम्भल जनपद के असमौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम, हिसामपुर विकास खण्ड संभल से लगभग 300 मी0 की नाले के निर्माण के हेतु धन आवंटन किये जाने के संबंध में,

2-असमौली विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड पसावां ग्राम-सभा सौधन में भण्डावाली रोड पर पानी निकासी हेतु नाला का निर्माण कराये जाना लगभग 300 मी0 के धन आवंटन के संबंध में,

3-असमौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा मघेरा से अजीमाबाद तक सड़क जो 200 कि0मी0 का नव निर्माण एवं शून्य से लेपन कराये जाने के संबंध में,

4-असमौली विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड नहजोई से ग्राम सभा नरखेड़ा में सोनक बवनपुरीकला मार्ग से पसतोरा तक शून्य से लेपन जिनकी दूरी लगभग 1 कि0मी0 का नवनिर्माण के संबंध में,

5-विकास खण्ड असमौली ग्राम सभा खानपुर नन्द से तालाब की दीवार की ऊंचाई बढ़ाते हुए आम रास्ता दीवार के किनारे-किनारे निर्माण कराये जाने के संबंध में,

6-विकास खण्ड असमौली की ग्राम सभा ओनरी में पंचायत घर से पश्चिम की ओर तालाब की दीवार का निर्माण कराकर आस-पास के जनसामान्य के मकानों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने जाने के संबंध में,

7-विकास खण्ड असमौली ग्राम सभा नरेठा राजपाल जी के मकान से श्मशान घाट तक नाला निर्माण 900 मी0 तक कराये जाने के संबंध में,

8-असमौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा शाहपुर से लोधीपुर मटन-टाड़ा असमौली की मार्ग से 600 मी0 तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में,

9-विकास खण्ड पवासा चाचुनागल से खानपुरा तक 1 कि0मी0 शून्य से लेपन कार्य कराये जाने के संबंध में तथा

10-विकास खण्ड पवासा ग्राम सभा बनीपुर से संभल आदमपुर रोड से होजीपुर शेरपुर असलमपुर होते हुए अढोल तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में।''

17 श्री राम खिलाड़ी सिंह यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है।

1-संभल जनपद के गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र में परमपूज्य श्री हरिबाबा बाँध धाम (मोलनपुर डांडा) गवां को पर्यटन एवं तीर्थस्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

2-गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-बबराला नगर में रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-ग्राम कादराबाद में 33 के0वी0 बिजली घर की स्थापना के संबंध में,

5-ग्राम पतरिया में 33 के0वी0 बिजली घर की स्थापना के संबंध में,

6-ग्राम भोजपुर में 33 के0वी0 बिजली घर की स्थापना के संबंध में,

7-ग्राम सिधौलां पुख्ता में 33 के0वी0 बिजली घर की स्थापना के संबंध में,

8-जनपद संभल व अलीगढ़ ग्राम मिठनपुर सांकरा के पास गंगा नदी पर वर्ष 2014-15 से नवनिर्मित एवं स्वीकृत पुल का धन आवंटन के संबंध में,

9-बबराला नगर पंचायत में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के संबंध में,

10-अजीजपुर से धौंसलीवाहन तक की सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में,

11-बबराला अनुपशहर मार्ग से चाऊपुर होते हुए रजपुरा तक की सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में,

12-विकास खण्ड गुन्नौर के ग्राम भोजपुर गांव में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के संबंध में,

13-ग्राम मडिकावली एवं भिरावटी में 100 बेड का अस्पताल का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

14-विकास खण्ड रजपुरा के ग्राम न्योरा समाधि बाबा स्थल पर राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के संबंध में तथा

15-ग्राम सुल्तानगढ़ में 33 के0वी0 क्षमता वाले बिजली घर की स्थापना कराये जाने के संबंध में।''

18 श्री मनोज कुमार पारस

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया है।

1-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में सहकारी कताई मिल चालू कराने या अन्य कोई फैक्ट्री (प्लांट) लगाकर रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में,

2-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना एवं कस्बा किरतपुर में 32 के0वी0 के दो बिजलीघर बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

3-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में रेलवे फाटक पर रोज जाम से निजात के लिये ओवर ब्रिज का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

4-ग्राम अकबराबाद में कन्या इंटर कॉलेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

5-ग्राम अकबराबाद मे ट्रामा सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में,

6-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे, ईसीजी मशीन आदि लगवाने के सम्बन्ध में,

7-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना एवं कस्बा किरतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बेड की संख्या बढ़ाने तथा पर्याप्त डॉक्टर एवं स्टॉफ एवं महिला डॉक्टर की नियुक्ति कराने के सम्बन्ध में,

8-मेरे विधान सभा खेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम छितावर, भोजपुर, अकबराबाद, पखनपुरगंगवाली, उमरी, कोतवाली देहात में मिनी स्टेडियम बनवाने के सम्बन्ध में,

9-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के किरतपुर-नहटौर रोड से शाहबपुरा रतन होते हुए छितावर तक लिंक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-नहटौर मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में,

11-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम मुबारकपुर खोसा उर्फ खुशियाकी व ग्राम भनेडा में जू0 हाईस्कूल, हाई स्कूल तक उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

12-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के गन्ना किसानों का बकाया वर्ष 2019-20, 2021-2022 का भुगतान कराने के सम्बन्ध में,

13-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक कोतवाली के ग्राम बेगमपुर चायमल (धीमारहेडी) से ग्राम आनन्दखेडी के बीच गागन नदी पर एक पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

14-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना के मोहल्ला पटेरी में पुरानी मुंसफी के भूमि पर राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज को बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

15-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, के कस्बा नगीना तह0 नगीना जनपद बिजनौर में चौ0 चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित राजकीय कृषि फार्म पर कृषि डिग्री कॉलेज (एग्रीकल्चर डिग्री कॉलेज) बनाये जाने के सम्बन्ध में,

16-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर ईदगाह रोड से बुडगरी मार्ग पर मालन नदी के ऊपर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

17-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना एवं कस्बा किरतपुर में खेल कूद को प्रोत्साहन देने हेतु कस्बा किरतपुर एवं नगीना में स्टेडियम बनवाने के सम्बन्ध में,

18-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर में मॉर्निंग वॉक एवं इवनिंग वॉक करने हेतु नागरिकों के लिए एक पार्क बनवाने के सम्बन्ध में,

19-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना मे जर-जर हालत में स्थित रोडवेज बस स्टैण्ड की जगह नया बस स्टैण्ड नगीना एन0एच0 74 बाईपास पर बनाये जाने के सम्बन्ध में,

20-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के प्रत्येक ग्राम के चौराहों पर हाई मास्क लाइटें लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

21-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कितरपुर वाया अकबराबाद, नगीना हरेवली शेरकोट मुख्य जिला मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

22-मेरे विधानसभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कितरपुर से नहटौर वाया शादीपुर मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

23-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा कितरपुर से मण्डावर मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

24-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक कितरपुर के ग्राम भोजपुर से बुडगरा मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण लम्बाई लगभग 2.090 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

25-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कितरपुर- मौज्जमपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा कितरपुर के मोहल्ला चमारान के रफीतुल्ला के

मकान से मालिन नदी तक छूटी कड़ी एवं नाली निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में,

27-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक कितरपुर के ग्राम छितावर से चतरभोजपुर कुशल मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

28-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक कितरपुर के ग्राम झलरी नसीरी छितावर मार्ग से चतरभोजपुर कुशल होते हुए रेलवे फाटक तक मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

29-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक कितरपुर के ग्राम भनेडा से गोविन्दपुर, कसौर होते हुए किरतपुर शादीपुर मार्ग से छितावर तक नगर की पटरी को नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

30-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम शाहजहांपुर रौशन उर्फ गडीकपुरा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0-74 पर ग्राम सिकन्दरपुर तक मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

31-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0-74 ग्राम हिन्दुपुर होते हुए ग्राम दयालवाला तक पी0डब्लू0डी0 निर्मित मार्ग को मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

32-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक कोतवाली के ग्राम मसूरी से ग्राम अलीपुरमान उर्फ खेडा तक लगभग 500 मी0 नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में,

33-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-अकबराबाद पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्मित मार्ग की मरम्मत एवं ग्राम अकबराबाद ब्लॉक कोतवाली में साप्ताहिक (मंगलवार) को लगने वाले बाजार के स्थान पर रोड के किनारे टाइल्स लगवाकर चौड़ा कराने के सम्बन्ध में,

34-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर ग्राम शादीपुर में अम्बेडकर मूर्ति के पास से ग्राम ईलाएचिपुर खडदू (सिकैडा) तक लगभग 2.00 कि0मी0 नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में,

35-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम इस्लामपुर बेग्गा से कुम्हैडा तक नहर की पटरी लगभग 1.00 किमी0 नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में,

36-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर ब्लॉक किरतपुर के किरतपुर अकबराबाद मार्ग से ग्राम पित्तनहेड़ी झोझा तक पहुंचने हेतु लगभग 1.00 किमी0 नहर की पटरी नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में,

37-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक कोतवाली के ग्राम बनवारीपुर के पास से ग्राम चन्दुपुरा नहर की पटरी के मार्ग से ग्राम अलीपुर मान उर्फ खेड़ा तक पहुंचने हेतु लगभग 700 मी0 नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में,

38-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम जलालपुर में रामसिंह कश्यप के मकान से ग्राम गनौरा, नन्दपुर मार्ग तक लगभग 1.00 किमी0 नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में,

39-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम गोविन्दपुर में अम्बेडकर मूर्ति से नगीना-अकबराबाद मार्ग तक लगभग 700 मी0 नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में,

40-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक कोतवाली के नगीना-बढापुर मार्ग से ग्राम नन्दपुर उर्फ खैरूल्लापुर से नहर तक पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्मित डामर रोड की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

41-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर ग्राम भनेडा से ग्राम खटाई तक नहर की पटरी लगभग 1.840 किमी0 मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

42-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम अमानगर से रामपुर मुरार (सुरानंगली) मार्ग लगभग 2.00 किमी0 मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

43-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर ग्राम औरंगपुर फत्ता से सरकडा खेडी तक लगभग 0.665 किमी0 निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

44-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर ग्राम भरैकी से दुधली-मेमन मार्ग शिवमन्दिर होते हुये ग्राम नसीरपुर मिठारी तक लगभग 2.00 किमी0 मरम्मत एवं छुटी कड़ी 500 मी0 नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में,

45-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर ग्राम औरंगजेपुर फाजिल केशर से ग्राम गोपालपुर तक 1.00 किमी0 तक मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

46-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर में नगीना के मौ0 मनिहारी सराय से तुख्मापुर-भवानीपुर मार्ग तक नवनिर्माण (मार्ग बनवाने) कराने के सम्बन्ध में,

47-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के भनेडा आजमाबाद मार्ग के किमी0 3.00 से हामिदपुर माखन होते हुए दुधली मार्ग का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

48-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम मुस्सेपुर (इस्लामपुर शाहली) से ग्राम अनवरपुर चतर तक छुटी कड़ी के निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

49-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम खटाई नहर के पुल से ग्राम रसूलपुर शाहबुद्दीन तक नहर की पालट छुटी कडी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

50-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम भोजपुर से ग्राम अनवरपुर चतर तक छुटी कडी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

51-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के हादीपुर मार्ग से शकरपुडी तक छुटी कडी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

52-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम पाडली में आरामशीन के पास से ग्राम अनवरपुरचतर तक छुटी कडी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

53-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के किरतपुर- मौज्जमपुर मार्ग से मोहल्ला नवादा किरतपुर तक छुटी कडी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

54-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम भोजपुर से भनेडा मार्ग की मरमत कराने के सम्बन्ध में,

55-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के चन्दक से बुडगरा मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

56-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के एन0एच0-74 से ग्राम शाहलीपुर अब्दुल सत्तार मार्ग की पुनर्स्थापना कराने के सम्बन्ध में,

57-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम गनौरा से गोपालपुर मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

58-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम पुरैनी से पखनपुर मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

59-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-अकबराबाद मार्ग से तकीपुर नरोत्तम होते हुए जीतपुर पलडी मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

60-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-अकबराबाद मार्ग से ग्राम मलकपुर अब्दुल्ला होते हुए खुशहालपुर मठेरी तक आबादी क्षेत्र में सी0सी0 निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

61-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम औरंगजेबपुर फाजिल के केन क्रेशर से ग्राम गोपालपुर तक लगभग 1.00 किमी मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

62-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के किरतपुर-मौज्जमपुर मार्ग पर रेलवे फाटक से ग्राम राजारामपुर प्रताप (ताहरपुर) मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

63-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम सैदपुरी महिचन्द से बेगमपुर हर्रे उर्फ, हुरनंगला मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

64-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर ब्लॉक किरतपुर के नगीना-नहटौर मार्ग के किमी0 8.00 से आजमपुर मोहन मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

65-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक कोतवाली के ग्राम मौजमपुर हरवंश से मुस्सेपुर मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

66-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम गनौरा से जलालपुर होते हुए हरदासपुर मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

67-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-बढापुर मार्ग के किमी0 5.00 से खिजरपुर जग्गू मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

68-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के किरतपुर-अकबराबाद मार्ग से ग्राम सराय इम्मा होते हुए आजमाबाद बसेडा क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

69-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम रामपुर विशना से मौजीपुर धरमा के मध्य छूटी कडी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

70-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-बढापुर मार्ग के किमी0 4.00 से ग्राम भोगली होते हुए रामपुर छजमल मार्ग का चौड़ीकरण इण्टरलॉकिंग सड़क के साथ लम्बाई लगभग 5.9 किमी0 निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

71-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-बढापुर मार्ग किमी0 2.00 से अल्हेदादपुर मार्ग एवं ग्राम नंगली के बीच क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर 8X5 मी0 स्पान का लघु सेतु पहुंच मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य कराने के सम्बन्ध में,

72-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम भनेडा नहर के पुल से हिन्दू शमशान घाट तक लम्बाई लगभग 700 मी0 नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में तथा

73-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के एन0एच0-74 हादिपुर चौराहा से शाहपुर सुक्खा में डॉ0 प्रमोद के मकान तक लम्बाई लगभग 1.00 किमी बनवाने के सम्बन्ध में।''

19 श्री वीरेन्द्र चौधरी

''खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में निम्नांकित का उल्लेख नहीं है। अतः श्री राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में निम्नलिखित संशोधन और जोड़ दिये जायं :-

1-यह कि स्वास्थ्य केन्द्र कुल्हुई जनपद-महराजगंज को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाय,

2-यह कि ग्राम सभा कुल्हुई को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाय,

3-यह कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फरेन्दा को उच्चीकृत करके राजकीय कन्या महाविद्यालय बनाया जाय,

4-यह कि दुर्गा मन्दिर अदरौना (आद्रवन क्षेत्र) जनपद महराजगंज को पर्यटन विभाग से समस्त सुविधाओं से युक्त किया जाय,

5-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 315 फरेन्दा क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका प्रत्येक वर्ष आती है, समय रहते वन्देहिया बांध, वेलसढ़-रिगौली, कमलहा बांध और नगवा बांध को मरम्मत करके उच्चीकृत किया जाय,

6-यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र फरेन्दा की परगापुर ताल का सुन्दरीकरण कराकर उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाय,

7-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 315 फरेन्दा में बन्द पड़ी चीनी मिल को पुनः चलाने की कार्ययोजना बनायी जाय,

8-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 315 फरेन्दा में विकास कार्य तेजी से कराया जाय,

9-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 315 फरेन्दा में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय,

10-यह कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वांचल का अति पिछड़ा क्षेत्र है। पीने का पानी दूषित है। अतः मेरे विधान

सभा क्षेत्र में 500 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प प्रदान किये जायं तथा

11-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 315 फरेन्दा, महराजगंज में कई तरफ से जंगल होने के कारण जंगली जानवर व पशुओं से किसानों की अपूर्णीय क्षति हो रही है। इस समस्या से निदान करने के लिए जंगल के चारों तरफ तारबन्दी की जाय।''

20 श्री अमिताभ बाजपेई

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय जी का 23 मई, 2022 को पढ़ा गया अभिभाषण में निम्न संशोधन जोड़ दिया जायः-

1-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर में धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम हेतु एक भव्य महोत्सव पंडाल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर में जाम की समस्या से निपटने हेतु परेड से मूलगंज होते हुए घंटाघर व सरसैया घाट से बड़ा चौराहा होते हुए बांसमंडी तक एलिवेटेड रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

3-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर में नगर निगम के द्वारा पूर्व में संचालित धनकुट्टी अस्पताल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर में शिवाला स्थित चूड़ी मार्केट अत्याधुनिक बनाये जाने एवं उसके ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

5-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर में स्थित मुर्गा मार्केट एवं मछली मार्केट को अत्याधुनिक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

6-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर में कचहरी के पास मल्टी लेवल पार्किंग बनाकर जाम की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

7-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर सरसैया घाट पर गंगा जी के ऊपर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

8-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर स्थित बाबा आनंदेश्वर धाम परमट मंदिर के आस-पास पूर्ण सुन्दरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर में नगर निगम के द्वारा स्टाक एक्सचेंज से लेकर के हडसन स्कूल तक ईवनिंग फूड वेडिंग जोन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर में स्थित डफरिन अस्पताल के नवनिर्मित एन0आई0सी0यू0 को जल्द से जल्द प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर में स्थित जिला अस्पताल उर्सला में मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

12-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर में बिरहाना रोड स्थित केपीएम अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आई0सी0यू0 बनाये जाने के सम्बन्ध में तथा

13-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर के हीरामन पुरवा स्थित नगर निगम इंटर कालेज को अत्याधुनिक बनाये जाने के साथ उसमें इंटर में विज्ञान की कक्षाएं शुरू कराये जाने के सम्बंध में।''

21 श्री लालजी वर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल जी द्वारा अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

1-उ0प्र0 में जातिगत जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-उ0प्र0 सरकारी नौकरियों में आरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण कोटा पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-उ0प्र0 में 69000 शिक्षकों के भर्ती में आरक्षण घोटाला को दूर कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षकों की भर्ती किए जाने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश के अघोषित बिजली कटौती किए जाने के सम्बन्ध में,

5-किसानों को निजी नलकूप के लिए निःशुल्क बिजली का कनेक्शन दिए जाने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश के आम जनता को निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

7-उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किए जाने के सम्बन्ध में,

8-बढ़ती हुई मंहगाई एवं बेरोजगारी को कम किए जाने के सम्बन्ध में,

9-आवारा पशुओं/छुट्टा जानवरों के द्वारा किसानों एवं मजदूरों के जान एवं फसल की क्षति को बचाने के सम्बन्ध में,

10-उ0प्र0 के किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-जनपद अम्बेडकरनगर के सड़कों के मरम्मत किए जाने के सम्बन्ध में,

12-महामाया राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय अम्बेडकरनगर में शिक्षकों की कमी दूर किए जाने के सम्बन्ध में,

13-महामाया राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय अम्बेडकरनगर में परास्नातक कक्षायें प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-बनुकरों को फिक्स रेट पर विद्युत आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में,

15-अम्बेडकरनगर कटेहरी एवं भीजी ग्रामों को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में,

18-बुनकर बाहुल्य क्षेत्र अकबरपुर, टाण्डा, इल्तिफातगंज एवं जिला अम्बेडकरनगर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में।

17-एन0टी0पी0सी0 टाण्डा द्वारा प्रभावित कृषकों एवं मजदूरों को रोजगार दिए जाने के सम्बन्ध में,

18-अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर में बाईपास में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि जिसका सर्किल रेट विगत 5 वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है सर्किल रेट बढ़ाकर मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

19-नगर पंचायत इल्तिफातगंज में जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में तथा

20-नगर पंचायत इल्तिफातगंज जिला अम्बेडकरनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में।''

22 श्री हाकिम लाल बिन्द

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है।

1-जिला-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत नगर पंचायत हण्डिया नेशनल हाई-वे लाला बाजार से रहीम पट्टी तक का चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में,

2-जिला-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया एवं मेजा विधान सभा क्षेत्र को जोड़ने के लिए लाक्षागृह में गंग नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

3-जिला-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के नगर पंचायत हण्डिया से लक्क्षागृह जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में,

4-जिला-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत भीटी से सीतामढ़ी जाने वाले मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के संबंध में,

5-जिला-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत बन्दी पट्टी चौहान बस्ती से बिन्द बस्ती तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

6-जिला-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत बरौत बाजार से सुरियावा भदोही जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में तथा

7-जिला-प्रयागराज के नगर पंचायत हण्डिया में जल जमाव से निजात पाने हेतु स्थाई रूप से नाले के निर्माण के संबंध में।''

23 श्री विनोद चतुर्वेदी, प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया है।

1-गुढ़ा सेखपुर, तहसील, कालपी में यमुना नदी की बाढ़ की स्थिति में लगभग 700 एकड़ जमीन जललग्न हो जाती है। अतः नून नदी जो कि यमुना नदी में मिलती है, बाढ़ रोकने की व्यवस्था हेतु रेगुलेटर गेट लगाने के सम्बन्ध में,

2-पाल सरेनी, जो कि यमुना नदी पर इटावा जिले को मिलाने वाला पुल, जो वर्ष, 2009 में स्वीकृत हुआ था, अभी तक वह अधूरा पड़ा है। अतः इसको पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,

3-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालपी में उच्चीकरण करते हुये वहां पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टॉक एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

4-राठ, कालपी मदारीपुर मार्ग, 67 चेनेज 66.235 से 94.275 तक सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-उरई चुरखी पाल सरेनी मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-कालपी मार्ग किमी0 05 से बसन्तलाल सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-रिरूआ के बम्बा से जौरा खेड़ा तक नवनिर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-भदेख से शंकरपुर वाया हिनौली तक नवनिर्माण का कार्य कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-बबीना मार्ग से धमना सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-कुरेहना पुल से मवई ब्राम्हण तक नवनिर्माण का कार्य कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-चमारी से सन्धि सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में,

12-प्रत्येक परिवार के लिये जीवनयापन के लिये सम्मान राशि दिये जाने के सम्बन्ध में,

13-किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,

14-राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

15-राज्य सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

16-यह कि पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

17-अफसरशाही बेलगाम हो गई है सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन नहीं हो रहा है के सम्बन्ध में,

18-जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है के सम्बन्ध में,

19-मेरे निर्वाचन क्षेत्र, 220 कालपी में विकास कार्य पूरी तरह बन्द हैं। विकास कार्यों में तेजी लाये जाने के सम्बन्ध में,

20-मेरे निर्वाचन क्षेत्र, 220 कालपी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के द्वारा पीने के पानी के लिये कार्य किया जा रहा है वह बहुत ही धीमा है तथा गांव में जो सड़कों को खोदकर पाइपलाइन डाल रहे है और उन सड़कों को ऐसे ही छोड़ रहे है। अतः उन सड़कों का निर्माण जो भी संस्था कार्य कर रही है, उनसे उन सड़कों को तुरन्त बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

21-बुन्देलखण्ड एक पिछड़ा क्षेत्र है, इसके विकास के लिये स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

22-मेरे निर्वाचन क्षेत्र, 220 कालपी में कोई भी महिला डिग्री कालेज कुठौद एवं महेवा ब्लाक में नहीं है, जिनमें बालिकाओं की शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। अतः महिला डिग्री कालेज की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

23-मेरे निर्वाचन क्षेत्र, 220 कालपी में विद्युत आपूर्ति बहुत बाधित है, बार-बार बाधित होती है, जिससे

किसान और आमजन बहुत परेशान है, इसे तत्काल बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

24-किसानों के बिजली बिल माफ किये जाने के सम्बन्ध में।''

24 श्री पंकज कुमार मलिक

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है।

1-चरथावल विधान सभा क्षेत्र के गांव सूजडू व बघरा की आबादी बड़ी संख्या में होने के कारण उन्हें नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

2-पानीपत खटीमा मार्ग से तिरपडी-बुडीना खुर्द मार्ग का पुनः निर्माण के सम्बन्ध में,

3-चरथावल विधान सभा क्षेत्र में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-जनपद मुजफ्फरनगर में विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में,

5-मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम का निर्माण व क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी, बालीबाल, हाकी के प्रशिक्षण के लिए महिला व पुरुष कोच की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

6-जनपद मुजफ्फरनगर के थानाभवन मार्ग खराब है, इसका पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-जनपद मुजफ्फरनगर से शामली नेशनल हाई-वे निर्माण का कार्य चल रहा है, पुराना रास्ता चलने योग्य नहीं है, जिसका निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल के कस्बा चरथावल में स्थित अस्पताल का उच्चीकरण कर बड़ा अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

9-मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ब्लाक बघरा के सभी ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ब्लाक चरथावल के सभी ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में,

11-मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल के गांव जडोदा में पिछले कार्यकाल में अल्पसंख्यक विभाग द्वारा निर्मित इण्टर कालेज का निर्माण पूर्ण कर सुचारु रूप से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-गन्ना किसानों का 14 दिन में भुगतान कराया जाना तथा बकाये को ब्याज सहित भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-बेरोजगार नौजवानों को बेराजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में,

14-प्रत्येक परिवार के लिए जीवनयापन के लिए सम्मान राशि दिये जाने के सम्बन्ध में,

15-किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,

16-राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने के सम्बन्ध में,

17-राज्य सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

18-पुरानी पेन्शन बहाल किए जाने के सम्बन्ध में,

19-अफसरशाही बेलगाम हो गई है सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन नहीं हो रहा है, के सम्बन्ध में,

20-जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है, के सम्बन्ध में,

21-मेरे निर्वाचन क्षेत्र 12 चरथावल में विकास कार्य पूरी तरह बन्द हैं। विकास कार्यों में तेजी लाये जाने के सम्बन्ध में,

22-मेरे निर्वाचन क्षेत्र 12 चरथावल में एक महिला डिग्री कालेज की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

23-मेरे निर्वाचन क्षेत्र 12 चरथावल में विद्युत आपूर्ति बहुत बाधित है, बार-बार बाधित होती है, जिससे

किसान और आम जन बहुत परेशान हैं, इसे तत्काल बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में,

24-किसानों के बिजली बिल माफ किये जाने के सम्बन्ध में तथा

25-आवारा पशुओं द्वारा किसानों के हुए नुकसान व पशुओं द्वारा दुर्घटना में मारे गये किसानों के परिवार को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।''

25 श्री समरपाल सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है।

1-ग्राम देहरा-सहेलिया से शब्दलपुर तक कच्चे मार्ग को पक्का कराने के सम्बन्ध में लगभग 4 कि0मी0,

2-ग्राम नगलिया जट से कोटा तक कच्चे मार्ग लगभग 2.5 किमी0 पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-ग्राम भैड़ा भरतपुर से रतनपुर तक कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-ग्राम शब्दलपुर से हसनपुर तक लगभग 7 कि0मी0 कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-अमरोहा नगर के चारों तरफ बाई पास बनाये जाने के सम्बन्ध में,

6-नौगॉवा सादात नगरपालिका क्षेत्र में बच्चों के खेलकूद हेतु एक स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में,

7-ग्राम जगुवा से अतरासी-हसनपुर माग्र तक पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-अतरासी हसनपुर मार्ग से नाईपुरा होते हुए भबालपुर अड्डे तक जर्जर मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-ग्राम अम्बरपुर से धोसीपुर होते हुए शब्दलपुर तक पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-ग्राम अतरासी एवं ग्राम रजबपुर के बीच में एक सरकारी डिग्री काजेल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

11-ग्राम लिसड़ी से पूठी होते हुए ग्राम जगुवा तक कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-ग्राम दीमापुर सदरपुर के बीच में जो टेढ़ी बिना इस्तेमाल के लिए पुलिया बनाई गई है उसे रोड पर चलने हेतु सीधी बनाये जाने के सम्बन्ध में,

13-गजरौला रोडवेज से कटाई तक कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-ग्राम लिसडी एवं ग्राम कटाई के बीच में एक सरकारी डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

15-ग्राम चौधरपुर में एक सरकारी डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

16-ग्राम पॉयती कलां में एक सरकारी डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

17-ग्राम कैलशा में एक राजकीय डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

18-ग्राम नन्हेडा में एक राजकीय डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

19-ग्राम सुनपुरा एवं ग्राम छाई के बीच में एक राजकीय विद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में,

20-ग्राम देहरी-लतीफपुर के बीच में एक राजकीय डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

21-ग्राम खेड़ी में एक राजकीय डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

22-ग्राम जब्दा में एक राजकीय डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

23-ग्राम तहारपुर में एक राजकीय डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

24-नोगॉवा-सादात नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में उ0प्र0 परिवहन निगम का एक बस डिपो बनाये जाने के सम्बन्ध में,

25-नोगॉवा कस्बे में सुन्दर एवं भव्य बने हुए 100 बेड के सरकारी अस्पताल में डाक्टर एवं नर्सों की नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में,

26-मेरे विधान सभा क्षेत्र नोगॉवा सादात को बिजली कटौती से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में,

27-मेरे विधान सभा क्षेत्र नोगॉवा सादात में बन्द बड़ी सरकारी कताई मिल जो कि सैकड़ों लोगों को नौकरी एवं रोजगार दे रही थी उसको पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-नोगॉवा तहसील का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-नोगॉवा सादात में रजिस्ट्री कार्यालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में,

30- नोगॉवा तहसील परिसर क्षेत्र में एक अलग से ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

31-मेरे विधान सभा क्षेत्र नोगॉवा सादात के साथ-साथ समस्त उ0प्र0 में शिक्षा मित्रों को नियमित शिक्षक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

32-ग्राम-इशेपुर में एक राजकीय डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

33-ग्राम-कूबी में सर्किल रेट के चार गुना मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में चल रहे धरने के उपरान्त अभी तक न मिले मुआवजे को दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

34-जनपद अमरोहा में जनपद के पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

35-जनपद अमरोहा के न्यायालयों में हमारे वकीलों के लिए चेम्बर बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

36-मेरे विधान सभा क्षेत्र नोगॉवा सादात के ग्राम खेड़ा अपरौला में एक राजकीय इण्टर कालेज एवं एक राजकीय डिग्री कालेज बनवाने के सम्बन्ध में,

37-मेरे विधान सभा क्षेत्र नोगॉवा सादात के ग्राम कैलबकरी में एक राजकीय इण्टर कालेज एवं एक डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

38-मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चक कालीलेट में एक राजकीय डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में तथा

39-मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कासमपुर-डयोढ़ी बाजदपुर में एक राजकीय इण्टर कालेज एवं एक डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में।

26 श्री विशम्भर सिंह यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया है।

1-किन्तु खेद है कि उ0प्र0 के बेरोजगारों को रोजगार देने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है,

2-किन्तु खेद है कि उ0प्र0 के किसानों के निजी नलकूपों को निःशुल्क विद्युत देने का कोई उल्लेख नहीं है,

3-किन्तु खेद है कि उ0प्र0 के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली करने का कोई उल्लेख नहीं है,

4-किन्तु खेद है कि उ0प्र0 के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को स्थायीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है,

5-किन्तु खेद है कि जनपद बांदा की सभी पम्प नहरों को पूरी क्षमता से चलाये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है,

6-किन्तु खेद है कि जनपद बांदा में अन्ना प्रथा को समाप्त कर सभी गौ शालाओं में भूसा, चारे, पानी की समुचित व्यवस्था कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है,

7-किन्तु खेद है कि बबेरु विधान सभा क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज बीरा, मर्का, लोहरा का शिक्षण सत्र प्रारम्भ कराने का उल्लेख नहीं है,

8-किन्तु खेद है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

9-किन्तु खेद है कि प्रदेश के किसानों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-किन्तु खेद है कि जनपद बांदा की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने व चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कराने के उल्लेख नहीं है,

11-किन्तु खेद है कि यमुना नदी में निर्माणाधीन औगरजी पुल, मर्का पुल तथा दादौघाट पर अधूरे कार्य को पूरा कराकर चालू कराने का कोई उल्लेख नहीं है,

12-किन्तु खेद है कि ममसी ग्राम के किनारे बागे नदी पर पुल का कार्य पूर्ण कराकर चालू कराने का उल्लेख नहीं है,

13-किन्तु खेद है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का अधूरा कार्य पूरा कराकर चालू कराने का उल्लेख नहीं है,

14-किन्तु खेद है कि बांदा मेडिकल कालेज को पूरी क्षमता से सभी विभागों को चलाने तथा डाक्टरों की तैनाती कराने का उल्लेख नहीं है,

15-किन्तु खेद है कि जनपद बांदा-बबेरु तथा बांदा-चिल्ला, मार्ग को गड्ढामुक्त कराने का उल्लेख नहीं है,

16-किन्तु खेद है कि विधान सभा क्षेत्र बबेरु की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबेरु व प्राथमिक स्वा0 केन्द्र कमासिन व प्राथमिक स्वा0 केन्द्र जामू, बिसण्डी में रक्त पड़े डाक्टरों व स्टाफ नर्सों की तैनाती कराये जाने का उल्लेख नहीं है,

17-किन्तु खेद है कि जनपद बांदा के लोक निर्माण विभाग में दिनांक 27-12-2021 को 25 निविदाओं में की गयी धांधली की जांच कराने का उल्लेख नहीं है,

18-किन्तु खेद है कि जनपद बांदा में घर-घर नल पेयजल योजना में गांवों की सी0सी0 व सड़कों की खुदायी को ठीक कराने का उल्लेख नहीं है,

19-किन्तु खेद है कि जनपद बांदा विधान सभा क्षेत्र बबेरु के सभी ग्रामों सहित जनपद बांदा में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराने का उल्लेख नहीं है,

20-किन्तु खेद है कि जनपद बांदा में सभी खदानों से अवैध खनन तथा पोकलैण्ड मशीनों द्वारा मानक के विपरीत 20-25 फिट गहराई के गड्ढे करने पर रोक तथा ओवर लोड को बन्द कराने का उल्लेख नहीं है,

21-किन्तु खेद है कि बांदा कृषि प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में की गयी भर्तियों में

एस0सी0/ओ0बी0सी0 का आरक्षण समाप्त करने की जांच का उल्लेख नहीं है,

22-किन्तु खेद है कि बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में भीषण गर्मी को देखते हुए सभी तालाबों, पोखरों को भरवाने का तथा पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है तथा

23-किन्तु खेद है कि जनपद बांदा में पुलिस द्वारा बिना किसी अपराध के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर रोकने का उल्लेख नहीं है।

27 श्री मोहम्मद फहीम इरफान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है।

1-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले या मंडल मुख्यालय पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापना कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

2-भारत सरकार के रामपुर स्टेट गजट वर्ष 1911 व रामपुर डिस्ट्रिक्ट गजट में अंकित प्रविष्टियों व अन्य तथ्यों के आधार पर राज्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण सूची में झोझा जाति के पर्यायवाची के रूप में तुर्क लिखने की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

3-जनपद मुरादाबाद स्थित हवाई पट्टी से अन्तर्राज्य और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रारम्भ सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

4-जिला मुरादाबाद अन्तर्गत दशकों पूर्व पाकबाड़ा-डींगरपुर मार्ग पर स्थापित एस0ई0जेड0 क्षेत्र में शत-प्रतिशत औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में,

5-मुरादाबाद स्थित राजकीय पोलिटैक्निक की उपलब्ध भूमि में विश्वविद्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में,

6-जिला योजना मुरादाबाद एवं जिला योजना संभल को उनके स्वीकृत बजट के अनुसार शत-प्रतिशत धनराशि जारी करने के सम्बन्ध में,

7-बिलारी विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल कालेज व कन्या डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में,

8-महिला अस्पताल बिलारी में विभिन्न जांचों, एक्सरे-अल्ट्रासाएंड, ऑपरेशन की सुविधा एवं आवश्यक स्टाफ की तैनाती के सम्बन्ध में,

9-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलारी में मरीजों की संख्या के अनुरूप टीकों, दवाओं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती व सीटी स्कैन मशीन सेंटर लगवाने के सम्बन्ध में,

10-नवीन नगर पंचायत महमूदपुर माफी, मौहम्मद इब्राहीमपुर गांव में पी0एच0सी0 का भवन निर्माण और डाक्टरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

11-बिलारी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम स्योंडारा के मझरे सुंदरपुर स्थित सिंचाई विभाग के ऐतिहासिक जीर्णक्षीण डाक बंगले का कायाकल्प करने के सम्बन्ध में,

12-बिलारी विधान सभा क्षेत्र में बहने वाली एकमात्र विलुप्त हो चुकी आरिल नदी के समस्त रकबे का चिन्हीकरण व मुक्तीकरण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

13-बिलारी विघान सभा क्षेत्र अन्तर्गत भवनहीन थाना बिलारी एवं थाना सोनकपुर के नवीन भवनों का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में,

14-बिलारी विधान सभा क्षेत्र में ऑडिटोरियम, खेल स्टेडियम और आधुनिक हर्बल पार्क बनवाने के सम्बन्ध में,

15-बिलारी विधान सभा क्षेत्र के तेवरखास, सहसपुर में नये राजकीय इंटर कॉलेज की बनवाने एवं प्रत्येक न्याय पंचायत को राजकीय इंटर कॉलेज की सुविधा से आच्छादित करने के सम्बन्ध में,

16-जिला मुरादाबाद के विकास खण्ड बिलारी तथा जिला संभल के विकास खंड बनियाखेड़ा की न्याय पंचायतों का नवीन भौगोलिकता के आधार पर परिसीमन करने के सम्बन्ध में,

17-बिलारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों की शुद्ध पेयजल से वंचित आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

18-बिलारी विधान सभा में राजकीय नलकूपों की मरम्मत व नए नलकूपों की स्थापना कराना,

19-बिलारी में आधुनिक शव दाह ग्रह और शमशान घाटों में कर्मशाला बनवाने और कब्रिस्तानों का जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में,

20-डाक बंगले बिलारी का आधुनिक जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में,

21-धार्मिक स्थलों के रास्तों को ठीक किये जाने व धार्मिक स्थलों पर सौलर लाईटें, प्याऊ और नल लगवाने के सम्बन्ध में,

22-बिलारी विधान सभा अन्तर्गत पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जा रहे बेरनी शिव मंदिर और तिसावां दरगाह के परिसरों में अवशेष विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

23-बिलारी विधान सभा अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र बिलारी, सहसपुर बिजलीघर, मुबारकपुर, ग्वारउ, समाथल, सफीलपुर की क्षमतावृद्धि करने के सम्बन्ध में,

24-बिलारी विधान सभा के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों को गौशाला की सुविधा से आच्छादित करने के सम्बन्ध में,

25-बिलारी विधान सभा के अन्तर्गत आने वाली 3000 से अधिक जनसंख्या वाली समस्त ग्राम पंचायतों को शादी घर निर्माण से आच्छादित करने के सम्बन्ध में,

26-बिलारी विधान सभा के अन्तर्गत नगर बिलारी में पत्रकार भवन, सरकार द्वारा संचालित वृद्धाश्रम बनाने के सम्बन्ध में,

27-बिलारी विधान सभा के अन्तर्गत समस्त प्राथमिक कृषि समितियों पर अनाज एवं खाद्य भण्डारण हेतु वेयर हाउस बनाने के सम्बन्ध में,

28-बिलारी विधान सभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित समस्त पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड बनाने के सम्बन्ध में,

29-बिलारी विधान सभा अन्तर्गत बिलारी नगर व कस्बा सहसपुर सहित क्षेत्र भर के हैंण्डलू कारोबारियों को

रियायती दर पर विद्युत कनैक्शन, सूत डिपो व विशेष स्वास्थ्य बीमा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में,

30-समस्त पेट्रोल पम्पों पर महिलाओं के लिये विशेष शौचालयों को निर्माण सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

31-प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप सौलर प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में,

32-प्रदेश में कार्यरत 2021 में कार्यमुक्त किये गये एबुंलेंस कर्मियों को बहाल करने के सम्बन्ध में,

33-पंजीकृत श्रमिकों को दिल्ली की भांति मुफ्त बस सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में,

34-प्रत्येक जिले में महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई गठन करने के सम्बन्ध में,

35-प्रदेश में चैक बाउंस से जुड़े मामले हेतु विशेष न्यायलय बनाने के सम्बन्ध में,

36-प्रदेश में मनरेगा योजना के अन्तर्गत बने पंचायत भवनों एवं पक्के कार्यों की सामग्री अंश का बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

37-प्रदेश के मनरेगा कर्मियों हेतु एच0आर0 पॉलिसी जारी करने, ई0पी0एफ0 कटौती खातों में जमा करने, रोजगार सेवकों से ग्राम विकास के समस्त कार्य कराने, उनका शोषण रोकने तथा हटाने में उपायुक्त श्रम व डी0सी0 मनरेगा की अनुमति की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

38-नई शिक्षा नीति के मानक अनुरूप बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के सम्बन्ध में,

39-नई शिक्षा नीति के मानक अनुरूप बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के सम्बन्ध में,

40-साक्षर भारत मिशन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षा प्रेरकों को बकाया मानदेय दिलाने तथा उन्हें बहाल करने के सम्बन्ध में।

28 श्री जय प्रकाश अंचल

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद-बलिया के निम्न का उल्लेख नहीं किया है। कृपया अभिभाषण के अन्त में निम्न संशोधन जोड़ दिया जाय।

1-वी0एस0टी0 बांध (दलनछपरा) से कोड़रहा होकर बिहार वार्डर तक सड़क का लेपन कार्य व पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-मुरलीछपरा से लालगंज जाने वाली सड़क का पुर्ननिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-भोपालपुर दतहां श्रीनगर टी0एस0 बंधा मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-गोपालपुर से मानगढ़ पी0एम0जे0एस0वाई0 तक पिच मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-सोनवानी विद्युत सब-स्टेशन से कटही पी0डब्ल्यू0डी0 मार्ग तक लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-लालगंज बाजार से शिवपुर गंगाघाट तक मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-अधिसिजुआं पी0एम0जे0एस0वाई0 मार्ग से पुरानी रेलवे लाइन तक मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-दलनछपरा मवेशीखाना से सोनकीभाट करनछपरा मार्ग को लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-सिकन्दरपुर बैरिया मार्ग के मूनछपरा से दलछपरा रेलवे स्टेशन तक मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-रेवती से खरिका मार्ग का पुनर्निर्माण व लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-बहुआरा जईछपरा मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-बैरिया दलनछपरा मार्ग भगवानपुर से रामनगर मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-सुरेमनपुर-दुर्जनपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-मधुबनी-श्रीनगर मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-गोपालपुर टावर से पंचायत भवन मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-विशुनपुरा चाईछपरा मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-हल्दी सहतवार मार्ग से विगही गांव तक मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-बैरिया भोजापुर मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-लालगंज भुसैला सतीघाट मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

20-मानगढ़ वशिष्ठनगर मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

21-एन0एच0-31 चांददियर से यादवनगर तक सड़क का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

22-शिवनटोला एन0एच0-31 से बाजराय का टोला होकर वी0एस0टी0 बंधा तक लेपन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

23-वशिष्ठनगर घाघरा नदी के छाड़न पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

24-जमुना ड्रेन दुधैला पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

25-शिवपुर कपूरदियर में सेमरिया के सामने बन्धे के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-कोड़रहा मार्ग पर बन्धे के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-इम्ब्राहिमाबाद नौबार में वी0एस0टी0 बांध के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-गंगा नदी में शिवपुर घाट पर बन रहे पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-नौरंगाघाट पर चल रहे पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

30-सोनबरसा सामु0 स्वा0 केन्द्र पर खराब पड़ी जांच मशीनों के स्थान पर नई मशीन लगाये जाने और मानक के अनुसार डॉक्टर व स्टाफ तैनात व दवा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध किये जाने के सम्बन्ध में,

31-कोटवा, मुरलीछपरा, जयप्रकाश नगर, सोनवानी, लालगंज, श्रीनगर, भुवालछपरा, नौरंगा आदि अस्पतालों में डाक्टरों व स्टाफ की नियुक्ति जनहित में कराये जाने एवं दवाओं की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

32-शोभा छपरा में मठ धन्जूगिरि की मठिया होकर जयप्रकाश नगर तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

33-बैरिया चिरैया मोड़ से धर्मटाकिज मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

34-टी0एस0 बांध वशिष्ठनगर प्लाट से मानगढ़ तक नवीन मार्ग/पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

35-मानिक छपरा से सोनबरसा एन0एच0-31 पर कोल्ड स्टोरेज तक मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0/विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

36-रेवती दतहां मार्ग छपरा सारिव से लमुही होते हुये टी0एस0 बंधा तक मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

37-टी0एस0 बन्धा श्रीनगर से नरायनगढ़ मार्ग तक मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

38-एन0एच0-31 कोल्ड स्टोरेज से कृषि मण्डी मार्ग तक मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

39-लाखपुर प्रा0वि0 के पास से सोनवानी तक मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

40-एन0एच0-31 से पेट्रोल टंकी व मन्दिर से बबुआपुर तक मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

41-चांदपुर भगवानपुर से सूर्यभानपुर मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

42-गंगापुर सम्पर्क मार्ग तक मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

43-टी0एस0 बांध रेगुलेटर से श्रीनगर मार्ग तक मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

44-मिश्र की मठिया-पक्की सड़क से सरकारी ट्यूबवेल तक मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

45-रामगढ़ स्टेट बैंक के पास से शिवजी बिन्द के घर होते हुये उमा सिंह के घर तक मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

46-परशुराम सिंह के आटा चक्की से लालबाबू के घर तक मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

47-एन0एच0-31 से एम0एम0 कान्वेन्ट स्कूल तक मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

48-हेमन्तपुर में सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

49-नेकाराय टोला में सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

50-करमानपुर में जटहवा बाबा के पास सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

51-बैरिया नगर पंचायत धरम टाकिज के पास सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

52-अचलगढ़ में सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

53-चौबे टोला में सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

54-गंगापुर मस्जिद के पास सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

55-शिवाल में सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

56-लालगंज में सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

57-किसुनपुरा में सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

58-लक्ष्मीपुर में सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

59-जयप्रकाश नगर में सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

60-लक्ष्मण छपरा में सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

61-दलन छपरा में सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

62-देवपुर में सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

63-गोपालपुर पंचायत भवन के पास सी0सी0 रोड/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

64-गोपालनगर पश्चिम टोला मार्ग पर सी0सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

65-गोपालनगर स्कूल तक सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में।

66-भैसहा मार्ग पर सी0सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

67-गोपालनगर में हनुमान मंदिर के पास सी0सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

68-खखन के डेरा के पास सी0सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

69-दया छपरा में सी0सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

70-दलपतपुर में सी0 सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

71-शिवचक्र में सी0 सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

72-बहुआरा-सत्ती घाट में सी0 सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

73-केहर के शाहपुर में सी0 सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

74-रामपुर मठिया में सी0 सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

75-जमीनबढ़ी मार्ग पर सी0 सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

76-पलटू नगर में सी0 सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

77-हेमन्तपुर में सी0 सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

78-सुकरौली में सी0 सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

79-दया छपरा टांडी में सी0 सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

80-गंगापुर पंचायत भवन के पास सी0 सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

81-सेमरिया में सी0 सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

82-नौरंगा भुआल छपरा में सी0 सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

83-चांद दियर के मौजा बैजनाथी के डेरा में सी0 सी0 कार्य कराये जाने के संबंध में।

84-नवका गांव मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में।

85-रामगढ़ प्राथमिक विद्यालय पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नया पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में।

86-चन्द्रिका बाबा के पास पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में।

87-टेंगरही के पास नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में।

88-गोपालपुर दरियाव राय के टोला के पास पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

89-गोपालनगर में बरमेश्वर पाठक के घर के पास पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

90-मूनछपरा के पास क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

91-हरिहरपुरी में पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

92-पलटूनगर में पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

93-दुधैला पासवान बस्ती के पास पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

94-दुधैला से छोटकी बेलहरी मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

95-बी0एस0टी0 बांध के पास अठगांवा में पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

96-कोड़हरा बिहार बार्डर के चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

97-शिवनटोला से बी0एस0टी0 बंधा खखन डोरा बिहार बार्डर तक चौड़ीकरण/सुन्दरीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

98-लालगंज बाजार के पास विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में तथा

99-रेवती ब्लाक के झरकटहा में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।''

29 श्री प्रभुनारायण सिंह यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-मुगलसराय-भुपौली-चहनिया सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य,

2-ग्राम-मारूफपुर-नाँदी रामगढ़ सराय रसूल सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

3-गुरेरा-रामगढ़ सम्पर्क मार्ग के सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

4-बलुआ-लक्ष्मनगढ़-रईया रामगढ़ सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

5-बलुआ-टाण्डा मार्ग के सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

6-पपौरा-अमिलाई-इटवॉ सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

7-चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर सम्पर्क मार्ग से तिरगाँवा-महमदपुर- सरौली सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

8-सकलडीहा बाजार से बरठी-चतुर्भुजपुर सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

9-चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग पर भोजापुर रेलवे गेट बरठी-सैदराजा सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

10-भुपौली-मुगलसराय मार्ग का कैली से भुपौली मुख्य नहर तक सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

11-चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग पर जगरनाथपुर से बलुआ घाट तक सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

12-भुपौली मुख्य नहर से बलुआ माईनर की पटरी तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य,

13-चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से अमिलाई नहर की पटरी तक सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

14-डिघवट के बरंगा सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

15-बरठी-सैदराजा सम्पर्क मार्ग से पौरा सम्पर्क मार्ग तक मरम्मत का कार्य,

16-बरठी-सैदराजा मार्ग से जामडीहा-धनऊर सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

17-पड़ाव-भुपौली सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

18-चन्दौली-कैली रोड से ककरही सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य,

19-चन्दौली-कैली रोड से टड़िया-पटपरा सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

20-सरेसर-धूस मार्ग से आलमपुर सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

21-बरठी-सैदराजा से फेसुड़ा सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

22-भुपौली मुख्य नहर से सिकरौरा सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

23-चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर सम्पर्क मार्ग पर पपौरा से अमरीपुर सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

24-पपौरा-सकलडीहा-सैदपुर से पपौरा-मड़ई सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

25-विकास खण्ड-चहनियां एवं विकास खण्ड सकलडीहा स्टेडियम के निर्माण का कार्य,

26-गंगा नदी के किनारे बिसूपुर ग्राम में स्थित त्रिडंडी आश्रम के सामने सीढ़ी निर्माण का कार्य,

27-कैली घाट पर गंगा नदी के किनारे सीढ़ी के निर्माण का कार्य,

28-चहनिया पी0ए0सी0 पर अधूरे 30 बेड के चिकित्सालय के निर्माण का कार्य,

29-भुपौली पम्प कैनाल के मुख्य नहर में लाइनिंग का कार्य,

30-सकलडीहा सामुदायिक केन्द्र की क्षमता बढ़ाकर 100 बेड के चिकित्सालय का निर्माण का कार्य,

31-सकलडीहा कस्बा को नगर पंचायत बनाने का कार्य,

32-धानापुर को नगर पंचायत बनाने का कार्य तथा

33-सकलडीहा विद्युत उपकेन्द्र के चार-दिवारी एवं जल निकासी के निर्माण का कार्य।''

30 श्री इन्द्रजीत सरोज

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-प्रदेश में जातीय जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में बढ़ते हुये अपराधों के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का प्रवेश शून्य फीस पर किये जाने के सम्बन्ध में,

4-उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं से हो रही किसानों के फसलों की क्षति को रोकने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में आवारा पशुओं से किसानों, मजदूरों की हो रही मृत्यु के रोकथाम के सम्बन्ध में,

6-शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश बेतहासा बढ़ती हुई महंगाई के रोकथाम के सम्बन्ध में,

8-उत्तर प्रदेश के बुनकरों को फिक्स रेट पर विद्युत बिल निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश के किसानों को विद्युत कनेक्शन निःशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश के गरीबों, कमजोरों को निःशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश के थानों में थानाध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

12-उत्तर प्रदेश की नदियों में हो रहे अन्धा-धुन्ध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती के सम्बन्ध में,

14-बुन्देलखण्ड में भयंकर पेयजल संकट को दूर करने के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में रहने वाले छात्रों के भोजन मद की दरों में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश में सरकारी गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों का शोषण रोकने के सम्बन्ध में,

18-प्रदेश में जातीय जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-प्रदेश में बढ़ते हुये अपराधों के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

20-प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का प्रवेश शून्य फीस पर कराने के सम्बन्ध में,

21-उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं से हो रही किसानों के फसलों की क्षति को रोकने के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश में आवारा पशुओं से किसानों मजदूरों की हो रही मृत्यु के रोकथाम के सम्बन्ध में,

23-शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

24-प्रदेश में बेतहासा बढ़ती हुई महंगाई के रोकथाम के सम्बन्ध में,

25-उत्तर प्रदेश के बुनकरों को फिक्स रेट पर विद्युत बिल निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में,

26-प्रदेश के किसानों को विद्युत कनेक्शन निःशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में,

27-प्रदेश के गरीबों कमजोरों को निःशुल्क इलाज कराये जाने के सम्बन्ध में।''

31 श्री राम अचल राजभर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-जिला-अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा टड़वा पहाड़पुर (गोपालपुर) शारदा सहायक नहर के उत्तरी तरफ से कौशिलवा पुलिया तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर महरूआ सम्पर्क मार्ग से सुखारी गंज मंशापुर कुर्चा होते हुए बेवाना तक हाट मिक्स से सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर आजमगढ़ सम्पर्क मार्ग से ग्राम सभा राम नगर नरसिंहपुर अमौली के मध्य टोंस नदी पर रपटा पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर दोस्तपुर सम्पर्क मार्ग से बेवाना कुढा मोहम्बदगढ़ होते हुए नेमपुर घाट के मार्ग को हाट मिक्स से बनाये जाने के सम्बन्ध में,

5-विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मीर मलूकपुर लहंगी का पुरा के मध्य टोंस नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर आजमगढ़ मार्ग से सिवलीपुर मार्ग को हाट मिक्स से बनाये जाने के सम्बन्ध में,

7-अम्बेडकर नगर में महामाया राजकीय मेडिकल कालेज में पी0जी0 कक्षायें प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

8-विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत सिकन्दरपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में,

9-विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत बेवाना (प्रस्तावित) को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

10-महामाया राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय अम्बेडकर नगर में डाक्टरों एवं शिक्षकों की कमी दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

11-अम्बेडकर नगर की सड़कों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,

12-आवारा पशुओं/छुट्टा जानवरों के द्वारा किसानों एवं मजदूरों की जान एवं फसल की क्षति को बचाने के सम्बन्ध में,

13-बढ़ती हुई महगाई एवं बेरोजगारी को कम किये जाने के सम्बन्ध में,

14-उ0प्र0 की आम जनता को निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती किये जाने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश के किसानों को निजी नलकूप के लिए निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

32 श्री रमाकान्त यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-जनपद आजमगढ़ के फूलपुर पवई विधान सभा क्षेत्र में अतयधिक बिजली कटौती से जनता परेशान है उक्त कटौती लगभग 10 से 12 घण्टे की जाती है विद्युत कटौती से आम जनता में उत्पन्न समस्याओं के निदान हेतु क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में,

2-आजमगढ़ जनपद के पवई विधान सभा की सड़के अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे आवागमन में जनता को अत्यधिक असुविधा के दृष्टिगत सड़कों का पुनः नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-अम्बारी माहुल रोड से आंधीपुर ओरिलनाहरपुर होते हुए मैगना तक दूरी 11 किमी0 विशेष मरम्मत एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-लखनऊ बलिया मार्ग से खन्जहांपुर होते हुए पचरवां तक लम्बाई 6 किमी0 विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में,

5-फूलपुर से खुराशो होते हुए सम्शावाद तक दूरी 5 किमी0 विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में,

6-माहुल पवई रोड से शहराजा होते हुए निजापुर तक लम्बाई 4 किमी0 विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में,

7-माहुल पवई रोड के चकियां मार्केट से बहाऊद्दीनपुर इण्टर कालेज तक लम्बाई 3 किमी0 विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में।

33 डा0 रागिनी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधानसभा के जनमानस के आवागमन में हो रही अत्यधिक असुविधाओं

के दृष्टिगत रेलवे क्रासिंग ग्राम सभा जरौना में सेतु का निर्माण कराये जाने हेतु धन आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में,

2-जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा के वरसरी विकासखण्ड में आम जनता के आवागमन में हो रही परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से ग्राम सभा सरसरा में सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा के वरसरी विकासखण्ड में रेलवे क्रासिंग हरिपुर वरसरी (भन्नौर) में जनता जनार्दन के सुगम आवागमन हेतु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा के ग्राम सभा महुवारी वनकट में दुर्गा देवी घाट पर रपटा पुल पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा के ग्राम देवरिया में शिवमंदिर के पास अरवी नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधानसभा के ग्राम सभा टेकारडीह वेलासिन में वसुही नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा भटेवरा से उत्तर दिशा की ओर बसुही नदी पर आम जनता के आवागमन हेतु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा भटेवरा से उत्तर दिशा की ओर बसुही नदी पर आम जनता के आवागमन हेतु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-मछलीशहर के मोहल्ला काजीयना में 400 केवी0 क्षमता वाले ट्रान्सफार्मर के स्थान 650 केवी0 क्षमता वाले विद्युत ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में,

10-मछलीशहर के मोहल्ला महतवाना में 250 केवी0 क्षमता वाले ट्रान्सफार्मर के स्थान पर 400 केवी0 क्षमता वाले विद्युत ट्रान्सफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

11-नाली निर्माण पहाड़पुरगाँव मछलीशहर (मौर्य बस्ती) पक्की नाली 11 मी0

12-पक्की सड़क ग्रामसभा मछुआरी वि0ख0 बरसठी, मछलीशहर (निर्माण) रामजस यादव के घर (नहर की पटरी) से गयादीन यादव के घर से होते हुए (यादव-सरोज बस्ती), 1.2 किमी0 बनकट सम्पर्क मार्ग,

13-पहसना (पतारी) यादव बस्ती नहर पुल से श्यामजी यादव व विद्याधारी यादव के घर तक रिनुअल (मरम्मत) 230 मी0,

14-निजामुद्दीनपुर संजय यादव के घर से चौरा माता मन्दिर 240 मी0 पक्की सड़क,

15-उतिराई महेन्द्र यादव वकील के घर से मडियाहुँ मछलीशहर सड़क तक 2 किमी0 मरम्मत,

16-कसनही प्राइमरी स्कूल चकराखाल से बड़ेरी तक मरम्मत कार्य 3.5 किमी0,

17-अरूआँवा सोहनलाल विद्यालय से पहसना पक्की सड़क तक 160 मी0,

18-अरूआँवा कसनही पक्की सड़क से मिश्रा जी के पाही से पहसना नहर पुल तक मरम्मत 2 किमी0,

19-निगोह पेट्रोल पम्प से रामपुर बाजार तक पी0डब्ल्यू0डी0 मार्ग का मरम्मत 13 किमी0,

20-पिचमार्ग बड़ेरी से हरद्वारी, चन्द्रभानपुर होते हुए मियॉचक तक 7 किमी0 मरम्मत ,

21-चन्द्रभानपुर प्रा0वि0 एवं उच्च प्रा0 विद्यालय के दक्षिण 200 मीटर नाला है, उसकी पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मरम्मत करने की कृपा करें,

22-2 किमी0 बड़ेरी-हरद्वारी पिचमार्ग डिहवा से निकलकर पाल बस्ती होते हुए राजस्वग्राम भटकेया तक मरम्मत,

23-मोलनापुर ग्रामसभा मछलीशहर पाल बस्ती में 50 केवी0 ट्रान्सुार्मर और कंडक्टिंग तार (विद्युतीकरण),

24-पानी की टंकी लगवाने का कष्ट करें अतिशीघ्र ग्राम सभा-रानी पटरी, मलिकानपुर, जगरनाथपुर मनिपुर, बकिय, अरूआँवा, जमुआ, उतिराई, हसनपुर, मेजा, कुठली, गनापुर, जमालपुर, बड़ेरी, दविलहा, रामपुर, महमदपुर, पिपर, ताजुद्दीनपुर, बेलवा, परसथ, नदियांव, साहोपरदी, लोरिका, अजोशी, बेलगहन, फत्तूपुर उगापुर, मिठेपार, दाउदपुर, सिरौली, गोहका।

34 श्रीमती पूजा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-ग्राम सभा सिंहपुर में पिलौटापुरवा में दरियाबाद नई मस्जिद से बंधा होते हुये सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य एवं नदी पर पुलिया का लम्बाई जिनकी दूरी लगभग 15 मी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2-हसनैन के दुकान से अमित यादव के घर महोली (बनातीपुरवा) तक नव निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई लगभग 900 मी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में,

3-बेनुपुर भरौटी सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण का कार्य जिसकी दूरी लगभग 2.00 किमी0 को बनाये जाने के सम्बन्ध में,

4-सिधारी गोंड व यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई लगभग 400 मी0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

5-विद्यापुर लोहार बस्ती सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य जिसकी लम्बाई लगभग 400 मी0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

6-पिथौरपुर उततरीपुरा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य जिसकी लम्बाई लगभग 800 मी0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

7-जिगनी भरौटी सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य जिसकी लम्बाई लगभग 800 मी0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

8-जनपद आजमगढ़ के मेहनगर विधान सभा क्षेत्र के रासेपुर तीतरा मार्ग जिसकी दूरी लगभग 10 किमी0 है, अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-जनपद आजमगढ़ के मेहनगर विधान सभा क्षेत्र के मेजानपुर चिरईया कोट मार्ग जिसकी दूरी लगभग 20 किमी0 है, अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया हैं, उक्त मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-जनपद आजमगढ़ के मेहनगर विधान सभा क्षेत्र में कोटिला मगरवां मार्ग जिसकी दूरी लगभग 10 किमी0 है, अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-जनपद आजमगढ़ के मेहनगर विधान सभा क्षेत्र में परमानपुर बहरियाबाद मार्ग जिसकी दूरी लगभग 4 किमी0 है, अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-ग्राम सभा सिंहपुर में पिलौटापुरवा में दरियाबाद नई मस्जिद से बंधा होते हुये संपर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य एवं नदी पर पुलिया का लम्बाई जिनकी दूरी लगभग 15 मी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में,

13-हसनैन के दुकान से अमित यादव के घर महोली (बनातीपुरवा) तक नव निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई लगभग 900 मी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में,

14-बेनुपुर भरौटी सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण का कार्य जिसकी दूरी लगभग 2.00 किमी0 को बनाये जाने के सम्बन्ध में,

15-सिधारी गोंड व यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई लगभग 400 मी0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

16-विद्यापुर लोहर बस्ती सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य जिसकी लम्बाई लगभग 400 मी0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

17-हसनैन के दुकान से अमित यादव के घर महोली (बनातीपुरवा) तक नव निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई लगभग 900 मी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में,

18-बेनुपुर भरौटी सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई लगभग 400 मी0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

19-सिधारी गोंड व यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई लगभग 400 मी0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

20-विद्यापुर लोहार बस्ती संपर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य जिसकी लम्बाई लगभग 400 मी0 बनवाये के सम्बन्ध में,

21-पिथौरपुर उत्तरीपुरा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य जिसकी लम्बाई लगभग 800 मी0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

22-जिगनी भरौटी सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य जिसकी लम्बाई लगभग 800 मी0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

35 श्री अखिलेश

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में 100 शैय्या युक्त चिकित्सालय की सख्त आवश्यकता है। उक्त बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

2-विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर बड़ी आबादी का क्षेत्र है। कृपया महिला तथा बाल चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-मुबारकपुर बस अड्डे से गोरखपुर वाराणसी तथा लखनऊ के लिए वातानुकुलित बसें चलायी जाने के सम्बन्ध में,

4-विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में एक न0पा0प0 मुबारकपुर 1 न0 पंचायत जहानागंज दो क्षेत्र पंचायत क्षेत्र सठियांव व जहानागंज है। अतः इसे तहसील केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में,

5-मुबारकपुर विधान सभा में राजकीय, महिला डिग्री कालेज की स्थापना करायी जायं,

6-विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में जहानागंज में एक सेमा ग्राम में एक स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में,

7-प्रा0वि0 सठियांव को उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में।

36 श्री जियाउद्दीन रिजवी

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:-

1-किन्तु खेद है कि उ0प्र0 के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को स्थायीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है,

2-किन्तु खेद है कि उ0प्र0 के किसानों के निजी नलकूपों को नि:शुल्क विद्युत देने का कोई उल्लेख नहीं है,

3-किन्तु खेद है कि बुनकरों की समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं है,

4-किन्तु खेद है बलिया जनपद के घाघरा नदी पर बनने वाले पक्के पुल खरीद दरौली घाट पर बनाने हेतु धन आवंटन की कोई व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है,

5-किन्तु खेद है कि बलिया के पुर विधान सभा सिकन्दरपुर में बन रहे जननायक चन्द्रशेखर स्पोर्ट कालेज को बनाने हेतु धन की व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है,

6-किन्तु खेद है कि सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद बलिया में सिकन्दरपुर तहसील पर किसानों के लिये मण्डी निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है,

7-किन्तु खेद है कि सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद बलिया में अग्निशमन केन्द्र बनाये जाने का उल्लेख नहीं है,

8-किन्तु खेद है कि सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद बलिया में सिकन्दरपुर राजबहा के जर्जर मेडो को ठीक रखने के लिये सिंचाई का कोई उल्लेख नहीं किया गया है,

9-किन्तु खेद है कि सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद बलिया के काजीपुर में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है,

10-किन्तु खेद है कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर की तहसील सिकन्दरपुर में घाघरा नदी से हो रहे कटान को रोकने का उल्लेख नहीं है,

11-किन्तु खेद है कि विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर जनपद बलिया के उसका ग्राम में खाली जमीन पर 100 बेड का हास्पिटल बनाने का उल्लेख नहीं है,

12-किन्तु खेद है कि बलिया जनपद की जेल जो बरसात में पानी से भर जाती है इसका अन्यत्र बनाने/स्थानान्तरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

37 इंजी0 बृजेश कठेरिया

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायेः-

1-किशनी से रामनगर रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, ब्लाक किशनी,

2-कसद्द से लालपुर तक डामरीकृत रोड, ब्लाक-किशनी,

3-किशनी से शमशेरगंज होकर सौरिख मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण,

4-रानीपुर (हरेर) से राजपुर कलॉ तक डामरीकृत रोड, ब्लाक करहल,

5-रैचन्दा से विक्रमपुर (समान) तक डामरीकृत रोड, ब्लाक-किशनी,

6-किशनी-करहल मार्ग से रामनगर (समान) तक डामरीकृत रोड, ब्लाक-किशनी,

7-मनिगांव मार्ग से वल्लभपुर तक डामरीकृत रोड, ब्लाक-किशनी,

8-मोहकमपुर पुलिया से माइनकर पर चतुरीपुर तक डामरीकृत रोड, ब्लाक-किशनी,

9-वखतपुर बिजलीघर से नं0 जसी मार्ग तक डामरीकृत रोड, ब्लाक-किशनी,

10-नगला छोटे (मंछना) से विजपुरा तक डामरीकृत रोड, ब्लाक-जागीर,

11-गढ़िया (मछना) से जोराइ घुसूपुर मार्ग तक डामरीकृत रोड, ब्लाक-जागीर,

12-मंछना से अम्बरपुर तक डामरीकृत रोड, ब्लाक-जागीर,

13-वीरमपुर से दिवन्पुर मार्ग तक डामरीकृत रोड, ब्लाक-जागीर,

14-नगला गहियर से मैनपुरी-किशनी मार्ग तक डामरीकृत रोड, ब्लाक-जागीर,

15-मैनपुरी किशनी मार्ग पर नगला सड़क से सुगांव तक डामरीकृत रोड, ब्लाक-जागीर,

16-सौज माइनर से हडा गदनपुर तक, ब्लाक-करहल,

17-न0विका (सौज) से हसायोखर तक डामरीकृत रोड, ब्लाक-करहल,

18-कुलूपुर से कन्हूपुर तक डामरीकृत रोड, ब्लाक-किशनी,

19-काहल-किशनी मार्ग से हाजीपुर तिराहे तक माइनर पर डामरीकृत रोड, ब्लाक-करहल,

20-बांसक रजवाह पर कुर्श में पुल के दोनों तरफ कैटल घाट,

21-कुशमरा में प्रस्तावित नवीन थाने का नव निर्माण कार्य,

22-समान रही विहार के किसानों को उनकी भूमि के मुआवजे का वितरण,

23-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनी एवं भांवल पुल पर बने अस्पतालों में सक्सरे मशीन की स्थापना,

24-अनइया नदी पर ग्राम-सड ब्लाक करहल में पुल का निर्माण,

25-तहसील किशनी में अधिवक्ता गणों के बैठने के लिये चैम्बर का निर्माण,

26-कुशमरा में 100 सैय्या का अस्पताल का निर्माण,

27-कुशमरा में रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण,

28-कुर्रा में सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र का निर्माण,

29-ब्लाक जागीर में स्टेडियम का निर्माण,

30-व्योती खुर्द, ब्लाक सुल्तानगंज में 33 के0वी0ए0 सब-स्टेशन का निर्माण,

31-मैनपुरी-किशनी मार्ग का चौड़ीकरण,

32-नवगठित नगर पंचायत बरनाहल के भवन का निर्माण,

33-जनपद-मैनपुरी में नवीन जिलापूर्ति कार्यालय का नव निर्माण,

34-जनपद-मैनपुरी में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के भवन का निर्माण,

35-जनपद-मैनपुरी की विभिन्न तहसीलों में अधूरे पड़े फायर स्टेशनों का निर्माण।

38 श्रीमती महाराजी प्रजापति

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायेः-

1-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में ग्राम सभा बील्हापुर घोरहा डाड़ी घाट मालती नदी पर पुल का निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में ग्राम सभा बनपुरवा गांव के पास रामपुर से पूरब गांव के रास्ते मालती नदी पर पुल का निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में ग्राम सभा रेभा-खेरौना सम्पर्क मार्ग क्रासिंग अंडरपास निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में ग्राम सभा अगहर (डीहा) में बैजनाथ प्रजापति के सामने नहर पुलिया निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में ग्राम सभा

परसांवा-बहोरापुर मार्ग पर नहर पर पुल निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में ग्राम सभा खानापुर, पीपरपुर रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर इलेक्ट्रिक पोल संख्या 70/10व 70/11 के मध्य अंडर पास निर्माण कार्य निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में ग्राम सभा पूरे शीतला बक्श, पुन्नपुर में पक्की सड़क पर पुलिया का निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में ग्राम सभा सोनारी विश्वास (सोनारी) पुल निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में।

9-निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में :-

ब्लाक	**ग्राम सभा**	**विवरण**
संग्रामपुर	सहजीपुर	छाछा अम्बरपुर पक्की सड़क खौंपुर से पूरे नारायन दस का पुरवा होते हुये पूरे देवी दस का पुरवा तक सड़क निर्माण,
संग्रामपुर	रघईपुर संग्रामपुर	कलिकन चंदिकन मार्ग पर रघईपुर से देवनारायण वर्मा के घर से होते हुये नेवादा प्रा0 स्कूल तक रोड का निर्माण,
संग्रामपुर	मधुपुर खदरी	संजय सिंह के खेत में मेदनी मधुपुर खदरी तक,
संग्रामपुर	पूरे पाठक गोरखपुर विशेषरगंज	अमेठी किठावर मार्ग पर जगदम्बा पेट्रोल पम्प से की तरफ से चकरोट को शिव चरन यादव के घर तक सड़क निर्माण कार्य,
संग्रामपुर	कनू	कनू पक्की सड़क से टेकनी गांव तक सड़क निर्माण,

संग्रामपुर	उत्तरगांव	मेन पिच रोड से बेलखरी गांव तक,
भेटुआ	सरुवांवा	प्रा0 स्कूल अंगनू का पुरवा से माल का पुरवा तक काली पिच रोड निर्माण,
भेटुआ	लोदीपुर अमेयमाफी	लोदीपुर राजेन्द्र कुमार यादव के घर से छब्बन प्रजापति हरबंसपुर के घर तक सड़क निर्माण,
भेटुआ	भुसियांवा	मुसाफिरखाना मार्ग भुसियांवा से दरखा रामपुर पक्की सड़क तक सड़क निर्माण,
भेटुआ	पिडोरिया	राजकीय इन्टर कालेज पिंडोरिया (महराजपुर) से सडीला गांव तक काली रोड,
भेटुआ	छत्ता का पुरवा	छत्ता का पुरवा वासुदेव के घर के पास से हसुआ तारा होते हुये रामकरन यादव के घर तक पिच सड़क निर्माण,
भेटुआ	कोरी हीरशाह	अरदीश गुप्ता के मुर्गी फॉर्म से बिट्टू मौर्या के घर तक,
भादर	लहना	देशराज के घर से यादव बस्ती होते हुये खुशीराम के घर तक सड़क निर्माण,
भादर	रतापुर	त्रिवेणी यादव के घर से ध्यान सिंह पाल के घर तक सड़क निर्माण,
भादर	मंगरा मिर्जापुर	चकरोट सं 116 सीताराम वर्मा के घर से मनोरमा नाले के पास तक सड़क निर्माण,
भादर	मंगरा	मंगरा रोड मवइया से बंगलवा सोरही तक सड़क निर्माण,
भादर	बील्हपुर	संतराम प्रजापति के घर से कटारी की मशीन तक सड़क निर्माण,

भादर	पूरे गंगा मिश्र	धर्मराज पालके घर से राम जतन ओझा के घर तक काली पिच रोड का निर्माण,
भादर	दुलहिनपुर त्रिसूंडी	इलाहाबाद फैजाबाद मार्ग से दुलहिनपुर गांव तक सड़क निर्माण,
भादर	इस्माइलपुर	इस्माइलपुर से सिपाई का पुरवा डिहवा तक सड़क निर्माण,
भादर	अग्रेषर	रामगंज-सोनारी मार्ग पर बुधिराम गौतम की राईसमिल से रामफेर वर्मा के चक से होते हुये मार्ग तक सड़क निर्माण,
भादर		जमो भादर रोड पुल से दूपेपुर होते हुये अधियारी सड़क तक नहर की पटरी काली पिच रोड निर्माण,
अमेठी	रेभा	जयरामपुर उत्तरगांव सम्पर्क मार्ग पिच रोड से बासुपुर होते हुये महसो पिच रोड तक सड़क निर्माण,
अमेठी	महमदपुर	शंकरगढ़ बाजार से चौबेपुर मार्ग तक कालीपिच रोड,
अमेठी	नैनहाबर्तली	ग्राम सभा नैनहा बर्तली में बाबा ननकू दास की कुटी से पूरबगांव प्राइमरी स्कूल तक लगभग,
अमेठी	जंगलरामनगर	बारामासी चौराहा से भैरवपुर रजबहा पाविन तरफ नहर की पटरी अमेठी रजबहा तक मार्ग निर्माण,
अमेठी	रेमा	मधरपट्टी पक्की रोड से राम मिलन प्रधान के घर तक काली पिच रोड,
अमेठी	बैसड़ा	ग्राम सभा बैसड़ा में पाण्डेय का पुरवा में त्रिभुवन

		हरिजन के घर से पूरे पतियरिया में राजू हरिजन के घर तक पिच रोड,

10-निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में :-

भेटुआ	सुमेरपुर	धरईमाफी चौराहा से रामफेर यादव के घर तक काली पिच रोड मरम्मत कार्य,
भेटुआ	श्री का पुरवा	श्री का पुरवा से पदमिन का पुरवा तक सड़क मरम्मत कार्य,
भेटुआ	मई-अमेयमाफी	मई-अमेयमाफी नदी के पुल से रज्जन हरिजन के घर तक सड़क मरम्मत कार्य,
भेटुआ	पिंडोरिया	पिंडोरिया भोले कश्यप के घर से बाबा कालीदास की कूटी तक काली रोड का मरम्मत कार्य,
भेटुआ	टिकरी	अमेठी-सुल्तानपुर सम्पर्क मार्ग से संडीला बार्डर तक काली पिच रोड मरम्मत कार्य,
भेटुआ	घटकौर	घटकौर से गैरिकपुर तक सड़क मरम्मत कार्य,
भेटुआ	कड़ेरगांव	जागेश्वर नाथ मन्दिर से कड़ेरगांव पुल तक मरम्मत कार्य,
भादर	मंगरा	मंगरा मोड़ मवइया से मंगरा जहान का पुरवा तक सड़क मरम्मत कार्य,
भादर	भावापुर	अंतू भादर मार्ग से भावापुर से दला का पुरवा होते हुये छाछा तक मरम्मत कार्य,
भादर	बालीपुर	बालीपुर चौराहा से दूल्हाराय स्कूल तक सड़क मरम्मत कार्य,
भादर	नगरडीह	शक्तिनगर से नगरडीह तक सड़क मरम्मत कार्य,

भादर	टीकरमाफी	टीकरमाफी GGIC स्कूल के सामने से भीमी पुल तक सड़क मरम्मत कार्य,
भादर	टीकरमाफी	टीकरमाफी मेन रोड (नहर पटरी) से तिवारी पुर तक सड़क मरम्मत कार्य,
भादर	कल्यानपुर	कल्यानपुर चौराहा से गैरिकपुर तक सड़क मरम्मत कार्य,
अमेठी	परसांवा	प्रा0 स्कूल परसांवा से गोपालपुर सम्पर्क मार्ग तक पिच रोड चौड़ीकरण,
अमेठी	बेनीपुर	बेनीपुर माइनर से तिवारीपुर रोड तक सड़क मरम्मत कार्य,
अमेठी	नैनहा बर्तली	ननकूदस कुटी से नैनहा सड़क मार्ग मरम्मत कार्य,
अमेठी	नरैनी	महराजपुर से हनुमान गढ़ी तक काली पिच रोड की मरम्मत कार्य,
अमेठी	जगलरामनगर	ग्राम सभा-जंगलरामनगर पूरे पूरेसादी बारामासी-रणबीरनगर सम्पर्क से संजय सरोज के घर तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य,

11-निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में :-

संग्रामपुर	सरैया कनू	पक्की सड़क से सरैया कनू (डिहवा सोनू शर्मा के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण)
संग्रामपुर	बदलापुर	बदलापुर पिच रोड से कुंवर बहादुर के घर तक इंटरलाकिंग कार्य,
संग्रामपुर	बदलापुर	मेंहदा रामफेर मौर्या के घर से राम मिलन मौर्या के घर तक इंटरलाकिंग कार्य,
संग्रामपुर	गोरखापुर	मिश्रौली मार्ग से रमापति के घर तक,

संग्रामपुर	खौंपुर बुजुर्ग	जीतलाल के घर से मुंशीलाल के घर तक,
संग्रामपुर	करौंदी	प्रा0 स्कूल से हरिशंकर यादव के घर तक,
भेटुआ	सुमेरपुर धरईमाफी	पक्की रोड से लेकर देवतादीन यादव के घर से होते हुये राम अभिलाख यादव के घर तक,
भेटुआ	सुमेरपुर	श्री राम कोरी के घर से राम शंकर कोरी के घर तक,
भेटुआ	सुमेरपुर	राम सजीवन गुप्ता के घर से केदार यादव के कुंवा तक,
भेटुआ	सनहा	ननकऊ यादव की दुकान से विनोद यादव के कुंवा तक,
भेटुआ	सडिला शिवगढ़ जलालपुर	हौंसिला प्रसाद के घर से श्याम लाल कनौजिया के हर तक,
भेटुआ	शहरी	संतोष कुमार सिंह के चक से कल्लूराम विश्वकर्मा के बाग नरही के पुल तक इंटरलाकिंग,
भेटुआ	मठिया सरैया मोहन	सुनील यादव के घर से देवतादीन यादव के घर तक,
भेटुआ	भुसियांवा तुलसीपुर	शेर बहादुर के खेल से राम सहाय के खेत तक इंटरलाकिंग,
भेटुआ	भुसियांवा	पक्की सड़क से संतराम के घर तक इंटरलाकिंग,
भेटुआ	पूरे गेदई का पुरवा भरेथा	पीपल के चबूतरे के सामने से शिव कुमार यादव के घर तक,
भेटुआ	पिंडोरिया	पिच रोड राम सजीवन के घर से यदुनन्दन यादव के घर तक,

भेटुआ	पदमिन का पुरवा	टिकरी पदमिन का पुरवा अमर बहादुर के घर से राम मिलन यादव के घर तक सी0सी0 रोड,
भेटुआ	तुलसीपुर	पक्की सड़क से स्कूल तक इंटरलाकिंग,
भेटुआ	छत्ता का पुरवा	पी0एम0 रोड से संतराम यादव के घर तक इंटरलाकिंग,
भेटुआ	गैरिकपुर	जय प्रकाश यादव के घर अमभीम के घर तक इंटरलाकिंग,
भेटुआ	गुंगवाछ पूरे मयाराम	अश्वनी के घर से राकेश यादव के घर तक इंटरलाकिंग
भेटुआ	कोरारी हीरशाह	पिच रोड से रामकरन यादव के घर तक सी0सी0 रोड
भेटुआ	कोरारी लच्छन शाह	हृदय राम के घर से लालता प्रसाद सिंह के घर तक
भेटुआ	कमासिन	राम सहाय यादव के घर से राकेश के दुकान तक
भेटुआ	कमासिन	त्रिभुवन यादव प्रधान के घर से मेन रोड तक
भेटुआ	कनकसिंहपुर	नान्ह यादव के घर से राम धन की चक तक इन्टरलाकिंग
भेटुआ	कड़ेरगाँव	बेनीपुर भेटुआ रोड नहर की पटरी से विजय पासवान के घर तक
भेटुआ	अमेयमाफी	रामपाटी से लोदीपुर तक इंटरलाकिंग
भेटुआ	अमेयमाफी	लोदीपुर सम्पर्क मार्ग से रोहित प्रजापति के घर तक इंटरलाकिंग
भेटुआ	अमेयमाफी	हरबसपुर पिच रोड सम्पर्क मार्ग से बलदू का पुरवा तक

भादर	संसारीपुर	विनोद वर्मा के दुकान से कमल वर्मा के घर तक
भादर	संसारीपुर	करिया साहू के चक से इन्डियन पब्लिक स्कूल तक
भादर	संसारीपुर	इलाहाबाद मार्ग से निहुत प्रजापति के घर तक
भादर	रतापुर	छीड़ा-भादर मार्ग से राम बहोर यादव के घर तक इंटरलाकिंग
भादर	मंगापुर	डा0 दिनेश विश्वकर्मा के घर से प्रदीप यादव के घर के मोड़ तक
भादर	भेवई पिपरी	भेवई संपर्क मार्ग से अशोक कश्यप के घर तक
भादर	बैधिकपुर	ओम प्रकाश गुप्ता के खेत से जेठू मोर्य के घर तक
भादर	बील्हापुर	पूरे ओबरिहन का पुरवा तेज बहादुर यादव के घर से राम प्रताप यादव के घर तक
भादर	पूरे गंगा मिश्र	राघवराम के बाउंड्री से कुलभूषण के घर तक इंटरलाकिंग
भादर	ढेमा	ढेमा-भैसहा सड़क से ढेमा गाँव तक
भादर	टीकरमाफी	धर्मराजपाल के घर से माडर्न तालाब तक
अमेठी	सरैयादुबान	गुडियाताली में मेन पक्की सड़क से फूलचन्द्र के घर तक नयी पक्की सड़क निर्माण कार्य
अमेठी	सरैयादुबान	गृडियाताली में मेन पक्की सड़क से फूलचन्द्र के घर तक नयी पक्की सड़क निर्माण कार्य
अमेठी	रेभा	बासूपुर सम्पर्क मार्ग से बलभद्रपुर गाँव तक
अमेठी	रेभा	रेभा गाँव से जयरामपुर बाग तक

अमेठी	रेभा	विजय वर्मा के घर से हमीद के घर तक
अमेठी	रायदेपुर	रायदेपुर से राजू पासी के घर तक
अमेठी	मैनापुर सरायखेमा	कमलेश यादव के घर से मन्दिर तक सी0सी0 रोड
अमेठी	महराजपुर	महराजपुर राजकीय इण्टर कालेज रोड से फूलचन्द्र यादव के घर तक
अमेठी	महमदपुर	पूरे बढ़ई का पुरवा कन्हैया यादव के घर से राम बक्श यादव के घर तक इंटरलाकिंग
भेटुआ	थौरा	धीरज/जियालाल
भेटुआ	थौरा	छोटेलाल/रामभरोसे
भेटुआ	थौरा	जेतू
भादर	सवनगी भादर	केशवराम कश्यप
भादर	लहना पो0 मोचवा	सुमन कश्यप पति जगदीश कश्यप
भादर	मवइया भादर	सीतापती पत्नी राम जी प्रजापति
भादर	मवइया भादर	सीतापति पत्नी रामजी प्रजापति
भादर	बैधिकपुर	राधेश्याम यादव सूत राम किशुन यादव
भादर	बैधिकपुर	मूलचन्द्र प्रजापति सूत गुरुदेव
भादर	बैधिकपुर	रामराज यादव सूत राम किशुन
भादर	बील्हापुर भादर	अवधेश कुमार विश्वकर्मा सूत गंगा प्रसाद
भादर	बील्हापुर भादर	सूरज गुप्ता सूत शोभनाथ
भादर	बील्हापुर भादर	चिन्ता प्रसाद पाल सूत राम खेलावन पाल
भादर	बील्हापुर भादर	विनोद कुमार वर्मा सूत मातादीन वर्मा

भादर	बील्हापुर भादर	संगम लाल यादव राम गुमन यादव
भादर	बील्हापुर भादर	राम भवन यादव सूत राम पियारे यादव
भादर	बील्हापुर भादर	छेदीलाल विश्वकर्मा सूत गंगा प्रसाद
भादर	बील्हापुर भादर	राम खेलावन प्रजापति सूत सुकई
भादर	बील्हापुर भादर	रतिपाल हरिजन सून कन्हैया लाल
भादर	बील्हापुर भादर	कुलदीप पाल सुत रामदेव
भादर	पिपरी भंवई	जितेन्द्र कश्यप
भादर	पिपरी	गीता पत्नी माता प्रसाद
भादर	पिपरी	गुड़िया
भादर	नारायनपुर	रोशनलाल कोरी
भादर	नारायनपुर	हृदयराम
भादर	नगरडीह	स्वामीनाथ कश्यप
भादर	ढेमा भादर	मीना पत्नी आशाराम प्रजापति
भादर	ढेमा भादर	रामफेर सरोज सूत बेचू
भादर	ढेमा भादर	इन्दू पाल पत्नी स्व0 मनोज पाल
भादर	ढेमा भादर	राम मिलन कोरी
भादर	ढेमा भादर	गोविन्द वर्मा सूत बाबूलाल
अमेठी	महमदपुर	राम अभिलाख यादव के घर से राम चन्दर यादव के घर तक इंटरलाकिंग,
अमेठी	भुसहरी	भुसहरी टावर से राम करन कोरी के घर तक इन्टरलाकिंग,
अमेठी	बाहांपुर अमेठी	नौगवां अनवर अली के घर के सामने से महबूब अली के सामने से काली माइ के बगल से होता हुआ प्रा0 स्कूल नौगवां तक,
अमेठी	पूरे बेनी भदौरियन का पुरवा कोहरा	अशोक रजक के घर से राहुल सिंह के घर तक,

अमेठी	पूरे जया नरैनी	हनुमान गढ़ी महराजपुर पक्की सड़क से रतीपल यादव के घर के पास पक्की सड़क तक इन्टरलाकिंग,
अमेठी	नौगवां	दद्दू यादव के घर से मोहब्बत अली के घर तक,
अमेठी	त्रिलोकपुर पो0-दरपीपुर	रामराज सरोज सूत सुखराज सरोज,
अमेठी	जंगलरामनगर	उसरहिया पक्की रोड से रणवीर नगर पक्की रोड तक इन्टरलाकिंग,
अमेठी	जंगलरामनगर	अमेठी-मुंशीगंज माग्र पर हनुमंत नगर पहलवान बीर बाबा के स्थान से विजेंद्र प्रसाद यादव के घर तक,
अमेठी	छावनी	पक्की सड़क छावनी से इसराईल के घर तक इन्टरलाकिंग,
अमेठी	गड़ेरी	गड़ेरी पूरे भगवनदीन में रामकुमार यादव के घर से कलिका यादव के घर तक,
अमेठी	कटराफूल कुंवर	परसौली पिच रोड से अर्जुन यादव के घर तक रोड निर्माण,
अमेठी	उमापुर गानापट्टी	पूरे गुरुबक्श से चर पुलिया तक इन्टरलाकिंग,
अमेठी	ताला	ग्राम सभा ताला में लोधनीपट्टी में कुम्भातार से बारीपुर गांव तक इन्टरलाकिंग,
अमेठी	दांदूपुर	ग्राम सभा दांदूपुर में पूरेकुटरू मेन रोड से अयाज अहमद के मकान के कुंआ तक,
अमेठी	दांदूपुर	ग्राम सभा दांदूपुर में सुखलाल कोरी के घर से पीपल के पेड़ तक इन्टरलाकिंग,

अमेठी	सरायखेमा	ग्राम सरायखेमा में अमेठी मुंशीगंज राजमार्ग से सुमनलता यादव के घर तक इन्टरलाकिंग,
अमेठी	सरायखेमा	ग्राम सभा सरायखेमा मुंशीगंज बाजार में मुंशीगंज सुल्तानपुर माग्र पर विशुन कश्यप के घर से संजय मिश्रा के घर तक 50 मीटर इन्टरलाकिंग,
अमेठी	सरायखेमा	ग्राम सभा सरायखेमा मुंशीगंज बाजार में रायबरेली सुल्तानपुर माग्र पर स्थित शिवम झाां के घर से जोखू कश्यप के घर तक इन्टरलाकिंग,
अमेठी	त्रिलोकपुर	ग्राम सभा टेरी त्रिलोकपुर में शोभनाथ प्रजापति के घर से रामसुन्दर कश्यप के घर तक इन्टरलाकिंग,
अमेठी	त्रिलोकपुर	ग्राम सभा टेरी त्रिलोकपुर में रामशेकर यादव के घर से देवदत्त यादव के घर तक इन्टरलाकिंग,
अमेठी महमूदपुर	त्रिलोकपुर	ग्राम सभा महमूदपुर में अमेठी मुंशीगंज मार्ग ओवर ब्रिज बाईपास के निकट के रायल वाशिंग सेन्टरसे मकबूल कुरेशी के घर तक इन्टरलाकिंग,
अमेठी	महमदपुर	ग्राम सभा महमदपुर पूरेबरवन सिंह धीरेन्द्र यादव के घर से शारदा यादव के घर तक इन्टरलाकिंग,

प्रस्तावित सूची प्रधानमंत्री आवास योजना

12- निम्नलिखित लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में

क्र0 सं0	ब्लाक	ग्राम सभा	नाम
1	संग्रामपुर	हिम्मतगढ़	शिवकुमारी वर्मा पत्नी राम चन्द्र वर्मा,
2	संग्रामपुर	संग्रामपुर	सुनीता पत्नी नकुल प्रजापति,
3	संग्रामपुर	संग्रामपुर	ज्ञान्ति पुत्री अर्जुन प्रजापति (विकलांग),
4	संग्रामपुर	भौसिंहपुर	कमलेश कुमार यादव सूत शीतला प्रसाद यादव,
5	संग्रामपुर	भावलपुर	आशा देवी पत्नी राम सेवक यादव,
6	संग्रामपुर	भावलपुर	पनसीला पत्नी स्व0 राम कृपाल,
7	संग्रामपुर	भवानीपुर भौसिंहपुर	विपिन चंद्र यादव सूत जोखूराम यादव,
8	संग्रामपुर	पूरे शिरोमणि का पुरवा	पुष्पा कोरी पत्नी स्व0 अनिल कोरी,
9	संग्रामपुर	पूरे जोगाजीत भौसिंहपुर	सुमित्रा देवी पत्नी कन्हैया लाल यादव,
10	संग्रामपुर	पूरे जोगाजीत भौसिंहपुर	रंगीला देवी पत्नी बद्री यादव,
11	संग्रामपुर	ठेंगहा	शीला यादव पत्नी राम यश यादव,
12	संग्रामपुर	टिकरिया, पतापुर पो0-कसारा	रामलली पत्नी भैयालाल,
13	संग्रामपुर	टिकरिया, पतापुर पो0-कसारा	शीलम पत्नी हितलाल कश्यप,
14	संग्रामपुर	टिकरिया, पतापुर पो0-कसारा	भानुमती देवी पत्नी चिरंजीव पाल,
15	संग्रामपुर	जोगाजीत का पुरवा	लाल बहादुर यादव सूत राम करन यादव,
16	संग्रामपुर	जोगाजीत का पुरवा	कन्हैयालाल यादव सूत महावीर यादव,

17	संग्रामपुर	गूजीपुर	उर्मिला देवी पत्नी बुधिराम,
18	संग्रामपुर	गूजीपुर	किरन पत्नी शीतला प्रसाद,
19	संग्रामपुर	गूजीपुर	हीरावती पत्नी भारत वर्मा,
20	संग्रामपुर	गूजीपुर	प्रदीप कुमार वर्मा,
21	संग्रामपुर	खौंपुर बुजुर्ग संग्रामपुर	मणिका सिंह,
22	संग्रामपुर	उमापुर संग्रामपुर	नोखई वर्मा सूत गंगादीन वर्मा,
23	भेटुआ	हारीपुर	सूर्जकली पत्नी छोटेलाल विश्वकर्मा,
24	भेटुआ	हारीपुर	बृजेश यादव,

39 श्री बेदी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-मलहारी मोड़ से तहसील मुख्यालय तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2-सादीयाबाद से जखनिया तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में,

3-सादीयाबाद से मौछिया होते हुए सैदपुर भीतरी तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में,

4-सीकड़ी से रामपुर तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में,

40 श्री धर्मराज सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-लखनऊ से बाराबंकी तक मैट्रो चलाये जाने के सम्बन्ध में,

2-बाराबंकी शहर व बंकी नगर पंचायत में ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

3-बाराबंकी में ट्रामा सेन्टर खोले जाने के सम्बन्ध में,

4-बाराबंकी शहर में जाम से निजात पाने के लिए नाले पर ओवरब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में, (कमरिया बाग से फैजाबाद लखनऊ हाईवे तक)

5-लेप्रोसी हास्पिटल (चौपुल) के पास नहर पटरी पर दोनों तरफ देवां तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-बाराबंकी के नगर पंचायत देवां में नहर पटरी से बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में,

7-बाराबंकी शहर के आवास-विकास मोड़ से असेनी मोड़ तक जाम से निजात पाने के लिए डिवाइडर बनाये जाने के सम्बन्ध में,

8-बाराबंकी शहर में जर्जर सड़क सतरिख से चिनहट का चौड़ीकरण/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-जनपद बाराबंकी में गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर की गयी खानापूरी की जांच कराकर दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में,

10-किसानों को सस्ती खाद, बीज समय पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

11-आम जनता की जान-माल की सुरक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

13-उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का लाभ पिछड़ों एवं अनुसूचित जाति को दिये जाने के सम्बन्ध में,

14-समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में अध्यनरत् छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश के कर्मचारियों को इनकम टैक्स सीमा बढ़ाने में भेदभाव किया गया है जिसका निराकरण करने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, को सुधार करने के सम्बन्ध में,

18-प्रदेश में अपराधियों द्वारा की जा रही घटनाओं पर रोक लगाने के सम्बन्ध में।

41 श्री अनिल प्रधान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-उ0प्र0 में बेरोजगारों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

2-उ0प्र0 के किसानों के निजी नलकूपों को निःशुल्क विद्युत देने के सम्बन्ध में,

3-उ0प्र0 के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के सम्बन्ध में,

4-उ0प्र0 शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को स्थायीकरण करने के सम्बन्ध में,

5-जनपद चित्रकूट की सभी पम्प नहरों को पूरी क्षमता से चलाये जाने के सम्बन्ध में,

6-जनपद चित्रकूट में अन्ना प्रथा को समाप्त कर सभी गौशालाओं में भूसा, चारे-पानी के समुचित व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में,

7-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित गौशालाओं का 08-08 महीने तक भुगतान नहीं किया जा रहा है इसका कोई उल्लेख नहीं है।

8-जनपद चित्रकूट सभी सड़कों को सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने तथा चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-जनपद चित्रकूट में मां मंदाकिनी की सफाई कार्य कराने एवं स्वच्छ रखे जाने के सम्बन्ध में,

10-जनपद चित्रकूट में 220 बेड के मातृत्व एवं शिशु चिकित्सालय में ओ0पी0डी0 सेवा कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-जनपद चित्रकूट में 220 बेड के चिकित्सालय में डाक्टरों एवं स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-जनपद चित्रकूट में संयुक्त जिला चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में विशेष रूप से हड्डी रोग, सर्जन, महिला रोग विशेषज्ञों, हड्डी आप्रेशन एवं प्रसव आप्रेशन हेतु डाक्टरों एवं स्आफ नर्सों की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-जनपद चित्रकूट में संयुक्त जिला चिकित्सालय में हड्डी रोग आप्रेशन कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-जनपद चित्रकूट में संयुक्त जिला चिकित्सालय में एक्सरे, पैथलाजी, सी0ओ0 स्कैन, अलट्रासाउंड सेवा 24 घंटे कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-जनपद चित्रकूट में समस्त समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में डाक्टरों की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-जनपद चित्रकूट में 102 तथा 108 एम्बुलेंस सेवा में प्रतिदिन भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रत्येक एम्बुलेंस चालक से जिला प्रभारी द्वारा फर्जी केस दिखाने का दबाव बनाकर फज्री नम्बर एवं नाम अंकित कराकर केस कराये जा रहा है जिसकी जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-जनपद चित्रकूट में 102 तथा 108 एम्बुलेंस सेवा में प्रतिदिन भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रत्येक एम्बुलेंस चालक से जिला प्रभारी द्वारा ुर्जी केस दिखाने का दबाव बनाकर फर्जी नम्बर एवं नाम अंकित कराकर केस कराये जा रहा है और एम्बुलेंस चालक द्वारा फर्जी केस नहीं दिखाये जाते उनके उपर एम्बुलेंस सेवा में ही तैनात महिला स्वास्थ्य कर्मियों से छेड़-छाड़ समेत अन्य गंभीर आरोप लगा कराकर कानूनी कार्यवाही कराई जा रही है जिसकी जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-जनपद चित्रकूट में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बड़े पैमाने पर ट्रांसफर व पोस्टिंग व्यापक भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में।

19-जनपद चित्रकूट में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से गाली-गलौज की जा रही है जिस पर जांच एवं कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में,

20-जनपद चित्रकूट में पोस्टमार्टम् करने वाले डाक्टरों द्वारा समय से पोस्टमार्टम् करने न आने के संदर्भ में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

21-जनपद चित्रकूट में सभी सरकारी डाक्टरों द्वारा सरकार की रोक के बाद भी प्राईवेट प्रैक्टिस की जा रही, जिसे बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में,

22-जनपद चित्रकूट में दिनांक 15-04-2022 को प्रसव के लिये भर्ती कराई गई रोशनी मिश्रा निवासी बलदाऊ गंज, कर्वी की डाक्टरी एवं नर्सों की लापरवाही के कारण हुई मौत के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने एवं गठित जांच कमेटी मामले की लीपापोती किये जाने के सम्बन्ध में,

23-जनपद चित्रकूट के संयुक्त जिला चिकित्सालय चित्रकूट जो रिफर सेन्टर बन गया है। संयुक्त जिला चिकित्सालय में समुचित इलाज की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

24-जनपद चित्रकूट में मृतकों के परिवारीजनों को पोस्टमार्टम् उपरान्त शव अंतिम संस्कार हेतु घर ले जाने हेतु शव वाहन दिये जाने में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लगभग हमेशा मना किये जाने के सम्बन्ध में,

25-सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र पहाड़ी जनपद चित्रकूट के खराब जनरेअर को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में,

26-जनपद चित्रकूट में नमामि गंगे योजना एवं हर-घर पेयजल योजना में कार्यदायी संस्था द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसकी जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-जनपद चित्रकूट में हर-घर पेयजल योजना में कार्यदायी संस्था द्वारा गांव के अन्दर पाईपलाईन डालने हेतु पक्की सड़कें खोदकर पाईप लाईन डालकर ऊपर से पक्का न करके मिट्टी डालकर बन्द कर दिये जाने के सम्बन्ध में,

28-जनपद चित्रकूट में अघोषित विद्युत कटौती के बन्द करने एवं शासन के निर्देशों के क्रम में बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-जनपद चित्रकूट में पर्याप्त वोल्टेज में विद्युत आपूर्ति हेतु ग्राम धूरेटनपुर, भैसौधा, सरधुआ में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

30-जनपद चित्रकूट में जर्जर तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में,

31-जनपद चित्रकूट में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

32-जनपद चित्रकूट में विद्युत अधिकारी द्वारा बिजली चोरी रोकने के सन्दर्भ छोटे-छोटे किसानों, व्यापारियों तथा आम जनमानस के खिलाफ फर्जी मुकदमें कराकर जमकर वसूली की जा रही है और लोगों को परेशान कराये जाने के सम्बन्ध में,

33-जनपद चित्रकूट में निजी ट्यूबवेल के विद्युत कनेक्शन एवं विद्युत सामग्री हेतु किसानों से पैसा जमा कराये जाने के बाद भी हजारों किसानों को न तो पैसा वापस किया जा रहा है और न ही विद्युत सामग्री दिये जाने के सम्बन्ध में,

34-जनपद चित्रकूट के ग्राम धौरहरा खादर तीरघुमाई गंगू समेत सभी बालू की खदानों में शासनादेश के विपरीत नदी धारा रोककर अवैध खनन कराये जाने के सम्बन्ध में,

35-जनपद चित्रकूट में बालू की ओवरलोडिंग रोके जाने के सम्बन्ध में,

36-जनपद चित्रकूट में समस्त राजकीय इण्टर कालेज एवं उच्चीकृत हाईस्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में तैनाती किए जाने के सम्बन्ध में,

37-जनपद चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में,

38-जनपद चित्रकूट में राजकीय महाविद्यालय कालूपुर पाही में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में,

39-जनपद चित्रकूट में पेयजल संकट को देखते हुए नये मार्का-2 हैंडपम्पों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

40-जनपद चित्रकूट में पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमें लगाकर लगातार उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में,

41-जनपद चित्रकूट के समस्त थानों में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तथा मुकदमें नहीं दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में,

42-जनपद चित्रकूट में सिंचाई हेतु बनाई गई नहरों की साफ-सफाई एवं पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,

43-जनपद चित्रकूट में सभी खेतों में सिचाई हेतु पानी पहुचाये जाने के सम्बन्ध में,

44-जनपद चित्रकूट में उद्यान विभाग में पर्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में,

45-जनपद चित्रकूट में पंचमुखी मडफा महादेव में विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

46-जनपद चित्रकूट में भगवान कामतानाथ स्वामी परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

47-जनपद चित्रकूट में विभिन्न पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं कई धार्मिक स्थलों एवं प्राचीनकाल से मौजूद कई सभ्यताओं का विकास कराये जाने के सम्बन्ध में,

48-जनपद चित्रकूट में सड़कों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार रोके जाने के सम्बन्ध में,

49-पूरे प्रदेश समेत जनपद चित्रकूट में ओ0बी0सी0, एस0सी0 एवं ई0डब्लू0एस0 छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में,

50-जनपद चित्रकूट में सिंचाई हेतु नये नलकूपों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

51-जनपद चित्रकूट बेसिक शिक्ष अधिकारी द्वारा शिक्षकों को निलम्बित एवं बहाली हेतु किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

52-जनपद चित्रकूट में सरधुआ एवं भरतपुर को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

53-पूरे उ0प्र0 सहित जनपद चित्रकूट में मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज हेतु अस्पतालों द्वारा बनाई गई स्टीमेट से आधी धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

54-पूरे उ0प्र0 सहित जनपद चित्रकूट में मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज हेतु अस्पतालों द्वारा बनाई गई स्टीमेट में धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

55-पूरे उ0प्र0 सहित जनपद चित्रकूट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना में जमीन की उपलब्धता होने के बाद भी सर्पदंश के कई मामलों का भुगतान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्रकूट द्वारा बिसरा रिपोर्ट के सन्दर्भ में आख्या न देने के कारण पैसा न स्वीकृत होने के सम्बन्ध में,

56-पूरे उ0प्र0 सहित जनपद चित्रकूट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत मर्डर हुये व्यक्ति के आश्रितों को इस योजना से वांछित लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में,

57-पूरे उ0प्र0 सहित जनपद चित्रकूट में पिछली स्वीकृत शिक्षक भर्तियों में आरक्षण का पूर्णतः पालन न करके नियमों के विपरीत नियुक्ति के सम्बन्ध में,

58-जनपद चित्रकूट में आईसोलेशन वार्ड की स्थापना न होने के कारण जहर एवं सर्पदंस के मरीजों को तत्काल प्रयागराज रिफर कर दिया जाता है जिससे समय से न पहुंचने के कारण प्रति वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध में,

59-जनपद चित्रकूट में लघु सिंचाई विभाग द्वारा तालाबों के साफ-सफाई, गहरीकरण आदि कार्यों में हुये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

60-जनपद चित्रकूट में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा तालाबों को बनाने आदि सभी कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

61-जनपद चित्रकूट में ग्राम खोहसे भरतपुर बाईपास के सम्बन्ध में,

62-जनपद चित्रकूट में राजापुर से कर्वी होते हुये हवाई पट्टी तक फोरलेन सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

63-जनपद चित्रकूट में देवांगना घाटी से खोह बाईपास के सम्बन्ध में,

64-जनपद चित्रकूट में में राजकीय हाईस्कूल ममसी बुजुर्ग के भवन निर्माण के सम्बन्ध में,

65-जनपद चित्रकूट में केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण के जमीन की उपलब्धता के सम्बन्ध में,

66-जनपद चित्रकूट में बरूआ एवं गड़वा नाला के दोनों तरफ सफाई के सम्बन्ध में,

67-जनपद चित्रकूट में रसिन बांध से बरूआ बांध तक सिंचाई हेतु पानी ले जाने के सम्बन्ध में,

68-जनपद चित्रकूट में में फायरब्रिगेड की गाड़ियों एवं स्टाफ बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

69-जनपद चित्रकूट में नगर पालिका परिषद् में शामिल किये गये गांवों में बिजली, पानी एवं अन्य विकास कार्यों के सम्बन्ध में,

70-जनपद चित्रकूट में जिला कारागार में शिक्षकों की तैनाती के सम्बन्ध में,

71-जनपद चित्रकूट में जिला कारागार रगौली में विद्युत आपूर्ति हेतु शहरी फीडर से जोड़ने के सम्बन्ध में,

72-जनपद चित्रकूट में श्रीमती कमला देवी पत्नी महेश प्रसाद शुक्ला, भूतपूर्व सैनिक निवासी ग्राम सगवारा, राजापुर जिला चित्रकूट की जमीन 2019 में खोह-प्रयागराज सम्पर्क मार्ग चौड़ीकरण हेतु लेने के बाद अब तक मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में,

73-जनपद चित्रकूट में राजकीय हाई स्कूल, मिर्जापुर में विद्यालय तक जाने हेतु पक्के सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

74-जनपद चित्रकूट में में रसिन बांध किसानों की ली गई जमीनों का सभी किसानों को अब तक मुआवजा न मिलने के सम्बन्ध में,

75-जनपद चित्रकूट में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बारात भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में,

76-जनपद चित्रकूट में देवांगना घाटी से खोह बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

77-जनपद चित्रकूट में सीतापुर बान तालाब कुशवाहा नई बस्ती में सभी घरों तक सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में,

78-जनपद चित्रकूट में करारी ग्राम पंचायत के मजरे काजीपुर में महेश पटेल के घर से अवधेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

79-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत साईपुर माफी में उमाशंकरी तिवारी के घर से गुलजार यादव के घर तक पक्के सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में,

80-जनपद चित्रकूट में में ग्राम पंचायत पडरी में ग्राम रैपुरवा माफी वाया पड़वी वाया गोपालपुर वाया बगलई तक डामरीकरण सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

81-जनपद चित्रकूट में में ग्राम पंचायत परसौंजा में राजू ठाकुर के पुरवा से साधू सरण सिंह के मकान तक पक्का सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

82-जनपद चित्रकूट में रैपुरा-राजापुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम अहिरा समपर्क मार्ग जो हर-घर जल योजना कार्य करने वालों ने पूर्ण रूप से खुदाई करके ध्वस्त कर दिया है उक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

83-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत मगरहाई के ग्राम बांधा में स्वजल योजना के तहत बनाई गई टंकी का प्रयोग हर-घर नल योजना से आछादित करके पेयजल व्यवस्था प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

84-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत हिनौथा माफी में पडुई व नोनगरा नाला में पुलिया अथवा रप्टा निर्माण के सन्दर्भ में कोई उल्लेख नहीं है के सम्बन्ध में,

85-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत अशोह में पंडा चौराहे से शिव शरण सिंह के घर तक नाली सहित सी0सी0 रोड एवं नाले में रप्टा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

86-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत अशोह में नथू यादव के घर से सिंघानिया तालाब (राजापुर सम्पर्क मार्ग) तक डामरीकरण सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

87-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत अशोह में सूरज यादव के घर से उमरी तालाब तक डामरीकरण सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में,

88-जनपद चित्रकूट में इटरौर भीषमपुर में उधौ प्रसाद के घर से पुलिया तक नाला सहित सी0सी0 रोड के निर्माण के सम्बन्ध में,

89-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत रामपुर (बेलरी) में रामपुर से बेलरी तक डामरीकरण सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

90-जनपद चित्रकूट में सीतापुर में प्रकाश पटेल के घर से लालमन मास्टर के घर नाली सहित सी0सी0 रोड का निर्माण के सम्बन्ध में,

91-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत धौरही माफी में कुबेर कोरी के घर से शिवमोहन प्रधान के पुरवा होते हुये करेड़ी नाला वाया मउब तक डामरीकरण सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

92-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत धौरही माफी के मजरा ल्योझा में कालका देवी जी के स्थान से बरहा पुरवा तक डामरीकरण सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में,

93-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत अकबरपुर में भरतकूप मेन रोड से अहिरनपुरवा तक डामरीकरण सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

94-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत अकबरपुर में राजू पटेल के पुरवा से प्राथमिक विद्यालय तक डामरीकरण सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

95-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत शिवरामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ नाला निर्माण के सम्बन्ध में,

96-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत शिवरामपुर में शिवरामपुर से रैपुरवा सम्पर्क मार्ग के मध्य स्थित रेलवे अंडरग्राउड ब्रिज के नीचे पानी भर जाने के सम्बन्ध में,

97-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत गुरू बाबा चकला में गुरू बाबा चकला से गड़नियनपुरवा तक सुदृढ़करण कराये जाने के सम्बन्ध में,

98-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत भरथौल में बरूआ नाला तक रप्टा एवं पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

99-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत सुरवल में किशोर के पुरवा में सीताराम के घर से माफी द्वारकापुरवा पीपल के पेड़ तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

100-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत सुरवल माईनर नई पुलिया से माफी धार का पुरवा प्राईवरी विद्यालय मेन रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

101-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत सरधुआ में राजापुर कमासिन मार्ग से रज्जन पाण्डेय के दरवाजे तक सी0सी0 रोड एवं पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

102-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत सरधुआ में राजापुर कमासिन मार्ग से गौशाला तक सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

103-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत सरधुआ में पनौटी मार्ग से बेलहा पुरवा तक सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

104-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत कादरगंज शिवचरण सिंह के घर से बोड़ा चौकीदार के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

105-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत कादरगंज में शंकर जी के मंदिर से छोटे लाल यादव के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

106-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत कादरगंज में गेंदा पुरवा सी0सी0 रोड से संतोष यादव के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

107-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी के श्यामलाल के घर के सामने से कल्लू गुप्ता के घर तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

108-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में शंकर जी के मंदिर से छोटे लाल यादव के घर तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

109-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में दादू खां के सामने से मेन रोड प्रजापति बस्ती तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

110-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में मेन रोड विक्रम प्रजाति के सामने से प्रजापति बस्ती तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

111-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में श्याम सुंदर पाण्डेय के सामने से मोहन लाल नाई के सामने तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

112-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में मेन रोड बैजूपुरवा से अलमापुरवा मेन रोड तक दो पुलिया एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

113-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में मेन रोड पुलिया से भूरा यादव के दरवाजे तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

114-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में मेन रोड बसन्त लाल टेलर के सामने से नत्थू यादव के सामने तक दोनों तरफ नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

115-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में मेन रोड से व्यास यादव के सामने तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

116-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में मेन रोड से पिलेश यादव के सामने तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

117-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में मेन रोड से शिवदर्शन यादव के सामने तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

118-जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में मेन रोड से हरिशचन्द्र यादव के पुरवा तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

41 डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

1-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई अप्रत्याशित महंगाई के रोकथाम के सम्बन्ध में,

2-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों हेतु रोजगार के अवसर मुहैया कराने एवं नई भर्तियों को निकाले जाने के सम्बन्ध में,

3-किन्तु खेद है कि आउट सोर्सिंग की कम्पनियों द्वारा की जा रही मनमानी एवं भ्रष्टाचार को रोकने हेतु इन कम्पनियों को बन्द कर पूर्व की भांति प्रत्येक विभाग अपनी स्वयं की इच्छा से भर्ती कर सके, जिससे आउट सोर्सिंग कम्पनियों की दलाली की प्रथा समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

4-किन्तु खेद है कि किसानों हेतु निःशुल्क सिंचाई का पानी दिये जाने के सम्बन्ध में,

5-किन्तु खेद है कि किसानों के नलकूप के कनेक्शन का पिछला बिल माफ कराने के सम्बन्ध में,

6-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को खेतों की सिंचाई हेतु निःशुल्क सोलर पम्प वितरण कराने के सम्बन्ध में,

7-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की फीस को कम किये जाने एवं मंहगी किताबों पर छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,

8-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,

9-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, मथुरा, कानपुर आदि शहरों में मझवार जाति का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में,

10-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में,

11-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम फारौल नगरिया में यमुना नदी के पास एक बैराज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

12-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम जलालपुर चौराहे से सिकेहरा होकर बेहड़वाली माता मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम दतावली, पिपरानी मार्ग (नलकूप दाताराम) के पास पानी निकासी हेतु 2 x 5 मीटर स्पान के लघु सेतु निर्माण के सम्बन्ध में,

14-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम मक्खनपुर, नसीरपुर मार्ग से नगला केशों सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम मक्खनपुर में डा0 राजकपूरी देवी इण्टर कालेज से किशनपुर होकर किरथरा तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण के सम्बन्ध में,

16-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम मक्खनपुर, नसीरपुर मार्ग से सड़ामई मार्ग का नवनिर्माण के सम्बन्ध में,

17-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम मोहिनीपुर से नगला रघोल के नवनिर्माण के सम्बन्ध में,

पी0एस0यू0पी0-एल0-01 विधान सभा (1)-03-04-2023-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।